मानव संसाधन विकास मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
1990—91

भाग—1

NIEPA DC
D06522

शिक्षा विभाग
भारत सरकार
1991

370.95406
BHA-90-T

Sub. [illegible] Systems Unit
National Institute of Educational
Pl[illegible] Aminisration
17-B S[illegible] do Marg New [illegible] 016
DOC. No. D-6522
Date.......2-12-91

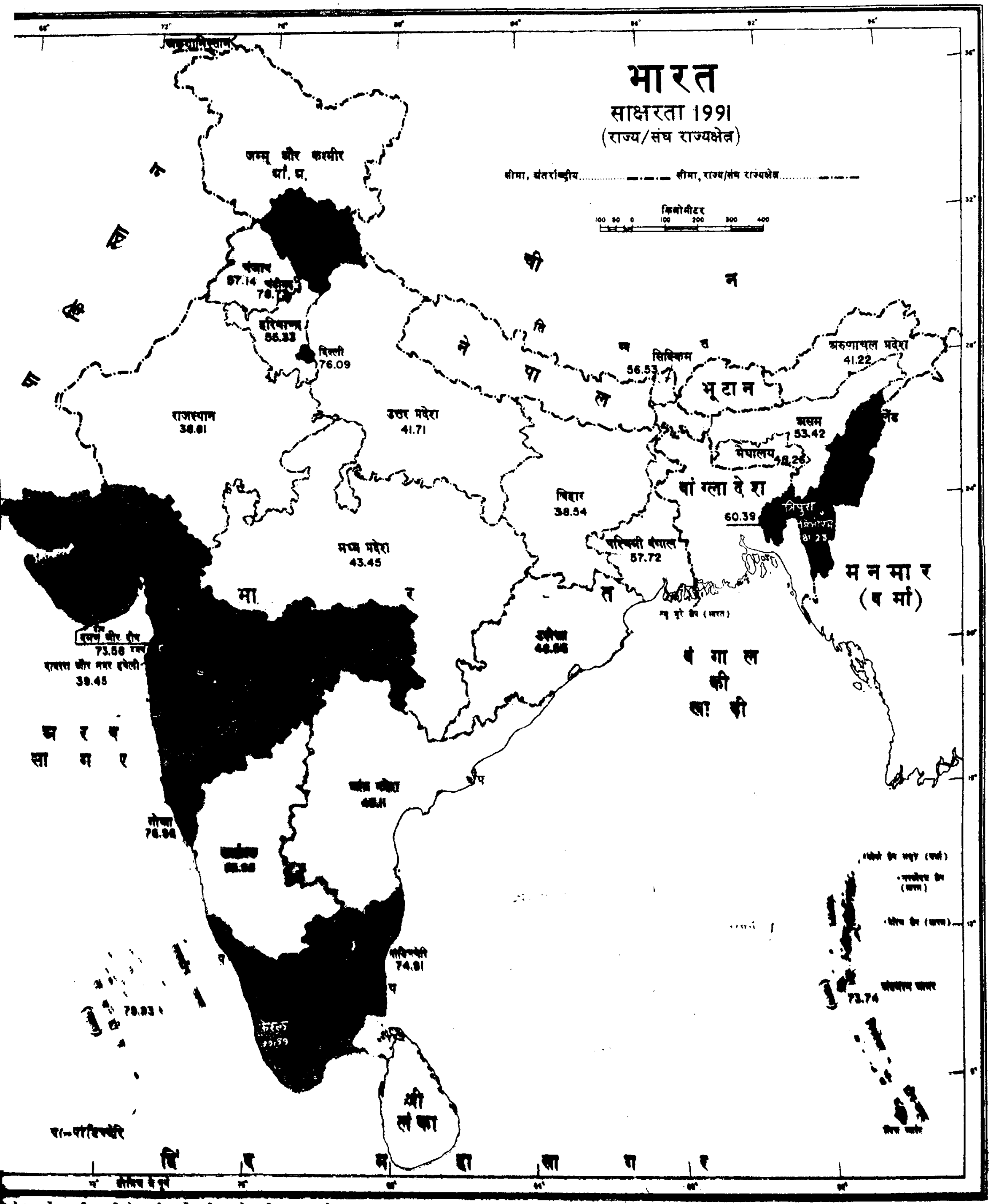

*के महासर्वेक्षक की अनुमति से भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
*में भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गये बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
*मानचित्र में मेघालय की सीमा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, के निर्वचनानुसार
*है, परन्तु उसकी सत्यापित होनी है।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्यधिकार, 1991

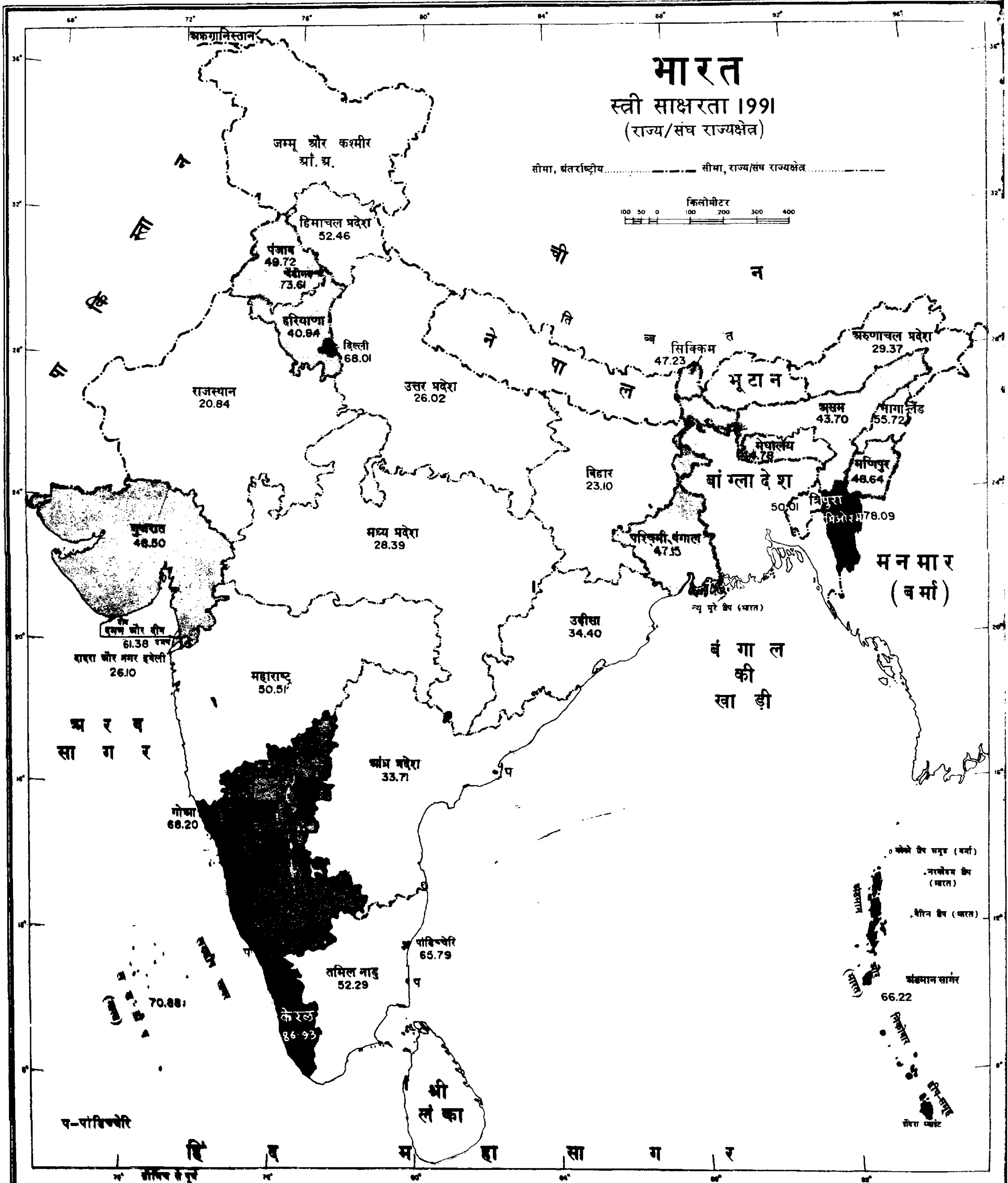

भारत के महासर्वेक्षक की अनुमति से भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गये बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

इस मानचित्र में मेघालय की सीमा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, के निर्वचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है।

© भारत सरकार का प्रतिलिप्यधिकार, 199

विषय-वस्तु

	पृष्ठ संख्या
1. प्रस्तावना	1—4
2. प्राक्कथन	5—9
निधियों का आवंटन तथा उनका प्रयोग	
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986—समीक्षा समिति	
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (के०शि०सला० बोर्ड)	
सांख्यिकी	
प्रारंभिक शिक्षा	
माध्यमिक शिक्षा	
उच्च शिक्षा	
प्रौढ़ शिक्षा	
तकनीकी शिक्षा	
भाषा विकास	
पुस्तक प्रोन्नति तथा प्रतिलिप्याधिकार (कापीराइट)	
सीमावर्ती क्षेत्र विकास	
यूनेस्को तथा अन्तर राष्ट्रीय सहयोग	
शैक्षिक विकास तथा उपेक्षित	
शिक्षा के संसाधन	
3. प्रशासन	10—13
संगठनात्मक संरचना	
अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन	
कार्य	
सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप	
सरकारी कामकाज में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग	
वर्ष 1990-91 के दौरान विदेश भेजे गये सरकारी तथा गैर सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति/शिष्टमंडल	
बजट प्राक्कलन	
व्यावसायिक विकास तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण	
4. प्रारंभिक शिक्षा	14—22
प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना	
औपरेशन ब्लैक बोर्ड	
गैर-औपचारिक शिक्षा	
शिक्षा के लिए संगणीकृत आयोजना	
महिला सामख्या	
बिहार शिक्षा परियोजना	
शिक्षा कर्मी परियोजना	
शिक्षक शिक्षा	
राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन	
शिक्षण का न्यूनतम स्तर	
बाल भवन सोसायटी	

5. माध्यमिक शिक्षा 23—48

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिकरण
शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम
स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार
स्कूल शिक्षा के लिए पर्यावरण अवस्थापना
स्कूलों में संगणक शिक्षा
राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना
विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा
युद्ध के दौरान मारे गये अथवा अपंग बचे सशस्त्र सेनाओं के
अधिकारियों और सैनिकों के बच्चों के लिए शैक्षिक रियायतें
योगा को प्रोत्साहन
शिक्षा में संस्कृति/मूल्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए
एजेंसियों को सहायता और नये नये कार्यक्रमों को
कार्यान्वित करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को सहायता
राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूली पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा
शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार
स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद
राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन
नवोदय विद्यालय

6. उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान 49—67

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
नये विश्वविद्यालय
विशिष्ट अनुसंधान संगठन

7. तकनीकी शिक्षा 68—82

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
भारतीय प्रबंध संस्थान
राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी में प्रशिक्षण संस्थान
राष्ट्रीय ढलाई तथा भट्ठी प्रौद्योगिकी संस्थान
आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल
तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्य का विकास
कोटि सुधार कार्यक्रम
तकनीशियन शिक्षा की सहायता के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त योजना
संस्थागत नेटवर्क योजना
तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र
आधुनिकीकरण तथा प्राचीन परम्पराओं का उन्मूलन
राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति संसूचना प्रणाली
गैर विश्वविद्यालयीय केन्द्रों में प्रबंध शिक्षा का विकास

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान
सामुदायिक पालीटेक्निक
प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम
एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक
शैक्षिक योग्यताओं का मूल्यांकन बोर्ड
आंशिक वित्तीय सहायता
वर्तमान संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और गैर-निगमित तथा असंगठित क्षेत्रों
के लिए नयी संस्थाओं का स्थापना
उद्योग-संस्थान में पारस्परिक अन्योन्यक्रिया
सतत् शिक्षा
तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं में अनुसंधान और विकास
भारतीय शैक्षिक परामर्शदाता लिमि०
आयातित उपस्कर संबंधी पास बुक
संगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं को सहायता

8. प्रौढ़ शिक्षा 83—93

पर्यावरण निर्माण
समग्र साक्षरता पर महत्वपूर्ण बल
केन्द्र आधारित कार्यक्रम का पुनर्गठन
विषय-वस्तु और शिक्षण की सुधरी हुई गति
स्वैच्छिक एजेंसियां
कार्यात्मक साक्षरता का जन कार्यक्रम
उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा
शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन स्त्रोत
प्रौद्योगिकी प्रदर्शन
प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन
विश्व-साक्षरता दिवस
साक्षरता, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा पर सार्क की चर्चा
अन्य अन्तर्राष्ट्रीय और यूनेस्को मामले
जन माध्यम और संचार प्रणाली
प्रबंध संसूचना प्रणाली
राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान

9. संघ शासित प्रदेशों में शिक्षा 94—102

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
चंडीगढ़
दादरा और नागर हवेली
दमन और दीव
दिल्ली
लक्षद्वीप
पांडिचेरी

10. छात्रवृत्तियां 103—105

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना
राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की
योग्यता का उन्नयन करने की योजना
अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना
अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के
लिए छात्रवृत्तियां
संस्कृत अर्थात अरबी और फारसी के अलावा श्रेण्य भाषाओं के अध्ययन में व्यस्त परम्परागत
संस्थाओं से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए अनुसंधान छात्रवृत्तियां
ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां
यू॰के॰/कनाड़ा सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति योजनाएं
नेहरु शताब्दी बितानवी शिक्षावृत्ति
जवाहर लाल नेहरु स्मारक न्यास छात्रवृत्ति
ब्रिटिश परिषद आगंतुक शिक्षावृत्ति कार्यक्रम
तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम
सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सरकारों द्वारा प्रस्तावित
छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

11. पुस्तक प्रोन्नति तथा कापीराइट (प्रतिलिप्याधिकार) 106—109

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास
पुस्तक प्रोन्नति क्रियाकलाप और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता
विदेशी मूल की कम कीमत वाली विश्वविद्यालयीय स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन
भारत सोवियत संघ साहित्यिक परियोजना
पुस्तकों और प्रकाशनों के लिए नयी आयात-निर्यात नीति
पुस्तक निर्यात और प्रोत्साहनवर्धक क्रियाकलाप
आई॰एस॰पी॰एन॰ कापीराइट (प्रतिलिप्याधिकार) के लिए राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी
कापीराइट में प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं

12. भाषाओं का प्रोत्साहन 110—117

हिन्दी का प्रोत्साहन एवं विकास
आधुनिक भारतीय भाषाओं का प्रोत्साहन और उनका विकास
संस्कृत और अन्य श्रेण्य भाषाओं का प्रोत्साहन

13. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 118—119

14. बीस-सूत्री कार्यक्रम और उपेक्षित वर्गों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना 120—122

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा
अल्पसख्यकों के लिए शिक्षा
महिला शिक्षा

15. प्रबंध, अनुश्रवण और मूल्यांकन 123—127

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड
राज्य शिक्षा सचिवों और शिक्षा निदेशकों की बैठक
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा
शैक्षिक सांख्यिकी (आंकड़े)
संगणीकृत प्रबंध संसूचना प्रणाली
संगणीकृत संसूचना प्रणाली का विकास
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान (नीपा)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु अध्ययनों, संगोष्ठियों और मूल्यांकन आदि की योजना

16. यूनेस्को और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 128—136

विकास के लिए शैक्षिक नवाचारों से संबंधित एशिया प्रशांत कार्यक्रम
सभी के लिए शिक्षा संबंधी एशिया प्रशांत कार्यक्रम
जेनेवा में 42वां अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मलेन 3-8 सितम्बर, 1990
अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो की परिषद का 23वां सत्र
राष्ट्रीयमंडलीय शिक्षा मंत्रियों का 11वां सम्मेलन
अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार सम्मेलन रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण
अपील और अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक
एशियाई प्रदेश में प्रशासकों के प्रशिक्षण में शामिल निदेशकों और विशेषज्ञों की प्रशिक्षण कार्यशाला
प्राथमिक स्कूल में उपस्थिति में आने वाली सामाजिक आर्थिक बाधाओं पर नियंत्रण पाने के लिए नये-नये उपायों के लिए उप-क्षेत्रीय सेमिनार
प्राथमिक और लोअर माध्यमिक स्तरों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकासात्मक क्रियाकलापों से संबंधित कार्यशाला।
भारत द्वारा यूनेस्को से प्रायोजित अन्य सम्मलेनों/बैठकों कार्यशालाओं/कार्यकारी दलों की बैठकों में भाग लिया जाना
यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड
यूनेस्को बजट के लिए अंशदान
विश्व पैत्रिक सम्पत्ति समिति
बाह्य शैक्षिक सम्पर्क और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
विदेशों से आने वाले आगंतुक
यूनेस्को का सहभागिता कार्यक्रम
अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ के लिए शिक्षा
यूनेस्को क्लब और सहयोजित स्कूल
एशिया तथा प्रशांत में 15वीं फोटो प्रतियोगिता
उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों के लिए पुरस्कार की योजना।
महिला वैज्ञानिकों के लिए पुरस्कार
अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार
यूनेस्को कूपन कार्यक्रम
यूनेस्को कूरिया
आरोविल

अनुबन्ध

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटन 137—145
स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान 146—190
राज्यों/संघ शासित प्रदशों की सहायता से संबंधित परिशिष्ट। 191—199
चार्ट 200—236
शैक्षिक आंकड़ों से संबंधित विवरण 237—262
प्रशासनिक चार्ट

1. प्रस्तावना

1. प्रस्तावना

1.1.0 केन्द्रीय सरकार के संगठनात्मक इतिहास में सितम्बर, 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन एक युगान्तरकारी घटना हैं, यह उस प्रारंभिक विचारधारा की संस्थागत विशेषता को प्रमाणित करता है कि देश के लोगों को एक अत्यंत मूल्यवान संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिये कि विकास को जी०एन०पी० की गणना, बचत निवेश और जन्म की दरों सहित आर्थिक संवृद्धि से दूर जाना चाहिये और इसके बजाये विकास का लक्ष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्कृति, शिक्षा, कला और शिल्पकला खेल मानविकी और मानवीय मूल्यों सहित मानव परिस्थितियों पर आधारित सभी घटकों से उनको लेकर तथा जीवन के माध्यम से बच्चों से शुरूआत करके नागरिकों के संबंधित विकास को प्राप्त करना होना चाहिये। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य मानव संसाधन विकास को प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों के संबंध में एक समन्वित और समेकित दृष्टिकोण का सृजन करना है। वर्ष 1990-91 के दौरान, मंत्रालय ने इस उद्देश्य को और आगे बढाने के लिए अपने सतत प्रयास जारी रखे।

1.2.0 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट को तीन मांगों में प्रस्तुत की गयी है, जिनमें से प्रत्येक मांग में निम्नलिखित विभागों को शामिल किया गया है:-

मांग-I शिक्षा
मांग-II संस्कृति
मांग-III युवा कार्यक्रम और खेल

शिक्षा विभाग

1.3.1 प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ साक्षरता को सर्वसुलभ बनाना, शैक्षिक अवसरों, महिला शिक्षा और विकास को एक समान बनाना। स्कूल शिक्षा का व्यावसायिकरण, उच्च शिक्षा का समेकन, तकनीकी शिक्षा का आधुनिकीकरण, सभी स्तरों पर शिक्षा की कोटि, विषय वस्तु और प्रक्रिया मे सुधार करना; शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रयास का ये निरन्तर सिद्धान्त रहे हैं। वर्ष 1990 को दो महत्वपूर्ण घटनाओं से एक सराहनीय वर्ष के रूप में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को अन्तर राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में घोषित किया गया और मार्च, 1990 में थाइलैण्ड के जोम्तियल में वर्ष 2000 तक सभी के लिए शिक्षा संबंधी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं में सभी सरकारों और विश्वभर की गैर सरकारी एजेंसियों को शिक्षा की सार्वजनिक जागरूकता और इसकी सघन मांग को उत्पन्न करने की दृष्टि से बहुत बडी संख्या में कार्यकलापों को आयोजित करने का अवसर प्रदान किया गया है और 2000 ई०सं० तक सभी के लिए शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत कार्रवाई योजना को एक दशक के अन्दर घोषित करने का प्रावधान हैं। भारत में, अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के अनुसरण में इस सच्चाई के कारण एक विशेष तथा महत्वपूर्ण विशिष्टता सुनिश्चित हो गयी है कि विश्व के लगभग 50% निरक्षर लोग भारत में ही रहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष निरक्षरता के उन्मूलन के लिए हमारे देश के प्रयास वास्तव में एक जल विभाजक है, जिसे महात्मा गांधी ने भारत के लिए एक गुनाह और शर्मनाक बात कही थी। इस वर्ष में मोटे तौर पर सांस्कृति जन माध्यम के नवीन प्रयोग और भारत ज्ञान विज्ञान समिति सहित अनेक एजेंसियों द्वारा अप्रत्याशित प्रकाशनों की एक उमड़ती हुई लहर सी देखने में आयी। एरनाकुलम में जो सफलता मिली, जिसे फरवरी, 1990 में पूर्ण रूप से साक्षर जिले के रूप में सबसे पहला जिला घोषित किया गया था, उसने एक प्रकाशन स्तम्भ के रूप में काम किया जिसने अनेक जिले के लोगों की समग्र साक्षरता प्राप्त करने को प्रेरित किया। पूरे केरल राज्य में, और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी, गुजरात के एक सौ तालुकों में तथा 10 राज्यों के 42 जिलों में समग्र साक्षरता अभियान चलाये गये। दिनांक 18 अप्रैल, 1991 को पूरे केरल राज्य को एक साक्षर राज्य के रूप में घोषित किया गया। केरल को साक्षर कालम होने का गर्व है। इस प्रकार से समग्र साक्षरता अभियान की संभावना की वास्तव में स्थापना हो गयी है। राज्य सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के परामर्श से निरक्षरता उन्मूलन के और अधिक व्यापक कार्यक्रमों को आरंभ करना संभव हो सकेगा और अक्षर भारत के लक्ष्य की और अग्रसर होना संभव हो सकेगा।

1.3.2 पिछले कुछ वर्षों से प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा के परिप्रेक्षयों में कुछ गुणात्मक परिवर्तन होता रहा है। बुनियादी

शिक्षा के पावन दृष्टिकोण ने प्रारंभिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा के क्षेत्रीय और तंत्र नजरियों को प्रतिस्थापित कर दिया है। इसी पावन विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए ही बुनियादी शिक्षा की विचारधारा उत्पन्न हुई है इस संदर्भ में बेसिक शिक्षा में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:-

(क) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने (1) 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच (ख) उनका प्रारंभिक शिक्षा से गैर औपचारिक अथवा औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को पूरा नहीं कर लेते तब तक उनका सार्वभौमिक रूप से इसमें भाग लेना और (ग) शिक्षण के न्यूनतम स्तरों की कम से कम व्यापक उपलब्धि के एक मिश्रित कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है।

(ख) कार्यात्मक साक्षरता, जिसमें लिखना, पढ़ना और गणित विद्या में स्व-आत्मनिर्भर निपुणताओं पर बल दिया जाता है, में वैयक्तिक, परिवार और समुदाय की आवश्यकताओं से संबंधित प्रारंभिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता है।

(ग) महिला शिक्षा और उनके विकास पर एक विशेष बल देना, ताकि वे शिक्षा में समानता की और अग्रसर हों और वे विकास की प्रक्रिया के उपस्कर तथा लाभप्राप्त करने वाले घटक बन सके; और

(घ) जीवित रहने और सामान्य सम्पन्नता के लिए उत्तर साक्षरता, सतत शिक्षा और बुनियादी निपुणताओं की भावना मनमें बैठाना।

1.3.3 इस विचारधारा को मई, 1990 में जोम्तियन में आयोजित सभी के लिए शिक्षा नामक विश्व सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय औचित्यता प्राप्त हुई। जोमितयन सम्मेलन द्वारा की गई घोषणा से सभी राष्ट्रों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वर्ष 2000 ई॰स॰ तक सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए कारगर उपाय करने के लिए एक मार्मिक अपील की गयी प्रतीत होती है। शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में नयी नयी बेसिक शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं तैयार करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस प्रकार की सर्वप्रथम बिहार शिक्षा परियोजना का अनुमोदन किया गया था। बिहार शिक्षा परियोजना में बेसिक शिक्षा के सभी घटकों को शामिल किया जाएगा और 5 वर्षों की अवधि में 20 जिलों को शामिल करने के लिए इसका चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया जायेगा। इसके लिए कुल परिव्यय 360 करोड़ रूपये का होगा, जिसमें से युनिसेफ 180 करोड़ रुपये का योगदान करेगा, भारत सरकार 120 करोड़ रुपये का और बिहार सरकार 60 करोड़ रुपये का योगदान करेगी। बिहार शिक्षा परियोजना में बेसिक शिक्षा प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन लाने और समग्र सामाजिक सांस्कृति परिस्थितियों के माध्यम से इसमें मूलभूत परिवर्तन करने वाले एक सामाजिक मिशन के रूप में देखा जाता है।

1.3.4 निम्नलिखित बातों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शैक्षिक अवसरों की समानता पर निरन्तर बल दिया जाता रहा है:-

— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां

— महिलाएं

— उनके लिए जो पिछड़े इलाकों, सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी गंदी बस्तियों पहाड़ी प्रदेशों, सीमा वर्ती और रेगिस्तानी मंडलों और परियोजना के परिप्रेक्ष्य से बाहर रहने वाले लोगों के लिए।

— विकलांग

1.3.5 उन बच्चों के लिए जो प्राथमिकता से उच्च शिक्षा के स्तरों तक पूरे दिन के स्कूलों में व्याप्त अवसरों का लाभ नहीं उठा सकते, उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने के अवसर निरन्तर रूप से गैर औपचारिक प्रणाली, गैर औपचारिक शिक्षा और खुले स्कूलों तथा मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं। शिक्षा तक पहुंच को सुकर बनाने के लिए जन संचार माध्यम (दूर दर्शन और रेडियो) के रूप में शिक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर उत्तरोत्तर रूप से दबाव डाला गया था।

1.3.6 शिक्षा की विषयवस्तु को लगातार मौलिक मूल्यों और संबंधित विषयोन्मुख अर्थात देश की एकता और अखण्डता, सांस्कृतिक जागरूकता उत्पन्न करने, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, लैंगिक सामाक्ष्या, वैज्ञानिक रुझान का विकास, पर्यावरण का संरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण करने वाली बनाने पर निरन्तर जोर दिया जाता रहा है।

1.3.7 प्राथमिक स्तर पर नैसिखियों की उपलब्धता और शिक्षण के न्यूनतम स्तरों को निर्धारित करने के लिए ध्यान केन्द्रित करने हेतु कारगर उपाय किये गये थे। स्कूलों में शिक्षण संबंधी उपलब्धता में सुधार करने सतत परन्तु व्यापक मूल्यांकन पद्धति को आरंभ करने, और उपलब्धि मे सुधार करने के लिए आवश्यकताओं से संबंधित निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण नीति तैयार की गयी और उसे कार्यान्वित किया गया।

1.3.8 समग्र शैक्षिक विकास के लिए अपनायी जाने वाली महत्वपूर्ण नीतियां और उपकरणों में निम्नलिखित बातो पर लगातार ध्यान दिया जाता रहा है:-

— चेतना पर आधारित निर्णयों को सुकर बनाने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को शामिल करना:

— स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करना:

— जन गतिशीलता:

— राष्ट्रीय, राज्य और निजी स्त्रोत की संस्थाओं को शामिल करना, उनका विकास तथा उन्हें सुदृढ बनाना।

— द्विपक्षीय, प्रादेशिक और बहुपक्षीय-अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग।

संस्कृति विभाग

1.4.0 संस्कृति के क्षेत्र में वर्ष 1990-91 का वर्णन सांस्कृतिक पुनरूत्थान के वर्ष के रूप में किया जा सकता है। इस क्षेत्र में अधिकांश योजनाओं और कार्यक्रमों का जोर मानवीय रचनात्मकताओं के सुविस्तृत चित्रण की अभिव्यक्ति को शामिल करते हुए संस्कृति का प्रसार करना है इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति की असंख्य विशेषताओं को उनकी समृद्ध विविधताओं में बढ़ावा देना, प्रक्षेपित करना तथा उनका परिरक्षण करना है।

1.4.1 संस्कृति विभाग ने कला, पुरातत्व, मानव विज्ञान, संग्रहालयो और पुस्तकालयों के क्षेत्रों में अपनी अवस्थापना तथा अपनी सहयोगी संस्थाओं के जरिए देश की सांस्कृतिक परम्पराओं के परिरक्षण, संवर्धन तथा समृद्धि हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा। इस वर्ष के दौरान, तीन राष्ट्रीय अकादमियों तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कामकाज संबंधी पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने का एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ। इसकी सिफारिशों की इस प्रयोजनार्थ गठित किए गए एक कार्यान्वयन सैल द्वारा जांच की जा रही है। इस वर्ष के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुछ महत्वपूर्ण खोजें की जिनमें पतीलखोरा (महाराष्ट्र) की गुफा संख्या 4 में द्वितीय शताब्धी पू० की तारीख का शिला लेख, एलोरा में एक नई खोजी गई गुफा एक ब्राहम्णीय शिल्प कला, झीनझारी (म०प्र०) की चट्टान चित्रकलाएं और कर्नाटक के कोलार जिले में एक पूर्ववर्ती निवास स्थल शामिल है। वर्ष के दौरान इस विभाग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों में मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा जमनालाल बजाज की जन्म शताब्दियां मनाना रहा है। गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति द्वारा भारत में डा० नेल्सन मण्डेला के आगमन के उपलक्ष्य में "महात्मा गांधी और नेल्सन मण्डेला के दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष" को चित्रित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी का भी उल्लेख किया जा सकता है।

1.4.2 वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में, पहली बार घाना और खान्डा सहित विदेशों के साथ बारह सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर/उनको नवीकरण किया गया। उसमें भारत तथा नामीबिया के बीच सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर होने महत्वपूर्ण थे। वर्ष के दौरान, सितम्बर, 1991 में आयोजित होने वाले जर्मनी में भारतोत्सव के कार्यक्षेत्र तथा प्रसार को अंतिम रूप दिया गया। ललित कला अकादमी ने एक अन्तर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी सातवीं त्रिवर्षीय भारत "का आयोजन किया जिसमें भारत सहित 38 देशों ने भाग लिया। संगीत नाटक अकादमी और भारतीय सांस्कृतिक संबंद्ध परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत अन्तर्राष्ट्रीय कठपुतली उत्सव और भारत अन्तर्राष्ट्रीय नृत्य उत्सव, और संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित किए गए प्रलेखन पर सार्क कार्यशाला, जिसमें सभी क्षेत्र (सार्क) सदस्य देशों ने भाग लिया, भी उल्लेखनीय हैं।

युवा कार्य और खेल विभाग

1.5.1 इस वर्ष को युवा कार्यों के क्षेत्र में भारतीय युवाओं के साथ विचार विमर्श करने के वर्ष के रूप में कहा जा सकता है, जिसमें राष्ट्र निर्माण कार्यकलापों के लिए युवाओं की शक्ति को काम में लगाने का कार्य करना है जबकि खेलों से हमारे प्रयत्नों द्वारा सभी के लिए खेल तथा निष्पादन में उत्कृष्टता के दोनों लक्ष्यों को अर्जित करना है। मई, 1990 में युवा नेताओं की एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और इसकी सिफारिशों से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय युवा परिषद् का गठन किया गया। एक समग्र नई राष्ट्रीय युवा नीति का प्रारूप तैयार किया गया है जो यह सरकार के विचारधीन है।

1.5.2 छात्र युवाओं के लिए एक कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना ने समुदाय विकास के लिए नियमित कार्यक्रमों के माध्यम से गांवों को अपनाने में दृढता से अपने प्रयास जारी रखे जिससे सामुदायिक सेवाओं के जरिए राष्ट्र निर्माण कार्यकलापों में योगदान हो सके। राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में सरकार के प्रयासों में भाग लेकर के सहयोग किया।

1.5.3 नेहरू युवा केन्द्र कार्यक्रम को सुधारने तथा इसकी पुनः संरचना करने के क्रम में जो कि गैर छात्र ग्रामीण युवाओं के लिए है, सचिवों की समिति ने योजना आयोग के मूल्यांकन सैल के जरिए नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने की सिफारिश की और एक समिति ने ने०यु०के० को संवारने तथा पुनः गठित करने की दृष्टि से ने०यु०के० के कर्मचारियों की भर्ती की जांच की।

1.5.4 वर्ष के दौरान, पिछड़ी जनजातियों के युवाओं में युवा कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना आरंभ की गई थी और राज्य सरकारों, की एजेंसियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के जरिए 75 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी। विस्तृत मद वार कार्यक्रमों को परिचालित किया गया ताकि ये कार्यक्रम इन जनजातियों के लिए कार्य कर रहे विभिन्न युवा संगठनों के ध्यान में लाए जा सकें।

1.5.5 युवा कार्य और खेल विभाग ने राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों, विश्व-विद्यालय छात्रों के लिए उत्सवों, साहसिक कार्यक्रमों तथा युवाओं के लिए प्रदर्शनी के क्षेत्रों में अपने प्रयास जारी रखें। इस विभाग ने स्व-रोजगार शुरू करने के लिए युवाओं को तैयार करने की दृष्टि से ताकि वे जीविका अर्जन करने योग्य बन सके, उनको व्यावंसायिक प्रशिक्षण देने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। स्काउट्स तथा गाइड कार्यकलापों ने बच्चों तथा युवाओं के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अपने कार्यकलापों तथा कार्यक्रमों में निरन्तर उन्नति होती रही। 3,000 राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवकों को

इस विभाग की वित्तीय सहायता से प्रारंभिक स्तर से तैनात किया गया है ताकि ये युवा स्नातक और अवर स्नातक युवा अपने अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और समाज सेवा तथा समुदाय को विकास करने की भावना को ग्रहण कर सकें।

1.5.6 इस विभाग ने गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति के सहयोग से नेहरू युवा केन्द्रों के जरिए देश में 250 जिलों में अक्तूबर, 1990 के दौरान साम्प्रदायिक सद्भावना माह का आयोजन किया। देश के अनेक भागों में इससे सद्भाव बनाए रखने में एक बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस विभाग ने स्वैच्छिक संगठनों को उत्तरी भारत में दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय एकता शिविरों के संचालन* के लिए भी निधियां संस्वीकृत की।

1.5.7 इस विभाग ने राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम के सहयोग से और संयुक्त राष्ट्र स्वैच्छिक कार्यक्रमों तथा विशेष रूप से एशिया क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र सहभागिता विकास कार्यक्रमों के कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने में अपने प्रयास जारी रखे। इससे इस क्षेत्र के युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय समझ बूझ तथा इकट्ठे होने की भावना उत्पन्न हुई।

1.5.8 इस विभाग ने, खेलों के क्षेत्र में खेलों के आधार को विस्तृत करने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्रयास जारी रखे। अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विश्वसनीय प्रदर्शनी को सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी को बढ़ावा देने को निरन्तर सर्वोच्य महत्व देना जारी रखा गया। भारतीय खेल प्राधिकरण खेल के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रतिभाशालियों की पहचान करने, खिलाड़ी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने तथा खेल अकादमियों के विकास में एक एपेक्स संस्था के रूप में उभरा है खेलों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का क्षेत्र और अधिक विस्तृत हुआ है और हमने यू० एस० एस० आर० तथा अन्य स्त्रोंतो के अलावा, चीन, जापान, तथा क्यूबा से उच्च स्तरीय प्रशिक्षकों की सेवाएं प्राप्त की हैं।

1.5.9 ग्यारहवें एशियाई खेलों के लिए राष्ट्रीय दल के गहन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और सितम्बर, अक्तूबर, 1990 में आयोजित हुए इस खेलों के दौरान, भारत ने 23 पदक (1स्वर्ण, 8 रज़त और 14 कांस्य) जीतें। जनवरी, फरवरी, 1990 में न्यूजीलैण्ड में आयोजित हुए इससे पूर्ववर्ती राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारत ने भारोत्तोलन में पदकों की अधिकतम संख्या प्राप्त करने पर ट्राफलगर ट्राफी सहित, 32 पदक (13 स्वर्ण 8 रजत और 11 कांस्य) जीतें।

अन्य प्रतियोगिताओं में भी भारतीय खिलाड़ियों ने प्रशंसनीय प्रदर्शन किए:

— भारत ने अगस्त, 1990 में विश्व बिलियर्ड चैम्पियनशिप जीती

— श्री विश्व नाथ आनन्द विश्व चैम्पियनशिप में जाने के लिए उम्मीदवार मैचों में अर्हता प्राप्त करने वाले द्वितीय एशियाई बन गए।

— श्री दिब्येन्दु बरूआ द्वितीय भारतीय ग्रैन्ड मास्टर बने;

— भारत ने नवम्बर, 1990 में बम्बई में हुई छठी विश्व कप मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में फलाईवेट श्रेणी में एक कांस्य पदक जीता (मुक्केबाजी विश्व चैम्पियनशिप में यह पहली बार पदक जीता गया है)।

खेलों में विश्व-स्तर निरन्तर रूप से ऊपर बढ़ रहा है और इस विभाग का कार्य यह सुनिश्चित करने का है कि सभी प्रतियोगिताओं में भारतीय प्रतियोगी भी चहुंमुखी सुधार दिखाएं।

2. प्राक्कथन

प्रयोग, सिनेमाटोग्राफ चलचित्रों, अभिलेखों और प्रसारण की सुरक्षा के लिए एक कार्यढ़ाँचे को विनियमित किया जाता है ताकि सृजनकर्ता की अभिरूचियों को समाज के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके। कापीराइट की विषय वस्तु जिसकी जड़े पहले सामान्य कानून पद्धति में थी' बाद में प्रत्येक देश राष्ट्रीय कानूनों द्वारा अभिशासित होने लगी। भारत में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1951 और प्रतिलिप्यधिकार नियमावली, 1958 द्वारा अभिशासित होता है क्योंकि इनमें आज तक का संशोधन कर दिया गया है। वर्ष 1990-91 के दौरान कापीराइट कार्यालय में 1045 कृतियां पंजीकृत की गयी थीं।

2.8.3 वर्ष 1958 में लेखकों और प्रकाशकों के बीच होने वाले झगड़े को अधिनिर्णीत करने, कापीराइट पंजीयन के आदेशों के विरुद्ध अपीलें सुनने के लिए, कार्य निष्पादन अधिकार सोसायटियों आदि द्वारा घोषित शुल्क स्वामित्व के सीमा शुल्क से सम्बंधित आपत्तियों की सुनवाई के लिए कापीराईट बोर्ड की स्थापना की गयी थी। इस बोर्ड का चार वर्ष की और अवधि के लिए मार्च, 90 में पुनर्गठन किया गया, जिस का कार्यकाल 31 मार्च, 94 को समाप्त होना है। वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें हुई जिनमें 70 मामलों की सुनवाई की गयी।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2.9.0 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम को सीमावर्ती राज्यों अर्थात गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में 18 सीमावर्ती जिलों और 79 सीमावर्ती खंडों को शामिल करते हुए क्रमिक रूप से दो चौथे वर्ष के लिए भी कार्यान्वित किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1990-91 के अन्त तक निवेश का संचयी स्तर 170 करोड़ रुपये था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने, व्यावसायिक शिक्षा संस्कृति और आई॰टी॰आई॰ और पालिटेक्नीकों की स्थापना के अतिरिक्त खेलों का विकास करने जैसे शिक्षा के सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी।

यूनेस्को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

2.10.1 भारत ने अपने आपको यूनेस्को के अस्तित्व में आने से अब तक इस संगठन के आदर्शों और उद्देश्यों के साथ तत्परता के साथ सहयोजिता (जोड़े) रखा और उनको निरन्तर प्रोत्साहित करता रहा है। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग विशेष रूप से इसके कार्यक्रमों को तैयार करने और उन्हें निष्पादित करने में यूनेस्को के कार्य के लिए विशिष्ट रूप से योगदान करता है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने (i) एशिया तथा प्रशान्त के विकास के लिए शैक्षिक नवाचारो और (ii) सभी के लिए शिक्षा हेतु एशिया प्रशान्त कार्यक्रम के क्षेत्रीय कार्यक्रम के यूनेस्को के प्रादेशिक कार्यक्रमों में कारगर परन्तु निपुण निदेशों की निरन्तर व्यवस्था करता रहा है। भारत ने यूनेस्को की प्रेस दक्षता में राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अन्तः प्रादेशिक क्रिया कलापों का आयोजन करके तथा इसकी अनेक कार्याशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग ले कर यूनेस्को तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को अपना सहयोग प्रदान किया है। भारत ने जोम्तियन (थाईलैंड) में सभी के लिए शिक्षा पर आयोजित विश्व सम्मेलन में और जनेवा (स्विटरजरलैंड) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में 42वें सत्र में भाग लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सार्क तकनीकी शिक्षा की दूसरी बैठकें में सम्मिलित सार्क के कार्यकलापों में सहयोग करके तथा राष्ट्रमंडलीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेकर बाह्य शैक्षिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने में भी कारगर योगदान किया है।

2.10.2 सेई चिल्लीस की शिक्षा मंत्री श्रीमती साइमोन्स टेस्टा ने भारत सरकार के निमंत्रण पर जनवरी-फरवरी, 1991 में भारत का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम तैयार किया गया था।

सुविधाहीन वर्गों के लिए शैक्षिक विकास

2.11.0 शिक्षा के सभी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनु॰ जनजातियों, महिलाओं और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के संबंध में प्राथमिकतापूर्वक ध्यान दिया गया था। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने और स्कूल अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण में अनु॰ जातियों और अनु॰ जनजातियों के निवासियों की और विशेष ध्यान दिया गया। विशेष तौर पर लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। राज्यों को आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत महिला शिक्षा भर्ती करने की सलाह दी। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों संस्थाओं और संगठनों द्वारा अल्प संख्यकों की शिक्षा के संबंध में की गयी सिफारिशों/सुझावों, की समीक्षा करने तथा कुछ ऐसे उपायों को सुझाने के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भविष्य में किये जायेंगे जुलाई, 1990 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में एक ग्रुप का गठन किया गया था। इस दल ने 15 जनवरी, 1991 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 4 मार्च, 1991 को सरकार ने रिपोर्ट को संसाधित करने और सिफारिशों के संबंध में उपयुक्त निर्णय/विचार लेने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की। अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

शिक्षा के लिए संसाधन

2.12.0 चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (198४-४9) 3.49 लाख करोड़ रुपए था। केन्द्र और राज्यों को शिक्षा विभागों का बजट 12298.18 करोड़ (1988-89) रुपए था। यह निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% था।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या	2.70 लाख
संस्वीकृत शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की संख्या (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षक शिक्षा कालेज और शिक्षा के क्षेत्र में उच्च अध्ययन संस्थान, शिक्षक)	294
शुरु की गयी एम०एल०एल० परियोजनाएं	12
प्रारंभिक शिक्षा सहित गैर औपचारिक शिक्षा के लिए संस्वीकृत प्रायोगिक और नवाचारी परियोजनाओं की संख्या	46

माध्यमिक शिक्षा

2.3.1 वर्ष 1990-91 के दौरान सीनियर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत 31.3.1991 तक 27 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में 38.41 स्कूलों में 10,316 व्यावसायिक कक्षाएं संस्वीकृत की गयी। वर्ष के दौरान, 25 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को 74 करोड़ रुपए की निधियां पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डों और कुछ स्वैच्छिक संगठनों को मुक्त की गयी।

2.3.2 वर्ष 1990-91 के दौरान माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य मुख्य उपलब्धियां ये हैं:—

— वर्ष 1988 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य ढांचे पर आधारित सभी संशोधित स्कूल पाठ्य पुस्तकें रा०शै०अ० तथा प्र०परि० द्वारा प्रकाशित की गयीं।

— दिनांक 23.11.1989 को स्थापित एक स्वायत संगठन, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने प्राथमिकता वाले लोगों को दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त अध्ययन के जरिए पहली बार जनवरी-फरवरी, 1990 में अपनी माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक परीक्षाएं आयोजित की।

— अपर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान किट, पुस्तकालय उपकरण, पुस्तकालय पुस्तकें आदि प्रदान करके विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया गया।

— शैक्षिक प्रौद्योगिकी के केन्द्रीय 9 राज्य संस्थानों ने शैक्षिक टी०वी० कार्यक्रम आयोजित करने में अपने प्रयास तीव्र कर दिए हैं। विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में स्कूलों को (लगभग 31,129) टी०वी० सेट और (2.28 लाख से भी अधिक) रेडियो एवं केसेट प्लेयर प्रदान किए गए।

— केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 744 स्कूलों द्वारा 5 लाख से भी अधिक छात्रों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की और स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण सेवा की। केन्द्रीय तिब्बती स्कूल ने करीब 10,000 बच्चों और तिब्बती शरणार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की। ये विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं और छात्रों को अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल तथा सीनियर माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं।

— 261 नवोदय विद्यालय की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभा सम्पन्न बच्चों को कोटि परक शिक्षा प्रदान करने के लिए गति निर्धारक संस्थानों के रूप में जारी है। इनमें अब तक कुल दाखिला 64517 है। अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रतिशतता 20.18 और अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रतिशतता 11.21 है। यह प्रतिशत जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत से अधिक है।

उच्च शिक्षा

2.4.0 उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष के दौरान कई प्रमुख विकास हए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्त किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों और विश्वविद्यालयों के चुनिंदा विभागों को लेकर शिक्षा की कोटि मॉडल पाठयचर्या का विकास, शिक्षकों के लिए अनुस्थापना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की आचार संहिता और प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि करने पर बल देना जारी रखा। आयोग ने मानविकी में अनुसंधान को प्रोन्नत करने के लिए शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के साथ सम्बद्ध सद्भावना ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के बीच समन्वय और सामान्य अनुसंधान सुविधाओं के उपयोग सम्बधी सम्बद्ध सद्भावना ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने जनवरी, 91 में भारत में पहली बार राष्ट्र मंडल विश्वविद्यालयों का सम्मेलन आयोजित किया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और जिसकी चर्चाओं को कोटि और निपुण आयोजन के लिए इसका स्वागत किया गया।

प्रौढ़ शिक्षा

2.5.0 वर्ष 1990 के दौरान दो युगीन घटनाएं सामने आई। राष्ट्र संघ द्वारा इसे अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में घोषित किया गया। मार्च 1990 में जोम्तिएन सम्मेलन में सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा की गयी। अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष 1990 में देशभर में साक्षरता की मांग में अभूतपूर्व आकांक्षा दिखाई दी। जिसके लिए मुख्य रूप से सांस्कृतिक जनसंचार माध्यम का नवीन प्रयोग और अप्रत्याशित गतिशीलता के कारण उत्पन्न हुए। साक्षरता के

अनुरूप व्यापक पर्यावरण निर्माण संबंधी क्रियाकलाप देश भर में भारत ज्ञान विज्ञान जत्था समिति और गांधीवादी तथा सर्वोदय कार्यकर्ताओं के संगठनों द्वारा आयोजित पैदल जत्थों द्वारा कर्यान्वित किए गए। मुद्रित तथा गैर मुद्रित जन संचार माध्यमों द्वारा आरंभ किए गए अन्य प्रेरणात्मक क्रिया कलापों सहित इन जत्थों ने निरक्षरों को शिक्षा प्राप्त करने और साक्षरों को साक्षरता प्रदान करने के लिए प्रेरित करने में सहायता की। एरनाकुलम जिले में समग्र साक्षरता प्राप्त करने के सफलता पूर्वक अनुभव विशिष्ट क्षेत्रों में और समयबद्ध, स्वयं सेवा पर आधारित, प्रभावी लागत तथा समग्र साक्षरता के लिए परिणामोन्मुख जन अभियान चलाने के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत साबित हुआ। इस प्रकार के अभियान समस्त केरल राज्य में, पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश, गुजरात के 100 तालुकों और आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 42 जिलों में चलाए गए। इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से लगाए गए जिला समाहर्ताओं ने इन अभियानों को आयोजित करने में नेतृत्व प्रदान किया। वर्ष 1990 के दौरान जो अन्य विकास कार्य किए गए उन में विषयवस्तु और शिक्षण की सुधरी हुई गतिनिर्धारक तकनीकी के अन्तर्गत शिक्षण अध्ययन सामग्री तैयार करना शामिल है, जिसका उद्देश्य नौसिखियों की प्रेरणा को उजागर करना, इसे और अधिक मूल्य प्रभावी तथा परिणामोन्मुख बनाने के लिए केन्द्र आधारित कार्यक्रमों का पुनर्गठन करना है और प्रौढ़ शिक्षण पर रेडियो शिक्षा में परियोजना को चलाना जिनका उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में समग्र साक्षरता अभियानों को चलाने में बहुत बड़ी संख्या में स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना और प्रसारणप्रणाली के माध्यम से शिक्षण के मुद्रित माध्यम को अनुपूरक बनाना और समृद्धशाली और सुदृढ़ बनाना है।

तकनीकी शिक्षा

2.6.1 आधुनिकीकरण तथा तकनीकी शिक्षा की अप्रचलित प्रथाओं को समाप्त करने के कार्यक्रम के अंतर्गत 328 परियोजनाओं को लगभग 30.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देकर बढ़ावा दिया गया।

2.6.2 आठ और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश दिल्ली को शामिल करने के लिए विश्व बैंक तकनीशियन शिक्षा परियोजना के दूसरे चरण का अनुमोदन किया गया। इसके साथ यह परियोजना 16 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश को शामिल करती है तथा इस पर 1657 करोड़ रुपए का परिव्यय होता है। प्रथम चरण का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

2.6.3 सामुदायिक पालिटेनिकों की संख्या बढ़ कर 118 हो गयी। इन संस्थानों में प्रत्येक वर्ष औसतन लगभग 25000 युवा ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जाता है।

2.6.4 प्रशिक्षु-प्रशिक्षण बोर्डो ने 20000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया।

2.6.5 वर्ष के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 136 नए संस्थानों की स्वीकृति दी और विद्यमान तकनीकी संस्थानों में 171 नए कार्यक्रमों को शुरु किया।

भाषा विकास

2.7.1 वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने भारत के विभिन्न भागों के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों के 2559 पदों पर होने वाले वेतन का खर्च वहन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, पैंतीस हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की सहायता की गयी। इन संस्थाओं में 1350 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

2.7.2 केन्द्रीय हिन्दी संस्थान ने अपनी रजत जयन्ती मनायी। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने 13 हजार व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में हिन्दी अध्यापन के लिए पत्राचार पाठयक्रम चलाए। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर ने हिन्दी भाषी क्षेत्रों के शिक्षकों को आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देने का अपना कार्यक्रम जारी रखा। केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों के कार्यकलापों के समन्वय में कारगर भूमिका अदा की। केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान ने जिला केन्द्रों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में अंतिम प्रशिक्षण योजना का भी अनुश्रवण किया। राष्ट्रीय स्तर पर उर्दू के विकास के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए फरवरी 1990 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सितम्बर 1990 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है। केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड का पुर्नगठन किया गया और डाक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के उप राष्ट्रपति को इसका अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठों (समझे जाने वाले विश्वविद्यालय) के कुलपतियों की नियुक्ति नयी दिल्ली और तिरूपति में की गई।

पुस्तक संवर्धन और कापीराइट

2.8.1 पुस्तक प्रौन्नति के क्षेत्र में इस मंत्रालय के कार्यक्रम का उद्देश्य उचित कीमतों पर अच्छे साहित्य का प्रकाशन, भारतीय लेखन और प्रकाशन उद्योग के प्रोत्साहन, पुस्तक आयात नीति का निर्माण, भारतीय पुस्तकों के निर्यात को बढ़ावा देने; लोगों में पुस्तकों के प्रति जागरूकता पैदा करने के। सुकर बनाने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अपने कार्यक्रम को जारी रखा और सफलता पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर पुस्तक मेलों / प्रदर्शनियां में शिक्षा को उत्कृष्टता के साथ जोड़ते हुए भाग लिया।

2.8.2 कापीराइट बुनियादी तौर पर नियुण सम्पदा अधिकार, साहित्यिक, नाटक कला, संगीतज्ञ और कलात्मक कृतियो की प्रति लिपि और उनके

2. प्राक्कथन

निधियाँ पत्र आबंटन और उनका प्रयोग

2.1.1 वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में शिक्षा के लिए बजट प्रावधान 1581.40 करोड़ रुपए (सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम सहित 881.40 करोड़ रुपए योजनागत में और योजनेत्तर में 700.00 करोड़ रुपए) का था।

2.1.2 वर्ष 1990-91 के लिए निधियों का आवंटन 1713.34 करोड़ रुपए (योजनागत में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम सहित 919.30 करोड़ रुपए और योजनेत्तर में 794.04 करोड़ रुपए) था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत तैयार किये गए सभी सतत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों तथा वैच्छिक एजेंसियों के निकट समन्वय से परियोजना-उन्मुख आधार पर जारी रहा। क्रमबद्ध विकास और शिक्षा के लिए भावी प्रयास, जो कि बेहतर समाज क निर्माण में मुख्य घटक माना जाता है, प्राथमिक स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार, अनौपचारिक शैक्षिक धारा के माध्यम से स्कूल न जा सकने वाले बच्चों को घर पर शिक्षा देने, स्कूली शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यताओं के विकास, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरंभ करके स्कूली शिक्षा को कार्यजगत से जोड़ने, नवोदय विद्यालयों के माध्यम से प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने, स्कूल पद्धति में विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा में संशोधन करने के लिए एवं शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रौढ़ शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के आधुनिकीकरण जैसे कार्यक्रमों पर योजनाबद्ध रूप से ध्यान दिया जाता हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 समीक्षा समिति

2.1.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की पुनरीक्षा और इसके कार्यान्वयन के लिए दिनांक 7 मई, 90 को आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने सरकार को 26 दिसम्बर, 1990 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। दिनांक 9 जनवरी, 1991 को रिपोर्ट की प्रतियां संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रख दी गयी थीं।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

2.1.4 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन दिनांक 19 अक्तूबर, 90 को किया गया। पुनर्गठित के०शि०स० बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 8-9 मार्च, 1991 को हुई। शिक्षा के लिए संसाधन, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, राममूर्ति समीक्षा समिति और ज्ञानम समिति की रिपोर्टों का संसाधन, न्यूनतम अध्ययन स्तरों का निर्धारण, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए सूक्ष्म आयोजना, शैक्षिक कैलेण्डर की पुनः स्थापना, प्रौढ़ साक्षरता और शैक्षिक अवसरों को समान बनाने सहित इसने शिक्षा के क्षेत्र में कई बहुमूल्य सिफारिशें की। बोर्ड ने एक ऐसी प्राविधि पर भी विचार किया जिसमें नये शैक्षिक प्रबन्ध के लिए एन०पी०ई०आर०सी० और वि०वि० अनुदान आयोग की समिति की रिपोर्टों पर तैयार किया जाना चाहिये। बोर्ड ने सिफारिशों की गहराई से जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय किया है।

2.1.5 शिक्षा विभाग के सांख्यिकी प्रभाग को उसकी शैक्षिक आयोजना के लिए सांख्यिकी सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय संसूचना केन्द्र द्वारा कारगर संगणक सहायता प्रदान की गयी है। अखिल भारतीय स्तर पर शैक्षिक सांख्यिकी के प्रकाशन और संग्रहण में समय अधिक लग जाने की वर्तमान प्रक्रिया को कम करने के उद्देश्य से "शैक्षिक आंकड़ों का संगणकीकरण" नामक एक केन्द्रीय योजना के लिए और केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर आयोजना तथा निर्णय लेने के लिए संगणकीकृत आंकड़ा आधार को विकसित करने हेतु शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। इससे आंकड़ों का समय पर और उचित प्रवाह सुनिश्चित होगा।

प्रारंभिक शिक्षा

2.2.1 प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र, जो कि शैक्षणिक विकास के कोर घटक है, में दाखिले की अपेक्षा छात्रों को स्कूल में रोके रखने पर बल दिया गया है। उपयुक्त कार्य ढाचों के तहत स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों को पुनः कक्षा-कक्षों में लाने के विशेष प्रयास किए गए हैं। वर्ष के दौरान आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा शिक्षण के न्यूनतम स्तरों से सम्बंधित प्रमुख कार्यक्रम की विशेष उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:—

स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के प्रयोजन से ब्लाक (खंडों) की कवरेज क्षमता	4419
सम्मिलित स्कूलों की संख्या	3.44 लाख
शिक्षकों के अतिरिक्त संस्वीकृत पदों की संख्या	93 हजार

3. प्रशासन

प्रकाशन:

3.6.0 प्रकाशन एकक ने (हिन्दी और अंग्रेजी) में द्विभाषी रूप में 21 प्रकाशन प्रकाशित किये। एकक ने विदेशों में जाने वाले भारतीयों और भारत में अध्ययनरत विदेश छात्रों के मूल शैक्षिक परिणाम पत्रों को अधि-प्रमाणित करने का कार्य लगातार किया।

3.7.0 **सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी अधिकारियों को वर्ष 1990-91 के दौरान विदेश भेजे गए कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति / शिष्टमंडल**

शिष्ट मंडलों / प्रतिनियुक्त व्यक्तियों की संख्या	शिष्टमंडलों / प्रतिनियुक्त व्यक्तियों में सम्मिलत व्यक्तियों की संख्या	विदेशी मुद्रा घटक (रूपयों में अनुमानित)
50	126	10,87,535 रू०

3.8.0 **बजट प्राक्कलन**

शिक्षा विभाग के संबंध में वर्ष 1990-91 और 1991-92 के कुल बजट प्रावधान निम्नलिखित हैं:—

ब्यौरे	बजट प्राक्कलन 1990-91	संशोधित प्राक्कलन 1990-91	बजट प्राक्कलन 1991-92
मांग संख्या-47			
शिक्षा विभाग	171334.00	165162.00	180532.00

निम्नलिखित के लिए प्रावधान:—

केन्द्र / केन्द्रीय प्रयोजित योजना के लिए राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के लिए सहायता अनुदान के प्रावधानों सहित विभाग के अन्य वेतन तथा लेखा कार्यालय, आतिथ्य तथा आमोद-प्रमोद और सामान्य शिक्षा और विभाग के अन्य राजस्व व्यय सहित विभाग का सचिवालय और केन्द्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए ऋणों के लिए भी प्रावधान शामिल है।

व्यावसायिक विकास और कर्मचारियों का प्रशिक्षण

3.9.0 प्रशिक्षण सेल जिसे शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को व्यावसायिक विकास की विभिन्न आवश्यकताओं / प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समन्वित / अनुश्रवण करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, वर्ष 199-91 के दौरान कुल 155 प्रशिक्षण कार्यक्रम परिचालित किए गए और भारत में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों के लिए 153 अधिकारियों को नामित किया गया जिसमें वे भारतीय प्रशासनिक अधिकारी शामिल नहीं जिन्हें कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनिवार्य सेवारत प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। इसके अलावा वर्ष 1990-91 के दौरान विदेशों में प्रशिक्षण के लिए 8 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया। विभाग के अपेक्षाओं / प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण की प्राविधियों तैयार करने के लिए एक दल का भी गठन किया गया है।

4. प्रारम्भिक शिक्षा

* राष्ट्रीय ढलाई तथा गढाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची।
* आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली।
* भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, नई दिल्ली।
* अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता तथा लखनऊ स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान (भा.प्र.सं.)।
* भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़ और मद्रास स्थित तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं (त.शि.प्र.सं.)।
* बम्बई, दिल्ली. कानपुर, खड़गपुर तथा मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.प्रौ.सं.)।
* क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (कुल 17)।

3.2.3 जबकि वि० वि० अनु० आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय और भा० प्रौ० सं० जैसी संस्थाएं और स्वायत संगठन या तो सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं।

कार्य

3.3.0 शिक्षा एक समवर्ती विषय है, समवर्तता केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच एक सार्थक हिस्सेदारी को लागू करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:—

> "जबकि शिक्षा के संबंध में राज्यों की भूमिका और उनका उत्तरदायित्व में अनिवार्यता कोई परिवर्तन नहीं होगा, केन्द्रीय सरकार शिक्षा की कोटि और स्तरों (सभी स्तरों पर शिक्षण व्यवसाय सहित) को बनाये रखने, अनुसंधान और प्रोन्नत अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास हेतु जनशक्ति के संबंध में समस्त देश की शैक्षिक अपेक्षाओं का अध्ययन और उनका अनुश्रवण करने, शिक्षा संस्कृति और मानव संसाधन के अन्तर राष्ट्रीय पहलुओं की देखभाल करने, और सामान्य तौर पर देश भर में शैक्षिणक पिरामिड (संस्वीकृत) के सभी स्तरों पर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के राष्ट्रीय तथा समेकित स्वरूप को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार "व्यापक उत्तर दायित्व को स्वीकार करेगी"।

यह विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति, द्वारा तैयार की गयी भूमिका को पूरा करने के लिए प्रयास करता रहा है तथा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सम्मिलित रहा का तालमेल बनाये रख रहा है।

सतर्कता कार्यकलाप

3.4.1 प्रशासन की गति को तीव्र करने तथा मुख्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों, दोनों में, विभाग के कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सतत प्रयास किए गए थे। दो अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां पूरी कर ली गई थीं और प्रत्येक मामले में उपयुक्त आदेश पास कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, पांच अधिकारियों (तीन राजपत्रित अधिकारियों सहित) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है। एक अधीनस्थ कार्यालय के एक राजपत्रित अधिकारी तथा विभाग के एक अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां जो पहले आरंभ की गई थी, अब प्रगति पर हैं। इस विभाग से सम्बन्धित 12 शिकायतें जिसमें 8 राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध शामिल है, पर प्रारंभिक जांच-पड़ताल की कार्रवाई की गई थी।

3.4.2 शिक्षा विभाग से सम्बद्ध 50 स्वायत संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से अभी तक 39 ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग का अधिकार क्षेत्र स्वीकार किया है और 12 संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारी तैनात हैं। इन संगठनों में से 18 ने जन-शिकायत सुधार तंत्र का भी सृजन किया है और जन-शिकायतों के सुधार के लिए शिकायत अधिकारियों को पदनामित किया हैं।

3.4.3 समग्र रूप से, अनुशासन तथा समय की पाबन्दी का पालन किए जाने पर बल दिया जाना जारी रहा।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग

3.5.1 शिक्षा विभाग में इस समय 84 अनुभाग, 10 अधीनस्थ कार्यालय एक सार्वजनिक उपक्रम और 74 स्वायत्त संगठन हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) से प्राप्त वर्ष 1990-91 के लिए भारत सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम को इस विभाग, इसके अधीनस्थ कार्यालयों, और स्वायत्त संगठनों में इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया कि उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विभागीय समिति की बैठकों की नियमित प्रगति की समीक्षा करने के लिए सभी सभव प्रयास किये जाने चाहियें। इसके अलावा, राजभाषा अधिनियम और नियमावली और उसके अन्तर्गत प्रशासनिक आदेशों की पालना की स्थिति की तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से नियमित समीक्षा की गयी थी ये रिपोर्टें अनुभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों के नियमित रूप से प्राप्त होती रही और विभाग

में इसकी समीक्षा की गयी तथा उसमें पायी गयी कमियों को दूर करने के लिए संबंधित कार्यालयों / संगठनों के अधिकारियों और प्रमुखों के ध्यान में उन्हें लाया गया।

3.5.2 राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अपेक्षित चार बैठकें शिक्षा विभाग में आयोजित की गयीं। इसके अलावा, कुछ प्रभागों में रा.भा.कार्या. समितियां भी हैं और उसकी नियमित बैठकें होती हैं। विभाग के राजभाषा एकक के अधिकारियों ने अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों, आदि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लिया और उनमें, हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में वृद्धि करने के अन्य विभिन्न उपायों पर भी चर्चा की।

3.5.3 तिमाही प्रगति रिपोर्टों का समुचित रूप से भरने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के हेतु नवम्बर 1990 में संस्कृति विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई।

3.5.4 राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों, में प्रशिक्षण के लिए 70 कर्मचारियों को नामित किया गया था, जिनमें से 34 कर्मचारियों को हिन्दी प्रबोध / प्रवीण प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के लिए और 23 निम्न श्रेणी लिपिकों को हिन्दी टाइपिंग के लिए और 83 आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि के लिए नामित किया गया था।

3.5.5 राजभाषा नियमों की पालना से संबंधित स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 5 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और वहां निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों के ध्यान में लाया गया और उनके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाए गए।

3.5.6 राजभाषा की संसदीय समिति ने 19 जून, 1990 को इस विभाग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामान्य प्रश्नावली के विभिन्न मदों पर की गई चर्चा के अलावा शिक्षा विभाग से संबंधित समिति की पिछली रिपोर्टों के विभिन्न मदों पर भी चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों / संगठनों के प्रमुख और विभाग के सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे। संसदीय समिति की निरीक्षण रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही की गई।

3.5.7. विभाग में 14-20 सितम्बर, 1990 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर मा.सं.वि. मंत्रालय, में राज्य मंत्री और शिक्षा सचिव की ओर से सरकारी कामकाज में हिंदी के व्यापक प्रयोग के लिए आग्रह करते हुए क्रमशः अपील और हिदायतें जारी की गई। इसके साथ ही इस अवसर पर हिंदी निबंध और हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को कर्मचारियों को क्रमशः 500, 300 और 200 रूपये का नकद पुरस्कार दिया गया। इस बार हिंदी निबंध, प्रतियोगिता की मुख्य बात यह थी कि इसमें केवल अहिंदी भाषी कर्मचारियों ने ही भाग लिया।

3.5.8 जहां तक विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का संबंध है, यह समिति मार्च 1989 में गठित की गई थी। नवम्बर 1989 में हुए आम चुनावों के परिणामस्वरुप सांसदों के नामांकन के संदर्भ में इसका आंशिक रूप से पुर्नगठन किया गया। मा.सं.वि. मंत्री की अध्यक्षता में 28 मार्च, 1991 को इसकी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभाग के अधिकाधिक अनुभागों का निरीक्षण करने, वित्तीय वर्ष 1991-92 से शिक्षा से संबंधित विषयों पर हिंदी में लिखी गई मूल पुस्तकों के लिए नकद पुरस्कार योजना को तत्काल लागू करने, प्रदेश "क" और "ख" के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता और हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के लिए हिन्दी में उत्तर भेजने के लिए इस बैठक में निर्णय लिए गए।

3.5.9 आलोच्य वर्ष के दौरान 67 कार्यालयों / केन्द्रीय विद्यालयों में जहां 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी में कार्यकारी ज्ञान अर्जित कर लिया था, राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत उन्हें अधिसूचित किया गया।

3.5.10 इस प्रकार से राजभाषा अधिनियम / नियमावाली के अनुसार सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोतर प्रयोग के लिए लगातार साहसी प्रयोग किए गए।

3. प्रशासन

संगठनात्मक संरचना (ढांचा)

3.10 शिक्षा विभाग, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक घटक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पूरे प्रभार सहित राज्य मंत्री (मा.सं.वि) के प्रभार में है। विभाग के सचिवालय का नेतृत्व सचिव द्वारा किया जाता है जिसको अपर सचिव तथा शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) सहयोग देते है। यह विभाग ब्यूरो, प्रभागो, शाखाओं डैस्कों, अनुभागों तथा एककों में संघटित है। प्रत्येक ब्यूरो एक संयुक्त सचिव / संयुक्त शिक्षा सलाहकार के प्रभार में होता है जिसे प्रभागीय प्रमुख सहयोग देते है। विभाग का संगठन रिपोर्ट के साथ संलग्न संगठन-चार्ट में दर्शाया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय / स्वायत संगठन

3.2.1 कई वर्षों से कई अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत संगठन इस विभाग के अन्तर्गत आए हैं। महत्वपूर्ण अधिनस्थ कार्यालय इस प्रकार हैं:—

— केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (के.हि.नि.)

— वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (वै.त.श.आ.)

— उर्दू-प्रोन्नति-ब्यूरो (उ.प्रो.ब्यू.)

3.2.2 महत्वपूर्ण संगठन इस प्रकार हैं:—

— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अनु.प्र.परि.) नई दिल्ली, स्कूली-क्षेत्र में संचालन करने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की स्रोत संस्था है।

— राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (रा.शै.यो.प्र.सं.) नई दिल्ली, शैक्षिक प्रबन्ध की समस्याओं में विशेषज्ञता वाली एक राष्ट्रीय स्तर की स्रोत संस्था है।

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.वि.अनु.आ.) जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करता है तथा मानक निर्धारित करता है।

— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ.भा.त.शि.परि.) नई दिल्ली जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करती है और मानक निर्धारित करती है।

निम्नलिखित संस्थाएं उच्चतर शैक्षिक अनुसन्धान में लगी हुई हैं:—

* भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, (भा.उ.अ.सं.), शिमला।
* भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद (भा.सा.वि.अनु.परि.) नई दिल्ली।
* भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद (भा.ऐ.अनु.परि.) नई दिल्ली।
* भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद (भा.दा.अनु.परि.) नई दिल्ली।

— केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के.हि.सं.) आगरा जो भारत तथा विदेशों में हिन्दी का प्रचार करता है।

— राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, संस्कृत में प्रोन्नति, विकास और अनुसन्धान (स्कूल से उच्च शिक्षा स्तर तक) में लगा हुआ है, यह एक जांच-निकाय भी है।

— केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.) नई दिल्ली केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के लाभार्थ स्कूल चलाता है।

— नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लाभार्थ स्कूलों को चलाती है।

— केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के.मा.शि.बो.), नई दिल्ली जो स्कूलों को सम्बद्ध करता है और परीक्षाएं आयोजित करता है।

— राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।

— तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में—

* भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
* भारतीय खान स्कूल, धनबाद
* राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई।

4. प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनानाः

4.1.1 प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना एक संवैधानिक अपेक्षा है। संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य नीति के एक निदेशात्मक सिद्धान्त में यह कहा गया है कि संविधान लागू होने से दस वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सभी बच्चों को उनके चौदह वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पैरा 5.12 में यह कहा गया है कि; "नई शिक्षा नीति में स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की समस्याएं सुलझाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चों को बीच में स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में इस समस्या का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा और तदनुसार प्रभावशाली उपाय खोजकर दृढ़ता के साथ उनका प्रयोग करने हेतु देशव्यापी योजना बनाई जाएगी। इस प्रयत्न का अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ पूरा तालमेल होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 1990 तक जो बच्चे 11 वर्ष के हो जाएंगे, उन्हें विद्यालय में 5 वर्ष की शिक्षा, या अनौपचारिक धारा में इसकी समतुल्य शिक्षा, अवश्य मिल जाए। इस प्रकार 1995 तक 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।"

4.1.2 निश्चय ही पिछले वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र और राज्य—दोनों ने पर्याप्त निवेश किया है। 1950-51 से प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:—

तालिका 4.1

1950-51 से प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार

	1950-51	1988-89
प्रारंभिक स्कूलों की संख्या	2.10 लाख	5.48 लाख
मिडिल स्कूलों की संख्या	0.14 लाख	1.44 लाख
कक्षा-1 से V तक दाखिले	191.5 लाख	95.7 लाख
—लड़कों के	337.7 लाख	581 लाख
—लड़कियों के	53.8 लाख	386 लाख
कक्षा VI से VIII तक दाखिले	31.3 लाख	309 लाख
—लड़कों के	25.9 लाख	197 लाख
—लड़कियों के	5.4 लाख	112 लाख
कक्षा-1 से VIII तक दाखिले	222.8 लाख	126.6
—लड़कों के	103.6 लाख	768 लाख
—लड़कियों के	59.2 लाख	498 लाख

4.1.3 शिक्षा के प्रसार की इस स्थिति के बावजूद प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के बारे में जो संवैधानिक अपेक्षा है, उसे पूरा करने की दिशा में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्कूल छोड़ने वाले बालकों की संख्या काफी है, स्कूलों में बने रहने वाले लड़कों का प्रतिशत कम है, साधनों का अपव्यय काफी है (1986-87 में स्कूल छोड़ने वालों की दर कक्षा-1 से V तक 50.5 और कक्षा-1 से VIII तक 63.8) प्रारम्भिक शिक्षा को सुलभ बनाने में गंभीर विषमतायें हैं—जैसे कि प्रदेशों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, लड़कों और लड़कियों, सम्पन्न और सुविधाहीन तथा अल्पसंख्यक और अन्य प्रकार की विषमताएं। 5-14 वर्ष आयु वर्ग के जिन बच्चों के बीच शिक्षा का प्रसार किया जाना है, उनकी संख्या 18 करोड़ है, जो कि 1981 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 27 प्रतिशत बैठता है। जबकि पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि हमारी ग्रामीण जनता के 94.60 प्रतिशत बच्चों के लिए एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर प्राथमिक स्कूल/कक्षायें जुटाई गई थीं और 85.39 प्रतिशत बच्चों के लिए तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर मिडिल स्कूल/कक्षायें जुटाई गई थीं। तथापि इस

सर्वेक्षण से प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाओं की असंतोषपूर्ण स्थिति भी परिलक्षित होती है तथा प्रारंभिक स्तर पर अभी भी उचित भवनों की कमी प्रतीत होती है जैसा कि नीचे सारणी में दिखाया गया है:-

तालिका 4.2

प्रारंभिक स्तर पर स्कूल अवस्थापना की स्थिति

	प्राइमरी (संख्या)	उच्च प्राइमरी (संख्या)
कच्चा भवन	72,777	11,280
घासफूस की झोंपड़ी	29,644	2,417
टेन्ट	2,546	314
खुले में	39,305	2,969
कुल	1,44,272	16,980
कुल योग	1,61,252	

4.1.4 6.28 लाख स्कूलों में से 1.61 लाख (24 प्रतिशत) स्कूलों में अवस्थापना में सुधार के लिए निवेश अपेक्षित है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

4.2.1 आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना का लक्ष्य, सरकार, स्थानीय निकायों, पंचायती राज तथा मान्यताप्राप्त सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे प्राइमरी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं में पर्याप्त सुधार लाना है। एक दूसरे पर आधारित इसके तीन घटक है अर्थात्

— एक भवन का प्रावधान जिसमें सभी मौसमों में प्रयोग किए जाने वाले कम से कम दो बड़े कमरों सहित एक खुला बरामद तथा लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौच सुविधाएं हों।

— प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक जिनमें से यथा संभव एक महिला हो।

— और कार्य अनुभव के लिए ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट, खिलौने तथा उपस्करों सहित अनिवार्य शिक्षण तथा अध्ययन सामग्री का प्रावधान। स्कूल भवनों के निर्माण के लिए निधियां मुख्य रूप से ग्रामीण विकास योजनाओ में से दी जाएगी। अन्य दो घटकों के लिए राशि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना में देश में सभी ब्लाक/म्यूनिसिपल क्षेत्रों के सभी प्राइमरी स्कूलों की एक चरणबद्ध तरीके से शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

4.2.2. इस निर्धारित लक्ष्य में वर्ष 1987-88 में 20 प्रतिशत ब्लाक/म्यूनिसिपल क्षेत्रों, 1988-89 में 30% तथा वर्ष 1989-90 के दौरान 50% को शामिल किया जाएगा। तथापि, निधियों की कमी के कारण इसको शुरू करने में समय लगेगा। 1987-88 से 1990-91 की अवधि में, यह योजना देश में 70.41% प्राइमरी स्कूलों सहित 69% ब्लाकों में कार्यान्वित नहीं की जा सकी। इस अवधि के दौरान, इस विभाग द्वारा 523.41 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की गई। इस राशि मे से वर्ष 1990-91 में 25 राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों को 150.09 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई।

4.2.3 आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत उपलब्धियां तालिका 4.3 में दी गई हैं।

प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे बच्चे।

तालिका 4.3

आरपरेशन ब्लैकबोर्ड: उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 31.3.93 तक अनुमानिक	1987-88 से 1991-92 के लिए कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
खर्च की गई राशि (करोड़ रूपये में)	110.61	135.73	126.98	150.09	100.00	623.41
स्कूल भवनों के लिए राज्यों द्वारा मंजूर की गई राशि (करोड़ रुपये में)	300.00	340.00	64.60	140.00	140.00	984.60
शामिल किए जाने वाले राज्यों/संघशासित प्रशासनों की संख्या	27	22	22	25 15		
शामिल किए जाने वाले ब्लाकों की संख्या	1703 1795 578 343 400 4819					
शामिल किए जाने वाले स्कूलों की सं० (लाख में)	1.13	1.40	0.52	0.39	0.31	3.75
शामिल किए गए प्राइमरी स्कूलों की प्रतिशतता	21.00%	26.40%	9.90%	7.35%	5.76%	70.41%
प्राइमरी शिक्षकों के संस्वीकृत पद	36891	36327	5274	14379	5000	97871

4.3.1 1964-66 के शिक्षा आयोग ने ऐसे स्थानों में जहां स्कूल नहीं हैं, वहां के कामकाजी बच्चों, बालिकाओं और बच्चों को शिक्षा देने के लिए अंशकालिक गैर-औपचारिक शिक्षा की भूमिका को मान्यता दी है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर-औपचारिक शिक्षा योजना (गै० औ० शि०) उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक बैकल्पिक नीति के रूप में शुरू की गई थी जो किन्ही कारणों से औपचारिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति, 1986 में प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ कराने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के व्यवस्थित और व्यापक कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। इस योजना की विषय-वस्तु पर संशोधन किया गया था इस पर 1987-88 में अधिक बल दिया गया था। यद्यपि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए 10 राज्यों अर्थात आन्ध्रप्रदेश, असम अरुणाचल प्रदेश, बिहार जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से बल दिया गया है लेकिन इसका विस्तार उन शहरी गंदी बस्तियों, पर्वतीय रेगिस्तानी तथा जनजातीय क्षेत्रों और अन्य राज्यों में जहां कामकाजी बच्चे बहुत संख्या में है, उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा सामान्य (सह-शिक्षा) के लिए 50.50 और लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए 90.10 के अनुपात में वित्तीय जिम्मेदारी वहन की जाती है। स्वैच्छिक एजेंसियों को गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों और प्रायोगिक और नई अभिनव परियोजनाओं के लिए 100% की सीमा तक सहायता दी जाती है।

4.3.2 संशोधित गैर-औपचारकि शिक्षा योजना में मुख्यतः ऐसे वंचित भौगोलिक क्षेत्रों और समाज के सामाजिक-आर्थिक समुदायों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाल-केन्द्रित वातावरण-उन्मुख, लचीली पद्धति के रूप में परिकल्पना की गई है। योजना की अन्य मुख्य

विशेषताएं हैं-इसका संगठनात्मक लचीलापन, पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता, शिक्षण कार्यकलापों में विविधता जो शिशुओं की आवश्यकताओं और सशक्त विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध व्यवस्था से संबंधित है। यह कार्यक्रम परियोजना आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है तथा यह सामान्यतः 100 गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों वाले सामुदायिक विकास खण्डों के अनुरूप होती है।

4.3.3 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 से की गई उपलब्धियों के ब्यौरे तालिका 4 में दिए गए हैं।
4.3.4 वर्ष 1990-91 के दौरान, विद्यमान कार्यक्रमों की कोटि के समेकन तथा सुधार पर बल दिया गया है। गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए रा.शै.अ.प्र. परिषद द्वारा तीन तरह का कार्यक्रम चलाया जाएगा।

शिक्षा के लिए संगणकीकृत आयोजना

4.3.5 वर्ष 1988 के मध्य में "शिक्षा के लिए संगणकीकृत आयोजना" की एक परियोजना गैर-औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ निर्णयक सहायक प्रणाली के लिए एक प्रबन्ध सूचना, प्रणाली विकसित करने के लिए शुरू की गई थी। विशेष अध्ययन करने के पश्चात यह योजना पूरे मध्य प्रदेश राज्य के साथ ही बिहार तथा राजस्थान शिक्षा परियोजनाओं के अन्तर्गत जिलों में शुरू की गई।

तालिका 4.4

गैर औपचारिक शिक्षाः उपलब्धियां

	1988-89	1989-90	1990-91 (31.3.91 तक प्रत्याशित)	1988-89 1989-90 और 1990-91 के लिए कुल राशि
1	2	3	4	5
1 खर्च की गई रकम (करोड़ों में)	36.92	32.95	46.84	116.71
2 स्थापित किए गए ऐसे गैर औपचारिक केन्द्रों की संख्या (लाखों में) जिन्होंने कार्य करना शुरू किया संचित	2.41	2.57	2.70	2.70
3. केवल लड़कियों के लिए मंजूर किए गए केन्द्रों की संख्या संचित	64,972	77,832	81,282	81,282
4. गैर औचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए अनुमोदित स्वैच्छिक संगठनों की संख्या - संचित	296	376	410+	410
5. स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा स्थापित ऐसे गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या जिन्होंने कार्य करना आरंभ किया-संचित	20,957	25,602	27,087+	27,087
6. अनुमानित दाखिले (लाखों में)	60	64	67.5	67.5
7. मंजूर की गई प्रायोगिक/अभिनव परियोजना की संख्या-संचित	25	36	46	46
8. शामिल किए गए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या	16	17	18	18

+1990-91 में अनुमोदित परियोजनाएं/केन्द्र शामिल हैं जिन्हें 1991-92 के दौरान आरम्भ किया जाएगा।

शिक्षक शिक्षा

4.4.1 शिक्षक शिक्षा की पुनःसंरचना और पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को 1987-88 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है ताकि वह स्कूलों और प्रौढ़ तथा गैर-औपचारिक शिक्षा प्रणालियों को प्रभावी प्रशिक्षण और शैक्षिक सहायता प्रदान कर सके। इस योजना के निम्न पांच घटक हैं:-

— शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित मुख्य-मुख्य क्षेत्रों की जानकारी देने और उनकी व्यावसायिक क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से 1989-90 तक प्रति-वर्ष लगभग पांच लाख स्कूल अध्यापकों को सामूहिक पुनः प्रशिक्षण;

— मौजूदा उपयुक्त प्रारंभिक शिक्षकशिक्षा संस्थाओं का दर्जा बढ़ाकर या जहां आवश्यक हो वहां नई संस्थाएं स्थापित करके लगभग 400 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, ताकि जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को समग्र शैक्षिक और प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जा सके;

— लगभग 250 माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और उनमें से लगभग 50 का उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान के रूप में तथा शेष का शिक्षक शिक्षा कालेजों के रूप में विकास;

— राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों का सुदृढ़ीकरण; और

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना और उनका सुदृढ़ीकरण;

4.4.2 वर्ष 1987-88 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत हुई उपलब्धियो निम्न तालिका में दर्शायी गई हैं:-

तालिका 4.5
शिक्षक शिक्षाः उपलब्धियां

	संचयी उपब्धियां
1. खर्च की गई राशि (करोड़ों रूपये में)	156.74
2. अध्यापकों के पुनः प्रशिक्षण के सामूहिक कार्यक्रम के अंतर्गत पुनः प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	12.96 (1986 में शामिल किए गए 4.66 लाख शिक्षकों के अलावा)
3. ऐसी जिला शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की संख्या जिन्हें स्वीकृति दी गई	257
4. ऐसी शिक्षक शिक्षा कालेजों की संख्या जिन्हें स्वीकृति दी गई	25
5. ऐसी उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों की संख्या जिन्हें स्वीकृति दी गई	12
6. उन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की संख्या जिन्हें सम्मिलित किया गया।	22

4.4.3 वर्ष 1990-91 के दौरान कोई नई परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है तथा इस वर्ष में पहले से ही संस्वीकृत परियोजनाओं को मुख्य रूप से समेकित करने में लगाया।

4.4.4 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के संकायों के लिए एन.आई .ई.पी.ए., एन.सी.ई.आर.टी. तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अभी तक सोलह प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया जिनमें 340 लोगों ने भाग लिया।

4.4.5 आवश्यक भवनों को बनाने के लिए तथा पदों के सृजन करने और उन्हें भरने के लिए समय को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों, शिक्षक शिक्षा केन्द्रों तथा उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों को स्थापित करना एक लम्बी अवधि वाला क्रियाकलाप है। फिर भी वर्ष 1987-88 में स्वीकृत हुए संस्थानों की एक महत्वपूर्ण संख्या तथा उनमें से बाद में स्वीकृत हुए कुछ संस्थान, अब संचालित होने के विभिन्न स्तरों पर हैं। उन संस्थानों की निर्धारित चुनिन्दा संख्या पर भी कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है।

4.4.6 राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों को सुदृढ़ करने के लिए मार्गदर्शक रूपरेखाएं विकसित की जा रही हैं। जैसे ही यह रूपरेखाएं निर्धारित हो जाएंगी, इस घटक का कार्यान्वयन शुरू हो जायेगा।

महिला समाख्याः

4.5.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पैरा 4.2 और कार्य योजना के अध्याय-11 के अनुसरण में, महिला समाख्या, अप्रैल, 1988 में शुरू की गई। उस कार्यक्रम का उद्देश्य, सभी संबंधित गांवों में महिला संघों के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा के लिए जुटाना है। यह केन्द्रीय क्षेत्र योजना है जिसके अंतर्गत कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व गुजरात में संबंधित राज्य शिक्षा सचिवों की अध्यक्षता में गठित महिला समाख्या सोसाइटियों को शत-प्रतिशत वित्तीय मदद दी जाती है। भारत-हालैंड कार्यक्रम के रूप में इसको हालैंड सरकार से शत-प्रतिशत सहायता मिलती है।

4.5.2 आवश्यक रूप से, यह कार्यक्रम ग्राम स्तरीय सक्रिय कार्यकताओं (सखियों या सहयोगिनियों) के इर्द-गिर्द घूमता है जो ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा जल, विकास कार्यक्रमों के बारे में सूचना, आस-पास के पर्यावरण के बारे में आम सूचना तक पहुंच जैसे मुद्दों और इन सबसे ऊपर समाज में उनके व्यक्तित्व और आत्म-छवि जैसे मुद्दों के बारे जुटाती हैं। कार्यक्रम, आलोचनात्मक परावर्तन व विश्लेषण की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करता है जो दैनिक जीवन में प्रभावित करने वाले मुद्दों में सक्रियरूप से रूचि लेने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करेगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, शिक्षा के लिए मांग उत्पन्न करना और स्कूल-पूर्व, अनौपचारिक, प्रौढ़ व सतत शिक्षा के नवाचारी शैक्षिक निवेश शुरू करता है। सघन शिक्षा के लिए आवासीय संस्था महिला शिक्षक केन्द्र की भी स्थापना की जानी है ताकि बीच में स्कूल छोड़ने वाली व अन्य महिलाएं सुरक्षित पर्यावरण में अपनी शिक्षा को जारी रख सकें।

4.5.3 फरवरी, 1990 में आयोजित संयुक्त भारत-हालैंड समीक्षा ने परियोजना के सामाजिक प्रत्युत्तर पर बुहत ही सकारात्मक पुनर्निवेशन प्रदान किया। इस समय, महिला समाख्या, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व गुजरात के 10 जिलों के 1500 गांवों में चालू है।

4.6.1 हमारे देश में आयोजना प्रक्रिया के प्रारम्भ होने पर शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। बुनियादी शिक्षा के संपूर्ण विचार ने प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रीय विचार को प्रतिस्थपित कर दिया है। बुनियादी शिक्षा की इस नई अवधारक में (क) प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण (ख) कार्यात्मक साक्षरता (ग) महिलाओं की शिक्षा व विकास पर जोर और (घ) उत्तर साक्षरता, सतत शिक्षा शामिल हैं। प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण में (i) सर्वसलभ पहुंच (ii) सर्वसुलभ भागीदारी व रोके रखना और (iii) कम से कम न्यूनतम शैक्षिक स्तर पर सर्वसुलभ उपलब्धि शामिल है। इस अवधारण को मार्च, 1990 में जान्तीन में आयोजित "सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन" पर अन्तर्राष्ट्रीय वैधता मिली। सम्मेलन ने सभी राष्ट्रों व अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वर्ष 2000 तक सभी को शिक्षित करने की पुरजोर अपील की। सम्मेलन से अपेक्षाएं है कि दाता एजेंसियां बुनियादी शिक्षा के लिए अधिक समर्थन देंगी। पिछले कुछ वर्षों में शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य में बुनियादी शिक्षा के लिए चुनिंदा बाह्य निधियों को जुटाने का प्रयास किया गया है जो निम्न प्रकार से सूचीबद्ध है:

आन्ध्र प्रदेश

4.6.2 यू.के. सरकार की ओवरसीज़ डिवैल्पमैन्ट एजेन्सी की सहायता से वर्ष 1983 में आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना (ए पी पी ई पी) के पहले चरण को एक अग्रगामी योजना (कार्यक्रम) के रूप में आरम्भ किया गया; जिसमें 330 स्कूल शामिल हैं। यू.के. सरकार, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने वर्ष 1987 के शुरू में इस परियोजना का त्रिपक्षीय पुनरीक्षण किया। इस त्रिपक्षीय पुनरीक्षण में पहले चरण की सफलता पर सन्तोष व्यक्त किया गया और आन्ध्र प्रदेश के पूरे राज्य में इस परियोजना के विस्तार की सिफारिश भी की गई। इस परियोजना का, वर्ष 1989-96 की अवधि के लिए परिव्यय 31.2 लाख डालर का है। इस सेतुबन्धन चरण का मुख्य कार्य वर्ष 1987-89 के दौरान इस परियोजना के प्रथम चरण के अपूर्ण कार्यक्रमों को पूरा करना है। इस परियोजना के दूसरे चरण में न केवल श्रेणी कक्ष और शिक्षक केन्द्रों के लिए भवन निर्माण के कार्यक्रम ही शामिल हैं अपितु प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण और अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण; जो एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन विकास घटक है, के कार्यक्रम भी शामिल है।

बिहार शिक्षा परियोजना

4.6.3 आलोच्य वर्ष के दौरान, सरकार ने बिहार शिक्षा परियोजना को स्वीकृत किया। यह परियोजना बुनियादी शिक्षा के सभी घटकों के लिए कार्य करेगी तथा इसका 5 वर्ष की अवधि के लिए चरणबद्ध रूप में विस्तार किया गया है ताकि यह 20 जिलों के लिए काम कर सके। इस परियोजना पर कुल परिव्यय 360 करोड़ रुपये होगा जिसमें से 180 करोड़ रुपए यूनिसेफ, 120 करोड़ रुपये भारत सरकार और 60 करोड़ रुपये का व्यय बिहार राज्य सरकार वहन करेगी। बिहार शिक्षा परियोजना बुनियादी शिक्षा प्रणाली में मूल परिवर्तन लाने के लिए एक सामाजिक मिशन के रूप में काम करेगी और इस प्रकार इससे शिक्षा पद्धति में पूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति पैदा हो सकेगी। इस परियोजना के प्रबन्ध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका सामाजिक मिशन होना है, जिसमें पहले से ही कार्यों की समय-बद्ध योजना निश्चित की जाती है, इस योजना की विशेष जिम्मेदारी संस्थाओं, एजेन्सियों या व्यक्ति विशेष पर होगी। इस परियोजना का प्रबन्ध राज्य-स्तरीय स्वायत्त संगठन के हाथों में होगा। रांची, पश्चिमी चम्पारन और रोहतास, इन तीन जिलों में परियोजना की प्रारम्भिक गतिविधियां शुरू की गई हैं।

शिक्षाकर्मी परियोजना

4.6.4 स्वीडन की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की सहायता से वर्ष 1987 से राजस्थान में इस परियोजना को कार्यान्वित क्रिया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के चुनिन्दा खण्डों में दूरस्थ तथा पिछड़े हुए गांवों में प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना है।

4.6.5 इस परियोजना से यह पता चलता है कि शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षकों की अनुपस्थिति एक मुख्य बाधा है। तद्नुसार इस परियोजना में यह परिकल्पना की गई है कि एकल शिक्षक स्कूलों में प्राथमिक स्कूल शिक्षक के स्थान पर दो स्थानीय निवासियों जो "शिक्षाकर्मियों" के नाम से ज्ञात शिक्षित कार्यकर्त्ता हों, के एक दल को रखा जाए। स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षाकर्मियों के चयन में नियमित शिक्षकों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं पर जोर नहीं दिया जाता है। तथापि, शिक्षक के रूप में कारगर ढंग से कार्य करने के योग्य बनाने के लिए उन्हें एक सतत आधार पर प्रशिक्षण तथा शैक्षिक सहायता दी जाती है। मौजूदा प्राथमिक स्कूल जब शिक्षाकर्मियों द्वारा चलाए जाते हैं तो उन्हें "दिवस केन्द्र" कहा जाता है। इसके अलावा प्रत्येक शिक्षाकर्मी ऐसे बच्चों के लिए जो दिवास केन्द्र में भाग नहीं ले पाते है, उनके लिए "रात्रि केन्द्र" चलाते है। परियोजना भी महिला शिक्षाकर्मियों की भरती पर जोर देते हुए स्थानीय महिलाओं को शिक्षाकर्मियों के रूप में उन्हें जागरूक रखने के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की परिकल्पना करती है।

4.6.6 जैसा कि 28.2.1991 तक, परियोजना का क्रियान्वयन 275 दिवस केन्द्र और 384 रात्रि केन्द्रों के माध्यम से 24 ब्लाक इकाइयों के 275 गांवों में हो रहा था। इस परियोजना के तहत, 30.6.1991 तक क्रियान्वयन शुरू करने के लिए अन्य यूजरेक/ब्लाक इकाइयां भी थी और इसे 1991-92 के दौरान अन्य 15 ब्लाक इकाईयों के लिए बढाए जाने की आशा है। 1990 के उतरार्ध में एक स्वतन्त्र अध्ययन करने से परम्परागत स्कूलों के उन बच्चों की तुलना में शिक्षाकर्मी केन्द्रों में अध्ययन कर रहे बच्चों की उपलब्धि स्तरों के हक में पता चला है। वर्ष 1990-91 के दौरान 132.76 लाख रूपये का व्यय दर्शाया गया है।

4.7.1 आठवीं योजना की क्रिया रूप देने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के वास्ते कार्यकारी दल का गठन किया गया। जिसमें दल का विचार है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की विस्तार और सुधार में सही मायने में बहुत सारी प्रगति हो रही हैं किन्तु दल का यह भी सुझाव है कि शैक्षिक प्रक्रिया के हासिए से छूटे हुए पिछड़े क्षेत्रों/प्रक्षेत्रों में भी दल शुरू किये जाएं। अतः क्षेत्र विशिष्ट, जनसंख्या विशिष्ट, सूक्ष्म स्तरीय आयोजना को कारगर बनाने की रणनीति में बदलाव लाने की सिफारिश की गई है। यह रणनीति मौजूदा कार्यक्रमों के साथ-साथ नवाचारी योजनाओं और उपायों को पूर्ण सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा पैकेज उपलब्ध कराने के लिए संघटित करेगी। जो विशिष्ट क्षेत्रों में प्रत्येक बच्चे की नियमित रूप से स्कूल में भाग लेने और कम से कम 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए सक्षम होगी। अथवा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में उसके समकक्ष छात्र/छात्रा के लिए उपयुक्त गति निर्धारित करने में सक्षम होगी।

4.7.2 अनुवर्ती उपाय के रूप में, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान ने विस्तृत दिशा-निर्देशों को तैयार करने का अनुरोध किया था। इन विस्तृत दिशा-निर्देशों को राज्यों को परिचालित (वितरित) कर दिया गया। मंत्रालय को अब सूक्ष्म आयोजना दिशानिर्देशों के कार्यकरण नामक दस्तावेज से जानकारी मिल गई है। सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा पैकेज के रूप में सूक्ष्म आयोजना कार्य नीति के क्रियान्वयन से संबंधित विशिष्ट परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों ने वित्तीय सहायता और अकादमी सहयोग के लिए इस दस्तावेज की अवधारणा (संकल्पना) विस्तृत प्रक्रिया की विस्तार से व्याख्या की।

राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन

4.8.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा के प्रत्येक स्तर और शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की पहुंच में शिक्षण के न्यूनतम स्तर निर्धारित करने का उल्लेख ही नहीं किया गया है अपितु सफलता की शर्तों का भी उल्लेख किया गया है। यह भी कहा जाता है कि नई शैक्षिक रणनीति के एक भाग के रूप में शिक्षा में गुणवत्तात्मक सुधार लाने के लिए परीक्षाएं ली जाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई कार्यक्रम तैयार किया गया है। जिसमें विस्तृत मूल्यांकन पद्धति स्थापित करने के लिए पूरा किये जाते वाले प्रस्तावित उपायों को बताया गया है जिसमें परीक्षा सुधार भी शामिल है।

4.8.2 इस दिशा में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन (एन.ई.ओ.) के गठन का प्रस्ताव किया गया है जो प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्तरों के अंत तक छात्रों द्वारा अर्जित शिक्षण में मदद करता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन को प्राथमिक स्तर पर परीक्षण और निर्धारण पद्धति में सुधार लाने के लिए एक प्रमुख घटक के रूप में देखा जाता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के न्यूनतम स्तर को प्राप्त कर लेने के पश्चात्, एक व्यापक शिशु मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाएगी जिसमे सभी शिक्षक छात्रों की शिक्षण ग्राहता का सतत मूल्यांकन कर सके और कक्षा के पाठों (अनुदेशों) को संशोधित कर सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या कक्षा के सभी छात्रों ने शिक्षण के निधारित न्यूनतम स्तर को प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करेगा—

(i) राष्ट्रीय नमूने के आधार पर सीखने वाले छात्रों का साधारण मूल्यांकन करना;

(ii) उन क्षेत्रों का मूल्यांकन करना जहां शिक्षण का स्तर काफी नीचे है और उनके लिए ठोस उपायों को अपनाना;

(iii) मानकीकृत परीक्षण स्कूलों और अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली की बढ़िया गुणवत्ता के विकास में सहायता करना; और

(iv) नीति और कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक साधन के रूप में पूरा करना।

4.8.3 राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन को एक संतुलित दृष्टिकोण के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। प्राप्त अनुभव और सुविज्ञता के रूप में इसका विस्तार किया जाना हैं और इसे लेडी इर्विन कालेज दिल्ली से एक परियोजना शुरू करने की संस्वीकृति मिल गई है जो उत्तर प्रदेश के कुछ ब्लाकों में आयोजन और उपलब्धि परीक्षण का काम शुरू करेगी। इस कार्य के लिए इसे 6.88 लाख रूपये संस्वीकृत किए गए हैं।

शिक्षण का न्यूनतम स्तर

4.9.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में यह कहा गया है कि पाठ्यचर्या को पालन-पोषण की गुणवत्ता में अहम भूमिका निभानी चाहिए। अतः सरकार ने मौजूदा पाठ्यचर्या में निर्दिष्ट अध्ययन के परिणामों का अध्ययन करने और शिक्षण के न्यूनतम स्तर को निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। ऐसे वे सभी छात्र जिन्होंने प्राइमरी स्तर की शिक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें यह स्तर अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। शिक्षण का न्यूनतम स्तर शिक्षक तथा प्रणाली दोनों के लिए एक निष्पादन लक्ष्य के रूप में कार्य करेगा। अतः यह विसंगतियों को दूर करने तथा समानता को सुनिश्चित करने के लिए निवेशों तथा कार्यक्रमों की व्यवस्था का निर्णय लेने का एक आधार बन जाएगा। शिक्षण का न्यूनतम स्तर स्कूलों में शुरू किया जाएगा जिसमें शिशुओं के सतत मूल्यांकन, पाठ्यपुस्तकों में संशोधन और शिक्षक प्रशिक्षण के मिश्रित कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी। समिति ने दिसम्बर, 1990 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसका शुभारंभ इस निर्णय के साथ किया गया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक स्तर को बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के चुनिन्दा ब्लाकों में शुरू करेगी। मंत्रालय ने दिल्ली, अहमदाबाद और अजमेर में तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें न्यूनतम शैक्षिक स्तर की रिपोर्ट पर औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के सक्रिय क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर विश्वविद्यालय विभागों, अनुसंधान संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भली-भांति विचार-विमर्श किया। इन कार्यशालाओं में यह निर्णय लिया गया कि कई संगठनों और व्यक्तियों को एक से पांच वर्ष की अवधि के लिए उनके कार्यकलाप के क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। बारह ऐसी परियोजनाओं को निधियां संस्वीकृत करने के लिए पहले ही अनुमोदन कर दिया गया है। यह आशा की गई है कि क्षेत्र स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक स्तर के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1990-92 में 35 से 40 ऐसी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

बाल भवन सोसाइटी

4.10.1 पंडित जवाहर लाल नेहरू की प्रेरणा पर बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली की स्थापना की गई तथा इसे भारत सरकार द्वारा 1955 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। यह शिक्षा विभाग द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक स्वायत्त संगठन है। यह सोसाइटी 5-16 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों में सृजनात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने में अपना योगदान देती है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों विधाओं जैसे विज्ञान, निष्पादन तथा सृजनात्मक कला, संग्रहालय तकनीकों, फोटोग्राफी, खगोल-विज्ञान पर्यावरण, शारीरिक शिक्षा आदि शामिल हैं। यह संस्थान बाल भवन प्रणाली विज्ञान के माध्यम से सृजनात्मक शिक्षा देने में भारत के सभी भागों से आए शिक्षकों प्रशिक्षकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने में एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है। सोसाइटी के पास पूरी दिल्ली में 50 बाल केन्द्र हैं तथा दो जवाहर बाल भवन, एक श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) तथा दूसरा देहरा मण्डी (दिल्ली) को भी सहायता प्रदान करता है। सोसाइटी, देश में राज्य और जिला बाल भवनों को सम्बद्ध अनुदान देने के अतिरिक्त उनका सामान्य मार्गदर्शन प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदर्शनियों के लिए ऋण और बाल भवन अभियान की स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना देने की भी व्यवस्था करता है। सोसाइटी, राज्य और जिला बाल भवनों को साधारण परियोजना सम्बद्ध अनुदानों की भी संस्वीकृति देती है।

4.10.2 रिपोर्ट वर्ष के दौरान नौवां अखिल भारतीय निदेशक सम्मेलन सोसाइटी के परिसर में आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के लगभग 35 निदेशकों ने भाग लिया। सम्मेलन में बाल भवन अभियान से संबंधित कई मामलों पर विचार विमर्श किया गया।

4.10.3 विभिन्न अवसरों पर विश्व पर्यावरण दिवस, साक्षरता सप्ताह, शिक्षक दिवस, हरित वाहिनी दिवस, वर्षा ऋतु समारोह, रक्षा बन्धन, स्पुतनिक की रजत जयन्ती नववर्ष दिवस और बसन्त उत्सव जैसे समारोह मनाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

4.10.4 दिल्ली पुलिस की महिला खण्ड ने एक आत्म सुरक्षा पाठ्यक्रम का आयोजन किया जिसमें बाल-भवन की वरिष्ठ छात्रा-सदस्यों को 5 सप्ताह के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

4.10.5 खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में बाल भवन ने चैस, बैडमिन्टन, टेबल टेनिस और जूडो में वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। बच्चों में साहस की भावना भरने के लिए 30 बच्चों और तीन एसकार्टस के दल द्वारा सर पास तक एक पन्द्रह दिवसीय ट्रैक को भी प्रायोजित किया गया।

4.10.6 बाल भवन के एक एसकार्टस सहित 6 बहु-प्रतिभाशाली बच्चों के एक दल ने जापान में एशिया-पैसिफिक बाल सम्मेलन में भाग लिया। बच्चे, बालक-अभिभावकों के साथ रहे जो उनके लिए एक नया अनुभव था। बाल भवन ने बुलगारिया के दस बच्चों के एक दल का आतिथ्य भी किया।

4.10.7 बाल भवन में निर्मित एक नया मछली घर स्थापित किया गया जिसमें कई नई जातियों को मछली संग्रह में शामिल किया गया।

4.10.8 राष्ट्रीय बाल सभा और एकता कैम्प, वार्षिक समारोह, 10 से 19 नवम्बर तक आयोजित किया गया। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी के समय था तथा यह कार्यक्रम नेहरू के व्यक्तित्व से ही संबंधित रहा।

4.10.9 21 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से बच्चों ने बाल भवन छात्रावास में शिविर लगाया और मुक्त रूप से एक दूसरे को प्रभावित किया तथा भाषा अवरोध के बावजूद भी सम्पर्क किया।

4.10.10 दिल्ली में गन्दी तथा पुनर्वास कालोनियों के बच्चों के लिए बाल भवन आन्दोलन को और अधिक बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान, चल बाल भवन क्रियाकलापों को आरम्भ किया गया।

5. माध्यमिक शिक्षा

5. माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

5.1.1 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली के दो महत्वपूर्ण स्तर है क्योंकि युवावर्ग इन्हीं विंदुओं पर रोजगार क्षेत्र में प्रवेश करने, तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के विकल्पों में से एक को चुनने के संबंध में निर्णय लेते है। शिक्षाशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने निरंतर यह सिफारिश की है कि इन स्तरों पर शिक्षा को व्यावसायिक रूझान प्रदान किया जाना चाहिए ताकि इसे कार्य-जगत से जोड़ा जा सके।

5.1.2 शिक्षा के व्यवसायीकरण के कार्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षानीति, 1986 में अत्यंत उच्च प्राथमिकता दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि एक सुव्यवस्थित, सुनियोजित और परिश्रम पूर्वक कार्यान्वित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन के लिए महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक शिक्षा की परिकल्पना एक ऐसी विशिष्ट धारा के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकलापों में निर्दिष्ट व्यवसायों के लिए छात्रों को तैयार करना था।

5.1.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधान और कार्रवाई योजना और विशेषज्ञों के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के कार्यान्वयन के लिए एक ढांचा तैयार किया गया और फरवरी 1988 में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केंद्र प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की गई। इस स्कीम के अंतर्गत इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संघशासित प्रशासनों को प्रभूत वित्तीय सहायता दी जा रही है।

5.1.4 माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की स्कीम का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अवसरों को विविध रूप देना है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें, कौशलयुक्त जनशक्ति की मांग और पूर्ति में असंतुलन को कम किया जा सके, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को विकल्प प्रदान किया जा सके।

5.1.5 वर्ष 1987-88 से + 2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के अंतर्गत उपलब्धियों का सारांश निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका 5.1

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण-उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	कुल
खर्च की गई राशि (करोड़ रू.	32.26	49.73	43.97	74.00	199.96
राज्यों/संघीय क्षेत्रों की संख्या	18	5	—	4	27
शामिल किए गए स्कूलों की सं०	1080	1552	163	1046	3841
संस्वीकृत व्यावसायिक अनुभागों की संख्या	3167	4237	484	2428	10316

5.1.6 स्कीम में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रयोग और नवाचारों को बढ़ावा देने की इच्छा व्यक्त की गई है। वर्ष 1987-88 से छः स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की निम्नलिखित प्रत्येक संगठन के सम्मुख इंगित प्रयोजन के लिए 37.70 लाख रूपये दिए गए है।

क्रम सं०	संगठन का नाम	प्रयोजन
1.	ग्रामीण औद्योगिकीकरण, सोसाइटी, रांची	"शिक्षा पद्धति के माध्यम से ग्रामीण विकास" नामक परियोजना के लिए
2.	भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे	शिक्षा पद्धति के माध्यम से ग्रामीण प्रौद्योगिकी नामक परियोजना के लिए
3.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली	आशुलिपि, टंकण, बुनाई और मोटर मैकेनिक में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए

क्रम सं०	संगठन का नाम	प्रयोजन
4.	नूतन विद्या मंदिर, शरतपुर	व्यावसायिक पाठ्यक्रम, ड्राफटस् मैन (सिविल) प्रारंभ करने के लिए
5.	रामकृष्ण विवेकानंद मिशन, बैरकपुर	बढ़ईगीरी, सिलाई और आटो मैकेनिक प्रारंभ करने के लिए
6.	गुजरात अनुसंधान सोसाइटी, नई दिल्ली	विज्ञान आश्रम, पुणे स्थित भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जा रहे "शिक्षा पद्धति के माध्यम से ग्रामीण विकास" नामक परियोजना का मूल्यांकन।

5.1.7 संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (जे.सी.वी.ई.) और इसकी स्थायी समिति माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त प्रबंध ढांचे के भाग के रूप में 20 अप्रैल 1990 को स्थापित किए गए थे। जे.सी.वी.ई. और इसकी स्थायी समिति की बैठक क्रमशः 8 अगस्त 1990 और 12 सितम्बर, 1990 को आयोजित की गई थी। इन निकायों द्वारा लिए निर्णय निम्नलिखित से संबंधित है।

* व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में सही सूचना का प्रसार
* रोजगार क्षेत्र से संबंध स्थापित करना ताकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से निकले लोगों को पारिश्रमिक/स्वरोजगार प्रदान किया जा सके।
* आई.टी.आई/पालिटेक्नीकों से व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने पर दिए जाने वाले प्रमाणपत्रों की समतुल्यता स्थापित करना।
* व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्यापकों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
* प्रशिक्षुता अधिनियम के अंतर्गत सभी संगत व्यावसायिक क्षेत्रों को शामिल करना।
* व्यावसायिक पाठ्यक्रम करके निकलने वालों के लिए उचित ब्रिज कोर्स तैयार करके प्रारंभ करना ताकि उन्हें उच्च अध्ययन करने योग्य बनाया जा सके।
* बीच में स्कूल छोड़ देने वालों, कम उपलब्धियां प्राप्त करने वालों तथा बेरोजगार युवाओं के लिए अनौपचारिक व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करना।

5.1.8 उपर्युक्त निर्णय पर अनुवर्ती कार्रवाई जारी है। चौदह राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा निदेशालयों में व्यावसायिक खंड स्थापित किए गए। दस राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्रों में व्यावसायिक खंड खोले गए। सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ज़िला शिक्षा कार्यालयों में जिला व्यावसायिक शिक्षा समितियां स्थापित की गई। चार राज्यों/संघीय क्षेत्रों में जिला व्यावसायिक शिक्षा समितियां गठित की गई और 12 राज्यों/संघीय क्षेत्रों में राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषदें गठित की गई। 21 राज्यों/संघीय क्षेत्रों के 388 जिलों में से 155 का सर्वेक्षण किया गया। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 150 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या तैयार की गई। अब तक, शिक्षकों, प्रशासकों आदि के लिए 1022 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

5.1.9. रा०शै०अ०प्र०प० ने भी कृषि, व्यापार और वाणिज्य, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और अर्द्ध चिकित्सीय सेवायें, गृह विज्ञान और मानविकी तथा अन्य छः मुख्य क्षेत्रों के अंतर्गत लगभग अस्सी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम व्यावसायिक क्षमता पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया है। ये राज्यों/संघीय क्षेत्रों द्वारा अपनाने/अपने अनुकूल रूपांतरित करने के लिए उपलब्ध है। शैक्षिक सामग्री चौदह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रकाशित की गई और कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सामग्री पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है।

5.1.10 क्षेत्रीय प्रशिक्षुता बोर्डों को उचित रूप से सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि ये प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक छात्रों को अवसर देने का अतिरिक्त कार्य संभाल सके। अब तक केवल प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, दक्षिणी क्षेत्र ने यह कार्य संभाला है। व्यावसायिक छात्रों को वृत्तिका देने तथा अतिरिक्त स्टाफ के लिए बोर्ड को 77.99 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

5.1.11 इस कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम करके निकलने वालों को रोजगार मिलने पर निर्भर करेगी। इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों से वर्ग "ग" के विभिन्न श्रेणियों के भर्ती नियमों की तत्काल समीक्षा करने का अनुरोध किया है ताकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम करके निकलने वालों को नियुक्ति के योग्य बनाया जा सके। शिक्षा विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अपने भर्ती नियमों में संशोधन का मामला भी उठाया है ताकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम करके निकलने वालों को रोजगार सुलभ कराया जा सके।राज्य/संघशासित क्षेत्र भी ऐसा ही कर रहे हैं।

5.1.12 प्रयोगकर्त्ताओं की आवश्यकता के अनुकूल व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने का काम जारी है ताकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम करके निकलने वालों को शीघ्र काम मिल सके बशर्ते कि वे निर्धारित न्यूनतम शर्तें पूरी करते हों। ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम के०मा०शि०बो० से सम्बद्ध चुनिंदा स्कूलों में क्रमशः भारतीय साधारण बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से साधारण बीमा और जीवन बीमा में प्रारंभ किए गए साधारण बीमा पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों का पहला समूह निकल चुका है और फिलहाल प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। रेलवे बोर्ड के

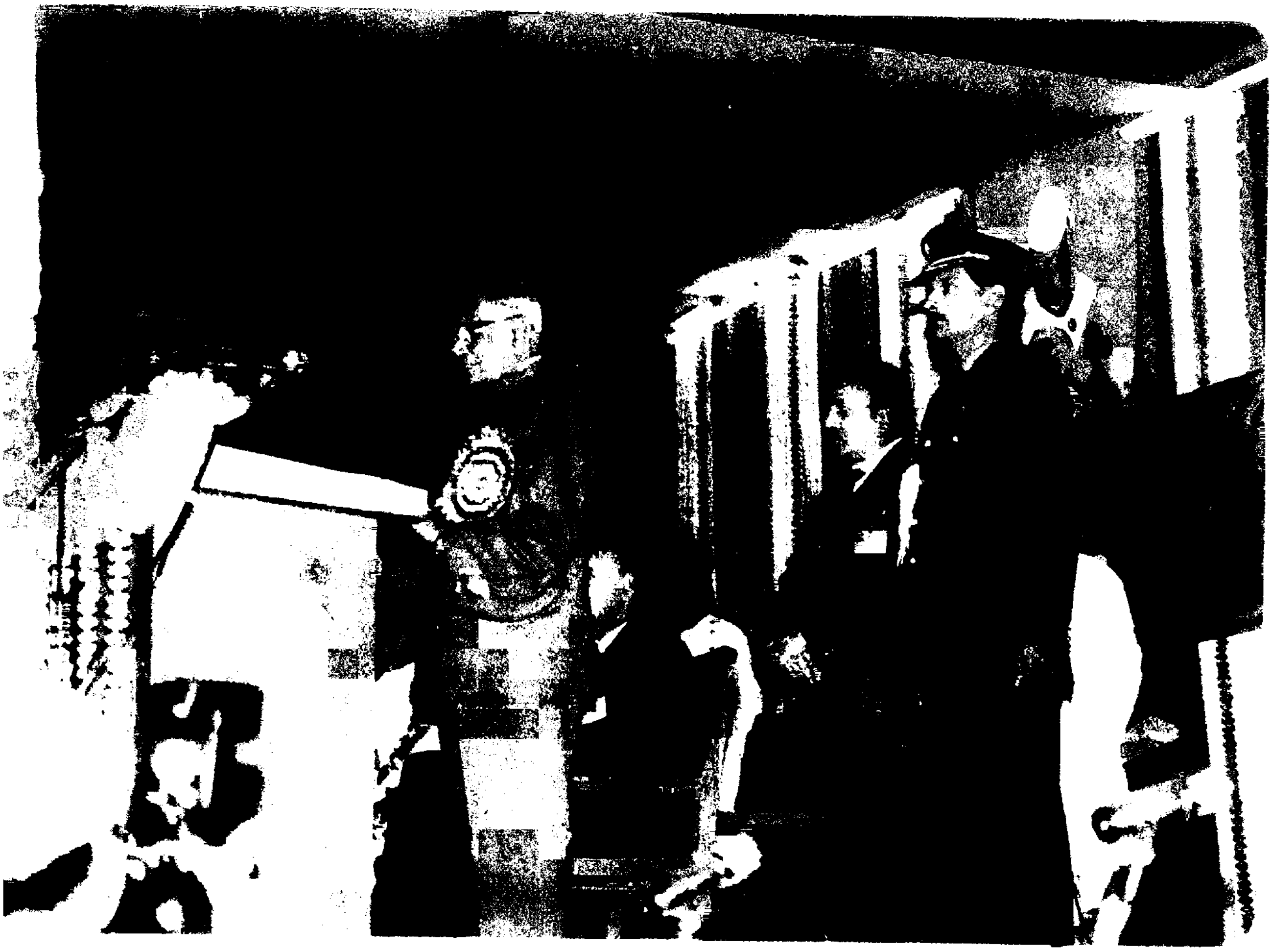

पटना में बच्चों के लिए 19वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन।

सहयोग से रेलवे वाणिज्यिक कर्मचारियों के लिए एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जिसे 1991-92 में प्रायोगिक आधार पर 9 स्कूलों में प्रारंभ किया जाना है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले छात्रों को रेलवे विभाग रोजगार देगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ प्रबंध को अंतिम रूप दिया जा रहा है:-

* अक्ज़िलियरी नर्स मिडवाइफ (ए एन एम)
* ओपथेल्मिक टेकनीशियन कोर्सेस
* एक्सरे टेक्नीशियन कोर्सेस
* लैबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्सेस

इन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत आने वाले दस स्कूलों का चुनाव किया गया और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अस्पतालों के साथ सहयोगात्मक प्रबंधों को अंतिम रूप दिया गया। इन पाठ्यक्रमों के लिए अंग्रेजी और हिंदी में प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जा रहा है और शैक्षिक सत्र 1991-92 से ये पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपनी दो संस्थाओं में चलाया जा रहा ए एन एम पाठ्यक्रम का स्तर बढ़ाकर +2 स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बराबर किया जा रहा है। परीक्षा लेने और प्रमाणपत्र देने के प्रयोजन से संस्थाओं को के॰मा॰शि॰बो॰ से आवश्यक सम्बद्धता प्रदान की जाएगी।

5.1.13 दस्तकारी क्षेत्र में (I) हैंड ब्लाक प्रिंटिंग टेक्सटाइल और वेजीटेबिल डाइंग (II) (चिकन इम्ब्राइडरी पर विशेष बल सहित) इम्ब्राइडरी और (III) मेटल क्राफ्ट नामक तीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए मानदंड तैयार किए जा रहे हैं। जुलाई 1991 से इन पाठ्यक्रमों को उत्तर प्रदेश के तीन शहरों के दस बड़े स्कूलों में प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए पर्यटन मंत्रालय से भी विचार-विमर्श किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय होटल प्रबंध परिषद और कैटरिंग प्रौद्योगिकी द्वारा वर्तमान में खाद्य प्रौद्योगिकी में चलाए जा रहे अठारह माह की अवधि के पाठ्यक्रम को दो वर्षीय करने के सुझाव की के॰मा॰शि॰बो॰ के परामर्श से जांच की जा रही है।

5.1.14 +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम पास करने वाले छात्रों में स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार स्कीम (सीयू) के अंतर्गत कर्ज देने में प्राथमिकता देने का निश्चय किया गया। सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के उद्योग विभागों से इस संबंध में जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों को अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया। राज्यों के शिक्षा विभागों से भी अपने अपने राज्यों के जिला उद्योगों से सम्पर्क स्थापित करने का अनुरोध किया गया ताकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर चुके छात्रों और सीयू स्कीम में उचित संपर्क स्थापित किया जा सके।

5.1.15 ट्राइसेम के अंतर्गत, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के सदस्यों को बैंकों के माध्यम से कर्ज की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि वे स्वरोजगार प्रारंभ कर सके। इस स्कीम के अंतर्गत गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम करके निकलने वालों को भी बैंकों द्वारा कर्ज देकर स्वरोजगार प्रारंभ करने में सहायता दी जाएगी। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के स्कूल शिक्षा निदेशकों को डी॰आर॰डी॰ए॰ के परियोजना निदेशक से सम्पर्क बनाए रखने और आई॰आर॰डी॰पी॰ परिवारों के बच्चों की पहचान करने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी जा सके।

5.1.16 व्यवसायिक छात्रों को रोजगार देने में निजी क्षेत्र को भी संयुक्त करने के प्रयास किए जा रहे है। इस संबंध में रोटरी इंटरनेशनल, लायंस क्लब राष्ट्रीयता युवा उद्यमी संघ तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ से विचार विमर्श किया गया है।

5.1.17 इस स्कीम के लिए वर्ष 1990-91 में बजट प्रावधान (संशोधित योजनानुसार) 7720.00 लाख रुपयों का रखा गया हैं। जिसमें से 7399.99 लाख रुपयों की धनराशि मुक्त की जा चुकी है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी की कार्यक्रम

5.2.1 चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1972 में केन्द्रीय क्षेत्र में एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया ताकि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया जा सके और शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सेके। इस स्कीम के अंतर्गत रा॰शै॰अ॰ व प्र॰प॰ में शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किया गया और शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेल स्थापित करने के लिए इक्कीस राज्यों को शतप्रतिशत सहायता दी गई।

5.2.2 इनसैट प्रारंभ होने से प्रसारण सुविधाओं के विस्तार और शैक्षिक साफटवेयर की सहगामीमांग को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने उपग्रहों के माध्यम से प्रसारण के लिए शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी लेने का निश्चय किया। तदनुसार, छः राज्यों/आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, में राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (एस॰आई॰टी॰) और रा॰शै॰अ॰प्र॰प॰ में एक केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिमकी संस्थान (सी॰आई॰ई॰टी॰) स्थापित करके विकेन्द्रित आधार पर शिक्षा क्षेत्र में ही शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम (ई॰टी॰वी॰) निर्माण सुविधा सृजित करने तथा अन्य राज्यों में शैक्षिक दूरदर्शन (ई॰टी॰) सेल को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक स्कीम तैयार की गई।

5.2.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1987 में शैक्षिक प्रौद्योगिकी स्कीम में संशोधन किया गया जिसमें शैक्षिक

दूरदर्शन और आडियो कार्यक्रम निर्माण क्षमता दोनों को सुदृढ़ बनाने तथा स्कूलों को एक लाख रंगीन टेलीविजन सेट तथा पांच लाख रेडियो-कैसेट प्लेयर प्रदान करके इसे पहले की तुलना में अधिक लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया।

5.2.4 शिक्षा के लिए उपग्रह सेवाओं के उपयोग और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मीडिया टाइम्स संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए अगस्त, 1987 में डा० किरन कारणिक के संयोजकत्व में एक दल का गठन किया गया। इस दल की सिफारिशें सरकार के पास विचाराधीन हैं।

5.2.5 सी०आई०ई०टी० और सभी एस०आई०ई०टी० में कार्यक्रम निर्माण शुरू हो गया है। वास्तविकता यह है कि शैक्षिक वर्ष 1988-89 से कार्यक्रम निर्माण की जिम्मेदारी जो अब तक सी०आई०ई०टी० और दूरदर्शन के बीच बराबरी के आधार पर बंटी हुई थी, अब इसे सी०आई०ई०टी० और एस०आई०ई०टी० ने संभाल लिया है। उपग्रह पर आधारित शैक्षिक टेलीविजन सेवा वर्तमान में छः इनसैट राज्यों और अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में सोमवार से शुक्रवार तक 6-11 आयुवर्ग के बच्चों के लिए 5 दिवसीय सप्ताह के समय विभाजन की पद्वति के अनुसार गुजराती, हिंदी, मराठी, उड़िया और तेलुगु प्रसारण के 45 मिनट की अवधि के शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को प्रसारित किए जाते हैं।

5.2.6 सी०आई०ई०टी० ने मार्च 1991 तक 608 शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम और 864 भाषा अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। इसने 1986, 1987, 1988 और 1989 की गर्मियों के दौरान अध्यापकों के सामूहिक अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए 459 संपुटिकायें (केपसूल) भी तैयार की है। एस०आई०ई०टी० द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है।

तालिका 5.2

एस०आई०ई०टी० द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों की संख्या

एस०आई०ई०टी०	कार्यक्रम की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	510
2. बिहार	91
3. गुजरात	725
4. महाराष्ट्र	996
5. उड़ीसा	87
6. उत्तर प्रदेश	539

5.2.7 प्रबंधन और तकनीकी कार्मिकों संबंधी समस्याओं के कारण एस०आई०ई०टी० द्वारा पर्याप्त उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की प्रगति धीमी रही है। एस०आई०ई०टी० के कार्यकलापों में सुधार के उपाय सुझाने के लिए गठित कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ एस०आई०ई०टी० का राज्य सरकारों के तत्वावधान में पंजीकृत सोसाइटियों के रूप में स्वायत्त संगठन में परिवर्तन का सुझाव भी दिया। उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के एस०आई०ई०टी० पहले ही स्वायत्त हो चुके हैं। बिहार और महाराष्ट्र के एस०आई०ई०टी० भी शीघ्र ही सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होने वाले हैं। शेष दो राज्यों(उत्तर प्रदेश और गुजरात) में मामले पर बातचीत चल रही है।

5.2.8 शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम में निजी निर्माताओं को संयुक्त करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। रा०शै० अनु०व०प्र०प० ने सी०आई०ई०टी० के लिए वीडियो/फिल्में बनाने के लिए बाहरी निर्माताओं को संयुक्त करने हेतु नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है।

5.2.9 शैक्षिक दूरदर्शन स्कीम के तहत सी०आई०ई०टी० सेट और आर०सी०सी०पी० वितरित करने का एक महात्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा श्रव्य कार्यक्रम निर्माण के लिए धन मंजूर किया जा रहा है।

5.2.10 शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियों का सार नीचे प्रस्तुत है:

तालिका 5.3

शिक्षा प्रौद्योगिकी: उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	कुल
व्यय राशि (करोड़ रू० में)	14.14	16.20	16.50	14.57	61.41
शामिल किये गये राज्यों की सं०	13	29	31	32	32

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	कुल
वितरित टी०वी० सैटों की सं०	10049	12049	2799	6232	31129
वितरित रेडियो कैसेट प्लेयर की सं०	37562	67735	49963	72883	228113
सतत योजनाएं					
1. सी०आई०ई०टी० को प्रदत्त राशि (करोड़ रुपयों में)	5.28	3.10	3.146	2.37	13.89
2. एस०आई०ई०टी० को प्रदत्त राशि (करोड़ रुपयों में)	1.40	1.53	2.20	0.44	6.02
(6 इन्सेट राज्य आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश)				योजनागत 0.45 योजनेत्तर	
3. ईटी० प्रकोष्ठों को प्रदत्त राषि (करोड़ रुपयों में)	0.22	0.26	0.54	—	1.02
4. टी०वी०एस०/आर०सी०/सी०पी०एस० के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को प्रदत्त राशि (करोड़ रुपयों में)	7.15	11.19	10.60	11.66 करोड़	40.6
5. आर०सी०सी०पी० के लिए साफ्टवेयर का विकास (करोड़ रु० में)				0.10	0.10

स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का सुधार

5.3.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में परिकल्पित धारणा के अनुरूप विज्ञान शिक्षा की कोटि में सुधार और वैज्ञानिक मानसिकता को प्रोन्नत करने के लिए, स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार की केन्द्र प्रायोजित स्कीम 1987-88 की अंतिम तिमाही के दौरान शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्कूलों को विज्ञान किटों के प्रबन्ध के लिए, एक अपेक्षित स्तर तक सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रोन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए; सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूलों में पुस्तकालयों के प्रोन्नयन, विज्ञान शिक्षा के लिए जिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना, शैक्षिक सामग्रियों के विकास और विज्ञान व गणित के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह स्कीम विज्ञान शिक्षा में नवाचारी परियोजनाएं और संसाधन संभरण कार्यकलाप शुरू करने के लिए विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों को भी वितीय सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम का उद्देश्य आंठवी योजना के अंत तक एक चरणबद्ध क्रम में सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक, सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूलों को इसमें शामिल करना है।

5.3.2 1987-88 से 1990-91 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों के आंकड़े नीचे की सारणी में प्रस्तुत हैं:

तालिका 5.4

विज्ञान, शिक्षा : उपलब्धियां

	1987-88	1989-90	1989-90	1990-91	कुल
व्यय राशि (करोड़ रूपयों में)	29.27	29.16	21.60	20.59	100.62
शामिल किए गए राज्य/संघ शासित क्षेत्र	19	15	21	24	32
शामिल किए गए स्कूलों की संख्या					
1. उच्च प्राथमिक (विज्ञान किट)	20,719	14037	8463	5791	49010
2.सैकेण्डरी/हा०सै० (पुस्तकालय सहायता)	8899	5784	1699	3843	20,225
3. सैकेण्डरी/हा०सै० (प्रयोगशाला सहायता)	6,920	5392	2761	3,981	19,054

	1987-88	1989-90	1989-90	1990-91	कुल
शामिल किए गए स्वैच्छिक संगठनों की संख्या (नवाचारी) कार्यक्रमों के लिए)	—	8	11	7	14
संचयी जिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त संस्थाओं की संख्या	80	13	22	60	175

5.3.3 आठ सदस्यीय एक प्रतिनिधिमण्डल जिसमें छः प्रतियोगी छात्र, एक दल नायक और एक दल उप नायक शामिल थे, को जुलाई, 1990 को बीजिंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड में भाग लेने के लिए भेजा गया था। इदल ने एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक जीते थे।

स्कूल शिक्षा में पर्यावरण बोध को शामिल करना

5.4.1 स्थानीय पर्यावरण संबंधी स्थितियों के साथ स्कूलों के शैक्षिक कार्यक्रमों के तालमेल को बढ़ाने के लिए, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में विचार किया गया, स्कूल शिक्षा में पर्यावरण बोध की एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम 1988-89 से प्रारम्भ की गई है।

5.4.2 इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और स्वैच्छिक एजेंसियों को 100% सहाता प्रदान की जाती है। परियोजना आधार पर छात्रों में पर्यावरणीय चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यकलापों को प्रारम्भ करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में एक रूप पारिस्थितिकी स्थितियों वाले कुछ ब्लाक/जिले शामिल होने चाहिएं। एक राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा प्रारम्भ किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यकलापों की योजना, समन्वय और अनुश्रवण के उद्देश्य से राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ के गठन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार स्थानीय पर्यावरणीय स्थितियों और महत्वों को ध्यान में रखते हुह स्कूलों में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के अभिकल्पन और आयोजन उद्देश्य से प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के लिए परियोजना प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस परियोजना के कार्यकलापों में पाठ्यचर्याओं को विशिष्ट रूप से स्थानीय बनाने के लिए इसकी परिवीक्षा और विकास, पाठ्यपुस्तकें, शैक्षणिक सामग्रियां, सूचनात्मक पुस्तकें, सूचना पुस्तिकाएं ब्रोशर, पोस्टर, स्लाइड्स, श्रव्य टेप, दृश्य टेप, पर्यावरण पर फिल्म, पर्यावरणीय चेतना उत्पन्न करने के लिए सेमिनारों का आयोजन, शिक्षकों का दिग्विन्यास, स्मारकों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए उनका अभिग्रहण, पारिस्थिति की समास्याओं का अध्ययन आदि सम्मिलित है। परियोजना के अंतर्गत अधिमत कार्यकलापों में से एक स्कूल नर्सरियों की स्थापना का है। स्कूल शिक्षा में पर्यावरणीय दिग्विन्यास के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक और नवाचारी कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जाती है।

5.4.3 इस परियोजना के अंतर्गत 1987-88 से 1990-91 के दौरान उपलब्धियों का सार नीचे की सारणी में प्रस्तुत है:

तालिका 5.5
स्कूल शिक्षा में पर्यावरणीय दिग्विन्यासः उपलब्धियां

	1987-88	1989-90	1989-90	1990-91	कुल
व्यय राशि (रुपये करोड़ों में)	कुछ नहीं	1.92	1.65	2.00	5.57
शामिल किये गये राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या	कुछ नहीं	15	10	8	21
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुछ नहीं	25	7	6	38
शामिल किए गए स्कूलों की संख्या	कुछ नहीं	7298	4512	4876	16686

	1987-88	1989-90	1989-90	1990-91	कुल
सहायता प्राप्त स्वैच्छिक निकायों की संख्या	कुछ नहीं	6	9	7	12

स्कूलों में संगणक शिक्षा:

5.5.1 सीखने के माध्यम के रूप में संगणक अनुप्रयोग और इसकी संभावना की पहुंच से छात्रों और शिक्षकों को परिचित कराने के लिए इलेक्ट्रानिक विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 248 चुनिन्दा सेकेण्डरी / हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 1984-85 में "स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन" (क्लास) पर एक मार्गदर्शी (आरम्भिक / प्रायोगिक) परियोजना शुरू की गई।1989-90 के अंत तक 1989-90 में शामिल किए गए 271 स्कूलों सहित 2350 अतिरिक्त स्कूल शामिल किए गए थे। स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण और सहभागी स्कूलों को तर्कसंगत सहयोग देने के लिए साठ संसाधन केन्द्र स्थापित किए गए थे। हार्डवेयर के प्रतिस्थापन और इसके अनुरक्षण का निरन्तर उत्तरदायित्व संगणक अनुरक्षण निगम (सी०एम०सी०) का है और नाडेल एजेन्सी के रूप में एन०सी०ई०आर०टी० का उत्तरदायित्व परियोजना को कार्यान्वित करने का है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया गया है जिसकी रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया था कि परियोजना के "रुकावट" दूर करने वाला उद्देश्य आंशिक रूप से प्राप्त किया गया है।

5.5.2 एन०सी०ई०आर०टी० के माध्यम से देशी सॉफ्टवेयर का उत्पादन शुरू करने के प्रयास किए गए थे। वे 19 पैकेज विकसित करने में सफल हुए जो 1989-90 में अन्य पैकेजों के साथ स्कूलों को सप्लाई किए गए थे। सी०एम०सी० ने असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु आदि ग्यारह भाषाओं में की-बोर्ड और आर०ओ०एम० विकसित किए हैं।

5.5.3 सातवीं योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान व्यापक पैमाने पर और नियमित आधार पर कार्यक्रम को लागू करने के लिए देश भर के 13,000 हायर सैकेण्डरी स्कूलों को शामिल करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मन्त्रिमण्डल के लिए एक प्रारूप पत्र (ड्राफ्ट नोट) तैयार किया गया था। निधियों की कमी और अन्य प्रशासनिक कारणों से सातवीं योजना अवधि के दौरान 13,000 स्कूलों को शामिल करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया। इस बीच, मौजूदा परियोजना को सुदृढ़ और समेकित बनाने का प्रस्ताव हैं, जबकि इसके साथ-साथ स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (क्लास) के विस्तृत कार्यक्रम के लिए निधिकरण के अन्य संसाधनों का पता लगाने की सम्भावना की छानबीन का भी प्रस्ताव है।

5.5.4 क्लास परियोजना के अंतर्गत उपलब्धियों का सार निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है:

तालिका 5.6

क्लास परियोजना: उपलब्धियां

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 के लिए कुल
व्यय राशि (रु० करोड़ों में)	5.39	5.98	6.00	5.86	23.23
सहायता प्राप्त [illegible]ायों की संख्या	30	31	32	32	32

सम्मिलित किए गए स्कूलों की सं॰ संचयी	1949	2327	2598	2598	2598

राष्ट्रीय जन-शिक्षा परियोजना
(स्कूली और अनौपचारिक शिक्षा)

5.6.1 राष्ट्रीय जन-शिक्षा परियोजना (एन॰पी॰ई॰पी॰) अप्रैल, 1980 में औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा के संस्थानीकरण के प्रमुख उद्देश्य से आरम्भ की गई थी। कार्यक्रम की गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू॰एन॰पी॰ई॰) और यूनेस्कों के सहयोग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सक्रिय भागीदारी से भी बढ़ाई (विकसित की) गई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तकनीकी सहायता प्रदान करती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में एन॰पी॰ई॰एफ॰ का विस्तार करने का निश्चय किया है। शिक्षा का उद्देश्य युवा छात्रों को जनसंख्या विकास और जीवन की कोटि के बीच अन्तः संबंध के प्रति जागरुक करने का है। इसके अतिरिक्त यह उनमें जन मुद्दों की ओर बौद्धिक रुझान और उत्तरदायी व्यवहार विकसित करने और उनमें सकारात्मक मूल्य प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करती है ताकि वे निर्णयों के बारे में सूचित रह सकें जो बदले में लघु परिवार के मानदण्डों को बढ़ावा देगा। यह परियोजना वर्तमान में उन्तीस राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

5.6.2 1990-91 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में बड़े कार्यकलाप हुए:

— सह-पाठ्यचर्या, अनुदेशकीय, प्रशिक्षण तथा श्रव्य-दृश्य सामग्रियों का विकास,

— प्रमुख / संसाधन व्यक्तियों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षकों, शैक्षिक कार्यकर्ताओं, और अन्य विशिष्ट वर्गों का अभिविन्यास,

— छात्रों और शिक्षकों की सघन भागीदारी को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जैसे अनेक प्रकार के सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप चलाये गए। इन सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों के आयोजन में स्कूल और समुदाय के बीच सार्थ अन्तःसंयोजन का भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है,

— समूची परियोजना एक बाहरी एजेंसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जनविज्ञान संस्थान, बम्बई द्वारा तैयार की गई थी। राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर जागरुकता और अभिवृत्तियों जैसे अधिगम निष्कर्षों के मूल्यांकन के लिए उपकरण विकसित किए गए। कुछ राज्यों में जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं पर शोध अध्ययन को प्रोत्साहित किया गया।

राष्ट्रीय, राज्य और आधारभूत स्तरों पर परियोजना कार्यकलापों की मानीटरिंग।

5.6.3 अब तक प्राप्त उपलब्धियां हैं:

17 भाषाओं में अनेक प्रकार की सामग्रियों के लगभग 400 शीर्षक विकसित (तैयार) किए गए।

— जन-शिक्षा में लगभग 1.5 मिलियन शिक्षकों और अन्य कार्यकर्ताओं का अभिविन्यास।

— राष्ट्रीय स्तर पर पेंटिंग, निबंध-लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा अन्य अनेक सह-पाठ्यचर्या कार्यक्रम आयोजित किए गए।

— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्य-पुस्तकों का विषय-विश्लेषण बताता है कि विभिन्न विषय क्षेत्रों में 124 अध्याय जन शिक्षा तत्व समाकलित कर चुके हैं।

— जन शिक्षा की दृष्टि से अनौपचारिक शिक्षा में एक राष्ट्रीय आधार की सीमा का सर्वेक्षण पूरा किया गया।

— "जन संख्या संवर्धन और वातावरण (पर्यावरण) नामक एक वीडियो फिल्म तैयार की गई।

— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के पुस्तकालय में जन शिक्षा में एक अभिलेखन केन्द्र स्थापित किय गया।

— जन शिक्षा अनिवार्य मूल्यांकन अध्ययन चलाया गया और इस पर एक रपट तैयार की गई।

5.6.4 इस परियोजना के लिए 1990-91 के दौरान 100 लाख रुपये (योजनागत) का बजट प्रावधान है। जिसमें से 79.46 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

5.7.1 वैज्ञानिक दृष्टि से यह सिद्ध हो चुका है कि आंशिक रूप से विकलांग बच्चे शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बेहतर प्रगति कर सकते हैं, यदि वे सामान्य बच्चों के साथ रहकर एक ही स्कूल में अध्ययन करें। विकलांग बच्चों के लिए समाकलित शिक्षा की योजना स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों / स्वैच्छिक संगठनों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पाठ्य पुस्तक और लेखन सामग्री भत्ता, परिवहन भत्ता, पोशाक भत्ता, पाठक भत्ता (दृष्टिहीन बच्चों के लिए) मार्गरक्षण भत्ता (न्यूनतम असमर्थताओं सहित शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए), उपस्कर भत्ता और जहां कहीं आवश्यक हो, छात्रावास शुल्क आदि व्यय स्वीकार्य मदें हैं। इसके अतिरिक्त यह स्कीम शिक्षकों के वेतन और प्रेरकों, संसाधन कमरों की स्थापना, अपंग बच्चों के मूल्यांकन को पूरा करने, शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूलों में शिल्पगत अवरोधों को दूर करने, अपंग बच्चों के लिए विशेष शिक्षण-सामग्री के उत्पादन और विकास आदि का व्यय भी प्रदान करती है। विकलांग बच्चों के शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षा के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए चुनिंदा विश्वविद्यालयों / संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से सहायता भी दी जाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों द्वारा प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

5.7.2 यह स्कीम वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है।

5.7.3 अपंगों के लिए समाकलित शिक्षा की यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त एक परियोजना है जो सामान्य स्कूलों में अपंग बच्चों की शिक्षा के लिए विशिष्ट रणनीतियों के संदर्भ के विकास पर बल देती है। अशक्त बच्चों को प्रदत्त अनेक सुविधाओं के कारण हो रहे व्यय को पूरा करने के लिए भी इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहे राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को सहायता दी जाती है। इसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु तथा दिल्ली व बड़ौदा के महानगर निगमों को शामिल किया गया है।

5.7.4 इस समय 600 स्कूलों के लगभग 28,000 अपंग बच्चों को इस योजना के तहत मदद दी जा रही है। वर्ष 1990-91 के दौरान 300 लाख रुपयों का बजट प्रावधान मात्र होते हुए भी विभिन्न राज्यों/केंद्र शासिहत प्रदेशों को 343.00 लाख रुपयों की सहायता राशि स्वीकृत की गई।

युद्ध के दौरान मारे गए या अपंग हो गए सशस्त्र बलों के अधिकारियों और सैनिकों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें

5.8.1 केन्द्र सरकार तथा अधिकतर राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदोशों की सरकारों ने 1962 के भारत चीन युद्ध तथा 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान मारे गए या स्थाई रूप से अपंग हो गए रक्षा अधिकारियों और अर्द्ध सैनिक बलों के बच्चों को शैक्षिक रिआयतें देना जारी रखा।

5.8.2 वर्ष 1988 के दौरान ये रिआयतें श्री लंका में कार्रवाई के दौरान मारे गए। अपंग हो गए आई॰पी॰ के॰एफ॰/सी॰आर॰पी॰एफ॰ अधिकारियों के बच्चों तथा सियाचिन क्षेत्र में मेघदूत कार्रवाई के दौरान मारे गए/अपंग हो गए सशस्त्र बलों के अधिकारियों के बच्चों को भी दी गई है।

5.8.3 वर्ष 1990-91 के दौरान इन रिआयतों में चार विद्यार्थियों ने 65,060 रु॰ तक का लाभ उठाया, जबकि 1.30 लाख रु॰ का बजट प्रावधान था।

योग को प्रोत्साहन

5.9.1 शारीरिक शिक्षा में योग के स्थान का महत्व समझा गया है। मानव संसाधान विकास मंत्रालय शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने के लिए योग की अन्तर्निहित उपयुक्तता को समझते हुए देश में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए सम्पूर्ण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में योग को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना लागू कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर की योग संस्थाओं को चिकित्सीय पहलुओं को छोड़ कर अन्य रखरखाव तथा मौलिक अनुसंधान शिक्षक प्रशिक्षण जैसे पहलुओं सहित सभी पहलुओं पर कार्यक्रमों के लिए विकास संबंधी खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। योग के चिकित्सीय पहलुओं को प्रोत्साहन देने के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

5.9.2 इस योजना के अंतर्गत कैवल्यधाम श्रीमान माधव योग मंदिर समिति, लोनावला (पुणे) को रख रणखाव तथा अनुसंधान और शिक्षा प्रशिक्षण कार्य-क्रमों पर विकास संबंधी खर्च के लिए सहायता दिया जाना जारी है। वर्ष 1990-91 के दौरान के एस एम वाई एम समिति को 31.10 लाख रुपये का योजनागत तथा 30.00 लाख रुपये का योजनेतर अनुदान प्रदान किया गया।

5.9.3 वर्ष 1981-82 में एक वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में योग को प्रयोग के तौर पर एक अलग विषय के रूप में शुरू किया गया था। उसी समय से इस प्रयोग का मूल्यांकन किया गया है और केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने योग को अपने शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है। एन॰पी॰ई॰, 1986 के प्रकाश में एक योग को वृहत पैमाने पर स्कूलों में शुरू करने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1989-90 में एक नई

केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत योग संस्थाओं को योग शिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा इस उद्देश्य के लिए आधारभूत सुविधाएं तैयार करने के लिए सहायता दी जाती है। वर्ष 1989-90 के इस योजना के कार्यान्वयन का प्रारंभिक वर्ष होने के कारण इसमें राज्य सरकारों द्वारा अपने अध्यापकों को प्रशिक्षण हेतु न भेंज पाने के कारण इस योजना को बहुत प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। यह भी अनुभव किया गया कि इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसमें राज्य सरकारों का भी शामिल किया जाना अपारिहार्य है। इसलिए वर्ष 1989-91 को दौरान योजना आयोग से परामर्श करके यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को उनके नियंत्रणाधीन अथवा स्वैच्छिक योग संस्थाओं को अपने अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रबंध करने के लिए अनुदान राशि दे दी जाए। इसका परिणाम यह निकला कि राज्य सरकारों ने इस योजना में उत्साह प्रदर्शित किया है।

5.9.4 वर्ष 1990-91 के दौरान 80.00 लाख रुपयों के योजना प्रावधान में से 67.08 लाख रुपये खर्च किए गए। 5 राज्य सरकारों एवं कुछ स्वैच्धिक संस्थाओं को अनुदान दिए गए।

शिक्षा में संस्कृति/कला/मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए एजेंसियों को सहायता तथा नवाचार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही शैक्षिक संस्थाओं को सहायता।

5.10.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए तथा कला शिक्षा जैसे रचनात्मक कार्यकलापो पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इन सम्पर्ण लक्ष्यों के अन्तर्गत ही सरकार एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं पंजीकृत सोसायटी पब्लिक ट्रस्टों को और गैरलाभकारी कम्पनियों को सहायता देने के लिए वर्ष 1987 में शिक्षा में संस्कृति/कला/मुल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए एजेंसियों तथा नवाचार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही शैक्षिक संस्थाओं को सहायता देने की एक केन्द्रीय योजना बनाई गई/इसमें निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सहायता दी जाती है:

— शैक्षिक विषय वस्तु और पद्धति में संस्कृति/कला पक्ष का सुदृढ़ीकरण

— स्कूली पद्धति में मूल्य शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और

— स्कूली स्तर पर नवाचार कार्यक्रमों के मार्गदर्शन कार्य का क्रियान्वयन

5.10.2 चालू वर्ष 1990-91 के दौरान आठ स्वैच्छिक एजेंसियों को कुल 31.61 लाख रु० की राशि स्वीकृत कर दी गई है।

5.10.3 इस योजना के अन्तर्गत कुछ कार्यक्रम, जिन्हें सहायता दी गई है, निम्नलिखित है:-

1. स्पिकन्मैकेय, नई दिल्ली	देश के युवाओं में पारपरिक भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए जिसका प्रमुख माध्यम शास्त्रीय संगीत व नृत्य है।
2. अलरिप्पु, नई दिल्ली	विद्यार्थियों, खासकर बालिका गाइडों और झुग्गी-झोपड़ी के युवाओं के लिए कार्यशिविरों का आयोजन करने के लिए तथा महिलाओं आदि पर वीडियो फिल्म बनाने के लिए। साथ ही राजस्थान के पांच लोक रूपों/कलाओं पर एक कार्यक्रम अपनाने के लिए।
3. नन्दीकर, कलकत्ता	छात्र समुदाय को प्रेरित करने और और मुक्त करने के लिए मंच संबंधी कार्यकलापों के परियोजना प्रस्ताव को लागू करने के लिए।
4. अन्तर भरती, मदुरई	मदुरई, विजयवाड़ा विवेकानन्द पुरम (कन्याकुमारी), मित्र निकेतन (तिरुअनन्तपुरम), अंसीकैरा (कर्नाटक) और गोरखपुर में आयोजकों और प्रथमिक तथा माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए पांच शैक्षिक चिकित्सा कैम्प आयोजित करने के लिए।
5. सफदर हाशमी मेमोरियल, ट्रस्ट, नई दिल्ली	पर्यावरणीय परियोजनाएं, बच्चों की सर्जनात्मक भागीदारी की कार्यशाला, कठपुतली-विद्या, दिल्ली की पुनर्वास बस्ती, मंगोलपुरी के युवा व्यकितयों के लिए सर्जनात्मक लेखन आदि का आयोजन करने के लिए संगठन को इन कार्यकलापों पर एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म बनाने के लिए सहायता भी दी गई थी।
6. काव्य समाज (भारत) दिल्ली	नईयुवा कवियों, खासकर भुवनेश्वर और उड़ीसा की आस-पास की जगहों के स्कूल विद्यार्थियों के लिए एक सर्जनात्मक लेखन कार्यशाला आयोजित करने के लिए।

5.10.4 वर्ष 1990-91 में इस योजना के लिए 60 लाख रू० का (योजनागत) बजट का प्रावधान है।

राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूल पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

5.11.1 1981 से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय रा.शै.अ.प्र.प. के शैक्षिक सहयोग से राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूली पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करने के ठोस प्रयास करता रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस देश में तैयार की गई पाठ्यचर्या राष्ट्र की सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा परिस्थिति की विविधता को परिलक्षित करने के लिए साथ-साथ उसमें ऐसी कोई समाग्री अथवा दृष्टिकोण न रहे जो सीधे या परोक्ष रूप से हमारे स्कूली छात्रों के संस्कार युक्त मस्तिष्कों में छुआछूत, वर्गभेद क्षेत्रीयबाद जातीयता तथा साम्प्रदायिकता उत्पन्न करने में सहायक हो। उन स्थितियों में जहां रा.शै.अनु.प्र.प. की पाठ्यपुस्तकें बिना किसी परिवर्तन के अपनाई नहीं गयी हैं अथवा जहां रा.शै.अनु.प्र.प. से इतर संगठनों द्वारा मुद्रित पाठ्पुस्तकें उपयोग में लाई जा रही है, राज्यों/संघाशसित क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाने वाली पाठ्पुस्तकों को शामिल करके राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूली पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करने के इस कार्यक्रम के दो विशिष्ट चरणों को पूरा कर लिया गया है। रा.शै.अनु.प्र.प. ने पाठ्पुस्तकों के निर्माण और विकास की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में पाठ्यपुस्तकों का सतत् मूल्यांकन करने के लिए अंतर्निहित पद्धति स्थापित करने की जो सलाह राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को दी थी वह समय की कसौटी पर सही उतरी है।

5.11.2 संशोधित पाठ्यचर्याओं के अधार पर नई पाठ्यपुस्तकों के साथ ही साम्प्रदायिक सौहार्द्र, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दृष्टि से इन पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने का एक अन्य कार्यक्रम शुरु करने की आवश्यकता महसूस की गई थी और 1989-90 के दौरान एक नवीन कार्यक्रम शुरू किया गया था। राष्ट्रीय शै०अनु०प्र०प० द्वारा समन्वित और निरीक्षण किए जाने वाले इस नवीन कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए अभी अभी राष्ट्रीय स्तर पर एक संचालन समिति गठित की गई है। इस नवीन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय एजेंसियों तथा निजी प्रशासकों द्वारा प्रकाशित और सभी प्रकार के प्रबंधाधीन स्कूलों में उपयोग लाई जा रही पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन किया जाएगा।

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

5.12.1 शिक्षकों के सम्मान को बढ़ाने तथा उत्कृष्ट योग्यता वाले शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता देने के उद्देश्य से शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना वर्ष 1958 में शुरू की गई थी। वर्ष 1965 तक इस योजना में प्राथमिक मिडिल माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों के ही शिक्षकों को शामिल किया गया था। वर्ष 1967 से संस्कृत पाठशालाओं और टोल्स के शिक्षकों को भी शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया गया। वर्ष 1976 से पारंपरिक ढंगों पर चल रहे मदरसों के फारसी / अरबी शिक्षकों को भी शामिल करने के लिए इसका दायरा और भी बढ़ा दिया गया। केन्द्रीय विद्यालयों तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) के सम्बद्ध स्कूलों के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों में से प्रत्येक के लिए एक पुरस्कार आबंटित किया गया है।

5.12.2 किसी राज्य को आबंटित पुरस्कारों की संख्या शिक्षकों की संख्या पर निर्भर करती है। फिर भी प्रत्येक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के संवर्ग के लिए तथा माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए कम से कम एक-एक पुरस्कार का अधिकारी है। वर्ष 1988 से पुरस्कारों की संख्या पिछले वर्षों की संख्या 186 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। इनमें से 272 पुरस्कार राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए तथा चार-चार पुरस्कार केन्द्रीय विद्यालय संगठन और सी० बी० एस० ई० से सम्बद्ध स्कूलों में से प्रत्येक के लिए है। 15 पुरस्कार संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों के लिए तथा 5 पुरस्कार पारंपरिक ढंगों पर चल रहे मदरसों के अरबी / फारसी शिक्षकों के लिए है। संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षकों तथा पारंपरिक ढंग पर चल रहे मदरसों के अरबी / फारसी शिक्षकों के लिए, उनकी संख्या सीमित होने के कारण, पुरस्कारों का राज्यवार आबंटन नहीं है।

5.12.3 वर्ष 1990 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए दो सौ अड़सठ शिक्षकों का चयन किया गया है जिसमें से 157 प्राइमरी स्कूल शिक्षक, 101 माध्यमिक स्कूल शिक्षक तथा दस शिक्षक पारंपरिक ढंगों पर चल रहे संस्कृत / अरबी पाठशालाओं के है। प्रत्येक पुरस्कार में एक योग्यता प्रमाण पत्र, चांदी का एक मेडल तथा 5,000 रु० का नकद पुरस्कार शामिल होता है।

स्कूल शिक्षा से क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम

5.13.1 कार्यक्रम का कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एन० सी० ई० आर० टी० और राज्य सरकारों से परामर्श लेकर किया जा रहा है।

5.13.2 इस वर्ष के दौरान कोई प्रतिनिधि मंडल / शिष्टमंडल विदेश नहीं भेजा गया।

5.13.3 वर्ष 1990-91 के दौरान 1.86 लाख रु० का बजट प्रावधान किया गया था जिसे अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलिंपिकयाड में भारतीय स्कूल छात्रों के भाग लेने पर खर्च कर दिया गया है।

राष्ट्रीय खुला विद्यालय

5.14.1 स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों, कार्यरत वयस्कों, घर गृहस्थी सम्हालने वाली महिलाओं तथा समाज के अन्य सामाजिक रूप से गैर लाभान्वित वर्गों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सी० बी० एस० ई० ने जुलाई, 1979 में एक खुला विद्यालय की स्थापना की। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम

से खुला विद्यालय माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं के लिए ब्रिज (तैयारी परक) पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर इसके व्यापक कार्य क्षेत्र के लिए इसे सी॰ बी॰ एस॰ ई॰ से अलग करते हुए राष्ट्रीय खुला विद्यालय के एक पूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में इसका दर्जा बढ़ा दिया गया और इसके लिए राष्ट्रीय खुला विद्यालय (एन॰ ओ॰ एस॰) समाज के नाम से दिनांक 23.11.89 को एक स्वायत्त संगठन को पंजीकृत किया गया। इस स्वायत्त संगठन को शिक्षा विभाग से योजना और गैर योजना के अंतर्गत सहायक अनुदान मिल रहा है और यह इसी विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है।

5.14.2 एन॰ ओ॰ एस॰ ने कुछ सामग्री दी है जिसे राज्यों में स्थापित किए जाने वाले पत्राचार दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की जरूरतों के लिए आसानी से अपनाया जा सकता है। सही मायने में वयस्क विद्यार्थियों (खुला विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत उम्र 20 से अधिक है) को शिक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए वर्तमान समय में लगभग 150 अधिकृत संस्थान पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। इन अधिकृत संस्थानों को पहले अध्ययन केन्द्र के नाम से जाना जाता था।

5.14.3 वर्ष 1990-91 के दौरान एन॰ ओ॰ एस॰ ने दाखिले की अपनी प्रक्रिया में संशोधन किया। वर्ष में जहां अब तक दो बार नामांकन करवाना पड़ता था अब एक बार ही करवाना पड़ता है। वर्ष 1990-91 के दौरान न केवल 40,000 नामांकनों के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया गया बल्कि देश के विभिन्न भागों से 42,000 विद्यार्थियों का नामांकन कर इस लक्ष्य से अधिक की उपलब्धि हासिल की गई। अधिकृत संस्थानों के माध्यम से पंजीयन का कार्य करवाते हुए इस कार्य का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। पंजीकरण को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से एन॰ ओ॰ एस॰ कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार किया गया। औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा के प्रसार में संलग्न विभिन्न एजेंसियों को एन॰ ओ॰ एस॰ योजना की प्रमुख विशेषताओं से भरी प्रचार सामग्री भेजी गई।

5.14.4 20 अक्तूबर, 1990 को भारतीय राजपत्र में भारत सरकार का एक प्रस्ताव प्रकाशित हुआ, जिसमें एन॰ ओ॰ एस॰ को अपनी परीक्षाएं खुद संचालित करने और उसके प्रमाण पत्र देने का अधिकार दिया गया।

15 जनवरी, 1991 से एन॰ ओ॰ एस॰ ने अपनी सेकेंडरी / सीनियर सेकेंडरी परक्षाओं का संचालन स्वयं प्रारंभ कर दिया है। ए॰ आई॰ से संबंधित विद्यार्थियों में वितरण हेतु पठन सामग्री पर ए॰ आई॰ को प्रायः डाक द्वारा भेजी जाती है। तथापि कुछ विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री व्यक्तिगत तौर पर भी भेजी जा रही है। नामांकित विद्यार्थियों के व्यक्तिगत डाटा कार्ड्स, विषय कोड, फीस भुगतान की जांच इत्यादि जैसे परीक्षा विषयक विभिन्न कार्य तथा प्रवेश वैधता सूचांक पांच वर्ष के लिए परिचय पत्रों को जारी करना, जो परीक्षा हाल में प्रवेश पत्र के रूप में भी कार्य आते हैं, जैसे काम कंप्यूटरीकृत कर दिए गए हैं।

5.14.5 वर्ष 1991-92 के दौरान नामांकन के 60,000 तक (सेकेंडरी में 36,000 तथा सीनियर सेकेंडरी 24,000) पहुँच जाने की संभावना है। पाठ्य सामग्री का प्रेषण तथा एन॰ ओ॰ एस॰ का लेखा / प्रशासन कार्य कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। वर्ष 1991-92 में और अधिक ए॰ आई॰ की पहचान की जाएगी। सेकेंडरी पाठ्यक्रम और ब्रिज पाठ्यक्रमों की पाठ्य सामग्री पुनर्शोधित की जाएगी। एन॰ ओ॰ एस॰ का प्रस्ताव है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अनेक विकल्पों वाले प्रश्नों का एक सेट तैयार किया जाए। ए॰ आई॰ द्वारा सभी सेकेंडरी / सीनियर सेकेंडरी विद्यार्थियों हेतु प्रत्येक विषय में 20 पीरियडों का एक व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट सभी विद्यार्थियों के लिए अनेक विकल्पों वाले प्रश्न पद्धति से आंतरिक मूल्यांकन हेतु एक परीक्षा आयोजित की जाएगी और मूल्यांकन कार्य एन॰ ओ॰ एस॰ के पास मौजूदा आप्टीकल मार्क रीडर द्वारा किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के 20% अंक अंतिम परीक्षा में जोड़ दिए जायेंगे। दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं के कार्यालयी प्रशासन कार्यों में आधुनिक तकनीक के प्रयोग का एन॰ ओ॰ एस॰ कर्मचारियों को परिचय प्रदान करने के लिए दो "ओरिएंटेशन प्रोग्राम" आयोजित किए जाएंगे।

5.14.6 वर्ष 1990-91 के दौरान 80 लाख रुपये (योजना-गत) बजट प्रावधान रखे गए थे जिसमें से 77.87 लाख रुपये स्वीकृत किए गए और 75 लाख रुपयों के (योजनेतर) प्रावधानों में से लगभग पूरी की पूरी राशि ही स्वीकृत की गई।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

5.15.1 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम ××1(1860) के अंतर्गत पंजीकृत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन दिनांक 1 सितंबर, 1961 को अपने प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य के रूप में स्कूल और शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए किया गया था। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰ नई दिल्ली मुख्यालय स्थित एन॰ आई॰ ई॰ विभागों और सी॰ आई॰ ई॰ टी॰, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों तथा संपूर्ण देश, अधिकतर राज्यों की राजधानियों में स्थित सत्रह फील्ड कार्यालयों सहित विभिन्न घटकों के माध्यम से अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण तथा शैक्षिक जानकारी के प्रचार और प्रसार से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

5.15.2 वर्ष 1990-91 के दौरान राज्यों में केन्द्र प्रायोजित स्कूल सुधार से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन सहित स्कूल और शिक्षक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दीर्घकालीन और संगठित प्रयास किए गए थे।

5.15.3 एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰ ने शिक्षा क्षेत्र में यूनिसेफ की सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, "मध्य

D-6522
2-12-91

प्रदेश और उ० प्र० में प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में उन्नत विज्ञान शिक्षा" के नाम से इंडो-एफ० आर० जी० परियोजना से संबंधित कार्यकलापों को समन्वित करने और उनको मानीटर करने का कार्य निरंतर जारी रखा। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ फील्ड कार्यालयों और क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों के माध्यम से तथा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में शिक्षा विभाग / निदेशालयों, एस० आई० ई० आर० टी० तथा इसी तरह की अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग करते हुए निकट का संपर्क रखा गया।

5.15.4 वर्ष 1990-91 के दौरान एन० सी० ई० आर० टी० के कार्य की विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित मुख्य उपलब्धियां थीं:—

प्रारंभिक शिक्षु देखरेख एवं शिक्षा
(ई०सी०सी०ई०)

5.15.5 एन० सी० ई० आर० टी० ने देश में प्रारंभिक शिक्षु देखरेख एवं शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों को आगे बढ़ाया। प्रारंभिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के लिए ग्रीष्म अवकाश संवर्द्धन कार्यक्रम दिल्ली नगर निगम के सहयोग से आयोजित किए गए। बच्चों के मीडिया प्रयोगशाला कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल पूर्व तथा प्रारंभिक स्तरों पर शिक्षा प्रक्रिया के बाल केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों को आपूर्ति किए जाने वाले साधन / सामग्री के इस्तेमाल से संबंधित विषयों पर विडियो केसेट तैयार किए गए। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभिभावक शिक्षक सहयोग से संबंधित एक ए० पी० ई० आई० डी० (विकास के लिए शैक्षिक परिवर्तन का एशिया और पैसिफिक कार्यक्रम) परियोजना पर अमल किया गया जिसमें अभिभावक शिक्षक सहयोग प्रचलनों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने तथा उसके प्रभावी प्रबंध में उसके योगदान का गहराई से विवेचन कर मूल्यांकन किया गया। यह अध्ययन बैंकाक स्थित यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रायोजित था।

5.15.6 स्कूल पूर्व कार्यक्रम पर शिक्षकों / शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अनुदेश संबंधी सामग्री को अंतिम रूप दिया गया तथा खेल सामग्री के उपयोग पर एक पुस्तिका प्रकाशित की गई। स्वैच्छिक संगठनों के अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुदान दिए गए थे।

प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण

5.15.7 परिषद् ने पाठ्यचर्या के नवीकरण विशेषकर बालकों के अलग-अलग वर्गों की आवश्यकताओं और उसके आस-पास के विषयों से संबंधित शैक्षिक सामग्री के विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किए और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना जारी रखा। कक्षा 1 से 5 तक विकसित की गई पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा की गई और संशोधन किया गया। कला शिक्षा में एस०आई०ई०/राज्य शै०अनु०प्रशि० परिषदों के विषय विशेषज्ञों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के कार्यक्रमों से सम्बद्ध संलग्न स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच (केप) परियोजना के अंतर्गत तैयार किए गए आठ प्रश्न-पत्रों के एक सैट, जिसमें चार हिंदी में थे और सात गणित में, का मुद्रण किया गया और अध्ययन केन्द्रों में अध्ययनरत शिक्षुओं के मूल्यांकन के लिए उन्हें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में भेजा गया।

5.15.8 सुसाधकों को मौके पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए "केप" शिक्षा केन्द्रों को शैक्षिक और तकनीकी सहायता प्रदान की गई। अगली 1990-95 की प्रमुख कार्य योजना में कार्यान्वित किए जाने के लिए, मानव संसाधन विकास की गहन क्षेत्र शिक्षा परियोजना (ए०आई०ई०पी०) के लिए परियोजना दस्तावेज तैयार करने हेतु भी शैक्षिक सहायता प्रदान की गई।

5.15.9 पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अध्ययन को अधिक रूचिकर बनाने और इसे युवा शिक्षुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए खिलौनों की उपयोगिता को बढ़ावा देने हेतु खिलौना प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं।

5.15.10 प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए एक विशेष नीति के रूप में अनौपचारिक शिक्षा की कल्पना की गई थी। शैक्षिक रूप से पिछड़े दस राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा के कार्यकर्ताओं की योग्यताएं बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरु किया गया था। सात अलग-अलग भाषाओं, यथा असमी, बंगला, हिंदी, मणिपुरी, उड़ीया, तेलुगु और उर्दू में चार प्रशिक्षण मैनुअल का एक सैट तैयार किया गया और सभी सम्बद्ध कार्यक्रमों में बाँटा गया। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा और राजस्थान में प्रमुख व्यक्तियों, परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और अनुदेशकों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है।

5.15.11 अनौपचारिक शिक्षा (III सत्र) के लिए शैक्षिक सामग्री तैयार की गई जिसमें आठ कॉमिक पुस्तकें, 22-स्व-अध्ययन चार्ट और पैकेज के रूप में पाठ्य सामग्री शामिल थी। माध्यमिक स्तर के लिए गणित की पुस्तक II और III को भी अंतिम रूप दिया गया था। राज्य में सृजित किए गए मानव संसाधनों को अद्यतन बनाने और उन्हें नवीकृत करने के लिए पहले से प्रशिक्षित प्रमुख व्यक्तियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा के बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए निर्माण एवं शैक्षिक सामग्री के लिए प्रशिक्षण मैनुअल भी तैयार किए गए। प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षुओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए यंत्रों के एक सैट को भी अंतिम रूप दिया गया था। अनौपचारिक शिक्षा के प्रणाली-विज्ञान में प्रयोग करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के सहयोग से तीन

क्षेत्रीय स्टेशनों की स्थापना की गई। प्रशिक्षण, शिक्षण अध्ययन सामग्री को तैयार करने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और स्वैच्छिक एजेंसियों को रा०शै०अनु०प्रशि० परिषद् द्वारा परामर्श सेवाएं प्रदान की गई। परिषद् विभिन्न स्वैच्छिक एजेंसियों से भी सहयोग कर रही है और इसमें अनौपचारिक शिक्षा में नव-परिवर्तनों पर चार कार्यशालाएं आयोजित कीं।

5.15.12 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के छात्रों, अनुदेशकों और पर्यवेक्षकों के लिए सामाजिक, भावात्मक और राष्ट्रीय एकता से जुड़ी अनुपूरक पाठ्य सामग्री तैयार की गई। स्तर III और IV पर अनौपचारिक शिक्षा के बच्चों की उपलब्धियों में सहायता के लिए एक यंत्र एवं तकनीकें तैयार कीं गई।

स्कूल स्तर पर शिक्षा की विषय-वस्तु और प्रक्रिया का दिशानिर्धारण

5.15.13 भाषाओं, सामाजिक विज्ञानों और वाणिज्य की पाठ्यपुस्तकों का विकास जारी रहा। पाठ्यपुस्तकों और शिक्षक गाइड की पाण्डुलिपियों की समीक्षा करने तथा उन्हें अंतिम रूप देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई। +2 स्तर पर अध्ययन के विकास से संबंधित कार्यकलाप पूरे किए गए। दूसरी भाषा के रूप में कक्षा VI और XI में हिन्दी को शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तकों हेतु भाषा-विज्ञान विषयक विषयवस्तु के चयन, "योग" पर शैक्षिक सामग्री के विकास और "रीडिंग टु लर्न सीरीज" के अंतर्गत सामग्री के विकास का कार्य पूरा किया गया।

5.15.14 डा० अम्बेडकर की जन्मशती मनाने के लिए आयोजित कार्यकलापों के एक भाग के रूप में "शिक्षा पर डा० अम्बेडकर के विचार और चिंतन" विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार

5.15.15 कक्षा XII की जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकविज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की पाण्डुलिपियों के हिंदी रूपांतर का कार्य शुरु किया गया। पटना में दिसम्बर 1990 के मध्य में बच्चों के लिए जवाहरलाल नेहरु विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। भौतिकी में कम्प्यूटर गणितीय ग्राफिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सामग्री तैयार की गई। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई। सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी स्तर की पाठ्यपुस्तकों सहित रसायनशास्त्र की पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के लिए गहन अध्ययन किया गया। उच्च-प्राथमिक, सेकेण्डरी और सीनियर सेकेण्डरी स्तर पर गणित की पाठ्य सामग्री के मूल्यांकन के लिए गहन अध्ययन किया गया।

5.15.16 कक्षा VIII के लिए विज्ञान की अभ्यास पुस्तिका, स्कूल विज्ञान प्रयोगशाला के लिए प्रोटो-टाइप (interfaces) सेकेण्डरी और सीनियर सेकेण्डरी स्तर की गणित की शिक्षक गाइड, सीनियर सेकेण्डरी स्तर पर "कम्प्यूटिंग इंट्रोड्यूज" गणित पाठ्यवस्तु से सम्बद्ध अनुपूरक सामग्री, सेकेण्डरी और सीनियर सेकेण्डरी स्तरों पर नई पाठ्यपुस्तक सामग्री में सम्बद्ध विषयों का शिक्षण आरंभ करने के लिए कम्प्यूटर साफ्टवेयर और उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान में प्रक्रिया पर आधारित शिक्षा संबंधी कार्यकलाप विकसित करने के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए गए।

स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता और शिक्षा

5.15.17 रा०शै०अनु०प्रशि०परि० ने स्कूलों (क्लास) में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय तकनीकी और अनुश्रवण एजेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखा। "क्लास" परियोजना के अंतर्गत शिक्षकों के उन्नत स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि उनकी योग्यताओं को बढ़ाकर मूल भाषा में कार्यक्रम चलाए जा सकें।

5.15.18 "आधुनिक जीवविज्ञान और जीव-प्रौद्योगिकी के शिक्षण को सहायक के रूप में कंप्यूटर की मदद से सुदृढ़ करना" नामक परियोजना भी समन्वित की जा रही है। इस परियोजना को बायोटेक्नोलोजी विभाग द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है। पहले चरण में दिसम्बर, 1990 और जनवरी, 1991 के दौरान पचास परियोजना स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षकों के लिए अध्ययन गाइड पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। आने वाले दो वर्षों में, उच्च स्तरीय कार्यक्रमों सहित बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत, साफ्टवेयर के विकास का कार्य शुरु कर दिया गया है। यह तीव्र गति पर जारी रहेगा।

5.15.19 शिक्षा में कंप्यूटर के प्रयोग के लिए शिक्षकों/स्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने हेतु अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई।

शिक्षा का व्यावसायीकरण

5.15.20 हायर सेकेण्डरी स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से सम्बद्ध कार्यकलाप जारी रहे। शिक्षा के व्यावसायीकरण से संबंधित विषयों पर ई०टी०वी० के सहयोग से शुरु किए गए दृश्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया। सेकेण्डरी स्कूल शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु सात राज्यों में अध्ययन किया गया। रेलवे व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या के विकास हेतु और रेलवे में सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करने हेतु भारतीय रेल के सहायता प्रदान की गई। व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए राज्यों में विशेषज्ञ भी भेजे गए। ये कार्यकलाप 1991-92 में भी जारी रहेंगे।

शिक्षक शिक्षा

5.15.21 रा०शै०अनु०प्रशि०परि० ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के सचिवालय के रूप में कार्य करना जारी रखा। सेवाकालीन शिक्षा और शिक्षकों के प्रारंभिक सेकेण्डरी और सीनियर सेकेण्डरी स्तर पर प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखाएं तथा मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिक्षक शिक्षा में शोध के क्षेत्रों का पता लगाने, चुनिन्दा क्षेत्रों में शोध डिजाइनों के विकास का कार्य जारी रहा। क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों ने बी०ए०बी०एड० अथवा बी०एस०सी०, बी०एड० की डिग्री प्रदान करने वाला चार वर्षीय समन्वित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जारी रखा। भुवनेश्वर और मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में दो वर्षीय एम०एस०सी०, एम०एड० पाठ्यक्रम भी जारी रखे गए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

5.15.22 क्षेत्रीय आलेखों में आठ आदिवासी कालेजों में संस्थागत सामग्री विकसित की गई। अनुसूचित जाति के सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी पर पाठ्य सामग्री तैयार की गई और डा० बी०आर० अम्बेडकर के जन्मशताब्दी समारोहों के एक भाग के रूप में अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर व्याख्यात्मक ग्रंथसूचियां तैयार की गई थीं। शिक्षा से संबंधित डा० अम्बेडकर के चिंतन पर एक संग्रह भी तैयार किया गया था। अनु०जाति/अनु०जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना का मूल्यांकन किया गया था।

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा

5.15.23 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के शिक्षकों की शिक्षण योग्यताएं बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय संसाधन केन्द्रों की योजना जारी रही। कुछ चुने हुए अल्पसंख्यक स्कूलों में रा०शै०अनु०प्रशि० परिषद् द्वारा प्रदत्त जीवनवृत्ति मागदर्शिका निवेश की उपयोगिता की स्थिति की जाँच करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन पूरा किया गया।

5.15.24 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मंत्रालय की सहायता की गई थी।

महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा

5.15.25 शहरी निम्न इलाकों में शैक्षिक संस्थाओं द्वारा लड़कियों के नामांकन अवधारण और विकास के लिए अपनाए गए उपायों की सूक्ष्म रूप से जांच करने का कार्य पूरा किया गया था।

5.15.26 महिला शिक्षा और विकास में एक सात सप्ताह का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। जन-प्रचार माध्यमों द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्रों में शिक्षा का संदेश पहुंचाने और लड़कियों के विकास के लिए राज्य स्तर के प्रमुख संसाधन व्यक्तियों को उन्मुख करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। महिलाओं की समानता पर मातृभाषा (हिन्दी) में उदाहरणार्थ सामग्री के एक भाग के रूप में पहले विकसित किए गए पैंतीस आलेखों का संपादन किया गया था और उन्हें अंतिम रूप दिया गया था। भारत में लड़कियों और महिलाओं की व्यावसायिक, तकनीकी और जीवन निर्वाह संबंधी शिक्षा में सुधार करने के उपायों का अध्ययन पूरा किया गया था।

विकलांग शिक्षा

5.15.27 "यूनिसेफ" द्वारा सहायता प्रदत्त परियोजना "विकलांगों के लिए समन्वित शिक्षा" शहरी निम्न इलाकों में भी पहुंचाई गई थी। भोपाल, बड़ौदा और दिल्ली में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को इस ओर उन्मुख किया गया था। महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु के उन सहभागियों के लिए एक अन्य दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिन्हें आई०ई०डी०सी० और विकलांगों के लिए समन्वित शिक्षा (पी०आई०ई०डी०) परियोजना के विभिन्न पहलुओं की ओर उन्मुख किया गया था।

5.15.28 विकलांगों की शिक्षा के लिए एक मिश्रित किट तैयार करने हेतु वस्तुएं चुनने के लिए एक प्रदर्शनी-एवं-समिति की बैठक आयोजित की गई। जुलाई, 1990 में कार्डिफ, साउथ वेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विशेष शिक्षा सम्मेलन के पूरे सत्र में "सामान्य शिक्षा की विशिष्ट आवश्यकताएं" पूरी करने के लिए एक डिजाइन माडल प्रस्तुत किया गया था।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता

5.15.29 ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम विकसित किए गए और पूरे वर्ष सप्ताह में 5 दिन "इनसैट" सुविधाओं द्वारा प्रसारित किए गए।

5.15.30 एम०एड० स्तर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंधित "माडल कोर्स" तैयार किया गया। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम कार्यक्रम का विकास कार्य पूरा किया गया था।

5.15.31 संस्थान के पास उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सी०आई०ई०टी० के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई थी। स्कूल मार्गदर्शन में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए दूरस्थ अध्ययन प्रणाली लागू करने का प्रयास किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से पाठ्यक्रम की योजना तैयार की गई थी और स्कूल मार्गदर्शन में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के लिए सामग्री तैयार की गई थी।

नवोदय विद्यालयों को तकनीकी सहायता

5.15.32 प्रवेश परीक्षा 1991 की तैयारी की एक भाग के रूप में नवोदय विद्यालयों के जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों के लिए दस अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। परीक्षा सामग्री भी दौबारा तैयार की गई थी। इसके अलावा मार्च में हुई प्रवेश परीक्षा 1990 के परिणाम और मई तथा जुलाई 1990 में हुई अनुपूरक परीक्षाओं के परिणाम की जांच की गई और उनकी घोषणा की गई।

शैक्षिक सर्वेक्षण

5.15.33 पांचवीं अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण की मुख्य रिपोर्ट मुद्रणाधीन है। वर्ष के दौरान एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। रिपोर्ट में स्कूल शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आंकड़े दिए गए हैं।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज

5.15.34 रा०शै०अनु०प्रशि० परिषद ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए देशभर में फेले तीस केन्द्रों में द्वितीय स्तर की परीक्षा (प्रथम स्तर की परीक्षा-राज्यों-संघ क्षेत्रों द्वारा आयोजित की गई थी) आयोजित की। परीक्षा में बैठे 3066 छात्रों में से 750 छात्रों को (70 अनु०जा०/अनु०जन०जा० सहित) छात्रवृत्ति के लिए चुना गया था।

शिक्षा मनोविज्ञान, परामर्श और मार्गदर्शन

5.15.35 परिषद ने शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में अपना 9 माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम जारी रखा। वाल्यकाल और किशोरावस्था के क्षेत्रों में शोध में आने वाले अन्तरालों का पता लगाने के लिए एक शोध सेमिनार आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक और मनोविज्ञान परीक्षा पुस्तकालय की केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई ताकि इन क्षेत्रों में और अधिक विकास कार्य के संबंध में दिशानिर्देश दिए जा सकें। मार्गदर्शन पाठ्यक्रम का बड़ी संख्या में स्कूल शिक्षकों और अभिभावकों तक विस्तार करने के लिए दूरस्थ शिक्षा की कार्यपद्धति का उपयोग करने के उपाय किए गए थे। व्यवहार परिशोधन में विकास और प्रशिक्षण कार्यकलाप जारी रहे। स्व-विकास और कार्योन्मुखता को अधिकतम बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन निवेश भी जारी रहे।

शैक्षिक शोध की प्रौन्नति

5.15.36 शिक्षा में शोध के पांचवे सर्वेक्षण से संबंधित कार्य को संस्थागत रूप दिया गया था। रा०शै०अनु०प्रशि० परि० में तथा देश की अनय संस्थाओं के सहयोग से शोध कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए थे।

5.15.37 शोध उपलब्धियों को लोकप्रिय बनाने तथा स्कूलों में शिक्षण अध्ययन कार्यकलापों में उनकी उपयोगिता के संबंध में "व्हाट रिसर्च सेज टू टीचर्स" के अंतर्गत कई प्रकाशन कार्य आरंभ किए गए। "भारतीय शिक्षा का विश्वकोश" प्रकाशित करने के लिए तैयारियां की गई थीं।

प्रकाशन और प्रसार

5.15.38 रा०शै०अनु०प्रशि०परि० का एक प्रमुख कार्यकलाप पाठ्यपुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं, शिक्षक मैनुअलों, अनुपूरक रीडरों, शोध मोनाग्राफों, पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन करवा रहा है। अप्रैल से नवम्बर, 1990 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 198 प्रकाशन निकाले गए थे। इनमें 40 नई पाठ्यपुस्तकें, 116 पाठ्यपुस्तकों के पुर्नमुद्रण, 33 अन्य प्रकाशन और रा०शै०अनु०प्रशि०परि० द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के 9 अंक शामिल हैं। रा०शै०अनु०प्रशि०परि० ने दो पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भी भाग लिया। वर्ष 1990-91 के बाकी हिस्से के दौरान 120 और प्रकाशन निकालने की संभावना है।

प्रलेखन और सूचना सेवाएं

5.15.39 परिषद ने प्रलेखन तथा सूचना सेवाओं के माध्यम से रा०शै०अनु०प्रशि०परि० की विभिन्न संघटक इकाइयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं के शोध एवं विकास कार्यकलापों को सहायता देना जारी रखा। इसने स्कूलों के पुस्तकाध्यक्षों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के पुस्तकाध्यक्षों के लिए अनुस्थापन/प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

5.15.40 रा०शै०अनु०प्रशि० परिषद के स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करना जारी रखा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रा०शै०अनु०प्र०परि० ने कुछ देशों को शैक्षिक सामग्री भेजी और कुछ देशों से यह सामग्री प्राप्त की। रा०शै०अनु०प्रशि०परि० के संकाय सदस्यों ने यूनेस्को द्वारा प्रायोजित पांच परियोजनाओं/अध्ययनों/कार्यक्रमों में भाग लिया। रा०शै०अनु०प्रशि०परि० ने एशिया और प्रशान्त शिक्षा परिवर्तन विकास कार्यक्रम के संबंद्ध केन्द्र के रूप में और भारतीय राष्ट्रीय विकास दल के सचिवालय के रूप में प्रमुख कार्य किया। रा०शै०अनु०प्र०परि० ने यूनेस्को के प्रायोजित औचमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ अन्य देशों के फैलोज को आवश्यक प्रशिक्षण/मार्गदर्शन भी प्रदान किया।

क्षेत्रीय सेवाएं

5.15.41 रा०शै०अनु०प्रशि०परि० के क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकरण का पुर्नगठन किया गया ताकि देश में स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार लाने जैसे रा०शै०अनु०प्रशि० परिषद के प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये कार्यकलाप रा०शै०अनु०प्रशि०परि०/मंत्रालय/राज्य सरकारों और राज्य एजेंसियों के बीच संप्रेषण की प्रभावशाली कड़ी बन सकें। सभी 17 क्षेत्रीय कार्यालयों ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति परीक्षा और साक्षात्कारों के प्रशासन, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षाओं और राज्य तथा राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए शिक्षकों के चयन में भी सहायता प्रदान की।

5.15.42 रा०शै०अनु०प्रशि०परि० का वर्ष 1990-91 का बजट योजनागत 3.50 लाख था और योजनेत्तर 22.77 लाख रुपये था। योजनागत के अधीन 350.00 लाख रुपए और योजनेत्तर के अधीन 2173.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

5.16.1 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना 1962 में पूर्व अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 के अंतर्गत की गई थी।

5.16.2 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान से शिक्षकों/आश्रितों की निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है:—

— उन प्रख्यात शिक्षकों को सवेतन छुट्टी जिन्होंने प्रशंसनीय सेवा की है।

— स्कूल शिक्षकों के बच्चों की व्यवसायिक शिक्षा के लिए सहयोग।

— गंभीर बीमारियों से ग्रस्त शिक्षकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति।

— शिक्षकों को शैक्षिक कार्यकलापों के लिए आर्थिक सहायता।

5.16.3 उपयुर्क्त के अलावा, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक भौगोलिक रूचि के स्थानों में शिक्षक सदनों के निर्माण के लिए राज्य इकाइयों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। जहां देश के विभिन्न भागों के शिक्षक जा सकें और अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें।

5.16.4 वर्ष के दौरान 30,98,495 रु० की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:—

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभान्वितों/राज्य इकाइयों की संख्या	जारी की गई वित्तीय सहायता
1.	सुविख्यात शिक्षकों को सवेतन छुट्‌टी	6 शिक्षक—3 राजस्थान से 2 केरल से और 1 आन्ध्र प्रदेश से	9,916 रुपये
2.	स्कूली शिक्षकों में बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता	142 शिक्षक—110 महाराष्ट्र से और 32 तमिलनाडु से	2,96,595 रुपये
3.	गंभीर बीमारियों से ग्रस्त शिक्षकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति	6 शिक्षक—2 आन्ध्र प्रदेश से और 4 केरल से	41,984 रुपये

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभान्वितों/राज्य इकाइयों की संख्या	जारी की गई वित्तीय सहायता
4.	शिक्षक सदन	2 राज्य (1) आन्ध्र प्रदेश तीन स्थानों पर जैसे आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ	22,50,000 रुपये
		(II) केरल (त्रिवेन्द्रम) यह पहली किश्त है	5,00,000 रुपये
		योग	30,98,495 रुपये

प्रतिष्ठान प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ तीन शिक्षकों को प्रो०डी०सी० शर्मा स्मारक पुरस्कार भी देता है।

5.16.5 वर्ष 1990 के लिए पुरस्कार हेतु निम्नलिखित तीन शिक्षकों का चयन किया गया है:—

(I) श्री ए० रामोशर्मा
प्रधानाध्यापक,
जेड०पी०पी० उच्च विद्यालय,
इप्पीली,
जिला: शीकाकुलम (आ०प्र०)

(II) श्री ए० सिलीयाना,
मुख्य अध्यापक,
डर्टलैंड प्राथमिक विद्यालय,
ऐजवाल (मिजोरम)

(III) श्री जी० शिवशषमुगम
प्रधानाध्यापक
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
कात्रन कूरिची,
सालेम (तमिलनाडु)

5.16.6 प्रतिष्ठान के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस आयोजित किया जाता है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षक दिवस का पोस्टर तैयार करने के लिए शिक्षकों के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 107 शिक्षकों से प्रतिष्टियां प्राप्त हुई। निम्नलिखित तीन शिक्षकों को 12000/- रु० का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

(I) श्री बासवराज सूर्यकान्त शरणार्थी, — 5000/- रु०
रोजर्स अंग्रेजी माध्यम स्कूल,
शोलापुर (महाराष्ट्र)।

(II) श्री एस० चटर्जी,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
बैरकपुर,
24 परगना (उत्तरी) पश्चिमी बंगाल।

(III) श्री एस०आर० दत्ता, — 2000/- रु०
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
किदवई नगर,
नई दिल्ली।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

5.17.1 पाठ्यचर्या की सामान्य समीक्षा एवं माध्यमिक तथा सीनियर स्कूल दोनों स्तरों पर परीक्षाएं आयोजित किए जाने के अलावा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 1990-91 के दौरान निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रम शुरु किए।

भावी अभिनव कार्य

5.17.2 वर्ष 1990-91 के दौरान बोर्ड ने अनेक भावी कार्यों की योजना तैयार की है। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किए जा रहा है:—

स्कूलों को स्वायत्तता प्रदान करना

5.17.3 बोर्ड के शासी निकाय ने कुछ निश्चित शर्तों के तहत उन स्कूलों को स्वायत्तता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है जो स्थायी रूप से बोर्ड से संबद्ध हैं। तथापि शुरुआत में इसे सिर्फ शैक्षिक स्वायत्तता तक ही सीमित रखा जाएगा। इसके अंतर्गत वे स्कूल स्वायत्तता के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो परीक्षाएं अथवा पाठ्यचर्या या दोनों ही आयोजित करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड से संबद्ध स्कूल भविष्य में निम्नलिखित श्रेणियों में रखे जाएगें।

(क) वे सकूल जो बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षाएं एवं पाठ्यचर्या दोनों अपनाते है (विधि i)

(ख) वे स्कूल जो बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का पालन करते हैं किन्तु अपनी परीक्षाओं की रूप रेखा स्वयं तैयार करते है (विधि ii)

(ग) वे स्कूल जो अपनी पाठ्यचर्या स्वयं तैयार करते है किन्तु परीक्षाएं बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने के लिए छोड़ देते है (विधि iii)

(घ) वे स्कूल जो अपनी पाठ्यचर्या एवं परीक्षाओं की रूपरेखा स्वयं तैयार करने है (विधि iv)

स्कूलों से प्राप्त अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है। तथापि, इन स्कूलों को स्वायत्तता देने के संबंध में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

परीक्षाओं में न्यूनतम कदाचार माडल:

5.17.4 बोर्ड के शासी निकाय ने परीक्षाओं में बढ़ते हुए अनुचित साधनों के रयोग से निपटने के लिए परीक्षाओं के एक अभिनव माडल को स्वीकृति दे दी हैं जिसे परीक्षाओं में न्यूनतम कदाचार माडल के नाम से जाना जाएगा। यह इस अवधारणा पर आधारित है कि स्कूल द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम अनुचित साधनों से मुक्त होता है और स्कूल द्वारा दिए गए अंकों में थोड़े बहुत सुधार की करने के बोर्ड के पास साधन और शक्तियां हैं। तदनुसार, परीक्षाओं को दो चरणों में आयोजित करने की योजना बनाई है। पहले चरण में छात्रों के योग्यता क्रम का निर्धारण स्कूलों द्वारा किया जाएगा और प्राप्तंको के साथ इसकी सूचना बोर्ड को दे दी जाएगी। दूसरे चरण में, बोर्ड द्वारा स्कूल में से चुने हुए कुछ छात्रों की एक मानक परीक्षा आयोजित करेगा और उसके आधार पर छात्रों के योग्यता क्रम में बिना कोई परिवर्तन लाए स्कूलों द्वारा दिए गए अंको में मामूली फेर बदल करेगा। इस माडल को वर्ष 1992 में होने वाली सेकेन्डरी स्कूल की परीक्षाओं में पहली बार लगभग 100 स्कूलों में प्रयोग में लाए जाने की योजना हैं।

उपलब्धियों का प्रमाणपत्र

5.17.5 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में उपलब्धियों के प्रमाण-पत्र के प्रयोग करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है जिसके तीन भाग होंगे:-

(क) स्कूलों द्वारा जारी किए गए प्रगाण-पत्र
(ख) बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले पारम्परिक प्रमाण-पत्र
(ग) छात्रों द्वारा मूल्यांकन

5.17.6 उपलब्धि का प्रमाणपत्र वस्तुतः पाठ्यचर्यात्मक पहल है इसमें शिक्षकों और छात्रों के बीच विचार-विमर्श पर आधारित शिक्षण का एक नया दर्शन शास्त्र तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तत्व भी शामिल हैं।

नमूने प्रश्न-पत्र

5.17.7 नई शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत नई पाठ्यचर्या को बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में 1989 में शुरू किया गया। पहले इसे सिर्फ केन्द्रीय विद्यालयों में वर्ष 1988 में शुरू किया गया था इस प्रकार इस बोर्ड से संबंद्ध सभी स्कूलों में नई पाठ्चर्या के अनुसार परीक्षा के लिए अपने छात्रों को वर्ष 1990-91 के दौरान तैयार किया। नई परीक्षा की तैयारी के रूप में बोर्ड ने सेकेण्डरी तथा सीनियर स्कूल दोनों स्तरों पर प्रश्न-पत्रों के नमूने तैयार किए और उन्हें स्कूलों में और छात्रों के बीच परिचालित किया।

शिक्षा का व्यवसायीकरण

5.17.8 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व्यावसायिक विषयों पर रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रम को शुरू करने में अग्रणी रहा है। इस प्रकार का पहला पाठ्यक्रम सामान्य निगम (जी॰आई॰सी॰) के सहयोग से वर्ष 1988 में शुरू किया गया था। इस पाठ्यक्रम के पहले बैच ने वर्ष 1990-91 के दौरान पास किया। सामान्य बीमा निगम द्वारा उनमें से लगभग सभी को सीधे नियुक्ति-पत्र जारी किए गए हैं। ऐसा दूसरा पाठ्यक्रम 1989 में जीवन बीमा निगम के सहयोग से शुरू किया था। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पहला बैच वर्ष 1991 की परीक्षा में शामिल होगा।

ई॰एल॰टी॰परियोजना

5.17.9 बोर्ड ने ब्रिटिश काउन्सिल के सहयोग से सेकेण्डरी स्कूल के छात्रों के लिए अंग्रेजी "क" पाठ्यक्रम में एक नए पाठ्यक्रम की योजना की शुरूआत की हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत, वर्ष 1990-91 के दौरान 15 शिक्षकों के दूसरे बैच को मूल्यांकन तकनीकों के प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। देश के अन्दर दयावती मोदी अकादमी, मोदीपुरम तथा सेंट एन्थोनी स्कूल सफदरजंग एन्कलेव में प्रयोग के लिए पाठ्य तथा मूल्याकंन सामग्री तैयार करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई।

सहोदय स्कूल परिसर

5.17.10 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश के अन्दर स्कूल परिसरों के एक आंदोलन को प्रेरित किया है। कोचीन में 16-17 फरवरी 1990 को हुए सहोदय स्कूल परिसरों के दूसरे वार्षिक सम्मेलन के दौरान यह सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक सहोदय स्कूल परिसर एक अन्य सहोदय परिसर जोड़ेगा और के॰मा॰शि॰ बोर्ड सदृश संस्था में सहोदय परिसर जोड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप 1990-91 के दौरान बड़ी संख्या में स्कूल परिसर सामने आए जिससे इनकी संख्या बढ़कर 50 से उपर हो गई। सहोदय स्कूल परिसर का तीसरा वार्षिक सम्मेलन फरवरी 1991 मेंजयपुर में हुआ था जिसका मुख्य विषय "पाठ्यचर्या का प्रभावी कार्यसंपादन था।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

5.18.1 केन्द्रीय विद्यालय संगठन की योजना वर्ष 1963-64 में आरंभ की गई थी जिसका मुख्य उददेश्य प्रतिरक्षा कार्मिकों के बच्चों सहित जिनकी शिक्षा एक भाषाई प्रदेश से दूसरे भाषाई क्षेत्र में उनके अभिभावकों के स्थानान्तरण के कारण प्रभावित हुई तथा जिसके परिणाम स्वरूप उनके अध्ययन के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन हुआ, केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना था।

5.18.2 वर्ष, 1965 में एक स्वायत संगठन अर्थात केन्द्रीय विद्यालय संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के XXI के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय को खोलने तथा उनका प्रबंध करने का काम करने के लिए पंजीकृत किया गया था। यह संगठन भारत सरकार के योजनेतर कोषों में पूर्णतः वित्तपोषित हैं।

5.18.3 प्रारंभ में वर्ष 1963-64 में उन स्थानों पर जहां प्रतिरक्षा कार्मिकों की बहुत बड़ी संख्या में रहने वाले उनके बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/केन्द्रीय स्कूलों के रूप में काम कर रहे, उनमें 20 संगठित स्कूलों को अपने अधिकार में लिया गया। इसमें इस समय केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 744 है जिनमें 5,64,366 छात्र अध्ययन कर रहे है। दिनांक 30.4.90. की यथास्थिति के अनुसार अध्यापकों के सृजित पदों की सं॰ 36070 है।

केन्द्रीय विद्यालयों का संवितरण

5.18.4 केन्द्रीय विध्यालय उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का स्थाई बाहुल्य होता है प्रतिरक्षा प्रतिस्थानों में रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों पर स्कूल खोले जाते हैं। सिविल क्षेत्रों में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कर्मचारी कल्याणी संघों द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय विद्यालय सार्वजनिक उपक्रमों और उच्च अध्ययन के परिसरों में भी खोले जाते है। क्षेत्र वार केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार हैः

क	प्रतिरक्षा क्षेत्रः	343
ख	सिविल क्षेत्रः	251
ग	सार्वजनिक उपक्रमः	135
घ	उच्चअध्ययन की संस्थाएंः	15
	योग	744

दाखिला निति

5.18.5 केन्द्रीय विद्यालय की योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, सिविल/प्रतिरक्षा क्षेत्र के स्कूलों में केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता दी जाती है। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उच्च अध्ययन संस्थाओं में कार्यरत केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले में सर्वोच्च प्राथमिकता, संबंधित संगठन के कर्मचारियों के बच्चों को दी जाती है।

5.18.6 प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय के नए दाखिलों में 15प्र०श० व $7^1/_2$ प्र०श० सीटें क्रमशः अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित कर दी जाती हैं। ऐसे बच्चों के उपलब्ध न होने पर रिक्तियां सामान्य श्रेणी के बच्चों से भर ली जाती हैं।

परीक्षाफलः

5.18.7 केन्द्रीय विधालयों ने देश की स्कूल स्तरीय शैक्षिक प्रणाली में अपना एक अलग स्थान बना रखा है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशतता, गैर केन्द्रीय वियालयों के छात्रों की प्रतिशतता की तुलना में लगातार अधिक रही है जैसा कि नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है:

सारणी 5.7

वर्ष 1988-89 से केन्द्रीय विद्यालय के अभ्याथियों की संख्या में वृद्धि और ए०आई०एस०एस०सी०परीक्षा में उनकी उत्तीर्ण प्रतिशतता

वर्ष	केन्द्रीय विधालयों की संख्या	छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशतता		(कक्षा-xii)
			के०वि०	गैर के०वि०	अन्तर
1988	295	16341	94.70	78.10	+15.60
1989	327	18510	94.00	89.80	+ 4.20
1990	-	21247	85.70	74.90	+10.80

टिप्पणी: गैर-केन्द्रीय विद्यालयों के संबंध में 1988-परीक्षाफल में पत्राचार व प्राइवेट अभ्यार्थी शामिल हैं। जबकि 1989 तथा 1990 के गैर केन्द्रीय विद्यालय-परीक्षाफलों में पूर्वोत्तर दोनों श्रेणियों के अभ्यार्थी शामिल नहीं है।

सारणी 5.8

ए०आ० एस०एस० (कक्षा x) परीक्षा, 1990 में बैठने वाले के०वि० अभ्यार्थियों की संृदध और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी उत्तीर्ण प्रतिशतता

वर्ष	छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण-प्रतिशतता		(कक्षा)
		के०वि०	गै०के०वि०	अंतर
1988	28251	88.3	77.2	+11.1
1989	30502	93.4	90.3	+3.1
1990	34815	89.05	74.18	+14.87

टिप्पणी : गैर केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में 1988-परीक्षाफल में पत्राचार व प्राइवेट अभ्यार्थी शामिल हैं जबकि 1989 तथा 1990 के गैर केन्द्रीय विद्यालय-परीक्षाफलों में पूर्वोक्त दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थी शामिल नहीं है।

पाठ्येतर कार्यकलापों में उपलब्धि-

5.18.8 केन्द्रीय विद्यालयों ने खेलों, वाह्य क्रियाकलापों, पर्यावरण शैक्षिक कार्यकलापों और ललित तथा निष्पादन कलाओं में अपने आपको उत्कृष्ट बना लिया है। केन्द्रीय विद्यालयों के छात्र स्थानीय तथा प्रादेशिक तथा प्रादेशिक खेल प्रतियोगिताओं में पुरस्कार और इनामों के अलावा पर्यावरण विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, शंकर की बच्चों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता में प्रत्येक वर्ष पुरस्कार जीतते रहे हैं, अधिकांश केन्द्रीय विद्यालयों प्राकृतिक एवं साहसी क्लबों का आयोजन करते हैं जो भारत के विश्ववन्य प्राणी कोश और भारतीय राष्ट्रीय साहसी प्रतिष्ठान से संबंद्ध है। लगभग दस हजार छात्र पर्वतारोहण में प्रशिक्षित कियें जाते हैं और लगभग 550 छात्रों को प्रत्येक वर्ष बर्फानी पहाड़ियों (ग्लेशियर) में ट्रैकिंग के लिए भेजा जाता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन भारत स्कूल खेलप्रतिष्ठान और भारत

स्काउट एवं गाइड का सदस्य राज्य है। सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेल कूदों में छात्रों के व्यापक भाग लेने पर विशेष बल दिया जाता है, जिसके लिए सभी केन्द्रीय विद्यालय की सभी स्कूल कक्षाओं की समय सारणी में पीरियडों की व्यवस्था की जाती है।

राष्ट्रीय एकता

5.18.9. प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय एक लघु भारत है। जहां भिन्न-भिन्न धर्मों और भिन्न-भिन्न प्रथाओं का अनुसरण करने वाले और भिन्न-भिन्न भाषाई समूहों से संबंधित शिक्षक और छात्र अध्यापन और शिक्षण प्रक्रिया में गम्भीरता से व्यस्त हैं छात्र एक समान शपथ लेते हैं। एक समान वर्दी में एक ही झंडे के तले एकही गीत गाते हैं और एक ही पाठ्यचर्या एवं पाठ्येतर कार्यकलापों का अनुसरण करते हैं।

5.18.10. केन्द्रीय विद्यालय सामुदायिक गायन कार्यक्रमों में नेतृत्व प्रदान करते आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित अन्तः विदयालय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक विद्यालय में पाठ्य चर्या के एक अभिन्न भाग के रूप में सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता मूल्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की दृष्टि से नाटक, विविधशों भाषण प्रतियोगिता, बाद विवाद गद्य, मन्त्रोच्चार तथा कहानी वर्णन जैसे सांस्कृतिक क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं।

5.18.11. केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ की परियोजनाओं को शुरू किया गया। इन परियोजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदर्शनी आयोजित की जाती है।

क्रियाकलाप एवं खेल कूदों के माध्यम से व्यक्तित्व विकास

5.18.12 निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए खेलों के क्षेत्र में तत्पर तथा सघन प्रयास किए जाते हैं:

I) सघन सहभागिता को सुनिशिचित करना

II) प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाना और उनका भरण पोषण

III) बच्चों में खेल की भावना और गुण अथवा नेतृत्व का विकास करना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

प्रशिक्षण शिविरः-

5.18.13 प्रत्येक वर्ष शिविर आयोजित किए जाते हैं जिसमें ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में विभिन्न खेलों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा भारतीय स्कूल खेल प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में के०वि०स० की टीमों में भाग लेने से पूर्व आयोजित समन्वय एवं प्रशिक्षण शिविरों में लगभग चार सौ (लड़के तथा लड़कियां दोनों प्रकार के) छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

5.18.14 केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विद्यालय, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को कार्यान्वित करने के लिए एक वर्ष की दीर्घकालीन योजना तैयार की जाती है। इन खेल प्रतियोगिताओं में लगभग 35000 छात्र भाग लेते हैं।

खेल

5.18.15 केन्द्रीय विद्यालय संगठन चार खेल छात्रावास भी चलाता है और केन्द्रीय विद्यालय आई०आई०टी० मद्रास (बास्केटबाल और बालीबाल), केन्द्रीय विद्यालय किर्की पुणे, (हाकी) केन्द्रीय विद्यालय सं० 1 (क्रिकेट में) खेल आयोजित करते हैं। इन छात्रावासों में 63 छात्र विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। के०वि०सं० द्वारा निवास तथा भोजन, खेल किट और शक्दिायक भोजन पर होने वाला सभी खर्च केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा वहन किया जाता है, जिसके लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा प्रतिमाह प्रति छात्र 385 रू० का छात्रावास अनुदान दिया जाता है।

साहसी कार्यकलाप

5.18.16 केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रत्येक वर्ष बहुत बड़े व्यपाक पैमाने पर ट्रैकिंग कार्यक्रम आयोजित करता है। इस वर्ष मई/जून, 1990 में रूइ शारताल क्षेत्र में लगभग 250 छात्रों, जिसमें लड़के और लड़कियां थी, की छह टीमें प्रायोजित की गई थीं।

स्काउट/गाइड क्रियाकलाप

5.18.17 केन्द्रीय विद्यालय संगठन में स्काउट गाइड अभियान ने अपनी जड़ें गहरी बैठाली हैं। पंजीकृत स्काउटों तथा गाइडों की सं० लगभग 50 हजार तक पहुंच गई है और (प्रशिक्षित शिक्षकों की सं० 25,00 तक पहुंच गई हैं। प्रत्येक वर्ष छात्रों तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें शिक्षकों के लिए प्रारंभिक स्तर से नेतृत्व-प्रशिक्षकों के विविध पाठ्क्रमों के स्तर पर और विभिन्न पुरस्कारों, प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिताओं को प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण में राज्य पुरस्कार प्रदान करने और छात्रों को राष्ट्रपति पदक प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम शामिल हैं। ये सभी कार्यक्रम इकाई, जिला, मंडल और केन्द्रीय विद्यालय राज्य स्तरों पर आरंभ किए जाते हैं। भुवनेश्वर में 6-9 जनवरी, 1991 तक 960 स्काउट तथा गाइडों के लिए केन्द्रीय वि० संगठन की राज्य रैली का आयोजन किया गया था।

विज्ञान प्रदर्शनी

5.18.18 विज्ञान की शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं जिनमें फील्ड ट्रिप, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान पहेली और वैज्ञानिक विषयों पर विचार विमर्श भी शामिल हैं ऐसी 'भागीदारी से न केवल अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रतिभा का पता चलता है अपितु इससे विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरने, उनमें विज्ञान के प्रति प्रेम वैज्ञानिक रूझान और सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी चेतना जागृत होने की प्रेरणा प्राप्त होती है।

स्कूल, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अनेक स्तरों पर वैज्ञानिक प्रदर्शनियां प्रति वर्ष लगाई जाती हैं।

युवा संसद

5.18.19 विद्यार्थियों की संसदीय प्रक्रिया एवं प्रविधि की जानकारी से लैस करने के लिए तथा उनमें अनुशासन की स्वस्थ भावना, दूसरे के विचारों के प्रति सहनशील होने, मुक्त एवं स्पष्ट विचार विमर्श के द्वारा निर्णय लेने की आदत को उत्पन्न करने और उनमें सामाजिक आवश्यकताओं, संसदीय परंपराओं और संस्कृति के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने हेतु सभी केन्द्रीय विद्यालय में युवा संसदीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासनः

5.19.1 केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सी टी एस ए) को 1961 में एक स्वायत्व संगठन के रूप में स्थापित किया गया और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (अधिनियम ×× I, 1860) के अधीन इसको पंजीकृत कराया गया। इस संस्था का उद्देश्य 1959 में तिब्बत पर चीन के आक्रमण के कारण भारत में शरण लेने आए शरणार्थियों के बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना, उनका प्रबंधन एवं उनकी सहायता करना है।

5.19.2 यह प्रशासन 30 स्कूल चला रहा हैं जिसमें से 5 आवासीय तथा 25 दिन के स्कूल हैं ये स्कूल सारे भारत में फैले हुए हैं। इन स्कूलों में 10,000 से अधिक विद्यार्थी नामज़द हैं। ये स्कूल सी बी एस ई से संबद्ध हैं और अखिल भारतीय सेकेंडरी स्कूल एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की तैयारी करवाते हैं।

5.19.3 यह प्रशासन स्कूलोंपरांत शिक्षा के लिए भी तिब्बती बच्चों को सुविधाएं प्रदान करता हैं। 60% से अधिक अंक पाने वाले 15 विद्यार्थियों को स्कूली छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। 55% और उससे अधिक अंक प्राप्त करके डिप्लोमा पाठ्क्रम करने वाले विद्यार्थियों को एक अन्य योजना के तहत 5 अन्य छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा तकनीकी विज्ञान, औषधि विज्ञान छपाई विज्ञान तथा फार्मेसी शिक्षा क्षेत्रों में 8 सीटें तिब्बती विधार्थियों के लिए सुरक्षित घोषित कर दी गई हैं।

5.19.4 तिब्बती विद्यार्थियों के शिक्षा संबंधी हितों की बेहतरी के लिए प्रशासन अन्य एजेंसी/संगठन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों जैसे काउंसिल फार तिब्बतन एजूकेशन ब्यूरो आफ हिस होलीनेस, दि दलाई लामा स्पेशल सिक्यूरिटी फ्रंटियर एजूकेशन और तिब्बतन नेहरु मेमोरियल एजूकेशन आदि संस्थाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता हैं। ऐसे 13 स्कूल है जो प्रशासन से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम

5.19.5 प्रशासन के पास प्रत्येक संकाय में पर्याप्त संख्या में स्नातकोत्तर शिक्षक नहीं है ताकि उनके लिए पृथक अभिविन्यास पाठ्क्रम चलाया जा सके। इसीलिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन से अनुरोध किया गया कि वह स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए ग्रीष्मावकाश के दौरान चलने वाले अपने अभिविन्यास कार्यक्रम में हमारे शिक्षकों को शामिल करें।

5.19.6 प्रशासन के अन्तर्गत कार्यरत और रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और गणित पढ़ाने वाले तीस स्नातकोत्तर शिक्षकों ने 1-21 जून, 1990 के दौरान विभिन्न स्थलों पर आयोजित इन अभिविन्यास पाठ्क्रमों में भाग लिया। इसके साथ, तिब्बती और वाणिज्य पढ़ाने वाले अध्यापकों को अतिरिक्त हमारे सभी स्नातकोतर शिक्षकों को शामिल किया जा चुका हैं।

प्रशिक्षत स्नातक शिक्षकों के लिए सेवाकालीन पाठयक्रम (सामाजिक विज्ञान)

5.19.7 शिक्षक शिक्षा विभाग, रा॰शै॰अ॰प्र॰प॰ द्वारा प्रशासन के तैंतीस अध्यापकों की विषय सामग्री संवर्धन के लिए अपने क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भुवनेश्वर में 31 मार्च से 9 अप्रैल, 90 तक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (सामाजिक विज्ञान) के लिए एक दस दिवसीय सेवाकालीन पाठ्क्रम आयोजित किया गया।

कला और शिल्प अध्यापकों के लिए कार्यशाला

5.19.8 सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र भगवान दास रोड, नई दिल्ली द्वारा कला अध्यापकों/शिल्प प्रशिक्षकों के लिए एक 11 दिवसीय कार्यशाला 6 से 16 मार्च,90 को आयोजित की गई। कालेज कार्य, वास्तुशिल्प, मिट्टी से माडल निर्माण, टोकरी निर्माण तथा रंगने और लकड़ी की नक्काशी में 18 अध्यापकों का अभिविन्यास किया गया।

सहायक पठन सामग्री का विकास

5.19.9 काफी लम्बे समय से यह महसूस किया गया है कि वर्तमान समय में प्रयोग की जा रही हिन्दी और अंग्रेजी की सामग्री तिब्बती बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है क्योंकि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि भिन्न हैं। इन दो भाषाओं में तिब्बती छात्रों का स्तर बढ़ाने के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने सी टी एस ए के सहयोग से हिंदी और अंग्रेजी में सहायक सामग्री की तैयारी के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया।

5.19.10 कार्यशाला का आयोजन 28 मार्च से 18 अप्रैल 1990 तक हुआ था जिसमें प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत 5 चुनिंदा शिक्षकों ने भाग लिया।

शिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार

5.19.11 वर्ष 1990-91 के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार देने के लिए प्रशासन ने 10 दिसम्बर 1990 को यू॰एस॰डी॰हाऊस, के सम्मेलन कक्ष, नई दिल्ली में एक सांक्षिप्त किंतु रंगारंग उत्सव आयोजित किया

5.19.12 पुरस्कार प्राप्त करने वाले थेः श्री रवि प्रताप प्रधानाचार्य, सी॰ एस॰ टी॰, मुंडगोड, श्री एन॰ सी॰ त्रिपाठी स्नातकोत्तर शिक्षा (अंग्रेजी) सी एस टी, मसूरी और सुश्री एस॰ के॰ राय, पी॰ आर॰ टी॰ सी॰ एस॰ टी॰, घूम

5.19.13 श्री डी॰ एस॰ मुखोपाध्याय, आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख अतिथि थे और उन्होंने पुरस्कार विजेताओं में पुरस्कार वितरित किए। पुरस्कार में एक खूबसूरत पटिटका, एक प्रमाण पत्र तथा 1000/=रु॰ की राशि शामिल है।

5.19.14 परमपूजनीय दलाई लामा, नई दिल्ली के प्रतिनिधि श्री ताशी वागी ने समारोह की अध्यक्षता की। श्री एस॰ पी॰ दत्त सचिव, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन ने मुख्य अतिथि, पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और विशिष्ट दर्शकों का स्वागत किया।

5.19.15 प्रशासन के अंतर्गत छः उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और एक माध्यमिक विद्यालय (क्लास" परियोजना में शामिल है और उन्हें कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए है।

व्यावसायिक शिक्षा

5.19.16 वर्ष 1989-90 के दौरान, प्रशासन ने सी एस टी, मुंडगोड में व्यावसायिक धारा प्रवाह टाइप लेखन (अंग्रेजी) और आशुलिपि (अंग्रेजी) पाठ्यक्रम आरंभ किए। तिब्बती बच्चों की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के मद्देनजर प्रशासन ने सी एस टी, मुंडगोड में इस वर्ष दो और वाणिज्य आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए। अन्य बस्तियों से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आने वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस विद्यालय में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलना

5.19.17 शासी निकाय ने 9 अगस्त, 1989 को आयोजित अपनी 48वीं बैठक में एक तात्कालीक निर्णय लिया और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए पहली बार में प्रायोगिक आधार पर 20 विद्यालय खोलने की अनुमति दे दी थी। 1990-91 में प्रशासन ने दूसरे चरण में 20 और पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोले हैं! आशा की जाती है कि यह कदम प्रशासन के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा और इससे बिलकुल नए शिक्षार्थियों को पठन, लेखन और गणित की आधारभूत, बाते सीखने और पहली कक्षा में आने से पहले स्कूली आदतें डालने का अवसर प्राप्त होगा।

5.19.18 प्रशासन, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। प्रशासन पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए अलग-अलग और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करता है और शासी निकाय की वित्त समिति की सिफारिशों के आधार पर बजट अनुमानों का अनुमोदन करता है।

नवोदय विद्यालय

5.20.1 अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को स्तरीय आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने औसतन प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की एक योजना लागू की है। देश में अब तक 261 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं जो 22 राज्यों और संघ क्षेत्रों में फैले हैं।

5.20.2 नवोदय विद्यालयों में प्रवेश छठी कक्षा में दिया जाता हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार से दाखिल अधिकांश छात्रों ने पहले मातृभाषा/क्षेत्रीयभाषा के माध्यम से अध्ययन किया होगा, उनके लिए इस दौरान भाषा विषय और सह-शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी/अंग्रेजी दोनों में सघन शिक्षा को हिदायत होगी। तत्पश्चात, समान माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। इस स्तर पर एक भाषायी क्षेत्र से दूसरे भाषायी क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालय में प्रत्येक में 20% छात्रों को स्थानान्तरित किया जाता है। यह स्थानान्तरण मोटे तौर पर हिंदी भाषी से अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में होता है।

दाखिला

5.20.3 नवोदय विद्यालयों में प्रवेश रा०शै०अ० प्र०परि० द्वारा आयोजित एक परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। इस परीक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होता है। यह परीक्षा गैर-मौखिक स्वरूप, वर्ग में भेदभाव रहित और इस प्रकार से तैयार की जाती है ताकि ग्रामीण स्कूलों के प्रतिभावान बच्चे बिना किसी उपेक्षा से इसमें भाग लेने में समर्थ हो सकें।

5.20.4 अब तक चुनिंदा 261 नवोदय विद्यालयों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

लड़के	लड़किया	ग्रामीण	शहरी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	सामान्य	कुल योग
46546	17971	49905	14611	13015	7233	44269	64517
72.15%	27.85%	77.36%	22.64%	20.18%	11.21%	98.81%	

5.20.5 नवोदय विद्यालय सह-शिक्षा वाले हैं और मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए हैं। अतः शहरी क्षेत्रों से बच्चों का दाखिल अधिकतम एक-चौथाई तक ही सीमित है। प्रत्येक नवोदय में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि कम से कम एक तिहाई छात्र लड़कियां हों।

5.20.6 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के पक्ष में आरक्षण संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है बशर्ते कि किसी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम न हो।

निर्माण कार्य कार्यक्रम

5.20.7 अब तक 29 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 261 नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गयी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत 261 नवोदय विद्यालयों के मुकाबले स्थायी भवनों के निर्माण कार्य के प्रथम चरण में 130 विद्यालयों का निर्माण कार्य का प्रथम चरण पहले ही शुरू किया जा चुका है और शून्य चरण निर्माण कार्य 73 विद्यालयों में शुरू किया गया है। हमें अभी भी शेष 58 विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू करना है। हमने इन विद्यालयों के स्थायी भवनों के निर्माण कार्य को 27 निर्माण कार्य एजेंसियों को आबंटित किया है।

प्रधानाचार्य और शिक्षक

5.20.8 इस समय 261 स्कूल कार्यरत है और इनमें 261 प्रधानाचार्य और 4142 शिक्षक हैं चूंकि सभी नवोदय विद्यालय आवासीय हैं तथा दूरस्थ क्षेत्रों में हैं अतः अच्छे शिक्षकों/प्रधानाचार्यों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए गए:

(I) उस स्थान पर उपलब्ध निशुल्क, सुसज्जित आवास

(II) दो बच्चों तक प्रतिमाह 150/-प्रति बच्चे की दर से बच्चों के लिए शिक्षण भत्ता।

(III) छात्रों के साथ रह रहे शिक्षकों और हाउस मास्टरों को निशुल्क रहन सहन सुविधाएं।

(IV) सभी शिक्षकों को निशुल्क मध्यान्ह भोजन

(V) समिति के नियमानुसार पति/पत्नी की नियुक्ति के लिए सुविधा

(VI) जहां शिक्षकों की तैनाती की जाती है वहां नवोदय विद्यालयों में बच्चों का बिना प्रवेश परीक्षा के दाखिला और ऐसे बच्चों का निशुल्क छात्रावास की सुविधा।

(VII) प्रतिमाह 100/- रुपए का शिक्षण भत्ता।

कर्मचारियों का व्यवसायिक विकास

5.20.9 नवोदय विद्यालय समिति ने इस पद्धति में प्रतिबद्ध और सक्षम स्टाफ को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण और अनुस्थापना को विशेष महत्व दिया नवोदय अपने आप में हालांकि एक नयी पद्धति है, समिति ने अब तक स्टाफ (प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों) के लिए विभिन्न प्रकार के एक सौ बीस सेवारत पाठ्यक्रम अर्थात् प्रबोधन पाठ्यक्रम समावेश पाठ्यक्रम, विषय-वार पाठ्यक्रम कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया। इन पाठ्यक्रमों की अवधि कम से कम एक सप्ताह से लेकर अधिक से अधिक एक माह तक की रही। ये पाठ्यक्रम नीपा, एस सी आर टी, रा०शै०अ० और प्र० परिषद और सी आई आई एल आदि के सहयोग से आयोजित किए गए। समिति ने "पठन कौशलो" में पत्राचार पाठ्यक्रम में भाग लेनेके लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया।

६. उच्च शिक्षा और अनुसंधान

6. उच्च शिक्षा व अनुसंधान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उच्च शिक्षा पद्धति की वृद्धि

6.1.1 वर्ष 1990-91 के आरंभ में विश्वविद्यालयों, कालेजों में कुल नामांकित छात्रों की संख्या 42.47 लाख थी। यह पिछले वर्ष से 1.72 लाख अधिक थी। विश्वविद्यालय विभागों में नामांकन 7.05 लाख था व सम्बद्ध कालेजों में 35.42 लाख था।

6.1.2 कला संकाय में नामांकन कुल नामांकन का 40.4% था। विज्ञान व वाणिज्य संकायो में क्रमशः 18.6 व 21.9 प्रतिशत था। प्रथम डिग्री स्तर पर नामांकन 37.41 लाख था (88.1%) स्नातकोत्तर स्तर पर 4.03 लाख (9.5%) अनुसंधान स्तर पर 0.47 लाख (1.1%) व डिप्लोमा व प्रमाणपत्र स्तर पर 0.55 लाख (1.3%) था। वर्ष के दौरान अध्यापकों की संख्या बढ़कर 2.56 लाख हो गई थी। इसमें से 0.57 लाख विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों में तथा शेष सम्बद्ध कालेजों में थे। विश्वविद्यालय के 56732 अध्यापकों में से 7262 प्रोफेसर, 14864 रीडर, 32337 लेक्चरर व 2269 शिक्षक/प्रदर्शक थे। सम्बद्ध कालेजों में 27708 वरिष्ठ अध्यापक, 1,62,858 लेक्चरर व 8771 शिक्षक/प्रदर्शक थे।

6.1.3 आलोच्य वर्ष के दौरान तीन राज्य विश्वविद्यालय अर्थात् तमिलनाडु पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मद्रास, यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक व उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव स्थापित किए। इस प्रकार देश में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 147 हो गई।

महिलाओं की उच्च शिक्षा

6.1.4 वर्ष 1990-91 के आरंभ में महिला छात्रों के नामांकन की संख्या पिछले वर्ष के 12.92 लाख के स्थान पर 13.67 लाख थी। प्रत्येक राज्य में लिंग अनुसार कुल नामांकन यह दर्शाता है कि राज्य में कुल नामांकन की प्रतिशतता के रूप में महिला छात्रों का नामांकन केरल में (52.7%), दिल्ली (45.6%), हरियाणा (41.3%) मेघालय/नागालैंड (38.8%) व पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा/सिक्किम (37.8%) था। महिलाओं का नामांकन बिहार में सबसे कम (16.2%) था।

आयोग के कार्यक्रम व क्रियाकलाप

6.1.5 वर्ष के दौरान जिन मुख्य क्षेत्रों में कार्य किया गया वे हैं:- स्वायत्त कालेज, पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन, अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र, अध्येतावृत्ति, शोध सहायक, विशेष सहायता कार्यक्रम, अध्यापकों का अभिविन्यास, सी॰ओ॰एस॰आई॰एस॰टी॰, प्रौढ़ शिक्षा, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व महिलाओं के लिए शिक्षा। विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में आयोग द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षेप निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

स्वायत्त कालेज

6.1.6 आयोग अपनी स्वायत्त कालेजों की योजनाओं द्वारा स्वायत्ता की अवधारणा को प्रोन्नत करने के प्रयास करता रहा। लगातार प्रयासों के कारण आलोच्य वर्ष के दौरान ग्यारह कालेजों को स्वायत्त स्तर प्रदत्त किया गया इस प्रकार 31 मार्च 1991 तक इन कालेजों की संख्या 103 हो गई।

पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन

6.1.7 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रथम स्तर पाठ्यक्रमों को पर्यावरण व समुदाय की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार बनाने के लिए व शिक्षा को कार्य/क्षेत्र व्यवहारात्मक अनुभव व उत्पादकता से जोड़ने के उद्देश्य से सामान्य शिक्षा में अवर-स्नातक पाठ्यक्रम पुनर्गठित करने की योजना बनाई गई। कई विश्वविद्यालयों व कालेजों ने इन पाठ्यक्रमों को आरंभ किया है। पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सत्ताईस पाठ्यचर्या विकास केन्द्र स्थापित किए है, दस विज्ञान में तथा सत्तरह कला व सामाजिक विज्ञान में। यह केन्द्र वर्तमान पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाने, विकसित करने व नए अध्यापन व अध्ययन सामग्री तैयार करने के उद्देश्य से इनकी समीक्षा करेंगे। आयोग को अभी तक बाईस क्षेत्रों में मॉडल पाठ्यचर्या प्राप्त हुई है। इन मॉडल पाठ्यचर्या पर विचार-विमर्श करने के लिए

विभिन्न विषय क्षेत्रों में राष्ट्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गई। इसके साथ ही आयोग उन 314 कालेजों को सहायता दे रहा है जो कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे है। इसी प्रकार 694 कालेज, कालेज कला व सामाजिक विज्ञान सुधार कार्यक्रम के संबंध में सहायता प्राप्त कर रहे है।

6.1.8 आयोग ने विश्वविद्यालयों व बहुसंकाय कालेजों में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य व खेल में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करना स्वीकार कर लिया है। आरंभ में प्रत्येक जिले के केवल एक कालेज में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं अर्थात् ट्रेक व फील्ड, जिम्नास्टिक, योग सुविधाएं है व पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए कंडीशनिंग एकक चुना जाएगा। 31 मार्च, 1991 तक पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आयोग ने 20 विश्वविद्यालयों व 36 कालेजों को अनुमोदित किया था।

दक्षता में सुधार

6.1.9 आयोग ने 31 मार्च 1991 तक 105 विश्वविद्यालयों को संगणक सुविधाएं संस्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त आयोग ने 31 मार्च 1991 तक 882 कालेजों को संगणक सुविधाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान की। प्रशिक्षण व शोध के लिए इन सुविधाओं का प्रयोग करने के अतिरिक्त ये सुविधाएं छात्र रिकार्ड, लेखे तथा प्रशासन व प्रबंध के लिए अन्य आंकड़े रखने के लिए भी प्रयोग की जा सकती है।

अध्यापक-भर्ती प्रशिक्षण व निष्पादन मूल्यांकन

6.1.10 वर्ष के दौरान आयोग ने कला व सामाजिक विज्ञान में लेक्चररों की भर्ती के लिए अर्हकारी परीक्षा आयोजित की। इसने राज्यों को छूट दी है कि वह या तो विश्व०अनु०आ० द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर की इसी प्रकार की अपनी परीक्षा आयोजित कर लें। विश्व०अनु०आ० व सी०एस०आई०आर० द्वारा विज्ञान विषयों में इसी प्रकार की परीक्षा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। आयोग ने उन उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की छूट दी है जिन्होंने विश्व०अनु०आ०/सी०एस०आई०आर० की जूनियर शोध अध्येतावृत्ति परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर ली है। आयोग ने उन उम्मीदवारों को भी परीक्षा में बैठने की छूट दी है जिन्होंने एम०फिल० व पी०एच०डी० डिग्री पहले ही प्राप्त कर ली है व जिन उम्मीदवारों को यह डिग्री क्रमशः दिसम्बर 1992 तक प्राप्त हो जाएगी। कालेज व विश्वविद्यालय के नए भर्ती किए गये व सेवारत लेक्चररों के लिए शैक्षिक स्टाफ पुनः अभिविन्यास योजना के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक स्टाफ कालेज पुनः अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 1987-88 में कार्यक्रम प्रारंभ किये जाने की तारीख से लेकर जुलाई, 1990 तक आयोजित पुनः अभिविन्यास कार्यक्रम की कुल संख्या 413 थी, जिसमें 12,305 अध्यापक शामिल थे। इस कार्यक्रम के लिए मार्च, 1990 तक विश्वविद्यालयों को 7.32 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया गया। ए०एस०सी० से प्राप्त प्रक्षेप भी यह दर्शाता है कि आने वाले वर्ष में उनकी योजना 175 दिग्विन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की है जिसमें 6,400 नए शिक्षक तथा 294 पुनश्चर्याएं होंगी जिसमें 10,000 अंतर-सेवा शिक्षक होंगे। वि०अ०आ० ने एक समिति का गठन किया है जो ए०एस०सी० योजना का व्यापक पुर्नविलोकन करेगी।

विशेष सहायता कार्यक्रम

6.1.11 आयोग ने 41 उच्च शिक्षा केन्द्रों तथा विज्ञान, इंजीनियरी तथा तकनीकी में 106 विशेष सहायता विभागों तथा 16 उच्च शिक्षा केन्द्रों एवं मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में 90 विशेष सहायता विभागों को सहायता देना जारी रखा है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान में 44 विभागीय अनुसंधान सहायता परियोजनायें तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान में 17 परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही है। आयोग की विषय नामिकाओं ने कुछ और विभागों को भी चुना है जो विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जायेंगे।

कोसिस्ट कार्यक्रम

6.1.12 विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा एवं अनुसंधान के ढांचे को सुदृढ़ करने की योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 1991 तक 111 विभागों को सहायता प्रदान की गई।

महा चालकता कार्यक्रम

6.1.13 इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोग ने पिछले तीन वर्षों में 35 संस्थानों को समर्थन दिया है। वर्ष के दौरान स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इसके साथ साथ "सुपरकन्डक्टिविटी, शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों का एक संघ स्थापित किया जाए"। इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई शैक्षिक उन्नति का अंदाज़ इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1987 में कार्यक्रम के प्रारंभ होने के बाद से विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा सुपरकन्डक्टिविटी में 38 छात्रों को पी०एच०डी०/एम०फिल डिग्रियां प्रदान की जा चुकी है जबकि 31 मार्च, 1991 को 200 छात्र इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे।

आम सुविधायें तथा सेवायें

6.1.14 बंगलौर, बम्बई तथा बड़ौदा में पहले ही आधुनिक कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रलेखन केन्द्र स्थापित किए जा चुके है। इन केन्द्रों ने शिक्षकों तथा छात्रों की सूचना प्राप्ति में सुधार किया हैं तथा अपने-अपने विषयो में आधुनिक प्रलेखन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें आवश्यक संदर्भिक समर्थन भी प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रणाली में राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किए है। वर्ष के दौरान साइक्रोट्रोन रेडियेशन सुविधा के लिए इंदौर में एक अंतर-विश्वविद्यालय संघ की स्थापना की गई तथा अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास में क्रिस्टल विकास केन्द्र को आम सुविधायें प्रदान कराने के केन्द्र के रूप में स्तरोन्नत किया गया। ये केन्द्र ज.ला.ने. कैम्पस, नई दिल्ली के न्यूक्लीयर विज्ञान केन्द्र तथा अंतर-विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान एवं खगोल-भौतिकी केन्द्र, पूना विश्वविद्यालय के अतिरिक्त हैं, जो नवम्बर, 1988 से स्वायत्त संस्थाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

माध्यम तथा शिक्षा तकनीक

6.1.15 वि.अ.आ. ने उच्च शिक्षा के लिए दिए गए समय का उपयोग करने तथा उच्च शिक्षा में "देश व्यापी कक्षायें" नामक दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण करने की पहल की है। आयोग कालेजों को सातवीं योजना अवधि के दौरान चरणों में रंगीन टेलीविज़न सेट उपलब्ध कराने को सहमत हो गया। वि.अ.आ. इनसैट परियोजना के लिए एक संदर्श योजना तैयार की गई है, जिसमें उच्च शिक्षा में भावी इनसैट समय अपेक्षा के लिए परिपेक्षण तैयार किए जाएंगे। इस समय आयोग पूरा विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय (अहमदाबाद), केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान (हैदराबाद) और जामिया मिलिया इस्लामिया (नई दिल्ली) स्थित शैक्षिक जन संचार माध्यम अनुसंधान केन्द्रों को सहयोग दे रहा है। कार्मिकों के प्रशिक्षण और साफ्टवेयर के उत्पादन के लिए रूड़की विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय; जोधपुर विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास, सेन्ट ज़ेवियर्स कालेज, कलकत्ता, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै, काश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल और पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला स्थित नौ श्रव्य-दृश्य अनुसंधान केन्द्रों को सहयोग दिया जा रहा है। संवीक्षाधीन अवधि के दौरान, विभिन्न विषयों पर "राष्ट्रव्यापी कक्षा" कार्यक्रम 278 दिवसों पर प्रसारित किया गया था। इन प्रसारणों में 247 घंटों की अवधि सहित कुल 762 कार्यक्रमों का उपयोग किया गया है। इन प्रसारित कार्यक्रमों में से स्रोतवार 76% कार्यक्रम भारतीय थे जबकि शेष कार्यक्रम विदेशी स्रोतों से थे। शैक्षिक वीडिओं कार्यक्रमों के निर्माण में स्वस्थ प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग ने कलकत्ता में एक वीडियो उत्सव का आयोजन किया।

6.1.16 आयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयास "स्टेट आफ दि वर्ल्ड" (अब "रेस टू सेव दि प्लैनट" के रूप में पुनर्निमित) शीर्षक से एफ टी.वी. श्रृंखला के निर्माण के लिए डब्ल्यूजी बी एच बोस्टन के सहयोग से सह-निर्माण की व्यवस्था करना है। यह एक दस भाग वाली श्रृंखला है जो पृथ्वी के भविष्य सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विषयों के मानवीय आयामों का पता लगाएगी और मानव समाज तथा प्राकृतिक संसाधनों के बीच आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण और संबंध की जड़ो और प्रक्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। इस श्रृंखला का ध्यान समूचे विश्व के समाधानों, सृजनात्मक विचारों तथा नवीन दृष्टिकोणों पर केन्द्रित है और इसके लिए परिरक्षित पर्यावरणात्मक भविष्य निर्मित करने के वास्ते नीतियों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। एक विषय-निर्वाचन समिति भारतीय पक्ष की ओर से सह-निर्माण के प्रबंधों का निरीक्षण करती है। और अधिक भारतीय दृष्टिकोण को जोड़ करके दो भाषाओं, अर्थात् हिंदी तथा तमिल में श्रृंखला प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है। प्रत्येक श्रृंखला 26 लाख की होगी और यह कार्य अधिकांशतः मौजूदा शैक्षिक जन संचार माध्यम अनुसंधान केन्द्रों / श्रव्य-दृश्य अनुसंधान केन्द्रों द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का प्रसारण अक्तूबर, 1990 से प्रारंभ हुआ।

अन्य कार्यक्रम

नए पाठ्यक्रम शुरू करना

6.1.17 आयोग अनेक उभरते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के वास्ते संबंधित राष्ट्रीय एजेंसियों के परामर्श से प्रयास करता रहा है। आयोग विश्वविद्यालय क्षेत्र में समुद्रीय विज्ञान के विकास और वृद्धि के लिए समुद्रीय विकास विभाग को सहयोग दे रहा है। आयोग ने उत्तर एम.एस.सी. इलेक्ट्रानिकी विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जो कलकत्ता, दिल्ली, पूना, कुरूक्षेत्र तथा कोचीन के विश्वविद्यालयों में पहले ही, लागू किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम को इलेक्ट्रानिकी विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संयुक्त रूप से सहयोग दिया जा रहा है। इलेक्ट्रानिकी विभाग संगणक विज्ञान और प्रयोग में एक-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, संगणक विज्ञान प्रयोग पाठ्यक्रम की 3 वर्षीय मास्टर डिग्री, संगणक विज्ञानों में बी.टेक. तथा एम.टेक. और संगणक विज्ञानों में एम.ई. में जनशक्ति प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के वि.अ.आ. इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम को भी सहयोग दे रहा है। दस विश्वविद्यालयों में भविष्य में संबंधित पाठ्यक्रम (भविष्य-विद्या) भी अनुमोदित किए गए है।

प्रौढ़, सतत् और विस्तार शिक्षा कार्यक्रम

6.1.18 आयोग प्रौढ़ शिक्षा, निरक्षरता-उन्मूलन, सतत् शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा और आयोजना स्वरूपों के कार्यक्रमों को प्रोन्नत करने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालयों को परिचालित क्षेत्र आधारित विकास दृष्टिकोण संबंधी नए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, आयोग द्वारा इन कार्यक्रमों के लिए पैकेज आधार पर सहायता प्रदान की जा रही है।

6.1.19 वर्ष के दौरान, आयोग ने देश में सर्वसुलभ साक्षरता के प्रसार के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण नीतियों को कार्यान्वित करने का संकल्प किया। इस संबंध में आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित छात्र गतिशीलता दल की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया और निम्न प्रकार से संकल्प किया:—

क) समूची विश्वविद्यालय पद्धति ही आवश्यक रूप से रा.सा.मि. से संबद्ध होनी चाहिए। रा.सा.मि. में सहभागिता मिशन की भावना से होनी चाहिए और कुलपत्तियों को ही इस कार्य केन्द्र स्तर को बनाए रखना होगा। कुलपतियों को शिक्षकों को शामिल करने के लिए भी उपाय करने चाहिए।

ख) शिक्षकों और छात्रों की सहभागिता स्वैच्छिक आधार पर होनी चाहिए। हमें इसकी जांच करनी चाहिए कि किस प्रकार से विश्वविद्यालयों / कालेजों को दी गई मौजूदा परियोजनाओं को चरणबद्ध किया जा सकता है (वर्तमान पाठ्यक्रमों के समापन के बाद) अथवा गतिशीलता / प्रशिक्षण इकाइयों में परिवर्तित किया जा सकता हैं।

ग) प्रौढ़ / सतत् शिक्षा विभागों का प्रमुख कार्य रा.स.मि. का कार्य होना चाहिए। यद्यपि प्रौढ़ शिक्षा में अनुदेश, अनुसंधान, आदि संबद्ध हैं, उनकी मुख्य चिन्ता रा.सा.मि. से संबंधित होनी चाहिए। जिस किसी पुनः अनुस्थापन की आवश्यकता हो, इसे शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।

ब) विश्वविद्यालयों / कालेजों को ही छात्र-सहभागिता के वास्तविक स्वरूप के बारे में निर्णय करना चाहिए। यह अनिवार्य कार्य अथवा नितान्त स्वैच्छिक सेवा कार्यकलाप की प्रकृति से हो सकता है परन्तु बड़े पैमाने पर छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

ङ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शैक्षिक स्टाफ कालेजों में आयोजित शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रमों का अनिवार्य भाग होना चाहिए।

च) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में छात्रों की सहभागिता से संबंधित अनेक फिल्मों (जैसे कोट्टायम में) शिक्षकों और छात्रों को प्रोत्साहित करने और जानकारी देने की दृष्टि से तैयार कराई जानी चाहिए।

आयोग के उपर्युक्त संकल्प को अध्यक्ष, वि.अ.आ. द्वारा निजी अपील के माध्यम से विश्वविद्यालयों के ध्यान में लाया गया था और सभी कुलपतियों से अनुरोध किया गया था कि वे एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करें जो देश में निरक्षरता-उन्मूलन में एक प्रमुख भूमिका निभा सके। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान, आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रव्यापी साक्षरता अभियान के लिए कार्य करने के वास्ते पूर्णकालिक आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिए पूरी लागत की सहायता प्रदान करके विश्वविद्यालयों / कालेजों के 100 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर सहमति व्यक्त की।

नीति के मामलों पर सलाह देने और संपूर्ण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए आयोग ने प्रौढ़ सतत और विस्तार शिक्षा के संबंध में स्थायी समिति को पुनर्गठित किया गया था। विश्वविद्यालयों द्वारा गठित जनसंख्या शिक्षा कलबों के कार्यकलापों के लिए सतत सहायता के अतिरिक्त, जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्रों ने अपनी सेवा के भीतर अन्य विभागों जैसे महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा कुछ गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित करने के प्रयास किए थे। वर्ष के दौरान आई॰एन॰एफ॰श्री॰-यू॰जी॰श्री॰ के तहत गठित कार्य दल और संसाधन केन्द्र द्वारा शुरू किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों में, पाठयचर्या का विकास, शिक्षण सामग्री को तैयार करना, जनसंख्या शिक्षा विस्तार में अनुसंधान शामिल था।

छात्रवृत्ति और शिक्षावृत्ति

6.1.20 विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसंधान के विकास के लिए, आयोग विभिन्न विषयों में जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्ति देने के लिए सहायता प्रदान करता हैं। ये शिक्षा-वृत्तियां केवल उन अनुसंधान अध्येताओं को दी जाती है जो वि॰अ॰आ॰सी॰एस॰आई॰आर॰जी॰ए॰टी॰ई॰ इत्यादि द्वारा आयोजित राष्ट्र स्तरीय परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं। जे॰एन॰यू॰ और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर द्वारा कुछ चुनिन्दा विषयों में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित परीक्षाओं को इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता प्रदान कर दी गई है।

6.1.21 पेशेवर उत्कृष्ट शिक्षकों को निर्धारित अवधि के लिए राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वे अनुसंधान और लेखन में विशेष रूप से अपने आपको समर्पित कर सकें। अनुसंधान वैज्ञानिक योजना के अंतर्गत लेक्चर रीडर और प्रोफेसर के ग्रेड में 200 पद सृजित किए गए ताकि उनको अवसर मिल सकें जो जीविका के रूप में अनुसंधान करना चाहते हैं। आयोग इस योजना में प्रत्यक्ष रूप से चयन करता है। वर्ष के दौरान आयोग ने उन अनुसंधान वैज्ञानिक के मामलों की समीक्षा की जिन्होंने अनुसंधान वैज्ञानिक "क" के रूप में पांच वर्ष की ठेके की अवधि को पूरा कर लिया है और अनुसंधान वैज्ञानिक क / ख / ग के रूप में पहले से कार्य कर रहे हैं।

अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते शिक्षण कक्षाएं

6.1.22 आयोग ने अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते शिक्षण कक्षाएं आयोजित करने हेतु निर्धारित 42 केन्द्रों (विश्वविद्यालय और कालेज) में से 25 को सहायता देना बरकरार रखा है।

अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति के लिए सुविधाएं

6.1.23 विभिन्न विश्वविद्यालयों मेंशुरू की गई इस प्रकार की शिक्षावृत्तियों की कुल संख्या में से अनु॰ जाति और अनु॰ जनजाति के लिए आरक्षित जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्ति के अलावा, आयोग अनु॰ जाति और अनु॰ जनजाति के लिए पचास शिक्षावृत्ति प्रत्येक वर्ष प्रदान कर रहा है। इस प्रकार आयोग ने अनु॰ जाति / अनु॰ जनजाति के लिए चालीस अनुसंधान एसोसिएटशिप आरक्षित कर दी है। एम॰फिल॰ पी॰एच॰डी॰ करके अपनी योग्यताओं में सुधार करने के लिए अनु॰ जाति॰ / जनजति से संबंधित संबद्ध कालेजों में शिक्षकों को अवसर प्रदान करने के वास्ते आयोग ने प्रत्येक वर्ष पचास शिक्षक शिक्षावृत्ति शुरू की हैं।

महिला अध्ययन

6.1.24 आयोग विश्वविद्यालयों को महिला अध्ययन में अनुसंधान के लिए सुस्पष्ट परियोजनाए शुरू करने तथा अवरस्नातक व उत्तरस्नातक स्तरों पर पाठ्यविवरण के विकास एवं संगत विस्तार कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता देता रहा है। आयोग ने सामाजिक विज्ञान तथा इंजीनियरींग और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान और मानविकी में महिला उम्मीदवारों के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएट शिक्षा के चालीस पदों का भी सृजन किया है। मार्च, 1990 तक सहायता के लिए महिला अध्ययन के विषयों से संबंधित कई अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। महिला अध्ययन के विषयों से संबंधित कई अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। महिला अध्ययन स्थायी समिति ने भी अनेक प्रस्तावों की जांच करने के पश्चात् बीस विश्वविद्यालयों और आठ कालेजों / 14 विश्वविद्यालय विभागों को महिला अध्ययन/सेल स्थापित करने के लिए सहायता की सिफारिश की।

द्विभाषी विनिमय कार्यक्रम

6.1.25 आयोग ने सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत समय समय पर इसे सौंपे गए विभिन्न मदों को कार्यान्वित करना जारी रखा। इन कार्यक्रमों में अध्यापकों का आदान-प्रदान, उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच द्विभाषी शैक्षणिक संपर्क का विकास, संयुक्त सेमिनार छात्रवृत्तियां तथा शिक्षावृत्तियां और भारत में विश्वविद्यालयों को विदेशी भाषा अध्यापकों का कार्य शामिल है। समीक्षाधीन रिपोर्ट अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारतीय अध्यापकों ने विदेश यात्राएं की और 126 विदेशी अध्येयताओं ने भारत की यात्रा कीं।

विश्वविद्यालयों के आठवीं योजना विकास प्रस्ताव

6.1.26 समीक्षाधीन रिपोर्ट की अवधि के दौरान आठवीं योजना अवधि के लिए अपने विकास प्रस्ताव तैयार करने हेतु आयोग ने विश्वविद्यालयों के लिए परामर्शी रूपरेखाएं तैयार की। आठवीं योजना विकास योजनाएं तैयार करने में निम्नलिखित प्राथमिकताएं बताई गई—

(I) विश्वविद्यालयों के मौजूदा विभागों को अनुस्थापित किया जाना चाहिए ताकि वे अध्यापन तथा अनुसंधान के लिए बेहतर वातावरण प्रदान कर सके और शिक्षा के अभिन्न घटक का विस्तार किया जा सके।

(II) पाठयक्रमों को विशिष्ट अनुस्थापन देकर इसे आधुनिक बनाना जरूरी है ताकि इसे क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय विकास के संगत बनाया जा सके।

(III) मौजूदा विभागों तथा अन्तरविभागीय आधार पर विशिष्ट पाठयक्रमों और अध्ययन के क्षेत्रों में पाठयक्रमों का नवीकरण, अवरस्नातक तथा उत्तरस्नातक स्तरों पर पाठयक्रमों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और उन्हें सामाजिक जरूरतों तथा विकास क्षेत्रों के मुताबिक किया जाना चाहिए और इसमें ग्रामीण तथा कृषि को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(IV) प्रयोगशाला, और पुस्तकालय सुविधाएं तथा सेवा और कार्यशाला सुविधाएं, केन्द्रीय उपकरण और उपस्करों के रखरखाव को स्तरोन्नत करना चाहिए।

(V) मौजूदा स्टाफ पदों का पूर्ण उपयोग करते हुए तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता।

(VI) परिसर में पानी तथा बिजली की सप्लाई सहित अन्य सुविधाएं ताकि विभिन्न शैक्षणिक कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाया जा सके। इस कार्य को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए।

(VII) सभी विभागों को अध्यापन सहायता प्रदान की जाए।

• (VIII) सभी विभागों को शिक्षण सहायक सामग्री प्रदान की जाए; पुस्तकालयों को सूचना केन्द्र में परिवर्तित किया जाना चाहिए तथा पुस्तकालय को विभिन्न विभागों के साथ आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएं। पुस्तकालय सेवाओं को इस तरह सुदृढ़ बनाया जाए कि इसके क्षेत्र का विस्तार हो सके तथा पुस्तकालय संगणक अनुसंधान और प्रलेखन सेवाओं जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ काम करने वाली एक पूर्णकालिक संस्था बन सके।

(IX) शैक्षिक भवनों और प्रयोगशाला उपकरण में संरचनात्मक अन्तर को सन्तुलित किया जाए ताकि इन सुविधाओं का पूर्ण उपयोग हो सके।

(X) छात्रों के लिए परामर्शी सेवाओं सहित सामान्य सुविधाओं तथा रोजगार एजेन्सियों के साथ सम्पर्क में सुधार किया जाए।

6.1.27 आलोच्य वर्ष के दौरान, आयोग ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों में विशेषज्ञ समितियां भेजने के काम को पूरा कर लिया है जिसका उद्देश्य निश्चित रूप से (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के विकास प्रस्तावों के कार्यान्वयन की स्थिति (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों के निर्देश/कार्यक्रम (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 और कार्रवाई योजना (1986) के कार्यान्वयन तथा (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को विश्वविद्यालयों के आठवीं योजना के विकास प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा गया।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए एम यू)

6.2.1 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी, प्राचीनतम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। यह अपने आवासीय स्वरूप के लिए जाना जाता हैं। इसके 13 आवासीय हाल हैं जिसमें 55 छात्रावास है और उनमें लगभग 8,587 छात्र रहते हैं। इस विश्वविद्यालय में लगभग 19,630 छात्रों का नामांकन है जिनमें विश्वविद्यालय और इसके द्वारा संचालित स्कूलों के छात्र शामिल हैं। विश्वविद्यालय में 21 देशों के 367 विदेशी छात्र थे।

6.2.2 इस विश्वविद्यालय में संकाय संख्या 1,162 है। विश्वविद्यालय में गैर शिक्षण स्टाफ की संख्या 5177 है।

6.2.3 डा० एम०एन० फारुखी, उपनिदेशक, भा०प्रो० संस्थान, खड़गपुर को श्री सैय्यद हाशिम अली के स्थान पर, जो कुलपति के रूप में 4 अक्तूबर, 1989 को सेवानिवृत्त हुए थे, 15 अक्तूबर, 1990 से पांच वर्षों की अवधि के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया।

6.2.4 आलोच्य वर्ष के दौरान, उर्दू विभाग में अलग से एक अनुसंधान प्रभाग स्थापित किया गया तथा बी०ए० (आनर्स) में उर्दू पत्रकारिता का एक कार्योन्मुख पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। हिन्दी विभाग को कार्यात्मक हिन्दी के शिक्षण के लिए चुना गया और यह विशेषता देश में केवल चार विश्वविद्यालयों को ही प्राप्त है।

6.2.5 कम्प्यूटर विज्ञान विभाग ने इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा प्रायोजित एक एम०सी०ए० शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (माडयूल-II) को सफलतापूर्वक आयोजित किया।

6.2.6 विश्वविद्यालय के शैक्षिक, अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिए प्रयोक्ताओं को कम्प्यूटर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। वर्ष के दौरान कम्प्यूटर केन्द्र के पी०सी० यूनिट में एक पी०सी० / ए०टी-386 लगाया गया। सभी शैक्षिक विभागों को सेवाएं प्रदान करने के अलावा, केन्द्र भू-विज्ञान विभाग में जल-विज्ञान में डिप्लोमा के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग में एक पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

6.2.7 जीव-विज्ञानों के संकाय के वन्य-प्राणी तथा पक्षी-विज्ञान केन्द्र ने छः ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के सहयोग से अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा पाठ्यचर्या विकास का एक कार्यक्रम तैयार किया है। यह कार्यक्रम जो 1 जनवरी, 1990 को शुरु किया गया था प्रारम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा। केन्द्र ने सहयोगी अध्ययन के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय संगठनों/संस्थानों के साथ सतत् सम्पर्क विकसित किया।

6.2.8 संग्रहालय विज्ञान विभाग, जो स्नातकोत्तर शिक्षण प्रदान करता है, चर्मप्रसाधन सूक्ष्म-तकनीक, प्रदर्श तैयार करने, प्रदर्शनियों की रूपरेखा बनाने, रासायनिक परिरक्षण तथा संरक्षण, चित्रकारी पुनरूत्थान, संग्रहालय शिक्षा में इलैक्ट्रानिक्स तथा श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग, जन संचार आदि के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों को तैयार करने की प्रक्रिया में व्यस्त है। यह पाठ्यक्रम अन्तर-विषयक होंगे तथा उन्हें इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि इनमें संग्रहालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों में संग्रहपालक तथा शिक्षण की कार्य अपेक्षाएं पूरी हो सकें।

6.2.9 विश्वविद्यालय ने भारतीय भाषाओं तथा संस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन का एक केन्द्र स्थापित किया। केन्द्र में भारतीय साहित्य में उच्च डिप्लोमा, तुलनात्मक भारतीय साहित्य में एम०फिल / पी०एच०डी० आदि जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों को शुरु किया जाएगा।

6.2.10 रसायन इंजीनियरी विभाग की प्रयोगशालाओं में नए उपस्करों/यंत्रों को और जोड़कर सुविधाएं बढ़ाई गईं। जीव-रसायन विभाग ने आई०सी०एम०आर०, डी०ए०ई०, यू०जी०सी०पी०एल-480 आदि द्वारा वित्तपोषित कई अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की। अस्थिविज्ञान चिकित्सा को वर्ष 1990-91 के लिए यू०पी०चैपटर इंडियन, आर्थोपेडिक एसोसिएशन के 15वें वार्षिक सम्मेलन को आयोजित करने के लिए चुना गया।

6.2.11 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय महिला कालेज में अगले सत्र से बी०एस०सी० स्तर पर सांख्यिकी को एक मुख्य विषय के रूप में शुरु करने का प्रस्ताव है। कालेज का खेलों में निष्पादन अच्छा रहा। पांच छात्रों को राज्य बालीबाल चैम्पियनशिप के लिए चुना गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय ताईकबान्डो चैम्पियनशिप में छात्रों ने एक रजत तथा तीन कांस्य पदक जीते।

6.2.12 चालू शैक्षिक सत्र के दौरान शरीरिक स्वास्थ्य तथा खेल शिक्षा का एक नया विभाग खोला गया।

6.2.13 शिक्षण तथा मार्गदर्शन केन्द्र छात्रों को, विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के वास्ते उपयुक्त शिक्षण कार्यक्रम चला रहा है।

6.2.14 विश्वविद्यालय को "कैरियर" आयोजना केन्द्र शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ-साथ हुनर को लक्षित कर रहा है। केन्द्र ने प्रशिक्षुओं द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की बिक्री/प्रदर्शनी भी आयोजित की।

6.2.15 चालू वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय का अनुमानित योजनेत्तर व्यय 3,711.00 लाख रुपये है। पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय 3,170.55 लाख रुपये था।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बी॰एच॰यू)

6.3.1 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय एक शिक्षण तथा आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में 1916 में अस्तित्व में आया। इसमें 114 विभागों सहित तीन संस्थान तथा चौदह संकाय है। इसके अलावा, इसका एक घटक कालेज तथा चार कालेज विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में हैं। विश्वविद्यालय में लगभग 13,000 छात्र दाखिल हैं। इसके शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ की संख्या क्रमशः लगभग 1,300 तथा 6,400 है। श्री विभूति नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा प्रो॰ आर॰पी॰ रस्तोगी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं।

6.3.2 वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी संस्थान के खनन और इंजीनियरी विभाग को "उच्च अध्ययन केन्द्र" का दर्जा प्रदान किया गया जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "विशेष सहायता कार्यक्रम" के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग को मान्यता प्रदान की गई। दर्शनशास्त्र विभाग का नाम बदल कर "दर्शन शास्त्र और भारतीय धर्म विभाग" रखा गया। चालू शैक्षिक सत्र में चार नए रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया।

6.3.3 विभिन्न संकायों के कुछ अध्येताओं को उनके अपने-अपने अनुसंधान/विद्धता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए सम्मान/पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भौतिकी विभाग के प्रो॰ एस॰ एन॰ ठाकुर वर्ष 1991 में इंदौर में होने वाली 78वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भौतिकी अनुभाग के अध्यक्ष होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डा॰ (श्रीमती) सी॰ हलधर, प्रणिविज्ञान विभाग और डा॰ वाई॰बी॰ त्रिपाठी, औषधीय रसायन शास्त्र विभाग, को तीन वर्षों के लिए "कैरियर पुरस्कार योजना" के लिए चुना है। उत्तर प्रदेश सरकार की संस्कृत अकादमी ने डा॰ कैलाश चंद दवे, वेद विभाग को "वेद पंडित के पुरस्कार" से सम्मानित किया है। हनुमान मंदिर अनुसंधान संस्थान कलकत्ता ने डा॰ महेशचन्द जोशी, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, को उनकी पुस्तक " प्राचीन भारत में दांपत्य मर्यादा" के लिए 5,000 रू॰ के नकद पुरस्कार और एक प्रशास्ति पत्र से सम्मानित किया। प्रो॰ पी॰एम॰ प्रसाद, धातु विज्ञान इंजीनियरी विभाग को प्रतिष्ठापूर्ण "जी॰डी॰ बिरला पुरस्कार 1990" प्रदान करने के लिए चुना गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डा॰ ए॰एम॰ त्रिपाठी, सीनियर रीडर, शिशु चिकित्सा विभाग, आयुर्विज्ञान संस्थान को उनके अनुसंधान कार्यकलापों और विश्वविद्यालय के बाल अस्पताल में डायरिया उपचार व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की मान्यता स्वरूप विद्धता प्रमाणपत्र और अनुदान के रूप में 50,000 रू॰ का नकद पुरस्कार प्रदान किया।

6.3.4 17 अक्तूबर, 1990 को हुए विश्वविद्यालय के एक विशेष दीक्षांत समारोह में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जी नेल्सन मण्डेला को कानून के डाक्टरेट की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। पिछले वर्ष की तरह विश्वविद्यालय से सेवा-निवृत्त होने वाले दस और अध्यापकों को, जिन्होंने डा॰ एस॰ राधाकृष्णन के कुलपतित्व के दौरान सेवा की थी, सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण श्रीमती गिरजा देवी गायिका की तो चालू शैक्षिक सत्र से ही "अतिथि प्रोफेसर" के रूप में नियुक्ति भी की गई।

6.3.5 विश्वविद्यालय ने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप भी जीत ली। पूर्वी क्षेत्र-अन्तर विश्व-विद्यालय युवा महोत्सव की समग्र चैम्पियनशिप ट्राफी भी विश्वविद्यालय को ही मिली।

6.3.6 विश्वविद्यालय ने तीन अन्तर विश्वविद्यालय स्तर के खेल टूर्नामिण्ट का आयोजन किया। इसमें से दो टूर्नामेण्टों अर्थात पूर्वी क्षेत्र अन्तर विश्व-विद्यालय क्रिकेट (पुरुष) और पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हाकी (पुरुष) टूर्नामिण्ट को विश्वविद्यालय ने ही जीता।

6.3.7 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने जनवरी, 1991 में राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा के 75 वर्ष पूरे कर लिए। विश्वविद्यालय ने 20 जनवरी, 1991 से एक वर्ष का (लेटिनम जयंती समारोह प्रारंभ किया) इन समारोहों के एक भाग के रूप में, विश्वविद्यालय का परिसर में मूलभूत सुविधाओं को समेकित करने का प्रस्ताव है। कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यानों/सेमिनारों व सिम्पोजियमों का आयोजन किया जाएगा। मूल्योंन्मुख शिक्षा के लिए 'मालवीय केन्द्र" तथा पर्यावरण अध्ययन स्कूल की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।

6.3.8 विश्वविद्यालय का वर्ष 1990-91 का अनुरक्षण व्यय 45.00 करोड़ रुपये है जबकि 1989-90 के दौरान खर्च 40.00 करोड़ रुपये था।

दिल्ली विश्वविद्यालय

6.4.1 उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ विदेशों से भी छात्रों को आकर्षित करता है। विश्वविद्यालय में इस समय 1,77,518 छात्र नामांकित हैं। इसमें से 1,04,938 नियमित छात्र हैं जिसमें से 92,157 कालेजों में नामांकित हैं तथा 12,181 विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों / विभागों में नामांकित हैं, 2,609 छात्र पी०एच०डी० कर रहे हैं, जबकि एम०फिल० कर रहे छात्रों की संख्या 727 है। विश्वविद्यालय में नामांकित 72,580 छात्र अनौपचारिक प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अर्थात 10,401 गैर कालेज महिला शिक्षा बोर्ड में, 49,937 पत्राचार पाठ्यक्रम व सतत् शिक्षा स्कूल में और 12,242 प्राइवेट छात्रों के रूप में चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति हेतु 4000 से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया गया।

6.4.2 वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित नए कालेजों की स्थापना के प्रस्तावों को स्वीकार किया:

I. डा० भीमराव अम्बेडकर कालेज— पूर्वी दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में
II. दीन दयाल उपाध्याय कालेज— पश्चिमी दिल्ली के करमपुरा क्षेत्र में और
III. डिफेंस कालोनी व लारेन्स रोड के एस०सी०आर०टी० अहाते में शिक्षक प्रशिक्षण कालेज।
(दीन दयाल उपाध्याय कालेज ने कार्य करना शुरु कर दिया हैं)

प्रौद्योगिकी-संकाय में निम्नलिखित नए विभाग बना दिए गये हैं:

I. प्रयुक्त विज्ञान व मानविकी विभाग
II. कम्प्यूटर इंजीनियरी विभाग

विश्व विद्यालय ने निम्नलिखित नए पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए विभिन्न संकायों के प्रस्तावों को भी स्वीकार किया:

I. रूसी भाषा में बी०ए० आनर्स
II. शारीरिक शिक्षा में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा

6.4.3 विश्वविद्यालय-संकाय की कुल संख्या 751 है जिनमें से प्रोफेसर 258, रीडर 317, लेक्चर 159 और रिसर्च एसोशिएट 17 हैं। विश्वविद्यालय ने अप्रैल 1990 से विश्वविद्यालय के शिक्षकों व अधिकारियों के लिए वेतन पर्चियों व पेंशन लेखाकरण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है। विश्वविद्यालय का इस प्रणाली को शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए भी लागू करने का प्रस्ताव है। सामूहिक बीमा योजना आरंभ कर दी गयी है।

6.4.4 प्रोफेसर उपेन्द्र बख्शी को प्रोफेसर मुनीस रज़ा के स्थान पर 11 मई, 1990 से विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। प्रोफेसर रजा 1 फरवरी, 1990 को सेवा निवृत्त हो गए थे।

6.4.5 नेपाल के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण प्रसाद भट्टाराई को डाक्टर आफ लॉ (एल०एल०डी०) की मानद उपाधि (सम्मानार्थ) प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय ने 10 जून, 1990 को विशेष दीक्षांत समारोह का आयोजन किया।

6.4.6 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित शिक्षकों को सम्मान / पुरस्कार प्रदान किए गए:—

(i) जीव रसायन के प्रोफेसर, प्रोफेसर बी०के० बछावत को भटनागर अध्येतावृति से सम्मानित किया गया;

(ii) भूविज्ञान के प्रोफेसर, प्रो० जी० एस० रीनवाल को, समुद्री भूविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए खान विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 के लिए राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया;

(iii) डा० शशि तिवारी, वरिष्ठ लेक्चरर, संस्कृत विभाग, मैत्रीय कालेज को उनकी पुस्तक "ऋगवेदीय अप्रिसूक्त" पर वर्ष 1980-90 के लिए राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर द्वारा भारती मिश्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और

(iv) फ़ारसी के लेक्चरर डा० चंद्रशेखर को उनके शोध कार्य "अमीर खुसरो के मठनवीस का समीक्षात्मक अध्ययन" पर कल्चरेला महवी प्रतिष्ठान जेनेवा (स्विटज़रलैंड) द्वारा 4000 डालर के वित्तीय विश्वविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

6.4.7 वर्ष के दौरान, खेल के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। विश्वविद्यालय ने लगातार तीसरी बार अखिल भारतीय अन्तर्विद्यालय प्रतियोगिता, 1988-89 में समग्र सर्वोच्चता की प्रतीक "डा० बी०एल० गुप्ता स्मारक ट्रॉफी जीती। विश्वविद्यालय ने लगातार दूसरी बार वर्ष 1988-89 के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी जीती। अनेक खेलों में स्थान प्राप्त करने के कारण, विश्वविद्यालय को 1.40 लाख रुपये के नकद पुरस्कार प्राप्त हुए।

6.4.8 वर्ष 1990-91 के लिए विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय 2,740.00 लाख रूपये हैं, जबकि वर्ष 1989-90 के लिए 2,307.98 लाख रूपये था।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

6.5.1 हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1974 में एक संसद अधिनियम द्वारा की गई थी। इसमें स्नातकोत्तर व अनुसंधान अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वर्ष के दौरान 888 छात्रों को देश के 10 भिन्न भिन्न स्थानों पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर, विश्वविद्यालय में दाखिला दिया गया। वर्ष 1990-91 में 1720 छात्रों का नामांकन किया गया जिसमें 240 अ.जा., 37 अ.ज.जा. तथा 29 विकलांग अभ्यर्थी शामिल हैं। महिला छात्रों की संख्या 648 है जो कि कुल छात्रों का 37 प्रतिशत है।

6.5.2 न्यायमूर्ति श्री एम. हिदायतुल्ला के स्थान पर प्रख्यात उद्योगपति श्री जे.आर.डी.टाटा को जनवरी 1991 से तीन वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया।

6.5.3 विश्वविद्यालय के शिक्षक संकाय में 1 दिसम्बर, 1990 को कुल 63 प्रोफेसर, 64 रीडर व 57 लेक्चरर थे। शिक्षणेतर कर्मचारियों की संख्या 969 है।

6.5.4 योग्यता-छात्रवृत्तियों (54) तथा योग्यता-व-साधन छात्रवृत्तियों (165) के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोधकर्ताओं को दी गई जूनियर शोध अध्येतावृत्तियों की संख्या क्रमशः 23 व 95 है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आई.सी.एम.आर, डी.एस.टी., भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आदि द्वारा अक्तूबर, 1990 तक वित्तपोषित शोध परियोजनाओं की कुल संख्या 18 है।

6.5.5 वर्ष के दौरान, कार्यकारी परिषद की सात बैठकें और शैक्षिक परिषद की दो बैठकें हुई। कोर्ट की वार्षिक बैठक दिसम्बर, 1990 में आयोजित की गई। चौथा दीक्षांत समारोह, 13 मार्च, 1991 को आयोजित किया गया।

6.5.6 विश्वविद्यालय ने विज्ञान स्कूल व छात्र केन्द्र परिसर के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया। खेल परिसर का कार्य प्रगति पर है।

6.5.7 वर्ष 1990-91 के दौरान विश्वविद्यालय का योजनेत्तर अनुमानित व्यय 728.00 लाख रूपये रहा जबकि वर्ष 1989-90 के दौरान 595.00 लाख रूपये था।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

(आई.जी.एन.ओ.यू.)

6.6.1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितम्बर, 1985 में की गई थी जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा पद्धति में मुक्त विश्वविद्यालय व दूरस्थ शिक्षा पद्धति का शुरू करना व बढ़ावा देना है तथा पद्धतियों में स्तरों का समन्वय निर्धारण करना है। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख लक्ष्यों में, जनसंख्या के बड़े हिस्सों विशेषकर असुविधा प्राप्त वर्गों को उच्चतर शिक्षा के व्यापक अवसर प्रदान करना, सतत शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना और विशेष लक्षित वर्गों यथा महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों व पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन शामिल हैं।

6.6.2 इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, शैक्षिक तरीकों व गति के संबंध में लचीली व मुक्त विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा, पाठ्यक्रमों के संयोजन, नामांकन के लिए अर्हता प्रवेश-आयु, मूल्यांकन तरीकों आदि की नवाचारी प्रणाली की व्यवस्था करता है।

6.6.3 विश्वविद्यालय ने समेकित बहु-माध्यम शैक्षिक कार्यनीति को अपनाया है जिसमें मुद्रित सामग्री, दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री, शिक्षकीय प्रणाली, संपर्क कक्षाएं तथा ग्रीष्मकालीन स्कूल शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने सतत आंतरिक मूल्यांकन तथा उत्कृष्टता संचयन की प्रणाली को अपनाया है।

6.6.4 विश्वविद्यालय ने 1987 में अपने शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया था और अब तक 11 कार्यक्रम प्रारम्भ किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में, आहार व पोषाहार में प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम, स्नातक उपाधि के लिए तैयारी-कार्यक्रम, प्रबन्ध, दूरस्थ शिक्षा, अंग्रेजी में सर्जनात्मक लेखन, व कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा कार्यक्रम तथा कला/वाणिज्य तथा पुस्तकालय व सूचना विज्ञानों में स्नातक-उपाधि कार्यक्रम शामिल हैं। भिन्न-भिन्न विषयों पर नए शैक्षिक कार्यक्रमों को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। विश्वविद्यालय ने अभी तक 688 पुस्तिकाएं प्रकाशित की है जिनमें पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है और इनके अनुपूरक के रूप में, इसने 264 से अधिक दृश्य और 351 श्रव्य कार्यक्रम तैयार किये हैं।

6.6.5 विश्वविद्यालय में मार्च, 1991 तक एक लाख छात्रों का नामांकन था जिसके आठवीं योजना के अंत तक डेढ़ लाख हो जाने की उम्मीद है।

6.6.6 विश्वविद्यालय ने अभी तक लगभग 160 शिक्षकों तथा 800 से अधिक तकनीकी, व्यावसायिक व प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती की है।

6.6.7 विश्वविद्यालय ने देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने क्षेत्रीय केन्द्रों व अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से व्यापक छात्र सहायता सेवा नेटवर्क स्थापित किया था। अध्ययन केन्द्र में, अंशकालिक ट्यूटर व परामर्शदाता छात्रों को परामर्श व मार्गदर्शन प्रदान करते है। अध्ययन केन्द्रों में,

दृश्य/श्रव्य कार्यक्रमों के लिए देखने/सुनने की सुविधाओं की व्यवस्था के अतिरिक्त सभी पाठ्यक्रमों के लिए सामग्री का भंडार है। क्षेत्रीय केन्द्र इन अध्ययन केन्द्रों के कार्यकलापों का समन्वय करते हैं। विश्वविद्यालय अभी तक 16 क्षेत्रीय केन्द्रों तथा 171 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना कर चुका है। छात्रों के दाखिले, शुल्क-परिकलन व छात्रों के मूल्यांकन के अनुवीक्षण से संबंधित कार्यकलापों को विश्वविद्यालय द्वारा विकेन्द्रित कर क्षेत्रीय केन्द्रों को सौंप दिया गया है।

6.6.8 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने कैम्पस के 1,20,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में 11 ब्लाकों की एक अर्ध-स्थाई इमारत का निर्माण किया है और अपने अधिकांश कार्यालयों को इस अस्थाई आवास में स्थानान्तरित कर दिया है।

6.6.9 यह आशा थी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित एक सौ पचास एकड़ भूमि पर मैदान गढ़ी, नई दिल्ली में विश्वविद्यालय के स्थाई परिसर का निर्माण कार्य सातवीं योजना के दौरान शुरू कर दिया जाएगा। तथापि स्थान के प्रयोग में परिवर्तन की स्वीकृति लेने, वास्तुशिल्पिय करार को अन्तिम रूप देने में लगने वाले समय तथा पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण यह संभव न हो सका। नवम्बर, 1990 में वास्तुविदों से एक करारनामे पर हस्ताक्षर करवाया गया। निर्माण-कार्यक्रम की सहमति के लिए दिल्ली में ही अरबन आर्टस कमीशन और दिल्ली नगर निगम आदि प्रमुख एजेन्सियों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। आठवीं योजना के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्थाई परिसर (कैम्पस) का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आशा है।

6.6.10 विश्वविद्यालय को कम्प्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े उपस्करों की आवश्यकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक परियोजना के तहत इंग्लैण्ड की सरकार ने विश्वविद्यालय के श्रव्य/दृश्य कार्यक्रमों और मेन-फ्रेम कम्प्यूटर के वास्ते उत्पादन स्टूडियो स्थापित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपस्कर प्रदान किए है, इन उपस्करों को स्थापित किया जा चुका है और ये काम कर रहे हैं।

6.6.11 जापान सरकार ने अत्याधुनिक किस्म के उपस्करों की खरीद के लिए 611 मिलियन अनुदान के रूप में दिया है ताकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर उत्पादन सुविधाओं का विकास कर सके। इन उपस्करों को जून, 1990 में स्थापित कर दिया गया है।

6.6.12 विश्वविद्यालय ने अपने कार्य के पहले चार वर्षों में ही महत्वपूर्ण शुरूआत की हैं। यह अखिल भारतीय अस्तित्व को दर्ज करने में सफल हुआ है। इसके कार्यक्रमों की गुणवत्ता बहुत ही उच्च कोटि की है और इसका राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर ही स्वागत हुआ है।

6.6.13 राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में कार्य निष्पादन के अलावा इं० गा० रा० मु० वि० वि० देश के कोने-कोने में फैली सुदूर शिक्षा में समन्वय और मानकों के निर्धारण के लिए एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में इसे दी गई जिम्मेदारियों को भी निभा रहा है। फिलहाल विश्वविद्यालय देश भर में फैली सुदूर शिक्षा में अपने समन्वय कार्य और स्तरों के निर्धारण के लिए मापदण्ड और प्रक्रिया तैयार करने में लगा हुआ है।

6.6.14 इं०गा०रा०मु०वि०वि० को राज्यों में राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को अनुदान आवंटित और संवितरित करने का सांविधिक अधिकार भी दे दिया गया है। इस उत्तरदायित्व और प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ जांच समिति की सिफारिशों के अनुसरण में विश्वविद्यालय ने आंध्र प्रदेश और कोटा मुक्त विश्वविद्यालयों को अपने अपने विकास के वास्ते 45.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

6.6.15 प्रो० बी.सी. कुलंदैस्वामी ने 11 मई, 1990 को विश्वविद्यालय के द्वितीय कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

6.6.16 वर्ष 1990-91 के दौरान भारत सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को इसके विकास तथा अनुरक्षण के लिए 14.01 करोड़ रूपये प्रदान किये हैं। इसमें 9.00 करोड़ रूपये का प्रावधान योजनेत्तर निधियों के रूप में शामिल है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली

6.7.1 जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1971 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गयी। विश्व विद्यालय के सात स्कूल और 24 केन्द्र हैं। इसके अलावा इसका एक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र भी है। विश्व विद्यालय में लगभग 3700 छात्र शामिल हैं। इसके अध्यापक तथा गैर-अध्यापन कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 350 और 1300 है।

6.7.2 शैक्षिक वर्ष 1989-90 के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों द्वारा 18 राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 15 सेमिनारें तथा सार्वजनिक/विस्तार व्याख्यान भी आयोजित किए गए थे।

6.7.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विद्यालय का एक क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र स्वीकृत किया गया था।

6.7.4 विभिन्न स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करके अद्यतन बनाया गया। इनमें एम०ए०/एम०एस०सी० स्तर के तीन नए पाठ्यक्रम अर्थात एम०ए० (अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एल०एल०बी०, (अन्तर्राष्ट्रीय) और एम०एस०सी० (भौतिक शास्त्र) विकसित किये गये। इन कार्यक्रमों को शैक्षिक वर्ष 1991-92 के दौरान शुरू किए जाने की संभावना है।

6.7.5 विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टाफ कालेज द्वारा चार पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, आयोजित किए गए जिनमें से दो राजनीति शास्त्र और दो अर्थशास्त्र से संबंधित थे। इन पाठ्यक्रमों में 16 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एक सौ साठ शिक्षकों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय ने अपने लिपिकवर्गीय तथा

सचिवालय स्टाफ के लिए शब्द विश्लेषण, हिन्दी-टिप्पण और प्रारूपण/सामान्य अंग्रेजी/आशुलिपिक/टंकण और कार्यालय प्रक्रिया में 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

6.7.6 विभिन्न स्कूलों के संकाय सदस्यों द्वारा तीस अनुसंधान परियोजनाए पूरी की गई जबकि 75 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। ये परियोजनाएँ केन्द्रीय सरकार सहित विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित की गई हैं। तिरेसठ पुस्तकें/संपादित खण्ड तथा 296 लेख भारतीय और विदेशी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त संकाय सदस्यों द्वारा विभिन्न पुस्तकों में 124 अध्यायों का योगदान किया गया है।

6.7.7 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पुस्तकालय की सदस्यता 4,018 है। वर्ष के दौरान लगभग 50,000 क्लिपिंग्स तथा 15,395 वाल्यूम और बढ़ाए गए हैं। अब जवाहर लाल पुस्तकालय में वाल्यूम और क्लिपिंग्स का कुल संग्रह क्रमशः 3.9 लाख और 7.5 लाख है।

6.7.8 विश्वविद्यालय विज्ञान उपकरण केन्द्र ने तकनीकी, विद्युत, इलैक्ट्रोनिक्स और बढ़ई के कार्यों से संबंधित मरम्मत/गढ़ाई के 200 से भी अधिक कार्य किए केन्द्र ने अनेक इलेक्ट्रीफोरेसिस उपकरणों के निर्माण के अतिरिक्त इलैक्ट्रोफिजिआलोजी में प्रयोगों के लिए कुछ स्टीम्युलेटर और विडो डिस्क्रीमनेटरों की तकनीकी का विकास किया।

6.7.9 निर्माण कार्यक्रमों की प्रगति स्थिर रही। भाषा विभाग हेतु भवनों विवाहित अनुसंधान अध्येताओं हेतु छात्रावासों के भवन, पूर्वांचल छात्रावास का विस्तार और इनसाईनरेटर भवन को निर्माण कार्य पूरा किया गया और इनका प्रयोग शुरू कर दिया गया। कुछ अन्य भवनों का कार्य भी काफी कुछ पूरा हो गया था।

6.7.10 वर्ष 1990-91 के लिए विश्वविद्यालय का रखरखाव व्यय 1989-90 के 12.40 करोड़ रूपये के वास्तविक व्यय की तुलना में 13.87 करोड़ रूपये है।

उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय

6.8.1 उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग 1973 में एक संसदीय अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका कार्यक्षेत्र मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों तक है।

6.8.2 विद्यमान 18 स्नातकोत्तर विभागों के अतिरिक्त वर्ष 1990-91 के दौरान दो नए विभाग, अर्थात सामाजिक कार्य विभाग और वानिकी विभाग स्थापित किए गए हैं। दोनों विभागों ने आईजोल स्थित मिजोरम परिसर में कार्य करना शुरू कर दिया है। निधियों की उपलब्धता के आधार पर विश्वविद्यालय का शिलांग, मिजोरम और नागालैण्ड के तीन परिसरों में 1991-92 के दौरान कुछ नए विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव है।

6.8.3 शिक्षण स्टाफ की संख्या 203 और गैर शिक्षण स्टाफ की संख्या 1202 है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या स्नातकोत्तर स्तर पर 784, अवर स्नातक स्तर पर 30,789 और आनर्स स्तर पर 1100 और अनुसंधान अध्येताओं के रूप में 355 थीं। निम्नलिखित निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं:

- क) शिक्षण संकाय के लिए 49 क्वार्टर
- ख) 224 छात्रों के लिए छात्रावास
- ग) आर०यू०ए०बी० योजना के अधीन 17 क्वार्टर
- घ) शैक्षिक और रिहायशी परिसरों के चारों और रिंग रोड
- ड) जल आपूर्ति प्रणाली
- च) सेमिनार परिसर और अतिथि गृह,
- छ) खेल कूद (फूट बाल क्रीडास्थल)

176 विद्यार्थियों के लिए होस्टल, 12 प्राध्यापकों हेतु मकान, 208 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास 6 प्रोफेसरों के लिए मकान, विद्युतीकरण की बाह्य प्रणाली, विश्वविद्यालय के लिए कार्यशाला, वैज्ञानिक उपकरण केन्द्र, तथा भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान इत्यादि हेतु भवनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

6.8.4 वर्ष 1990-91 के दौरान गैर-योजना के अन्तर्गत 725.90 लाख रू० और योजना के अन्तर्गत 157.91 लाख रू० का अनुमानित खर्च है।

विश्व भारती

6.9.1 गुरूदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती नामक शिक्षा संस्था को विश्वभारती अधिनियम, 1951 द्वारा एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया।

6.9.2 30 नवम्बर 1989 को सेवानिवृत्त होने वाले एन०एस० बोस के स्थान पर 17 मई, 1990 से प्रो० असिन दास गुप्त को इस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया

6.9.3 31 मार्च 1990 तक विश्वविद्यालय में छात्रों का नामांकन 4767 था। 31 मार्च, 1989 तक की स्थिति के अनुसार शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 499 और 1499 थी।

6.9.4 भारतीय संस्कृति और विरासत के संदर्भ में टैगोर के दर्शन का प्रचार विश्वभारती विश्वविद्यालय का एक प्रमुख लक्ष्य है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं में टैगोर की कृतियों का अनुवाद किया गया है। भारत-जापानी सांस्कृतिक विनिमय और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन में नियोजन भवन स्थापित करने के लिए जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं।

6.9.5 वर्ष के दौरान निर्माण कार्यों में अच्छी प्रगति हुई आपात खंड और पिअर्सन मेमोरियल अस्पाताल के रसोई घर, अतिरिक्त कार्यालय आवास और कर्मचारियों के लिए 66 क्वार्टर बनाने के कार्य को पूरा किया गया। बेहतर और विस्तृत जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाने के कार्य को भी पूरा किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता केन्द्र के मुख्य भवन और इसके स्टाफ क्वाटरों का काम पूरा होने वाला हैं।

6.9.6 कला भवन, संगीत भवन और दर्शन तथा तुलनात्मक धर्म विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता मिलती रही। आयोग ने कार्यात्मक हिन्दी में पाठ्यक्रम चलाने के लिए हिन्दी विभाग का भी चयन किया है।

6.9.7 मानविकी के विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय महत्व की अनेक कार्यशालाओं और सेमिनारों, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य एजेसियों ने प्रायोजित किया था, का 8 विश्वविद्यालयों के तत्वावधान में आयोजन किया गया।

6.9.8 वर्ष 1989-90 के दौरान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लगगभग 28.794-पुस्तकों और 10,007 पत्रिकाओं की वृद्धि हुई ग्रंथन विभाग (प्रकाशन विभाग)ने सुप्रसिद्ध रवीन्द्र रचनावली के प्रथम 15 खंडों में से ग्यारह खंडों को प्रकाशित किया।

6.9.9 संकाय सदस्यों और छात्रों में विचार विनिमय को बढ़ावा देने के लिए विश्व भारती द्वारा अनेक इन्डोमेंट लेक्चर्स आयोजित किए गए। विश्वभारती में श्री निकेतन के 16 वें जयंती समारोह सहित अनेक उत्सव आयोजित किए गए।

6.9.10 वर्ष 1990-91 के दौरान विश्वविद्यालय का रखरखाव खर्च 1005.00 लाख रू है जबकि 1989-90 के दौरान वास्तविक खर्च 893.16 लाख रू था।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय

6.10.1 पांडिचेरी विश्वविद्यालय एक संसद अधिनियम द्वारा शिक्षण-सम्बंधन विश्वविद्यालय के रूप में अक्तूबर 1985 में स्थापित किया गया था विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में पांडिचेरी के संघीय क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते है।

6.10.2 वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के दो निदेशालय, छः स्कूल, तेरह विभाग और सात केंद्र हैं। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सत्रह संस्थाऐं हैं जिनमें से दस पांडिचेरी में, दो कराइकाल में, एक एक माहे और यमन तथा तीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। विश्वविद्यालय तीन प्रमाण पत्र, एक पूर्व स्नातक, तीन स्नातकोतर डिप्लोमा और बारह स्नातकोतर पाठ्यक्रम चलाती है। वर्तमान में सत्रह विषयों में एम० फिल० और डाक्टरल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

6.10.3 विश्वविद्यालय में छात्र नामांकन 778 हैं विश्वविद्यालय में 26 प्रोफेसरों, 36 रीडरों और 55 प्राध्यापकों का संकाय है इसमें 415 शिक्षणेतर कर्मचारी हैं।

6.10.4 सातवीं योजना के दौरान प्रारम्भ किए गए निम्नलिखित मुख्य निर्माण कार्यों को के०लो०नि०वि० के माध्यम से पूरा कर दिया गया हैं।

1. प्रशासनिक परिसर
2. 60 छात्रावास (सामान्य)
3. पुस्कालय भवन
4. कर्मचारी आवास (सामान्य)
5. एम०बी०ए० स्कूल भवन
6. एम०बी०ए० छात्रावास

7. एम॰बी॰ए॰ कर्मचारी आवास

8. खेल परिसर

6.10.5 वि॰अ॰आ॰ ने आलोच्य अवधि के दौरान यूनिवर्सिटी साइंस इन्स्ट्रूमेंटेशन सेंटर की स्थापना और भावी अध्ययन केन्द्र के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की।

6.10.6 विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह 27 अगस्त, 1990 को आयोजित हुआ। मद्रास विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति अ॰ए॰ ज्ञानम को 5 वर्षों के लिए कुलपति नियुक्त किया गया और उन्होंने 7 जनवरी 1991 को कार्य भार संभाला

6.10.7 वर्ष 1989-90 के 243.38 लाख खर्च के मुकाबले वर्ष 1990-91 का अनुरक्षण खर्च 305.10 लाख रूपए है।

जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली

6.11.1 जामिया मिलिया इस्लामिया, जो 1962 से विश्वविद्यालयवत संस्था के रूप में कार्य कर रही थी , को 26 दिसम्बर 1988 से एक संसद अधिनियम द्वारा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय नर्सरी स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक समेकित शिक्षा प्रदान करता है।

6.11.2 श्री एस॰एम॰एच॰बर्नी को 10 जुलाई 1990 से 5 वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय का कुलपति चुना गया है।

6.11.3 वर्ष 1989-90 में छात्रों की संख्या 7376 थी (पुरूष 5159, महिला 2217) जिसमें से पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र 4,721 (पुरूष 3440, महिला 1281) थे। अ॰जा॰ और अ॰ज॰जा॰ छात्रों की संख्या क्रमशः 362 और 53 है और 17 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या 157 (पुरूष 117 और महिला 40) हैं। प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, एसोसिएट/इंस्ट्रक्टर आदि शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 291 और शिक्षणेतर कर्मचारियों की संख्या 534 है।

6.11.4 विश्वविद्यालय में सात संकाय हैं। इसमें कानून संकाय भी शामिल है जो शिक्षा सत्र 1989-90 से प्रारंभ हुआ। इसमें 14 छात्रावास हैं जिसमें 916 छात्र रहते हैं (पुरूष 772, महिला 144)

6.11.5 वर्ष की एक प्रमुख घटना प्रधानमंत्री द्वारा सितम्बर, 1990 में जामिया इंजीनियरी कालेज की आधार शिला का रखा जाना था।

6.11.6 जामिया में एक जन संचार अनुसंधान केन्द्र है जो जन संचार, रेडियो, दृश्य-श्रव्य और टेलीविजन तथा फिल्म निर्माण में कार्यक्रम और स्नातकोतर पाठयक्रम चलाता है। यह वि॰अ॰आ॰ का देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम तैयार करता है जिसे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जाता है। इसके साथ ही यह सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के लिए दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम तैयार करता है।

6.11.7 जामिया में प्रौढ और सतत शिक्षा तथा विस्तार केंद्र, राज्य संसाधन केंद्र, बाल दिशानिर्देश केंद्र, कोचिग और कैरियर प्लानिंग केंद्र और बालक माता केंद्र जैसी अनेक सक्रिय अनौपचारिक इकाइयां है। प्रौढ़ और सतत शिक्षा तथा विस्तार केंद्र ने 1990-91 के शिक्षा सत्र में जनसंख्या शिक्षा पर एक कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त विस्तार शिक्षा में एक स्नातकोतर डिग्री पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है।

6.11.8 राज्य संसाधन केंद्र साक्षरों और नव-साक्षरों के लिए पठन सामग्री तैयार करता है। बाल दिशानिर्देश केंद्र बच्चों, अभिभावकों, किशोर बालिकाओं, शिक्षकों और व्यावसायिकों के लिये विकासात्मक कार्य संपन्न करता है। कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग सेंटर सं॰लो॰से॰आ॰, राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी उपक्रमों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर वर्गों को सुव्यवस्थित (कोचिंग) की व्यवस्था करता है। जामिया के बालक-माता केंद्र पुरानी दिल्ली क्षेत्र में रह रहे सुविधा वंचित वर्गों के बच्चों और महिलाओं को शिक्षा प्रदान करते हैं। तीन ऐसे केंद्र हैं जहां नर्सरी और प्राथमिक कक्षायें लगती है।

6.11.9 जामिया मिलिया इस्लामिया ने विश्वविद्यालय/कालेजों के अध्यापकों हेतु अनुस्थापन कार्यक्रमों के लिए एक एकेडेमिक स्टाफ कालेज की स्थापना की है। विश्वविद्यालय का डा॰ जाकिर हुसैन इस्लामी अध्ययन संस्थान आधुनिक विश्व की समस्याओं के समाधान पर विशेष बल सहित इस्लाम की तर्क संगत समझ को बढ़ावा देता है। तृतीय विश्व अध्ययन अकादमी तीसरी दुनिया के देशों के सामाजिक-आर्थिक अध्ययन के लिए अनुसंधान सुविधाऐं उपलब्ध कराती है।

6.11.10 जामिया फ्रेंच, रूसी और बुल्गारियाई जैसी विदेशी भाषाओं के लिए शिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराती है। जामिया राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यान्वित करता है जो छात्रों में सामाजिक जागरूकता पैदा करती है। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में रूचि बढाने तथा ऐसी गतिविधियों में सहभागिता की भावना उत्पन्न करने के लिए एन॰सी॰सी॰ कार्यकलाप भी चलाता है। "सैन्य विज्ञान" जामिया के बी॰ए॰ (आनर्स) पाठ्यक्रम का एक गौण विषय है।

6.11.11 जामिया में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिसमें 2,15,315 पुस्तकों का संग्रह है। इसमें चार सगणक केंद्र है जो विभिन्न विभागों की सेवा कर रहे है।

6.11.12 वर्ष के दौरान अंसारी प्रेक्षागृह और प्रशासन खंड भवनों का निमाण कार्य पूरा कर लिया गया है। संकाय कक्षाओं, व्यायामशाला, कर्मचारी गृह परियोजनाओं के लिए भवनों का निर्माण चल रहा है।

6.11.13 जामिया को वि०अ०आ० द्वारा वर्ष 1990-91 के लिए अनुरक्षण अनुदान के रूप 710.00 लाख रूपये मंजूर किए गए हैं।

नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

असम्म विश्वविद्यालय

6.12.1 असम में शिक्षण और सम्बंधन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मई 1986 में कानून पारित किया गया। तथापि विश्वविद्यालय के स्थान निर्धारण के सम्बंध में विवाद ओर संसाधनों की भारी कमी के कारण इस अधिनियम को लागू करना संभव नहीं हो पाया है।

नागालैंड विश्वविद्यालय

6.12.2. नागालैंड में शिक्षण और संबंधन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अक्तूबर 1986 में कानून पारित किया गया तथापि संसाधनों की कमी के कारण इस अधिनियम को लागू करना संभव नहीं हो सका है।

"विश्वविद्यालयवत" संस्थाएं

6.13.0. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यू०जी०सी० अधिनियम के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत डेकन कालेज, पुणे को विश्वविद्यालयवत घोषित किया गया जिससे इस प्रकार की संस्थाओं की कुल संख्या 29 हो गई है।

विशिष्ट अनुसंधान संगठन

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

6.14.0 भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला जो 20 अक्तूबर, 1965 से कार्य कर रहा है, का उद्देश्य जीवन और चिंतन के मूल विषयों और समस्याओं का मुक्त व रचनात्मक अध्ययन करना है। यह अनुसंधान के लिए एक आवासीय केंद्र है तथा गूढ़ मानवीय महत्व के क्षेत्रों में रचनात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है तथा यह शैक्षिक अनुसंधान खासकर मानविकी, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों जैसे चुने हुए विषयों के लिए माकूल माहौल प्रदान करता है। संस्थान तीन महीने से लेकर तीन वर्षों की अवधि के लिए अध्येता वृतियों प्रदान करता है। अध्येता वृति की संस्वीकृत संख्या पचीस से तीस है जो संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करती है। पिछले वर्ष के दौरान 31 अध्येताओं के मुकाबले वर्ष 1990-91 के दौरान 28 अध्येता थे वर्ष 1990-91 के लिए निर्धारित 10 प्रकाशनों का लक्ष्य पूरी तरह पहले से ही प्राप्त कर लिया गया है। संस्थान के पास 1 लाख से अधिक पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं तथा यह लगभग 600 प्रचलित पत्रिकाओं का ग्राहक है। सामाजिक विज्ञान और मानविकास में संदर्भ पुस्तकों के संकलन में संवृद्धि करके इस संस्था के संकलन में वर्ष 1990-91 के दौरान लगभग 2500 पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं को जोड़ने का अनुमान है।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद

6.15.1. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान की स्थापना 1972 में इतिहास में वस्तुपरक अनुसंधान और लेखन को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत संगठन के रूप में की गई थी। परिषद, राज्य व्यवस्था, समाज और संस्कृति के इतिहास सहित इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों में, अनुसंधान को वित्तपोषित करके इस उद्देश्य की प्राप्ति करती रही है। हाल ही के वर्षों में पुरातत्व विज्ञान और पुरालेख शास्त्र की ओर भी ध्यान दिया गया है।

6.15.2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद ने 18 अनुसंधान परियोजनाओं, 95 शिक्षा वृतियों को मंजूरी दी और 88 शोधार्थियों को अध्ययन और भ्रमण अनुदान दिया गया। चौसठ शोधप्रबंधों, विनिबंधों और पत्रिकाओं के लिए प्रकाशन सहायता का अनुमोदन किया गया। भारतीय इतिहास कांग्रेस, दक्षिण भारतीय इतिहास कांग्रेस, भारतीय पुरातत्व विज्ञान सोसायटी, उड़ीसा इतिहास कांग्रेस, ऐतिहासिक अध्ययन संस्थान और भारतीय मुद्राशास्त्रीय सोसायटी जैसे 65 व्यावसायिक संगठनों को अपनी प्रकाशन कार्रवाइयों और सम्मेलनों के आयोजन के लिए अनुदान स्वीकृत किये गये हैं।

6.15.3. परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने कागजात प्रस्तुत करने के लिए तेईस विद्वानों को नामित किया। वे चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय थाई अध्ययन सम्मेलन, कुर्मींग चीन, अन्तर्राष्ट्रीय एशिया और उत्तरी अफ्रीका अध्ययन कांग्रेस, टोरन्टो, कनाडा, 17वीं अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक ऐतिहासिक कांग्रेस, लोवेन बेल्जियम तथा अन्तर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक विज्ञान सम्मेलन, मेड्रिड में शरीक हुए।

6.15.4 आई॰सी॰एच॰ आर॰ और मंगोलिया दूतावास ने दिनांक 29 नवम्बर, 1990 को मंगोलवासियों के गुप्त इतिहास पर संयुक्त रूप से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया।

6.15.5. परिषद ने भारतीय स्वतंत्रता की 40वीं वर्ष गांठ के आयोजन के एक हिस्से के रूप में कालीकट विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आन्दोलन पर एक कार्यशिविर का आयोजन किया।

6.15.6. सोलह विद्वानों को विदेशों में अभिलेख के लिए संसाधन सामग्री संग्रहित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत यू॰एस॰एस॰आर॰, तुर्की और बुल्गारिया से तीन विदेशी विद्वानों को अपने अनुसंधान कार्य के सिलसिले में विभिन्न अभिलेखागारों और पुस्तकालयों से सामग्री संग्रहित करने के लिए आमंत्रित किया गया फिर भी केवल बुल्गारिया से ही विद्वान आ सके हैं।

6.15.7. विचाराधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने अंग्रेजी, हिन्दी और तमिल में बारह पुस्तकों का प्रकाशन किया, जबकि अंग्रेजी, हिन्दी, फारसी, तमिल, तेलुगु और असमिया में बीस पाण्डुलिपियां प्रकाशनाधीन हैं

6.15.8. परिषद के पुस्कालय और प्रलेखन केन्द्र ने पाठकों के प्रति बढ़ी हुई अपनी जवाब देही के रूप में एक माइक्रोफिल्म प्रिंटर स्थापित किया। इस अवधि के दौरान पुस्तकालय में 1646 पुस्तकें और शामिल की गई।

भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद (आई॰सी॰पी॰ आर॰)

6.16.1. भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद् की स्थापना मुख्य रूप से समय-समय पर दर्शन में अनुसंधान की प्रगति को समन्वित करने और उसकी समीक्षा करने, दर्शनशास्त्र में अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजत करने अथवा उनकी सहायता करने तथा दर्शनशास्त्र तथा सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान के संवर्धन के लिए अन्य उपाय करने के लिए की गई थी।

6.16.2. वर्ष 1990-91 के दौरान परिषद ने दो सीनियर शिक्षा वृतियों और सोलह सामान्य शिक्षावृतियों को जारी करने के अलावा एक राष्ट्रीय शिक्षावृति, एक सीनियर शिक्षावृति, सत्रह सामान्य शिक्षावृतियां शिक्षण और पठन सामग्री तैयार करने के लिए, दो शिक्षावृतियां तीन अल्पावधि शिक्षावृतियां और 3 आवासीय शिक्षावृतियां प्रदान कीं।परिषद ने विदेशों में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आठ विद्वानों को यात्रा भत्ता अनुदान प्रदान किया।

6.16.3. भारतीय दार्शनिक परम्पराओं को पुनर्जीवित करने की परियोजना के अन्तर्गत परिषद ने जून 1990 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में दक्षिण भारतीय उलेमा और विश्वविद्यालय प्रशिक्षित आधुनिक विद्वानों के बीच संवाद शुरु किया। दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर सेमिनारों, सम्मेलनों आदि को आयोजित करने के लिए 8 विश्वविद्यालयों और संस्थानों को वित्तीय सहायता दी गई। पहला अफ्रीका-एशिया दर्शन संघ क्षेत्रीय सम्मेलन अफ्रीका-एशिया दर्शन संघ और अन्तर्राष्ट्रीय दार्शनिक समाज संघ के सहयोग से मार्च 1991 में नई दिल्ली में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव हैं। परिषद ने दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर और आई॰सी॰पी॰आर॰ शैक्षिक केन्द्र लखनऊ में ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रो॰ टी॰एल॰एस॰ स्पिरगे के व्याख्यानों की एक श्रृंखला का आयोजन किया।

6.16.4. परिषद ने अपनी पत्रिका के दो अंक तथा "वास्तविकता का गन्धर्व सिद्धांत" भाग-1 और 2 तथा "सामवेद" पर तीन प्रकाशन निकाले।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्

6.17.1. देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्रोन्नत एवं समन्वित करने के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना सन् 1969 में एक स्वायत संगठन के रूप में की गई थी।

6.17.2. इस वर्ष परिषद ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे अखिल भारतीय स्तर के अनुसंधान संस्थानों को सहायता देना जारी रखा। इस वर्ष कुल सहायता प्राप्त संस्थानों की संख्या पच्चीस थी। परिषद ने बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, मद्रास, नई दिल्ली और शिलांग स्थित छः क्षेत्रीय केन्द्रों को अपने-अपने क्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। वित्तीय अनुदान इक्कीस संस्थानों, व्यावसायिक सामाजिक विज्ञान संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि को सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशिवरों और विचार गोष्ठियों के लिए दिए गए थे।

6.17.3. परिषद् ने दिसमबर, 1990 तक चौसठ अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुसंधान अनुदान स्वीकृत किया। "महिला अध्ययन" सभी के लिए स्वास्थ्य, सामाजिक विज्ञानों के सैद्धांतिक और सिलसिलेवार मुद्धे, "भारत में सामाजिक विधान पर विश्वकोष" तैयार करना और "उत्तर पूर्व में अनंसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम" जैसे विषयों पर अनेक प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रम प्रगति पर हैं।

6.17.4 परिषद ने दो राष्ट्रीय शिक्षावृतियां, नौ सीनियर अनुसंधान शिक्षावृतियां सात शिक्षा वृतियां, 28 अल्पावधि डाक्टरल शिक्षावृतियां 39 प्रासंगिक अनुदान प्रदान किए। इस अवधि के दौरान दो अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया।

6.17.5 राष्ट्रीय वाचस्पति (डाक्टोरल) सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र (नासडॉक) ने 200 शोध प्रबंधों और 190 शोध परियोजनाओं सहित 1600 प्रकाशन अधिग्रहीत किए। 90 डॉक्ट्रल छात्रों द्वारा अनुसंधान सामग्री एकत्रित करने के लिए पुस्तकालयों का दौरा करने हेतु उन्हें अध्ययन अनुदान

प्रदान किए गए। तीस ग्रंथसूची तथा प्रलेखन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता भी दी गई। आंकड़ा अभिलेखाकार द्वारा भण्डार के लिए तीन आंकड़ा सेट प्राप्त किए गए। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञानी रजिस्ट्रार जिसमें 3600 अध्येता शामिल हैं, को कम्प्यूटरीकृत किया गया है और परिषद की 1991-92 के दौरान इसके प्रकाशन की योजना है। भा. सा. वि. अनु. परि. द्वारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र, चंडीगढ़ में सामाजिक विज्ञान आंकड़ा विश्लेषण में संगणक अनुप्रयोग पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किया गया।

6.17.6 प्रकाशन अनुदान की योजना के अंतर्गत, नवासी शोधपत्रों और सत्रह शोध परियोजनाओं को वित्तीय सहायता हेतु मंजूरी दी गई। परिषद ने प्रकाशन अनुदानों के अंतर्गत चालीस पुस्तकें प्रकाशित की। एशियाप्रशांत सामाजिक विज्ञान सूचना नेटवर्क (एपिनेस) कार्यक्रम के अंतर्गत अर्धवार्षिक एपिनेस न्यूजलैटर का प्रकाशन किया गया। केन्द्र ने मांग होने पर अध्येताओं, संस्थाओं और भा. सा. वि. अनु. परि. के स्टाफ को 260 लघु ग्रंथ सूचियां प्रदान की।

6.17.7 "सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता" तथा 'शांति की खोज और विकास भारत व सोवियत संघ की भूमिका' नामक दो भारत-सोवियत संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के सदस्यों ने अपनी अनुसंधान रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष सोवियत संघ की यात्रा की। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत, दो चीनी अध्येताओं और एक रूसी अध्येता ने भारत का दौरा किया तथा परिषद ने पांच अध्येताओं की फ्रांस, एक की आस्ट्रेलिया, एक की सोवियत संघ और दो की चीन की यात्रा प्रायोजित की। परिषद ने तीन अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित किए प्रथम विकास में विकल्प विषय पर दूसरा जापानी दक्षिण-एशियाई अध्ययन संघ के सहयोग से परंपरा और आधुनिकता पर तथा तीसरा भारत-डच कार्यक्रम के अंतर्गत एमस्टर्डम में आयोजित "प्लाटेशन इकॉनॉमी इन कोलोनियल एशिया" विषय पर। भा. सा. वि. अनु. परि. की आंशिक/पूर्ण सहायता के अंतर्गत अड़तीस अध्येताओं ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया। शोध सामग्री एकत्रित करने के लिए विदेश यात्रा हेतु दो अध्येताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

अखिल भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों को सहायता की योजना

6.18.0 इस योजना का उद्देश्य कुछ अखिल भारतीय स्तर की उन स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करना है जो शिक्षा की परंपरागत विश्वविद्यालय प्रणाली से भिन्न शिक्षा के कार्यक्रम, संचालित करते हैं। योजना के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय को किसी विशेष रूचि के परिवर्तनात्मक स्वरूप के कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान, योजना के अंतर्गत (I) श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी, (II) श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, ओरोविल, (III) लोक भारती सनोसरा, और (IV) मित्रनिकेतन, वेल्लानाद, केरल को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

द्विपक्षीय/विदेशी सहयोग

6.19.1 पिछले कुछ वर्षों से विदेशी शिक्षाविदों की भारत में रुचि बढ़ रही है। यह भारतीय शिक्षा के अमरीकी संस्थान, शास्त्री भारत कनाडा संस्थान, भारतीय संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान भारतीय बरकेले द्वारा व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं की बढ़ती हुई संख्या से स्पष्ट है। 1990-91 के दौरान, सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसंधान प्रस्तावों की कुल संख्या 1989-90 की संख्या 236 की तुलना में 254 थी। विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से होने वाले द्विपक्षी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि की संख्या, अतिथि व्याख्याताओं, अथवा प्रोफेसरों के रूप में विदेशी अध्येताओं की नियुक्ति, तथा देश के विश्वविद्यालयों में विदेशी राष्टिकों की नियुक्ति संबंधी अनुरोधों में भी बढ़ोत्तरी हो रही है।

शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान

6.19.2 1968 में स्थापित शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान अध्येताओं के आदान-प्रदान, अनुसंधान कार्यकलापों की प्रोन्नति, द्विपक्षी सम्मेलनों और विशेष परियोजनाओं के माध्यम से भारत और कनाडा के बीच आपसी सद्भावना को बढ़ावा देता है। नवंबर, 1968 में हस्ताक्षरित तथा 1 अप्रैल, 1989 से पांच वर्षों के लिए यथानवीकृत सद्भावना ज्ञापन के अनुसार सरकार ने 1990-91 के दौरान संस्थान को 5,500,000.00 रुपये का सहायता अनुदान दिया।

6.19.3 1990-91 के दौरान , संस्थान ने भारतीय अध्येताओं द्वारा अपने शैक्षिक अनुसंधान जारी रखने और कनाडा में अपने प्रतिपूरकों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए उन्हें तीस शिक्षावृत्तियां प्रदान की। इस प्रकार कनाडा के अट्ठारह कनाडियाई अध्येताओं ने भारत की विरासत के विभिन्न पहलुओं और विकासात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित अपने अनुसंधान किए।

6.19.4 संस्थान नई दिल्ली के इंस्टीट्यूशनल एरिया में भाई वीर सिंह मार्ग पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि पर अपना भवन बना रहा है। शीघ्र ही, भवन के पूरा हो जाने पर, संस्थान कनाडा एवं भारत के बीच संपर्कों को बढ़ावा देने वाले अपने कार्यक्रमों का विस्तार कर सकेगा।

भारतीय संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान

6.19.5 भारत में सयुंक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान की स्थापना फरवरी, 1950 में एक द्विपक्षीय करार के अंतर्गत की गई थी। जिसे ज्ञान के अधिक आदान-प्रदान के माध्यम से भारत और सं.रा. अमरीका के लोगों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए 1963 में एक नए करार द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। यह भारत में फुलब्राइट कार्यक्रम चलाने के लिए उत्तरदायी है।

6.19.6 शैक्षिक वर्ष 1990-91 के दौरान बाईस प्रवक्ताओं, चौदह शोधार्थियों और सत्रह छात्रों को तीन से नौ माह के लिए अनुदान दिये गए।

6.19.7 द्विराष्ट्रीय यू एस ई एफ आई निदेशक मंडल प्रतिवर्ष उन अध्ययन क्षेत्रों की मंजूरी देता है, जिसके लिए शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। प्रतिष्ठान सामाजिक विज्ञानों और मानविकी में तीन से सात माह की अवधि के लिए सीनियर एवं जूनियर विश्वविद्यालय संकायों तीस शोध अनुदान प्रदान करता है। सयुंक्त राज्य में व्याख्यान देने के लिए एक सुविख्यात भारतीय को तीन सप्ताह के लिए अनुदान दिया जाता है।

अमरीकी भारतीय अध्ययन संस्थान

6.19.8 अमरीकी भारतीय अध्ययन संस्थान जो कि कैलिफोर्निया, शिकागो, कोलंबिया, हारवर्ड, पेनसिल्वानिया, वांशिगटन, इत्यादि जैसे प्रमुख सत्तावन अमरीकी विश्वविद्यालयों का 31 वर्ष पुराना संकाय है, 1961 से भारत में (क) शिक्षावृत्तियों, (ख) भारतीय भाषाओं के शिक्षण, (ग) शोध कार्यों के परिणामों के प्रकाशन, (घ) सेमिनारों, सम्मेलनों, और कार्यशालाओं, के अयोजन तथा (ड) वाराणसी में कला व पुरातत्व के इतिहास के शोध केन्द्रों तथा नई दिल्ली में संगीत एवं एथनोम्यूजिकांलॉजी, केन्द्रों के माध्यम से संयुक्त राज्य में भारतीय शिक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता की प्रोन्नति के उद्देश्य से कार्य कर रहा है।

6.19.9 1990-91 के दौरान संस्थान ने सयुंक्त राज्य अमरीका के विश्वविद्यालयों तथा शोध संगठनों के संकाय सदस्यों और पी एच डी छात्रों को उनकी राष्ट्रीयता के भेदभाव बिना मानव विज्ञान से लेकर प्राणिविज्ञान के क्षेत्र तक लगभग अस्सी छात्रवृत्तियां प्रदान की। इसने भारत में सेमिनारों में भाग लेने के लिए अध्येताओं को प्रयोजित किया यथा (1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कलाकेन्द्र द्वारा आयोजित 'कल' (2) कलकत्ता त्रिशताब्दी समिति द्वारा आयोजित "कलकत्ता का इतिहास" "समाज व संस्कृति" और (3) हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित "रामायण" परीक्षण व परंपराएं।

6.19.10 ए आई आई एस, अमरीकी छात्रों के लिए बंगला, हिंदी, तमिल, तेलगु एवं उर्दू में भाषा शिक्षण आयोजित करता है।

6.19.11 व्यक्तगत परियोजनाओं के अलावा संस्थान ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान "हिस्ट्री आर्फ शाहजहां" से "रेप्टाइल रिप्रोडक्शन एण्ड एग इनक्यूबेशन स्टडीज, आर्फ क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स एण्ड लिजार्ड्स" जैसे विविध विषयों पर दीर्घावधि परियोजनाएं चलाई। ए आई आई एस के तत्वावधान में 25000 से भी अधिक शोध परियोजनाओं के परिणाम प्रकाशित किए जा चुके हैं।

6.19.12 संस्थान का कला एवं पुरातत्व केन्द्र, जिसमें विभिन्न प्राचीन स्मारकों और स्थलों के 100,000 तैयार और प्रलेखित छायाचित्रों तथा 17000 स्लाइडों की अभिलेखीय सुविधा है, द्वारा आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, व उड़ीसा राज्य में मंदिरों व इस्लामी स्मारकों आदि के फोटो लेने के लिए प्रलेखन दौरे आयोजित किए गए। इन छायाचित्रों को इसकी परियोजनाओं के लिए आवश्यकता थी। दक्षिण व उत्तर भारत की भारतीय मंदिर वास्तुकला के विश्वकोष के दो भाग प्रेस में है और शेष भागों पर कार्य जारी है।

6.19.13 एथनोम्यूजिकॉलॉजी अभिलेखाकार एवं अनुसंधानों केन्द्र (ए आर सी ई) का प्रमुख उद्देश्य भारतीय निष्पादन एवं मौलिक कलाओं का एक अभिलेखाकार विकसित करना है और अधिक व्यापक रूप से भारत की प्रदर्शन कलाओं के ज्ञान व सम्मान में उन्नति करना तथा भारत में एथनोम्यूजिकॉलॉजी के अध्ययन हेतु प्रेरित करना है। केन्द्र के पास इस समय क्षेत्र में 3000 घंटे की श्रव्य रिकार्डिंग तथा 600 घंटे की वीडियों रिकार्डिंग है। इसी क्षेत्र में इसका एक पुस्तकालय भी है। जिसमें 4000 पुस्तकें और 75 पत्र-पत्रिकाएं हैं।

विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन

6.20.1 जुलाई, 1988 में घोषित विश्वविद्यालयों व कालेजो के शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन की योजना का सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व अधिकतर राज्यों द्वारा कार्यान्वयन कर लिया गया है। लगभग 11 राज्यों द्वारा कार्यान्वयन कर लिया गया है। लगभग 11 राज्यों को केन्द्रीय सहायता भी जारी कर दी गई है।

6.20.2 वेतनमानों में संशोधन संबंधी योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर प्रवक्ताओं की भर्ती हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिसंबर, 1989 और जून, 1990 में दो राष्ट्रीय अर्हता परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। वि. अनु. आ. विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में विभिन्न शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं में भी संशोधन हो चुका है।

6.20.3 आयोग ने शिक्षक संगठनों के परामर्श से शिक्षकों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन की पद्धति तथा व्यावसायिक नीति संहिता को भी अंतिम रूप दे दिया है। विश्वविद्यालयों व कालेजों से योजना अपनाने के लिए अनुरोध किया गया है।

46.20.4 आयोग ने नये-नियुक्त शिक्षकों के अनुस्थापन तथा सेवारत शिक्षकों के पुवश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में 48 शैक्षिक स्टाफ-कालेजों की स्थापना की है।

जाकिर हुसैन स्मारक कॉलेज न्यास

6.21.1 जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास की स्थापना 1973 में डा० जाकिर हुसैन कालेज (पूर्वतः दिल्ली कालेज) के प्रबंध तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए की गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध इस कालेज का रखरखाव संबंधी व्यय*95.5 के अनुपात में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और न्यास द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विशवविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सहायता प्रणाली के अनुसार विकास खर्च को पूरा करने के लिए कालेज को अनुदान देता है। ऐसे विकासात्मक व्यय के लिए न्यास द्वारा समान अंशदान किया जाना आवश्यक है। चूंकि न्यास के पास अपना कोई वित्तीय स्रोत नहीं है इसलिए उपर्युक्त खर्च को पूरा करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। न्यास के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.21.2 न्यास द्वारा निर्धारित एक मुख्य कार्यक्रम कालेज को वर्तमान स्थल से हटाकर मिन्टो रोड क्षेत्र के रणजीत होटल के पास नए स्थान पर ले जाना था। नये भवन के निर्माण के लिए राशि, शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान के माध्यम से उपलब्ध करायी गई थीं। नये भवन का उद्‌घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 फरवरी, 1991 को किया गया था।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप स्कीम

6.22.0 लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों और अध्येताओं को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप स्कीम, 1949 में प्रारम्भ की गई थी। वर्तमान में चार राष्ट्रीय प्रोफेसर है जो इस प्रकार हैं—डा० वी०के०आर०वी० राव, अर्थशास्त्री डा०सी०आर०राव, गणितज्ञ; डा० (न्यायमूर्ति), डी०डी० बसु, संविधानविद्; डा० (श्रीमती) एम०एस० सुब्बालक्ष्मी, कर्नाटक संगीत / राष्ट्रीय प्रोफेसर 5000/-रु० की मासिक परिलब्धियां तथा आकस्मिक अनुदान पाने के हकदार हैं।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (भा०वि०सं०)

6.23.1 भारतीय विश्वविद्यालयों संघ विश्वविद्यालय का एक स्वैच्छिक संगठन है जो विश्वविद्यालय प्रशासकों तथा शिक्षाविदों के लिए आपस में विचार विमर्श करने और पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा करने और पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा करने के लिए एक मंच का कार्य करता है। यह संघ उच्च शिक्षा के संबंध में एक सूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करता है और उच्च शिक्षा पर अनेक उपयोगी प्रकाशन, अनुसंधान पत्र पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएं छपवाता हैं।

6.23.2 यद्यपि संघ को अधिकांश धन सदस्य विश्वविद्यालयों द्वारा दिये गए वार्षिक चन्दे से प्राप्त होता है, फिर भी उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण मामलों में अनुसंधान / अध्ययन करने के लिए संघ को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। सरकार की सहायता से स्थापित अनुसंधान कक्ष द्वारा किये जाने वाले कार्यकलापों के लिए तथा कुछ हद तक संघ के अनुरक्षण व्यय को पूरा करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.23.3 वर्ष 1990-91 के दौरान संघ ने निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करके उच्च शिक्षा के इन पहलुओं पर साहित्य की उन्नति में अपना योगदान प्रदान किया:

(I) पत्राचार पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दूरस्थ उच्चतर शिक्षा का अर्थशास्त्र;

(II) केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व्यय की वृद्धि प्रवृत्तियां; स्रोतों, संसाधन वितरण प्रणाली तथा पद्धतियों का विश्लेषण;

(III) विश्वविद्यालय क्षेत्र में वैज्ञानिकों एवं तकनीकी जनशक्ति का सर्वेक्षण; तथा

(IV) विश्वविद्यालय उद्योग तालमेल, सहयोग के क्षेत्रों एवं स्वरूपों का पता लगाना।

संघ का निम्नलिखित पर अध्ययन शुरू करने का प्रस्ताव है:—

(क) उच्च शिक्षा में प्रदर्शन-सूचक तथा

(ख) विश्वविद्यालयों के विकास के लिए संसाधन जुटाना।

6.23.4 परीक्षा सुधार के क्षेत्रों में भाषा के अन्य विशिष्ट पाठ्यक्रमों में अवर-स्नातक छात्रों द्वारा महसूस की गई भाषा-भार से संबंधित, परियोजनाओं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पाठ्यक्रम सम्बन्धी दस्तावेजों के प्रति प्रतिक्रियाएं, शिक्षक मूल्यांकन, संस्थागत मूल्यांकन इत्यादि शुरु किये जा रहे हैं। संघ ने अनुचित साधनों, नमूने मुक्त मद विश्लेषण तथा व्यापक-नकलों के ऊपर मोनोग्राफ प्रकाशित किए हैं।

6.23.5. वर्ष 1990-91 के दौरान, चिकित्सा शिक्षा पर एक पुस्तिका दूरस्थ शिक्षा पर एक पुस्तिका, प्राकृतिक एवं प्रयुक्त विज्ञान-1984-85 में

डॉक्ट्रल शोध-प्रबन्धों की ग्रंथ-सूची, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी (1985-86) में डाक्ट्रल शोध-प्रबंधों की ग्रंथ-सूची तथा इतिहास में प्रश्न बैंक पुस्तक श्रृंखला (हिन्दी रूपांतर) प्रकाशित किये गए हैं।

6.23.6 भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने जनवरी, 1991 में कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालयों के कार्यकारी प्रमुखों के नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन का आतिथेय किया। भारत में पहली बार हुए इस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के 240 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

6.24.0 पंजाब राज्य का पुनर्गठन हो जाने से, पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबंधों के अन्तर्गत अन्तर-राज्य निगमित निकाय घोषित किया गया था। विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय इस समय पंजाब सरकार और चंडीगढ़ संघ प्रशासन द्वारा 40:60 के अनुपात में वहन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय का विकास व्यय मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्ग-निर्देशों के अनुसार विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए आयोग द्वारा संस्वीकृत अनुदानों में से ही किया जाता है। तथापि, विश्वविद्यालय को भी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्वीकृत विकास अनुदान की राशि के समतुल्य राशि देनी पड़ती है और ऐसी अनेक परियोजनाओं और कार्यक्रमों में धन लगाना होता है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्कीमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार हर वर्ष विश्वविद्यालय को एक समुचित राशि ऋण के रूप में देती है। वर्ष 1990-91 के दौरान विश्वविद्यालय को अपने विकास कार्यक्रमों के लिए 50.00 लाख रुपये ऋण के रूप में दिए गए ।

राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना

6.25.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इसके कार्यान्वयन के लिए तैयार कार्रवाई योजना में एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना की संकल्पना की गई है ताकि विश्वविद्यालय डिग्रियों को सेवाओं में भर्ती अलग रखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके। सेवाओं में भर्ती के लिए विश्वविद्यालय डिग्री आवश्यक अर्हता नहीं होनी चाहिये।

6.25.2 राष्ट्रीय परीक्षण सेवा स्थापित हो जाने परः

(क) ऐसे विनिर्दिष्ट पदों के लिए जिनके लिए डिप्लोमा अथवा डिग्री की अर्हता होना अपेक्षित नहीं है, उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्धारण और प्रमाणीकरण करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर परीक्षाएं आयोजित करेगी।

(ख) उम्मीदवार ये परीक्षायें स्वैच्छा से दे सकें और ऐसे उम्मीदवार जिन्हें विनिर्दिष्ट पदो / सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त प्रमाणित कर दिया गया है। उनकी कोई अन्य अर्हता देखें बिना ही वे ऐसे पदों / सेवाओं पर नियुक्ति के पात्र होंगे;

(ग) अभिनिर्धारित पदों पर कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान, सक्षमता, कार्य-कुशलता और अभिरूचि की अपेक्षाओं का पता लगाने के लिए विस्तृत पद वितरण, पद-विश्लेषण इत्यादि के आधार पर परीक्षायें तैयार करेगी।

(घ) परीक्षा विकास, परीक्षा प्रशासन, परीक्षा अंकन, कम्प्यूटर प्रणालियों के अनुप्रयोग और वैकल्पिक अंक रीडर, आदि में राष्ट्रीय स्तर पर साधनों से युक्त एक संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करेगी।

6.25.3 सरकार ने उपर्युक्त उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना के प्रस्ताव का सैद्धान्तिकरूप से अनुमोदन कर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की जा रही है और संघ के ज्ञापन और नियमावली को अन्तिम रूप देने के पश्चात तथा साधारण परिषद और शासी निकाय के सदस्यों तथा अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो जाने पर यह कार्य करना प्रारम्भ कर देगी।

अनुसचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कक्ष

6.26.0 यह कक्ष, जो कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी नीति की समीक्षा करने के प्रति उत्तरदायी है, का प्रभार एक अवर सचिव को सौंप कर इसे सुदृढ़ किया गया है, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का समन्वयन करता है। यह कक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को तथा संसद को आरक्षण के संबंध में सूचना देने के लिए सम्पर्क एकक के रूप में भी कार्य करता है। कालेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षकों / छात्रों / कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की इस कक्ष द्वारा जांच की गई और जहां आवश्यक समझा गया मामलों को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया।

7. तकनीकी शिक्षा

7. तकनीकी शिक्षा

7.1.1 तकनीकी शिक्षा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने तथा लोगों के जीवन के स्वरूप को सुधारने वाले उत्पादों और सेवाओं के मूल्य संवर्द्धन की विशाल क्षमता के साथ मानव संसाधन विकास के प्रतिबिंब का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस क्षेत्र के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में तकनीकी शिक्षा के विकास पर बहुत बल दिया गया है।

7.1.2 पिछले चार दशकों के दौरान देश में तकनीकी सुविधाओं का चमत्कारिक विकास हुआ है। किन्तु, इसके क्षेत्र की वृद्धि और संगठित के साथ-साथ असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी सुलभता और इसकी प्रासंगिकता और उत्पादकता में सुधार के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अभी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस शताब्दी के अंत तक सामाजार्थिक, औद्योगिक, तथा शिल्पविज्ञानीय क्षेत्रों में आगामी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली को बृहत्तर प्रासंगिकता और वास्तविकता से अपनी भूमिका निभाने में समर्थ बनाए जाने की आवश्यकता है। इन तर्कों के आधार पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली को परिमार्जित करने के लिए और अधिक उपक्रमण किए गए। इनमें आधुनिकीकरण तथा अप्रचलित तरीकों को हटाना, संस्था-उद्योग के तालमेल को बढ़ाना, उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे तकनीकी कार्मिकों के ज्ञान और कौशल के उन्नयन के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण सम्मिलित है।

7.1.3 आलोच्य अवधि के दौरान तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण विकास देखे गये। विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति की गई। पॉलिटेक्निकों को अपनी क्षमता, गुणात्मकता तथा कार्य दक्षता में सुधार लाने योग्य बनाने के लिए देश में तकनीशियन शिक्षा प्रणाली के उन्नयन की दिशा में विश्व बैंक की सहायता से एक बड़ी परियोजना प्रारम्भ की गई। वैधानिक अधिकारों के साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उसे दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने का कार्य जारी रखा।

7.2.0 वर्ष के दौरान तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों तथा उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान:

7.3.1 अभियान्त्रिकी तथा प्रयुक्त विज्ञान में पूर्व स्नातक स्तर पर शिक्षा और प्रशिक्षण तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन और शोध की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने वाले प्रमुख केन्द्रों के रूप में बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं।

7.3.2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०) अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री के लिए चार वर्षीय पुर्वस्नातक कार्यक्रम चलाते हैं। वे भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा गणित में पांच वर्ष की अवधि के समाकलित स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम, विभिन्न विशेषज्ञताओं में डेढ़ वर्ष के एम०टेक० डिग्री पाठ्यक्रम तथा चुनिन्दा क्षेत्रों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की भी पेशकश करते हैं। इसके अतिरिक्त ये संस्थान अभियान्त्रिकी विज्ञानों, मानविकी और समाज-विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में पी०एच०डी० कार्यक्रमों की पेशकश करते है। प्रत्येक संस्थान में अभिज्ञात क्षेत्रों में प्रशिक्षण और शोध के उच्च केन्द्र भी हैं। उपरोक्त सारिणी दाखिलों, विद्यार्थियों की संख्या और पांच आई०आई०टी० की उपलब्धियों का परिचय प्रस्तुत करती है।

सारिणी 7.1

आई०आई०टी०	प्रवेश		छात्रों की संख्या (1990-91 में कुल)		उपस्थिति (पूर्व के वर्षों में प्रविष्टियों के संदर्भ सहित)	
	यू०जी०	पी०+आर	यू०जी०	पी०जी०+आर	यू०जी०	पी०जी०+आर
दिल्ली	327	719	1146	1903	221	530

बम्बई	394	845	1447	1461	382	364
मद्रास	273	412	1071	115	283	544
कानपुर	293	336	1134	867	220	300
खड़गपुर	394	413	1606	963	434	397

7.3.3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के मामले में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन संस्थानों द्वारा या तो किसी के तत्वावधान में अथवा स्वयं किए गए शोध-कार्य से बड़ी तादाद में उद्योग लाभान्वित हुए हैं। वर्षों से वे अपना पेटेंट विकसित करते तथा उद्योगों को उसका उपयोग प्रदान करने में सफल हुए है। प्रायोजित शोध परियोजनाओं तथा आई॰आई॰टी॰ और उनके संकाय द्वारा प्रारम्भ किए गए परामर्श कार्य से इन संस्थानों को प्रतिवर्ष काफी बड़ा राजस्व प्राप्त होता है।

7.3.4 देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा दिया गया एक अन्य योगदान है दूसरे इंजीनियरिंग/शिल्पविज्ञानी संस्थाओं के लाभ के लिए उनके पाठ्यचर्या आदि के विकास में उनकी सहायता करना।

7.3.5 ये संस्थान अपने उन छात्रों की गुणात्मकता पर गर्व कर सकते हैं जो वे स्नातक होने पर उच्च स्तरीय सक्षमता, मूल्यों और अपने विषय में परिपक्वता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। होनहार छात्रों का चयन और प्रशिक्षण की अत्यधिक गुणात्मकता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान व्यवस्था की शक्ति है जो उत्कृष्टता की खोज के लिए प्रतिबद्ध हैं। आलोच्य अवधि के दौरान संस्थानों ने इस प्रयोजनार्थ प्रदत्त निधियों से अप्रचलित उपकरणों के स्थानापन्न और प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को जारी रखा।

7.3.6 संस्थानों ने संस्थागत नेटवर्क स्कीम के अन्तर्गत क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को उनकी प्रयोगशालाओं और संकाय के विकास के लिए मदद देना जारी रखा।

7.3.7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की भर्ती में सुधार लाने के लिए दस माह का एक विशेष प्रारम्भिक पाठ्यक्रम जारी रखा गया। वे छात्र जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जी) में असफल हो जाते हैं किन्तु, अंकों की एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशतता अर्जित कर लेते हैं। उन्हें इस प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। प्रारम्भिक पाठ्यक्रम की समाप्ति पर इन छात्रों को एक योग्यता-परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है जिसके आधार पर उन्हें पुनः संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जी) में सम्मिलित हुए बिना ही बी॰टेक कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। इसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की भर्ती की स्थिति में काफी महत्वपूर्ण सुधार किया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को संस्थानों से निःशुल्क भोजन के अतिरिक्त जेबखर्च, ऋण और पार्थक्य अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता निरन्तर मिलती हैं।

7.3.8 आलोच्य अवधि के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में उल्लेखनीय परिवर्धन किए गए हैं जिनमें नौसेना संरचना विभाग और एक आधुनिक रबड़ मिश्रण मिल के लिए अत्याधिक परिष्कृत वेव मेकर तथा रबड़ प्रौद्योगिकी केन्द्र के लिए संसाधन क्षमता परीक्षक (प्रोसेसिबिलिटी टेस्टर) शामिल है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने सभी विभागों में उनके शिक्षण और शोध कार्यों को सहायता देने के लिए आधुनिक प्रायोगिक सुविधाओं का सृजन जारी रखा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने इच्छुक पूर्वस्नातक छात्रों को शोध की प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए पूर्वस्नातक शोध अवसर कार्यक्रम (यू॰आर॰ओ॰पी॰) प्रारम्भ किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर शीघ्र ही बड़ी तादाद में स्थानीय नेटवर्क (Local Area Network) क्षेत्र से जुड़ी कम्प्यूटर प्रणाली को प्राप्त करने और उन्हें स्थापित करने जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई ने आई॰आई॰टी॰-उद्योग संपर्कों और बढ़ते हुए तालमेल को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

7.3.9 प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में निर्दिष्ट निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए अपनी स्वयं की कार्य-योजना तैयार की है। योजना आयोग की अपेक्षानुसार संस्थानों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव-पत्र भी तैयार किए हैं जिनमें अधिक विकास के लिए अतिरिक्त छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण, प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, उभरते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ, कोटि सुधार, अप्रचलित उपकरणों को हटाने स्टाफ और संकाय के विकास आदि सहित आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है।

7.3.10 एक उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा समिति जिसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के कार्य और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया, ने फरवरी, 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विचार-विमर्श और संवीक्षा के बाद अधिकांश सिफारिशें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को कार्यान्वयन के लिए भेजी गई। अन्य सिफारिशें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् और एक अधिकार प्राप्त समिति के विचाराधीन हैं। सिफारिशों का कार्यान्वयन आई॰आई॰टी॰ परिषद और अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुवीक्षित (मनीटर्ड) होगा।

7.3.11 असम समझौते के अन्तर्गत सरकार असम में आई॰आई॰टी॰ की स्थापना के लिए सहमत हो गई है। यह देश का छठा

आई०आई०टी० होगा। आई०आई०टी० की अवस्थिति के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में प्रस्तावित स्थल इसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका और उन्होंने नये स्थल का सुझाव नहीं दिया, जिसका विशेषज्ञ समिति ने निरीक्षण किया।

भारतीय प्रबंधन संस्थान

7.4.1 प्रबन्धन के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और परामर्श देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता और लखनऊ में एक-एक करके चार भारतीय प्रबन्धन संस्थान स्थापित किए गए।

7.4.2 अहमदाबाद, बंगलौर और कलकत्ता के तीन संस्थानों ने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने सामान्य शैक्षिक और शोध यथा-स्नातकोत्तर कार्यक्रम, प्रबन्धन में छात्रवृत्ति कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, संगठन (आयोजन) आधारित कार्यक्रम तथा उद्योगों के लिए शोध और परामर्श के कार्यक्रम जारी रखे।

7.4.3 लखनऊ स्थित चौथे भारतीय प्रबन्धन संस्थान की स्थापना 1984 में की गई थी, ने 1985-86 के सत्र से कार्य करना आरम्भ किया। यह अभी तक विकास के चरण में है। यह संस्थान स्नातकोत्तर कार्यक्रम, प्रबन्धन विकास कार्यक्रम चला रहा है तथा उद्योगों के लिए शोध और परामर्श का कार्य प्रारम्भ कर रहा है।

राष्ट्रीय औद्योगिक अभियान्त्रिकी प्रशिक्षण संस्थान

7.5.1 भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से 1963 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक अभियान्त्रिकी प्रशिक्षण संस्थान की बम्बई में स्थापना की गई थी।

7.5.2 यह संस्थान औद्योगिकी अभियान्त्रिकी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (एम०टेक० के समकक्ष) औद्योगिक अभियान्त्रिकी में छात्रवृत्ति कार्यक्रम (पी०एच०डी० के समकक्ष) तथा कम्प्यूटर और अनुप्रयोगों में डिप्लोमा कार्यक्रमों की पेशकश करता है। यह औद्योगिक अभियांत्रिकी और प्रबन्धन तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में एक से दो सप्ताह की अवधि के अल्पकालिक कार्यकारी विकास कार्यक्रमों का संचालन भी करता रहा है। संस्थान व्यावहारिक शोध में भी लगा है तथा औद्योगिक अभियान्त्रिकी प्रचालन शोध सूचना प्रणाली तथा कम्प्यूटर, विपणन, कार्मिक और अन्य संबद्ध उत्पादकता और प्रबन्धन के क्षेत्र के विभिन्न पक्षों पर परामर्श भी देता है। संस्थान वैयक्तिक संगठनों की आवश्यकता के अनुकूल एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम भी चलाता है जो "यूनिट बेस्ड प्रोग्राम" के रूप में जाना जाता है।

राष्ट्रीय धातु ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची

(फाउण्ड्री एण्ड फोर्स)

7.6.1 राष्ट्रीय धातु ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची की स्थापना धातु ढलाई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण और अनुसंधान के एक शीर्ष संस्थान यू०एन०डी०पी० यूनेस्को के सहयोग से 1966 में की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। संस्थान के उद्देश्य हैं:

— उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, एम०टेक पाठ्यक्रम तथा उद्योगों द्वारा अपेक्षित यूनिट बेस्ड प्रोग्रामों के ज़रिए प्रशिक्षण देना।

— धातु ढलाई प्रौद्योगिकी में मार्गदर्शन करना तथा प्रयुक्त अनुसंधान का संचालन करना तथा

— धातु ढलाई तथा सहयोगी उद्योगों को परामर्श, परीक्षण, प्रदर्शन और सूचना सेवा प्रदान करना।

7.6.2 संस्थान ने सितम्बर, 1990 में कुल अट्ठावन छात्रों से धातु ढलाई प्रौद्योगिकी में अपना सत्रहवां उच्च डिप्लोमा पाठ्यप्रक्रम रम्भ किया। एम०टेक० पाठ्यक्रम का दस छात्रों का पांचवां बैच अगस्त, 1989 में प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1989-90 के दौरान संस्थान द्वारा नौ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए गए जिनमें एक सौ सात प्रायोजित उम्मीदवारों ने भाग लिया। संकाय के सदस्यों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों में सहभागिता की तथा 28 तकनीकी पत्र प्रस्तुत/प्रकाशित किए। संस्थान ने अनेक एजेन्सियों से सम्पर्क किया तथा काफी तादाद में शोध और परामर्श परियोजनाएं भी प्रारम्भ कीं। संस्थान ने दो यूनिट बेस्ड प्रोग्राम्स चलाए।

7.6.3 संस्थान के पास हॉरिसन-332 बिट वाला एक कम्प्यूटर केन्द्र है जिसमें विभिन्न परिधियों के साथ-2 आर०ए०एम० प्रणाली है। निकट भविष्य में एक नई प्रणाली अधिग्रहित होने की आशा है। आलोच्य अवधि के दौरान संस्थान द्वारा प्रलेखन और सूचना पुनःप्राप्ति सेवाएं भी सुदृढ़ की गई।

योजना और वास्तुकला विद्यालय

7.7.1 योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली की स्थापना, 1955 में मानव आवासों(बस्तियों) तथा पर्यावरण से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अग्रगामी संस्थान के रूप में की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित एक स्वतंत्र निकाय है। स्कूल को 1979 में समविश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था ताकि वह शोध और विस्तारण कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाने तथा पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और डाक्टरेट की डिग्रियां स्वयं देने के लिए अपने शैक्षिक कार्यक्रमों का दायरा और अधिक व्यापक बनाने में समर्थ हो।

7.7.2 स्कूल दो पारियों में 68 छात्रों की भर्ती की वार्षिक स्वीकृति से वास्तुकला में एक स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है। गत वर्ष से 20 छात्रों की भर्ती से भौतिकी योजना में स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। यह योजना (शहरी और क्षेत्रीय योजना, परिवहन योजना और आवास-निर्माण में विशेषज्ञता सहित), वास्तुकला (शहरी अभिकल्पना और वास्तुशिल्पीय संरक्षण में विशेषज्ञता सहित), बिल्डिंग इंजीनियरी और प्रबन्धन तथा भू-दृश्य वास्तुकला में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम भी चला रहा हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में कुल भर्ती 110 हैं। संस्थान दस छात्रों की भर्ती से पी०एच०डी० का कार्यक्रम भी संचालित करता है।

अन्तः अनुशासन शोध और विस्तार कार्यक्रमों को बढ़ाने और उनमें समन्वय के लिए स्कूल में ग्रामीण विकास और पर्यावरणात्मक अध्ययन केंद्रों के अतिरिक्त संरक्षण अध्ययन केन्द्र और विश्लेषण तथा प्रणाली अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए, जो शिक्षण विभागों के लिए संसाधन केन्द्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। विश्लेषण तथा प्रणाली अध्ययन केन्द्र में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन की उन्नत सुविधाओं वाला एक अपोलो डी० एन०—560 कंप्यूटर है।

7.7.3 आलोच्य अवधि के दौरान स्कूल के महारानी बाग स्थित परिसर में एक छात्रावास, एक गेस्ट हाउस और 71 स्टाफ क्वार्टरों के सिविल निर्माण कार्य चल रहे हैं। स्कूल ने अनेक सेमिनार, कार्यशालाएं और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया तथा काफी तादाद में शोध और परामर्श परियोजनाएं भी प्रारंभ कीं।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान

7.8.1 पॉलीटेक्निक शिक्षकों को सेवाकालीन रशिक्षण देने तथा पॉलीटेक्निक शिक्षा के समूचे सुधार के लिए विभिन्न सेवाएं प्रारंभ करने के लिए सन् उन्नीस सौ साठ के मध्य में भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। ये संस्थान शिक्षकों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देने तथा उन्हें पाठ्यचर्या विकास और संबंधित कार्यकलापों से परिचित कराने के अतिरिक्त पॉलिटेक्निकों के डिप्लोमा और डिग्री धारी शिक्षकों को 12 माह / 18 माह की अवधि के दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं। भोपाल और मद्रास के संस्थान शिक्षक-प्रशिक्षण के स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों की शिक्षा देनें के स्तर पर पहुंच गए हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के अतिरिक्त ये संस्थान संसाधन विकास, विस्तार कार्य, परामर्श और परियोजना निर्माण का जिम्मा भी अपने ऊपर लेते हैं। वे यू० एन० डी० पी० परियोजना के अंतर्गत शैक्षिक फिल्म-निर्माण, राष्ट्रीय परीक्षण सेवाओं, अनुदेशकीय पैकेजों आदि को तैयार करने के कार्यों में भी संबद्ध हैं। आलोच्य अवधि के दौरान इन संस्थानों ने अपने कार्यक्षेत्रों में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकलापों को जारी रखा और पालिटेक्निकों, उद्योग, उच्च शिक्षा संस्थानों, शोध संगठनों और अन्य संसाधन प्रणालियों के बीच तालमेल बढ़ाने के कार्य जारी रखे।

7.8.2 विश्व बैंक की सहायता से राज्यों में पॉलिटेक्निकों की क्षमता गुणात्मकता और कार्य-दक्षता बढ़ाने के लिए 1990-91 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक बड़ी परियोजना में तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को सम्मिलित किया गया। वे सहभागी राज्यों को पालिटेक्निक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, नये और उभरते हुए क्षेत्रों में पाठ्यचर्या तैयार करने, शिक्षा, शोध और विकास, मानव संसाधन विकास, परामर्श आदि में सहायता देंगे तथा परियोजना का ब्यौरा तैयार करने और परियोजना के कार्यान्वयन में भी व्यावसायिक सहायता देंगे।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7.9.1 देश के बड़े तकनीकी संस्थान विज्ञान और तकनीकी के उभरते हुए क्षेत्रों में संयुक्त शोध और विकास के लिए अपने सहायक अंगों से सहयोग ले रहे हैं। उपस्करों, विशेषज्ञ सेवाओं और प्रशिक्षण के रूप में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नार्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन आदि विकसित देशों के द्विपक्षीय फंडों और यू० एन० डी० पी०, यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इस प्रयोजन के लिए सहायता प्राप्त कर रहे हैं। ये संस्थान यू० एस०-इंडिया रूपी फंड से सहायता का उपयोग करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त शोध के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में अपने सहयोगियों के साथ भी सहयोग कर रहे हैं।

7.9.2 वर्ष 1990-91 के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने ओवरसीज विकास प्रशासन, ब्रिटेन की सहायता से एक नई कम्प्यूटर प्रणाली प्राप्त की। इस वर्ष के दौरान सिद्धांत रूप से यह भी निश्चित किया गया कि डी० डी० ए० की सहायता से डिजाईन, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और भौतिक-विज्ञान के क्षेत्रों में ब्रिटेन में अपने सहयोगी संस्थानों के साथ और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के बीच सहयोग रखा जाए। प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में यू० एन० डी० पी० की सहायता से इस वर्ष के दौरान प्रबंधन शिक्षा पर एक परियोजना लागू की गई। इसके अतिरिक्त प्रबंधन के क्षेत्र में बड़े भारतीय संस्थानों और यूरोपीय प्रबंध संस्थानों ने भारत और ई० ई० सी० के बीच हुए एक समझौते के अंतर्गत सहयोग किया।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

7.10.1 अनुवर्ती योजना अवधियों के दौरान देश में प्रशिक्षित इंजीनियरी कार्मिकों की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरी और तीसरी योजना अवधियों के दौरान बड़े-बड़े राज्यों में चौदह क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (प्रत्येक में एक-एक) स्थापित किए गए। ये इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), कालीकट (केरल), दुर्गापुर (प० बंगाल), जयपुर (राजस्थान), जमशेदपुर (बिहार), कुरूक्षेत्र (हरियाणा), नागपुर (महाराष्ट्र), राउरकेला (उड़ीसा), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), सूरत (गुजरात), सूरत्कल (कर्नाटक), तिरूचिलापल्ली (तमिलनाडु) और वारांगल (आंध्र प्रदेश) में हैं। पंद्रहवाँ क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज नवंबर, 1977 में सिल्चर (असम) में, सोलहवां हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में जुलाई, 1986 में और सत्रहवां जालंधर, पंजाब में जुलाई, 1989 में स्थापित किया गया।

7.10.2 जबकि, सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (हमीरपुर और जालंधर को छोड़कर) सिविल इंजीनियरी, मैकेनिकल इंजीनियरी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में प्रथम डिग्री पाठ्क्रम उपलब्ध कराते हैं, उनमें से कई केमिकल इंजीनियरी, मेट्लॉर्जिकल इंजीनियरी, वास्तुशिल्प और कम्प्यूटर विज्ञान में भी प्रथम डिग्री कोर्स की पेशकश करते हैं। हमीरपुर का क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज वर्तमान में इलेक्ट्रोनिक्स टैक्सटाइल इंजीनियरी और औद्योगिक इंजीनियरी, संरचनात्मक इंजीनियरी तथा निर्माण प्रबंधन, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरी, कैमिकल इंजीनियरी, बायो-इंजीनियरी और मैकेनिकल मशीन डिजाइन तथा आटोमेशन इंजीनियरी में प्रथम डिग्री पाठ्क्रम चला रहा है। चौदह क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। इनमें से नौ कालेज उच्च दाब क्वथनित्र और उपसाधनों की डिजाइज़न और निर्माण, स्टील प्लांटों के भारी संयंत्रों, परिवहन इंजीनियरी, औद्योगिक एवं समुद्रीय संरचनाओं, समेकित शक्ति प्रणाली आदि के विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में उद्योगोन्मुख पाठ्यक्रम चला रहे हैं।

7.10.3 आलोच्य अवधि के दौरान शैक्षिक कार्यक्रमों के विस्तार और विविधिताओं, अप्रचलित उपस्करों के स्थानापन्न सहित प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, छात्रावासों के निर्माण और छात्र-गतिविधि केन्द्र के विकास शोध-कार्यों के विस्तार, संस्थान-उद्योग सहयोग और सतत शिक्षा कार्यक्रम जैसी नई गतिविधियों पर बल दिया गया। इन कालेजों ने अपनी विकास परक योजनाओं के कार्यान्वयन में अच्छी प्रगति की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ संस्थागत नेटवर्क स्कीम के अंतर्गत इन कालेजों में एक सौ सत्तर प्रयोगशालाओं का विकास किया जा रहा है। इन संस्थानों में से चार के पास मुख्य कंप्यूटर फ्रेम है जबकि अन्य संस्थानों के पास प्रशिक्षणार्थी छात्रों की जरूरतों को प्रमुख रूप से पूरा करने के लिए माइक्रो-प्रणालियां और व्यक्तिगत कंप्यूटर हैं।

7.10.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के क्रियान्वयन के संदर्भ में सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों द्वारा सातवीं योजना के शेष समय और आठवीं योजना अवधि को भी कवर करने के लिए अपने संस्थागत लक्ष्यों को परियोजना के परिप्रेक्ष्य में पुनः परिभाषित करते हुए कार्रवाई योजना (कार्य योजना) के दस्तावेज तैयार किए गए। वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक इन दस्तावेजों में निर्दिष्ट कार्यों में से केवल एक ही प्रारंभ किया जा सका, क्योंकि क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज प्रणाली को सीमित संसाधन ही उपलब्ध कराये गये थे।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और शोधकार्य का विकास

7.11.1 भारत सरकार इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा और शोध कार्य के विकास की योजना के अंतर्गत पन्द्रह राज्य सरकारों और चौबीस गैर-सरकारी स्नातकोत्तर संस्थानों को प्रत्यक्ष सहायता दे रही है। इस योजना ने सामान्य रूप से प्रौद्योगिकी शिक्षा के विकास तथा विशेष रूप में शोध तथा विकास को प्रौन्नत करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आलोच्य अवधि के दौरान दस इंजीनियरी संस्थानों / कालेजों में दस नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की मंजूरी दी गई।

7.11.2 इंजीनियरी में स्नातक अभिरुचि परीक्षा फरवरी, 1990 में आयोजित की गई, जिसके आधार पर जुलाई, 1990 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिए गए।

कोटि सुधार कार्यक्रम

7.12.1 प्रौद्योगिकी शिक्षा की कोटि और स्तर सुधारने के विचार से कोटि सुधार कार्यक्रम वर्ष 1970-71 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए:

(i) संकाय विकास, जिसमें शामिल है—

— एम० टेक० और डाक्टरल कार्यक्रम

— कोटि सुधार कार्यक्रम केन्द्र (क्यू० आई० पी०) में अल्पकालिक पाठ्यक्रम

—इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एज्यूकेशन के जरिए ग्रीष्म और शीतकालीन स्कूल कार्यक्रम (आई० एस० टी० ई०)

(ii) पाठ्यचर्या विकास जिसमें प्रयोगशाला विकास, अनुदेशकीय सामग्रियों और अभ्यास पुस्तकों को तैयार करना शामिल है।

(iii) इंजीनियरी और पालिटेक्निक शिक्षकों के लिए उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण।

7.12.2 एम० टेक० और डाक्टरल कार्यक्रम पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों रूड़की विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान (बंगलौर), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, कुछ क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों, अन्ना विश्वविद्यालय (मद्रास) और जादवपुर विश्वविद्यालय (कलकत्ता) में कार्यान्वित किए गए हैं। अल्पकालिक पाठ्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रम इंजीनियरी कालेज शिक्षकों के लिए उपरोक्त केन्द्रों के जरिए तथा चार तकनीकी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों तथा डिप्लोमा स्तर के संस्थानों के शिक्षकों के लिए इंजीनियरी और ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के जरिए कार्यान्वित किया गया। जबकि, उद्योग में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा और ग्रीष्म / शीतकालीन स्कूल कार्यक्रम आई० एस० टी० ई० के जरिए आयोजित किया जाता है।

7.12.3 अब तक प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या के संबंध में कोटि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत संकाय विकास कार्यक्रम की उपलब्धियों को नीचे दी गई सारिणी में प्रस्तुत किया गया है:—

तालिका 7.2

कोटि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत संकाय विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां

	पाठ्यक्रमों की सं०	प्रशिक्षित शिक्षकों की सं० (अनुमानित)
पी० एच० डी० के लिए प्रशिक्षित शिक्षक	—	1,245
एम०टेक० के लिए प्रशिक्षित शिक्षक	—	1,220
अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में डिग्री स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक	855	15,000
आई० एस० टी० ई० के ग्रीष्म और शीतकालीन स्कूल कार्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षित इंजीनियरी कालेजों और पालिटेक्निकों के शिक्षक	1644	36,294
तकनीकी शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पालिटेक्निक शिक्षकों के लिए चलाए गए अल्पकालिक कार्यक्रम	2040	41,500
डिग्री और डिप्लोमा स्तरों पर शिक्षकों के लिए उद्योग में अल्पकालिक प्रशिक्षण।	—	6,500
कुल	4539	1,01,759

7.12.4 वर्ष 1990-91 तक 1345 शिक्षक एम०टेक० और 1325 शिक्षक पी०एच०डी० के लिए प्रशिक्षित किए गए। कोटि सुधार कार्यक्रम केन्द्रों ने डिग्री स्तर के शिक्षकों के लिए लगभग 855 अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें लगभग 15000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। आई०एस०टी०ई० ने इंजीनियरी कालेजों और पालिटेक्निकों के शिक्षकों के लिए एक साथ 1644 अल्पकालिक ग्रीष्म/शीतकालीन स्कूल आयोजित किए, जिनमें लगभग 36294 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों ने पालिटेक्निक शिक्षकों के लिए लगभग 2040 अल्पकालिक कार्यक्रम चलाए जिनसे 41,500 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। उद्योग में अल्पकालिक कार्यक्रम के अंतर्गत डिग्री और डिप्लोमा स्तर के 6500 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

7.12.5 पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्ठों ने डिग्री स्तर पर अब तक 290 पाठ्य-पुस्तकें, 210 मोनोग्राफ, 70 मैनुएल्स तथा 137 अन्य प्रकाशन निर्मित किए तथा लगभग 220 कार्यशालाओं और सेमिनारों का संचालन किया। आई०एस०टी०ई० ने शिक्षकों की लगभग 152 मैनुएल्स भी तैयार की।

तकनीशियन शिक्षा के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना

7.13.1 तकनीशियन शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को स्वीकृति देते हुए सरकार ने एक बड़ी परियोजना शुरु की है, जो राज्य सरकारों को अपने पालिटेक्निकों की क्षमता, कोटि और दक्षता में प्रोन्नत करने में समर्थ बनाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से दो चरणों में कार्यान्वित होने वाली है। इस परियोजना की अनुमति लागत 1650 करोड़ रुपये से अधिक है जिसमें लगभग 550 मिलियन अमरीकी डॉलर का विश्व बैंक ऋण/ऋणसहायता सम्मिलित है। 1990-98 तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा सोलह राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में स्वीकृत/मान्यता प्राप्त पालिटेक्निकों को शामिल किया जाएगा। यह परियोजना देश के करीब 80% अनुमोदित पालिटेक्निकों को कवर करती है। यह मूल रूप में एक राज्य क्षेत्र की परियोजना है तथा जिसका सम्पूर्ण व्यय सहभागी राज्य सरकारों द्वारा आठवीं और नौवी योजना अवधियों के दौरान अपने-अपने राज्य आबंटन से दिया जाना है। यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा विभाग के समूचे मार्गदर्शन सहायता और अनुश्रवण में कार्यान्वित की जाएगी, जिसके लिए देश में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों की संख्या को सम्मिलित करते हुए एक लघु संघटक केन्द्र तथा एज्यूकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में एक राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई की स्थापना का प्रावधान इस परियोजना में रखा गया है।

7.13.2 परियोजना के पहले चरण का व्यय लगभग 832 करोड़ रुपये आंका गया है और बिहार, गुजरात, कर्नाटक केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्यों में पालिटेक्निकों को सम्मिलित करते हुए उन्हें पहले ही मंजूरी दे दी गई है और जो लागू होने की प्रक्रिया में है। दिसम्बर, 1990 में औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रथम चरण तकनीकी दृष्टि से प्रभावी बन गया है।

7.13.3 समान उद्देश्यों और अनुमानतः 825 करोड़ रुपये की लागत वाला इस परियोजना के दूसरे चरण में आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के पालिटेक्निकों को सम्मिलित किया गया है। दूसरे चरण को वर्ष 1991-92 से प्रारम्भ करने के लिए अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

संस्थागत नेटवर्क योजना

7.14.1 यह योजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे सुविकसित प्रौद्योगिकीय संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों तथा राज्य इंजीनियरी कालेजों जैसे तुलनात्मक रूप से कम विकसित संस्थानों के बीच नेटवर्क तैयार करने के आंतरिक सहायता कार्यक्रम विकसित करने के लिए 1981-1982 के दौरान शुरु की गई थी ताकि प्रयोगशालाओं का विकास, संकायों का विनिमय, संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण तथा शोध कार्यक्रमों में सहयोग दिया जा सके।

7.14.2 सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नेटवर्क योजना के माध्यम से 199 प्रयोगशालाओं को सहायता दी गई है और इस प्रयोजनार्थ 4.95 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 1990-91 के दौरान 1 करोड़ रुपए की लागत से चालीस और प्रयोगशालाओं को सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है।

7.14.3 योजना के प्रावधानों के अनुसार, नेटवर्क की अनुमोदित योजना के लिए 5 लाख रुपए की राशि के अनुदान की सहायता दी जाती है जिसमें से 50% विभाग द्वारा और शेष 50% संबंधित संस्था द्वारा वहन किया जाता है।

तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र

(क) प्रौद्योगिकी के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना जहां कमजोरी विद्यमान है

7.15.1 यह योजना छठी योजना के दौरान आरंभ की गई थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें कार्यक्षेत्र और आयाम की दृष्टि से सुधार लाया गया जिसका उद्देश्य (1) प्रयोगशाला उपस्कर, स्थान, संकाय और सहायक स्टाफ (2) पाठ्यक्रमों की विविधता, और (3) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए आधार तैयार करने के माध्यम से प्रौद्योगिकी के कुछ उन चुने हुए क्षेत्रों में जहां चिंताजनक रूप से दूरी बनी हुए है, अवर स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम चलाने वाले प्रौद्योगिकी संस्थाओं में सुविधाओं को सुदृढ़ करना था। प्रौद्योगिकी के जिन कमजोर क्षेत्रों का पता लगाया गया है वे हैं, कंप्यूटर विज्ञान/प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, धातु विज्ञान/प्रौद्योगिकी, अनुरक्षण इंजीनियरी, उत्पादन विकास/डिजाइन बायो-कनवर्शन, एग्रोनामिक्स, मुद्रण प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध विज्ञान और उद्यमशीलता।

7.15.2 सातवीं योजना अवधि के दौरान 347 परियोजनाओं की सहायतार्थ 39.30 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। वर्ष 1990-91 के दौरान 81 परियोजनाओं को सहायता देने का प्रस्ताव है जिसमें 681.60 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी।

(ख) उभरती हुई प्रौद्योगिकीयों के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का सृजन

7.15.3 छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह योजना प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य कुछ चुने हुए इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी संस्थाओं में प्रौद्योगिकी के उभरते हुए 14 क्षेत्रों में शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए मूलभूत सुविधाओं का सृजन करना था। सातवीं योजना अवधि के दौरान योजना के कार्यक्षेत्र और आयाम में वृद्धि की गई थी।

इस योजना के उददेश्य इस प्रकार हैः

- उभरती हुई प्रौद्योगिकीयों के पहचाने गए क्षेत्रों में आधुनिक प्रयोगशालाओं के संदर्भ में मूल ढांचे का विकास करना।
- कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों का पता लगाकर उच्चस्तरीय कार्य के लिए एक मजबूत आधार का विकास करना।
- प्रौद्योगिकी के सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए सुविधाएं और सहायता प्रदान करना ताकि उन्नत देशों के संदर्भ में प्रौद्योगिकी की दूरी को अन्ततः खत्म किया जा सके।
- मानवशक्ति का विकास।
- संकाय प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं।
- अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं और प्रयोक्ता एजेंसियों सहित अन्य संस्थानों के साथ संबंध विकसित करना।
- सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा विकसित किए गए विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सूचना का प्रसार।

7.15.4 इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए जिन सत्रह क्षेत्रों का पता लगाया गया है वे हैः ऊर्जा विज्ञान, परिवहन इंजीनियरी, सुक्ष्म इलैक्ट्रॉनिक रिमोट सेंसिंग, एटमॉसफियरिक विज्ञान, रिलायबिलिटी इंजीनियरी, पर्यावरणात्मक इंजीनियरी, जल संसाधन प्रबन्ध, ऑप्टिकल कम्यूनिकेशन और फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर प्रौद्योगिकी, इन्फार्मेटिक्स, टेलिमेटिक्स, शिक्षा प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर-एडिड डिजाइन कंप्यूटर एडिड निर्माण सूक्ष्म-प्रोसेसर, रोबेटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमता। सातवीं योजना के दौरान, 458 परियोजनाओं की सहायता के लिए 57.33 करोड़ रुपए की राशि मुक्त की गई थी। 1990-91 के दौरान, 10.59 करोड़ रुपए की अनुदान राशि से 128 परियोजनाओं को सहायता देने का कार्यक्रम था।

(ग) नए और/अथवा उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और विशेषज्ञता के क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों की पेशकश करना

7.15.5 यह एक नई योजना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के भाग के रूप में 1987-88 के दौरान संस्थापित की गई थी। यह योजना बदलते हुए औद्योगिक परिवेश और विश्वभर में प्रौद्योगिकी विकास की गति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी के परंपरागत और उभरते हुए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के ऐसे बहुत से नए क्षेत्र विकसित किए गए है जो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं से जुड़े हैं और जहां उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ मानवशक्ति का विकास किए जाने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी के छयालीस नए/उन्नत क्षेत्रों का पता लगाया गया है जहां इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को सहायता दी जाएगी।

7.15.6 1987-90 के दौरान 67 परियोजनाओं की सहायतार्थ 11.22 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। 1990-91 के दौरान 7.93 करोड़ रुपए की राशि के साथ 65 परियोजनाओं को सहायता दिए जाने की योजना है।

अप्रचलनों का आधुनिकीकरण और निराकरण

7.16.1 यह योजना छठी योजना अवधि के दौरान चुनिंदा इंजीनियरी कालेजों में आधुनिक उपकरण और मशीनरी प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी ताकि 100% प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता के आधार पर प्रौद्योगिकी उन्नति और पाठ्यचर्या संबंधी परिवर्तनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

7.16.2 सातवीं योजना अवधि के दौरान और विशेष रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाये जाने के बाद से इस योजना के कार्य क्षेत्र और आयामों में विस्तार किया गया ताकि इसमें तकनीकी विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों के प्रौद्योगिकी संकाय, पालिटेक्नीक सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और अन्य इंजीनियरी कालेजों को सम्मिलित किया जा सके तथा मानव संसाधनों संबंधी पुरानी अप्रचलित चीजों को हटाया जा सके। इस योजना के उद्देश्यों को निम्नानुसार पुनः पारिभाषित किया गया हैः

- इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं में अप्रचलित मशीनों और उपकरणों को हटाना।
- प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं से संबद्ध नए उपस्करों को शामिल करके आधुनिकीकरण करना।
- छात्रों को आधुनिक रौद्योगिकी प्रयोगशाला कार्य का अनुभव प्रदान करना।
- नई प्रयोगशालाओं का निर्माण।

— संगणकों का प्रावधान

— संकाय और सहायक स्टाफ का प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण

7.16.3 सातवीं योजना के दौरान और 1990-91 के दौरान सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या और प्रति वर्ष जारी किए अनुदान की राशि के आंकड़े निम्नानुसार हैः-

तालिका 7.3

तकनीकी शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं अप्रचलित बातों को हटाने के लिए सहायता

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	दी गयी अनुदान राशि
1985-86	131	15.00
1986-87	151	18.00
1987-88	529	60.00
1988-89	603	52.70
1989-90	400	37.00
1990-91	328	30.60

राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सूचना प्रणाली

7.17.1 **राष्ट्रीय** तकनीकी मानव शक्ति सूचना प्रणाली की स्थापना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य विशेष स्तरों पर इंजीनियरी तथा तकनीकी मानव शक्ति की आपूर्ति एवं उपयोगिता के अनुवीक्षण को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि सुव्यवस्थित आधार पर तकनीकी शिक्षा की आयोजना एवं विकास किया जा सके। इस प्रणाली में प्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली का एक प्रमुख केन्द्र तथा भिन्न-भिन्न राज्यों में स्थित चार प्रशिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्डों सहित 21 प्रमुख केन्द्र शामिल हैं।

7.17.2 रा०त०जन०सू०प्र० कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक आंकड़े विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के स्नातकों एवं शैक्षिक संस्थानों और सामाजार्थिक क्षेत्र की उन संस्थाओं से इंजीनियरी तथा तकनीकी मानव शक्ति को नियोजित करते हैं। नियमित रूप से तथा वार्षिक आधार पर एकत्रित किए जा रहे हैं। 21 प्रमुख केन्द्रों में से 17 केन्द्र जो अधिकांशतः देश के चुने हुए इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं में स्थित हैं, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के स्नातकों का अनुवर्ती अध्ययन संचालित करने तथा शैक्षिक संस्थानों के सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं जब कि जो प्रशिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्डों में स्थित केन्द्र नियोजक संस्थाओं से आंकड़े एकत्र करने के लिए उत्तरदायी हैं।

7.17.3 अधिकांश प्रमुख केन्द्रों ने वर्ष 1983 में उत्तीर्ण छात्रों को शामिल करते हुए स्नातक अनुवर्ती सर्वेक्षण के दूसरे चरण को पूरा किया जबकि कुछ प्रमुख केन्द्रों ने वर्ष 1984 में उत्तीर्ण छात्रों को शामिल करते हुए सर्वेक्षण के तीसरे चरण से संबंधित कार्यों को भी पूरा कर लिया। अन्य प्रमुख केन्द्रों में वर्ष 1984 से संबंधित अनुवर्ती सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। अधिकांश प्रमुख केन्द्रों ने शैक्षिक संस्थानों के सर्वेक्षण के दूसरे चरण से संबंधित कार्य, संदर्भ वर्ष 1984-85 के साथ पूरा कर लिया था तथा वर्ष 1985-86 से संबंधित कार्य प्रगति पर था। संदर्भ वर्ष 1984-85 का स्थापना सर्वेक्षण का दूसरा दौर बोर्डों द्वारा पूरा कर लिया गया था तथा संदर्भ वर्ष 1985-86 से संबंधित कार्य प्रगति पर था।

7.17.4 संग्रहीत आंकड़ों का प्रयोग करते हुए, रा०त०जन०सू०प्र० राज्यों के लिए वार्षिक तकनीकी मानव शक्ति समीक्षा प्रस्तुत कर रही है। ऐसी समीक्षाएं वर्ष 1989-90 के अंत तक आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों के लिए और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के लिए तैयार कर दी गई थी। इस रिपोर्ट में विभिन्न पाठ्यक्रमों के स्नातकों के लिए उपलब्ध विभिन्न रोजगारों विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों में स्नातकों को शामिल किए जाने की पद्धति विभिन्न प्रकार के स्नातकों में बेरोजगारी की सीमा इत्यादि पर जानकारी दी जाती है।

7.17.5 रा०तक०जन०सू०प्र० **ने राष्ट्रीय** स्तर पर विभिन्न प्रकार के इंजीनियरों की भावी आवश्यकताओं का पता लगाने का कार्य भी शुरू किया है। "इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरी" से संबंधित ऐसा ही एक कार्य पूरा कर लिया जा चुका है। इस अध्ययन में 1990-2000 ईस्वी सन् की अवधि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरों की आवश्यकताओं के अनुमान का पता लगता है। इस रिपोर्ट से अलग-अलग वर्षों में मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त इंजीनियरों के अनुमान का भी पता लगता है।

7.17.6 राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति संसूचना प्रणाली के मूल्यांकन के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट

सरकार को नवम्बर, 1989 में प्रस्तुत कर दी। समिति ने सिफारिश की कि योजना जारी रहनी चाहिए तथा इसे उपयुक्त ढंग से और अधिक सुदृढ बनाया जाना चाहिए। सरकार ने राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है।

गैर विश्वविद्यालय केन्द्रों में प्रबंध शिक्षा का विकास

7.18.0 विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित प्रबंधकीय जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे गैर विश्वविद्यालय केन्द्रों को सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया है जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं तथा प्रबंध अध्ययन में दो वर्ष का पूर्ण कालिक तथा तीन वर्ष का अल्पकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे है। अखिल भारतीय प्रबंध अध्ययन बोर्ड/अ०भा०त०शि०प० के सिफारिशों के आधार पर संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार कुछ संस्थाओं को प्रबंध कार्यक्रमों के समेकन तथा इसके विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

7.19.1 अनुमोदित मानकों के अनुकूल तकनीकी शिक्षा के समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ०भा०त०शि०प०) का गठन 1945 में राष्ट्रीय विशेषज्ञ निकाय के रूप में तकनीकी शिक्षा के विकास पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए किया गया। समवर्ती सूची में शिक्षा के शामिल होने से पहले भी तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और निर्धारण केन्द्रीय सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व रहा है।

7.19.2 गैर-सरकारी इंजीनियरी कालेजों और पालिटेक्निकों की संख्या में हो रही अंधाधुंध वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा अ०भा०त०शि०प० को संवैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया। अ०भा०त०शि०प० के कार्यक्षेत्र में पूरे देश में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी प्रबंध नगर आयोजना वास्तुशिल्प, अनुप्रयुक्त कला और औषधि विज्ञान जैसे अध्ययन के क्षेत्रों में डिप्लोमा डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली सभी तकनीकी संस्थाएं तथा विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग आते हैं।

7.19.3 इस परिषद ने अपनी कार्यकारी समिति तथा कानपुर, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता स्थित चार क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से कार्य करना शुरू कर दिया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में प्राविधिकी, अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अखिल भारतीय अध्ययन बोर्डों तथा प्रबंध शिक्षा के क्षेत्र में एक बोर्ड की भी स्थापना कर ली। वास्तुशिल्प के क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए परिषद् ने वास्तुशिल्प परिषद् के साथ एक आपसी सूझबूझ के ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया। इसने राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड की स्थापना को भी अनुमोदित कर दिया। तकनीकी संस्थाओं में दाखिल के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए मानको और मानदंडों को परिषद ने अनुमोदित कर दिया।

7.19.4 आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद ने 136 नई संस्थाओं को तथा विद्यमान तकनीकी संस्थाओं में 171 कार्यक्रम शुरू करने को अनुमोदित कर दिया।

सामुदायिक पालिटेक्निक योजना

7.20.1 सामुदायिक पालिटेक्निक योजना को 1978-79 में 36 पालिटेक्निकों में प्रयोगात्मक आधार पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली में निवेशों से होने वाले लाभों में ग्रामीण समाज के उचित रूप से भागीदार बनाने के विचार से सीधी केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत संस्थापित किया गया। योजना में ऐसी परिकल्पना की गई है कि ग्रामीण समुदाय के समाजार्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोगार्थ तथा गैर औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्व और मजदूरी दिलाने वाले रोजगार के अवसर जुटाने में केन्द्र बिन्दु का काम करेगा। इस समय इस योजना के अंतर्गत 159 संस्थाओं को शामिल किया गया हैं। सामुदायिक पालिटेक्निक निम्नलिखित कार्य करते हैं:—

- — सामाजार्थिक सर्वेक्षण;
- — जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण;
- — प्रौद्योगिकी स्थानांतरण;
- — तकनीकी सेवाएं;
- — सहायक सेवाएं

7.20.2 यह योजना वर्षों से अच्छे ढंग से कार्य कर रही है तथा ग्रामीण विकास में इसने निम्नलिखित योगदान किया है:—

- — लाभकारी रोजगार के लिए बहुत अधिक संख्या में ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया।
- — प्रशिक्षित कारीगरों में उद्यमशीलता का विकास किया।

— ग्रामीण समुदाय और तकनीकी संस्थाओं के बीच अनौपचारिक संबंधों को आगे बढ़ाया।

— गांवों में और विशेष रूप से गैर फार्म क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी स्थानांतरण में सहायता की।

— स्थानांतरित प्रौद्योगिकी को बनाए रखने के लिए तकनीकी सहायता सेवाएं आयोजित की।

7.20.3 अनुमोदित आदर्श वित्तीय मानदंड इस प्रकार है:—

(I) 5 लाख रू० का अनावर्ती अनुदान; (II) 5 लाख रू० की प्रारंभिक राशि (अनावर्ती खर्च के रूप में); तथा 1.25 लाख रू० का आवर्ती अनुदान।

7.20.4 योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, सामुदायिक पालिटेक्निक ने दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में विस्तार केन्द्रों की स्थापना की है ताकि इस प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं गांवों के ठीक पास ही उपलब्ध कराई जा सके। क्षेत्र की विकासात्मक जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए और तकनीकी शिक्षक, प्रशिक्षण संस्थान, मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों इत्यादि के परामर्श से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों, उद्देश्यों और गतिविधियों के आशय वाले समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए सामुदायिक पालिटेक्निक सामाजार्थिक सर्वेक्षण करता है। प्रशिक्षण देने के लिए क्षेत्रीय सामाजार्थिक परिस्थितियों से संबद्ध धंधा/कारीगरी के लगभग 100 तकनीकी और गैर तकनीकी विषयों का पता लगाया गया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दाखिले के लिए कोई विशिष्ट शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। वायों गैस संयत्र, पवनचक्की, धूआं रहित चूल्हा ग्रामीण शौचालय, सौर यंत्र खेती के उपकरण इत्यादि सहित प्रौद्योगिकी के कई परीक्षित और अनुमोदित मदों को ग्रामीण क्षेत्रों में पालिटेक्निकों करने में पालिटेक्निों ने अच्छा भूमिका निभाई है। इन संस्थानों ने अनेक सरकारी निकायों के साथ सन्निकट सहयोग और संबंधित कार्रवाई की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना

7.20.5 योजना के माध्यम से मुख्य रूप से रोजगार गैर औपचारिक अल्प कालिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, विभिन्न कार्यों में सक्षमता तथा आवश्यकता आधारित पाठयक्रमों के माध्यम से, अथवा आवश्यकतानुसार बहु-दक्षता के माध्यम से है। ये संस्थाएं प्रत्येक वर्ष लगभग 25,000 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करती है। इनमें से लगभग 35-40 प्रतिशत स्वरोजगार में लग जाते हैं इन योजनाओं से उपलब्ध कराए गए रोजगारों को हम विस्तृत रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं:—

(I) इस योजना में सीधे वेतन रोजगार;

(II) प्रशिक्षित युवकों को स्वत-रोजगार;

(III) ग्रामीण परियोजनाओं/उद्योगों तथा सेवाओं में वेतन रोजगार;

अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम

7.20.6 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1984-85 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों में दस पालिटेक्निक चुने गए है। वर्ष 1988-89 में, इस योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में दो और संस्थान खोलकर इनमें और विस्तार किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम पर मंत्रिमंडल समिति की बैठक में लिए निर्णय के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि इस योजना के अन्तर्गत पता लगाए गए 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों को भी शामिल किया जाएगा। तदनुसार, मार्च, 1990 में, ऐसे प्रत्येक जिले में आठ पालिटेक्निकों को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया था और इन अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सामुदायिक पालिटेक्निक की कुल संख्या बीस हो गई थी।

वर्ष 1990-91 के दौरान, अल्पसंख्यक बहुल जिलों में चुने गए 16 संस्थानों सहित इस योजना के अन्तर्गत 41 नए पालिटेक्निकों को शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक बहुल 41 जिलों में से इन चार जिलों में कोई भी अनुमोदित पालिटेक्निक नहीं है। इन जिलों को आस पास के जिलों में सामुदायिक पालिटेक्निक के विस्तार केन्द्रों की स्थापना करके शामिल किया गया है। विश्व बैंक कार्यक्रम के अंतर्गत इस योजना को दो जिलों में कार्यान्वित किया जा रह है।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.21.1 प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम कानपुर, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास स्थित चार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। उद्योगों के साथ बेहतर संपर्क के लिए बोर्डों की राज्य स्तरीय समितियां हैं। प्रशिक्षुओं को दिया जाने वाला वजीफा प्रशिक्षण संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा आधा-आधा वहन किया जाता है।

7.21.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 अक्तूबर तक कार्य में लगे प्रशिक्षुओं की संख्या नीचे सारिणी में दी गई हैः

सारणी 7.4 प्रशिक्षुओं की संख्या

	31.10.88	31.10.89	31.10.90
कुल प्रशिक्षणार्थी	21221	21736	21053
स्नातक प्रशिक्षणार्थी	6021	6012	6042
डिप्लोमाधारी	15200	15634	15011
अनुसूचित जाति	547	838	714
अनुसूचित जनजाति	104	171	148
अल्पसंख्यक	1082	1456	1057
विकलांग	12	11	10
महिलाएं	1273	1345	1836

7.21.3 बोर्डों द्वारा कुछ इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निकों के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की कोटि में सुधार तथा जीवन वृत्तिका मार्गदर्शन कार्यक्रम के लिए कई पर्यवेक्षी विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। बोर्ड, सूचना प्रद लेखों की पत्रिकाएं भी प्रकाशित करते हैं। इनमें से कुछ प्रशिक्षण मैनुअल भी तैयार करते हैं।

7.21.4 10+2 व्यावसायिक छात्रों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की एक नई योजना वर्ष 1988-89 से शुरू की गई।

7.22.1 एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक, एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो इंजीनियरी विज्ञान और सम्बद्ध विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। यह 20 से अधिक देशों से लगभग 600 छात्रों को दाखिल करता है और इसके अंतर्राष्ट्रीय संकाय सदस्य हैं। यह संस्थान भारत सहित विभिन्न देशों के सदस्यों के एक अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अभिशासित है।

7.22.2 भारत सरकार एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (ए०आई०टी०) को निम्नलिखित सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई हैः—

— इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में भारतीय शिक्षकों/विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के संपूर्ण व्यय का वहन।

— निम्नलिखित एक या अधिक उद्देश्यों के प्रयोग के लिए 3.00 लाख रू० तक के वार्षिक अनुदान का उपयोगः—

(क) भारत से उपकरणों की खरीद

(ख) पुस्तकों की खरीद तथा
भारत में प्रकाशित अकादमीय तथा तकनीकी के चन्दे के लिए भुगतान तथा

(ग) भारत में अकादमी संबंधी गतिविधियों पर व्यय।

7.22.3 1989-90 की अवधि के दौरान 9 भारतीय विशेषज्ञ ए०आई०टी० बैंकाक में प्रतिनियुक्ति किये गये।

शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड

7.23.1 यह मूल्यांकन बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में भर्ती के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तकनीकी शिक्षा ब्यूरो इस बोर्ड के सचिवालय का कार्य करता है और अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

7.23.2 वर्ष 1989-90 के दौरान नौ शैक्षिक अर्हताओं को मान्यता प्रदान की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आंशिक वित्तीय सहायता

7.24.1 तकनीकी शिक्षा ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्रों के शिक्षकों को हवाई किराए की यात्रा का खर्च देने के लिए आंशिक वित्तीय सहायता योजना का प्रबंध करता है। विशिष्ट युवा शिक्षकों पर विशेष रूप से विचार किया जाता है।

7.24.2 वर्ष 1989-90 के दौरान 17 शिक्षकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

गैर निगमित तथा असंगठित क्षेत्रों के संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

7.25.1 हमारी तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा पद्धति का अनुस्थापन अभी तक मुख्यतः संगठित निगमित क्षेत्र की ओर उन्मुख रहा है। तथापि, हमारे विकास प्रयासों का विशेष प्रभाव केवल तभी सम्भव होगा यदि हम गैर निगमित और असंगठित क्षेत्रों के निष्पादन में सुधार करते हैं जो लगभग 90% कृत्य बल (वर्किंग फोर्स) को रोजगार प्रदान करता है। राष्ट्रीय परीक्षा नीति तैयार करते समय इस दृष्टिकोण पर समुचित विचार किया गया है तथा इस उद्देश्य के लिए विद्यमान संस्थानों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए एक योजना तैयार की गई।

7.25.2 प्रमुख परियोजना के रूप में लगभग चार पालिटेक्निकों का विकास करके इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है, योजना का आगे विस्तार करने से पहले प्राप्त अनुभव की पुनरीक्षा की जाएगी।

उद्योग संस्थान अंतःक्रिया

7.26.1 "उद्योग-संस्थान अंतःक्रिया" की योजना 1989 में मंजूर की गई। योजना में निम्नलिखित पर विचार किया गया है:—

(क) इंजीनियरी कालेजों तथा उद्योगों के मध्य अंतः क्रियाएं।

(ख) पालिटेक्निकों तथा उद्योगों के मध्य अंतः क्रियाएं।

(ग) आई०आई०टी०, दिल्ली में एक "औद्योगिकी प्रतिष्ठान" की स्थापना।

7.26.2 चयनित इंजीनियरिंग कालेजों के मामलों में इस कार्यक्रम में उद्योग और संस्थान के बीच एक संयुक्त परियोजना शुरु करना है इसमें संकाय के साथ उद्योग के आदान प्रदान की संकल्पना भी की गई हैं जोकि प्रत्येक संस्थान के लिए दो संकायों की दर से की जाएगी। पालिटेक्निक के स्तर पर संकाय का आदान प्रदान प्रत्येक पालिटेक्निक के लिए दो संकाय की दर से किए जाने की संकल्पना है।

7.26.3 इस योजना के अंतर्गत अभी तक 21 इंजीनियरिंग कालेजों और 9 पालिटेक्निकों के प्रस्ताव कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किए गए है। चार संयुक्त परियोजना प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया गया है और आवश्यक निधियां भी जारी कर दी गई है।

7.26.4 आई०आई०टी० दिल्ली में प्रयोगात्मक आधार पर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान शुरु करते का भी प्रस्ताव है। यह प्रतिष्ठान, संस्थान की अनुसंधान और परामर्श क्षमताओं के विपणन उद्योग और अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक समस्याओं के समाधान की प्रोटोटाईप विकास तथा औद्योगिक पाइलट प्लांट की प्रावस्थाओं के जरिए अनुसंधान परिणामों के व्यावसायीकरण आदि के लिए उत्तरदायी होगा।

सतत शिक्षा

7.27.1 इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायियों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य इन लोगों की योग्यता को बढ़ाना और इस प्रकार उद्योगों में इंजीनियरी मानवशक्ति क्षमता को समुन्नत करने में सहायता देना है। इस कार्यक्रम का प्रथम पहलु यह है कि ऐसे क्षेत्रों की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना जिनके लिए सतत शिक्षा मापांक तैयार करने की जरूरत है और दूसरा पहलु है आई०आई०टी० और टी०टी०टी०आई० के विशेषज्ञों द्वारा यह मापांक तैयार करना। आई०एस०टी०ई० भी इन मापांक को बनाने, इनका परीक्षण करने आदि तथा अकादमी समन्वय तथा कार्यक्रम अनुवीक्षण के कार्यों से सम्बद्ध है।

7.27.2 कार्यक्रम की प्रगति बहुत ही उत्साहवर्धक रही है। जबकि 31 अगस्त, 1990 तक एक सौ दो पाठ्यक्रम सामग्रियां तैयार की जा चुकी है और दो सौ चौदह पाठ्यक्रम सामग्रियों की तैयारी चल रही है। दस हजार कामकाजी व्यवसायी प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित हो चुके हैं जो अभी तक तैयार पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित हैं।

7.27.3 कार्यक्रम विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित पाठ्यक्रम सामग्रियों को तैयार करने के लिए आठ अतिरिक्त केन्द्रों का पता लगाया गया और उन केन्द्रों से वर्ष 1990-91 के दौरान इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कहा गया। इनके अलावा चार इंजीनियरी कालेज/विश्वविद्यालय और चार पालिटेक्निक के ये आठ केन्द्र है।

तकनीकी शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास

7.28.1 यह योजना वर्ष 1987-88 के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थीः

— उच्च अध्ययन/अनुसंधान के मौजूदा केन्द्रों को सुदृढ़ बनाना और उनका पुनर्गठन करना।

— बुनियादी ढांचे की रचना करना और इसे अद्यतन बनाना

— इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता देना और उन्हें प्रायोजित करना।

7.28.2 वर्ष 1990-91 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 27 परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की सिफारिश की गई थी। इस योजना से काफी संख्या में इंजीनियरी कालेजों में अनुसंधान को बढावा देने के लिए सहायता मिली है। इसमें सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी किण्वक प्रौद्योगिकी, उर्जा प्रबंध उच्च बोल्टता इंजीनियरी, रसायन इंजीनियरी, संशलिष्ट सामग्री, तन्तु विज्ञान, संरचनात्मक इंजीनियरी और परिवहन इंजीनियरी शामिल हैं। संकाय के युवा सदस्यों के प्रस्तावों पर विशेष ध्यान दिया गया।

भारत शैक्षिक परामर्श लिमिटेडः नई दिल्ली

7.29.1 इस मंत्रालय के अन्तर्गत एक मात्र सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान भारत शैक्षिक परामर्श लिमिटेड 17 जून, 1981 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। यह केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक-मण्डल के दिशा निर्देश में कार्य करता है। इसका एक अंशकालिक अध्यक्ष तथा एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक होता हैं।

7.29.2 कंपनी को मारीशश विश्वविद्यालय की मास्टर योजना क्रियान्वित करने के प्रमुख कार्यों के लिए पहली बार सम्मानित किया गया है। कंपनी ने चार भारतीय तथा तीन विदेशी परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। इस कंपनी की आठ परियोजनाएं भारत में और तीन परियोजनाएं विदेशों में चल रही हैं।

7.29.3 वर्ष 1989-90 के दौरान, कंपनी ने 60.22 लाख का रिकार्ड तोड मुनाफा कमाया जो पिछले वर्ष के मुनाफे से 53 प्रतिशत अधिक है। वर्ष की समाप्ति पर यह मुनाफा 2.54 करोड़ से बढ़कर 3.83 हो गया जो 50.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

7.29.4 कंपनी ने 75 लाख की शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत पर 7.50 लाख रू० के लाभांश अर्थात 10 रू० प्रति शेयर के हिसाब से भुगतान करने की घोषणा की है। कंपनी ने भारत सरकार को इसका भुगतान कर दिया है।

उपकरणों के आयात के लिए पास बुक योजना

7.30.1 अनुसंधान उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के त्वरित आयात व निपटान की सुविधा के लिए 1988 में एक पासबुक योजना शुरू की गई हैं। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक व तकनीकी उपकरणों, सहायक सामग्री व उपभोक्ता वस्तुओं पर आयात शुल्क छोड़ने का प्राधिकार दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत संस्थान प्रमुख को आयात के लिए वस्तु की अनिवार्यता व भारत में उत्पादन नहीं होने की स्थिति सत्यापित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत सी०आई०एफ० मूल्य की अधिकतम सीमा, उपकरणों के लिए 3 करोड तथा उपभोक्ता सामग्री के लिए 15 करोड रू० की अनुमति दी गई है। इसमें एक वर्ष में 5 लाख रू० से अधिक सी०आई०एफ० मूल्य की एकल उपभोक्ता वस्तु तथा 5 लाख रू० से अधिक सी०आई०एफ० मूल्य का एक उपकरण या सहायक सामग्री शामिल नहीं है। योजना में राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं तथा कालेजों सहित सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान व विश्वविद्यालय शामिल हैं। शिक्षा विभाग में तकनीकी शिक्षा ब्यूरो को पास बुकें जारी करने की जिम्मेवारी दी गई है। आलोच्य वर्ष के दौरान लगभग 350 पास बुकें जारी की गई हैं।

लोंगोवाल इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी संस्थान

7.31.0 इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमाणपत्र डिप्लोमा व डिग्री स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए लोंगोवाल इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है ताकि विभिन्न स्तरों पर पंजाब राज्य की विशेष जरूरतों तो एकीकृत रूप से पूरा किया जा सकें और राज्य के दुलर्भ संसाधनों का पर्याप्त उपभोग किया जा सकें। ये संस्थान शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा समुदाय सेवा का एक जगह विकास करेगा। संस्थान डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रमों को आरंभ करेगा तथा यथासमय आवश्यकताओं के अनुसार, इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी में डिग्री पाठ्यक्रम को पेश करेगा। यह सम्भावना है कि प्रमाण पत्र तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम अगले शैक्षिक वर्ष से आरंभ हो जाएंगे।

तकनीकी संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता

7.32.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी में विश्वविद्यालय अनुरक्षित संस्थानों को उच्च शिक्षा अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता देता है और इस समय योजना के अधीन, ऐसे 32 विश्वविद्यालय अनुरक्षित संस्थानों को शामिल किया गया है। पूर्वस्नातक शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, ये संस्थान बड़ी संख्या में इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। इनमें से कुछ संस्थान प्रौद्योगिकी की प्रोन्नति के लिए उच्च स्तर पर मौलिक तथा प्रायोगिक अनुसंधान में भी जुटे हुए हैं तथा उन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठा भी अर्जित की है। विभिन्न अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए तथा शिक्षा, भवनों, प्रयोगशालाओं, छात्रावासों तथा प्राध्यापकों के मकानों जैसी मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए इन विश्वविद्यालय अनुरक्षित संस्थानों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

7.32.2 इस समय विश्वविद्यालय अनुरक्षित संस्थानों में लगभग 1000 इंजीनियरी निष्णात (इंजी०नि०) / प्रौद्योगिकी-निष्णात. (प्रौ०नि०) छात्र विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे है।

४. प्रौढ़ शिक्षा

8. प्रौढ़ शिक्षा

8.1.1 1991 की जनगणना के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान साक्षरता की दर 43.56% से बढ़कर 52.11% हो गई है। पुरूषों और महिलाओं में साक्षरता की दरों में राष्ट्रीय वृद्धि क्रमशः 7.49% और 9.67% हुई है जिससे अब यह पुरूषों के लिए 63.86% और महिलाओं के लिए 39.42% हो गई है। श्रृंखला 1 सेन्सस आफ इण्डिया 1991 शीर्षक "प्रोविज़नल पोपुलेशन टोरल्स" में यह बताया गया है:- "पिछली कुछ भारत की जनगणना के दौरान पांच वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को निरक्षर समझा जाता था। चूंकि समझ के साथ पढ़ने और लिखने की योग्यता सामान्यतः तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती अब तक कि कुछ स्कूल शिक्षा प्राप्त नहीं की जाती है अथवा इन दक्षताओं को विकसित करने में कुछ समय नहीं लगाया जाता। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा यह महसूस किया गया था कि 7 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या को शिक्षित अथवा अशिक्षित वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसे मद्देनजर रखते हुए जनगणना 1991 में जहां तक साक्षरता का प्रश्न है केवल 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या को ही शामिल किया गया था।

8.1.2 यूनेस्को की आम सभा द्वारा वर्ष 1990 को साक्षरता वर्ष घोषित करने और इसके बाद जोमतियान (थायलैण्ड) में 4 से 9 मार्च, 1990 तक सभी के लिए बुनियादी शिक्षा के बारे में आयोजित विश्व सम्मेलन में समस्त देश में भारी संख्या में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों को अत्यन्त आवश्यक प्रेरणा और अवसर प्रदान किए गए जिसमें कि वें भारी संख्या में ऐसे कार्यकलाप आयोजित करें जिससे एक ओर तो व्यापक जन जागरूकता उत्पन्न हो दूसरी और 2000 ईस्वी तक सभी के लिए शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घ योजनाएं तैयार हों।

8.1.3 भारत में अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष अपनाने की और भी अधिक बड़ी आवश्यकता है क्योंकि यह एक तथ्य है कि विश्व के निरक्षरों का 50% भाग भारत में रहता है और यह निरक्षरता सभी ग्रामीण विकास, बाल देखभाल, परिवार योजना इत्यादि से संबंधित सभी कार्यक्रमों में बाधक बनती है। 22 जनवरी, 1990 को भारत में अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष का श्रीगणेश करते वक्त प्रधानमंत्री ने समाज के सभी वर्गों से यह अपील की थी कि निरक्षरता उन्मूलन के कार्य में वे अपने आपको संपूर्ण रूप से समर्पित करें और उनका पूरा सहयोग प्रदान करें। प्रधानमंत्री ने 4 फरवरी, 1990 को एक बार फिर से अपनी अपील को दोहराया जब उन्होंने सारे देश में अर्नाकुलम को प्रथम पूर्ण शिक्षित जिला घोषित किया और केरल के लिए संपूर्ण साक्षरता का एक अभियान चलाने की अपील की।

वातावरण का निर्माण

8.2.0 प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आह्वान और अर्नाकुलम में जन अभियान द्वारा प्राप्त सफलता और अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष द्वारा प्रदान किए गए अवसर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तंत्र को निरक्षरता के विरूद्ध भारी युद्ध शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया था। केरल के विभिन्न भागों से साक्षर कार्यकर्ता आए और उन्होंने सितंबर, 1990 में बिहार तथा मध्य प्रदेश का दौरा किया। इससे साक्षरता के प्रति जन विचार का समर्थन प्राप्त करने में सहायता मिली और साक्षरता का संदेश सही दिशा में प्रसारित करने का अवसर मिला। भारत ज्ञान विज्ञान समिति जो कि एक रजिस्टर्ड सोसायटी है, ने 2 अक्तूबर, 1990 से 14 नवम्बर, 1990 तक सारे देश में एक जत्था घूमा कर एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक कार्य किया। संख्या की दृष्टि से समिति ने 721 बड़े जत्थे और 1971 स्थानीय जत्थे आयोजित किए जिसमें 332 जिले और 3100 ग्राम शामिल किए गए थे और इस प्रक्रिया में लगभग 10 लाख स्वयंसेवकों को पूर्ण स्वैच्छिक आधार पर साक्षरता का कार्य करने के लिए दाखिल किया गया। गांधीवादी और सर्वोदय कार्यकर्ताओं ने भी पैदल जत्थे आयोजित किए जिसमें असम, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 43 जिलों में 350 ब्लाक शामिल किए। गुणात्मक दृष्टि से इन जत्थो ने साक्षरता को ठोस रूप से राष्ट्रीय कार्यक्रम की कार्यसूची में शामिल करवाया और इसने

साहित्यिक और शिक्षित लोगों में साक्षरता का कार्य, जोश सामाजिक कर्तव्य और बडे गर्व से करने की एक चेतना उत्पन्न कर दी और साक्षरता के प्रति जो संदेह, और गलत धारणाएं थीं उन्हें दूर करने में सहायता की। इन जत्थों ने निरक्षरों को साक्षरता के लिए प्रेरित और गतिशील बनाया, उनको साक्षरता की जरूरत को महसूस करवाया और उनके व्यक्तिगत और सामूहिक विकास और भलाई को परस्पर जोडा। जत्था कार्यकलापों से साक्षरता और विकास, साक्षरता और विज्ञान, साक्षरता और पर्यावरण के बीच निकटता तथा एकता आई है। साक्षरता के लिए उत्पन्न रचनात्मक वातावरण को साक्षरता के कार्य में लगाने की दृष्टि से भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा तैयार की गई कार्रवाई योजना का दूसरे चरण को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकारी की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह शीघ्र लागू कर दिया जाएगा।

संपर्ण साक्षरता पर बल

8.3.1 एर्नाकुलम में प्राप्त सफलता और जत्थों द्वारा उत्पन्न रचनात्मक वातावरण और अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष मनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए विकासशील कार्यकलापों के अनुसरण में गोवा और केरल राज्यों व पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र द्वारा जन अभियान उन्मुख और स्वैच्छिक आधार पर साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कोजीकोडे में दिनांक 18-4-91 को आयोजित एक विशेष समारोह में केरल को पहले ही देश का प्रथम पूर्ण शिक्षित राज्य घोषित किया गया था।

8.3.2 देश के विभिन्न जिलों से कलेक्टरों के चार सम्मेलन जुलाई, 1990, अगस्त, 1990 नवम्बर, 1990 और जनवरी, 1991 में 8 जिलों को निर्धारित करने के लिए आयोजित किए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 45 जिलों में अनेक संपूर्ण साक्षरता अभियान किए गए थे और आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लगभग 42 जिलों में शुरू किए गए थे। निम्नलिखित सारिणी में सम्पूर्ण साक्षरता परियोजनाओं का ब्यौरा दिया गया है।

तालिका

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत

साक्षरता परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना क्षेत्र	सहभागिता (लाख में)	लक्ष्य आयु वर्ग	समय अवधि
1.	पांडिचेरी (पूर्ण संघ शासित क्षेत्र)	1.00	15-45	अक्तूबर 1989 से जनवरी, 1991
2.	गोवा (पूर्ण राज्य)	1.00	10-35	फरवरी 1990 से जनवरी, 1991
3.	बीजापुर (कर्नाटक)	5.50	9-35	जनवरी, 1990 से जनवरी, 1991
4.	दक्षिण कानारा (कर्नाटक)	3.00	9-35	अप्रैल, 1990 से मार्च, 1991
5.	मिदनापुर	20.00	9-60	अप्रैल, 1990 से फरवरी, 1991
6.	चित्तौड़	9.00	9-35	सितम्बर, 1990 से अगस्त, 1991
7.	कुडप्पाह	7.50	9-35	अक्तूबर, 1990 अगस्त, 1991
8.	हैदराबाद	5.74	15-35	जून, 1990 से अप्रैल, 1991

प्रौढ़ शिक्षा की कक्षा का एक दृश्य।

9.	दुर्ग	6.00	15-45	सितम्बर, 1990 से दिसम्बर, 1991
10.	वर्दवान	15.00	9-50	सितम्बर, 1990 से अप्रैल, 1991
11.	नरसिंगपुर (म०प्र०)	1.07	15-35	जुलाई, 1990 से फरवरी, 1991
12.	सिंधु दुर्ग	0.60	15-60	नवम्बर, 1990 से मई, 1991
13.	केरल	30.00	15-45	
14.	फतेहपुर	5.00	6-45	अक्तूबर, 1990 से जून, 1991
15.	गुजरात	30.00	15-35	मई, 1990 से अप्रैल, 1991
16.	निल्लौर	7.00	9-35	सितम्बर, 1990 से अगस्त, 1991
17.	हुगली	9.00	14-35	नवम्बर, 1990 से मई, 1991
18.	मंघा	4.00	9-35	-वही-
19.	वर्धा	1.16	6-35	सितम्बर, 1990 से जुलाई, 1991
20.	विजाग	7.00	9-45	सितम्बर, 1990 से अगस्त, 1991
21.	रायचुर	5.91	9-35	मार्च, 1991 से अक्तूबर, 1991
22.	कुरनूल	5.60	15-35	दिसम्बर, 1990 से अक्तूबर, 1991
23.	बिरभम (प०बं०)	6.87	9-60	जनवरी से मई, 1991
24.	कूचविहार (प०बं०)	8.00	9-50	नवम्बर, 1990 से नवम्बर, 1991
25.	बांकुरा (प०बं०)	7.41	10-35	जनवरी से जुलाई 1991
26.	महबूबनगर(6 मंडल और 2 म्युनिसिपालिटी)	0.69	15-35	सितम्बर, 1990 से अगस्त, 1991
27.	खमाम (आ०प्र०)	7.10	9-35	जनवरी-दिसम्बर, 91
28.	निज़ामाबाद आ०प्र०)	4.50	15-35	फरवरी, 1991 जनवरी, 1992
29.	उत्तरी 24 परगना (प० बंगाल)	17.00	9-50	फरवरी-दिसम्बर, 1991
30.	सुन्दरगढ़ जिला (उड़ीसा) राऊरकेला सिटी) (उड़ीसा)	7.50	9-60	जनवरी-दिसम्बर, 1991
31.	इन्दौर (म०प्र)			
32.	पश्चिम गोदावरी(आ०प्र०)	6.00	9-40	जनवरी-दिसम्बर, 1991
33.	करीमगंज (आ०प्र०)	10.00	9-35	जनवरी-दिसम्बर, 91

34.	रांची (बिहार)	10.00	6-45	जनवरी-91 जून, 92
35.	मुजफ्फरपुर (बिहार)	10.00	12-35	नवम्बर, 90 जून, 92
36.	जमशेदपुर (शहरी) (बिहार)	1.80	6-50	जुलाई, 90, अप्रैल, 92
37.	कामराज (तमिलनाडु)	2.40	15-35	फरवरी, 1991, मार्च, 92
38.	पीटीटी सिवागना (तमिलनाडु)	1.00	15-35	फरवरी, 91 अगस्त, 92
39.	रायपुर (म०प्र०) (8 ब्लाक)	3.00	15-45	जनवरी, 91, मई, 92
40.	बिलासपुर (म०प्र०) (6 ब्लाक)	3.51	15-45	अक्तूबर, 90 जून, 92
41..	गंजम (उड़ीसा)	10.00	9-45	जनवरी, 91 जून, 92
42.	पानीपत (हरियाणा)	2.00	15-45	जनवरी, 91 जून, 92

8.3.3 जत्थों, मोहल्ला नाटकों के माध्यम से जन गतिशीलता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पारम्परिक लोक संसाधन, संसाधन व्यक्तियों को व्यापक प्रशिक्षण, पूर्ण सहभागिता पद्धति के माध्यम से मास्टर प्रशिक्षण और स्वयंसेवक और पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर आई०पी०सी०एल० (विकसित गति और अध्ययन की विषयवस्तु) की नई प्रेरणा और अनुस्थापित तकनीक का उपयोग करते हुए अनुदेशात्मक पाठ इत्यादि जन अभियान के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं।

8.3.4 उपाध्यक्ष योजना आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्री के आग्रह पर सभी राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासन अतिरिक्त जिलों को निर्धारित कर रहे हैं जहां पूर्ण साक्षरता अभियान चलाए जा सकते हैं और यह आशा की जाती है कि 1991-92 के दौरान लगभग 70 जिले ऐसे अभियानों में शामिल किए जा चुके होंगे।

केन्द्र आधारित कार्यक्रम का पुनः आयोजन

8.4.1 प्रौढ़ शिक्षा का केन्द्र आधारित कार्यक्रम 1978 से ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं, राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, स्वैच्छिक एजेंसियों, प्रौढ़ शिक्षा तथा सतत शिक्षा के विश्वविद्यालय विभागों, नेहरू युवा केन्द्र संगठन इत्यादि के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। केन्द्र आधारित कार्यक्रम यद्यपि विशेष रूप से ठोस है फिर भी इसके कार्यान्वयन में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं जैसे(क) कार्यक्रम शुरू करने से पहले पर्याप्त आयोजन और पूर्व तैयारी की कमी(ख) कार्यकर्ताओं और अध्येताओं में प्रेरणा की कमी(ग) प्रौढ़ शिक्षितों की आवश्यकताओं से असंगत अध्यापन/अध्ययन सामग्री(घ) सहभागिता और संचार प्रशिक्षण की कमी(ङ) कमजोर प्रबंध(च) उपयोगी सूचना पद्धति।

8.4.2 उक्त योजना को इसकी कमियों और बाधाओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है जिससे इसे और अधिक क्षेत्र और विशेष समयबद्ध, लागत कारगर और परिणाम उन्मुख बनाया जा सके। संशोधित योजना के अन्तर्गत मार्गदर्शी रूपरेखा जारी की गई है। आशा की जाती हैं कि नई योजना अपनाने पर इससे अधिक पकड़, कारगर अनुश्रवण, और पर्यवेक्षण, प्रबंध सूचना पद्धति में विश्वास, समुदाय को शामिल करना, और कार्यक्रम में और अधिक संख्या में महिलाओं को शामिल किया जा सकेगा।

विषयवस्तु और अध्ययन की विकसित गति

8.5.0 आई०पी०सी०एल० तकनीक में अध्ययन की अवधि कम कर दी गई है(500 घंटे से घटाकर लगभग 200 घंटे कर दी गई है) जिसके लिए अध्ययन की विषयवस्तु तथा कोटि में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है। इस तकनीक में तीन भागों में बहु-ग्रेड और समेकित प्राइमर तैयार करना शामिल है, जो साक्षरता और अंकों के विभिन्न स्तरों के अनुरूप है, होंगे और इसमें अध्ययन यूनिटों, ड्रिल, और व्यायाम, मूल्यांकन, प्रभारीकरण के समेकन की व्यवस्था है। नए प्राइमर प्रगति के सिद्धान्त पर आधारित हैं और इसमें अध्येता द्वारा अपने आप ही समय समय पर अध्ययन की प्रगति का मूल्यांकन करने की व्यवस्था है। तकनीक ऐसी पृष्ठभूमि पर आधारित है कि प्रेरणा उसी क्षण उत्पन्न हो जाएगी जैसे ही अध्येता को अध्ययन के प्रत्येक स्तर पर प्राप्त की गई प्रगति और अध्ययन के लाभ की जानकारी हो जाएगी। राज्य संसाधन केन्द्र जो इस कार्यक्रम को शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करता है उसने पहले ही ऐसे समेकित प्राइमरर्स तैयार किए हैं जिसकी प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय भारत सरकार में विधिवत गठित समिति द्वारा पूर्व परीक्षण तथा जांच की जा चुकी है। इसका उपयोग अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है। कुछ राज्य संसाधन केन्द्रों ने संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में ब्रोली जाने वाली विभिन्न बोलियों में ऐसी समेकित प्राईमरे विकसित की है।

स्वैच्छिक एजेंसियां

8.6.1 सामाजिक अभियान में समाज को गतिशील बनाया जाता है, स्वैच्छिक एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जाती हैं। तथापि इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल उन्ही स्वैच्छिक एजेंसियों को चुना जाए जिनका समाज सेवा में पिछली अच्छी भूमिका हो और प्रौढ़ शिक्षा के प्रति वे समर्पित हो और उनमें वास्तविक स्वैच्छिक सांस्कृतिक विशेषता हो। मिशन ने इसके चयन की विविध पद्वतियां निर्धारित की है जैसे राज्य स्तर पर समितियों के माध्यम से(स्वैच्छिक एजेंसियों के प्रतिनिधित्व के साथ) माध्यम/प्रमुख एजेंसियों के जरिए और सीधे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा।

8.6.2 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने स्वैच्छिक एजेंसियों से संबंधित एक उपदल गठित किया जो योजना को अधिक स्वैच्छिक और कारगर बनाने की दृष्टि से योजना की समीक्षा करेगा जिसके लिए वह क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा और साथ-साथ ही आई०पी०सी०एल० की नई तकनीक को भी अपनाएगा। उपदल की रिपोर्ट पर कार्यकारी समिति द्वारा विचार किया गया था और इसके सुझावों को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया गया। क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि संपूर्ण साक्षरता की ओर मिशन का संपूर्ण ध्यान होगा, स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता की योजना संशोधित की गई थी ताकि स्वैच्छिक एजेंसियों को यह स्वतंत्रता हो और उन्हें और लचीला बनाया जाए ताकि वे स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संपूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के दृष्टिकोण को अपनाए।

8.6.3 चालू वर्ष के दौरान योजना का पुनरीक्षण करने को स्वैच्छिक एजेंसी जिन्हें पहले से अनुदान मिल रहे थे उन्हें प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और जन शिक्षण निलयमों के संचालन के लिए सहायता देना जारी रहा। 1990-91 के दौरान 463 स्वैच्छिक एजेंसियों को 20764 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, 1769 जन शिक्षण निलयमों और इससे संबंधित अन्य कार्यकलापों के संचालन के लिए अनुमोदित किया गया था। जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान के एक भाग के रूप में कार्य कर रहे यूनिटों के अतिरिक्त स्वैच्छिक एजेन्सियों में 22 जिला स्रोत यूनिट मंजूर किए गए हैं। डा० मालकोम आदिशैषया की 80वीं जन्मतिथि के अवसर पर प्रौढ़ साक्षरता तथा विकास विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था। मिशन के नए लक्ष्य और दृष्टिकोण से स्वैच्छिक एजेंसियों को अवगत कराने के लिए आठ कार्यशालाएं भी आयोजित की गई थीं। योजना के अंतर्गत संगणक के कार्य को और अधिक सुदृढ़ किया गया था। जन शिक्षण निलयम की स्थापना के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की गई थी और स्वैच्छिक एजेंसियों को भेज दी गई थी ताकि वे जन शिक्षण निलयम की योजनाएं तैयार कर सके और उन्हें कारगर ढंग से लागू कर सकें। स्वैच्छिक एजेंसियों को स्वैच्छिक आधारित कार्यक्रमों को शुरु करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करने हेतु तीन सम्मेलन पटना, गुवाहटी और लखनऊ में आयोजित किए गए थे।

8.6.4 जन शिक्षण निलायम जैसे सामाजिक कार्य में छात्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्वविद्यालय, कालेज व माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर 200 लाख छात्र हैं (माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक) कार्यात्मक साक्षरता का एक व्यापक कार्यक्रम मई 1986 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को धीरे-धीरे और आगे बढ़ाया गया। विभिन्न राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल) डा० मालकोम एस० आदिशैषया की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक स्थायी समिति का गठन, विश्वविद्यालय अनुदान के अध्यक्ष द्वारा जारी की गई व्यक्तिगत अपील और युवा कार्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय सेवा आयोग के 50% युवकों को साक्षरता के कार्य में लगाने से संबंधित जारी किए गए निर्देशों से भारी मात्रा में छात्रों को इस कार्य में शामिल करने की प्रक्रिया में भारी योगदान मिला।

8.6.5 चुनिन्दा आधार पर 25 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक सम्मेलन, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और योजना आयोग के तत्वावधान में दिनाक 7.3.91 को आयोजित किया गया था। इसमें प्रधान मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता प्रो० राम लाल पारीख, कुलपति, गुजरात विद्यापीठ द्वारा की गई थी। सम्मेलन ने यह पारित किया कि साक्षरता को विश्वविद्यालय, कालेजों तथा स्कूलों की पाठ्यचर्या पर एक अभिन्न भाग समझा जाए और इसके अन्तर्गत आगे की कार्रवाई की जाए। तदनुसार, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया था।

कार्यात्मक साक्षरता का व्यापक कार्यक्रम

8.7.1 प्रौढ़ शिक्षा में छात्रों को शामिल करके मई, 1986 में कार्यात्मक साक्षरता का जो व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया था राष्ट्रीय कार्यात्मक मिशन के अन्तर्गत इसका और अधिक विस्तार किया गया है और समाज के सभी क्षेत्रों में इसे लागू किया गया है जैसे कर्मचारी और ट्रेड यूनियन, रेलवे, भूतपूर्व सैनिक, जेल प्रबंध स्टाफ बैंक, सहकारी इत्यादि जो विकास इस दिशा में हुए हैं उनका उल्लेख नीचे किया गया है।

(क) कर्मचारी और ट्रेड यूनियन

केन्द्रीय कर्मचारियों और ट्रेड यूनियन संगठन के दो गोल मेज सम्मेलन अप्रैल और जुलाई, 1989 में आयोजित किए गए थे। इसमें हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप एक स्थायी समिति गठित की गई जिसमें सभी संबंधित हितों के व्यक्ति शामिल किए गए थे जो संपूर्ण योजना, अनुश्रवण और संपूर्ण प्रक्रिया की देखभाल करेगा। गुजरात और राजस्थान में अनेक अलग-अलग कर्मचारी और ट्रेड यूनियन साक्षरता कार्य में पहले से ही सक्रिय रूप से शामिल हैं।

(ख) बैंक

कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे स्टेट बैंक आफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, कनारा बैंक, युनाइटेड कमार्शियल बैंक, इलाहाबाद बैंक और ओवरसीज बैंक ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के महानिदेशक द्वारा जारी की गई अपील के प्रति रचनात्मक प्रक्रिया रही है। आन्ध्र प्रदेश में रिजर्व बैंक के भूतपूर्व उप शासक व नाबार्ड के अध्यक्ष श्री एम० रामकृष्ण की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित की गई है जो इस संबंध में कार्यसमितियां तैयार करेगी।

(ग) रेलवेज

रेलवे ने अपने रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के निरक्षर सदस्यों के लिए नौ क्षेत्रों में 600 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आयोजित किए। जबकि साक्षरता किट और अनुदेशकों के प्रशिक्षण का खर्च राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने वहन किया था इन केन्द्रों के संचालन का आवर्ती खर्च रेलवे ने वहन किया।

संबंधित राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और समर्थन की वजह से कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने सम्पूर्ण स्वैच्छिक आधार पर पहले ही साक्षरता का कार्य शुरु कर दिया है।

(घ) भूतपूर्व सैनिक

भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करके एक निष्पादन संबद्ध योजना (जहां भुगतान को परिणामों से जोड़ा जाता है) 1989-90 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु के 37 खंडों में शुरू की गई थी और 1990-91 में यह जारी रही। भूतपूर्व सैनिकों की सहभागिता योजना के कार्यकरण की समीक्षा 10 दिसम्बर, 1990 को आयोजित राज्य सैनिक बोर्डों के सचिवों को एक बैठक में शुरू की गई थी।

(ङ) अन्य गैर-सरकारी संगठन

एम०पी०एफ०एल० बम्बई में आधारित एक स्वैच्छिक एजेंसी के लिए संसाधन संगठनों को समिति ने बम्बई शहर के ट्राम्वे-धारवी इलाके के पांच क्षेत्रों में "कम्बैट इलिट्रेसी" शीर्षक से एक परियोजना शुरू की है जिसमें मुख्यतः अनेक एजेंसियों के लिए गए छात्रों गैर-सरकारी युवकों तथा स्वयं सेवियों की सहायता से 15,550 निरक्षर शामिल हैं।

8.7.2 एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत की जाने वाली सहस (साक्षरता हक समिति) के तत्वावधान में एक परियोजना, जो संपूर्ण निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम के कही अधिक बड़े पैमाने पर होगी, बम्बई में 1991-92 में शुरू करने का प्रस्ताव है। एक प्रारंभिक आयोजना बैंठक 2 मार्च, 91 को बम्बई में आयोजित की गई थी जिसमें अन्यों के साथ शिक्षा सचिव, भारत सरकार, शिक्षा सचिव, महाराष्ट्र सरकार, महानिदेशक रा०सा०मि० तथा लगभग 100 सामाजिक व शैक्षिक कार्यकताओं और जन-संचार माध्यम के कार्मिकों ने भाग लिया था। प्रचार की और पद्धतियों का पता लगाया जा रहा है।

उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा

8.8.1 उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा का दोहरा उद्देश्य है, अर्थात (क) नव-साक्षरों की सम्पूर्ण जीवन कोटि में सुधार करने और समृद्ध बनाने के लिए बुनियादी साक्षरता स्तर पर अर्जित कौशलों को जारी रखना, फिर से लागू करना, तेज करना और परिशोधित करना, और (ख) साक्षरता जगत में उनकी पुनरावृत्ति को कारगर ढ़ंग से रोकना। इस उद्देश्य को एक संस्थागत ढांचा प्रदान करके प्राप्त करने की अपेक्षा है जो नवसाक्षरों को सूचना, संप्रेषण, नवीकरण आधुनिकीकरण तथा कौशलों के व्यापक जगत की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होगा।

8.8.2 ऐसे उद्देश्य को काफी सीमा तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत चरण बद्ध ढंग से समूचे राष्ट्र में जनशिक्षण निलयम स्थापित करके पूरा किया जा रहा है। उनसे अपेक्षा है कि ये साक्षरता तथा अंक संबंधी कौशलों को स्तरोन्नत करने, चर्चा मंडल आयोजित करने, अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, विकास सूचना का प्रचार करने और अन्य सांस्कृतिक तथा मनोरंजनात्मक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए सांध्य कक्षाओं के आयोजन जैसे कार्यकलाप शुरू करेंगे।

8.8.3 1987-88 में 10,065 जनशिक्षण निलयम शुरू करते हुए, ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम स्वैच्छिक एजेंसियों के अन्तर्गत संचालित किए जा रहे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, विश्वविद्यालयों तथा सतत शिक्षा विभाग द्वारा संचालित केन्द्रों और नेहरु युवक केन्द्रों को शामिल करने के लिए मार्च 1991 के अंत तक 32,318 जनशिक्षण निलयम स्वीकृत किए गए है। इनमें से 22,691 पहले ही से कार्य कर रहे थे और शेष कार्य करने की प्रक्रिया में थे। राज्य संसाधन केन्द्रों की राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, आदि द्वारा जनशिक्षण निलयमों की पठन सामग्री के लिए बड़ी संख्या में शीर्षक तैयार किए गए हैं। सामग्री तैयार करने, पठन सामग्री की विषय वस्तु पुस्तक तैयार करने के मानदंडों मूल्य निर्धारण, सामग्री के चयन और वितरण आदि के प्रति दृष्टिकोण के संबंध में व्यापक दिशा निर्देश सभी राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों को जारी किए गए हैं ताकि जनशिक्षण निलयम उनके विविध उद्देश्यों को जिस ढंग से पूरा कर सकें वैसे कार्य कर सकें और संचालित किए जा सके। सभी राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे विकास विभागों से संबंधित सूचना का प्रसार करने के लिए केन्द्रों के रूप में

जन शिक्षण निलायमों का उपयोग करें और स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, को ओपरेटिव, कृषि , पशुपालन, ग्रामीण विकास आदि जैसे कार्यक्रमों से संबंद्ध संबंधित एजेंसियों को सलाह दें कि वे केन्द्रीय या राज्य सरकारों की एक अथवा अन्य योजना सयोजनाओं) के अंतर्गत प्रदर्शनियों की व्यवस्था करके, अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके जन साक्षरों के जीवनों और उनके संबंध में सूचना सामग्री उपलब्ध कराके और उनको उपलब्ध हो सकने वाले लाभों के बारे में स्थानीय समुदाय के साथ चर्चाएं आयोजित करके स्वयं को जन शिक्षण निलयमों से संबद्ध करें। आज की तारीख तक देश के विभिन्न भागों में शुरू किए गए संपूर्ण साक्षरता अभियानों में लक्षित वर्गों के रूप में कुल 25 से 30 मिलियन शिक्षुओं (बच्चों और प्रौढ़ों, दोनों) को शामिल किया गया है। आशा है कि वे मई, 1991 तक नव-साक्षरों के रूप में अभियानों में सफल होंगे। इन नव-साक्षरों के लिए एक कार्य-ढाँचा तैयार करने और उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा की विषय-वस्तु और प्रक्रिया की सिफारिश करने के लिए श्री सत्येन मैत्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की एक. उप-समिति गठित की गई थी। इस समिति ने पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं।

शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन सहयोग

8.9.0 सातवें दशक के दौरान स्थापित किए गए उन्नीस राज्य संसाधन केन्द्रों ने निम्नलिखित प्रदान करने के लिए कार्य करना जारी रखा-(क) शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन सहयोग, और (ख) समूचे राष्ट्र में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को संचार माध्यम सहयोग, उनमें से अधिकांश स्वैच्छिक क्षेत्र में हैं और इससे स्वतंत्रता तथा लचीलेपन के वातावरण में इस प्रकार का सहयोग सुकर हो पाया है जो प्रौढ़ शिक्षा जैसे गैर औपचारिक कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। राज्य संसाधन केन्द्रों ने आई०पी०सी०एल० की तकनीकी पर आधारित मूल शिक्षण अध्ययन सामग्री और उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा सामग्री तैयार करके, बड़ी संख्या में कार्यक्रम पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करके, मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश जारी करके और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की विषय वस्तु तथा कोटि को सुधारने, समृद्ध बनाने तथा सुदृढ़ करने के लिए अनेक नवीकरण परियोजनाएं शुरु करके मिशन में मूल्यवान योगदान दिया हैं।

प्रौद्योगिक प्रदर्शनः

8.10.1 कार्यक्रम की गति तथा कोटि में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसन्धान के निष्कर्षों का पता लगाने की दृष्टि से और एक बेहतर शिक्षण/अध्ययन वातावरण तैयार करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से जांच किए गए तथा प्रमाणित प्रौद्योगिकी शैक्षिक निवेशों के विकास, स्थानांतरण तथा प्रयोग के लिए 42 जिलों का पता लगाया गया है। प्रौद्योगिकी शैक्षिक निवेशों के लिए आर०ब०डी० पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सलाह देने के लिए और ऐसे निवेशों के वास्ते अनुसन्धान तथा विकास कार्य शुरु करने के लिए सहयोगी एजेंसियों का पता लगाने के लिए 1988-89 को दौरान डा० राम के० आयँगर महानिदेशक, सी एस आई आर की अध्यक्षता में गठित प्रौद्योगिकी पैनल ने अगस्त 1990 तक कार्य करना जारी रखा।

8.10.2 बिजलीरहित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के उपयोग के लिए नवीनतम लालटेन, विकासशील विकसित चाक गतिशील सौर ऊर्जा बैंकों की संरचना निर्माण तथा उपयोग, सूक्ष्म संगणक आधारित बहु-कथानक प्रदर्शन पद्धति विकासशील संशोधित श्यामपट आदि तैयार करने का अनुसन्धान एवं विकास कार्य अधिकांश मामलों में विभिन्न सहयोगी एजेंसियों द्वारा पूरा किया गया था। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जिलों में स्थापित किए जाने के लिए प्रत्याशित दो हजार सौर ऊर्जा पैकेज में से 1800 से अधिक पहले ही विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं।

8.10.3 ग्रामीण लोगों में प्रसार के लिए वीडियो आधारित सूचना प्रयोग में लाने के लिए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जिलों में 100 गांवों में शुरु की गई विवेक दर्पण नामक परियोजना भी कार्यन्वित की जाती रही। आशा है कि इस परियोजना का अगले वित्तीय वर्ष से 200 गांवों को शामिल करने के लिए विस्तार किया जाएगा और इसमें स्वास्थ्य, विज्ञान, ग्रामीण विकास, कृषि विस्तार आदि से संबंधित अन्य विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन

8.11.1 मूल्यांकन के दो पहलू हैं, अर्थात् (क) अध्ययन परिणाम का मूल्यांकन, और (ख) प्रभाव मूल्यांकन। पहले के अंतर्गत एक संशोधित डिजाईन तैयार किया गया है जिसे संशोधित गति और अध्ययन की विषयवस्तु की नई तकनीकी में निर्मित किया गया है और जो स्व-मूल्यांकन द्वारा शिक्षुओं के उत्साह को बढ़ाने के अलावा, मूल्यांकन को सरल, शंका रहित और विश्वसनीय भी बनायेगा।

8.11.2 दूसरे के अंतर्गत कुल 35 सामाजिक विज्ञान तथा अनुसंधान संस्थानों और प्रबन्ध संस्थानों का प्रौढ़ तथा गैर-औपचारिक शिक्षा, दोनों कार्यक्रमों का बाह्य मूल्यांकन करने के लिए पता लगाया गया है। इनमें से 27 एजेंसियों को पहले ही 17 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रभाव मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। दिसम्बर 1990 के अंत तक इन एजेंसियों से पहले ही 14 फाइनल रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी है और आशा हैं कि मार्च, 91 तक और पांच प्राप्त हो जायेंगी। इस मूल्यांकन का मुख्य अभिशासी सिद्धान्त यह है कि यह सहभागात्मक, सुधारात्मक (न कि दोष ढूंढने वाला), सतत् और आवर्तक है। समय-समय पर प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों की सहायता से आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

8.11.3 देश के विभिन्न औद्योगिक और शहरी केन्द्रों में 37 श्रमिक विद्यापीठों ने 1990-91 में कार्य करना जारी रखा। वे गैर-औपचारिक, प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा और औद्योगिक श्रमिकों, उनके परिवार-सदस्यों, स्व-रोजगार प्राप्त सदस्यों तथा भावी श्रमिकों को बहु-संयोजक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एक संस्थागत ढांचे का प्रतिनिधित्व करते है। उनमें से दिल्ली स्थित एक श्रमिक विद्यापीठ केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन श्रमिक विद्यापीठ विश्वविद्यालयों द्वारा, 23 स्वायत्त निकायों द्वारा और शेष 10 राज्यों सरकारों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

8.11.4 कोई कार्यक्रम आयोजित करने अथवा कोई पाठयक्रम शुरू करने से पूर्व, सभी श्रमिक विद्यापीठों द्वारा कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए एक सामाजिक आर्थिक रूपरेखा और कार्य योजना तैयार की जाती है। इस प्रकार की रूपरेखाओं से लाभग्राहियों की जनशक्ति आवश्यकताओं और वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जुटाए जा सकने वाले संसाधनों के प्रति उपयुक्त समझ हासिल करने में सहायता मिलती है। श्रमिक विद्यापीठों द्वारा संचालित कार्यक्रमों से शहरी, अर्ध शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले समाज के सभी वर्गों, जैसे निरक्षर, अर्ध निरक्षर, कुशलता प्राप्त, अर्ध कुशलताप्राप्त तथा अकुशलता प्राप्त, को सहायता मिली है। इन कार्यक्रमों से समाज के कमजोर वर्गों, जैसे अनुसूचित जातियों, अनु० जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग और विकलांग विज्ञान के अनुसार विकलांगों, तथा विपदाग्रस्त महिलाओं को भी विशेष लाभ हुए हैं। एक निश्चित समय अवधि में उनके द्वारा शामिल किए गए क्षेत्रों में संपूर्ण निरक्षरता उन्मूलन के लिए श्रमिक विद्यापीठ के कार्य कलाप भी फिर से शुरू किए जा रहे हैं। महानिदेशक (रा०सा०मि०) की अध्यक्षता में इस मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल द्वारा श्रमिक विद्यापीठों की योजना की समीक्षा की गई हैं और अब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसके आधार पर श्रमिक विद्यापीठों की मौजूदा योजना की समीक्षा की गई है और उसमें संशोधन किया गया है और इसे सरकार का अनुमोदन प्राप्त होना है।

विश्व साक्षरता दिवस (8 सितम्बर, 1990) और अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष

8.12.1 साक्षरता के पक्ष में जनमत प्राप्त करने के लिए समूचे राष्ट्र में विश्व साक्षरता दिवस की रजत-जयन्ती मनाई गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को नई दिल्ली में अयोजित एक समारोह में मनाया गया था जिसमें पूर्व प्रधान मंत्री श्री वी०पी० सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने साक्षरता प्रयास में पूरे दिल से भाग लेने के लिए समाज के सभी वर्गों से अपील की ताकि इस देश से हमेशा के लिए निरक्षरता के अभिशाप को समाप्त किया जा सके। विशेष रूप से, उन्होंने युवकों से अपील की कि वे कम-से-कम पांच निरक्षरों को साक्षर बनायें। इस अवसर पर साक्षरता पर एक विशेष डाक टिकट जारी की गई थी और प्रकाशनों के एक सैट का भी विमोचन किया गया था। राज्य, जिला उप मंडल तथा खण्ड स्तरों पर, विभिन्न समारोहों में अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था जिसमें सरकारी, गैर-सरकारी संगठन, जन-प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, स्वैच्छिक एजेंसियां, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, छात्र, महिलाएं, युवक, आदि शामिल थे। मुख्य राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि साक्षरता दिवस मनाने के लिए आयोजित किए गए समारोहों में राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रभारी शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया था।

8.12.2 यूनेस्को के साथ सहयोगार्थ भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर, यूनेस्को द्वारा किन्ग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार मुख्यतः विज्ञान और समाज के बीच अन्तरापृष्ठ में कार्यरत केरल स्थित एक स्वैछिक गैर-सरकारी संगठन, केरल शास्त्र साहित्य परिषद, त्रिवेन्द्रम को प्रदान किया गया था। यूनेस्को पुरस्कार संस्थाओं, संगठनों या व्यक्तियों को निरक्षरता उन्मूलन में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए दिया जाता है। 8 सितम्बर, 1990 को 42वें विश्व शिक्षा सम्मेलन के साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर श्री जी०जी० शान्ता कुमार को के०एस०एस०पी० की ओर से जेनेवा में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था।

साक्षरता, उत्तर-साक्षरता और सतत् शिक्षा से संबंधित सार्क बैठक

8.13.0 साक्षरता तथा उत्तर-साक्षरता और सतत् शिक्षा पर एक दो-वर्षीय कार्य-योजना तैयार करने के लिए 15 से 18 जून, 1990 तक नई दिल्ली में सार्क देशों की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के छः सदस्य देशों से सहभागियों ने भाग लिया। जिसमें महानिदेशक, रा०सा०मि० (भारत का नामजद व्यक्ति) को अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया था। देश की रिपोर्टें प्रस्तुत करने और उन पर चर्चा करने के अतिरिक्त इस बैठक में भारत द्वारा तैयार किए गए "सार्क देशों में निरक्षरता उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय नीति की ओर" विषयक स्टेटस पेपर पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में एक राजनीतिक इच्छाशक्ति और साक्षरता के प्रति वचनबद्धता हासिल करने और प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक स्पष्ट नीति तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसमें इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यात्मक साक्षरता के कई न्यूनतम तथा पूर्व निर्धारित स्तर और उपयुक्त साधन तैयार करने के प्रति प्रत्येक सदस्य की वचनबद्धता पर भी बल दिया गया। बैठक की प्रमुख सिफारिशों में प्रत्येक देश में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्रों की, विशेष रूप से सार्क क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र की स्थापना करना, सदस्यों के बीच कार्यक्रमों के विनिमय टी०वी० कार्यक्रम का संयुक्त निर्माण आदि हैं।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को मामले

8.14.1 जोमतियन थाईलैंड में 5 से 9 मार्च, 1990 तक 'सभी के लिए शिक्षा' सम्मेलन और इसके अन्तर्गत की गई विश्व घोषणा के परिणामस्वरूप, यूनिसेफ के अनुदान से बिहार शिक्षा परियोजना, एस०आई०डी०ए० की सहायता से राजस्थान में सभी के लिए बुनियादी शिक्षा तथा विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना प्रतिपादित करने के लिए कदम उठाए गए।

8.14.2 महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने 23 से 27 अक्तूबर तक अपील (एशिया-पेसिफिक प्रोग्राम आफ एजूकेशन आफ आल) के क्षेत्रीय सहयोग के लिए आजोजित दूसरी बैठक में तथा 'सभी के लिए शिक्षा' के समर्थन में 29 से 31 अक्तूबर, 1990 तक बैंकाक में एसकेप द्वारा आयोजित कार्रवाई कार्यक्रम पर वरिष्ठ कर्मचारियों की बैठक में भाग लिया। उनका चयन सर्वसम्मति से पहली बैठक के अध्यक्ष के रूप में किया गया था।

8.14.3 निदेशक, प्रौढ शिक्षा निदेशालय ने 'साक्षरता तथा एशिया का विकास' पर हुई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा टोकियो में 11 से 15 मार्च, 1990 तक आयोजित ग्रामीण क्षेत्रों में नवसाक्षरों के लिए एशिया-प्रशान्त संयुक्त सामग्री उत्पादन कार्यक्रम की योजना बैठक में भाग लिया। उन्होंने 4 से 7 अक्तूबर, 1990 तक फिलाडेल्फिया में पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2000 ई० में 'विश्व साक्षरता अनुसंधान तथा नीति आयाम' पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

8.14.4 शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा) ने 8 से 13 अक्तूबर, 1990 तक इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में यूनेस्को द्वारा आयोजित जनसंख्या शिक्षा में तकनीकी आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक (जनसंख्या शिक्षा) ने भी इसी अवधि के दौरान काठमांडू में आयोजित इसी कार्यक्रम में भाग लिया। दोनों ने 14 से 27 अक्तूबर, 1990 तक नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दूसरे भाग में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

8.14.5 अपर निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने 1 से 15 दिसम्बर, 1990 तक बैंकाक, चिंगमई तथा चिंगरई (थाईलैंड) में आयोजित महिलाओं और लड़कियों के लिए शिल्प-आधारित साक्षरता कार्यक्रम के प्रसार पर यूनेस्को द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में भाग लिया।

8.14.6 संयुक्त निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने जनसंख्या शिक्षा पर 21 से 28 मई तक प्रोप, बैंकाक (थाईलैंड) में आयोजित क्षेत्रीय सलाहकार सम्मेलन में भाग लिया।

8.14.7 परामर्शदाता (तकनीकी), प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने 2 से 16 जनवरी, 1991 तक बंगलादेश में यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित साक्षरता कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सम्मेलन में भाग लिया।

8.14.8 शिक्षा विभाग के अवर सचिव (प्रौढ़ शिक्षा) ने 3 से 7 दिसम्बर, 1990 तक काठमांडू में आयोजित 'जनसंख्या शिक्षा पर सामग्री का विकास' पर यूनेस्को विशेषज्ञ ग्रुप की बैठक में भाग लिया।

8.14.9 श्रीमती तिलोतमा बरुआ, अवर निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा), असम सरकार ने 2 से 8 सितम्बर, 1990 तक क्वेजन शहर, फिलीपीन में 'साक्षरता तथा गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए योजना नीतियां' पर हुए कार्यशिविर में भाग लिया।

माध्यम व सम्प्रेषण

8.15.0 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में माध्यमों की भूमिका अनुभव की गई है तथा इसकी परिकल्पना दो रूपों में की जा रही है, एक वातावरण निर्माण के साधन के माध्यम के रूप में और (ख) साक्षरता का संदेश फैलाने व वास्तव में साक्षरता प्रदान करने के माध्यम के रुप में। इस प्रकार सभी सम्प्रेषणों और माध्यम क्रियाकलापों का मुख्य जोर, वर्तमान सरकारी कार्यक्रम को वास्तविक राष्ट्रीय बहु अभियान व सामाजिक मिशन में परिवर्तित करना है। 1990-91 के दौरान विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष में तथा कई स्थलों पर बुह-अभियान आरंभ करने में इस क्षेत्र में कई प्रकार की रुचिकर उन्नति हुई। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(क) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा साफ्टवेयर/कार्यक्रम सामग्री का निर्माण

कई उच्च कोटि की उत्प्रेरक फिल्में/वीडियो कार्यक्रम तैयार करके सम्पूर्ण राष्ट्र में प्रसारित किए गए तथा राज्य संसाधन केन्द्रों, राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों व प्रमुख स्वैच्छिक एजेंसियों को वितरित किए गए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं व क्षेत्र कार्यकर्ताओं को अनुस्थापित व प्रशिक्षित करने के लिए फिल्में भी निर्मित की गई। चौराहा शीर्षक से चालीस वीडियो वाला टी०वी० धारावाहिक प्रमुख साफ्टवेयर परियोजना का हिस्सा था जिसमें साक्षरता व शिक्षा के कम्प्यूटर कठपुतली व जीवंत वर्णन का प्रयोग करके मनोरंजन के साथ जोड़ा गया है। वर्ष के दौरान आरंभ किए गए अन्य निर्माण कार्यों में देश के विभिन्न भागों में आरंभ किए जा रहे कुल साक्षरता अभियानों पर वृत्तचित्रों की श्रृंखला शामिल है। वर्ष के दौरान निरीक्षकों के प्रशिक्षण मे प्रयोग के लिए "ढाई आखर" नामक साढ़े पांच घंटे की फिल्में पूर्ण की गई। प्रौढ़ शिक्षा परियोजना तैयार करने के लिए क्षेत्र केन्द्रित अभियान पर प्रशिक्षण फिल्मों का एक और सेट भी तैयार किया जा रहा है।

(ख) सामग्री का वितरण:

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकारों व राज्य संसाधन केन्द्रों को अभी तक फिल्मों की 5,000 प्रतियां वितरित की है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए दृश्य-श्रव्य संसाधनों के लिए गाईड तैयार की गई है जिसमें ग्रंन्थ सूची, तकनीकी आंकड़ों व सारांश के साथ 400 शीर्षक शामिल हैं।

(ग) प्रौढ़ शिक्षा के लिए रेडियन शिक्षा परियोजना

एक नवीन प्रयोगात्मक परियोजना आकाशवाणी के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में रेडियो कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर स्टेशन जयपुर, इन्दौर, आगरा/मथुरा, वाराणसी, पटना, दरभंगा और रांची से "नई पहल" नामक शीर्षक श्रृंखला के अंतर्गत प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थानीय सांस्कृतिक विनिर्देशों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे। और प्रत्येक कार्यक्रम में हाई कोर पाठ सामग्री को इस प्रकार तैयार किया गया ताकि संरचनात्मक तरीके से बाचन दक्षता को सुदृढ़ बनाया जा सके। एक पूरक रेडियो रीडर भी प्रत्येक के साथ प्रदान किया गया। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सत्रह जिलों में 38000 से अधिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में प्रसारण किया जाएगा, जहां टू इन वन रेडियो/कैसिट रिकार्डर भेजे गए और अनुदेशकों और पर्यवेक्षकों को प्रौढ़ शिक्षा के लिए रेडियन शिक्षा परियोजना में प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रमों का प्रसारण दिसम्बर, 1990 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और जनवरी, 1991 में बिहार में शुरु हुआ।

संचार सहायता प्राप्त साक्षरता अभियान

एक संचार कार्यनीति देश के विभिन्न भागों में पूर्ण साक्षरता अभियान में सहायता देने के वास्ते जन संचार के काम के लिए विकसित की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से संबंधित प्रेस विज्ञापनों और रेडियो और टी०वी० खेल कूद कार्यक्रमों को समय समय पर जारी करना और साक्षरों/शिक्षित व्यक्तियों से स्वेच्छा से साक्षरता कार्य के लिए अपना समय देने के वास्ते सहायता मांगना है। अभियान, जो कि अभी चल रहा है, जुलाई-सितम्बर, 1991 में और अधिक जोर पकड़ लेगा।

प्रबंध सूचना पद्धति

8.16.0 जैसाकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में परिकल्पना की गई है, अनुश्रवण व्यवस्था को पुनः तैयार करने, आंकड़े तैयार करने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए संगणकों का उपयोग शुरू कर दिया गया है और कार्य पूरा होने की चरम सीमा पर है। अनुप्रयोग साफ्टवेयर पैकेज की पुनः जांच की गई थी, अंतिम रूप दिया गया था और चुनिंदे प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जिलों में संगणकीकृत प्रबंध सूचना व्यवस्था शुरु करने के लिए तैयार की गई तीन नियमावलियों में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर और दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र और राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की सहायता से प्रबंध सूचना व्यवस्था के संचालन से संबंधित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के छह दौर आयोजित किए गए थे। राज्य स्तर, जिला स्तर, परियोजना स्तर पर निरीक्षण करने और राज्य संसाधन केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों को संगणकीकृत प्रबंध सूचना पद्धति के अंतर्गत नई आवश्यकताओं से अवगत कर दिया गया था। तीन नियामावलियों में बताई गई प्रशिक्षण के दौरान आई कमियों को दूर कर दिया गया है और नियमावलियों को पुनः मुद्रित किया जा रहा है। इनका अनुदेशकों और प्रेरको के प्रशिक्षण के लिए स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, जो संगणकीकृत प्रबंध सूचना पद्धति में उपयोग में लाये जाने वाले आंकड़े तैयार करने के लिए अपेक्षित है। आशा है कि मार्च, 1991 के अंत में संगणकीकृत प्रबंध सूचना पद्धति के भाग के रूप में तैयार किए गए नए प्रपत्र में रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी। जिलाधिकारियों और प्रौढ शिक्षा अधिकारियों को इस मामले में लिखा गया था।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान

8.17.0 निरक्षरता और जन शिक्षा की मौजूदा चुनौती की ध्यान में रखते हुए, मानव संसाधन विकास की क्षमता को सुदृढ करने, प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों में साक्षरता की प्रक्रिया और विषय वस्तु का सुधार करने, अनुदेशकों और पर्यावरण भवन-निर्माण के लिए जन संचार के साधनों को बेहतर उपयोग में लाने, मूल्यांकन और अनुसंधान के लिए एक राष्ट्र व्यापक नेटवर्क का सृजन करने और महिलाओं तथा समाज के अन्य वर्गों के अधिकार के विकास में कार्यरत सामाजिक और शैक्षिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस प्रयोजन के लिए, राष्ट्र स्तरीय एक स्वायत्त संस्था का होना आवश्यक समझा गया जिसके राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण के साथ पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता और समेकित संबंध होंगे। तदनुसार राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान सोसायटी, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसायटी के रूप में पंजीकृत की गई थी। राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा संस्थान, जिसमें (I) सभी प्रकार के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यान्वयन के लिए शैक्षिक और तकनीकी संसाधन सहायता का प्रावधान (II) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित जन शक्ति के ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण और शैक्षिक पाठयक्रमों का आयोजन, (III) प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों की विषय वस्तु और प्रक्रिया में सुधार करने के लिए निरन्तर कार्य करना, (IV) संचार माध्यम सामग्री तैयार करना और परम्परागत और लोक संचार माध्यम को कार्य में लाना, (V) विभिन्न प्रकार के अनुसंधान, मूल्यांकन और अनुश्रवण कार्यकलापों को शुरू करना (VI)इन उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिए संस्थाओं और एजेंसियों की सभी श्रेणियों के साथ समन्वय और

संपर्क और (VII) उपर्युक्त उद्देश्यों के साथ एक संस्था का सृजन करना, विकसित करना और संचालित करना शामिल है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की आम सभा और कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक 15 और 16 फरवरी, 1991 को हुई और इसमें अनेक निर्णय लिए गए जो संस्थान को सरलता से चलाने में मदद देंगे। संस्थान, उस इमारत में कार्य करेगा जो रा०शै०अ०प्र०प० द्वारा खाली की गई थी तथा शीघ्र ही राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान को आबंटित कर दी गई थी। निदेशक, वरिष्ठ फैलोज, फैलोज तथा अन्य सहायक स्टाफ के पदों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

९. संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा

9. संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा

9.1.0. संघ शासित प्रदेशों में शिक्षा केन्द्रीय सरकार का एक विशेष उत्तरदायित्व है। प्रत्येक संघ शासित प्रदेश के संबंध में वर्ष के दौरान आरंभ किए गए शैक्षणिक कार्यकलापों का एक लेखा जोखा इस अध्याय में दिया गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

9.2.1. शैक्षणिक संस्थाओं का सही पर्यवेक्षक और उन पर नियंत्रण करने के लिए इस संघ शासित प्रदेश को दो शैक्षणिक मंडलों में विभाजित किया गया है जिनमें से प्रत्येक मंडल एक शिक्षा अधिकारी के प्रभार में आता है।

9.2.2. संघ शासित प्रदेश के प्रशासन में विभिन्न वर्गों के संस्वीकृत शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 3602 है जिसमें से 3357 कार्यरत हैं।

स्कूली सुविधाऐं

9.2.3. संघ शासित क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

		सरकारी		सहायता प्राप्त	नि॰ प्राइवेट
पूर्व-प्राथमिक	—	3	—	—	15
प्राथमिक	—	182	—	1	3
मिडिल	—	40	—	—	3
माध्यमिक	—	26	—	—	2
सी॰ माध्यमिक	—	33	—	1	1
कालेज	—	2	—	—	—
	कुल	286	—	2	24

प्रेरक योजनाएं

9.2.5. वर्ष के दौरान संघ शासित क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रेरक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। इन योजनाओं तथा कार्यक्रमों में कक्षा-VIII तक सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन, 4 कि॰ मी॰ की दूरी से दूर स्कूलों में जाने वाले छात्रों को निःशुल्क यात्रा भत्ते, शामिल हैं।

प्रौढ़ शिक्षा

9.2.6. प्रौढ़ शिक्षा की योजना का क्रियान्वयन वर्ष के दौरान जारी रहा। यह कार्यक्रम तीन प्रमुख योजनाओं के तहत लागू किया जा रहा है:—

1. ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम (ग्रा॰ का॰ सा॰ का॰)
2. राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (रा॰ प्रौ॰ शि॰ का॰)
3. कार्यात्मक साक्षरता के लिए जन कार्यक्रम (का॰ सा॰ ज॰ का॰)

9.2.7. अभी तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 400 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को स्थापित किया गया हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान 6644 प्रौढ़ शिक्षार्थियों को दाखिल किया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्तर-साक्षरता तथा सतत शिक्षा के लिए 50 जन शिक्षा निलायम भी कार्य कर रहे हैं। 4000 प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए कार्यक्रम को संचालित करने के लिए 2000 छात्र-स्वयं सेवकों का पता लगाया गया था।

गैर-औपचारिक शिक्षा

9.2.8. गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कुल दाखिला 756 है जिनमें से 369 लड़कियां हैं। योजना के अंतर्गत कार्यरत केन्द्रों की संख्या 34 है।

विज्ञान शिक्षा

9.2.9. विज्ञान शिक्षा के अंतर्गत सेमिनार, प्रदर्शनियां, पेंटिंग प्रतियोगिताएं कार्यशालाएं आदि संचालित की गई थी। बिड़ला औद्योगिक शिल्प वैज्ञानिक संग्रहालय कलकत्ता के सहयोग से एक राज्य स्तरीय विज्ञान सेमिनार आयोजित किया गया था।

राज्य शिक्षा संस्थान

9.2.10. पोर्ट ब्लेयर में एक राज्य शिक्षा संस्थान कार्यरत है। इस एकक का नेतृत्व लेक्चररों तथा अन्य कार्यालय कर्मचारियों की सहायता से एक प्रधानाचार्य द्वारा किया जा रहा हैं। यह एकक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूलों के निरीक्षण, विकलांग आदि की समेकित शिक्षा के आयोजन के लिए उत्तरदायी है। इस संस्थान के साथ अंग्रेजी के लिए एक जिला केन्द्र भी संलग्न हैं।

व्यावसायिक शिक्षा

9.2.11. एस० यू० वी० डब्ल्यू० के अंतर्गत स्कूलों में विभिन्न दस्तकारियां आरंभ की गयी हैं और +2 स्तर पर विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरंभ करने की एक योजना आरंभ की गई है। मत्स्य उद्योग तथा नारियल जटा संसाधन में व्यावसायिक पाठ्यक्रम +2 स्तर पर व्यावसायीकरण के अंतर्गत आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है।

उच्चतर शिक्षा

9.2.12. इस समय दो डिग्री कालेज, संघ शासित क्षेत्र में कार्यरत हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान निकोबार जिले में खोला गया दूसरा कालेज कार्यरत है और छात्रों की बृहत संख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

तकनीकी शिक्षा

9.2.13. तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत, दो पोलिटेक्निक स्थापित किए गए हैं। पहले पालिटेक्निक की विद्युत यांत्रिकी, सिविल में शाखाएं हैं तथा दूसरे पालिटेक्निक की इलेक्ट्रानिक और होटल प्रबंध में शाखाएं है। एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिसमें सिविल, यांत्रिकी, रेडियो-टेलीविजन, आशुलिपि में सुविधाएं उपलब्ध हैं, भी कार्यरत हैं।

चण्डीगढ़

9.3.1. शिक्षा सुविधाओं की अधिकाधिक मांग को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने 7 स्कूलों को माडल हाई स्कूल से सीनियर सैकेन्डरी स्कूल में स्तरोन्नत किया और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए तीन नए प्राथमिक स्कूल खोले गए। शिक्षा विभाग प्राथमिक स्तर पर मूल्योन्मुख शिक्षा शुरू करने में अग्रणी रहा है।

प्रारंभिक शिक्षा

9.3.2. प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के क्षेत्र में संघ शासित प्रशासन ने 6—14 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

9.3.3. समाज के कमजोर वर्गों के स्कूल जाने वाले बच्चों को निःशुल्क वर्दियां, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, मध्याह्न भोजन के रूप में प्रोत्साहन तथा प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

व्यावसायिक शिक्षा

9.3.4. चंडीगढ़ प्रशासन के तहत विभिन्न सीनियर सैकेन्डरी स्कूलों में 15 व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

प्रौढ़ शिक्षा

9.3.5. राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 160 केन्द्र कार्य कर रहे है। ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 100 केन्द्र और 28 जन शिक्षण निलायम चंडीगढ़ प्रशासन में कार्यरत हैं।

गैर-औपचारिक शिक्षा

9.3.6. इस योजना के अंतर्गत 5000 छात्रों को 100 केन्द्रों में पढ़ाया जा रहा है और उन्हें निःशुल्क लेखन सामग्री, वर्दियां, मध्याह्न भोजन दिया जाता है।

मार्गदर्शन जीवन वृत्तिका सैल

9.3.7. सेक्टर-32 में राज्य शिक्षा संस्थान में चलाया जा रहा है जो एक मार्गदर्शन जीवन वृत्तिका सैल सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। चंडीगढ़ के स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ रहे छात्र इसकी सेवाओं का उपयोग करते हैं। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादी कार्य भी इस केन्द्र के नियंत्रण में किया जाता है।

राज्य शिक्षा संस्थान, चंडीगढ़

9.3.8. संस्थान का लक्ष्य सेवारत पाठ्यक्रमों, स्कूलों में तात्कालिक मार्गदर्शन अध्यापन संबंधी सहायक सामग्रियों में प्रबोधन राज्य स्तर पर छात्रों तथा उनके शिक्षकों के विभिन्न सह-पाठ्येत्तर कार्यकलापों को आयोजित करते हुए तथा शैक्षिक लेखों और अनु-अंशात्मक विवरणों के जरिये स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना है। शिक्षा संस्थान विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों के लिए शैक्षिक दौरे भी आयोजित करता है। लगभग 9000 छात्र और 600 शिक्षक प्रत्येक वर्ष इस परियोजना में शामिल किए जाते हैं। इस संस्थान की जनसंख्या शिक्षा एकक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को तैयार करता हैं। इस एकक की देखभाल एक स्वतंत्र अधिकारी द्वारा की जाती हैं।

उच्चतर शिक्षा

9.3.9. प्रशासन उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों में डिग्री प्रदान कर रहा है। संघ शासित क्षेत्र में कालेज लड़कियों के लिए संगीत में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में दो कालेज जिनमें से एक राजकीय शिक्षा कालेज और दूसरा राजकीय गृह विज्ञान कालेज, चंडीगढ़ में है। राजकीय शिक्षा कालेज, चंडीगढ़ स्नातक शिक्षा की डिग्री के लिए स्नातकों को प्रशिक्षित करता है। राजकीय गृह विज्ञान कालेज, डिग्री स्तर तक गृह विज्ञान में गृह विज्ञान के विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सात निजी रूप से प्रबंधित सहायता प्राप्त कालेज भी हैं।

दादरा और नगर हवेली

9.4.1 इस प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संघ शासित प्रशासन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आलोच्य वर्ष के दौरान संघ शासित प्रदेश के प्रमुख शैक्षिक क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं।

शैक्षिक संस्थाएं

9.4.2 संघ शासित क्षेत्र में वर्ष 1990-91 के दौरान कार्यरत विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

संस्थान की श्रेणी	संख्या
प्राथमिक स्कूल	161
माध्यमिक स्कूल	8
सीनियर माध्यमिक स्कूल	3

प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संया 1970 थी जबकि माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्कूलों में यह संख्या 3754 थी।

प्रेरणादायक योजनाएं

9.4.3 सीनियर माध्यमिक स्तर तक सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। सातवीं कक्षा तक सभी छात्रों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। अन्य प्रदत्त रियायतों में निशुल्क कापियां, पाठ्य पुस्तकें, कपड़े और जूते आदि सम्मिलित है।

समाज कल्याण छात्रावास

9.4.4 प्रशासन द्वारा दस समाज कल्याण छात्रावास चलाए जा रहे है जिनमें रखोली में एक आश्रमालय तथा लड़कियों के लिए दो छात्रावास एक रांधा तथा खानवल में स्थित हैं जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों को दाखिल किया जाता है तथा उनके आवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इस छात्रावासों में 675 छात्र (595—लड़के और 80 लड़कियां) शामिल हैं। संघ शासित प्रशासन द्वारा प्रदत्त सहायता से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा तीन और कल्याण छात्रावास चलाए जा रहे हैं। इन छात्रावासों में 170 लड़के और 100 लड़कियां रह रही हैं।

उच्चतर शिक्षा

9.4.5 संघ शासित क्षेत्र से संबंधित छात्रों के लिए चिकित्सा, इंजीनियरी और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटें आरक्षित की गयी हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रो को वरीयता देते हुए योग्यता के आधार पर सीटों का आरक्षण किया जाता है।

पुस्तकालय

9.4.6 संघ शासित प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 10 पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। ये पुस्तकालय गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी और मराठी में पाठकों को पुस्तकें उपलब्ध कराने के अलावा समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाएं पाठकों के फायदे के लिए उपलब्ध कराते हैं।

पाठ्येतर क्रियाकलाप

9.4.7 सीनियर माध्यमिक स्कूली छात्रों के लिए एक संसदीय प्रश्नोतरी कार्यक्रम और एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वार्षिक खेल महोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कौमी एकता दिवस, गांधी जयन्ती और शिक्षक दिवस भी मनाए गए।

दमन और दीव

9.5.1 संघ शासित प्रदेश में निम्नलिखित शैक्षिक संस्थाएं कार्यरत हैं:—

संस्थान की श्रेणी	संख्या सरकारी	निजी	कुल योग
प्राइमरी स्कूल	47	3	50
मिडिल स्कूल	28	1	29
हाई स्कूल	14	3	17
सीनियर माध्यमिक स्कूल	1	1	2
कालेज	1	—	1

9.5.2 संघ शासित प्रशासन पुस्तकें और लेखन सामग्री, वर्दियां, चलते फिरते पुस्तकालयों आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करके विभिन्न प्रोत्साहन और छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को वजीफा भी दिया जाता हैं। कक्षा I से IV तक के छात्रों को शामिल करते हुए मध्याहन भोजन की योजना भी कार्यन्वित की जाती हैं।

प्रौढ़ शिक्षा

9.5.3 8 सितम्बर, 90 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। 228 युवाओं के लिए साइकिल रैली/दौड का आयोजन किया गया। युवाओं के लिए मोती दमन पर एक बाली बाल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिए, दमन और द्वीव में 10 गांवों का चयन किया गया। दमन और द्वीव में आठ जन शिक्षण निलयम केन्द्र खोले गए हैं। ये केन्द्र ग्रामीणों को शैक्षिक पुस्तकें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में खेल कूद तथा अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलाप शुरु किए गए हैं। इस समय, दमन में 15 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे हैं और इनमें 289 प्रौढ़ शिक्षारत हैं।

जनजातियों के लिए योजनाएं

9.5.4 संघ शासित प्रशासन क्षेत्र में जनजातीयों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं जिनमें आश्रमशालाएं चलाना निशुल्क पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री, वर्दियां, चलते फिरते पुस्तकालय तथा ग्रामीण पुस्तकालय और जन जातियों के लिए कक्षा I से X तक की छात्राओं के लिए नकद प्रोत्साहन शामिल हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उपचारी कक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

बाल भवन

9.5.5 वर्ष 1987-88 के दौरान एक बाल भवन की शुरुआत की गयी जिसमें 5-16 आयु वर्ग के बच्चों के लिए संगीत, नृत्य, कलाओं तथा शिल्प कलाओं की कक्षाएं चलायी जाती हैं। चालू वर्ष के दौरान बाल भवन को 5.70 लाख रुपए की सहायक अनुदान राशि संस्वीकृत की गयी।

पाठ्येतर क्रियाकलाप

9.5.6 युवा संसदीय प्रश्नोतरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एक राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार का आयोजन किया गया सितम्बर, 1990 में शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों में भारतीयम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान संघ शासित प्रशासन ने भी लोक नृत्यों, गीतों और नाटकों जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों का भी आयोजन किया।

9.6.1 शैक्षिक वर्ष 1990-91 के दौरान शिक्षा निदेशालय ने 9 मिडिल स्कूल खोले, 13 मिडिल स्कूलों को माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत, 11 माध्यमिक स्कूलों को सीनियर माध्यमिक स्कूलों में स्तरोन्नत किया तथा 8 माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्कूलों को अलग-अलग किया। शिक्षा की कोटि में सुधार लाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने 16 विद्यमान स्कूलों के अलावा 28 वर्तमान माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्कूलों को संयुक्त माडल स्कूलों में परिवर्तित किया। इससे ऐसे स्कूलों की संख्या 44 हो गयी।

9.6.2 वर्ष 1990-91 के दौरान दिल्ली में स्कूलों की विभिन्न श्रेणियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

स्कूल	दिल्ली प्रशासन						
	सरकारी	सहायता प्राप्त	गैर सहायता प्राप्त	नई दिल्ली नगर पालिका स्कूल	नगर पालिका स्कूल	दिल्ली कैन्ट बोर्ड	कुल योग
प्राथमिक स्कूल	—	—	—	50	1655	06	1711
अपर प्राथमिक स्कूल	209	29	210	9	—	—	457
माध्यमिक स्कूल	180	37	90	9	—	—	316
उच्चतर माध्यमिक स्कूल	508	141	30	5	—	—	784
कुल योग	897	207	430	73	1655	06	3268

छात्राओं का निःशुल्क परिवहन सुविधाएं

9.6.3 इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को प्रोत्साहित करना है ताकि वे पढ़ सकें। इस समय लगभग 120 गांवों से शहरी क्षेत्रों में 12 स्कूलों में लगभग 4100 छात्राएं इस सुविधा का लाभ उठा रही है।

वर्ष 1990-91 के दौरान, निदेशालय के पास इस योजना के लिए 10.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है।

लड़कियों के लिए प्रेरणादायक अभिभावक योजना

9.6.4 यह योजना सावित्री बाई फूले प्रेरणादायक अभिभावक योजना के समान ही है जो महाराष्ट्र में 1983 से लागू हैं। यह योजना वर्ष 1990-91 के दौरान सतत रूप से चलती रही।

प्रशिक्षण सुविधाएं

9.6.5 वे छात्र जो जे॰जे॰ कालोनियों, पिछड़े इलाकों, तथा गंदी बस्तियों में रहते हैं और जो यद्यपि माध्यमिक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करते है लेकिन निधियों के अभाव में अथवा विशिष्ट प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव में वे जीवन में ऊंचा उठने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं, सी॰ए॰ / आई॰सी॰ डब्ल्यू॰ए॰ और इंजीनियरी जैसे व्यावसायिक विषयों में सफलता प्राप्त करने हेतु तैयार करने के दृष्टिकोण से वर्ष 1990-91 के दौरान 28 शैक्षणिक आंचलों में से प्रत्येक से एक बाल स्कूल को तथा एक कन्या स्कूल को शामिल करने का प्रस्ताव है। इस योजना को लागू करने हेतु 1990-91 के दौरान 10 लाख रु॰ की राशि प्रदान की जाती है।

अ॰जा॰ / अ॰ज॰जा॰ के छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण

9.6.6 ऐसे स्कूलों में जहां अ॰जा॰ / अ॰ज॰जा॰ के छात्रों का नामांकन कुल नामांकन के 51% से ज्यादा है, वहां यह योजना इनके लिए उपचारात्मक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करती है। अ॰जा॰ / अ॰ज॰जा॰ के लगभग 400 छात्रों को लाभ पहुंचाने हेतु वर्ष 1990-91 के लिए 2 लाख रु॰ का परिव्यय प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन द्वारा पोशाकों, पाठ्य पुस्तकों, दोपहर के भोजन की निःशुल्क आपूर्ति तथा असंख्य छात्रवृत्तियां जैसे कई अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे है ताकि अ॰जा॰ / अ॰ज॰जा॰ में शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।

व्यावसायिक शिक्षा

9.6.7 शिक्षा के व्यावसायीकरण की यह योजना दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में शैक्षिक वर्ष 1977-78 से शुरु की गई थी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम अब तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त 115 सीनियर माध्यमिक स्कूलों में शुरु किए जा चुके हैं।

प्रौढ़ शिक्षा

9.6.8 6 से 11 तथा 11 से 14 वर्ष की उम्र वाले सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की अपनी संवैधानिक वचनबद्धता का पालन करने के लिए निदेशालय 74 गै॰औ॰शि॰केन्द्र उन बच्चों के लिए चला रहा है जो या तो कभी स्कूल गए ही नहीं अथवा अपनी औपचारिक शिक्षा के दौरान स्वेच्छा से इससे अलग हो गए।

अध्ययन केन्द्र

9.6.9 अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का उद्देश्य उन छात्रों को अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना है जिनके निवास स्थान के आस-पास कोई उपयुक्त अध्ययन केन्द्र नहीं हैं। ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, गंदी बस्तियों अथवा घनी आबादी वाले इलाको को प्राथमिकता दी जाती है। 0.70 लाख रु॰ के बजट का प्रावधान 1990-91 के दौरान इस योजना के तहत किया गया हैं।

पत्राचार विद्यालय

9.6.10 ज्ञान की सभी तीनो धाराओं अर्थात मानविकी, वाणिज्य तथा विज्ञान में माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक स्तर पर पत्राचार माध्यम से शिक्षा देने वाला पत्राचार विद्यालय इस प्रकार की पहली संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य बीच में स्कूल छोड़ जाने वालो, गृहणियों, दूर-दराज के इलाकों में सेना अथवा अर्द्ध सैनिक बलों में नियुक्त उन कार्मिक जो अपनी शिक्षा जारी रखने के इच्छुक हैं, की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तथा उन लोगों, जो किसी एक कारण से अथवा अन्य कारण से नियमित स्कूलों में दाखिला नहीं ले सकते, की भी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस समय पत्राचार विद्यालय लगभग 24000 छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा कर रहा है।

दिल्ली नगर निगम

9.6.11 दि॰न॰नि॰ का शिक्षा विभाग प्राइमरी शिक्षा देने के लिए उत्तरदायी हैं। 3 से 5 वर्ष की उम्र वाले बच्चों के लिए पूर्व-प्राइमरी कक्षाओं की भी व्यवस्था की जाती है। 1655 प्राइमरी स्कूल तथा 769 नर्सरी स्कूल कक्षाएं है। प्राइमरी शिक्षकों की संख्या 16765 है तथा नर्सरी शिक्षकों की संख्या 1269 है। प्राइमरी स्कूलों में कुल दाखिलो की संख्या 699243 है तथा नर्सरी स्कूलों में 47544 है।

9.6.12 स्कूलों के प्रशासनिक नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के लिए इस विभाग के पास 15 आंचलिक कार्यालय हैं जिनमें से प्रत्येक ए॰ई॰ओ॰ / वरिष्ठ स्कूल निरीक्षक के अधीन है। वर्ष के दौरान 56 स्कूल खोले गये। दो शाखाओं में बाटे गए। इनमें से अधिकांश जे॰जे॰ कालोनियों / अनाधिकृत कालोनियों में है। दि॰न॰नि॰ के अंतर्गत 11 आंचलिक पुस्तकालय तथा एक केन्द्रीय पुस्तकालय हैं।

9.6.13 इस अवधि के दौरान इस विभाग ने बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क पोशाके, दोपहर का भोजन तथा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने जैसी कल्याण कारी योजनाओं को सतत रूप से जारी रखा।

नई दिल्ली नगरपालिका समिति

9.6.14 नई दिल्ली नगरपालिका, जो एक स्थानीय निकाय है, भी दिल्ली में कई स्कूल चला रही है। इनमें 9 माध्यमिक तथा 5 सीनियर माध्यमिक स्कूल शामिल है। इसके अतिरिक्त 5 नवोदय विद्यालय भी इसके द्वारा चलाए जा रहे हैं।

9.6.15 शिक्षा की प्रोन्नति के उद्देश्य से न०दि०न०पालिका छात्रों को कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, जैसे-प्राइमरी कक्षा के छात्रों को निःशुल्क लेखन सामग्री, नर्सरी से लेकर कक्षा VIII तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पोशाके, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा जूते और मोजे। योग्यता (मेरिट) छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

नई दिल्ली नगर पालिका प्रत्येक वर्ष 7 पालिका पुरस्कार न०दि०न०पा० के शिक्षकों को प्रदान करती है जिसमें प्रत्येक को 700 रु० तथा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।

व्यावसायिक शिक्षा को प्रोन्नत करने के विचार से न०दि०न० पालिका ने टंकण, आशुलिपि, कार्यालय प्रबंध तथा सचिवालय व्यवहार, स्वास्थ्य देख-रेख तथा सौंदर्य विकास, लेखा परीक्षा तथा लेखा विधि जैसे पाठ्य क्रम शुरु किये हैं।

लक्षद्वीप

9.7.1 इस सं० क्षे० में 43 शैक्षणिक संस्थाएं कार्यरत है जिनका ब्यौरा निम्नलिखित हैः—

1. नर्सरी स्कूल	9
2. जू० बे० स्कूल	19
3. सी०बे० स्कूल	4
4. हाई स्कूल	9
5. जूनियर कालेज	2

9.7.2 सं० क्षे० प्रशासन में संस्वीकृत विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की संख्या 706 हैं।

प्रोत्साहन योजनाएं

9.7.3 सं० क्षे० प्रशासन छात्रवृत्ति की कई योजनाएं लागू कर रहा है जैसे (क) अ०ज०जा० के स्थानीय छात्रों को इस द्वीप में तथा मुख्य भूमि पर अध्ययन करने के लिए सामान्य छात्रवृत्ति योजना । (ख) स्थानीय अनुसूचित जनजाति के छात्रों में प्रतियोगिता भावना को प्रोत्साहित करने और इसका पुनर्गठन करने के लिए योग्यता, छात्रवृत्ति योजना, (ग) उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति योजना (घ) हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सहायता अनुदान योजना।

इं गा० रा० खु०वि० केन्द्र

9.7.4 दूरस्थ शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए कवरत्ती में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का एक अध्ययन केन्द्र खोला गया है।

प्रौढ़ शिक्षा

9.7.5 संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ कर दिया गया है। 15-35 आयु वर्ग की जनसंख्या में मिनीकोय द्वीप ने पहले ही 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है।

विज्ञान शिक्षा

9.7.6 स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए विज्ञान एवं गणित में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सभी हाई स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशाला उपस्कर और अन्य सामग्री प्रदान कर दी गई है।

व्यावसायिक शिक्षा

9.7.7 वर्ष 1990-91 के दौरान संघ शासित प्रदेशों के 4 हाई स्कूलों में विभिन्न विषयों में आरंभ किए गए, व्यावसायिक शिक्षा पाठयक्रम, जारी हैं। संघ शासित प्रदेश के शेष हाई स्कूलों में भी व्यावसायिक शिक्षा आरंभ की जाएगी।

पाण्डिचेरी

9.8.1 संघ शासित प्रदेश पाण्डेचेरी में कार्यरत विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के ब्यौरे निम्नलिखित है:-

	सरकारी	निजी
पूर्व-प्राइमरी	41	70
प्राइमरी	264	77
मिडिल	82	25
हाई	57	20
उच्चतर माध्यमिक	22	6
कालेज (शैक्षिक)	8	2
व्यावसायिक/तकनीकी संस्थाएं		
मेडिकल कालेज	1	—
दन्तक कालेज	1	—
इंजीनियरी कालेज	1	—
विधि कालेज	1	—
कृषि कालेज	1	—
पालिटेकनिक	3	—
शिक्षक प्रशिक्षण कालेज	—	1
नार्सिंग स्कूल	1	—
कढ़ाई एवं सुई कार्य स्कूल	—	1
हड्डी विकलांग संस्थाएं	1	—
बधिर एवं गूंगों के लिए स्कूल	1	—
नेत्र हीनों के लिए स्कूल	1	—

9.8.2 वर्ष 1990-91 के दौरान, संघ शासित प्रशासन ने एक प्राइमरी स्कूल खोला और दो प्राइमरी स्कूलों, तीन मिडिल स्कूलों और दो हाई स्कूलों को स्तरोन्नत किया।

प्रेरणादायक योजनाएं

9.8.3 संघ शासित प्रदेशों में शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए, प्रशासन, सरकारी स्कूलों में I से V /तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले निर्धन छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वर्दी प्रदान करता है। सरकारी स्कूलों में I से V तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को मध्याह्न भोजन भी प्रदान किया जाता है। वर्ष 1990-91 के दौरान, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और वर्दी मुहैया करने की योजना के अंतर्गत 44860 निर्धन छात्रों को लाभ प्राप्त होने की आशा हैं। मध्यान भोजन योजना के अंतर्गत लगभग 63000 निर्धन छात्र लाभान्वित हुए।

9.8.4 प्रत्येक वर्ष पूर्व-मैट्रिक और उत्तर मैट्रिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। संघ शासित प्रदेश द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां 2. राष्ट्रीय ऋण 3. उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्तियां 4. स्कूल शिक्षकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां 5. ग्रामीण क्षेत्रों के मेघावी बच्चों को छात्रवृत्तियां 6. योग्यता पुरस्कार 7. अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां 8. अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्तियां 9. उपस्थिति छात्रवृत्तियां 10 राजनीतिक रूप से उपेक्षित छात्रवृत्तियां 11. विज्ञान मेधावी छात्रवृत्तियां 12.शिक्षा के माध्यमिक स्तरों में छात्राओं को योग्यता साधन एवं योग्यता पुरस्कार छात्रवृत्तियां प्रदान करना और + 2 छात्रों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करना।

प्रौढ़ शिक्षा

9.8.5 संघ शासित प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा निदेशालय प्रमुख एजेंसी है। यह कार्यक्रम वित्तीय सहायता से कार्यन्वित किया जाता है। "आपरेशन औरुविले" के अंतर्गत 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ शिक्षार्थी पूर्ण रूप से शामिल किए गए हैं। संघ शासित प्रदेश पाण्डेचेरी में शतप्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिए "पुरवई औरुविले इथाक्रम" के नाम से एक लोक प्रिय जन आन्दोलन हुआ।

9.8.6 राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष 1990 में संघ शासित प्रदेश पाण्डेचेरी में रहने वाले 15-40 आयु वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने में पाण्डेचेरी ने अभूतपूर्व आन्दोलन किया है। यह आन्दोलन, नवनिर्मित "पुरवई औरुविले इथाक्रम" आयोजित किया जो शिक्षा विभाग पांडिचेरी, विज्ञान मंच, एन०एस०एस०, नेहरु युवक केन्द्र और अन्य स्वैच्छिक ग्रुपों का संयुक्त संगठन है।

9.8.7 स्कूल में विज्ञान शिक्षा की कोटि में सुधार करने के लिए, संघ शासित प्रशासन, स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार करने के लिए, केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। कार्यान्वयन के लिए संघ शासित प्रदेश में उपर्युक्त योजना के अंतर्गत, कार्यक्रम के दूसरे चरण के दौरान तदनुसार 31 उच्च प्राइमरी स्कूलों, 10 हाई स्कूलों का पता लगाया गया हैं। सभी 31 उच्च प्राइमरी स्कूलों, में से प्रत्येक स्कूल में 1400/-रू० की लागत से समेकित विज्ञान किटें प्रदान करने, प्रत्येक स्कूल में 25000/- रु० की दर से सभी 10 हाई स्कूलों में प्रयोगशालाओं में उपस्करों की कमी को पूरा करने के लिए और प्रत्येक स्कूल में 15,000/-रू० की लागत से सभी 10 हाई स्कूलों में विज्ञान एवं गणित में साहित्य से संबंधित पुस्तकें भी प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 7,03,400/-रू० की राशि मुक्त की है। संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी में विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवलर नेडनचिजीयन सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल लासपेट में वि०जि०सं० केन्द्र (विज्ञान जिला संसाधन केन्द्र) स्थापित किया गया है।

उच्चतर शिक्षा

9.8.8 उच्चतर शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए, संघ शासित प्रदेश में विभिन्न संस्थाएं कार्य कर रही है। ये संस्थाएं है 7 कला कालेज, स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए 1 केन्द्र, 1 विधि कालेज, 3 पालिटेकनिक, 1 कृषि कालेज और 1 इंजीनियरी कालेज। पांडिचेरी में स्थिति इंजीरियरी कालेज, पांडिचेरी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक स्वायत्त निकाय है। करायकल में स्थित कृषि कालेज, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटुर से सम्बद्ध है जबकि 3 पालिटेकनिक, तकनीकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड;, मद्रास से सम्बद्ध हैं। मेडिकल कालेज का अर्थ तथा प्रबंध, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

तकनीकी शिक्षा

9.8.9 इंजीनियरी कालेज में नए पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। महिला शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। माहे में एक जूनियर तकनीकी स्कूल गठित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

9.8.10 वर्ष 1990-91 को दौरान मोतीलाल नेहरू राजकीय पालिटेकनिक में संगणक अनुप्रयोग और औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी में उत्तर डिप्लोमा में नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया हैं। वर्ष 1990-91 के लिए इंजीनियरी कालेज में निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया है।

1. उर्जा शिल्प विज्ञान, पैट्रोकेमिकल शिल्प विज्ञान में अवर स्नातक पाठ्यक्रम।
2. बी०एस०सी० रसायन एवं भौतिकी (प्रायोगिक विज्ञान।
3. सिविल इंजीनियरी में अग्रवर्ती निर्माण में एम०टेक डिग्री।
4. मेकेनिकल इंजीनियरी में मेनुफेक्चर डिजाइन में एम०टेक डिग्री।
5. इलेक्ट्रानिकी एवं संचार इंजीनियरी के अंतर्गत डिजिटल संचार के क्षेत्र में एम० टेक डिग्री।

10. छात्रवृत्तियाँ

10. छात्रवृत्तियां

10.1.0 शिक्षा विभाग (राष्ट्रीय तथा बाह्य छात्रवृत्ति प्रभाग) भारत तथा विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों / संस्थाओं में आगे अध्ययन / अनुसन्धान के लिए भारतीय छात्रों / अध्येताओं के लिए अभिहित अनेक छात्रवृत्ति / शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों को संचालित करता है। इन छात्रवृत्तियों में भारत सरकार तथा विदेशों-दोनों-के द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्तियां तथा शिक्षावृत्तियां शामिल हैं। कुछेक ऐसे प्रमुख कार्यक्रम हैं जिनके अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान छात्रवृत्तियां / शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई थीं। वे इस प्रकार हैः-

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाः

10.2.0 इस योजना के अन्तर्गत योग्यता-एवं साधनों के आधार पर उत्तर-मैट्रिक अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। दिवा अध्येताओं के लिए छात्रवृत्तियों की दर 60 /-रु० प्रतिमाह से 120 /-रु० प्रति माह तक भिन्न-भिन्न हैं और अध्ययन के पाठ्यक्रमों पर निर्भर करते हुए छात्रावास में रहने वालों के लिए 100 /-रु० से 300 /-रु० प्रतिमाह तक भिन्न भिन्न है। छात्रवृत्तियों की पात्रता के लिए आय-सीमा 25,000 /-रु० प्रति वर्ष है।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना।

10.3.0 इस योजना में योग्यता एवं साधनों के आधार पर उत्तर-मैट्रिक अध्ययन के लिए ब्याज-रहित ऋण का प्रावधान है। ऋण की राशि अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करते हुए 720 /-रु० से 1720 /-रु० तक भिन्न भिन्न है। छात्रवृत्तियों की पात्रता के लिए आय-सीमा कुछ अनुमत्य छूटों की अनुमति के बाद 25,000 /-रु० प्रतिवर्ष है। यह योजना राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के जरिए लागू की जा रही है।

अनु०जा० / अनु०ज०जा० के छात्रों की योग्यता को स्तरोन्नत करने की योजनाः-

10.4.1 यह योजना 1987-88 में आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनु०जा० / अनु०ज०जा० के छात्रों को अतिरिक्त शिक्षण उपचारी तथा विशेष दोनों देते हुए, स्कूल विषयों में उनकी शैक्षिक-कमियों को दूर करने तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जहां प्रविष्टि प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित है, में उनके दाखिले को सुखद बनाने की दृष्टि से अनु०जा० / अनु०ज०जा० के छात्रों की योग्यता को स्तरोन्नत करने का है। वे अनु०जा० / अनु०ज०जा० के छात्र जिनका चयन योजना के अन्तर्गत किया जाता हैं, उन्हें अच्छे आवासीय स्कूलों में रखा जाता है जहां विशेष अध्यापन के लिए पर्याप्त सुविधाएं है। यह योजना राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र के प्रशासनों के जरिए क्रियान्वित की जा रही है।

10.4.2 यह योजना 1,000 छात्रों (670 अनु०जा० और 330 अनु०ज०जा०) के प्रावधान द्वारा आरंभ की गई थी। विभिन्न राज्यों को स्कूलों का आबंटन अनु०जा०/अनु०ज०जा० समुदायों की उनकी निरक्षर जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। उपचारी शिक्षण कक्षा-IX स्तर पर आरंभ होता है और यह शिक्षण तब तक जारी रहता है जब तक छात्र कक्षा-XII तक की शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है। इसके अतिरिक्त कक्षा-XI और XIIमें विशेष शिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत कोई आय-सीमा नहीं है। वर्ष 1990-91 के दौरान लाभ प्राप्त करने वालों की कुल संख्या 1624 (अ०ज० 1172 एंव अ०ज० 452) थी।

स्वीकृत आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियों की भारत सरकार की योजना।

10.5.0 इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली लेकिन निर्धन छात्रों (आयु-वर्ग 11-12 वर्ष) को अच्छे आवासीय स्कूलों में अध्ययन के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्रता के लिए माता-पिता / अभिभावक की आय-सीमा 5000 /-रुपये प्रतिवर्ष है। वर्ष 1990-91 के दौरान 500 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए चुना गया था। इनमें से 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर प्रदान की गई थीं तथा शेष 50 प्रतिशत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करने के आधार पर आबंटित की गई थीं। अनु०जा० तथा अनु०ज०जा० के छात्रों को इन छात्रवृत्तियों का क्रमशः 15 प्रतिशत और $7^{1/2}$% दिया गया था। छात्रवृत्तियां क्रमशः माध्यमिक स्कूली शिक्षा की समस्त अवधि के लिए प्रतिपद्य हैं तथा इसमें स्वीकृत आवासीय स्कूलों में शिक्षा का + 2 स्तर शामिल है। अध्येता, सरकार द्वारा नियत दरों/सीमा पर'जेब खर्च, वर्दी/वस्त्र-भत्ता और भ्रमण प्रभारों के अतिरिक्त शिक्षा शुल्क, आवासीय प्रभारों, पुस्तकों की

लागत तथा लेखन-सामग्री की पूरी राशि के पात्र है। इस प्रयोजनार्थ निर्धारित दरों के अनुसार अध्येताओं तथा उनके मार्गरक्षकों को यात्रा अनुदान भी अनुमत्य है। वर्ष 1990-91 के दौरान योजना के अन्तर्गत 465 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं।

हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

10.6.0 योजना का उद्देश्य जो 1955-56 में आरंभ की गई थी, अहिन्दी भाषी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहन देना है और इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को पुरुष अध्यापन तथा अन्य पदों के लिए उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराना है जहां हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है। वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 2,500 छात्रवृत्तियां आबंटित की गई थीं। छात्रवृत्तियों की दर में अन्तर 50 /-रु० से 125 /-रु० के बीच है जो अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है।

संस्कृत अर्थात अरबी और फारसी के अतिरिक्त श्रेण्य भाषाओं के अध्ययन में लगी हुई परम्परागत संस्थाओं के उत्तीर्ण छात्रों को अनुसन्धान छात्रवृत्तियां

10.7.0 वर्ष 1990-91 में इस छात्रवृत्ति के लिए 20 अध्येताओं को चुना गया था।

ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना।

10.8.0 यह योजना वर्ष 1971-72 से चल रही है। इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक अवसरों की बृहत एकरूपता के लक्ष्य को प्राप्त करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों की संभावित प्रतिभाओं के विकास को, उन्हें अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्रदान करते हुए प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह योजना राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। छात्रवृत्तियों का वितरण प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र में सामुदायिक विकास खण्डों के आधार पर किया जाता है। छात्रवृत्तियां मध्य स्कूल स्तर (कक्षा-VII/VIII) के अन्त में पुरस्कृत की जाती है और + 2 स्तर सहित माध्यमिक स्तर तक जारी रहती है। छात्रों का चयन राष्ट्रीय शै० अनु०प्र०परि०/राज्य शैक्षिक अनु० प्रशिक्षण परिषदों की सहायता से, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। छात्रवृत्तियों की दरों में 30/रु० से 100/रु० प्रतिमाह तक अन्तर होता है जो अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है। इस योजना की मई, 1990 में पुनरीक्षा की गई थी और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन कार्य रा०शै०यो०प्र० संस्थान को सौंप दिया गया है।

यू० के० तथा कनाडा द्वारा प्रदत्त राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्तियां / शिक्षावृत्तियां

10.9.0 इस योजना के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रिकों को यू० के० कनाडा हांगकांग, नाइजीरिया, त्रिनिदाद, टोबेगो और अन्य राष्ट्रमण्डल देशों में उच्चतर अध्ययन अनुसन्धान / प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां / शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की संख्या राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालयों के संघ की पेशकश पर निर्भर करती है। वर्ष 1990-91 के दौरान 32 छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत विदेशों में भेजा गया है।

नेहरू शताब्दी ब्रिटिश शिक्षावृत्तियां

10.10.0 इस योजना के अन्तर्गत भारतीय छात्रों को उच्चतर अध्ययनों/अनुसन्धान के लिए यू० के० भेजा जाता है। शिक्षावृत्तियां ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान 35 छात्रों को विदेशों में भेजा गया था।

जवाहर लाल नेहरू स्मारक न्यास शिक्षावृत्तियां

10.11.0 इस योजना के अन्तर्गत पांच छात्रों को भेजा गया है।

ब्रिटिश परिषद बिजिटरशिप कार्यक्रम

10.12.0 वर्ष 1990 के दौरान, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 225 से अधिक वैज्ञानिक परिषत्ससदस्यों और चिकित्सा-विशेषज्ञ अपनी-अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास की आपसी प्रशंसा के लिए लाभान्वित हुए।

तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम

10.13.0 इस योजना के अन्तर्गत 15 छात्रों को विदेशों में भेजा गया हैं।

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां:

10.14.0 इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारतीय छात्रों/नागरिकों को विदेशों में उच्चतर अध्ययनों के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती है। ये पुरस्कार विभिन्न विदेशी सरकारों तथा एजेंन्सियों द्वारा प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 42 अध्येताओं को आस्ट्रिया, चैकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, नीदरलैंड,नार्वे, स्पेन, यू॰ एस॰ ए॰ और युगोस्लाविया, कोरिया, चीन तथा सोवियत रूस भेजा गया है।

11. पुस्तक संवर्धन और कापीराइट

11. पुस्तक संवर्धन और कापीराइट

11.1.0 शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जबकी सारे देश में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, पुस्तकों की संख्या और उनके विषयों की विभिन्नता की दृष्टि से पुस्तकों की मांग बढ़ती जा रही है। शिक्षा विभाग के पुस्तक संवर्धन प्रभाग की अनेक योजनाएं और क्रियाकलाप है जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उचित मूल्यों पर अच्छे स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देना, स्वदेशी लेखकों को प्रोत्साहन देना, लोगों में पुस्तकें पढ़ने की रुचि पैदा करना तथा भारतीय पुस्तक उद्योग उसकी समस्याओं के समाधान में सहायता उपलब्ध कराना है। इस संबंध में कार्यान्वित किये जा रहे कुछेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का ब्यौरा, संक्षेप में निमनलिखित पैरों में दिया गया है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

11.2.1 शिक्षा विभाग के अधीन, स्वायत्त संगठन के रूप में कार्यरत राटरीय पुस्तक न्यास की स्थापना 1957 में की गई थी, जिसका उद्देश्य उचित मूल्यों पर अच्छी पठनीय सामग्री का प्रकाशन करना और उसके मूल्य प्रकाशन को प्रोत्साहित करना और लोगों में पुस्तकों के प्रति रुचि उत्पन्न करना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न्यास भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में सुपरिभाषित श्रृंखला में अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन करता आ रहा है। न्यास पुस्तक लेखन के विभिन्न पहलुओं पर गोष्ठियां और सेमिनार आयोजित करने के अलावा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पुस्तक मेले भी आयोजित करता है। पुस्तकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए न्यास, भारतीय प्रकाशन उद्योग की ओर से, विदेशों में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनियों में भाग लेता है। न्यास के बंगलौर और बम्बई में दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अलावा, अमृतसर बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, मैसूर, हैदराबाद, शांतिनिकेतन और नई दिल्ली में आठ पुस्तक केन्द्र भी है।

प्रकाशन कार्यक्रम

11.2.2 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास विभिन्न श्रृंखलाओं के अंतर्गत पुस्तकें प्रकाशित करता है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाए हैः भारत-भूमि तथा लोग, नेशनल बायोग्राफी नेहरु बाल पुस्तकालय, आदान प्रदान, यंग इंडिया लाइब्रेरी, पापुलर साइन्स नव साक्षरों के लिए पुस्तकें तथा भारत की लोक कथाएं। विभिन्न श्रृंखलाओं के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए शीर्षकों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है।

तालिका 11.1
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा काशित की गई पुस्तकें

श्रृंखला	प्रकाशित किए गए शीर्षकों की संख्या	
	1990 के दौरान	संचयी
भारत-भूमि तथा लोग, नेशनल बायोग्राफी, नेहरू बाल पुस्तकालय, आदान प्रदान ·यंग इंडिया लाईब्रेरी पापुलर साइन्स नव-साक्षरो के लिए पुस्तकें-भारत की लोक कथाएं।	683	5436
कुल	683	5436

प्रकाशन में सहायता

(क) सहायता प्राप्त पुस्तकों के प्रकाशन की योजना

11.2.3 उच्च शिक्षा के क्षेत्र की अत्यन्त कठिन समस्याओं में से एक का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास 1970 से सहायताप्राप्त पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की एक योजना चला रहा है जिसके अंतर्गत अंग्रेजी, हिन्दी अथवा किसी अन्य भारतीय भाषा में उन पुस्तकों का प्रकाशन करने के लिए प्रकाशकों को सहायता दी जाती है जिनकी निश्चित मांग होती हैं तथा ये उन विषयों से सम्बन्धित हैं जिनका या तो स्वीकार्य स्तर उपलब्ध नहीं है अथवा उनका मूल्य इतना अधिक होता है कि अधिकांश छात्र उन पुस्तकों का खरीद नहीं पाते हैं। सहायता इस शर्त पर दी जाती है कि पुस्तकों के विक्रय मूल्य की सीमा इतनी निश्चित की जानी चाहिए कि उसे एक औसत छात्र भी खरीद सके।

11.2.4 प्रक्रिया को सरल बनाने और कठिनाइयों को दूर करने के लिए 1988 में योजना को संशोधित किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अब प्रयास किए जा रहे है जो योजना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार करने के साथ साथ इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकों के चयन में उत्कृष्टता और अत्यधिक सम्बद्धता को भी सुनिश्चित करेगा।

11.2.5 इस योजना के आरम्भ होने से अब तक 789 पुस्तकों को सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पुस्तकों तथा विधि की दो, कृषि और इंजीनियरिंग की संगणक विज्ञान व्यापार प्रबन्ध और समाज विज्ञान की एक एक पुस्तक अप्रैल 90 से मार्च, 1991 के अन्दर प्रकाशित की गई।

(ख) बच्चों और नव-साक्षरों के लिए पुस्तकों के निर्माण के लिए सहायता देने की नई योजनाएं

11.2.6 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप प्रकाशन को बढ़ावा देने और उचित मूल्य पर विभिन्न पुस्तकों का व्यापक वितरण करने के लिए निजी प्रकाशकों और स्वैच्छिक एजेंसियों को बच्चों और नव-साक्षरों तथा स्कूल छोड़ कर जाने वालों के लिए उच्च कोटि की पुस्तकों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना शुरू की है। न्यास, लेखक और सचित्रकर्ता दोनों को सीधा भुगतान करने के साथ साथ चयनित पाडुलिपियों के पोजिटिव्स तैयार करने का खर्च भी वहन करता है। इन योजनाओं से लेखकों, चित्रकर्ता और प्रकाशकों को ही नहीं बल्कि बच्चों और नव-साक्षरों को भी लाभ पहुंचेगा तथा उन्हें उचित मूल्य पर अच्छी पुस्तकें मिलेगी।

पुस्तक संवर्धन

11.2.7 विभिन्न स्तर के पाठकों के अतिरिक्त उचित मूल्य पर पुस्तकों का प्रकाशन करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, पुस्तक मेले, प्रदर्शनियों और समारोहों का आयोजन करके तथा देश में राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह समारोह प्रायोजित करके पुस्तक संवर्धन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रत्येक दूसरे वर्ष में राष्ट्रीय पुस्तक मेला, और प्रत्येक वर्ष दो बाल पुस्तक मेले और दो पुस्तक समारोहों का आयोजन करता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अप्रैल 90 और मार्च, 1991 के बीच जयपुर में एक राष्ट्रीय पुस्तक मेला, नई दिल्ली में एक बाल पुस्तक मेला, एरनाकुलम और पुणे में दो पुस्तक मेले और एक राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन किया। चण्डीगढ़ में मार्च 1991 में एक पंजाबी पुस्तक मेले का भी आयोजन किया गया। मेलों/समारोहों के दौरान आयोजित सेमिनारों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं से पाठकों, लेखकों और प्रकाशकों के बीच परस्पर महत्वपर्णू सम्पर्क को बढ़ावा मिलता है। सरकार के आदेश पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास विश्व के विभिन्न भागों में आयोजित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भारत की सहभागिता का भी आयोजन करता है। न्यास द्वारा भारत में ही 9 विश्व पुस्तक मेले नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं।

पुस्तक संवर्धनात्मक कार्यकलाप तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

11.3.0 पुस्तक संवर्धनात्मक कार्यकलाप तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सेमिनार और सम्मेलन आदि के आयोजन के लिए तदर्थ आधार पर अनुदान दिया जाता है। यह योजना, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत लेखकों के प्रतिनिधि-मण्डल के आदान-प्रदान पर हुए खर्च की भी व्यवस्था करती है।

विश्वविद्यालय स्तर की विदेशी मूल की सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन

11.4.0 विभाग, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ की सरकारों के सहयोग से तीन कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर की मानक विदेशी पाठ्य-पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों के नवीनतम संस्करणों का, जिनके समतुल्य भारतीय पुस्तकें उपलब्ध नहीं है सस्ते प्रकाशन के रूप में प्रकाशन किया जाता है। अभी 763 ब्रिटिश 1668 अमरीकी और 650 सोवियत रूस की पुस्तकों को प्रकाशित किया जा चुका है। चालू वर्ष के दौरान 38 अमरीकी और 68 सोवियत रूस की पुस्तकें प्रकाशित करने के सिफारिश की गई है।

भारत-सोवियत साहित्यिक परियोजना (बीसवीं शताब्दी साहित्य परियोजना)

11.5.0 भारत और सोवियत संघ के समसामयिक सृजनात्मक साहित्य के प्रकाशन के लिए स्थापित शताब्दी भारत-सोवियत समिति ने दोनों देशों की 20 वीं शताब्दी की मुख्य साहित्यिक रचनाओं का लगभग 20-20 खण्डों में अनुवाद प्रकाशित करने के लिए एक परियोजना तैयार की है। इसके प्रथम दो खण्डों का विमोचन मास्को में.भारत महोत्सव समारोह के दौरान किया गया। साहित्य अकादमी, जो भारतीय पक्ष की और से परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए एक विशिष्ट एजेंसी है ने इस संबंध मे किए गए करार के अनुसार इन दोनों खण्डों की हजारों-हजार प्रतियां खरीदी हैं। सोवियत पक्ष द्वारा हिन्दी अनुवाद के लिए भेजे गए तीसरे, चौथे और पांचवे खण्डी की पाण्डुलिपियां का भारतीय विशेषज्ञों द्वारा संपादन किया गया और उन्हें प्रकाशित करने की स्वीकृति दे दी गई। पाण्डुलिपियों के प्रकाशन के लिए उन्हें सोवियत संघ को वापस कर दिया गया। वर्ष 1995 तक सभी खण्ड वापस प्रकाशित हो जाने की आशा है।

पुस्तकों और प्रकाशनों के लिए नई आयात-निर्यात नीति

11.6.0 पुस्तकों और प्रकाशनों के लिए नई आयात-निर्यात नीति अप्रैल 1988 से लागू की गई है और यह नीति मार्च, 1991 तक चलती रहेगी।

पुस्तक निर्यात और संवर्धन कार्यकलाप

11.7.1 भारत पुस्तक प्रकाशन करने वाले प्रमुख देशों में से एक है। विदेशों में भारतीय पुस्तकों की बिक्री और अनुवाद/पुनर्मुद्रण के दायित्वों को प्रोत्साहित करने के लिए और विदेशों से मुद्रण कार्य प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलो में भाग लेकर और भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शिनियां आयोजित करके व्याख्या सहित सुचीपत्रों तथा बाजार अध्ययन विवरणिकाओं आदि के परिचालन द्वारा वाणिज्यिक प्रचार तथा बाजार अध्ययन करके हमारी पुस्तको की बिक्री के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

11.7.2 वर्ष 1990-91 में, भारत ने वोलोगन (इटली) कुआलालम्पुर (मलेशिया) सिंगापुर, फैंकफर्ट कैरो और लंदन में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रदर्शिनियों में भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन के लिए राजा राममोहन राष्ट्रीय एजेंसी

11.8.1 अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्याकन प्रणाली का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में स्वदेशी प्रकाशनों के निर्यात को बढ़ावा देना है और दिन प्रतिदिन के कार्यों में नित्यप्रति पुस्तक व्यापार व्यवहारों को अधिकतम कम करना है। यह एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिससे प्रत्येक पुस्तक की अलग अलग पहचान संख्या निर्धारित की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन प्रणाली अभी तक तो भारत में अपनी प्रारंभिक अवस्था में है किन्तु इसके अलावा भी यह प्रणाली पुस्तक व्यापार के लिए पुस्तकालयों और सूचना प्रणाली तथा अनुसन्धान अध्येताओं के लिए बहुत ही उपयोगी है।

11.8.2 पहली जनवरी 85 से लेकर आज तक करीब-करीब 996 छोटे बड़े प्रकाशक और लेखक इस व्यवस्था के सदस्य हो गए हैं। और उनके हजारों-हजार प्रकाशन आज अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकनों से जुड़े हुए है।

कापीराइट

11.9.1 कापीराइट कार्यालय की स्थापना जनवरी, 1958 में कापीराइट अधिनियम 1957 की धारा 9 के अनुसरण में की गई थी। मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कापीराइट अधिनियम कापीराइट संशोधन अधिनियम 1983 और कापीराइट संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित किया गया।

11.9.2 कापीराइट अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत कापीराइट कार्यालय समय-समय पर यथासंशोधित निम्नलिखित कार्यों को सूचीबद्ध करने की जिम्मेदारी लेता है:-

(क) मौलिक साहित्य, नाटकीय, संगीतात्मक और कलात्मक कार्य

(ख) चलचित्रदर्शी फिल्में और

(ग) अभिलेख

इसके अलावा, कापीराइट अधिनियम 1957 की धारा 49 के अनुसरण में विभिन्न कार्यों के वर्गीकरणों के संबंद्ध में कापीराइट कार्यालय कापीराइट रजिस्टर में परिवत्तनों को भी दर्ज करता है।

11.9.3 कापीराइट बोर्ड एक अर्धन्यायिक निकाय है। इसका गठन शुरू शुरू में दिसम्बर 1958 में हुआ। कापीराइट बोर्ड का क्षेत्राधिकार समूचे भारतवर्ष में है। यह कापीराइट पंजीकरण के परिशोधन और लाइसेन्स स्वीकृत करने के लिए कापीराइट निर्धारण से संबंधित विवादास्पद निर्धारण मामलों की सुनवाई करता है। जिनमें निम्न हैः-

* अप्रकाशित भारतीय कृतियों के लिए
* अनुवाद करने और प्रकाशित करने के लिए
* कतिपय उद्देश्यों के लिए पुस्तक तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए।

11.9.4 कापीराइट अधिनियम 1957 के अन्तर्गत इसके समक्ष आने वाले अन्य विविध मामलों की भी यह सुनवाई करता है। कापीराइट बोर्ड की बैठकें देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ करती हैं ताकि लेखको रचनाकारों और बौद्धिक संपत्तियों के मालिकों को उनके आवास अथवा व्यावसायिक स्थल के समीप न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। कापीराइट बोर्ड का पुनर्गठन 8 मई, 1990 को करीब 4 वर्ष के लिए 31 मार्च 1994 तक के लिए किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट

11.10.1 भारत कापीराइट संबंधी दो अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, अर्थात साहित्यिक और कलात्मक कृतियों के संरक्षण से बने अभिसमय और यूनिवसल कापीराइट अभिसमय का सदस्य है। इन दोनो अभिसमयों का वर्ष 1971 में संशोधन विशेष प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था ताकि विशेष उद्देश्यों के लिए विदेशी मूल की पुस्तकों के पुनरुत्पादन तथा अनुवाद के लिए विकासशील देशों को अनिवार्य अनुज्ञापत्र जारी किए जा सकें, यदि यह अधिकार कतिपय परिस्थितियों में कापीराइट के स्वामी से मुक्त रूप से बातचीत द्वारा की गई है। शर्तों के आधार पर न किये जा सके। भारत ने 1971 के पाठ को स्वीकार कर लिया हैं।

11.10.2 भारत ने विश्व बौद्विक सम्पत्ति संगठन (डब्ल्यू., आई.पी.ओ.) जेनेवा जो कि साहित्यिक तथा कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बेर्न अभिसमय के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय है के शासी निकाय के विचार-विमर्श में सक्रिया रूप से भाग लिया।

11.10.3 डब्ल्यू. आई.पी.ओ. ने विकासशील देशों के उपयोग के लिए, कापीराइट के क्षेत्र में, कानून बनाने के लिए नमूना प्रावधानों का मसौदा तैयार करने का कार्य ले लिया है। इस प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने के लिए, ऐशियस के कापीराइट विशेषज्ञों के साथ, क्षेत्र के लिए, एक सलाहकार बैठक भारत सरकार तथा डब्ल्यू.आई.पी.ओ. के सह-अतिथेय में नई दिल्ली, भारत में 24 से 27 अप्रैल 1990 को हुई। भारत के प्रतिनिधियों तथा डब्ल्यू.आई.पी.ओ. के अधिकारियों के अलावा, चीन इण्डोनेशिया, कोरिया, मलेशिया तथा थाईलैण्ड के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। सम्बन्धित भारतीय संगठनों जैसे इण्डियन पगेनोग्राफिक इण्डस्ट्री, इण्डिन परफोरमिंग राईटर्स सोसाइटी लिमिटेड फैडरेशन आफ इण्डियन पब्लिशर्स आदि के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया।

कापीराइट में प्रशिक्षण सुविधाएं

11.11.0 डब्ल्यू.आई.पी.ओ. अपने सहयोग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासशील देशों में कापीराइट से सम्बद्ध अधिकारियों के लिए कापीरइट में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष के दौरान, विभाग के निम्नलिखित दो अधिकारियों ने डब्ल्यू.आई.पी.ओ. द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

(1) श्री आर.एन.तिवारी, निदेशक, ने कापीराइट तथा समीपवर्ती अधिकारों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ साथ 30 अप्रैल से 8 मई 1990 को वाशिगटन (यू.एस.ए.) में पहले संयुक्त राज्य एकस्व अधिकार तथा कापीराइट विधान के द्विशतवार्षिक समारोह में भी भाग लिया।

(2) श्री विजय कुमार काटकर, निर्यात प्रोत्साहन अधिकारी, ने कापीराइट तथा परिवेशी अधिकारों पर डब्ल्यू.आई.पी.ओ. के मुख्यालय जेनेवा में 3 से 5 अक्टूबर, 1990 में हुए सेमिनार (गोष्ठी) में भाग लिया तथा 8 से 24 अक्टूबर, 1990 को लन्दन में आयोजित कापीराइट परिवेशी अधिकारों में प्रयोगत्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी भाग लिया।

12. भाषाओं की प्रोन्नति

12. भाषाओं की प्रोन्नति

12.1.0 चूंकि भाषाएं शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम होती हैं, अतः उनके विकास को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अतः हिंदी तथा एक ओर संस्कृत और उर्दू तथा दूसरी ओर अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं सहित संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 14 भाषाओं की प्रोन्नति और विकास पर यथोचित ध्यान दिया गया था। इस दायित्व को पूरा करने में, विभाग के केन्द्रीय शिक्षण मंडल (के.हि.सं.), आगरा, राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान (रा.सं.सं.), नई दिल्ली तथा इसकी आठ विद्यापीठों सहित, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (के.भा.भा.सं.) मैसूर तथा इसके चार क्षेत्रीय केन्द्रों और दो उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (के.हि.नि), नई दिल्ली, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (वै.त.श.आ.) नई दिल्ली तथा उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो (उ.प्रौ.ब्यू.) नामक अनेक स्वायत्त तथा अधीनस्थ कार्यालयों की सहायता प्राप्त होती है। आलोच्य वर्ष के दौरान विभाग ने लगातार चल रही अपनी योजनाएं तथा कार्यक्रम जारी रखे। भाषाओं की प्रोन्नति और विकास के सम्बन्ध में वर्ष 1990-91 के दौरान आरंभ किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं:—

हिन्दी की प्रोन्नति और विकास

12.2.1 दूसरी पंचवर्षीय योजना से अहिन्दी भाषी राज्यों / संघशासित क्षेत्रों के अपर प्राइमरी स्कूलों से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। अहिन्दी भाषी राज्यों / संघशासित क्षेत्रों को उन राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने की भी एक योजना विद्यमान है। यह सहायता इसी प्रयोजनार्थ स्वैच्छिक संगठनों के लिए भी उपलब्ध है। हिन्दी की प्रोन्नति, विकास और प्रचार में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार, उन्हें प्रथम पंचवर्षीय योजना से वित्तीय सहायता उपलब्ध करती रही है। कई वर्षों से इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों की संख्या में प्रगामी रूप से वृद्धि हो रही है। सरकारी सहायता से, इन संगठनों में से कुछ संगठनों का इतना संवर्धन हुआ है कि वे विराट संस्थाएं बन गई हैं जो एक से अधिक राज्य में साथ-साथ चल रही है। हिन्दी की प्रोन्नति तथा प्रचार के उद्देश्य से प्रकाशन निकालने के लिए, स्वैच्छिक संगठनों / सोसाइटियों / न्यासों तथा व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हैं। कुल लागत प्राक्कलन की 80% की दर से सहायता प्रदान की जाती है। हिंदी के प्रसार और विकास की कुछेक बड़ी योजनाओं की उपलब्धियां निम्न तालिका में दी गई है:—

तालिका 12.1

हिन्दी का विकास तथा प्रचार-उपलब्धियां— एक नजर में

I)	1990-91 के दौरान हिन्दी के विकास और प्रसार पर कुल खर्च	रू० 968.30 लाख
II)	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के लिए कम्प्यूटर आधरित राष्ट्रीय हिंदी शब्दावली कोश की स्थापना	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा डाटाबेस पर हिंदी में लगभग 2 लाख तकनीकी शब्द संसाधित किए गए।
III)	1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कुल अनुदानों में से गैर हिन्दी भाषी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में नियुक्त किए गए अनुरक्षित हिन्दी अध्यापक	2559
IV)	गैर-हिन्दी भाषा राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त / स्थापित / अनुरक्षित हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज	35
V)	गैर-हिन्दी भाषी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की सहायता-प्राप्त हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज की प्रवेश क्षमता	1360

VI)	ऐसे नए विषय, जिनके लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने हिन्दी तकनीकी शब्द-संग्रह तैयार किए	खनन, पैट्रोलियम, एयरोनाटिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान, इस्पात, प्रबंध मुद्रण, प्रोद्योगिकी, अलौह धातु विज्ञान तथा वास्तुकला
VII)	ऐसे नए विषय जिनके लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने हिन्दी पारिभाषिक कोश तैयार किए	पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, वास्तुकला, धातुविज्ञान, पत्र-कारिता तथा भाषा-विज्ञान
VIII)	अखिल भारतीय तकनीकी शब्दों कीं पहचान	11 भारतीय भाषाओं में 6000 अखिल भारतीय तकनीकी शब्दों की पहचान की गई
IX)	हिन्दी में वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न विदेशों के विदेशी छात्रों को प्रदान किया गया, प्रशिक्षण	76
X)	प्रकाशन और पुस्तकों की खरीद को छोड़कर हिंदी के विकास के लिए उन स्वैच्छिक संगठनों की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गयी	135
XI)	उन मामलों की संख्या जिनके लिए वर्ष 1990-91 के दौरान हिंदी की पुस्तकों के प्रकाशन और उनकी खरीद के लिए अनुदान दिये गये थे।	47

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

12.2.2 निदेशालय 13 हिन्दी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित द्विभाषी शब्दकोशों का संकलन कर रहा हैं। अब तक 11 शब्दकोश, अर्थात हिन्दी-असमी, हिन्दी-गुजराती, हिन्दी-काश्मीरी, हिन्दी-मराठी, हिन्दी-मलयालम, हिन्द-उड़िया, हिन्दी-सिन्धी, हिन्दी-तमिल, हिन्दी-तेलुगू, हिन्दी-उर्दू और उड़िया-हिन्दी शब्दकोश, प्रकाशित किए जा चुके हैं इस निदेशालय ने 11 त्रि-भाषी शब्दकोश, प्रकाशित किए है जबकि 12 हिन्दी आधारित और 12 क्षेत्रीय भाषाएं आधारित त्रिभाषी शब्दकोशों का संकलन किया जा रहा हैं। निदेशालय ने "भारतीय भाषा परिचयन कोश" संकलित करने के अलावा एक बहुभाषी शब्दकोश और "तत्सम शब्द शब्दकोश" भी प्रकाशित किए हैं। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत चेक-हिन्दी और जर्मन-हिन्दी (खण्ड-1) शब्दकोश प्रकाशित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र भाषा शब्दकोश कार्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी-चीनी, हिन्दी-अरबी, हिन्दी-फ्रेंच और हिन्दी-स्पेनिश शब्दकोश प्रकाशित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान, हिन्दी-काश्मीरी तथा हिन्दी-असमी वार्तालाप गाइडें भी प्रकाशित की गई हैं। एक त्रिभाषी और दो द्विभाषी शब्दकोशों का कार्य पूरा होने वाला है। हिन्दी और पड़ौसी देशों की भाषाओं के द्विभाषी शब्दकोश तैयार करने की एक्र परियोजना शुरू की गई है। ऐसे दस शब्दकोशों में से हिन्दी-फारसी, हिन्दी-सिंहली तथा हिन्दी-इन्डोनेशियाई का कार्य प्रगति पर है।

12.2.3 निदेशालय "युनेस्को दूत" ("यूनेस्को कूरियर" शीर्षक वाली अंग्रेजी पत्रिका का हिन्दी रूपान्तर) "भाषा" (त्रैमासिक), "वार्षिकी" (वार्षिक) और "साहित्य माला" जैसी हिन्दी पत्रिकाएं भी प्रकाशित करता है।

12.2.4 निदेशालय अंग्रेजी, तमिल, मलयालम तथा बंगला के माध्यमों में पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा हिन्दी-शिक्षण की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। चालू वर्ष के दौरान इन पाठ्यक्रमों में नामांकन संख्या लगभग 12,000 हैं। इस उद्देश्य के लिए कुछ स्व-शिक्षण रिकार्ड और कैसेट भी तैयार किए गए हैं। छात्रों की कठिनाइयां दूर करने के लिए वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

12.2.5 निदेशालय ने गैर-हिन्दी भाषियों द्वारा हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के अध्ययन दौरे आयोजित किए हैं और गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों के शोध अध्येताओं को भाषा अनुदान भी जारी किए हैं। गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भारतीय साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए संगोष्ठियों के अलावा हिन्दी में मूल लेखन को बढ़ावा देने के वास्ते गैर हिन्दी क्षेत्रों में नव-हिन्दी लेखक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष 16 गैर-हिन्दी भाषी लेखकों को पुरस्कार दिए जाते हैं।

12.2.6 गैर-हिन्दी राज्यों को हिन्दी के प्रचार के लिए अनेक निःशुल्क पुस्तकें भेजी गई हैं। हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी निदेशालय का अन्य कार्यकलाप है। निदेशालय राजभाषा के रूप में हिन्दी के बोलीगत स्वरूप का सर्वेक्षण भी कर रहा हैं।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग

12.2.7 वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना अक्तूबर, 1961 में की गई थी ताकि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनोकी शब्दावली विकसित की जा सके, विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम को सही ढंग से बदल सकने के लिए सभी विषयों में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें और संदर्भ साहित्य तैयार किया जा सके।

शब्दावलियाँ

12.2.8 आयोग द्वारा अब तक पांच लाख से अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द विकसित और प्रकाशित किए गए हैं। इसने अन्तरिक्ष विज्ञान, संगणक विज्ञान, धातु विज्ञान तथा मुद्रण प्रौद्योगिकी में भी शब्दावलियां प्रकाशित की हैं। "प्रशासनिक शब्दों की समेकित शब्दावली" का प्रकाशन, "सामाजिक विज्ञानों की वृहद शब्दावली" और "वृहद विज्ञान शब्दावली" का मुद्रण कार्य पूरा होने वाला है। वर्ष के दौरान, प्रत्येक संगठन / विभाग द्वारा प्रयोग के लिए 30,000 से अधिक तकनीकी शब्दों को अन्तिम रूप दिया गया था। क्षेत्रीय भाषाओं में शब्दावली विकसित करने के लिए राज्य भाषा अकादमियों को वित्तीय सहायता और तकनीकी परामर्श प्रदान किया गया था।

परिभाषिक शब्दकोश

12.2.9 वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने अब तक 37 परिभाषिक शब्कोश प्रकाशित किए हैं।

अखिल भारतीय शब्दावली

12.2.10 अध्येताओं, लेखकों, अनुवादकों तथा पत्रकारों में निःशुल्क वितरण के लिए 22 हजार अखिल भारतीय शब्दों का पता लगाकर उन्हें विषयवार शब्दावलियों में प्रकाशित किया गया है।

विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करना और त्रैमासिक पत्रिका

12.2.11 वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों, राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्डों और विश्वविद्यालय कक्षों के सहयोग से हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में 9,276 विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें प्रकाशित की हैं। आयोग ने इंजीनियरी, औषध तथा कृषि के क्षेत्र में भी 348 पुस्तकें तैयार की हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग एक त्रैमासिक पत्रिका "विज्ञान गरिमा सिन्धु" भी प्रकाशित करता है।

शब्दावली अनुस्थापन कार्यशाला

12.2.12 आयोग द्वारा विकसित शब्दावली के उपयुक्त प्रयोग को प्रोन्नत करने और लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग मूल विज्ञानों के विविध विषयों में कार्यशालाएं आयोजित करता है। चालू वर्ष के दौरान हिन्दी अधिकारियों के लाभ के लिए प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित एक कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।

शब्दावली का संगणकीकरण

12.2.13 प्रभावी समन्वयन को सुकर बनाने, विषय श्रेणीवार तथा विषयवार वृहद शब्दावलियों को आधुनिक बनाने एवं मुद्रित करने और एक संगणक आधारित राष्ट्रीय शब्दावली बैंक स्थापित करने के लिए एक आंकड़ा आधार तैयार करने की दृष्टि से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने आयोग द्वारा विकसित वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द शुरू किए हैं।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान

12.2.14 गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य के अनुसरण में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा स्थित अपने मुख्यालय और दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, मैसूर तथा शिलांग में स्थापित पांच केन्द्रों सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है जैसे कि निष्णात और पारंगत प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों आदि जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। वे आदिवासी क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों के लिए विस्तार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। संस्थान ने गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तकें और शैक्षिक सामग्री भी तैयार की हैं।

12.2.15 संस्थान द्वारा "विदेशों में हिन्दी का प्रचार" योजना के अंतर्गत विदेशियों को हिन्दी के शिक्षण के लिए एक सर्वांगीण शैक्षिक पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा हैं। चालू वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने विभिन्न देशों के 42 विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं।

12.2.16 संस्थान के रजत-जयन्ती समारोह के अवसर पर "हिन्दी सेवी सम्मान योजना" शीर्षक वाली एक योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष हिन्दी के विकास तथा प्रसार, हिन्दी पत्रकारिता, सृजनात्मक साहित्य, वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिन्दी साहित्य आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को पुरस्तकार दिए जाते हैं।

आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति और विकास (एम॰आई॰एल॰) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी॰आई॰आई॰एल॰) मैसूर

12.3.1 त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के लिए आधुनिक भारतीय भाषाओं में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के विचार से, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, अपने चार क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों और दो उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केन्द्रों में विभिन्न राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के स्कूल शिक्षकों के लिए पूर्ण शैक्षिक वर्ष पाठ्यक्रम चला रहा हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित तेरह भाषाओं में दो सौ सत्तावन प्रशिक्षार्थियों को समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रवेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त एक सौ पचास शिक्षक प्रयोगात्मक आधार पर आयोजित किए जा रहे तमिल और बंगला पत्राचार पाठयक्रमों में शामिल किए गए। भाषा सक्षमता के मापन के लिए भाषाओं में प्रवीणता परीक्षाएं विकसित करने के निमित, संस्थान ने सात भाषाओं में परीक्षा विषय तैयार किए है जबकि सात अन्य भाषाओं में परीक्षा की तैयारी की जा रही है।

12.3.2 संस्थान ने जन-जातिय भाषाओं में अनेक पुस्तकें प्रकाशित करने के अतिरिक्त, अनेक जन जातीय और सीमांत भाषाओं में व्याकरण, शब्दकोश और प्रवेशिकाएं भी तैयार की हैं।

12.3.3 आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति और प्रसार के विचार से स्वैच्छिक संगठनों के साथ-साथ अलग-अलग व्यक्तियों को प्रकाशन निकालने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रगतिपरक कार्यकलापों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को भी केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड

12.3.4 तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड जो 1969 में गठित किया गया था, उर्दू भाषा के विकास और प्रोन्नति के संबंध में सरकार को परामर्श देने का एक सर्वोच्च निकाय है। बोर्ड का अध्यक्ष शिक्षा राज्य मंत्री हैं और इसके सलाहकार निकाय में संसद के सदस्य, उर्दू के विद्वान शिक्षाशास्त्री, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि और उर्दू अकादमियां शामिल है।

12.3.5 उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो बोर्ड की सिफारिशों को लागू करता है और इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। वर्ष के दौरान ब्यूरो के मुख्य कार्य-कलाप निम्नलिखित है:—

— विभिन्न विषयों-मानविकी, विज्ञान, तकनीकी परिभाषिक शब्दावली, चिकित्सा, विधि इत्यादि में लगभग 650 प्रकाशन मुद्रित किए।

— सात विषयों की तकनीकी शब्दावली, तीन उर्दू शब्दकोश और आंध्र प्रदेश पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की हैं।

— बारह खण्डों में उर्दू विश्व शब्द कोश और पांच खंडों में अंग्रजी-उर्दू शब्दकोश के प्रकाशन का कार्य चल रहा है।

— "फिरकी-ए-तहकील" नामक द्विमासिक अनुसंधान पत्रिका को प्रकाशित किया।

— देश भर में 38 सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जिनमें से सात केवल महिलाओं के लिए है। 350 से अधिक प्रशिक्षकों ने अपना पाठयक्रम सफलता पूर्वक पूरा कर लिया और वे सुलेखन कार्य में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

— रा॰ शै॰ अ॰ प्र॰ प॰ की पाठयपुस्तकों का उर्दू अनुवाद प्रदान किया।

— उर्दू में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संगठनों और अलग-अलग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसमें भारी मात्रा में पुस्तकों की खरीद शामिल है। भाषा प्रगतिपरक कार्य कलापों जैसे सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

उर्दू की प्रोन्नति के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए समिति

12.3.6 सरकार ने उर्दू की प्रोन्नति के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए फरवरी, 1991 में अली सरदार जाफरी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। समिति ने 18 सितम्बर, 1990 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

सिंधी की प्रोन्नति

12.3.7 सिंधी भाषा और साहित्य के विकास और संवर्धन के लिए "सिंधी में मानक साहित्य की रचना" की एक योजना केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के माध्यम से लागू की जा रही है।

12.3.8 सिंधी पत्राचार के 125 वर्ष के संबंध में एक राष्ट्रीय सेमिनार 23-24 अगस्त, 1990 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद सिंधी साहित्य के विकास के संबंध में एक दूसरा सेमिनार 12-13 जनवरी, 1991 को आयोजित किया गया था। एक नई सिंधी लेखक कार्यशाला 18-24 फरवरी, 1991 को आयोजित की गई थी और दूसरी कार्यशाला आयोजित करने की तैयारी की जा रही है।

12.3.9 सिंधी में पुस्तक रचना को वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत 9मैग्जीनों की प्रतियोंके अतिरिक्त 75 पुस्तकों की प्रत्येक की 200 प्रतियां खरीदी गई थी। इस योजना के अंतर्गत सिंधी लेखकों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे।

12.3.10 तकनीकी शब्दों के सिंधी पर्याय के निर्माण का कार्य शुरू हो गया हैं। लगभग 1000 शब्दों का जुलाई, 1990 को पुणे में एक तकनीकी परिभाषित शब्दावली सेमिनार में निर्माण किया गया था।

12.3.11 सरकार ने सिंधी भाषा के विकास और प्रोन्नति से संबंधित मामलों पर परामर्श देने के लिए मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक सिंधी सलाहकार समिति गठित की है।

अंग्रेजी भाषा शिक्षण का सुधार

12.4.0 देश में अंग्रेजी के अध्यापन अध्ययन के स्तरों में पर्याप्त सुधार करने के लिए, सरकार प्रत्येक राज्य में अंग्रेजी भाषा के लिए कम से कम एक जिला केन्द्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। अब तक 25 केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार उनको सुदृढ करने के लिए केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान के माध्यम से विभिन्न राज्यों के अंग्रेजी के क्षेत्रीय संस्थानों और अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों को भी सहायता प्रदान कर रही है।

संस्कृत और अन्य भाषाओं की प्रोन्नति

12.5.1 संस्कृत और अन्य श्रेव्य भाषाओं जैसे अरबी और फारसी की प्रोन्नति और विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए गए और कार्यान्वित किए गए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित विकासात्मक कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली

12.5.2 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जो संस्कृत को सुरक्षित रखने और प्रसार करने, पाण्डुलिपियों को प्रकाशित करने और सुरक्षित रखने और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए गठित किया गया। 1970 से इसने सात राज्यों में 8 केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित किए है। ये हैं इलाहाबाद, दिल्ली, गुरुवयूर, जयपुर, जम्मु, लखनऊ तथा पुरी जिनमें से तिरुपति तथा दिल्ली के विद्यापीठों को 1987 में समविश्वविद्यालय घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त, परीक्षा के प्रयोजन से 51 निजी संस्थानों को भी इससे संबद्ध किया गया।

प्रकाशन

12.5.3 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान प्रतिवर्ष "संस्कृत विमर्श" नामक संकलन निकालता है। वर्ष 1989 का खंड सितंबर, 1990 में निकाला गया था। जम्मू विद्यापीठ ने "कश्मीर शैव दर्शन कोष" का संपादन पूरा कर लिया है।

संस्कृत के प्रचार तथा विकास में कार्यरत स्वैच्छिक संस्कृत संस्थानों को वित्तीय सहायता

12.5.4 इस योजना के अंतर्गत, पंजीकृत संस्कृत संस्थानों/संगठनों को शिक्षकों के वेतन, छात्रों की छात्रवृत्तियां, इमारत के निर्माण तथा मरम्मत, फर्नीचर, लायब्रेरी इत्यादी पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए आवर्ती तथा गैर आवर्ती अनुदान दिए जाते हैं। उपर्युक्त मदों के प्रत्येक मद पर मंत्रालय अनुमोदित व्यय का 75% अनुदान के रूप में देता है तथा वैदिक संस्थानों के मामले में जहां मौखिक वैदिक परम्परा का अनुरक्षण किया जा रहा है, सरकार कुल अनुमोदित व्यय का 95% देती है।

आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता की योजना

12.5.6 कुछ स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को, जिनके पास भविष्य में विकास करने की क्षमता है तथा स्नातकोत्तर अध्ययन उपलब्ध हैं, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों के रूप में मान्यता दी गई है तथा 95% आवर्ती एवं 75% गैर आवर्ती व्यय की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अब तक 14 स्नातक संस्कृत शिक्षण संस्थानों तथा दो स्नातकोत्तर शोध संस्थानों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इनमें से 4 बिहार में है, तीन-

तीन उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में हैं, दो-दो हरियाणा एवं महाराष्ट्र में है तथा एक-एक हिमाचल प्रदेश एवं केरल में है।

संस्कृत शब्दकोष परियोजना, दक्षिण कालेज, पूना

12.5.7 दक्षिण कालेज, पूना को प्राचीन सिद्धान्तों पर संस्कृत शब्दकोष तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है जो शोध छात्रों को पुरानी तथा कठिन संस्कृत पाठ्यपुस्तकों की व्याख्या करने में सहायता करेगा। खंड 1 तथा 2 दोनों के तीन-तीन भाग तथा खंड 3 के दो भाग पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।

केन्द्रीय संस्कृत सलाहकार बोर्ड/समिति

12.5.8 केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड एक सलाहकार संगठन है जो भारत सरकार को देश में संस्कृत के प्रचारण, प्रौन्नति तथा विकास के मामलों से संबंधित नीतियों पर सलाह देती है जिसमें विभिन्न स्तरों पर संस्कृत शिक्षा का पैटर्न, पाठ्यक्रमों का समन्वय इत्यादि शामिल है। इसे 1 मार्च, 1989 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया था। पुनर्गठित बोर्ड की तीन बार बैठकें हो चुकी है, 4 जुलाई, 1989 को, 15 सितम्बर, 1989 को तथा 1 सितम्बर, 1990 को।

12.5.9 बोर्ड ने अपनी दूसरी बैठक में निम्नलिखित मामलों का अध्ययन करने तथा रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 समितियों का गठन किया था:

— संस्कृत तथा राष्ट्रीय एकता

— संस्कृत साहित्य में वैज्ञानिक, तकनीकी तथा इंजीनियरी ज्ञान

— संस्कृत कम्प्यूटर भाषा के रूप में

— जनता के बीच संस्कृत को लोकप्रिय बनाना

— संस्कृत साहित्य तथा अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य का अंतर्अनुवाद।

"संस्कृत तथा राष्ट्रीय एकता" एवं "जनता के बीच संस्कृत को लोकप्रिय बनाना" संबंधी समितियों की रिपोर्ट, 1 सितंबर, 1990 को हुई। केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की तीसरी बैठक में इसके सामने रखी गई।

समविश्वविद्यालय

12.5.10 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठ, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति को 1987 में संक्षेप में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ समविश्वविद्यालय घोषित किया गया:

(क) शास्त्रीय परंपरा का अनुरक्षण

(ख) शास्त्रों की व्याख्या का उत्तरदायित्व लेना;

(ग) आधुनिक दौर की समस्याओं से उनका संबंध स्थापित करना;

(घ) शिक्षकों के लिए आधुनिक और शास्त्रीय विद्या के गहन प्रशिक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराना।

(ड) इन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना ताकि विद्यापीठ का अपना एक सुस्पष्ट नाम हो सके।

12.5.11 सभी अन्तवर्ती व्यवस्थाये, जो संस्था का ज्ञापन और विद्यापीठ के नियमों के अंतर्गत सरकार द्वारा की जानी थी, की जा चुकी हैं और विद्यापीठ ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

संस्कृत, अरबी तथा फारसी के योग्य छात्रों को सम्मान पत्र प्रदान करना

12.5.12 यह योजना संस्कृत, अरबी तथा फारसी के श्रेष्ठ छात्रों को राष्ट्रपति का सम्मान पत्र देने पर विचार करती है। अवार्ड के लिए प्रतिवर्ष 14 योग्य छात्रों का चयन किया जाता है-10 संस्कृत में तथा दो-दो अरबी तथा फारसी में तथा उनके नाम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं। तथापि, 1990 में इस अवार्ड के लिए 17 योग्य छात्रों का चयन किया गया था। 12 संस्कृत में, तीन अरबी में तथा दो फारसी में। इस अवार्ड के अंतर्गत योग्य छात्रों को पूरी जिंदगी के लिए 10,000/रु० का वार्षिक अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक योग्य छात्र को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में एक सनद और एक शाल प्रदान किया जाता है।

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा संस्कृत के विकास की योजना

12.5.13 यह योजना राज्य सरकारों को 100% अनुदान उपलब्ध कराती है जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है:-

— विशिष्ट संस्कृत छात्रों को, जिनकी आय 4000/रु० प्रतिवर्ष से कम है, परिस्थितियों में 4000/रु० प्रतिवर्ष तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

— संस्कृत शिक्षा की परम्परागत और आधुनिक प्रणालियों के अंतर्गत संस्कृत पाठशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए, चुने गए आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत गुजरात और उत्तर प्रदेश के राज्य अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

— उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत शिक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए, भारत सरकार ने ऐसे उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में, जहां राज्य सरकारें संस्कृत पढाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं हैं, नियुक्त किए जाने वाले संस्कृत शिक्षकों के वेतन के लिए 100% अनुदान देकर अंतराल काम करने के लिए कदम उठाये हैं।

कर्नाटक तथा नागालैंड राज्य भी इस योजना के अन्तर्गत नौ शिक्षकों के लिए सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

— उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत के अध्ययन के लिए श्रेष्ठ छात्रों को आकर्षित करने के लिए संस्कृत के छात्रों को कक्षा IX से कक्षा XII में योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस छात्रवृत्ति की दर को कक्षा IX और X में 10/-रु० प्रति माह से बढ़ाकर 25/-रु० प्रति माह तक कक्षा XII में 35/-रु० प्रति माह कर दी है। इससे प्रति वर्ष लगभग 3,000 छात्र लाभान्वित होते हैं।

— राज्य सरकारों को भी इसके लिए सहायता प्रदान की जाती हैं जब वे संस्कृत के विकास के लिए अपने कार्यक्रम तैयार करती हैं जैसे कि शिक्षकों का वेतन बढ़ना, विद्वत सभा का आयोजन, कालिदास समारोह आदि मनाना। वर्ष 1990-91 के दौरान, इस प्रावधान के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक तथा राजस्थान ने वित्तीय सहायता प्राप्त की।

संस्कृत साहित्य तैयार करना

12.5.14 इस योजना के अन्तर्गत (I) संस्कृत साहित्य से संबंधित मूल कृतियों के मुद्रण तथा प्रकाशन (II) संस्कृत की अप्राप्य पुस्तकों का मुद्रण (III) विभिन्न संस्थाओं को निःशुल्क वितरित करने के लिए लेखकों तथा प्रकाशकों से संस्कृत साहित्य को खरीदना (IV) संस्कृत की पत्रिकाओं की कोटि तथा उनकी विषय-वस्तु में सुधार करना (V) संस्कृत पांडुलिपियों की सचित्र ग्रंथ सूची तैयार करना तथा उन्हें प्रकाशित करना और संस्कृत पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करणों का प्रकाशन करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

12.5.15 वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार की सहायता से 43 प्रकाशन निकाले गए हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान लगभग 20 और प्रकाशन निकाले जाने का आशा है। इसके अलावा, धर्म कोश मंडल, वाय, ने जो प्राचीन संस्कृत साहित्य की एक विश्वकोश नामक एक धर्मकोश को तैयार करने तथा उसे प्रकाशित करने के कार्य में लगा है उसे भारत सरकार से वर्ष 1990-91 कै दौरान अनुदान की पर्याप्त राशि प्रदान की गई है। अखिल भारतीय कांशीराज न्यास, वाराणसी सरकार की सहायता से सभी महापुराणों के आलोचनात्मक संस्करणों का हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराने के कार्य में लगा है। कल्पतरू अनुसंधान अकादमी, बंगलौर को दो परियोजनाओं के लिए प्रकाशन अनुदान संस्वीकृत किया गया है।

12.5.16 लगभग 34 पत्रिकाओं को उनकी अपनी कोटि तथा विषयवस्तु में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1250/- से 12500/-रु० का प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाता हैं। सरकार ने विभिन्न संस्थाओं को निःशुल्क वितरण के लिए व्यक्तियों तथा प्रकाशकों से लगभग 250 पुस्तकें भी खरीदी हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान में पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करणों की दो ग्रंथसूचियां प्रकाशित की जा चुकी हैं।

12.5.17 इसके अलावा, संस्कृत की महत्वपूर्ण अप्राप्य पुस्तकों का फोटो आफसेट से पुनः प्रकाशित करने के अतिविशाल कार्यक्रम भी इस दृष्टि से शुरू किया गया हैं कि ये किताबें पाठकों को कम कीमत पर उपलब्ध करवाई जा सकें। वर्ष 1990-91 के दौरान 30 पुस्तकें पुनः प्रकाशित की गई।

वैदिक अध्ययनों की मौखिक परंपरा का परिरक्षण:

12.5.18 वैदिक अध्ययनों की मौखिक परंपरा के परिरक्षण के लिए विशेष प्रोतसाहन के तौर पर वर्ष 1978 के दौरान एक योजना शुरु की गई थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्व-अध्ययन इकाई से यह आशा की गई है कि वह 12 वर्ष से कम आयु के दो छात्रों को प्रशिक्षित करें। वर्ष 1990-91 के दौरान ऐसी चौदह इकाइयों ने सहायता प्राप्त की। इस योजना के अंतर्गत अध्येता को प्रति माह 1250/-रु० मानदेय और छात्र को प्रति माह 175/-रु० वृत्तिका मिल रही हैं।

वैदिक सम्मेलनः

12.5.19 यह मंत्रालय ऐसे क्षेत्रों और परिवारों का पता लगाने के लिए जहां मौखिक परंपरा अभी जीवित है, प्रति वर्ष वैदिक सम्मेलन का आयोजन करता है। इसके निमित्त देश के कोने-कोने से विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है। पिछले वर्ष का वैदिक सम्मेलन जनवरी, 1990 में कोटद्वार में आयोजित किया गया था। इस वर्ष इसे 23-25 फरवरी, 1991 तक राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। इसके अलावा, इनके द्वारा भारत के विभिन्न भागों में पांच क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलनों को आयोजित किया जाएगा।

अखिल भारतीय वक्तृता कौशल प्रतियोगिता

12.5.20 पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं छात्रों में संस्कृत शिक्षण की विविध शाखाओं में वक्तृतता प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अखिल भारतीय वक्तृतता कौशल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के वास्ते सभी राज्य सरकारों से एक शिक्षक सहित आठ छात्रों के दल को आमंत्रित किया जाता है। इस वर्ष की प्रतियोगिता 26 दिसंबर से 28 दिसंबर, 1990 में बम्बई में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में 12 राज्यों की टीमों (दलों) ने भाग लिया।

राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान

12.5.21 राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना, वैदिक अध्ययनों की मौखिक परंपरा के विकास के लिए पारंपरिक वैदिक संस्थाओं और अध्येताओं की सहायता करने, छात्रवृत्तियों/शिक्षावृत्तियों आदि प्रदान करने के साथ-साथ विविध कार्यकलापों को आयोजित करने के लिए वर्ष 1987 में की गई थी। राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलापों को किया, जो निम्नलिखित हैः

— प्रतिष्ठान ने वैदिक गणित पर तिरूपति में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की।

— वैदिक खगोल विद्या और फलित ज्योतिष की परिचर्चा नागपुर में आयोजित की गई।

— मद्रास, उज्जैन, गुवाहाटी, पुणे और कलकत्ता में छह क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन हुए तथा अध्येताओं के लिए एक वैदिक सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया।

— "धर्म कोष" पर एक परिचर्चा जयपुर में हुई तथा तर्कतीर्थ के अवसर पर एक महान वैदिक विद्वान, श्री लक्ष्मण शास्त्री जोशी को सम्मानित किया गया था।

— तीन अध्येताओं को अनुसंधान अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई।

— वैदिक पाठों की टेपों को रिकार्डिंग का कार्य प्रारंभ किया गया।

— विभिन्न संस्थानों तथा वैदिक पाठशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

12.5.22 इस योजना का उद्देश्य उन छात्रों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है जो केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों तथा अन्य परंपरागत संस्कृत संस्थानों से उत्तीर्ण होते है। यह उन छात्रों को संस्कृत अध्ययनों से सम्बद्ध विषयों जैसे कि पुरालेख, हस्तलिपि विज्ञान, धर्म विधि विज्ञान, संस्कृत मुद्रण तथा रचना करना इत्यादि में अल्पकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। देश में पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को इन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम

12.5.23 भारत तथा अन्य देशों के बीच विदेशी अध्येताओं को बुलाने तथा भारतीय अध्येताओं को विदेश भेजने के लिए सांस्कृतिक अनुबंध (समझौते) किए गए।

13. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

13. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

13.1.0 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गुजरात, जम्मू और काश्मीर, पंजाब और राजस्थान राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में शैक्षिक विकास करना है इस कार्यक्रम के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रथम वर्ष (सातवीं योजना के दूसरे वर्ष) अर्थात 1986-87 के दौरान सचिवों की समिति द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार तीन सीमावर्ती राज्यों अर्थात राजस्थान, गुजरात और पंजाब में इस कार्यक्रम को गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया। वर्ष 1987-88 से इस कार्यक्रम को पुनः अनुस्थापित किए जाने के लिए इसके कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। इसका उद्देश्य यह था कि यह कार्यक्रम तत्काल शिक्षा पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करें क्योंकि शिक्षा ही सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समग्र मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम में किए गए प्रयास, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों सहित राज्य शैक्षिक विकास कार्यक्रमों के पूरक हैं।

13.2.0 शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली, एक संस्वीकृति समिति जिसमें योजना आयोग, राज्य सरकारों और संबद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधि होते हैं, राज्य सरकारों के प्रस्तावों को शीघ्रता पूर्वक निपटाती रहती है। जोकि शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई रूपरेखाओं के अनुसार कार्य करती है।

13.2.1 सातवीं पंचवर्षीय योजना के तीन वर्षों अर्थात 1987-88, 1988-89, और 1989-90 के दौरान 120.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया और राज्य सरकारों को प्रदान करने के लिए इस संपूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक अधिकांश कार्यकलाप या तो पूरे किए जा चुके थे अथवा पूरे होने की स्थिति में थे।

13.2.2 वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में 55 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसका उपयोग चालू कार्यकलापों और आंशिक रूप से कुछ नए कार्यकलाप शुरू करने संबंधी प्रतिबद्ध जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

13.2.3 राज्य सरकारों को अनुदान, उन्हें दिए गए पिछले अनुदानों में से उनके द्वारा किए गए व्यय की स्थिति और वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

13.3.0 वर्ष 1987-88 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई उपलब्धियां सारणी 13.1 में दी गई हैं:

तालिका 13.1

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

उपलब्धियां

(करोड़ रु० में)

	(सातवीं योजना के तीन वर्ष)			आठवीं योजना कुल	(प्रथम वर्ष)
	1987-88	1988-89	1989-90	1987-88 1988-89 तथा 1989-90	1990-91
खर्च की गई राशि (करोड़ रु० में)	25.00	45.50	50.00	120.50	—
दिए गए अनुदानों के राज्य वार ब्यौरे (करोड़ रु० में)					
गुजरात	7.56	5.20	8.57	17.33	3.18
राजस्थान	7.38	7.22	11.95	26.55	7.93
पंजाब	5.24	9.20	8.90	23.34	11.04

जम्मू और कश्मीर	8.82	23.88	20.58	53.28	27.35
	25.00	45.50	50.00	120.50	49.50

13.4.0 अभी तक निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की गई:

— स्कूलों में अनिवार्य सुविधाओं का प्रावधान (4097)

— प्राइमरी, उच्च प्राइमरी, मिडिल, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण (2388)

— सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करना तथा व्यावसायिक शैडों का निर्माण (27)

— छात्रावास भवनों तथा स्याफ क्वार्टरों का निर्माण (178)

— जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना (1)

— विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण (4527)

— पालिटेक्निकों तथा आई०टी०आई० की स्थापना तथा सुदृढ़ करना (33)

— प्रौढ़ शिक्षा तथा गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा जन शिक्षण निलायमों का गठन (2130)

— जिमनासियम हाल तथा युवा प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण (43)

14. बीस सूत्री कार्यक्रम और वंचित वर्ग के लिए शिक्षा सुलभ कराना।

14. बीस सूत्रीय कार्यक्रम और वंचित वर्ग के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना

14.1.0 बीस सूत्रीय कार्यक्रम (टी.पी.पी.) के सूत्र संख्या 10 के अन्तर्गत औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों, बुनियादी शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा में प्रगति का निरीक्षण पूर्व निर्धारित नामांकन लक्ष्यों के संदर्भ में, भौतिक एवं वित्तीय शर्तों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा के विषय वस्तु की मूल्यांकन रिपोर्ट, अनौपचारिक तथा मूल्य सूचक शिक्षा के साथ वर्ष 1989-90 की बुनियादी एवं प्रौढ़ शिक्षा की भौतिक प्रगति रिपोर्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेज दी गई थी। वर्ष 1990-91 के लिए बुनियादी एवं प्रौढ़ शिक्षा के राज्य वार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेज दिए गए। संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल से सितंबर, 1990 तथा अक्तूबर, 1990 से मार्च, 1991 तक की अवधि की अर्द्धवार्षिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति रिपोर्टें भी यथानिर्धारित भेज दी गई थी।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा

14.2.1 वर्ष 1990 डा० बी.आर. अम्बेडकर का शताब्दी वर्ष था। शिक्षा विभाग ने जन्म शताब्दी को उचित ढंग से मनाने के लिए उनके द्वारा नियंत्रित संगठनों को कार्यक्रम तथा कार्यकलाप आयोजित करने के लिए अनुदेश जारी किए। इन कार्यक्रमों में विचार-विमर्श, गोष्ठियां, निबंध प्रतियोगितायें, डा० अम्बेडकर के जीवन और कृति पर प्रदर्शनियां, उनकी जीवनी का प्रकाशन तथा उनकी कृतियों का संग्रह इत्यादि शामिल हैं। शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के नामांकन का पुनरालोकन करने के लिए निरीक्षण समितियों का गठन किया गया। डा० बी० आर० अम्बेडकर शताब्दी समारोह के संबंध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विस्तृत कार्यक्रमों के प्रतिपादन के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की उपसमितियों में शिक्षा विभाग का भी प्रतिनिधित्व किया गया।

14.2.2 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के वे लोग जो वर्तमान शैक्षिक प्रावधानों तथा सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाए हैं उनकी जातिगत आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर असमानताओं को हटाने तथा शैक्षिक अवसरों में बराबरी लाने के लिए विशेष जोर दिया गया।

14.2.3 आपरेशन-ब्लैक बोर्ड, अनौपचाकि शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की योजनाओं के अंतर्गत राज्यो को परामर्श दिया गया था कि वे उन ब्लाकों का चयन करने में उंच्च प्राथमिकता प्रदान करें जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिक लोग हैं।

14.2.4 30 अप्रैल, 1990 तक नवोदय विद्यालयों में 47,103 छात्रों के कुल नामांकन में से, अनुसूचित जाति के छात्रों का कुल नामांकन 9746 और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का नामांकन 5272 था जो कुल नामांकन का 20.7% और 11.2% है।

14.2.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के योग्यता स्तर को ऊंचा उठाने की योजना जो 1987-88 में शुरू की गई थी, राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाती रही। इस योजना के अंतर्गत, उपचारी प्रशिक्षण कक्षा 1X से X11 तक दिया जा रहा है, इसके अलावा उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए कक्षा X1 और X11 में विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

14.2.6 अन्य सुविधाएं जैसे शिक्षा संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 71/2%) प्रवेश परीक्षाओं में अर्हक अंक प्राप्त करने में छूट, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों में आरक्षण, केन्द्रीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, विश्वविद्यालय स्तरीय अनुसंधान शिक्षावृत्तियों में आरक्षण, अनुसंधान एसोसिएटशिप, शिक्षावृत्ति इत्यादि दी जाती रही।

14.2.7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक ऐसी योजना संचालित कर रहा है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के जो छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं में बहुत थोड़े अंकों की कमी के कारण सफल नहीं हो पाते हैं उन्हें और आगे प्रशिक्षण दिया जाता है तथा संगत पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाता है।

14.2.8 विशेष संघटक योजना और जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत शिक्षा विभाग के विभागीय परिव्यय का क्रमशः लगभग 14.4% और 6.1% नियत और आबंटित किया गया।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

14.3.0 शिक्षा विभाग ने 23 जुलाई, 1990 को श्री आर.के. सैयद की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर एक दल का गठन किया। इसके विचारार्थ विषय थेः

(क) केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सोसाइटियों तथा संगठनों द्वारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में की गई सिफारिशों तथा सुझावों की समीक्षा।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा निकट भविष्य में किए जाने वाले उपायों पर कुछ सिफारिशें करना।

क्योंकि श्री सैयद को अक्तूबर, 1990 में विदेशी कार्य पर जाना था, श्री सैयद हमीद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 15 जनवरी, 1991 को प्रस्तुत की। सरकार ने अब इन सिफारिशों पर उचित निर्णय देने, विचार करने के लिए 4 मार्च, 1990 को एक अधिकृत समिति की नियुक्ति की है। अधिकृत समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

14.4.0 कार्रवाई योजना में निर्धारित सभी अल्पसंख्यक संकेंद्रित जिलों को समुदाय पोलीटैक्निक के अंतर्गत शामिल किया गया है।

प्रशिक्षण कक्षाएं

14.5.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों के शिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता प्रदान करने की योजना का कार्यान्वयन जारी रखा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए शिक्षण दिया जाता हैं। यह योजना 20 विश्वविद्यालयों और 28 कालेजों में कार्यान्वित की जा रही है। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षण कक्षाओं के संबंध में वि.अ.आ. उप समिति ने प्रगति की समीक्षा करने ओर निरीक्षण करने के लिए एक छोटी समिति का गठन किया।

14.5.2 कालीकट और अलीगढ़ में दो क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित करने की संस्वीकृतियां प्रदान की गई थी।

पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

14.6.0 स्कूल पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा अन्य बातों के साथ-साथ अस्पृश्यता, जातिवाद और सम्प्रदायवाद हटाने के विचार से की जा रही है। राज्यों/संघसासित प्रदेशों में उपयोग की जा रही स्कूल पाठ्यपुस्तकों की पहले चरण में समीक्षा की गई थी। मूल्यांकन कार्यक्रम अब एक राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति द्वारा देखा जाता हैं।

महिलाओं की शिक्षा

14.7.1 जैसा कि रिपोर्ट में अन्यत्र दर्शाया गया है, कुल नामांकन के अनुपात में लड़कियों का नामांकन प्राथमिक स्तर पर 40.7%, मिडिल स्तर पर 36.7% माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 32.3% तथा उच्च शिक्षा स्तर पर 32.5% है।

14.7.2 शिक्षा में महिलाओं/लड़कियों का योगदान सुधारने के लिए वर्ष के दौरान सभी ओर से प्रयत्न किए गए। वैज्ञानिक उपायों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

— आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 1987-88 से प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के 92871 पदों का सृजन करने के लिए सहायता प्रदान की जो कि मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा ही भरे जाने हैं। अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, शिक्षकों के 63524 पद भरे जा चुके हैं जिसमें 56.21% महिला शिक्षक हैं।

— लड़कियों के लिए बने एन.एफ.ई. केन्द्रों को 100% सहायता दी गई थी। लड़कियों के एन.एफ.ई. केन्द्रों की संचित संख्या 3450 है। महिला समाख्या (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा) परियोजना गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में कार्यान्वयनाधीन है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें अनौपचारिक प्रौढ़ तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है।

— सतर्क कार्यवाही द्वारा, नवोदय विद्यालयों में लड़कियों का 27.85% प्रवेश सुनिश्चित हैं। (कुल 64,517 लड़कियों में से इन विद्यालयों में

लड़कियों की संख्या 17,971 है।)

— पंजीकरण वर्ष 1989-90 में, 54.88% छूट प्राप्त वर्गों के थे जिसमें महिलायें (37%), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांग लोग शामिल हैं।

— प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में महिलाओं के नामांकन के लिए विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 33.94 लाख नामांकित प्रौढ़ निरक्षरों में से 18.96 लाख महिलायें थी (55%)।

— वर्ष के दौरान, शै.अ.प्र.प. ने महिलाओं के शैक्षिक विकास के लिए दो अध्ययन पूरे किए। एक है शहर की गंदी बस्तियों में शैक्षिक संस्थानों द्वारा लड़कियों के नामांकन, प्रतिधारण तथा विकास के लिए अपनाए गए उपायों का सूक्ष्म अध्ययन तथा दूसरा है भारत में लड़कियों की व्यावसायिक तकनीकी तथा पेशेवर शिक्षा का सुधार करने के लिए किए गए उपायों पर है।

— वि.अ.आ. ने महिलाओं की शिक्षा के विषय से संबंधित अनेक अनुसंधान परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। महिलाओं की शिक्षा से संबंधित स्थायी समिति ने महिलाओं के अध्ययन/सेल स्थापित करने के लिए 20 विश्वविद्यालयों तथा 8 कालेजों/विश्वविद्यालय विभागों को सहायता प्रदान करने की सिफारिश की है।

15. प्रबन्ध, अनुवीक्षण और मूल्यांकन

15. प्रबन्ध, अनुवीक्षण और मूल्यांकन

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई.)

15.1.1 राज्य शिक्षा मंत्रियों, प्रशासकों, शिक्षाविदों से युक्त केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र की प्रवृत्तियों की समीक्षा, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के विश्लेषण और नीति-निर्धारण संबंधी सलाह देने के माध्यम से शिक्षा नीति के प्रबंध के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध करवाने वाला, राष्ट्रीय स्तर का निकाय बना रहा।

15.1.2 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का 19 अक्तूबर, 1990 को तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठित बोर्ड की पहली बैठक 8 और 9 मार्च, 1991 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और सुविधाहीन वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के लिए शिक्षा के क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण नीति-विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

15.1.3 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं, जिनमें निम्न शामिल हैं:-

— शिक्षा के लिए संसाधन

— केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

— राममूर्ति समिति और गनानम समिति की रिपोर्टों का संसाधन

— शिक्षा के न्यूनतम स्तरों का निर्धारण।

— प्रारम्भिक शिक्षा की सूक्ष्म-आयोजना और सर्वसुलभीकरण

— शैक्षिक कलैण्डर का पुनः स्थापन

— प्रौढ़ साक्षरता और शैक्षिक अवसरों का व्यावसायीकरण।

राष्ट्रीय शिक्षा सचिवों और शिक्षा निदेशकों की बैठक

15.2.0 सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों और शिक्षा निदेशकों की बैठक 7 मार्च, 1991 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस सम्मेलन में शिक्षक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता अभियान, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा आदि सहित प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनरीक्षण:-

15.3.0 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सूत्रपात 1986 में हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा के पुनरीक्षण और इसके कार्यान्वयन तथा नीति के संशोधन के संबंध में सिफारिश करने के लिए 7 मई, 1990 को आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 26 दिसम्बर, 1990 को पेश की। समिति की सिफारिशों में शिक्षा नीति का पूरा प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतियां संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर 9 जनवरी, 1991 को रखी गई। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 8 और 9 मार्च, 1991 को हुई अपनी बैठक में इस बात पर विचार किया कि समिति की इस रिपोर्ट पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए। बोर्ड ने यह निर्णय भी लिया कि समिति की सिफारिशों की बारीकी से जांच करने के लिए एक और समिति का गठन किया जाए।

शैक्षिक सांख्यिकी

15.4.1 शैक्षिक सांख्यिकी स्थायी समिति की 15वीं बैठक 17.12.1990 को आयोजित की गई और इसमें शिक्षा विभाग के सांख्यिकी एकक द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई।

15.4.2 मंत्रालय ने 24-26 अक्तूबर, 1990 और 15-17 जनवरी, 1991 को दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के सांख्यिकी अधिकारियों के लाभार्थ मद्रास और अगरतला में दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

15.4.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शैक्षिक सांख्यिकी पर निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए:-

1. सिलेक्टिड एजूकेशनल स्टेटिस्टिक्स 1988-89
2. एज्यूकेशन इन इण्डिया - 1980-81 (खण्ड-II)
3. एज्यूकेशन इन इण्डिया - 1981-82 (खण्ड-II)
4. एज्यूकेशन इन इण्डिया - 1982-83 (खण्ड-I)
5. एज्यूकेशन इन इण्डिया - 1983-84 (खण्ड-II)
6. एज्यूकेशन इन इण्डिया - 1980-81 (खण्ड-III)
7. एज्यूकेशन इन इण्डिया - 1981-82 (खण्ड-III)
8. सिलेक्टिड इन्फर्मेशन आन स्कूल एज्यूकेशन - 1988-89

15.4.4 संगणकीकरण के उपरान्त, आंकड़ों के प्रकाशन में विलम्ब को किसी हद तक (एक वर्ष से अधिक) कम कर दिया गया। आंकड़ों का प्रकाशन "राज्यों में शैक्षिक आंकड़ों का संगणकीकरण" विषय पर केन्द्रीय योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् किया गया। इस योजना को वर्ष 1989 में शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत, इन नौ राज्यों में वर्ष 1988-89/1989-90 के लिए शिक्षा के वार्षिक सांख्यिकी को जानने के लिए स्कूल शिक्षा पर आधारित संगणकीकृत आंकड़े तैयार किए जाएंगे। इन तैयार किए गए आधारित आंकड़ों से केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर स्कूल शिक्षा के नामांकन की प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी किया जाएगा।

15.4.5 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के क्षेत्रीय/राजकीय केन्द्रों की सहायता से आंकड़ों के संगणकीकरण के लिए पहले से ही प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के हैदराबाद केन्द्र ने अपेक्षित सांख्यिकी रिपोर्टें तैयार करने के लिए पहले से ही एक साफ्टवेयर तैयार किया है। हैदराबाद केन्द्र ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सम्बद्ध राजकीय क्षेत्रीय केन्द्रों के अधिकारियों और राज्य शिक्षा विभागों के सांख्यिकी अधिकारियों के लाभार्थ अक्तूबर 1990 और दिसम्बर 1990 में, अपने केन्द्र द्वारा तैयार किए गए साफ्टवेयर का प्रदर्शन करने के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित कीं।

15.4.6 तीन राज्यों/संघशाशित क्षेत्रों से अपेक्षित आंकड़े एस-1, एस-2, एस-3 और बी इन चारों निर्धारित संगणकीकृत प्रपत्रों में प्राप्त कर लिए गए है और इनका संगणकीकरण भी शुरू किया गया है। शेष छः राज्यों से आंकड़े वर्ष 1991 में प्राप्त कर लिए जाएंगे और इसके अन्तिम परिणाम वर्ष 1991 के अन्त तक तैयार होने की आशा है।

15.4.7 जिला स्तरों पर कार्यरत सांख्यिकी कर्मचारियों के लाभार्थ बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा आयोजित शैक्षिक सांख्यिकी विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को संसाधन कार्मिकों के रूप में भेजा।

संगणक आधारित प्रबन्ध सूचना प्रणाली का विभाग के लिए विकास

15.5.0 संगणक आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली के विकास में वृद्धि करने और विभाग में सुविज्ञता पैदा करने के विचार से सितम्बर, 1985 में आयोजना, अनुविक्षण और सांख्यिकी डिवीजन में एक संगणक आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली तैयार की गई। जबसे इस प्रणाली को तैयार किया गया है, यह एकक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सहयोग से मंत्रालय में संगणक आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली के विकास में संलग्न है। (कार्यरत) है।

15.5.1 इस समय, इस यूनिट में दो डोर-मैट्रिक्स प्रिन्टर्स और एक लैटर क्वालिटी प्रिन्टर वाले अपने पी सी/एक्स टी और पी सी/ए टी दो संगणक हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में पीस सी/ए टी को चार और टर्मिनलों से युक्त करने और यूनिट के लिए अतिरिक्त पी सी लेसर प्रिन्टर लगाने का प्रस्ताव है। यूनिट को सुदृढ़ बनाने के लिए, यूनिट में प्रणाली विश्लेषक, कम्प्यूटर आप्रेटर/डाटा प्रोसैसिंग सहायक आदि नये पदों को निकट भविष्य में भरा जाएगा।

15.5.2 वर्ष 1990-91 के दौरान संगणक आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली एकक ने संगणकीकरण के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं आरम्भ की।

— शिक्षा विभाग के ग्रुप "बी" और ग्रुप "सी" अधिकारियों के नाम, पदनाम, डिवीजन, अनुभाग, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख आदि जैसे चयनित मानदण्डों पर आतंरिक समायोजन (व्यवस्था) के लिए आधारित आंकड़े तैयार करना।

— शिक्षा-विभाग की वेतन-बिल-प्रणाली तैयार करना।

— सातवीं पंचवर्षीय योजना का विश्लेषण।

— प्रकाशन-एजुकेशन इन इंडिया खंड। (एस) 1986-87

— एजुकेशन इन इंडिया खंड II वर्ष 1982-83 व 1983-84 में प्रकाशन के लिए सस्थाओं के आय-व्यय के वित्तीय आंकड़े

— एजुकेशन इन इंडिया खंड III-परीक्षाफल 1981-82, 1982-83 व 1983-84

— चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी, 1988-89 के लिए डाटाबेस व उत्पादित सारणियों का सृजन

— विभाग की चुनिंदा योजनाओं पर वर्ष 1990-91 के लिए वार्षिक कार्य योजना

— शिक्षा पर बजट में रखे गए व्यय पर राज्य रूपरेखा

— राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एकक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (आई॰एस॰बी॰एन॰) प्रणाली का निर्माण

— आयु वर्ग (6-14) में जनसंख्या प्रक्षेपण

— नामांकनों के प्रक्षेपण के लिए प्रतिरूपों (माडल) का निर्माण

— बिहार व राजस्थान के जिलों की रूपरेखा तैयार करना

— हैदराबाद व सिकंदराबाद शहरों के स्वैच्छिक संगठनों पर डाटाबेस का सृजन

— जिलावार शैक्षिक रूपरेखा-1981 तैयार करना

— वर्ष 1981-82 व 1982-83 के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की शैक्षिक सांख्यिकी पर डाटाबेस

— "ए हैंडबुक ऑफ एजुकेशन एंड एलाइड स्टेटिस्टिक्स-1991" नामक प्रकाशन के लिए विकसित डाटाबेस व उत्पादित सारणियां

— आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रारूप रिपोर्ट के लिए सांख्यिकीय सारणियां व ग्राफ तैयार करना

— शिक्षा विभाग के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव तैयार करना

15.5.3 संगणक जागरूकता लाने और संगणक प्रचालनों व साफ्टवेयर अनुप्रयोग में बुनियादी विशेषज्ञता उत्पन्न करने के लिए, इस एकक ने आयोजना, अनुवीक्षण व सांख्यिकी प्रभाग (प्लानिंग, मानिटरिंग एंड स्टेटिस्टिक्स डिवीजन) समेत विभाग के विभिन्न प्रभागों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा संगणक आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली का विकास

15.6.0 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अधिकारियों का एक दल शिक्षा विभाग की आवश्यकतानुसार विभिन्न रिपोर्टें तैयार करने के लिए साफ्टवेयर पैकेज विकसित करके विभाग के विभिन्न प्रभागों की सहायता कर रहा है। वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियां निम्न प्रकार रहीं:—

I) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 की समीक्षा के संबंध में नागरिकों की राय का संगणक-विशलेषण किया गया और कई रिपोर्टें प्रकाशित की गई। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने अंतिम रिपोर्ट के प्रकाशन में मुख्य भूमिका अदा की है।

II) शिक्षा विभाग की योजनागत व योजनेतर स्कीमों की रूपरेखा को संगणकीकृत किया गया है और कई डाटाबेसों का सृजन किया गया है।

III) लोकसभा/राज्य सभा में लंबित आश्वासनों के अनुवीक्षण (मानिटरिंग) के लिए अनुवीक्षण प्रणाली विकसित की गई है और रिपोर्टें तैयार की गई हैं

IV) समेकित रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट व राज्य सरकारों की रिपोर्टों को तैयार करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता सबंधी पैकेज में कई प्रोग्राम जोड़े गए हैं।

V) शैक्षिकरूप से पिछड़े राज्यों में संगणकीकरण की योजनागत स्कीमों के संबंध में संस्था स्तर व खंड स्तर पर व्यापक शैक्षिक सांख्यिकी के प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।

VI) कॉपीराइट प्रमाणपत्रों व सूचना कार्डों को तैयार करने के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग प्रणाली

VII) सूचना संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

VIII) कई अधिकारियों को 'टेलर मेड पैकजेज़' और वर्डस्टार, लिरिक्स तथा डीबेस iii प्लस के प्रचालन में प्रशिक्षित किया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान

15.7.0 भारत सरकार द्वारा स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान ने निम्नलिखित कार्यकलापों को जारी रखाः-

— वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण व स्थिति निर्धारण

— राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन की समस्याओं पर अनुसंधान (23 अनुसंधान अध्ययन चल रह हैं)

— राज्यों और अन्य संगठनों के लिए विस्तार और परामर्शी सेवाएं

— शैक्षिक आयोजना और प्रशासन से संबद्ध विषयों पर सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन (वर्ष 1990-91 के दौरान इक्यावन प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।)

— अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, यूनेस्को, यू०एन०डी०पी०, आई०आई०ई०पी०, राष्ट्रमण्डल सचिवालय आदि को प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना

— शिक्षा प्रबंध पर सरकार को तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

संस्थान ने निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं—

— स्कूल मैपिंग-गाईडलाइंस

— हैंड बुक आन इन्वायर्नमेंट

एजुकेशन फार एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स

— प्लानिंग एंड मैनेजमेण्ट आफ नान-फार्मल

— एजुकेशन-ए मैनुअल फार प्रोजेक्ट आफिसर्स

— जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन

— सुदूर शिक्षा पर विशेषांक

15.7.1 संस्थान के कार्य और प्रगति की समीक्षा सरकार द्वारा वर्ष 1989 में गठित एक समिति द्वारा की गई। मंत्रालय ने जुलाई 1990 में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की जिसने समीक्षा समिति की रिपोर्ट की जांच की। समीक्षा समिति की रिपोर्ट के संबंध में अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर सरकार ने मंजूरी दे दी और उनका परिपालन हो रहा है।

15.7.2 अधिकार प्राप्त समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैः

— राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान को शैक्षिक आयोजना और प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए एक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशिक्षण संस्थान को जिला स्तर के कार्यकताओं के प्रशिक्षण से संबंधित जिम्मेदारियां अथवा कालेजों के प्रधानाचार्य और अन्य से संबंधित ऐसी जिम्मेदारियां धीरे-धीरे राज्य स्तर की इकाइयों को अन्तरित कर देनी चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान उन स्थानों पर लाभग्राहियों और कार्यक्रमों को चुने जहां इसकी क्षमताएं हों, जहां लाभग्राहियों को ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता हों और जहां इसके प्रभाव की गुंजाइश हो। यह आवश्यकताओं के सर्वेक्षण पर आधारित हो।

— कार्योन्मुख अनुसंधान तथा अनुसंधान के अन्य रूपों और प्रशिक्षण कार्यक्लापों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान राज्य स्तरीय आयोजना और प्रशासन संस्थानों, उपयुक्त विश्वविद्यालय विभागों और प्रबंध एवं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों के साथ नेटवर्क व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सहायता करें।

— राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान का एक प्राथमिकताप्राप्त कार्य यह होगा कि वह राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में उन संस्थानों के विकास को बढ़ावा दे और सहायता प्रदान करें जो शैक्षिक आयोजना और प्रशासन का कार्य करने के लिए उत्तरदायी हों।

— भिन्न-भिन्न राज्यों में प्रशासकीय सोपान, प्रबंध-व्यवस्था भर्ती का ढांचा, प्रक्रियाएं तथा नियमावलियां अलग-अलग हैं। इसलिए राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान उन ढांचों और कार्य प्रणालियों का पता लगाने के लिए अंतर-राज्यीय अध्ययनों और कार्य-अनुसंधान कार्यक्रमों को तैयार करें जो कारगर हों, कम मूल्य के हों और सुग्राह्य हों।

— सभी संकाय और अनुसंधान कर्मचारियों के लिए एक कार्य-मूल्यांकन व्यवस्था होनी चाहिए। यह मूल्यांकन मुख्यतः विकासोन्मुख होना चाहिए।

शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए अध्ययनों, सेमिनारों मूल्यांकन आदि के वास्ते सहायता योजना

15.8.1 शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए अध्ययनों, सेमिनारों, मूल्यांकन आदि की योजना का उद्देश्य शिक्षा-विकास कार्यक्रमों को तैयार करने, उनके क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है।

15.8.2 इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर पात्र संस्थाओं और व्यक्तिओं को सेमिनार/कार्यशालाओं के आयोजन तथा प्रभाव व मूल्यांकन अध्ययन आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऐसे कार्यक्रमों का शिक्षा नीति, इसके क्रियान्वयन तथा इससे जुड़ी समस्याओं में महत्व है।

15.8.3 वर्ष 1990-91 के दौरान एक सेमिंनार, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक मूल्यांकन अध्ययन और एक समा चार पत्र प्रकाशित करने के आयोजन में वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा तीन पुरानी परियोजनाओं के लिए निधियां/जारी की गई थीं।

16. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

16. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

16.1.0 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की स्थापना के समय से ही भारत इसके उद्देश्यों और आदर्शों के सवर्द्धन में अग्रणी रहा है, यूनेस्को के विधान् के अनुच्छेद 7 के अनुपालन में 1949 में गठित यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (भा०रा०आ०) राष्ट्रीय स्तर पर शीर्षस्थ सलाहकार, कार्यकारी, संपर्क, सूचना और समन्वयकारी निकाय है, भा०रा०आ० न केवल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय आयोगों के साथ सहयोग करके अपितु इसकी क्षमता के सभी क्षेत्रों अर्थात, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालयों व केन्द्रों को कारगर सहयोग प्रदान करके यूनेस्को के कार्यों विशेषकर इसके कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में अधिकाधिक भूमिका अदा कर रहा है।

विकास के लिए एशिया प्रशांत शैक्षिक नवाचार कार्यक्रम (एपीड)

16.2.0 विकास के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत शैक्षिक नवाचार संबंधी क्षेत्रीय कार्यक्रम (एपीड) के एक संवर्द्धनकर्ता के रूप में भारत ने निरंतर इस कार्यक्रम का समर्थन किया है और इसने इन कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, भारत में, एपीड के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय विकास दल (रा०वि०द०) का गठन किया गया है जो देश में विकास के लिए शैक्षिक नवाचार कार्यकलापों का पता लगाने वाली प्रेरक और समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य करता है, रा०वि०द०, जिसके प्रमुख शिक्षा विभाग के सचिव है, में संबंधित मंत्रालयों और विभागों तथा शैक्षणिक शोध कार्य में संलग्न प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रीय विकास दल की तरह राज्यों और संघ क्षेत्रों में राज्य विकास दलों (रा०वि०द०) की भी स्थापना की गई है। ये दल राष्ट्रीय विकास दल के निकट सहयोग से कार्य करते हैं। विकास के लिए एशिया प्रशांत शैक्षिक नवाचार कार्यक्रम का प्रमुख एसोसिएट केन्द्र-राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अन्य जो एपीड के प्रमुख सहयोगी केन्द्रों में से एक है, अन्य बातों के साथ-साथ एपीड के सचिवालय के रूप में कार्य करने के आंतरिक एपीड के कार्यकलापों से संबद्ध सूचना एवं क्षेत्रीय स्तर पर नवाचार अनुभव का प्रसार करती है तथा एपीड के भीतर क्षेत्रीय सहयोग के परिणामों की देश भर में व्यापक जानकारी देती हैं।

सभी के लिए शिक्षा का एशिया प्रशांत कार्यक्रम

16.3.1 नई दिल्ली में, 1987 में आरम्भ किया गया सभी के शिक्षा का एशिया-प्रशांत कार्यक्रम (अपील) यूनेस्को का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यक्रम है जिसमें भारत ने उल्लेखनीय योगदान दिया हैं। वर्ष 2000 तक धरती से निरक्षरता के उन्मूलन के लिए बढ़ती चिंता को मद्दे-नज़र रखते हुए यूनेस्को ने 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष (अ०सा०व०) घोषित किया ताकि वर्ष 2000 तक निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन के लिए सारे विश्व का ध्यान उपाय करने, उनको प्रोन्नत करने और समेकित करने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया जा सके। भारत द्वारा अपील और अ०सा०व० के अंतर्गत गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक 18 मई, 1990 को शिक्षा सचिव की सध्यक्षता में संपन्न हुई।

16.3.2 भारत ने यूनेस्को और भारत में यूनेस्को की सक्षमता वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर-क्षेत्रीय कार्यकलापों का आयोजन करने वाले, भारतीय संस्थाओं में यूनेस्को अध्येताओं को रखवाने की व्यवस्था करने वाले, भारतीय संस्थाओं में यूनेस्को के सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को लागू करने वाले तथा यूनेस्को कूपन योजना का संचालन करने वाले इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कई कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों में भाग लिया। यूनेस्को से संबंधित जन-सूचना कार्यकलाप "यूनेस्को दूत" के हिंदी और तमिल संस्करण के रूप में चलते रहे।

वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त सारांश निम्नलिखित है:-

बयालीसवां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जेनेवा 3-8 सितंबर, 1990

16.4.1 शिक्षा सचिव श्री अनिल बोर्दिया के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 3 से 8 सितंबर, 1990 तक जिनेवा में अयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के 42वें सत्र में भाग लिया।

16.4.2 सम्मेलन का मुख्य विषय सभी के लिए शिक्षा 1990 के दशकों के लिए नई नीतियां और रणनीतियां अन्य विषय सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से निरक्षरता के विरूद्ध अभियान, शिक्षार्थी के सक्रिय सहयोग पर बल देते हुए कार्यात्मक पहलू से संबंधित थे। शिक्षा सचिव श्री अनिल बोर्दिया को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के 42वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया।

16.4.3 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो की परिषद के जोमतीन में मार्च; 1990 में अयोजित सत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में–

कार्यरत भारत सरकार के सचिव श्री अनिल बोर्दिया को परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष पद के लिए एकमत से चुना गया। 1934 से ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एशियाई व्यक्ति को इस पद के लिया चुना गया है।

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो की परिषद का तैतीसवां सत्र

16.5.0 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो, जिनेवा की परिषद का 33वां सत्र 3 और 8 सितंबर, 1990 को आयोजित किया गया। सत्र में शिक्षा सचिव और श्रीमती किरण ढींगरा, निदेशक, शिक्षा विभाग ने भाग लिया।

राष्ट्रमंडलीय शिक्षा मंत्रियों का ग्यारहवां सम्मेलन

16.6.0 राष्ट्रमंडलीय शिक्षा मंत्रियों का 11वां सम्मेलन बारबाडोस में 29 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 1990 तक आयोजित किया गया। भारतीय शिष्टमंडल जिसमें शिक्षा विभाग में निदेशक श्री अभिमन्यु सिंह और बारबाडोस में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त श्री बी॰ घोष थे, ने सम्मेलन में भाग लिया। श्री अभिमन्यु सिंह ने राष्ट्रमंडलीय देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की 28 अक्तूबर, 1990 को आयोजित बैठक में भी भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार-प्रसंविदा-रिपोर्ट प्रस्तुत करना

16.7.0 शिक्षा विभाग में अपर सचिव श्री एस॰ गोपालन ने 25 फरवरी, 1991 को जेनेवा में राष्ट्रमंडल समिति के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा के अनुच्छेद 13 से 15 के कार्यान्वयन के संबंध में भारत की रिपोर्ट पेश की।

सभी के लिए शिक्षा का एशिया प्रशांत कार्यक्रम (अपील) और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष (अ॰सा॰व॰) समन्वय समिति की बैठक

16.8.0 सभी के लिए शिक्षा का एशिया प्रशांत कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष समन्वय समिति की 5वीं बैठक 18 मई, 1990 को संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के महानिदेशक द्वारा सूचित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के उद्देश्यों के संवर्धन के लिए आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/ उठाए गए कदमों का जायजा लिया गया। समिति ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने के लिए परिकल्पित लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के आयोजन की सफलता के लिए उन कार्यात्मक रणनीतियों को निर्धारित किया जिनपर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त 2000 तक सभी के लिए शिक्षा भारतीय परिप्रेक्ष्य और बिहार शिक्षा परियोजना नामक दस्तावेजों पर, जिन्हें जोम्टीन (थाइलैण्ड) में 10 से 12 मार्च, 1990 तक आयोजित सभी के लिए शिक्षा विश्व सम्मेलन में वितरित किया गया था, विस्तारपूर्वक विचार किया गया और सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सुझाव भी दिए गए।

एशियाई क्षेत्र में प्रशासकों के प्रशिक्षण कार्य में लगे निदेशकों अथवा विशेषज्ञों की प्रशिक्षण कार्यशाला

16.9.1 सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली ने यूनेस्को के साथ संविदा के अंतर्गत विभिन्न देशों में व्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा सांस्कृतिक प्रशासन केन्द्रों के प्रभारी वरिष्ठ निदेशकों के कार्यदल की एक बैठक का जयपुर में 23-29 अप्रैल, 1990 तक आयोजन किया। कार्यदल ने निम्नलिखित पर बल दियाः

i) प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार का अध्ययन और मूल्यांकन

ii) 1984 और 1986 के यूनस्को प्रायोजित कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप यूनेस्को और सदस्य देशों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर परिवर्तनों का मूल्यांकन।

iii) प्रशिक्षण माडयूल तैयार करना, ताकि निर्णायक अपने कार्य के सांस्कृतिक पहलुओं को जान सकें, और सहभागी देशों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रशिक्षण तकनीक तैयार करना; और

iv) विषय वस्तु और प्रविधि को शामिल करने के लिए सदस्य देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण सुविधाओं और कार्मिकों के आदान-प्रदान के पहलुओं पर विचार करना।

16.9.2 कार्यदल की बैठक में यूनेस्को के सदस्य देशों और अन्य देशों से कई सहभागियों ने भाग लिया।

सीशल्स की शिक्षा मंत्री महामान्या श्रीमती सिमोन टेस्टा का 8-2-91 को तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास का दौरा।

प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति में आने वाली सामाजार्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए नए उपायों पर उप-क्षेत्रीय सेमिनार

16.10.0 यूनेस्को के बैंकाक स्थित और प्रशांत मुख्य क्षेत्रीय कार्यदल के सहयोग से प्राथमिक विघालय में उपस्थिति में आने वाली सामाजार्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए नए उपायों पर उप क्षेत्रीय सेमिनार का पुणे में 5 से 13 दिसंबर, 1990 तक आयोजन किया गया। सेमिनार के उद्देश्य निम्नलिखित थे:

(क) विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिवेशों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों मे उपस्थिति पैटर्न से संबद्व सूचना और तथ्यों से संबंधित अनुभव का विश्लेषण और समीक्षा करना;

(ख) प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति की दशा को सुधारने और प्राथमिक कक्षाओं के आरंभ में ही पढाई छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए अभिकल्पित नए कार्यक्रमों और परियोजनाओं से संबंधित अनुभव बांटना और उसका आदान-प्रदान;

(ग) जल्दी स्कूल छोड़ देने वालों और वंचित जनसमूह के लिए कार्योन्मुखी प्राथमिक शिक्षा के प्रावधानों के संबंध में सहभागी देशों के अनुभवों का विश्लेषण, समीक्षण और मूल्यांकन करना; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करने और प्राथमिक स्कूलों में उपस्थिति की दशा सुधारने के लिए व्यावहारिक नीति-उपायों और रणनीति का सुझाव देना और उसका निर्माण।

16.10.1 भारत के विशेषज्ञों के अतिरिक्त विभिन्न देशों के 12 व्यक्ति ने सेमिनार के विचार विमर्श में भाग लिया।

प्राथमिक और निम्न माध्यमिक स्तरों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा में विकास कार्य पर कार्यशाला

16.11.1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने यूनेस्को के साथ संविदा के अंतर्गत प्राथमिक और निम्न माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के विकास कार्यो पर अजमेर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा क्षेत्रीय शिक्षा कालेज में 12 से 21 जून, 1990 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया। सेमिनार का उद्देश्य प्राथमिक और निम्न माध्यमिक शिक्षकों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में एक सचित्र राष्ट्रीय विशिष्ट सहायिका तैयार करना था:

i) विज्ञान प्रक्रिया कौशल (जैसे विभिन्न नियंत्रक कारकों और परिकल्पना का अवलोकन, वर्गीकरण, मापन, संप्रेषण, परिकल्पन, उपलक्षण, कार्यात्मक परिभाषणन, निर्वचन, निर्माण और परीक्षण

ii) ग्रामीण जीवन की परिस्थितयों में समस्या निदान सहित शिक्षण का अनुप्रयोग और

(iii) जीवन के महत्व से संबंधित विज्ञान के बारे में और विज्ञान के उत्पादों के अनुप्रयोग के बारे में मूल्य एवं नैतिक मूल्य।

16.11.2 कालेज संकाय सदस्यों सहित लगभग 20 विशेषज्ञों ने सेमिनार में भाग लिया।

शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवनानुभवों से उत्पन्न प्राथमिक/निम्न माध्यमिक स्तरीय विज्ञान पाठ्यचर्या विशिष्टता का पता लगाने पर कार्यशाला

16.12.1 यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को से संविदा के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, पुणे के सहयोग से 26 से 29 जून, 1990 तक और 5 से 7 जुलाई, 1990 तक शिक्षाविदों के वास्तविक जीवनानुभवों से उत्पन्न प्राथमिक/निम्न माध्यमिक स्तरीय विज्ञान पाठयचर्या विशिष्टता का पता लगाने पर एक क्षेत्रीय कार्यात्मक कार्यशाला का आयोजन किया। क्षेत्रीय कार्यात्मक कार्यशाला के निम्नलिखित उद्देश्य थे:

(क) बालकों द्वारा अपनी कार्य स्थितियों के संबंध में अनुभूत प्राथमिक और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का पता लगाना; और

(ख) विज्ञान शिक्षा में पाठयचर्या विकास की उन भावी नवीन रणनीतियों के प्रभावों का विश्लेषण करना जिनमें शिक्षार्थी की प्रासंगिकता और शिक्षण स्थितियों में पहले कम प्रयुक्त किए गए संसाधनों को जुटाने पर जोर दिया गया है। कार्यशाला के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें अपेक्षित थीं:

(i) उन कार्य स्थितियों के उदाहरण जिनमें बच्चे कार्य करते हैं (वीडियो रिकार्डिंग)

(ii) उन कार्य स्थितियों के अनुभवों में अंतर्निहित विज्ञान का विषय विश्लेषण।

16.12.2 विभिन्न संस्थाओं के लगभग 21 सहभागियों ने उक्त कार्यशाला में भाग लिया।

यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अन्य सम्मेलनों/बैठकों/कार्यशालाओं/कार्यदलों में भारत का भाग लेना

16.13.1 भारतीय विशेषज्ञों ने यूनेस्को अथवा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठयक्रमों, सेमिनारों, कार्यदल की बैठकों इत्यादि में शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कियाः

— काठमांडू (नेपाल) में 12 से 21 मार्च, 1990 तक आयोजित निम्न माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में सुधार पर क्षेत्रीय कार्यशाला।

— टोकियो में 12 से 15 मार्च, 1990 तक आयोजित ग्रामीण क्षेत्रों में नव-साक्षरों के लिए एशिया/प्रशांत सामग्री कार्यक्रम के बारे में योजना की बैठक।

— बैंकाक में 21 से 28 मई, 1990 तक आयोजित जनसंख्या शिक्षा पर क्षेत्रीय परामर्शदात्री सेमिनार।

— पेरिस में 11 से 20 जून, 1990 तक आयोजित यूनेस्को के लिए राष्ट्रीय आयोगों के नए सचिवों के लिए सूचना बैठक।

— टोकियो में 13 से 27 जून, 1990 तक आयोजित शिक्षा में कम्प्यूटर पर क्षेत्रीय सेमिनार।

— बैंकाक (थाईलैंड) में 16 से 18 अगस्त, 1990 तक इक्कसवीं शताब्दी की पूर्वानुमेय मांगों को पूरा करने के लिए आज के समय में शिक्षा से वांछित विशेषताओं/गुणों पर विकास के लिए एशिया प्रशांत शैक्षिक नवाचार कार्यक्रम क्षेत्रीय संगोष्ठी।

— चियांग माई (थाईलैंड) में 20 से 31 अगस्त, 1990 तक विकास के लिए एशिया प्रशांत शैक्षिक नवाचार कार्यक्रम पर 12वीं क्षेत्रीय परामर्श और कार्यक्रम विकास बैठक।

— इस्लामाबाद में 8 से 13 अक्तूबर, 1990 तक दक्षिण एशियाई देशों में जनसंख्या शिक्षा तकनीकी आदान प्रदान कार्यक्रम।

— बैंकाक में 23 से 27 अक्तूबर, 1990 तक आयोजित सभी के लिए शिक्षा एशिया प्रशांत कार्यक्रम की क्षेत्रीय समन्वय समिति की दूसरी बैठक।

— कांठमांडू में 3 से 7 दिसंबर, 1990 तक आयोजित जनसंख्या शिक्षा की सामग्री के विकास पर विशेषज्ञ दल की बैठक।

— पंनंग (मलेशिया) में 3 से 14 दिसंबर, 1990 तक आयोजित विज्ञान शिक्षा में शिक्षक शिक्षा में सुधार पर क्षेत्रीय कार्यशाला।

16.13.2 उपर्युक्त बैठकों के अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को द्वारा अथवा उसके तत्वावधान में आयोजित लगभग 34 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनारो सम्मेलनों इत्यादि में भाग लेने के लिए विशेषज्ञ नामित किए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने भारत की विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन दौरों सहित यूनेस्को अध्येताओं के स्थापन की व्यवस्था करना जारी रखा।

यूनेस्को कार्यकारी मंडल

16.14.0 यूनेस्को के कार्यकारी मंडल के सदस्य श्री एन० कृष्ण ने पेरिस में क्रमशः 9 से 18 मई, 1990 तक और 8 से 22 अक्तूबर, 1990 तक आयोजित यूनेस्को कार्यकारी मंडल के 134वें और 135वें सत्र में भाग लिया।

यूनेस्को के बजट में अंशदान

16.15.0 यूनेस्को का प्रत्येक सदस्य देश यूनेस्को के नियमित द्विवार्षिक बजट में अंशदान देता है। स्वीकृत मानदंडों के अनुसार 1990-91 के लिए भारत का अंशदान यूनेस्को के कुल द्विवार्षिक बजट का 0.36 प्रतिशत नियत किया गया। तदनुसार भारत ने वर्ष 1990 के लिए यूनेस्को को 1.76 करोड़ रुपए का अंशदान किया।

विश्व दाय समिति

16.16.1 1972 में स्वीकृत विश्व सांस्कृतिक और प्रकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन के प्रावधानों के अनुरक्षण में यूनेस्को ने विश्व दाय सूची में शामिल किए जाने के योग्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों का पता लगाने और विश्व दाय निधि के प्रबंध के लिए विश्व दाय समिति का गठन किया है। इसमें इक्कीस सदस्य देश शामिल हैं। 1989 में आयोजित यूनेस्को के महासम्मेलन के 25वें सत्र में भारत को इस समिति का सदस्य चुना गया।

16.16.2 अब तक निम्नलिखित चौदह सांस्कृतिक स्मारक और पांच प्राकृतिक स्थल विश्व दाय सूची में शामिल किए जा चुके हैं:

स्मारक

1. ताजमहल
2. अजंता की गुफाएं
3. एलोरा की गुफाएं
4. आगरा का किला
5. कोणार्क का सूर्य मंदिर
6. महाबलीपुरम के स्मारक
7. गोवा के गिरजाघर और मठ
8. खजुराहो के स्मारक समूह
9. हम्पी स्थित स्मारक समूह
10. फतेहपुर सीकरी स्थित स्मारक समूह
11. पट्टादकुल में स्मारक समूह
12. एलीफेंटा की गुफाएं
13. बृहदीश्वर मंदिर
14. सांची के बौद्ध स्मारक

प्राकृतिक स्थल

1. काजीरंग नेशनल राष्ट्रीय उद्यान
2. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
3. मानस वन्य जन्तु अभयारण्य
4. सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान
5. नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान

बाह्य शैक्षिक संबंध और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

16.17.1 शैक्षिक संस्थाओं में आपसी शैक्षिक संबंध के लिए शैक्षिक कार्यकलापों के मामले में भारत के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को गतिशीलता प्रदान करने के मंतव्य से शिक्षा विभाग में बाह्य शैक्षिक संबंध कक्ष को पुनः शुरू किया गया है।

16.17.2 यह पाया गया था कि सं॰ रा॰ अ॰, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि महत्वपूर्ण देशों के शैक्षिक क्षेत्रों में भारत के प्रति रूचि कम होती जा रही है। बाह्य शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देकर तथा विदेशी विशेषज्ञों द्वारा भारत पर अध्ययनों को प्रोत्साहित करके इस प्रवृत्ति को बदलने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा विभिन्न सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों और अन्य द्विपक्षीय करारों के माध्यम से किया जाएगा।

इस संबंध में आरंभ किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:—

(i) **भारत अमरीका उप-आयोग**

16.17.3 भारत-अमरीका शिक्षा और संस्कृति उप आयोग की बैठक नई दिल्ली में 29-30 मार्च, 1991 को संपन्न हुई जिसमें 1990-91, 1991-1992 और 1992-1993 के वर्षों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी उन प्राथमिक कार्य क्षेत्रों का पता लगाया गया जिनमें मिलकर काम किया जा सकता है।

(ii) **दक्षेस कार्यकलाप**

16.17.4 दक्षेस तक शिक्षा संबंधी तकनीकी समिति की प्रथम बैठक अगस्त, 1989 में आयोजित की गई। इस बैठक में सहयोग के निम्नलिखित सात क्षेत्रों को निर्धारण किया गया:

* प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण—नेपाल
* महिला एवं शिक्षा—मालदीव
* साक्षरता, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा—भारत
* विज्ञान और तकनीकी शिक्षा—पाकिस्तान
* अल्प सुविधा प्राप्त क्षेत्रों और वर्गों के लिए शिक्षा भूटान

* शैक्षिक शोध—श्रीलंका
* पाठयचर्या का आधुनिकीकरण—बंगलादेश

समिति की विज्ञान बैठक सितंबर, 1990 में ढाका में आयोजित की गई।

16.17.5 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत ने साक्षरता, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा संबंधी विशेषज्ञ दल की बैठक की मेजवानी की। यह बैठक नई दिल्ली में 15 से 18 जून, 1990 तक आयोजित की गई। बैठक में साक्षरता के लक्ष्यों को पूरा करने में व्यावहारिक कठिनाइयों और कमियों का पता लगाया गया तथा संबंधित क्षेत्रों में अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण के संबंध में उपयोगी सिफारिशें की गईं। प्रत्येक देश में एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की गई। भारत में शिक्षा विभाग के प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र निर्धारित किया गया।

16.17.6 बैठक में दक्षेस क्षेत्रीय साक्षरता, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा संसाधन केन्द्र स्थापित करने की भी सिफारिश की गई। इस केन्द्र का कार्य, प्रलेख और प्रसारित सूचना प्राप्त करना और उनका संग्रह करना अध्ययन दौरे आयोजित करना, संयुक्त अध्ययन करना और विशेषज्ञ समिति की बैठकें आयोजित करना होगा। भारत से अनुरोध किया गया कि वह दक्षेस केन्द्र का गठन होने तक अस्थायी रूप से दक्षेस संसाधन नेटवर्क के कार्यक्रमों का समन्वय करे।

16.17.7 भारत ने निम्नलिखित दक्षेस कार्यकलापों में भी भाग लिया:

— सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा पर विशेषज्ञ दल की बैठक।

— शिक्षा और शैक्षिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं विषय पर सम्मेलन।

— विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेषज्ञ दल की बैठक।

— शैक्षिक शोध पर विशेषज्ञ दल की बैठक।

दक्षेस शिक्षा तकनीकी समिति की दूसरी बैठक ढाका में सितंबर, 1990 में आयोजित की गई। बैठक में 1990 के कैलेण्डर के कार्यकलापों के कार्यन्वयन के स्तर की समीक्षा की गई और 1991 के कैलेण्डर में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलापों पर भी चर्चा की गई।

(iii) विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग

16.17.8 विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग के ढांचे के अंतर्गत, सं० रा० विकास परियोजना से प्राप्त वित्तीय सहायता से, विभाग ने कई विकासशील देशों में, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को शिक्षा के चुनिन्दा क्षेत्रों में प्रशिक्षण/अनुस्थापन के लिए भेजा है। निम्नलिखित दल भेजे गए:—

(i) आठ-सदस्यीय भारतीय अधिकारियों के एक दल ने प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के क्षेत्र में प्रशिक्षण/अनुस्थापन के लिए 15 से 17 जनवरी, 1990 तक बंगलादेश, 19 से 22 जनवरी, 1990 तक थाईलैंड और 24 से 27 जनवरी, 1990 तक इंडोनेशिया का दौरा किया।

(ii) छह विशेषज्ञों वाले एक भारतीय दल को 23 मार्च, से 10 अप्रैल, 1990 तक चीन और फिलीपीन्स में क्रमशः महिला विकास और महिला समानता के लिए शिक्षा विषय पर प्रशिक्षण/अनुस्थापन के लिए भेजा गया।

विदेशों से आगंतुक

16.18.1 यूनेस्को कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष श्री याहया अलीयु ने 3-4 मार्च, 1990 तक भारत का दौरा किया। अन्य मुलाकातों के साथ-साथ उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर सचिव से भेंट करके आपसी हित के मामलों पर बातचीत कीं।

16.18.2 नामीबिया के शिक्षा, संस्कृति और खेल उपमंत्री श्री जेम्स डब्ल्यू वेंटवर्थ ने मई, 1990 में भारत का दौरा किया। श्री वेंटवर्थ ने अन्य मुलाकातों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग के सचिव से 21 मई, 1990 को भेंट करके भारत नामीबिया द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के ढांचे के भीतर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी हित के मामलों पर बातचीत कीं।

16.18.3 जिम्बाबवे के एक तीन सदस्यीय शिष्टमंटल ने अगस्त, 1990 में भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल ने भारत के कुछ तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों का भी दौरा किया। शिष्टमंडल ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक से चर्चा की और शिक्षा विभाग के सचिव, अपर सचिव और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करके आपसी सहयोग को और सुदृढ करने के उपायों पर चर्चा की।

16.18.4 मानव संसाधन विकास मंत्री के निमंत्रण पर सेशल्स की शिक्षामंत्री, श्रीमती सिमोने टेस्टा ने 30 जनवरी से 8 फरवरी, 1991 तक भारत की यात्रा की। उनके साथ शिक्षा निदेशक, श्री बर्नार्ड श्यामलये भी आए थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत कीं शिक्षा प्रणाली की प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करना और भारत के अनुभवों पर आधृत नई आदतों (इन्पुट्स) को सेशल्स की शिक्षा-नीति में शामिल करने के लिए एकत्र करना था। यात्रा पर आयीं मंत्री महोदया ने मानव संसाधन विकास मंत्री से भेंट की तथा रा० शै० अ० प्र० प०, वि० अ० आ०, रा० शै० आ० प्र० सं० आदि को देखने

गई और वहां के अधिकारियों-कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने बम्बई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास स्थित तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का भी दौरा किया और अन्य संस्थाओं के व्यक्तियों से भी बात की।

यूनेस्को का सहभागिता कार्यक्रम

16.19.0 सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को, यूनेस्को कार्यक्रम और कार्यकलाप के संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत सदस्य देशों की उन विभिन्न संस्थाओं और संगठनों को यूनेस्को के महा समेलन द्वारा परिभाषित उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने वाली नवीन परियोजनाएं शुरू करने के लिए क्षेत्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 1990-1991 की द्विवार्षिकी के दौरान 20 आवेदन यूनेस्को को प्राप्त हुए जिनमें से 10 को अब तक स्वीकार किया गया है और 1,09,200/- अमरीकी डालर की सहायता प्रदान की गई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षाः यूनेस्को क्लब और संबद्ध विद्यालय

16.20.1 यूनेस्को क्लब, संगठन के लक्ष्यों और उददेश्यों के संवर्धन कार्य में लगे स्वैच्छिक निकाय हैं जबकि संबद्ध विद्यालय ऐसी शैक्षिक संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना सहयोग और शांति के लिए शिक्षा से संबंधित कार्यकलाप शुरू करने के लिए संबंद्ध विद्यालय परियोजना में भाग लेने के वास्ते यूनेस्को सचिवालय से सीधे रूप में जुड़ी हैं। यूनेस्को संबंद्ध विद्यालय परियोजना के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं का चयन, यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर करता है। भारत के सैतींस विद्यालय और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यूनेस्को की इस परियोजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।

16.20.2 भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को क्लबों और संबद्ध विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय समन्वयकारी एजेंसी है। लगभग 250 यूनेस्को क्लब भारतीय राष्ट्रीय आयोग के पास पंजीकृत हैं। यूनेस्को क्लबों और संबद्ध विद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सहयोग और शांति के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवसों और वर्षों को मनाने, बैठकें, वाद-विवादों गोष्ठियों आदि जैसे कार्यकलापों के आयोजन के लिए, जिनकी अभिकल्पना यूनेस्को के लक्ष्यों और उददेश्यों के अनुरूप हो, सामग्री और वित्तीय सहायता दी जाती है।

16.20.3 का मुद्रण नहीं हुआ है।

25वीं एशिया और प्रशांत चित्र प्रतियोगिता

16.21.0 यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग जापान स्थित एशियाई यूनेस्को सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित चित्र प्रतियोगिता में भाग लेकर केन्द्र को सहयोग दे रहा है। 15वीं एशिया और प्रशांत चित्र प्रतियोगिता में भारत के ग्यारह व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है।

उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों को पुरस्कार की योजना

16.21.1 यूनेस्को के नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय (रोस्त्सका) ने मूल विज्ञानों और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के मुख्य क्षेत्रों में उनके अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 35 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों के लिए एक पुरस्कार योजना की शुरूआत की है। योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के लिए चुने गए व्यक्तियों को यूनेस्को द्वारा मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञानों में आयोजित कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अथवा उनके विशेषज्ञता-क्षेत्र के उत्कृष्ट केन्द्रों का दौरा करने के लिए वित्तीय सहायता (लगभग 500/- अमरीकी डालर) प्रदान की जाती हैं।

16.21.2 यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों पर, यूनेस्को ने इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1989 के लिए 10 युवा वैज्ञानिकों का चयन किया है।

महिला वैज्ञानिकों के लिए पुरस्कार

16.22.0 वर्ष 1990 के लिए यूनेस्को ने महिला वैज्ञानिकों को बुनियादी और प्रयुक्त विज्ञान के प्राथमिक क्षेत्रों में अनुसंधान और अध्ययन के उनके क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए सम्मान देने का निर्णय किया है। यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों पर, आर ओ एस टी एस सी ए ने इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए भारत से आठ युवा महिला वैज्ञानिकों को चुना हैं।

अंतराष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार

16.23.1 यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार और सम्मान पुरस्कार शुरू किए हैं जो हर वर्ष संस्थाओं, संगठनों अथवा व्यक्तियों को निरक्षरता के विरूद्ध लड़ने में योगदान करके विशेष सफलता प्राप्त करने और उत्कृष्ट योग्यता दर्शाने में उनकी सेवाओं की मान्यता में प्रदान किये जाते हैं। पुरस्कार चालू साक्षरता कार्यक्रमों के लिए जनमत की सहानुभूति और सहायता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है।

16.23.2 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार के अंतर्गत शुरू किए गए पुरस्कार निम्नलिखित हैं:—

1. नदेजदा के० क्रुप्सकया पुरस्कार
2. अंतराष्ट्रीय वाचन संगठन साक्षरता पुरस्कार
3. नोमा पुरस्कार
4. इराक परियोजना पुरस्कार
5. किंग सिजोंग साक्षरता पुरस्कार

16.23.3 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग शिक्षा विभाग ने यूनेस्को को केरल शास्त्र साहित्य परिषद्, त्रिवेन्द्रम की उम्मीदवारी प्रस्तुत की। यूनेस्को ने निरक्षरता के विरूद्ध लड़ने में उत्कृष्ट योगदान के लिए परिषद्, को किंग सिजांग साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार की राशि 30000 अमेरिकन डालर है। महानिदेशक, यूनेस्को ने 8 सितम्बर, 1990 को जनेवा में आयोजित एक उत्सव में परिषद् के प्रतिनिधि को पुरस्कार प्रदान किया था।

16.24.0 आयोग ने शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा दूर संचार के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं तथा व्यक्तियों की सहायता के लिए बनाई गई यूनेस्को अन्तर्राष्ट्रीय कूपन योजना का संचालन विदेशी मुद्रा तथा आयात नियंत्रण की औपचारिकताओं के बिना उनकी विदेश से शैक्षिक प्रकाशनों, वैज्ञानिक उपकरणों शैक्षिक फिल्मों आदि की वास्तविक आवश्यकताओं को आयात करने के लिए जारी रखा। वर्ष 1990 के दौरान कुल 11000 अमेरिकी डालर की राशि के यूनेस्को कूपन बेचे गए।

'यूनेस्को कूरियर' के भारतीय भाषा संस्करणों का प्रकाशन

16.25.0 'यूनेस्को कूरियर' यूनेस्को द्वारा प्रकाशित विश्व की एक अति विशिष्ट शैक्षिक व सांस्कृतिक पत्रिका है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने इसके तमिल और हिन्दी संस्करणों का प्रकाशन जारी रखा। इन भाषा अनुवादों का शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, यूनेस्को क्लबों, सम्बद्ध स्कूलों तथा आम जनता में व्यापक परिचालन है।

स्वैच्छिक निकायों, यूनेस्को क्लबों तथा सम्बद्ध स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता की योजना।

16.26.0 यूनेस्को के आदर्शों एवं उद्देश्यों को बढ़ाने के लक्ष्य से शुरू किए गए कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों, यूनेस्को क्लबों तथा सम्बद्ध स्कूलों के लिए वित्तीय सहायता की एक योजना का संचालन कर रहा है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न निकायों के लिए 65,000/- रु० अनुदान सहायता की मंजूरी दी गई है।

ओरोविले

16.27.1 केन्द्र सरकार द्वारा ओरोविले का प्रबन्ध कार्य ओरोविले (आपातकालीन) प्रावधान अधिनियम 1980 के अंतर्गत अस्थायी तौर पर लिया गया था ताकि परियोजना के कुप्रबन्ध के कारण पैदा हुई कुछ समस्याओं का समाधान किया जा सके। केन्द्र सरकार को सौंपे गए ओरोविले के प्रबन्ध की अवधि के दौरान नगर में अनेक महत्वपूर्ण बातों का विकास हुआ है। ओरोविले के उचित प्रबन्ध और आगे के विकास को सुनिश्चित करने की दीर्घावधिक व्यवस्था करने के लिए तथा इसके साथ ही विभिन्न कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने, जारी रखते तथा संयोजित करने के लिए ओरोविले फाउन्डेशन अधिनियम तैयार किया गया जो 28 सितम्बर, 1988 से लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा ओरोविले फाउन्डेशन गठित किया जाएगा जिसमें शासित निकाय, रेजीडेंट असेम्बली और ओरोविले अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् शामिल होगी। फाउन्डेशन की स्थापना किये जाने तक ओरोविले की सभी सम्पतियों की देखरेख केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अभिरक्षक द्वारा की जाएगी। फाउन्डेशन द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों को पूरा करने के प्रयोजन से केन्द्र सरकार फाउंडेशन को उतनी धनराशि दे सकती है, जितनी कि सरकार अनुदान, ऋण अथवा अन्य तरीके से आवश्यक समझेगी।

16.27.2 शैक्षिक क्षेत्र में ओरोविले के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 35.5 लाख रु० की लागत की एक स्कीम शामिल की गई है। योजना में तीन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है अर्थात् (i) बाल्यावस्था के प्रारंभिक स्तर से शुरू होने वाली सतत शिक्षा को जारी रखने की आवश्यकता। (ii) ज्ञान तथा संस्कृति के संश्लेषण की आवश्यकता और (iii) ओरोविले तथा निकटवर्ती गांवों के चहुमुखी विकास के लिए एक स्थायी आधार उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

डा० करन सिंह को इसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बोर्ड के अन्य व्यक्तिगत सदस्य ये है (1) श्री एन० कृष्णन (2) डा० (श्रीमती) कपिला वात्साय्यन (3) श्री किरीट जोशी (4) आशी पटेल (5) बेगम बिलकिस लतीफ (6) डा० ए० दास गुप्ता।

केन्द्र सरकार के बोर्ड में दो प्रतिनिधि होंगे बोर्ड की पहली बैठक 28 जनवरी 1991 को ओरोविल में हुई थी।

रेजीडेंट असेम्बली जिसमें सभी ओरोविल शामिल हैं, ने 7 सदस्यों की अपनी कार्य समिति को चुना है।

16.27.3 अतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के गठन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

16.27.4 इस समय ओरोविलो की सभी सम्पत्तियां सरकार द्वारा नियुक्त "कस्टोडियन" की सुरक्षा में निहित है। अधिनियम के अंतर्गत इनके शीघ्र ही प्रतिष्ठान को सौंपे जाने की संभावना है। प्रतिष्ठान को अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्य निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार प्रतिष्ठान एक पेसी राशि अनुदान, ऋण अथवा किसी अन्य में, जिसे वे उचित समझेगी, अदा कर सकती है।

16.27.5 शैक्षिक क्षेत्र में ओरोविले की विकास की एक योजना को 35.55 लाख रु० के परिव्यय सहित सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। इस योजना में तीन बातों अर्थात् (i) बचपन की आयु से ही आरम्भ होने वाली सतत शिक्षा की आवश्यकता (ii) ज्ञान और संस्कृति के संश्लेषन की आवश्यकता, और (iii) ओरोविले तथा इसके आस पास के गांवों के लिए चहुंमुखी स्थायी आधार की व्यवस्था करने की आवश्यकता को प्रतिबिम्बबित किया गया है। इस योजना को कुछ अपेक्षित संशोधन के साथ आठवीं पंच वर्षीय योजना में भी जारी रखा जाएगा।

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आबंटन
(1990—91)

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटन

(लाख रुपए)

क्रमांक	विषय	योजनागत/गैर योजनागत	बजट प्राक्कलन 1990-91		बजट प्राक्कलन 1991-92
			मूल	संशोधित	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
प्रारम्भिक शिक्षा					
1.	आपरेशन ब्लैक-बोर्ड	योजनागत	14000.00	14200.00	10000.00
2.	(i) 9-14 वर्ष के उम्र वर्ग के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र (संयुक्त)	योजनागत	1430.00	1400.00	4500.00
	(ii) लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र	योजनागत	2570.00	1600.00	3000.00
	(iii) स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान	योजनागत	1000.00	1200.00	3000.00
		गैर-योजनागत	15.00	15.00	15.00
	(iiv) एस.आई.डी.ए. की वित्तीय सहायता से राजस्थान में शुरू की गई शिक्षा कर्मी परियोजना	योजनागत	250.00	200.00	230.00
	(v) प्रारम्भिक शिक्षा में नए पहल	योजनागत	300.00	100.00	300.00
	(iv) बिहार शिक्षा परियोजना	योजनागत	400.00	220.00	600.00
	(vii) एन.सी.टी.ई.	योजनागत	100.00	30.00	100.00
3.	शिक्षक शिक्षा				
	(i) स्कूली शिक्षकों के लिए जन अवस्थापन कार्यक्रम (ii) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण (iii) संस्थान (डी.आई.ई.टी.) (iv) शिक्षक शिक्षा कालेज और शिक्षा के लिए उच्च अध्ययन संस्थान (v) राज्य शैक्षिणिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.)	योजनागत	5980.00	3080.00	6424.00
माध्यमिक शिक्षा					
1.	शिक्षा का व्यावसायिकरण	योजनागत	8420.00	7020.00	8900.00
2.	अयोग्य बच्चों की समन्वित शिक्षा	योजनागत	300.00	300.00	400.00
3.	योग	योजनागत	80.00	80.00	80.00
		गैर-योजनागत	30.00	30.00	30.00
4.	राष्ट्रीय खुला विद्यालय	योजनागत	80.00	80.00	100.00
		गैर-योजनागत	75.00	75.00	46.00
5.	एन.सी.ई.आर.टी. के लिए अनुदान	योजनागत	350.00	350.00	350.00
		गैर-योजनागत	2277.00	2277.00	2282.00
6.	जनसंख्या शिक्षा	योजनागत	100.00	100.00	100.00
7.	विज्ञान शिक्षा	योजनागत	2060.00	2059.00	2400.00
8.	पर्यावरण शिक्षा	योजनागत	200.00	200.00	300.00
9.	शैक्षणिक प्रौद्योगिकी	योजनागत	1750.00	1450.00	1700.00
		गैर-योजनागत	142.00	142.00	142.00
10.	सी.एल.ए.एस.एस.	योजनागत	600.00	600.00	600.00
11.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	गैर-योजनागत	15700.00	13885.00	16485.0C
12.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल	गैर-योजनागत	347.50	375.50	421.0C

1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	प्रशासन				
14.	नवोदय विद्यालय समिति	योजनागत	3500.00	5500.00	6000.00
		गैर-योजनागत	4238.00	4538.00	4238.00
उच्च शिक्षा और अनुसन्धान					
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	योजनागत	13400.00	12100.00	13834.00
		गैर-योजनागत	22400.00	23820.00	23820.00
2.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	योजनागत	30.00	15.00	—
		गैर-योजनागत	112.50	105.70	110.50
3.	भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद	योजनागत	40.00	35.00	—
		गैर-योजनागत	63.25	63.25	65.00
4.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद	योजनागत	30.00	25.00	—
		गैर-योजनागत	122.00	122.00	130.00
5.	अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	योजनागत	20.00	20.00	—
		गैर-योजनागत	17.00	17.00	17.85
6.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद	योजनागत	250.00	283.84	275.00
		गैर-योजनागत	355.00	410.78	424.25
7.	शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान	योजनागत	—	—	—
		गैर-योजनागत	55.00	55.00	61.25
8.	विश्वविद्यालय और कालेजों के शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन	योजनागत	—	—	—
		गैर-योजनागत	10454.00	8454.00	7000.00
9.	राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर	योजनागत	—	—	—
		गैर योजनागत	6.00	6.00	6.00
10.	पंजाब विश्वविद्यालय के लिए ऋण	योजनागत	50.00	50.00	50.00
		गैर-योजनागत	—	—	—
11.	डा० जाकिर हुसैन मेमोरियल कालेज ट्रस्ट	योजनागत	20.00	20.00	—
		गैर-योजनागत	6.00	6.00	6.30
12.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	योजनागत	8.00	8.00	—
		गैर-योजनागत	12.15	22.15	12.15
13.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय	योजनागत	800.00	501.00	900.00
		गैर योजनागत	900.00	900.00	945.00
14.	प्रशासन तंत्र को और सुदृढ़ करना	योजनागत	2.00	2.00	2.00
		गैर योजनागत	—	—	—
15.	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद	योजनागत	10.00	—	15.00
		गैर योजनागत	—	—	—
16.	राष्ट्रीय परीक्षण सेवा	योजनागत	40.00	—	0.00
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग					
1.	ग.6(5)(5) भारत में यूनेस्को प्रकाशनों के लिए आई.एन.सी. पुस्तकालय का पूर्ण विकसित प्रलेखन और संदर्भ केन्द्र के रूप में पुनर्गठन	योजनागत	2.00	1.00	0.70
2.	ग.6(5)(6) यूनेस्को के लक्ष्यों और उद्देश्यों को और आगे बढ़ाने के लिए समितियों/परिषदों की बैठकें आयोजित करना	योजनागत	6.00	4.00	2.00
3.	ग.6(5)(7) यूनेस्को कार्यक्रमों और कार्यकलापों में शामिल स्वैच्छिक संगठनों को और सुदृढ़ करना	योजनागत	2.00	1.00	1.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	ग.6(1)(2) औरविले प्रबंधन	योजनागत	10.00	10.00	10.00
5.	ग.6(4)(2) यूनेस्को कुरियर के हिन्दी और तमिल संस्करणों के प्रकाशन का खर्च	गैर-योजनागत	16.00	16.00	18.80
6.	ग 6(4)(9) अन्य मदें—आई एन सी के कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान	गैर-योजनागत	0.25	0.25	0.25
7.	ग.6(4)(9) अन्य मदें—यूनेस्कों के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग	गैर-योजनागत	0.60	0.60	0.60
8.	ग.6(4)(9) अन्य मदें—सत्कार एवं मनोरंजन	गैर-योजनागत	0.05	0.05	—
9.	ग.6(4)(1) यूनेस्को को अंशदान	गैर-योजनागत	140.00	151.00	151.00
10.	ग.6(4)(5) विदेशी शिष्टमंडलों द्वारा भारत का दौरा	गैर-योजनागत	5.00	3.75	2.25
11.	ग.6(4)(6) प्रतिनिधि मंडलों और शिष्ट मंडलों द्वारा विदेशों का दौरा	गैर-योजनागत	8.00	3.53	1.00
12.	ग.6(4)(2) औरविले प्रबंधन	गैर-योजनागत	6.00	5.39	5.60
पुस्तक प्रोन्नति और प्रतिलिप्याधिकार					
1.	क्षेत्रीय कार्यालय/पुस्तक केन्द्र	योजनागत	20.00	20.00	34.00
2.	नेहरू बाल पुस्तकालय	योजनागत	50.00	50.00	67.00
3.	आदान-प्रदान	योजनागत	10.00	10.00	15.00
4.	आर्थिक सहायता योजना	योजनागत	20.00	10.00	30.00
5.	पंजाबी में पुस्तकों का पुनः प्रकाशन	योजनागत	6.00	5.00	9.00
6.	सामान्य प्रौन्नति कार्यकलाप	योजनागत	33.00	27.00	54.00
7.	नेहरू भवन	योजनागत	6.50	कुछ नहीं	100.00
8.	परामर्शी सेवाएं	योजनागत	1.00	1.00	1.00
9.	उत्तर साक्षरता शिक्षा के लिए प्रकाशन	योजनागत	15.00	15.00	28.00
10.	विद्यालय पुस्तकालय कार्यक्रम के लिए प्रकाशन	योजनागत	8.00	8.00	—
11.	उच्च कोटि के साहित्य का प्रकाशन	योजनागत	5.00	1.00	7.00
12.	आई एस बी एन (एन ई आर सी)	योजनागत	0.50	0.50	1.00
13.	विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्य पुस्तकों के पुनप्रकाशन हेतु सहयोग कार्यक्रम	योजनागत	2.00	2.00	2.00
14.	पुस्तक निर्यात प्रोननति कार्यकलाप	योजनागत	8.00	8.00	12.00
15.	राष्ट्रीय लेखक सोसायटी की स्थापना	योजनागत	1.00	1.00	1.00
16.	नई बिक्री प्रोन्नति उपाय	योजनागत	6.00	6.00	13.00
17.	कार-बुक परियोजना	योजनागत	4.00	2.00	5.00
18.	स्वैच्छिक संगठनों के लिए आर्थिक सहायता तथा पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलाप	योजनागत	6.00	5.00	6.00
19.	राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद	योजनागत	2.00	1.00	2.00
20.	अनुरक्षण, अवस्थापना और प्रकाशन	गैर-योजनागत	160.00	160.65	168.00
21.	सामान्य प्रौन्नति कार्यकलाप	गैर-योजनागत	38.85	38.85	42.00
22.	डब्ल्यू आई पी ओ (वाइपो) के लिए भारत का अंशदान	गैर-योजनागत	15.00	15.00	20.00
23.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार संघ (सेप)	गैर-योजनागत	1.00	1.00	2.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
24.	विश्व पुस्तक मेला	गैर-योजनागत	5.00	5.00	50.00
छात्रवृत्ति					
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	योजनागत	110.00	110.00	110.00
2.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	गैर-योजनागत	300.00	285.00	300.00
3.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना-वट्टे खाते में डालना आदि	गैर-योजनागत	15.00	14.00	15.00
4.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ऋण वापसी के संदर्भ में राज्य सरकार की 50% भागीदारी	गैर-योजनागत	22.00	21.00	22.00
5.	अजा/ अज जा की गुणवत्ता में स्तरोन्यन के लिए योजना	योजनागत	50.00	50.00	55.00
6.	ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां	योजनागत	85.00	85.00	85.00
7.	संस्कृत को छोड़कर अरबी, फारसी जैसी प्राचीन भाषाओं के अध्ययन में परंपरागत संस्थानों में शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए शोध छात्रवृत्ति	गैर-योजनागत	1.25	1.25	1.25
8,	अनुशंसित आवासीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्रवृत्तियां	गैर-योजना	218.00	220.00	222.00
9.	गैर-हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए हिन्दी में उत्तर-मैट्रिक अध्ययन हेतु छात्रवत्ति की सहायता अनुदान योजना	गैर-योजना	34.10	30.10	34.10
भाषाओं की प्रोन्नति					
1.	हिंदी के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	योजनागत	110.00	110.00	115.00
		गैर-योजनागत	50.00	50.00	52.50
2.	दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास	योजनागत	40.00	40.00	45.00
		गैर-योजनागत	50.00	50.00	50.00
3.	विदेशों में हिंदी का प्रसार	योजनागत	20.00	20.00	20.00
4.	केन्द्रीय हिंदी निदेशालय	योजनागत	60.00	53.75	65.00
		गैर-योजनागत	111.25	117.25	121.30
5.	हिंदी शिक्षण मडल, आगरा को अनुदान	योजनागत	50.00	36.00	55.00
		गैर-योजनागत	173.25	154.00	173.00
6.	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (कार्यशाला सहित)	योजनागत	15.00	14.00	16.00
		गैर-योजनागत	45.50	46.50	50.00
7.	गैर-हिंदी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण (सी एस एस स्कीम)	योजनागत	240.00	226.00	260.00
8.	हिंदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	योजनागत	05.00	—	05.00
9.	सिंधी भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन	योजनागत	04.00	04.00	04.00
10.	तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड/उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो	योजनागत	47.00	47.00	48.00
		गैर-योजनागत	40.50	41.00	42.00
11.	उर्दू के तरक्की के लिए स्थापित गुजराल समिति की सिफारिशों के कार्यन्वयन की जांच हेतु समिति	योजनागत	22.00	15.00	22.00
12.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर	योजनागत	55.00	47.00	47.00
		गैर-योजनागत	77.00	77.00	81.00
13.	क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	योजनागत	40.00	35.75	38.00
		गैर-योजनागत	130.50	111.00	133.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन	योजनागत	17.00	17.00	4.00
		गैर-योजनागत	10.00	10.00	10.00
15.	चिकित्सा संबंधी महत्वपूर्ण पुस्तकों के प्रकाशन हेतु एन बी टी को अनुदान	योजनागत गैर-योजनागत	पुस्तक प्रकाशन विभाग को स्थानांतरित		
16.	स्वैच्छिक संगठनों को निम्नलिखित भाषाओं में प्रकाशन निकालने हेतु सहायता				
	(1) हिंदी	योजनागत	20.00	10.00	20.00
	(2) क्षेत्रीय भाषाएं	योजनागत	20.00	20.00	22.00
	(3) अंग्रजी	योजनागत	4.00	4.40	4.00
	(4) सिंधी	योजनागत	2.00	0.75	3.00
	(5) स्वैच्छिक संगठनों को प्रकाशन निकालने को छोड़कर अन्य कार्यकलापों हेतु, सहायता	योजनागत	1.00	0.75	2.00
17.	स्वैच्छिक संगठनों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन निकालने को छोड़कर अन्य कार्यकलापों हेतु सहायता	योजनगता	2.00	2.00	4.00
18.	अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान और जिला अंग्रेजी केन्द्र को वित्तीय सहायता	योजनागत	35.00	35.00	40.00
19.	क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान-अग्रेंजी भाषा शिक्षण और संस्थान को वित्तीय सहायता	योजनागत	35.00	35.00	41.00
20.	सिंधी विकास बोर्ड की स्थापना	योजनागत	10.00	1.00	1.00
21.	एम. आई. एल शिक्षकों की नियुक्ति	योजनागत	20.00	कुछ नहीं	100.00
संस्कृत					
1.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अनुदान	योजनागत	60.00	60.00	152.00
2.	संसकृत के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	योजनागत	50.00	70.00	75.00
3.	आदर्श संस्कृत पाठशाला को अनुदान	योजनागत	7.00	7.00	—
4.	श्री लालबाहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	योजनागत	10.00	10.00	10.00
5.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति	योजनागत	10.00	10.00	10.00
6.	शास्त्रों का गूढ अध्ययन जारी रखने हेतु आदर्श संस्कृत पाठशालाओं और अन्य स्वैच्छिक संगठनों में प्रख्यात एवं वयोवृद्ध अध्येताओं का उपयोग	योजनागत	12.00	6.00	—
7.	प्राचीन भाषा (अरबी, फारसी) के लिए अनुदान/छात्रवृत्ति	योजनागत	12.00	18.00	14.00
8.	(क) संघशासित प्रदेशों में संविधान के बिना संस्कृत शिक्षा का विकास	योजनागत	1.00	1.00	—
	(ख) संघशासित प्रदेशों में संविधान के साथ संस्कृत शिक्षा का विकास	योजनागत	1.00	1.00	55.00
	(ग) राज्यों में संस्कृत शिक्षा का विकास	योजनागत	53.00	53.00	—
9.	संस्कृत साहित्य का प्रकाशन		8.00	15.50	—
	(क) संस्कृत की पुस्तकों का प्रकाशन	योजनागत			
	(ख) संस्कृत की पुस्तकों का क्रय	योजनागत	12.00	14.00	—
	(ग) संस्कृत की दुलर्भ पांडुलिपियों का प्रकाशन	योजनागत	3.00	3.00	—
10.	व्यावसायिक विषयों जैसे पैलयोग्राफी, पुरालेखन, प्रतिमा विज्ञान आदि में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए विशेष अनुस्थापन पाठयक्रम	योजनागत	3.00	3.00	—
11.	वैदिक निपठन के मोखिक परम्परा का संरक्षक	योजनागत	4.50	4.50	
12.	अखिल भारतीय इलोक्यूशन प्रतियोगिता	योजनागत	1.50	1.50	7.00
13.	अखिल भारतीय वैदिक परम्परा	योजनागत	3.00	3.00	
14.	वैदिक दान	योजनागत	18.00	18.00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	भारत विदया और शास्त्रीय भाषा में आन्तरिक विषयक अध्ययनों को प्रोन्नति	योजनागत	30.00	0.50	
16.	राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान को अनुदान	योजनागत	22.00	22.00	45.00
17.	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम	योजनागत	1.00	1.00	1.00
1.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अनुदान	योजनेत्तर	241.50	291.75	253.00
2.	संस्कृत के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	-वही-	25.00	25.00	25.00
3.	आदर्श संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान	-वही-	70.00	70.00	70.00
4.	श्रीलाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली।	-वही-	97.00	12.19	92.50
5.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	-वही-	69.00	54.50	70.00
6.	शास्त्रों के गहन अध्ययन के संरक्षण के लिए आदर्श संस्कृत पाठशालाओं और अन्य स्वैच्छिक संगठनों में विख्यात विशिष्ट अध्येताओं का प्रयोग	-वही-	6.00	6.00	6.00
7.	संस्कृत, अरबी और पारसी अध्येताओं को प्रतिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान करना	-वही-	24.00	24.00	26.50
8.	उत्तर-मैट्रिक, शास्त्री और आचार्य छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना।	-वही-	5.50	5.50	5.50
9.	परम्परागत पाठशालाओं के छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां प्रदान करना	-वही-	4.00	4.00	4.00
10.	डीक्कन कालेज, पूना	-वही-	20.00	20.00	20.00
अन्य सहयोगी गतिविधियां					
1.	प्रकाशन	योजनेत्तर	18.50	18.50	20.00
2.	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान	योजनागत	100.00	85.00	100.00
		योजनेत्तर	102.00	100.00	107.00
3.	शास्त्री भवन (सचिवालय) में मिनी संगणक टर्मिनल का स्थापन	योजनागत	5.00	5.00	5.00
4.	मंत्रालय (सचिवालय) में आयोजना अनुश्रवण एवं सांख्यिकी मशीनरी को सुदृढ़ बनाना	योजनागत	5.00	5.00	10.00
5.	राज्यों में शैक्षिक सांख्यिकों का संगणकीकरण	योजनागत	10.00	5.00	15.00
6.	शैक्षिक क्षेत्रों को सफेद प्रिंटिंग कागज को मुहैया करने के लिए आर्थिक सहायता	योजनेत्तर	2000.00	1000.00	—
7.	आनुषंगिक खर्चों के लिए नार्वे से उपहार कागज	योजनेत्तर	200.00	200.00	300.00
8.	नार्वे सरकार से उपहार कागज सहायता	योजनेत्तर	660.00	660.00	660.00
प्रौढ़ शिक्षा					
1.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता	योजनागत	4350.00	3200.00	2500.00
2.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	योजनागत	*	—	125.00
3.	उत्तर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा	-वही-	1350.00	820.00	1000.00
4.	प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाना	—वही—	600.00	600.00	500.00
5.	कार्यात्मक साक्षरता का सामूहिक कार्यक्रम	—वही—	600.00	685.00	500.00
6.	प्रोद्योगिकी प्रदर्शन	—वही—	200.00	200.00	100.00
7	स्वैच्छिक एजेंसियां	—वही—	1500.00	1200.00	1500.00
8.	श्रमिक विद्यापीठ	—वही—	*	—	100.00
9.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	—वही—	*	—	185.00
10.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	-वही—	100.00	25.00	10.00
11.	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम	*	—	5.00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
12.	विशेष परियोजना	—वही—	400.00	6000.00	5375.00
13.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	—वही—	*	—	100.00
1.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	योजनेत्तर	270.00	270.00	270.00
2.	साक्षरता हाउस, लखनऊ	योजनेत्तर	16.40	16.40	17.20
3.	श्रमिक विद्यापीठ	योजनेत्तर	107.90	107.90	113.30
4.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	योजनेत्तर	131.50	119.50	122.00
5.	प्रिंटिंग प्रैस	योजनेत्तर	3.20	3.20	3.50
6.	उत्तर साक्षरता	योजनेत्तर	29.00	29.00	30.00
तकनीकी शिक्षा					
1.	निर्देश एवं प्रशासन				
	राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना पद्धति (रा०त०ज सू०प्र०) डी-7 (2)	योजनागत	150.00	100.00	100.00
		योजनेत्तर	50.00	50.00	50.00
2.	रा०त०ज०स०प०, इसकी समितियों / बोर्डो डी 1(6) का पुनःसंगठन, पुनःसंरचना एवं सुदृढ़ करना	योजनागत	250.00	32.00	100.00
		योजनेत्तर	—	—	—
3.	गैर सामहिक एवं गैर आयोजित सेक्टरों डी 1 (5) के विद्यमान संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना एवं नए संस्थाओं की स्थापना करना	योजनागत	20.00	10.00	10.00
		योजनेत्तर	—	—	—
11. प्रशिक्षण					
4.	क्षेत्रीय इंजीनियरी*कालेज (आर० ई० सी० एस०) डी०6(2)	योजनागत	1900.00	1800.00	2400.00
		योजनेत्तर	2082.00	2082.00	2186.00
5.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण डी 2(5) एवं डी०2 (6)	योनागत	300.00	200.00	250.00
		योजनेत्तर	508	476.00	508.00
	6.केन्द्रीय संस्थाएं				
	— तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संसथान (त०शि०प्र०सं०) डी 2(1)	योजनागत	500.00	340.37	500.00
		योजनेत्तर	4381.80	422.40	490.70
	— राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (रा०अ०ई०प्र०सं०) डी० 2(2)	योजनागत	140.00	140.00	150.00
		योजनेत्तर	250.80	260.30	266.20
	-राष्ट्रीय ढलाई घर एवं भट्टी प्रौद्योगिकी (रा०ढ०घ०भ०प्रौ०) डी० 2(2)	योजनागत	150.00	100.00	100.00
		योजनेत्तर	100.75	105.00	117.60
	-आयोजना एवं वास्तुकला कूल (अ०या०व०)डी० 2(4)	योजनागत	250.00	250.00	250.00
		योजनेत्तर	157.90	161.00	180.00
III. अनुसंधान					
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भ०प्र०सं० (डी०6 (1) से डी० 6(1) (5)	योजनागत	1500.00	1535.00	1500.00
		योजनेत्तर	8859.00	9102.50	9576.30
8.	भारतीय प्रबंध संस्थान (भ०प्र०सं० (डी० 6 (4) (1) से डी० 6) (4) (4)	योजनागत	1150.00	1060.00	900.00
		योजनेत्तर	906.27	925.15	959.20
9.	स्नातकोत्तर पाठयक्रमों का विकास	योजनागत	100.00	100.00	110.00
		योजनेत्तर	360.00	360.00	400.00
10.	गैर विश्वविद्यालय केन्द्रों डी० 6(3) में प्रबंध शिक्षा पाठयक्रमों का विकास	योजनागत	50.00	20.00	30.00
		योजनेत्तर	10.00	—	9.85

*अन्य कार्यक्रम 500.00

—अन्य कार्यक्रम 382.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
11.	संसथागत नेट वर्क योजना डी० 7 (1) (1)	योजनागत योजनेत्तर	100.00 —	100.00 —	100.00 —
12.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के अन्तराष्ट्रीय केन्द्र (वि०प्र०शि०अ०के०) डी 3 (2)	योजनागत योजनेत्तर	10.00 —	0.10 —	1.00 —
13.	चुनिन्दा उच्च तकनीकी संस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास डी 3(4)	योजनागत योजनेत्तर	300.00 —	200.00 —	350.00 —
14.	समुदाय पालिटेक्निक डी 5(1)	योजनागत योजनेत्तर	200.00 165.00	200.00 165.00	200.00 165.00
15.	अप्रचन को समाप्त एवं आधुनिकी करण डी 6(5) (3)	योजनागत योजनेत्तर	3700.00 —	300.00 —	3300.00 —
16.	तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र	योजनागत योजनेत्तर	700.00 —	700.00 —	800.00 —
	(1) प्रौद्योगिकी के उन संगीन क्षेत्रों में जहां पिछड़ापन विद्यमान है, सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण डी० 6(5) (1)				
	(II) प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों में अव संरचना का सृजन डी 6(5) (2)	योजनागत योजनेत्तर	100.00 300.00	800.00 200.00	900.00 220.00
	(III) विशेष क्षेत्रों में नए कार्यक्रम और संशोधित प्रौद्योगिकी प्रदान करने वाले पाठयक्म डी 2(14)	योजनागत योजनेत्तर	700.00 —	700.00 —	800.00 —
17.	संस्था-उद्योग आन्तरिक कार्यवाही डी 6(11)	योजनात्तर योजनेत्तर	150.00 —	60.00 —	100.00 —
18.	सतत् शिक्षा	योजनागत योजनेत्तर	150.00 —	100.00 —	149.00 —
IV	अन्य योजनाएं				
19.	भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, असम डी 6(1) (6) एवं एफ 2(7) (3)	योजनागत योजनेत्तर	300.00 —	165.00 —	300.00 —
20.	लोंगवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान डी 7(9)	योजनागत योजनेत्तर	300.00 —	800.00 —	500.00 —
21.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाएं डी 4(1)	योजनागत योजनेत्तर	15.00 —	1800.00 —	2200.00 —
22.	शैक्षिक परामर्शदाता भारत लि० (शक्षा ओ० ई०एल० डी 7 (6) एवं ए० 1(1)	योजनागत योजनेत्तर	50.00 —	50.00 —	50.00 —
23.	सुपर कम्प्यूटर आई आई०एस०सी० बंगलौर—डी 4(2)	योजनागत	100.00	1500.00	2200.00
V	नई योजनाएं				
24.	राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड डी 1 (7)	योजनागत योजनेत्तर	10.00 —	2.00 —	15.00 —
25.	कर्मचारी विकास एवं प्रशिक्षण डी 2(15)	योजनागत योजनेत्तर	15.00 —	5.00 —	5.00 —
26.	प्रौद्योगिकी भविष्यवाणी डी 3(6)	योजनागत योजनेत्तर	10.00 —	2.00 —	5.00 —
27.	व्यावसायिक निकायों को सहायता डी 7(10)	योजनागत योजनेत्तर	15.00 —	4.00 —	5.00 —

1.	. 2.	3.	4.	5.	6.
28.	तकनीशियन शिक्षा को विश्व बैंक परियोजना सहायता डी 5(4) (1)	योजनागत योजनेत्तर	100.00 —	35.00 —	60.00 —
29.	परामर्शी / सम्मेलन / अध्ययन / सर्वेक्षण इत्यादि डी 7(11)	योजनागत योजनेत्तर	30.00 —	9.53 —	30.00 —
30.	क्षेत्रीय कार्यालय डी 1(1)—डी (3)	योजनेत्तर	44.90	44.00	46.40
31.	कोटि सुधार कार्यक्रम डी 2(7)	योजनेत्तर	180.00	180.00	190.00
32.	बाहर जाने वाले भारतीय विज्ञानिको को आंशिक वित्तीय सहायता डी 3(3)	योजनेत्तर	2.00	2.00	2.00
33.	भारतीय तकनीकी शिक्षा समदिय (भ॰त॰शि॰स॰ (डी 7(3)	योजनेत्तर	0.50	0.50	0.60
34.	ए॰आई॰टी॰, बैकांक 7(4)	योजनेत्तर	12.15	12.15	12.15
35.	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत शिष्टमंडल डी 7(8)	योजनेत्तर	1.00 —	1.00	—
36.	तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों वेतनमान में संशोधन / राज्य/ संस्थाओं के कालेजों को सहायता एफ 1(5) (2) एफ 6(11)	योजनेत्तर	850.00	739.00	300.00

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान
(1990—91)

उन निजी और स्वैच्छिक संगठनों के नाम जिन्हें वर्ष 1989-90 के दौरान एक लाख और इसके अधिक का आवर्ती सहायक अनुदान प्राप्त हुआ।

क्र॰सं॰	एजेंसी/संगठन का नाम और पता	संगठन के संक्षिप्त कार्यकलाप	वर्ष 1989-90 में सहायक अनुदान की राशि	जिस प्रयोजनार्थ अनुदान का उपयोग किया गया	कैफियत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	**गैर-औपचारिक शिक्षा**				
1.	भगवतुला चैरिटेबल न्यास येलामानचिल्ली-531055, जिला विशाखापट्नम, आंध्र प्रदेश	समाज कल्याण और शैक्षिक विकास	295500	100 गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र	
2.	रायलासीमा सेवा समिति नं, 9 ओल्ड हुजुर आफिस बिल्डिंग, तिरूपति, आंध्र प्रदेश	-वही-	293735	300	
3.	रायला सीमा सेवा समिति नं॰ 9, ओल्ड हजुर आफिस बिल्डिंग तिरूपति-517505 आंध्र प्रदेश	-वही-	518724	300	
4.	रायला सीमा सेवा समिति नं॰ 9, ओल्ड हजुर आफिस बिल्डिंग, तिरूपति-517501 आ॰प्र॰	-वही-	809934	500	
5.	ए॰पी॰ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन मिशन 1-69, क्रास रोड, पिलर-517214 जिला चित्तूर, आ॰प्र॰	-वही-	511800	100	
6.	ग्रामीण शिक्षा सोसायटी पुनगनुर-517 247 जिला चित्तूर, अ॰प्र॰	-वही-	255900	100	
7.	भारत के समेकित विकास के लिए सामाजिक कार्रवाई, संख्या 11, एस॰वी॰यू॰ कैम्पस (समीप रैड बिल्डिंग) तिरूपति-517502 आ॰प्र॰	-वही-	511800	100	
8.	पीपल्स एक्शन फार डिवेलपमेंट्स एक्शन, डोर नं॰ 4-95, राम नगर कालोनी, जिला चित्तूर-517 002 आन्ध्र प्रदेश	-वही-	511800	100	
9.	सोसायटी फार हैल्प एण्ड एक्शन फार रूरल पूअर, कोन्गोरेड्डी पालै, जिला चित्तूर, आ॰प्र॰	-वही-	132790	50	
10.	कालेक्टिव आर्डर फार रूरल रिकन्स्ट्रक्शन एजुकेशन 14-65/5, पैलेस रोड, कुप्पाम, चित्तूर-517425	-वही-	132790	50	
11.	भारत सेवा समिति, शुगर फैक्टरी एम्पलोयी कालोनी 75, डोड्डीपाल्ली चित्तूर	-वही-	255900	100	
12.	नव चेतना शैक्षिक अकादमी पोस्ट बाक्स नं॰ 77,II रोड, एस॰के॰डी॰ कालोनी, अदोनी-518 301	-वही-	255900	100	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	बार खेड़ी उनायन समिति गांव और पी०ओ० मुकलमुआ, देसाई नलबाड़ी असम	-वही-	265580	50	
14.	जमुनामुख अमतोल अहमदिया मदरसा समिति ग्राम और पी०ओ० जमुनामुख, जिला नौगांव असम	-वही-	284780	50	
15.	मोरीगांव महिला मोघिल, मोरी मुशीनो गांव, पी०ओ० मोरीगांव, जिला नौगांव, असम	-वही-	132790	50	
16.	यूनिवर्सल ब्रादरहूड एसोसिएशन, रंगालू, जुनारमुर जिला नौगांव असम	-वही-	214400	80	
17.	सम्पूर्ण ग्राम विकास पी०ओ० डबोघोरा जिला नलबाड़ी असम	-वही-	132790	50	
18.	उदाली रहमारिया मदरसा, डाकखाना उदाली बाजार जिला नौगांव असम	-वही-	142390	50	
19.	प्राकृतिक आरोग्य आश्रम राजगिर नालंदा बिहार	-वही-	132790	50	
20.	समन्वय आश्रम डाकखाना गोपाल खेडा, बोधगया, बिहार।	-वही-	132790	50	
21.	समन्वय आश्रम बोध गया, बिहार	-वही-	375290	प्रयोगात्मक परियोजना	
22.	बिहार दलित विकास समिति पटना समीप भुमेश्वरी राज कालेज, बाढ़ पटना	-वही-	275100	100	
23.	अन्तोदय लोक कार्यक्रम (आलोक) डाकखाना माझरिया किशुन, वाया जगदीश पुर, ब्लाक नौतान, जिला पश्चिम चम्पारन, बिहार-845 459	-वही-	145600		
24.	घोघारदिहा प्रखण्ड स्वराज्य विकास संघ, ग्राम और डाकखाना जागरपुर, वाया घोघारदिहा मधुबनी-847 402 बिहार	--वही-	255900	100	
25.	ग्राम स्वराज्य, आश्रम लोक यात्रा धाम घामोती, नालंदा, बिहार	-वही-	153800	30	
26.	वनवासी सेवा केन्द्र अघोरा जिला, रोहतास, बिहार	-वही-	550200	100	
27.	ग्राम स्वराज्य समिति बख्तियार साहिमपुर, पटना, बिहार	-वही-	132790	50	
28.	बिनोबा आरोग्य और लोक शिक्षा केन्द्र ग्राम जय, कृष्णा नगर डाकखाना बादया, इस्लामापुर, नालंदा, बिहार	-वही-	153540	60	
29.	नव भारत जागृति केन्द्र बेहारा डाकखाना बृंदाबन चम्पारन, हजारीबाग, बिहार	-वही-	153540	60	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
30.	सर्वोदय आश्रम पूर्णिया डाकखाना रामपत्रा, पूर्णिया, बिहार	-वही-	511800	100	
31.	अदिती 2/30, स्टेट बैंक कालौनी, बेटी रोड, मधुबनी	-वही-	511800	200	
32.	ग्राम निर्माण मण्डल सर्वोदय आश्रम शेखो देइओरा नवघा-805106 बिहार	-वही-	153540	60	
33.	आत्मा राजगिरी महिला सेवा खादीग्राम हवेली खडगपुर जिला मुंगेर-811 313 बिहार	-वही-	255900	100	
34.	दरभंगा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ बेटा रोड, डाकखाना लाहेरी सराय जिला दरभंगा, बिहार	-वही-	153540	60	
35.	गांधी सेवा आश्रम जलालपुर बाजार, सारून बिहार	-वही-	153540	60	
36.	सैंट ज़ेवियर हाई स्कूल पो बाक्स नं० 30, छायबासा-833 201 जिला सिंहभूम, बिहार	-वही-	255900	100	
37.	आनन्द निकेतन आश्रम ट्रस्ट, डाकखाना रंगपुर कावान्ट, जिला बडौदा 391 140	-वही-	411630	100	
38.	भावनगर महिला संघ पनवाड़ी चौक भाव नगर-364 001, गुजरात	-वही-	437008	100	
39.	ग्राम निर्माण केलवाणी मंडल धावातालुक वालिया, अंकलेश्वर, जिला भड़ौच, गुजरात	-वही-	119846	100	
40.	लाल भाई ग्रुप ग्रामीण विकास कोष अरविन्द मिल्स प्रीमिसिस, नारोदा रोड, अहमदाबाद-380025	-वही-	255900	100	
41.	लोक भारती ग्राम विद्यापीठ सनोसरा-364 230 जिला भावनगर गुजरात	-वही-	255900	100	
42.	लोक निकेतन रतनपुर, ता० पालनपुर जिला बानसकन्ठा, गुजरात	-वही-	255900	100	
43.	मानव सेवा मंडल न्यास, 5-ए अनुपमा सोसायटी, अमीन मार्ग, समीप नूतन नगर, राजकोट-360 001	-वही-	275100	100	
44.	नूतन भारती, ता० पालनपुर, डाकखाना मदाना गाध-385 519 जिला बानासकंठा गुजरात	-वही-	255900	100	
45.	सर्वेन्ट्स आफ दि पीपल सोसायटी 1225 देवनी शेरी, मान्दविनी पोल, अहमदाबाद-380001, गुजरात	-वही-	511800	200	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
46.	श्री पंचमहल केकवाणी मंडल कालोल जिला पंचमहल, गुजरात	-वही-	275100	100	
47.	श्री सरस्वतम मुमोरा, जिला-कच्छ, गुजरात	-वही-	255900	100	
48.	श्रीमती बी०के० बालजोशी शिक्षा न्यास 20, रतिश सोसायटी, कालोल-382721 जिला-मेहसाना, गुजरात	-वही-	275100	100	
49.	स्वराज आश्रम, बरदोली, जिला-सूरत, गुजरात	-वही-	454349	100	
50.	बनवासी सेवा परिषद्, विजाली ते० छोटानागपुर बड़ौदा जिला	-वही-	132790	50	
51.	अंजुमन-ए-तालिमी इदारा कोर्ट रोड, बड़ौच	-वही-	275100	100	
52.	गुजरात स्टेट कराइम प्रवेशनस ट्रस्ट द्वारा किशोर त्रिपाठी, 2, जोशीबाग अपार्टमेंट नजदीक नवरंग हाई स्कूल, सैंट एक्सविरस स्कूल रोड, अहमदाबाद-380014	-वही-	275100	100	
53.	श्रम कल्याण न्यास, गांधी मजूर सिवालय, भरदा अहमदाबाद-380017	-वही-	255900	100	
54.	अमर भारती मोती पावथी, वाया भईयाल, तालुका देहगम, जिला- अहमदाबाद-382308 गुजरात	-वही-	255900	100	
55.	नरोत्तम लालभाई ग्रामीण विकास कोष, आनन्द जी कल्याण जी ब्लाक्स, नजदीक असरवा रेलवे स्टेशन अहमदाबाद-380025	-वही-	132790	50	
56.	लक्की एज्युकेशन सोसाइटी, मेहम (रोहतक) हरियाणा	-वही-	519000	100	
57.	शिक्षा समिति, डी०ए०वी० ट्रेनिंग कालेज, शिव नगर, सोनीपत, हरियाणा	-वही-	153800	30	
58.	शिक्षा समिति, डी०ए०वी० ट्रेनिंग कालेज, शिव नगर, सोनीपत, हरियाणा	-वही-	480600	100	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
59.	विद्या महासभा कन्या गुरूकुल महाविद्यालय, खरखोदा, जिला-सोनीपत, हरियाणा	-वही-	961200	200	
60.	जनता कल्याण समिति, बस स्टैंड के पीछे, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, हरियाणा	-वही-	255900	100	
61.	हरियाणा स्टेट कोन्सल फार चाइल्ड वेलफेयर, बाल विकास भवन, 650, सैक्टर 16-डी चंडीगढ़-160016	-वही-	275100	100	
62.	ग्रामीण शिक्षा के जरिए समाज उत्थान संस्था, जगजीत नगर, वाया-जुब्बड, जिला-सोलन (हि०प्र०) पिन-173023	-वही-	255900	100	
63.	पिपल्स एक्शन फार पिपल्स इन नीड आंद्री, जिला-सिरमौर-173023 (हि०प्र०)	-वही-	255900	100	
64.	रूरल सेन्टर फार ह्यूमन इंटरस्ट, सिरमौर जिला, (हि०प्र०) 713101	-वही-	255900	100	
65.	राष्ट्रोधना परिषद, गांधीपुरम रोड, कैम्पेगोविया नगर, बैंगलोर-560019	-वही-	132790	50	
66.	कर्नाटक वेल्फेयर सोसाइटी, पो० बाक्स नं० 28, चिकबलपुर-562101	-वही-	275100	100	
67.	मोटेश्वरी शिक्षा सोसाइटी, कोचरड, जिला-उज्जैन (म०प्र०)	-वही-	265580	50	
68.	मध्य प्रदेश बाल कल्याण परिषद् होटल नं० 5, बी०एच०ई०एल०, टाउनशिप पिपलानी भोपाल-462021 (म०प्र०)	-वही-	275100	100	
69.	गायत्री शक्ति शिक्षण समाज कल्याण समिति, 1314, मिश्रा मारकिट, रांझी बस्ती, जब्बलपुर (म०प्र०)	-वही-	133050	25	
70.	ग्रामीण अपंग पुर्नवासन संस्था, खजु बउग, केडागान रोड, गांधीनगलाज, जिला-कोल्हापुर-416502 महाराष्ट्र	-वही-	120040	50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
71.	भारतीय शिक्षा संस्थान, जे०पी० नायक रोड, कोथर्ड, पुणे-411029 महाराष्ट्र	-वही-	303482	गैर-औपचारिक शिक्षा सैल	
72.	भारतीय शिक्षा संस्थान, 128/2, जे०पी० नायक पथ, आफ केरव रोड, कोथर्ड, पुणे-411029	-वही-	826000	प्रयोगात्मक परियोजना	
73.	प्रबंध और प्रशिक्षण अनुसंधान, संस्थान 20, शारदा आश्रम कालोनी, पैथनगेट, पी०बी० 87, औरंगाबाद-431001 महाराष्ट्र	-वही-	106133	50	.
74.	पारथ विद्या प्रसारक मंडल, अहमदाबाद	-वही-	132790	50	
75.	पुणे जिला शिक्षा एसोसिएशन, एस०आर० नं० 48 / आई०ए०, एरिदावन, पौड रोड, पुणे	-वही-	132790	50	
76.	संस्कृति संवर्धन मंडल शारदानगर, तह० बलोली, जिला- नान्देद-431731 महाराष्ट्र	-वही-	112445	50	
77.	सती माता शिक्षण संस्था, 11, वैंकटेश नगर, खेमला रोड, नागपुर-440025 महाराष्ट्र	-वही-	120040	50	
78.	श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल, 224, गणेश नगर, नागपुर	-वही-	120300	25	
79	श्रीं बालासाहेब मान शिक्षण प्रसारक मंडल, अम्बेस जिला- त० क्यू० हथकंगल, कोल्हापुर	-वही-	110099	50	
80.	शिव छत्रपति शिक्षण संस्था, लेतुर	-वही-	132790	50	
81.	योगेश्वरी शिक्षा सोसाइटी, अम्बाजोगी-431517 जिला—बेहड, महाराष्ट्र	-वही-	132790	50	
82.	यंग इंडियन्स, कार्यालय बिल्डंग सं० 10, डी०एन० नगर, अंधेरी (वैस्ट) बंबई-400058 महाराष्ट्र	-वही-	124194	25	
83.	(स्वर्गीय मोतीराम नायक शिक्षा सोसाइटी, विथला, त० क्यू० डीजपुर, यावतमल	-वही-	126675	25	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
84.	सेवा धाम ट्रस्ट, द्वारा मनोज क्लीनिक, 1148, सदाशिव पथ, पुणे	-वही-	132790	50	
85.	जवाहर लाल नेहरू शिक्षण प्रसारक मंडल, अन्नरधारी, टी० क्यू० मुखेद, जिला-नानदेद, महाराष्ट्र	-वही-	199575	75	
86.	रिदा, सगोलबंद, लाकरकपम, इम्फाल-795001 मणिपुर	-वही-	265580	50	
87.	मणिपुर वांगजिंग तेन्ता फारमर्स विकास संघ, पो०बा० नं० 6, इम्फाल-795001 मणिपुर	-वही-	132790	50	
88.	आचार्य हरिहर शिशु भवन, सत्यवादी, ए०टी० / पी०ओ० सखीगोपाल, जिला-पुरी उड़ीसा	-वही-	246282	100	
89.	अंचालिका कुंजेश्वरी सांस्कृतिक संसद, ए०टी० / पी०ओ० केनस, जिला-पुरी, उड़ीसा-752017	-वही-	103629	50	
90.	अंत्योदय चेतन केन्द्र, ए०टी० संकटपलई, पो० हैडघर, जिला-केयोझर, उड़ीसा-758023	-वही-	105559	50	
91.	अंत्योदय सेवा केन्द्र, ए०टी० रामचंद्रपुर, पो० पुरनबसंत, वाया नालिबर, जिला-कटक-754104 उड़ीसा	-वही-	202081	50	
92.	बागदेवी क्लब, मुकुंदपुर, पो०ओ० जैनपंका, वाया बौद्ध, जिला-फुलवानी, उड़ीसा	-वही-	133439	50	
93.	बनाबसी सेवा समिति, पो०ओ० बालीगुदा, जिला फुलवानी, उड़ीसा-762103	-वही-	113940	50	
94.	बंदेवी सेवा सदन, कविसूर्यनगर, जिला-गंजम, उड़ीसा-761104	-वही-	105634	50	
95.	बाबूजी पाथानगर डाकखाना सुखा, जिला बोलनगीर उड़ीसा।	-वही-	245630	50	
96.	भागवत पाथानगर सालेवली जिला बोलनगीर उड़ीसा	-वही-	235734	50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
97.	भैरवी कलब कुरूमपदा पोट हदापदा, वाया नारायणगढ़, जिला पुरी, उड़ीसा	-वही-	213932	50	
98.	विद्युत क्लब, हलदीपदा, पोस्ट बाजपुर जिला पुरी, उड़ीसा	-वही-	438912	100	
99.	बीनापानी जुवक संघ वाटपोन्दुगोन्दी, डाकखाना मोतियागढ़, जिला मयूरभंज, उड़ीसा	-वही-	117351	50	
100.	उत्थान और निम्न आय वर्ग केन्द्र (सी०यू०एल०आई०) चोकलत, जिला कटक-754422, उड़ीसा	-वही-	110298	50	
101.	युवा और समाज विकास केन्द्र, 65, सत्यानगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा-751007	-वही-	110162	100	
102.	कटक जिला आदिवासी हरिजन सेवा संस्कार योजना, छत्ता, डाकघर छत्रचकादा, जिला कटक-753101, उड़ीसा	-वही-	240080	50	
103.	धकोठा युवक संघ, डाकखाना धकोठा, जिला केइनझर, उड़ीसा-758049	-वही-	283231	100	
104.	फैलोशिप पुराना बाजार, भद्रक, जिला बालासोर,उड़ीसा-756100	-वही-	143268	50	
105.	गांधी सेवाश्रम, ईश्वरलाल शिशु भवन, डाकघर जलेश्वर, जिला बालासोर उड़ीसा	-वही-	148852	100	
106.	गानिया उन्नयन समिति, डाकघर गानिया जिला पुरी, उड़ीसा-752085	-वही-	235984	50	
107.	धुमुसरा महिला संगठन डाकखाना जी० उदयगिरि, जिला फुलबनी, उड़ीसा	-वही-	210684	100	
108.	गोपीनाथ जुवा संघ, अलीसीसासन, डाकखाना दरादा, वाया वालीपटना, जिला पुरी, उड़ीसा-752102	-वही-	214583	50	
109.	ग्राम मंगल पाठागर, डाकखाना सलेवाली, वाया जरासिंह, जिला बोलनगीर, उड़ीसा	-वही-	480600	100	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
110.	होइना लेवसोरी रिसर्च ट्रस्ट, पोस्ट वैग नं॰ 1, मुनीगुदा, जिला केरापुट, उड़ीसा।	-वही-	199776	100	
111.	इंडियन रूरल रिकन्स्ट्रक्शन एंड डिजास्टर रिपु॰ सर्विस, ओ॰ एफ॰ पी॰ रोड, गांधी नगर, राजगाडा, जिला कोरापुट (उड़ीसा) 765001	-वही-	177299	100	
112.	इंटरनेशनल इंडेसी प्रिय मूवमेंट वीदानसी (सोवानिया नगर) जिला कटक, उड़ीसा	-वही-	271130	50	
113.	जागराना, डाकखाना गुदारी जिला कोरापुट, उड़ीसा	-वही-	240300	100	
114.	जागृत श्रमिक संगठन, डाकखाना वारीयार-766107 जिला कालाहान्डी, उड़ीसा	-वही-	114295	50	
115.	जन कल्याण समाज गोदीवरी, डाकखाना चन्दाका, जिला पुरी, उड़ीसा	-वही-	281676	100	
116.	जयन्ती, पाथागार नुआपदा, जिला गंजम 761 011 उड़ीसा	-वही-	463632	100	
117.	जयंती, पाथागार शहपदा, डाकखाना ब्रह्मवारादा जिला कटक-755005 उड़ीसा	-वही-	417007	100	
18.	ज्योतिर्मय महिला समिति, वादागांव, केन्द्रपदा जिला कटक, उड़ीसा	-वही-	231820	100	
19.	मंडल पोखारी जुवक संघ पोस्ट मंदारी वाया बासूदेवपुर जिला बालासोरं, उड़ीसा	-वही-	229059	50	
20.	नवज्योति डाकखाना गरूदगन-वाया कटशाही जिला कटक, उड़ीसा-754002	-वही-	183030	50	
21.	नेताजी, युवक संघ वसिपोखारी, डाकखाना परमानंदपुर वाया अखूपदा, जिला बालासोर-756122 उड़ीसा	-वही-	244903	50	
2.	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, बेनोगाँव (कनात), जिला पुरी-752017, उड़ीसा	-वही-	418122	100	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
123.	ओल्ड राऊरकेला एजूकेशन सोसाइटी वालीजोदी, डाकखाना राऊरकेला जिला सुंदरगढ़-769016 उड़ीसा	-वही-	428830	100	
124.	पल्ली मंगल जुवक संघ नयापल्ली, डाकखाना देयूली कंवचकुली, जिला पुरी, उड़ीसा	-वही-	245228	50	
125.	पल्लीश्री डाकखाना घातीपुर, वाया बांकी जिला कटक उड़ीसा	-वही-	205469	50	
126.	पीपल इन्स्ट० फार पार्टीसीपेटरी एक्ट० रिसर्च, डाकखाना महीमागद्दी, जिला धेनकानाल, उड़ीसा-759014	-वही-	340996	100	
127.	प्रगति पाठागार वेलागुंथा, जिला गंजम, उड़ीसा-761119	-वही-	127396	50	
128.	राधानाथ पाठागार डाकखाना सोरो, जिला बालासौर, उड़ीसा-756045	-वही-	240719	50	
129.	रामजी युवक संघ, डाकखाना सादीयापली जिला बोलनगीर, उड़ीसा-767065	-वही-	479610	100	
130.	रूरल डवलपमैंट सोसाइटी कलिंगा, डाकघर केश्वी० दान्दा, वाया महाकल्चारा, जिला कटक, उड़ीसा।	-वही-	240300	100	
131.	रूरल एजूकेशन एण्ड एशन फार चेंज जगनारा, खानदागिरी, भुवनेश्वर, उड़ीसा-751030	-वही-	128005	100	
132.	रूरल वूमैन डवलपमेंट सर्विस सैन्टर डाकखाना खालारी, वाया एंगुल, जिला धेन्कानाल, उड़ीसा-759001	-वही-	240078	50	
133.	सामाजिक सेवा सदन, गांव भन्जीकुसुम, डाकखाना महीसापट, जिला धेन्कानाल, उड़ीसा।	-वही-	275100	100	
134.	सर्वोदय समिति-गान्धी नगर, जिला कोरापुट-764020, उड़ीसा	-वही-	240080	50	
135.	सोसाइटी फार डवलपमैंट एक्शन, डाकखाना कुलियाना, जिला मयूरगंज, उड़ीसा-757030	-वही-	166556	100	
136.	सोसाइटी फार हैल्थ एजूकेशन एण्ड डवलपमैंट, कालेज रोड़, रायगढ़, जिला कोरापुट, उड़ीसा-76500।	-वही-	307725	100	
137.	श्री सत्य साई सेवा समिति, डाकखाना देवभुषनपुर, वाया बलीशंकर, जिला सुन्दरगढ़-770015 उड़ीसा	-वही-	243434	50	
138.	श्री शारदेश्वरी पाठागर खरदा, डाकखाना तुरा जिला बालीनगीर, उड़ीसा-767030	-वही-	128740	50	
139.	सुभद्र महताब सेवा सदन डाकखाना जी० उदयगिरी जिला फुलबनी, उड़ीसा	-वही-	237363	100	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
140.	स्वामी विवेकानन्द इन्स्टी० आफ सोशल वर्क एण्ड एलाइड सर्विस खारियार रोड, जिला कालाहान्डी-766104, उड़ीसा	-वही-	294300	100	
141.	बैगोर सोसायटी फार रूरल डवलपमैंट	-वही-	248597	100	
142.	टेगौर सोसाइटी फार रूरल डवलपमैंट 101, वाबूजी नगर, भुवनेश्वर-751009, उड़ीसा	-वही-	253131	100	
143.	टैगोर सोसाइटी फार रूरल डवलपमैंट	-वही-	255900	100	
144.	उत्कल नवजीवन मण्डल, डाकखाना एंगुल, जिला धेनकानाल, उड़ीसा	-वही-	423292	100	
145.	उत्कलमनी सेवा संघ, डाकखाना बदसीरायपुर जिला पुरी, उड़ीसा।	-वही-	117140	50	
146.	विवेकानन्द वल्ली अग्रगामी सेवा प्रतिष्ठान, कलहीपली, गोछारा, जिला सम्बलपुर-768222 उड़ीसा	-वही-	475140	50	
147.	नारी शक्ति समाज, कुजी महल, डाकखाना चन्दाका जिला पुरी उड़ीसा-754015	-वही-	132790	50	
148.	अग्रगामी डाकखाना काशीपुर जिला कोरापुट उड़ीसा-765015	-वही-	195409 392921	100	
149.	अग्रगामी डाकखाना काशीपुर जिला कोरापुट उड़ीसा-765015	-वही-	118500	प्रयोगात्मक परियोजना	
150.	सोसाइटी फोर हयूमन रिसोर्स एण्ड इकोनोमिक डवलपमैंट, रूनदीमहल, जिला फुलबनी उड़ीसा।	-वही-	163752	100	
151.	बाबानी, शंकर क्लब गंगपुर, डाकखाना सिमोर, जिला पुरी उड़ीसा	-वही-	371345	100	
152.	नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ सोशल बैंक एण्ड सोशल साइन्स, सूर्य नगर, भुवनेश्वर-751003 उड़ीसा	-वही-	550200	100	
153.	लुथेरन महिला समिति डाकखाना पाटलीपंक, वाया कुजंग, जिला कटक, उड़ीसा	-वही-	142390	50	
154.	यूथ एसोसिएशन फार रूरल रिकन्स्ट्रक्शन डाकखाना बोइन्दा, जिला धेन्कानाल उड़ीसा -759127	-वही-	109004	50	
155.	धर्मानन्दन युवेक संघ, सिकीपानी डाकखाना धरूआधोही जिला सुन्दरगढ़ उड़ीसा	-वही-	132790	50	
156.	समन्वित ग्राम्स' उन्नयन समिति, डाकखाना जी० उदयगिरी, जिला फूलबनी उड़ीसा	-वही-	142290	50	
157.	लोक नायक क्लब डाकखाना, पाटापुर, बांकी जिला कटक, उड़ीसा-754008	100			
158.	बालसिकेशवर जुबक संघ	-वही-	106084	50	
159.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षा संघ, अजमेर ई०वी०आई० शास्त्री नगर एक्टेन्शन विद्युत मार्ग, अजमेर-305006 राजस्थान	-वही-	325013	100	
160.	भीलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ 8/199 सिंघु नगर भीलवाड़ा-311001 राजस्थान	-वही-	255900	100	
161.	मोरूका चेरिटेबल ट्रस्ट डाकखाना भोगाग्राम (नांगल)कलां) जिला चुरू, राजस्थान	-वही-	463803	100	
162.	गान्धी बिद्या मन्दिर सरदाशर राजस्थान	-वही-	330677	100	
163.	जोधपुर प्रौढ़ शिक्षा संघ, गान्धी भवन रेजिडेन्सी रोड़ जोधपुर, राजस्थान	-वही-	240236	100	
164.	लोक शिक्षण संस्थान, बी०-87, गनगोरी बाजार, जोधपुर, राजस्थान।	-वही-	132790	50	
165.	राजस्थान विद्यापीठ लोक शिक्षण परिषद प्रताप नगर, उदयपुर-3133001 राजस्थान	-वही-	128450	50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	सेवा मन्दिर उदयपुर, राजस्थान	-वही-	255900	100	
167.	विवेकानन्द ज्ञान विकास शिक्षा समिति रूपा रामपुरा टोंक फाटक, जयपुर	-वही-	186825	50	
168.	बोध शिक्षा समिति जयपुर	-वही-	371748 प्रयोगात्मक परियोजना		
169.	राजस्थान महिला विद्यालय ज्ञान मार्ग, गुलाबबाग के नजदीक, उदयपुर-31300	-वही-	255900	100	
170.	जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ, 13, झालाबाड़ रोड, कोटा, राजस्थान	-वही-	275100	100	
171.	वूमेन्स वालंन्टियर सर्विस आफ तमिलनाडु 19, ईस्ट सुपर टैंक रोड, चेतपुट मद्रास-600031	-वही-	275100	100	
172.	सिस्टर्स आफ दी क्रास सोसाइटी फार एजूकेशन डेवलपमैंट, त्रिचरापल्ली-620001	-वही-	132790	50	
173.	अर्नाद बेल्लार संगम, 1-2, सत्रथी स्ट्रीट, तिरूबननाइकली त्रिची-620005	-वही-	255900	100	
174.	कृष्णामूर्थी फाउन्डेशन इण्डिया 64/65 ग्रीनबेज रोड, मद्रास-600028 तमिलनाडु	-वही-	305957 प्रयोगात्मक परियोजना		
175.	वूमेंन्स इन्डियन एसोसिएशन 43, ग्रीनवेज रोड, मद्रास-600028	-वही-	132790	50	
176.	मधार नाला मन्दारम बी० बाडुयगपलायम वन्दीपलोयन, डाकखाना कुदालोर साउथ आरकोट-607004	-वही-	275100	100	
177.	लीग फार एजूकेशन एण्ड डवलपमैंट 680, साथीयवानी मुथु एस०टी०के० के नगर, त्रिचुरापल्ली-620021	-वही-	132790	50	
178.	आदर्श जनता शिक्षण समिति ग्राम तथा डाकखाना पिन्दी तहसील करघना इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	-वही-	445800	100	
179.	अमेठी महिला स्वैच्छिक समिति अमेठी, सुल्तानपुर	-वही-	110925	25	
180.	बनवासी सेवा आश्रम बोबिन्दपुर (वाया तुरा) सोनभद्रा, उ०प्र०	-वही-	982600	400	
181.	बनवासी सेवा आश्रम गोविन्दपुर वाया तुरा जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	-वही-	191767	100	
182.	लोक विकास संस्थान 49, महात्मा गान्धी मार्ग, इलाहाबाद-211001 उ०प्र०	-वही-	400210	100	
183.	म्याना ग्रामोद्योग सेवा संस्थान म्याना, एच०ओ० हास्पिटल रोड, खुर्जा, उ०प्र०	-वही-	219584	100	
184.	सामाजिक एवम आर्थिक विकास संस्थान सी-2116, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उ०प्र०	-वही-	213935	100	
185.	सर्वोदय शिक्षा सदन समिति रेलवे स्टेशन रोड, शिकोहाबाद (मैनपुरी) उ०प्र०	-वही-	240080	50	
186.	युवक मंगल दल राजेपुई, 274, आवात विकास कालोनी जिला उन्नाव, उप्रत्तर देश	-वही-	132790	50	

159

1.	2.	3.	4.	5.	6.
187.	उ०प्र० राना बेनी माधव जन कल्याण समिति, बुलाब रोड, रायबरेली उ०प्र०	-वही-	255900	100	
188.	जनजाति विकास समिति, रेलवे स्टेशन रोड, राबर्टगंज, मिर्जापुर उ०प्र०	-वही-	132790	50	
189.	लिटरेसी हाऊस डाकखाना आलम बाग लखनऊ-226005 उ०प्र०	-वही-	923035	400	
190.	समाजोत्थान एवं शिक्षा प्रचारिका संस्थान, दरबेशपुर, मवाना, मेरठ	-वही-	133050	25	
191.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र 261/4, सलीक गंज रोड मुट्ठीगंज, इलाहाबाद	-वही-	133050	25	
192.	निर्बल वर्ग उत्थान समिति, कोशलपुरी (कौशलपुरी) सरता, जिला उन्नाव उ०प्र०	-वही-	133050	25	
193.	अपट्रोन	-वही-	750000	प्रयोगात्मक परियोजना	
194.	अखिल भारतीय बालक देखभाल और विकास सोसाइटी, आजमगढ़, उ०प्र०	-वही-	511800	100	
195.	जगदम्बा बाल विद्या मन्दिर, सुल्तानगढ़, फतेहपुर, उ०प्र०	-वही-	133050	25	
196.	बुद्धिस्तव बाल शिक्षा समिति, छीतबा पाजवा, लखनऊ, उ०प्र०	-वही-	132790	50	
197.	तिलक शैक्षिक समिति, 68-ए, तिलक नगर, बम्बारी रोड, इलाहाबाद, उ०प्र०	-वही-	133050	25	
198.	आदर्श सेवा समिति, 326/1, साकेत कालोनी, स्ट्रीट नं० 6, मुजफर नगर, उ०प्र०	-वही-	132790	50	
199.	बंगाल सोशल सर्विस लीग 1/6, राजा दीनेन्द्र स्ट्रीट कलकत्ता-700009 पश्चिम बंगाल	-वही-	456288	100	
200.	कलकत्ता अर्बन सर्विस कन्सोरटीयम 16, सुदर स्ट्रीट, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	-वही-	275100	100	
201.	समताल संस्था 172, रास बिहारी एवेन्यु, फ्लैट न० 302, कलकत्ता-700029 पश्चिम बंगाल	-वही-	132790	50	
202.	टैगोर सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट 14, खुदीराम बोस रोड, कलकत्ता-6, पश्चिम बंगाल	-वही-	132790	50	
203.	श्री राम कृष्ण सत्यानंद आश्रम ग्राम जीरावपुर, डाकघर-बसीरहाट रेडवे सलाहाई, जिला 24 परगनास (उत्तर), पश्चिम बंगाल	-वही-	825300	300	
204.	सिधु कन्हु ग्राम उन्नयन समिति डाकघर तथा गांव पहारहाटी जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल	-वही-	406440	प्रयोगात्मक परियोजना	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
205.	इस्टी॰ आफ साईक्लेजिकल एण्ड एजू॰ रिसर्च 27, सर्कस एवेन्यू, कलकत्ता पश्चिम बंगाल	-वही-	201445	-वही-	
206.	राम कृष्ण मिशन लोक शिक्षा परिषद, डाकघर नरेन्द्रपुर 24 परगना पश्चिम बंगाल	-वही-	1424200	-वही-	
207.	विलेज वेलफेयर सोसायटी डाकघर पंचरूल हावड़ा	-वही-	132790	50	
208.	अखिल भारतीय समाजोत्थान समिति ए-3 / 51, एल॰आई॰जी॰ रोहिणी सेक्टर VII, नई दिल्ली-110034	-वही-	480600	100	
209.	पी॰एच॰डी॰ रूरल डबलपमेंट पी॰एच॰डी॰ हाऊस थापर फ्लोर एशियाई खेल गांव के सामने, नई दिल्ली-110016	-वही-	188935	100	
210.	रवि भारती शिक्षण समिति, 472, भोला नाथ नगर, शाहदरा, नई दिल्ली-110032	-वही-	465600	100	
211.	पीपल्स इंस्टीट्यूट फार डेबलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग 4-ए, शाहपुर जट नई दिल्ली-110016	-वही-	703800	200	
212.	नेहरु बाल समिति ई॰ 63, साउथ एक्सटेन्शन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049	-वही-	122790	50	
213.	लेडी इर्विन कालेज, सिकन्दरा रोड, नई दिल्ली	-वही-	164000	प्रयोगात्मक परियोजना	
214.	बिहार सेतु, नई दिल्ली	-वही-	22650	-वही-	
215.	आर॰ के॰ मिशन लोक शिक्षा परिषद, नरेन्द्ररपुर (पश्चिम बंगाल)	-वही-	1424200	-वही-	
216.	इन्डिया लिटरेसी बोर्ड, लखनऊ	वही-	923033	-वही-	
217.	एकलव्य, भोपाल	-वही-	560558	-वही-	
218.	इंस्टीट्यूट आफ साइक्लोजिकल एण्ड एजूकेशनल रिसर्च	-वही-	201445	-वही-	
219.	सोसाइटी फार एजूकेशनल इम्प्रूमेन्ट एण्ड इन्नोवेशन, पूणे।	-वही-	201445	-वही-	
220.	एन॰ आई॰ ई॰ पी॰ ए॰	521174	-वही-		
221.	आलोक, मझीरा किसुम, बिहार	211000	-वही-		

1 / 04 / 90 से 31 / 03 / 91 की अवधि के दौरान निजी संस्थाओं / संगठनों / वैयक्तियों को संस्वीकृति सहायक अनुदान जहां कुल मुक्त किया गया अनुदान (आवर्ती) = 25,000 अथवा कुल मुक्त किया गया अनुदान (अनावर्ती) = 75,000 हों, को दर्शानें वाला विवरण

मंत्रालय:— मानव संसाधन विकास मंत्रालय

विभाग:— शिक्षा विभाग

क्रम० सं०	एजेन्सी / संगठन का पते सहित नाम	संगठन के संक्षिप्त कार्यकलाप	1990-91 में सहायक अनुदान राशि	किस प्रयोजनार्थ अनुदान प्रयुक्त हुआ	कैफियत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II	प्रौढ़ शिक्षा	सभी स्वैच्छिक एजेंसियां निम्नलिखित कार्यकलापों में से किसी एक अथवा अन्य में लगी हुई हैं: 1. बालबाड़ी / आंगनबाड़ी चलाना 2. स्कूल / कालेज को चलाना 3. आई० सी० डी० एस० केन्द्र को चलाना 4. बच्चों के टीकाकरण 5. टेलरिंग पाठ्यक्रमों को चलाना 6. टंकण / तकनीकी संस्थानों को चलाना			
1.	श्री वीरा ब्राह्मम् शैक्षिक सोसायटी, गोरान टोला पोस्ट, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश-515231	-वही- कुल	48,2329 70,000 1,11,239	प्रो०शि०के ज०शि०नि०	
2.	सेवा मन्दिर, हिन्दुपुर, जिला अनन्तपुर आन्ध्र प्रदेश-515212	-वही- कुल	2,80,227 5,13,288 7,93,515	प्रो०शि०के ज०शि०नि०	
3.	रायलसीमा सेवा समिति नं० 9 ओल्ड हुजूर बिल्डिंग तिरूपति-517501, जिला चित्तूर ए०पी०	-वही- कुल	2,81,227 2,81,227	प्रो०शि०के०	
4.	डाउनट्रोन एण्ड कम्युनिटी डवलपमेंट सोसाइटी, 13 / 73-सी, चित्तूर रोड़, रायाचोटी, कूद्दापेह-516269 आन्ध्र प्रदेश	-वही-	3,08,400	प्रौ०शि०के०	
5.	असिस्ट इन्डिया, 33 / 379, अद्दा रोड़, चिलकलूरीपेट, गुन्टूर जिला-522616, आन्ध्र प्रदेश	-वही-	1,80,000	प्रौ०शि०के०	
6.	ग्राम नव निर्माण समिति, गृह सं० 4-2 / ए, इन्दिरा नगर, हुजुराबाद-505468, करीमनगर, जिला आन्ध्र प्रदेश	-वही-	94,512 35,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	ग्रामोन्नत महिला संगम, गृह सं० 12-14, नक्रेकाल, नालगोन्डा, जिला, आन्ध्र प्रदेश-508211.	-वही-		1,20,600	प्रौ०शि०के०
8.	रूरल एन्टाइटलमैन्ट एण्ड लीगल सपोर्ट सेन्टर, घर्म लक्ष्मीपुरम, कोरासवदा (एस०ओ०), श्रीकाकुलम जिला (आन्ध्र प्रदेश)	-वही-		1,17,012	प्रौ०शि०के०
9.	नेताजी युवा संघ, वाटापागु, फलाकोन्दा मण्डलम, श्रीकाकुलम जिला, आन्ध्र प्रदेश-532440	-वही-		1,80,000	प्रौ०शि०के०
10.	महिला मण्डली, राजम, श्रीकाकुलम जिला-532127 आन्ध्र प्रदेश	-वही-		1,80,000	प्रौ०शि०के०
11.	चैतन्य यूथक्लब, मुलुग, कृष्णा कालोनी-506343 वारंगल जिला, आन्ध्र प्रदेश	-वही-		90,000 31,500	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
12.	गुड समारिटन्स रूरल, डेवलपमेंन्ट सोसाइटी छायामपेटा, साउथ केबिन लाइन, नीदादावोली, आन्ध्र प्रदेश-534301	-वही- कुल		94,512 35,000 1,29,512	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
13.	क्रम्प्रीहैन्सिव रूरल आपरेशन्स सर्विस सोसाइटी (क्रास), 1-69, स्नेहपुरी नचराम, हैदराबाद-501507 (आन्ध्र प्रदेश)	-वही- कुल		3,02,357 2,62,500 5,64,857	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
14.	आन्ध्र महिला सभा कालेज कैम्पस, यूनिवर्सिटी रोड, हैदराबाद-500007.	-वही- कुल		6,34,080 1,05,000 8,89,480	प्रौ०शि०के० ज०शि०न०
15.	अकादमी आफ रूरल डेवलपमेंट एण्ड रिर्सच, गुडावली पोस्ट, वाया रनागला चेरूकुपल्ली मण्डल, गुन्टूर जिला, आन्ध्र प्रदेश-522259.	-वही- कुल		1,27,500 1,27,500	प्रौ०शि०के०
16.	अलग झारी तरूण संघ, विलेज अलगझारी, डाकखाना राजघाट, वाया मंगलदाई, दारंग जिला, आसाम-784125	-वही-		1,36,300	प्रौ०शि०के०
17.	पापुलर प्रोग्रेसिव यूनिट, हलकुरा, डाकखाना हालाकुरा, (महामायहात) जिला धुबरी, आसाम, पिन-783335.	-वही-		1,20,041	प्रौ०शि०के०

1.	2.	3.	4.	5.	6.
18.	बैकाइतारी महिला समिति, डाकखाना बैकातिरी, जिला गोलपाड़ा, आसाम-783125	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
19.	आसाम चाह मजदूर मल्टीपरपस सोशल एजूकेशन एसोसिएशन रंगलू, टी०ई० डाकखाना रंगजान, वाया टीटाबार, जिला जोरहाट, आसाम-785630.	-वही-		1,62,600	प्रौ०शि०के०
20.	ग्राम स्वराज परिषद् ग्राम तथा डाकखाना रंगिया जिला कामरूप, आसाम	-वही-		10,24,431	टी एल टी
21.	धनुग्राम महिला समिति, डाकखाना नीलम बाजार, साउथ करीमगंज डेव. ब्लाक, जिला करीमगंज, आसाम-788722	-वही-		1,80,000	प्रौ.शि.के.
22.	दारूस सलाम हाफीजी-ओ-करीयाना इस्लामिक मदरसा कमेटी, विलेज इराबारी (समधारा), डाकखाना दागांव, ज़िला नवगांव (असम)-782002	-वही-		1,26,293	प्रौ.शि.के.
23.	जनजाति समाज कल्याण आश्रम, बरुआखाट (कालेज रोड), डाकखाना बरमा, जिला नालबारी, (आसाम)-781346.	-वही-		1,89,024	प्रौ.शि.के.
		कुल		1,89,024	
24.	बरखेत्री उन्नयन समिति, मुकुलमुआ, डाकखाना मुकुलमुआ, जिला नालबारी, असम-781126.	-वही-		6,00,000	टी एल सी
25.	शान्ति साधना आश्रम, डाकखाना बेल्टोला, "शान्तिवन बसीस्था," गुवाहाटी-28, असम-781028.	-वही-		5,00,000	डब्ल्यू एस
26.	मोरीगांव महिला महफिल, डाकखाना मोरीगांव, जिला मोरीगांव, असम-782105.	-वही-		19,50,000	टी एल सी
27.	दि चेरिटेबल एसोसिएशन फार रूरल एजूकेशन एण्ड डवलपमैन्ट, डाकखाना-बैतियाह, पश्चिम चम्पारन जिला, बिहार-845438.	-वही-		5,00,000	प्रौ.शि.के.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
28.	महिला शिशु कल्याण संस्थान एवम् हस्तशिल्प कला प्रशिक्षण केन्द्र, ग्राम मनीछापर, डाकखाना-हथुआ, गोपालगंज जिला, बिहार-841436.	-वही-		19,00,000	टी एल सी
29.	नव भारत जागृति केन्द्र, ग्रामः बहेरा, डाकखाना वृन्दावन, जिला हजारी बाग, बिहार-825406.	-वही-		68,400 1,26,000 6,00,000	प्रौ.शि.के. ज.शि.नि. टी एल सी
30.	मिथिला ललित शोध संस्थान, डाकघर बछापुरी (सौरथ), ब्लाक-राहीका, जिला मधुबनी, बिहार-877211	-वही-		1,27,500	प्रौ.शि.के.
31.	घोघरदीहा प्रखण्ड स्वराज विकास संघ, ग्राम तथा डाकखाना जगतपुर, वाया घोघरदीहा, जिला मधुबनी, बिहार-847402.	-वही-		1,20,600	प्रौ.शि.के.
32.	श्रम भारती खादीग्राम, डाकखाना खादीग्राम, जिला मुंगेर, बिहार-811313.	-वही-		3,20,000	प्रौ.शि.के
33.	भारतीय जन उत्थान परिषद कमरूदीनगंज, बिहार शरीफ, नालन्दा (बिहार)-803001.	-वही-		1,80,000	प्रौ.शि.के.
34.	जन जागरण संस्थान, कागजी मोहल्ला डाकखाना मुगल कुआं, ब्लाक बिहार शरीफ, नालन्दा जिला, बिहार-803101	-वही-		1,80,000	प्रौ.शि.के
35.	समाज कल्याण मण्डल (बिहार), कालिया चक, डाकखाना केशोपुर, जिला नालन्दा, बिहार-801302.	-वही-		14,50,000	टी एल सी
36.	भारतीय कला मन्दिर, मोहल्ला नवाटोली, डाल्टनगंज-822101, जिला पलामू, बिहार।	-वही-		1,80,000	प्रौ.शि.के.
37.	बिहार दलित विकास समिति डाकखाना बाढ़, जिला पटना, बिहार-803213.	-वही-		1,57,000	प्रौ.शि.के.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
38.	जेवियर इन्स्टीट्यूट आफ सोशल सर्विस, पुरूलिया रोड, डाकखाना बाक्स न॰-7, दत्त रमेही-834001 बिहार।	-वही-		5,390 2,69,250	प्रौ.शि.के. डी॰आर॰यू॰
39.	निर्मली प्रखण्ड स्वराज्य सभा, डाकखाना भाप्तीयाही, जिला सहरसा, बिहार-852105.	-वही-		9,50,000	टी एल सी
40.	जे.पी. सराइसा सेवाश्रम, कोइया चौक, डाकखाना जोरपुरा, जिला-समस्तीपुर (बिहार)-848504.	-वही-		11,00,000	टी एल सी
41.	शिक्षा एवम् कला सर्वांगीण विकास राष्ट्रीय संस्थान, ग्राम तथा डाकखाना इश्मेला, जिला सरन, बिहार, पिन-841207	-वही-		1,27,500	प्रौ.शि.के.
42.	आल्टरनेटिव फार इन्डिया डेवलपमैंट फर्स्ट क्रास स्ट्रीट, 4 कस्टम्स कालोनी, बेसेन्ट नगर, मद्रास (तमिलनाडु)-60090.	-वही- कुल		9,00,000 3,15,000 12,15,000	प्रौ.शि.के. ज.शि.नि.
43.	जेवियर्स चाईबासा, सेन्ट जैवियर्स हाई स्कूल, पोस्ट बाक्स न॰-10, चाईबासा-833201, सिंहभूम जिला, बिहार	-वही-		3,20,000	प्रौ॰शि॰के॰
44.	लोक भारती (बिहार) आदर्श नगर, रघुनाथ पथ, सीतामढ़ी जिला, बिहार।	-वही-		15,90,000	टी एल सी
45.	इन्डियन सोसाइटी फोर कम्यूनिटी एजूकेशन, मार्फत गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद-380001.	-वही-	 कुल	94,512 42,000 1,36,512	प्रौ.शि.के. ज.शि.नि.
46.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380001,	-वही-		32,55,000	ज.शि.नि
47.	गुजरात स्टेट क्राइम प्रिवेन्शन ट्रस्ट, आशीर्वाद, 9/बी, केशव नगर सोसाइटी, सुभाष पुल के समीप, अहमदाबाद-380027.	-वही- कुल		6,30,00 4,23,000 10,53,000	प्रौ.शि.के. डी आर यू
48.	नूतन भारती, डाकखाना मदनगढ़-385519, तालुक पालनपुर, जिला बनासकण्ठा, गुजरात।	-वही-		3,20,000	प्रौ.शि.के

1.	2.	3.	4.	5.	6.
49.	अंजुमन तालीम-ए-इदारा, कोर्ट रोड, लाल बाजार, भड़ौच-392001.	-वही-		2,81,227	प्रौ.शि.के.
49.	इंस्टीट्यूट फार रूरल टेक्नोलोजी, एस. रीवर व्यू, आफिस स्ट्रीट, भड़ौच-392001.	-वही-		1,26,350	प्रौ.शि.के.
50.	शिवशक्ति केलवनी मण्डल, 40, हरीकृष्णा सोसाइटी, डकोर-338225, तालुक थासरा, जिला खादा, गुजरात।	-वही-		1,26,350	प्रौ.शि.के.
51.	आनन्द तालुका युवक मण्डल एसोसिएशन, लक्ष्मी निवास, 25 अजन्ता सोसाइटी, आनन्द-388001, जिला खेदा।	-वही-		8,15,320 1,05,000	प्रौ.शि.के. ज.शि.नि.
		कुल		9,20,320	
52.	थासरा तालुक युवक मण्डल एसोसिएशन, डाकोर, थासरा तालुक जिला खेदा, पिन-388230	-वही-		4,84,514 38,892	प्रौ.शि.के. ज.शि.नि.
		कुल		5,23,406	
53.	श्री सामी तालुका सेवा संघ, मार्फत वहोरे बिल्डिग विद्यापीठ आश्रम, डाकखाना सामी, जिला मेहसाना-384245.	-वही-		1,80,000	प्रौ.शि.के.
54.	श्रीमती वी.के. बालाजोशी, एजूकेशन, 20, रेटीश सोसाइटी, कलोल-384001, जिला मेहसाणा, उत्तरी गुजरात।	-वही-		94,512 2,10,000	प्रौ.शि.के. ज.शि.नि.
		कुल		3,04,512	
55.	भील सेवा मण्डल, दोहादी, जिला पंचमहल, गुजरात-389001.	-वही-		9,00,000 2,62,500	प्रौ.शि.के. ज.शि.नि.
		कुल		11,62,500	
56.	राजली माधोपुर गरुप केलवानी मंडल राजली डाकखाना मोती इसरोल तालुक मोदासा, जिला-साबरकण्ठा।	-वही-		1,27,000	प्रौ.शि.के.
57.	जन सेवा खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल मुजेरी, तालुक, मोदासा, जिला साबरकण्ठा 385346.	-वही-		1,18,574	प्रौ.शि.के.
58.	ग्राम सेवा समाज, डाकखाना वानकल, जिला सूरत-394430.	-वही-		2,14,512	प्रौ.शि.के.
59.	आनन्द निकेतन आश्रम, रंगपुर (कावान्त), छोटे उदयपुर, जिला बड़ोडरा-391740.	-वही-		17,97,100	प्रौ.शि.के.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
60.	जनता कलयाण समिति, बस स्टैण्ड के सामने, रिवाड़ी, महीन्द्रगढ़ जिला, हरियाणा।	कुल	-वही-	9,00,000 1,94,250 10,94,250	प्रौ.शि.के. ज.शि.नि.
61.	विद्या महासभा कन्या गुरूकुल महाविद्यालय, खरकोदा, जिला सोनीपत हरियाणा।	कुल	-वही-	10,65,330 1,57,500 12,22,830	प्रौ.शि.के. ज.शि.नि.
62.	भारत विकास सेवा (अन्तर्राष्ट्रीय), मेडलेरी, रेत्रीबेन्यूर, टी०क्यू० धारवाड़ जिला, कर्नाटक पिन-581211.	कुल	-वही-	90,000 21,000 1,11,000	प्रौ.शि.के. ज.शि.नि.
63.	श्री बांसवेश्वर लिबरल एजूकेशन सोसाइटी, हेरूर कालाकेरी, हनागल्ल ताल्लुक, धारवाड़ जिला, कर्नाटक राज्य-581148.		-वही-	1,35,650	प्रौ.शि.के.
64.	कस्तूरबा गान्धी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, डाकघर बाक्स न०-12, कस्तूरबाग्राम, आरसीकेरे-573103, जिला हासन, कर्नाटक।	-वही-		2,76,750	डी०आर०यू०
65.	भाषा अल्पसंख्यक विकास न्यास, लिमिटेड, रेनूमकलाहल्ली, गुदीवान्दा डाकखाना, कोलार जिला-561209, कर्नाटक।		-वही-	1,20,565	प्रौ.शि.के.
66.	ग्रामीण विद्यापीठ ट्रस्ट, मलावल्ली तालुक मण्डया जिला-571430, कर्नाटक।	-वही- कुल		1,80,000 1,80,000	प्रौ.शि.के
67.	इन्स्टीट्यूट आफ एप्लाइट लैंग्वेज साइन्सेज, बोगादी रोड, मैसूर-570006.		-वही-	2;27,250	एम एस सी
68.	हरिजन सेवक संघ शान्तिनिकेतन कताक्कदा डाकखाना, त्रिवेन्द्रम जिला, केरल-695572		-वही-	2,10,000	ज.शि.नि.
69.	केरल शास्त्र साहित्य परिषद परिषद् भवन, त्रिवेन्द्रम-695037		-वही-	20,00,000	ज.शि.नि.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
70.	मित्रनिकेतन, मित्रनिकेतन डाकखाना, वेल्लानाद-675543, त्रिवेन्द्रम जिला, केरल।	-वही-		1,12,063	प्रौ.शि.के.
71.	विनोबानिकेतन, विनोबानिकेतन डाकखाना, मलयादी, त्रिवेन्द्रम जिला, केरल-695542.	-वही-		1,21,008	प्रौ.शि.के.
72.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, 146, प्रिकोन्द कालोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश।	-वही-		17,33,447 5,62,680	प्रौ.शि.के. ज.शि,.नि.
			कुल	22,96,127	
73.	मन्दसौर जिला समग्र सेवा संघ, सर्वोदय साधना केन्द्र, ग्राम फूलकेदा, डाकखाना पावरी, गरोत, मन्दसौर जिला।	-वही-		16,50,000	टी एल सी
74.	महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जोयूरा, जिला मुरेना, मध्य प्रदेश।	-वही-		11,51,316	टी एल सी
75.	दिशा ट्रस्ट, बिलादी बादा-हान्दी पारा वार्ड, रायपुर, एम.पी.-492001.	-वही-		1,02,900	ए आर
76.	सोसाइटी फोर एकशन इन क्रिएटिव एजूकेशन एण्ड डवलपमैंट (सेक्रेड), मार्फत प्रबन्ध, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, 49, समर्थ नगर, औरंगाबाद-431001 (एम.एस)	-वही-		10,19,105	प्रौ.शि.के.
77.	आधुनिक किसान शिक्षण संस्था, ब्रह्मपुरी डाकखाना, चन्द्रपुर जिला, महाराष्ट्र-441206.	-वही-		1,16,843	प्रौ.शि.के.
78.	रेनूकादेवी शिक्षण संस्था, डाकखाना पिम्पलगांव (रेनूकाई), भोकरदन तालुका, जालना जिला, महाराष्ट्र-431203.	-वही-		1,16,843	प्रौ.शि.के.
79.	सावित्री बाई फूले, मेगास्वर्गीया महिला मण्डल, डाकखाना भोकारदन, जिला जालना-431114, महाराष्ट्र।	-वही-		1,23,417	प्रौ.शि.के.
80.	सतीमाता शिक्षण संस्था, 11-व्यंकूटेश नगर, खामला रोड, नागपुर (महाराष्ट्र)-440025.	-वही-		1,33,262	प्रौ.शि.के.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
81.	सर्वोदय शिक्षण मण्डल, डाकखाना पेरसेओनी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र-441105.	-वही-		1,26,300	प्रौ.शि.के.
82.	विदर्भ प्रादेशिक बसवा समिति, केशाप्राओं बूटी रोड़, सीताबुलदो, नागपुर-440012, महाराष्ट्र।	-वही-		2,45,274	प्रौ.शि.के.
83.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केन्द्र, डा० कोर्के का बंगला, 253, शिवाजी नगर, नागपुर-440010.	-वही-		12,73,190	प्रौ.शि.के.
84.	रमाबाई अम्बेदकर शिक्षण प्रसारक मण्डल, जिन्तूर रोड़, प्रभानी, महाराष्ट्र-431401.	-वही-		1,17,885	प्रौ०शि०के०
85.	महाराष्ट्र मगस वर्ग सेवा संघ, डाकघर "वसन्तनगर" येदसी, तालुक कालमनूरी, जिला प्रभाणी, महाराष्ट्र-431701.	-वही-		1,45,719	प्रौ०शि०के०
86.	भारतीय शिक्षा संस्थान, 128/2, जे०पी० नाईक रोड, कोठरूद, पूणे-411029.	-वही-		9,06,000 5,00,000	डी आर यू टी आर जी
		कुल		14,06,000	
87.	महारानी देवी अहिल्याबाई होल्कर एजूकेशन सोसाइटी, 23, गजनम हाउसिंग सोसाइटी, नेमिनाथ नगर, गेस्ट हाऊस, सांगली-416416, महाराष्ट्र।	-वही-		1,26,300	प्रौ०शि०के०
88.	स्व० मोतीराम नाइक एजूकेशन सोसाइटी, डाकखाना विथाला, तालुक दीगरस, जिला येवतमाल, महाराष्ट्र-445203	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
89.	श्री विशुद्ध विद्यालय, शिवाजी नगर, येवतमाल, जिला, महाराष्ट्र-445001.	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
90.	कमेटी आफ रिसोर्स आरगेनाइजेशन्स फार मास प्रोग्राम आफ फन्क्शनल लिटरेसी, मार्फत डा० माधव चव्हाण, रसायनिक प्रौद्योगिकी विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय, माटुंगा, बम्बई-400019.	-वही-		4,23,000	ड़ी आर यू

1.	2.	3.	4.	5.	6.
91.	मणिपुर व्यावसायिक संस्थान, मेकोला बाजार, बी०पी०ओ० लाइफराकोम, (इम्फाल), इम्फाल वेस्ट-11, डेवलपमैंट ब्लाक, इम्फाल जिला, मणिपुर-795001.	-वही-		5,99,466	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		6,08,926	
92.	इन्टीग्रेटिड रूरल डेवलपमैंट सोसाइटी लीलांग डाकखाना, इम्फाल जिला, मणिपुर-795130	-वही-		3,02,675	प्रौ०शि०के०
93.	वान्गजिंग वूमेन्स एण्ड गर्ल्स सोसाइटी, वान्गजिंग बाजार, डाकखाना वान्गजिंग थौउबाल ब्लाक, थोउबाल जिला, मणिपुर-795148.	-वही-		2,72,384	प्रौ०शि०के०
94.	ग्रामीण विकास सोसाइटी, वान्गजिंग बाजार, डाकखाना वान्गजिंग थोडबाल सी०डी० ब्लाक, थोडबाल जिला मणिपुर-795148.	-वही-		2,28,239	प्रौ०शि०के०
95.	नेताजी युवक संघ, डाकखाना गोइलभादी, वाया टीटीलागढ़ जिला बोलनगीर, उड़ीसा-767033	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
96.	रामजी युवक संघ, डाकखाना सदाइपली, वाया चन्दनभाटी जिला बालनगीर, उड़ीसा-767065.	-वही-		1,80,000 31,500	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		2,11,500	
97.	नवज्योति, डाकखाना गरूदागन, वाया कोटसाही, जिला कटक, उड़ीसा-754022.	-वही-		12,50,000	टी०एल०सी०
98.	ग्रामीण पुनःनिर्माण हेतु युवा संघ, डाकखाना बोइनदा, एटहमलीक, जिला धेनकानाल, उड़ीसा, पिन-759127.	-वही-		9,25,000	सी वी ए
99.	ग्रामीण पुनःनिर्माण हेतु युवा संघ, डाकखाना वाइनदा, हमलीक, जिला धेनकानाल, उड़ीसा, पिन-759127.	-वही-		9,25,000	सी वी ए

1.	2.	3.	4.	5.	6.
100.	विश्वास, खारियार रोड, नवापाड़ा ब्लाक, कालाहान्डी, जिला, 766104, उड़ीसा	-वही-		5,37,500	टी एल सी
101.	अन्त्योदय चेतना मण्डल, बारकन्द डाकखाना, वाया मोरोदा, मयूरभंज जिला, उड़ीसा-757016.	-वही-		7,50,000	टी एल सी
102.	स्थानीय समिति (लोकल कमेटी), दि चीफ खालसा दीवान, तरन तारण, अमृतसर, पंजाब-143401.	-वही-		2,28,239	प्रौ०शि०के०
103.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षण समिति, शास्त्री नगर एक्सटेंशन, विद्युत मार्ग, अजमेर-305006. राजस्थान	-वही-		3,54,191 ?,30,847	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
104.	श्री हरी कृष्ण शिक्षा प्रसार समिति, बुर्जा हाउस, महल चौक, अलवर-301001.	-वही-		1,80,000 42,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		2,22,000	
105.	जिला महिला जागृति परिषद, स्टेशन रोड, बाड़मेर-344001, राजस्थान।	-वही-		1,95,471	प्रौ०शि०के०
106.	भीलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ, 8/199, सिन्धु नगर, भीलवाड़ा-311001, राजस्थान।	-वही-		2,81,227 3,15,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		5,96,227	
107.	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा संघ, सरस्वती पार्क, पो०बा० 28, पुरानी गिन्नानी, बीकानेर-334001, राजस्थान।	-वही-		24,33,327 3,15,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		27,48,327	
108.	प्रयास, गांव देवगढ़ (देवलिया), वाया प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान-312621.			2,10,000	प्रौ०शि०के०
109.	गान्धी विद्या मन्दिर, सरदार शहर, राजस्थान-331401.	-वही-		2,46,814 63,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		3,09,814	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
110.	लोक शिक्षण संस्थान, पी-87, नागरपारदे रोड, गारागोरी बाजार, जयपुर-302002	-वही-		4,14,512 1,05,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		5,19,512	
111.	प्रगति ट्रस्ट, मनोहर निलय, 1-सरदार पटेल रोड, जयपुर, राजस्थान-302001.			1,16,065	प्रौ०शि०के०
112.	राधा बाल मन्दिर, विद्यालय समिति, बस स्टैण्ड, पीपाड शहर, जोधपुर, राजस्थान-342601.	-वही-		90,000 31,500	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		*1,21,500	
113.	ग्रामीण बाल विकास संस्था पीपाद शहर, जोधपुर, राजस्थान, पिन-346601.	-वही-		90,000 3,15,000	प्रा०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		1,12,500	
114.	जैन विश्व भारती, डाकखाना लाडनूं, तहसील लाडनूं, नागोर जिला, राजस्थान-341306.	-वही-		2,83,500	ज०शि०नि०
115.	इन्दिरा शिक्षा समिति, वजीरपुर ब्रान्च आफिस, स्टेशन रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान-322201.	-वही-		1,80,000 42,000	प्रौ०शि०के०
		कुल		2,22,000	
116.	सेवा मन्दिर, उदयपुर-313001, राजस्थान।	-वही-		10,30,640 3,67,500	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		13,98,140	
117.	दुराइस्वामी जैनेरस सोशल एजूकेशन एसोसिएशन, विलवारायानालूर, पक्कम पोस्ट, मदुरान्कम तालुक, येंगेलेपट्टू जिला, (तमिलनाडु)-603301.	-वही-		1,13,843	प्रौ०शि०के०
		कुल		1,13,843	
118.	दि जी०आर०डी० ट्रस्ट, कलाई कटियार विल्डिंगस अवानाशी रोड, कोइम्बतूर-641037. तमिलनाडु।			.2,83,536 73,500	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		4,67,236	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
119.	यूँथ एसोसिएशन, मथुरामलीनगा पुरम, त्रिचुली ब्लाक, कमराजार जिला, तमिलनाडु।	-वही-		1,12,712	प्रौ०शि०के०
		कुल		1,12,712	
120.	तमिलनाडु बेसिक एजूकेशन सोसाइटी गान्धी निकेतन आश्रम, टी० कल्लूपती, मदुराई-626702.	-वही-		58,532 98,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
121.	वेल्फेयर एसोसिएशन फार दि रूरल मास कदालादी ग्राम तथा डाकघर नार्थ आरकोट जिला तमिलनाडु-606709.	-वही-		1,16,843 15,250	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		1,32,093	
122.	काल्वी उल्गम एजूकेशनल सोसाइटी डाकघर लेटेरी, नार्थ आरकोट जिला, तमिलनाडु-632202.	-वही-		5,22,784 1,40,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		6,62,784	
123.	तिरूपूटूर रूरल अपलिफ्ट प्रोजेक्ट एसोसिएशन (त्रुप्पा) सीरकुदालपट्टी, तिरूपत्तूर तालुक पासूम्पोन, मुथुरूमलींगम जिला, तमिलनाडु-623215.	-वही-		1,16,843 21,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		1,37,843	
124	कान्दास्वामी केन्दारस ट्रस्ट बोर्ड, वेलूर, सलेम जिला, तमिलनाडु-638182.	-वही-		2,72,640 3,38,548	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		6,11,188	
125.	मधार नाला थोन्डू निरूवनम, थिरूवेन्दीपुरम मैन रोड, पधीरीकुप्पम, डाकघर कुद्दालोर, साउथ आरकोट जिला, तमिलनाडु-607401.	-वही-		7,01,140	प्रौ०शि०के०
126.	क्रिश्चियन एजूकेशनल डेवलपमैंट सोसाइटी, 12, नापालया स्ट्रीट, विल्लूपुरम, एस०ए० जिला, तमिलनाडु-605602.	-वही-		9,07,609 70,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल 52,500		9,77,609	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
127.	कान्ग्रेगेशन आफ दि सिस्टर्स आफ दि क्रास आफ चवनोद पो०बा० नं०-395, ओल्ड गुड्स, शेड रोड, टेप्पाकुलम, तिरूचिरापल्ली तमिलनाडु-620002.	-वही-		2,92,714 2,10,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		5,02,714	
128.	खाजामलाई लेडिज एसोसिएशन डाकघर खाजामलाई, तिरूचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु-620023	-वही-		94,512 2,59,215	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		3,53,727	
129.	पंजाब एसोसिएशन, लाजपत राय धवन, पो०बा० नं०-416, 170, 171, 172, पीटर्स रोड, रायापेट्टाह, मद्रास-600014	-वही-		12,79,350 1,75,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		14,54,350	
130.	वूमेन्स वालन्टियरी सर्विस आफ तमिलनाडु, 19, ईस्ट स्पूर टैंक रोड, चेटपेट, मद्रास-60031, तमिलनाडु	-वही-		1,89,024 1,62,750	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		4,06,026	
131.	वूमेन्स इण्डियन एसोसिएशन, 43, ग्रीनवेज रोड, मद्रास-60028, तमिलनाडु	-वही-		4,75,275 31,500	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		5,69,775	
132.	जयप्रकाश यूथ रिसर्च सेन्टर, फर्स्ट क्रास स्ट्रीट, 4 कस्टम्स कालोनी, बेसेन्ट नगर, मद्रास-60090	-वही-		4,40,600	प्रौ०शि०के०
		कुल		4,40,600	
133.	भारतीय शिक्षण सेवा संस्थान, दिलीप चन्दपुर, बरायुत, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-221502	-वही-		1,26,707 21,000	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल			
134.	आदर्श शिक्षा समिति, पूरे भनाई, वरायुत, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-221502	-वही-		1,99,374 10,314	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		2,09,688	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
135.	विनोबा आदर्श शिक्षा समिति विनोबा नगर, नाई बाजार, नैनी, जिला इलाहाबाद-उ०प्र०-211008	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
		कुल		1,16,843	
136.	ग्राम्य विकास सेवा संस्थान, भैलपुत्री निकेतन, 28-बी/4-ए1, अल्लापुर, इलाहाबाद, उ०प्र०-211001	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
137.	नेहरू बाल मण्डल, 8-ए, पत्रकार कालोनी, अशोक नगर, इलाहाबाद-211001, उ०प्र०	-वही-		1,66,525 34,355	प्रौ०शि०के० ज०शि०नि०
		कुल		2,00,880	
138.	डा० अम्बेडकर समाज सेवा मण्डल, ग्रा० बेस्की, पो०अ० सैदाबाद, जिला उलाहाबाद, उ०प्र०-221508	-वही-		4,67,976	प्रौ०शि०के०
139.	बाघम्बरी आवास शिक्षा समिति 23/47/55, किदवई नगर, अलापुर, इलाहाबाद, उ०प्र०-211006	-वही-		1,16,843	प्रौ०शि०के०
140.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, 261/4, सलीक गंज रोड, मुठीगंज, इलाहाबाद, उ०प्र०-211002	-वही-		1,80,000 36,500	प्रौ०शि०के०
141.	जन शिक्षण अकादमी, 501, पार्क रोड, इलाहाबाद, उ०प्र०-211002	-वही-		1,63,654	प्रौ०शि०के०
142.	पूर्वांचल ग्राम विकास संस्थान, ग्रा० जगदीशपुर तकतेवा रामपुर, पो०आ० आजमगढ़ जिला, उ०प्र०-276001	-वही-		1,35,287	प्रौ०शि०के०
143.	अतोघर ग्रामोद्योग सेवा मंडल जोइतापुर बाजार, डाकखाना बहरायच-271801, उत्तर प्रदेश	-वही-		1,23,500 31,500	प्रौ० शि० के० ज० शि० नि०
		कुल		1,55,000	
144.	खादी ग्रामोद्योग समिति, ग्राम बहरोली बाबू डाकखाना वाल्टरगंज जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, पिन-272182.	-वही-		1,55,000 1,25,116	प्रौ० शि० के०

1.	2.	3.	4.	5.	6.
145.	नारी विकास संस्था, मातराछाया, नजीबाबाद, बिजनौर जिला, उत्तर प्रदेश।	-वही-	4,14,512	प्रौ० शि० के०	
146.	महिला सेवा संस्थान, मोहल्ला कायस्थान, डाकखाना चांदपुर, बिजनौर जिला, उत्तर प्रदेश-246725.	-वही-	1,16,843	प्रौ० शि० के०	
147.	म्याना ग्रामोद्योग सेवा संस्था मुरारी नगुर, जी० टी० रोड, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश।	-वही-	5,08,140 63,000	प्रौ० शि० के० ज० शि० ,नि०	
		कुल योग	5,71,140		
149.	गोमती प्रयाग जन कल्याण परिषद, बाकुन्दा, डा० घ० दुनगलवाली, जिला चमोली, उ० प्र०-246446.	-वही-	1,58,227	प्रौ० शि० के०	
150.	जन कल्याण शिक्षा समिति, पावा नगर डाकघर फाजिल नगर, जिला देवरिया-274401	-वही-	1,10,005	प्रौ० शि० के०	
151.	मानव सेवा संस्थान, अथारहा, डाकघर गोनारीया, कमतानगंज, जिला देवरिया, उ० प्र०-274301.	-वही-	11,00,000	टी एल सी	
152.	207, सराय मिश्रा एटा (उ० प्र०)	कुल	1,23,662		
153.	श्री हरि ग्राम उद्योग सेवा संस्थान श्री हरि निकुंज, निकट सहकारी बैंक, नौरंगाबाद इटावा, उ० प्र०-206001		1,16,843 92,500	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम	
154.	सघन विकास क्षेत्र समिति, भिति, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224132	-वही-	1,16,843	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	
155.	सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण ग्रामीण विकास तथा शिक्षा सोसायटी संस्थान, रसूलपुर (दियारा), दोस्तपुर फैजाबाद, उ० प्र०	-वही-	1,80,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	
156.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, गांव व पो० ओ० बीकापुर, जिला फैजाबाद, उ० प्र० 224205	-वही-	14,00,000	पूर्ण साक्षरता अभियान	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
157.	विवेकाननद संस्थान, अकबरपुर, फैजाबाद, उ० प्र०-224122	-वही-		12,50,000	पूर्ण साक्षरता अभियान
158.	जे० पी० सेवा समिति, पी० ओ० फरोजपुर, अमोलर पर जिला फरूखाबाद, उ० प्र०	-वही-		1,17,299	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
159.	राष्ट्रीय हरिजन स्कूल बहरियाबाद, तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर, उ० प्र०-233001	-वही-		1,16,843	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
160.	अशोक संस्थान, कुण्डेसर, जिला गाजीपुर उ० प्र०-233234	-वही-		13,00,000	पूर्ण साक्षरता अभियान
161.	ग्राम विकास समिति गांव परशुरामपुर पी० ओ० सरावान, तहसील तरलगंज जिला गौंडा-271403 उ० प्र०	-वही-		1,49,187	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
		कुल	1,49,187		
162.	आदर्श जन कल्याण परिषद बिलग्राम, जिला हरदोई, उ० प्र०	-वही-		14,00,000	पूर्ण साक्षरता अभियान
163.	श्रमिक विद्यापीठ 15/96, सिविल लाईन, कानपुर उ० प्र०-208001	-वही-		1,20,600	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
164.	सामाजिक उत्थान समिति, शिक्षा विद्या मन्दिर, भवन ओपूर्वा, पी० ओ० हरिजिन्दर नगर, कानपुर, उ० प्र०	-वही-		90,000 *15,750	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन कल्याण निलयम
165.	भारतीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थान, तथा पुनर्वास 460, देवपुर, पी० ओ० राजाजीपुरम, लखनऊ (उ० प्र०) 226017	-वही-		*4,91,145 1,05,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम
166.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, 504,63, टैगोर मार्ग, निकट बन्दी माता मन्दिर, डालीगंज, लखनऊ	-वही-		3,18,239 15,750	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम
167.	ग्राम सेवा निकेतन, 295/23, अशरफाबाद लखनऊ-226003 (उ० प्र०)	-वही-		1,13,968	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
168.	भारत साक्षरता बोर्ड साक्षरता भवन, पी० ओ० आलम बाग, लखनऊ (उ० प्र०) 226005	-वही-		89,89,092 1,29,405	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम
		कुल		1,06,42,247	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
169.	अखिल भारतीय अनाथ आश्रम सेवा संस्थान, 98, मेमारान पो० ओ० तथा गांव-जहांगीराबाद जिला बुलन्दशहर उ० प्र० 202394	-वही-		1,16,843	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
170.	श्री महिला उद्योग समाज उत्थान समिति, किशोरीपुरा, वृन्दावन, जिला मथुरा उ० प्र०-81121	-वही-		2,28,239 42,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम
171.	इरशाद अकादमी नौगाजह शाहपेर गेट, मेरठ, उ० प्र०-250002	-वही-		1,20,065 21,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम
		कुल		1,41,065	
172.	बनवासी सेवा आश्रम गोविन्दपुर (द्वारा तुर्रा) जिला मिर्जापुर (सोनभद्र) उ० प्र०-231221	-वही-		3,37,300 63,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र डब्ल्यू एस
173.	बसलीगंज, मिर्जापुर, उ० प्र० 231001	कुल		1,15,250	
174.	महिला पुनरोत्थान समिति गांव तथा पो० ओ० बरकच्चा जिला मिर्जापुर, उ० प्र० 231001	-वही-		1,16,121	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
175.	स्वामी विवेकानन्द शिक्षा समिति सन्कथा घाट मिर्जापुर उ० प्र० 231001	-वही-		1,16,121	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
176.	विन्धया शिक्षा समिति, कचहरी रोड, पीली कोठी, मिर्जापुर, उ० प्र०-231001	-वही-		1,16,143	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
177.	बनवासी सेवा आश्रम गोविन्दपुर द्वारा-तुर्रा, जिला मिर्जापुर उ० प्र०-231221	-वही-		55,00,000	एम० एस० सी०
178.	भारतीय महिला विकास संस्थान पो० ओ० धनौरा प्र जिला मुरादाबाद-244231 उ० प्र०	-वही-		1,16,617	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
179.	ग्रामोद्योग विकास मण्डल कला खेड़ा, सत्या भवन बिदल्ली रोड, जोया जिला मुरादाबाद-244222 उ० प्र०	-वही-		1,17,897	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
180.	आदर्श सेवा समिति, 326/1, साकेत कालोनी गली नं० 6, मुजफ्फरनगर पिन 251001	-वही-		94,512 70,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम
		कुल		1,64,512	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
181.	निशात शिक्षा समिति अस्ताना नयी बस्ती, हल्दवानी, जिला नैनीताल, उ॰ प्र॰, पिन 263139	-वही-	4,14,512 35,000	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जन शिक्षण निलयम	
182.	यू॰ पी॰ राणा बेनी माधव जन कल्याण समिति, गुलाब रोड, राय बरेली, उ॰ प्र॰	-वही-	14,83,557 1,57,500	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र जलन शिक्षण निलयम	
		कुल	*16,41,057		
183.	अमेठी महिला सवैच्छिक सेवा समिति अमेठी, जिला सुल्तानपुर-227405	-वही-	1,16,843 31,500	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र जन शिक्षण निलयम	
		कुल	1,48,343		
184.	सचन क्षेत्र विकास समिति, सेवापुरी, वाराणसी, उ॰ प्र॰-221403	-वही-	19,50,000	पूर्ण साक्षरता अभियान	
185.	सिद्धु-कन्दु ग्रामोन्नयन समिति मेमारी, जिला बुर्द्धवान पश्चिम बंगाल-713514	-वही-	3,70,000 52,500	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र जन शिक्षण निलयम	
186.	रामकृष्ण मिशन जन शिक्षा मंदिर बेलूर मठ, हावड़ा-711202 पश्चिम बंगाल	-वही-	3,20,000 14,000	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र जन शिक्षण निलयम	
		कुल	4,89,988		
187.	रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन 7-रिवरसाईड रोड, बैरकपुर, जिला-24 परगना पश्चिम बंगाल-743101	-वही-	3,67,723 35,000	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र जन शिक्षण निलयम	
		कुल	4,02,723		
188.	ग्रामीण विकास की टैगोर सोसायटी गांव व पो॰ ओ॰ रंगाबलिया (द्वारा-गोसबा) जिला-24-परगना (दक्षिण) पश्चिम बंगाल	-वही-	1,20,600	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र	
		कुल	1,20,600		
189.	रामकृष्ण मिशन लोकशिक्षा परि॰ रामकृष्ण मिशन आश्रम पो॰ ओ॰ नरेन्द्रपुर 24, परगना (दक्षिण)	-वही-	2,18,736 22,20,030	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र एस॰ एस॰ सी॰	
		कुल	24,38,766		
190.	पश्चिम बंगाल खेरिया सबर कल्याण समिति गांव व पो॰ ओ॰ राजनोवगराज जिला पुरूलिया-723128 एस-60975	-वही-	1,80,000	प्रौ॰ शि॰ केन्द्र	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
191.	ग्रामीण विकास के लिए टैगोर सोसायटी 14-खुदी राम बोस रोड कलकत्ता-700006	-वही-		7,36,000 प्रौ० शि० केन्द्र 21,000 जन शिक्षण निलयम	
	कुल			7,57,600	
192.	बंगाल समाज सेवा लीग 1/6 राज देवेन्द्र स्ट्रीट कलकत्ता-700009	-वही-		1,80,000	
193.	जन शिक्षा एवं विकास अखिल भारतीय परिषद 60, पटुआतोला लैन कलकत्ता-700009	-वही-		4,00,000 प्रौ० शि० केन्द्र 5,35,500 जन शिक्षण निलयम	
	कुल			9,35,500	
194.	भारतीय रेडरास सोसायटी पश्चिम बंगाल शाखा 27, बेलवेडरे रोड कलकत्ता-700027	-वही-		1,20,600 प्रौ० शि० केन्द्र	
195.	श्री रामकृष्ण सत्यानन्द आश्रम 46/2, देशबन्धु रोड (पश्चिम) कलकत्ता,35	-वही-		2,89,009 प्रौ० शि० केन्द्र 46,284 जन शिक्षण निलयम 2,10,000	
	कुल			5,45,293	
196.	पंजाब पिछड़ा वर्ग विकास बोर्ड 1143,36-सी, चंडीगढ़, पंजाब	-वही-		*3,96,396 प्रौ० शि० केन्द्र 1,05,000 जन शिक्षण निलयम	
	कुल			5,01,396	
197.	सर्व भारत श्री रविदास प्रभार प्रतिष्ठान, 393, सेक्टर-38, चंडीगड़-160036	-वही-		1,17,950 प्रौ० शि० केन्द्र 70,000 जन शिक्षण निलयम	
	कुल			1,87,950	
198.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ 17-बी आई० पी० इस्टेट, नई दिल्ली-110002	-वही-		3,20,000प्रौ० शि० केन्द्र	
199.	पी० एच० डी० ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान पी० एम० डी० भवन, थापर फ्लोर एशियन खेल गांव के सामने नई दिल्ली-110083	-वही-		3,20,000 प्रौ० शि० केन्द्र जन शिक्षण निलयम	
200.	जन जागृति शैक्षिक सोसायटी एम-186, मंगोलपुरी, दिल्ली-110083	-वही-		90,000 प्रौ० शि० केन्द्र 17,750 जन शिक्षण निलयम	
	कुल			1,07,750	
201.	रवि भारती शिक्षा समिति भोलानाथ नगर, शाहदरा दिल्ली-110032	-वही-	प्रौ० शि० केन्द्र		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
202.	महिला चेतना केन्द्र एफ 26,बी० के० दत्ता कालोनी लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	-वही-		4,14,512 प्रौ० शि० केन्द्र 84,000 जन शिक्षण निलयम	
	कुल			4,98,912	
203.	अखिल भारतीय शहरी एवं ग्रामीण विकास केन्द्र 5, भाई बीर सिंह मार्ग गोलमार्केट, नई दिल्ली-110001	-वही-		*3,57,900 प्रौ० शि० केन्द्र	
204.	सेवाग्राम विकास संस्थान 1, दरियागंज, नई दिल्ली-110002	-वही-		2,44,500 बी० पी०	
205.	भारतीय शैक्षिक योजना व प्रशासन संस्थान (एन० आई० ई० ई० पी० ए०) 17-बी अरबिन्दो मार्ग, नी दिल्ली 110016	-वही-		72,000 एम० एस० सी० 2,66,000 टी० आर० जी०	
	कुल			3,38,000	
207.	डा० ऐ० बी० बालिगा मैमोरियल न्यास लिंक हाऊस, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002	-वही-		13,12,165 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 3,15,000 जनशिक्षण निलायम	
	कुल			16,27,165	
208.	विकास, न्यास तथा शांति दिल्ली कैथोलिक ऐशसिडोऐसिल "चेतनालय" अशोक प्लेस, नई दिल्ली-110001	-वही-		1,80,000 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	

गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों के नाम जिन्होंने वर्ष 1989-90 के दौरान 1 लाख रुपये तथा उसके अधिक की आवर्ती अनुदान सहायता प्राप्त की

क्रम सं॰	एजेन्सी/संगठन का नाम पते सहित	संगठन के संक्षिप्त क्रियाकलाप	वर्ष 1990-91 में अनुदान सहायता की राशि	उद्देश्य जिसके लिए अनुदान प्रयोग में लाया गया।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राज्य संसाधन केन्द्र दिवायतन/बुद्ध कालोनी पटना-800001	प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन सहायता उपलब्ध करवाना	36.11	राज्य संसाधन केन्द्र के रख-रखाव के लिए अनुदान तथा वृत्ति साक्षरता मूलक के जन कार्यक्रम के अंतर्गत साक्षरता किटों को तैयार करने के लिए	
2.	प्रौढ़ शिक्षा राज्य संसाधन केन्द्र साक्षरता भवन, पी॰ ओ॰ आलमबाग, लखनऊ-2260005	-वही-	48.50 रु॰	-वही-	
3.	प्रौढ़ शिक्षा राज्य संसाधन केन्द्र भारतीय ग्रामीण महिला संघ, 680, विजय नगर, अन्नपूर्णा रोड इन्दौर-452009	-वही-	20.46 रु॰	-वही-	
4.	अनौपचारिक शिक्षा राज्य संसाधन केन्द्र, सतत शिक्षा तमिलनाडु बोर्ड, न॰4, दूसरी गली, वेंकटेश्वर नगर, अड्या-600020	-वही-	24.39 रु॰	-वही-	
5.	प्रोढ़ शिक्षा राज्य संसाधन केन्द्र केरल संघ अनौपचारिक शिक्षा (कैनबेड़) साक्षरता भवन त्रिवेन्द्रम-695014	-वही-	6.50 रु॰	-वही-	
6.	अनौपचारिक शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, भारतीय शिक्षा संस्थान, द्वारा भारतीय शिक्षा संस्थान 128/2 जेपी नायक रोड, कोथरुड, पुणे-411029	-वही-	36.50 रु॰	-वही-	—
7.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर, नई दिल्ली-110025	-वही-	13.50 रु॰	-वही-	—
8.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014	-वही-	9.83 रु॰	-वही-	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, राजस्थान, प्रौढ़ शिक्षा संघ, 7-ए, झालना डुंगरी, औद्योगिक क्षेत्र जयपुर-302004	-वही-	33.91 रु०	-वही-	—
10.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केंन्द्र, बंगाल समाज सेवा लीग, 1/6, राजा दीनेंद्र स्ट्रीट कलकत्ता-700009	-वही-	19.21 रु०	-वही-	—
11.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केंन्द्र, प्लॉट सं० 159, (विष्णु मंदिर के पास) शहीद नगर, भुवनेश्वर-751007	-वही-	19.90 रु०	-वही-	—
12.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केंन्द्र, कर्नाटक राज्य प्रोढ़-शिक्षा परिषद, 501, चित्र भानु रोड, अ और ब ब्लॉक, कुवैंपुनगर मैसूर-570023	-वही-	29.26 रु०	-वही-	—
13.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केंद्र, लिटरेसी हाऊस आंध्र महिला सभा (ए एम एस), एएमएस कालेज कैम्पस, यूनिवर्सिटी रोड, हैदराबाद-500007	-वही-	25.98 रु०	-वही-	—

वर्ष 1989-90/90-91 के दौरान एक लाख रु० का आवर्ती अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत और स्वैच्छिक संस्थानों के नाम

क्रम सं०	एजेन्सी/संगठन का नाम और पता	संगठन की कार्रवाईयों का संक्षप्ति ब्यौरा	वर्ष 1989-90 के दौरान जी०आइ०ए० की राशि	उद्देश्य जिसके लिए अनुदान उपयोग किया गया।	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.
स्कूलीशिक्षा					
1.	उत्तराखंड सेवा निधि, अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश	स्कूल शिक्षा में पर्यावरण संबंधी जानकारी प्रदान करने की केंद्र प्रयोजित योजना हेतु कार्यवाहक एजेंसी के रूप में कार्यरत है। यह कार्य कुमांऊ और गढ़वाल क्षेत्र में किया गया।	23.92 लाख रु०	प्रशिक्षण शिविर, प्रकाशन, पेय जल स्वच्छ शौचालय, वृक्षारोपण, नर्सरी, प्रैक्टीकल वर्कबुक्स, बालवाड़ी सहित तमाम क्रियाकलापों में 65 छोटे एनजी० ओज की सहायता के लिए प्रयोग किया गया।	
2.	पर्यावरण अध्ययन केन्द्र अहमदाबाद	चतुर्दिक विद्यमान स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओज के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत।	14.12 लाख रु०	पर्यावरण शिक्षा परियोजनाओं में लगी 10 एनजी० ओज को सहायता प्रदान की।	
3.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, मध्य प्रदेश	प्रमुख रूप से अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ी जातियों वाले क्षेत्र में मानव संसाधनों के विकास में कार्यरत।	12.70 लाख रु०	200 स्कूलों में नर्सरियों की स्थापना, पर्यावरण संबंधी चेतना जगाने के लिए 3 विचार-गोष्ठियों का आयोजन और 200 स्कूलों के लगभग 20 हजार विद्यार्थियों का सहयोग लेते हुए विभिन्न पर्यावरण संबंधी क्रिया-कलापों का आयोजन।	
4.	हिंदी स्वराज मंडल राजकोट, गुजरात	सौराष्ट्र क्षेत्र में पर्यावरण शिक्षा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं संगठन	1.34 लाख रु०	गांवों और सामाजिक स्थिति पर पर्यावरण पर 10 पुस्तिकाओं के प्रकाशन सहित पर्यावरण और सामाजिक रुपरेखा का चित्रण।	
5.	श्री ए.एम.एम. मुर्गअप्पा, क्षेत्रीयार रिसर्च मद्रास	ऊर्जा और प्रकाश संशलेषण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रयोगात्मक कार्रवाई।	1.06 लाख रु०	100 स्कूलों के 200 अध्यापक और 1500 विद्यार्थियों के सहयोग से प्राकृतिक क्लब और सप्ताहांत कैंपों का गठन, शिक्षा सामग्री की तैयारी, पोस्टर, स्टीकरस और फिल्मस लाइट्स का निर्माण।	
स्कूल शिक्षा और शारीरिक शिक्षा					
1.	अलारिपु, बी-4/150-1, सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली	सामुदायिक केन्द्रों में कार्यशालाओं का आयोजन कार्यक्षेत्र से प्रेरणा सामाजिक रूप से संगत नाटकों, कार्यशालाओं का आयोजन जिसमें विशेषतः बालक मार्गदर्शकों तथा झुग्गी-झोपड़ी के युवाओं ने भाग लिया। उत्तर-प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्य-कलापों का प्रशिक्षण और राजस्थान के एनडीपी के अधीन स्थानीय और प्रक्षेप्स का भी प्रशिक्षण। दिल्ली की औरतों के संबंध में विडियो फिल्म का निर्माण।	8,16,584/-रु०	शिक्षा के लिए और संबंधित संचार मिडियाके लिए थियेटर का नवोदयी प्रयोग। विद्यार्थी। समुदाय को प्रेरणा प्रदान करने और गतिशील बनाने के लिए थियेटर संबंधी क्रियाकलाप।	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	स्पीक मैके, 41-42 लखनऊ रोड, नई दिल्ली	सम्पूर्ण देश में शिक्षा संस्थानों की पारम्परिक विरासत का उन्नयन स्कूल और कालेजों में प्रदर्शनात्मक व्याख्यानों की झंखला का आयोजन। लोक एवं हस्तकला कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन। स्कूलों और कालेजों में योगशिविरों का आयोजन देशभर में बैठकों का आयोजन करना	10,00,000	शिक्षा संस्थाओं में पारम्परिक विरासत।	
3.	बन स्थली विद्यापीठ डाकखाना बन-स्थली विद्यापीठ-304002 राजस्थान	बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान महिलाओं की शिक्षा का क्षेत्र अखिल भारतीय स्वरूप का एक प्रमुख संस्थान है और यह महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य-कर रहा है।	10,00,000 रुपए	बनस्थली विद्यापीढ़ के तदर्थ किराया आवर्ती घाटे को पूरा करना।	
4.	निनासाम नीलकण्ठेश्वर सेवा संघ हेग्गोडु सागरतालुक कर्नाटक-577417	यह एक स्वैच्छिक संगठन है जो सामाजिक जागरूकता के लिए थिएटर और अन्य सांस्कृतिक कार्यकलापों का प्रयोग करता है।	1,80,000	उपयुक्त सांस्कृतिक गतिविधियों सहित शैक्षिक कार्यकलापों को पूरा करना।	
5.	डा० बी० आर० अम्बेडकरमिशन रवीन्द्रा नगर शीमोगा-577201	समाज के कमजोर वर्गों और विशेष तौर पर अनु०जाति/अनु० जनजातियों को समर्पित एक संस्थान। लोगों को बहुमुखी विकास के लिए शैक्षिक और साक्षरता कार्यकलापों को बढ़ावा देना। कमजोर वर्गों को विशेष महत्व और विशेष तौर से अनु० जाति/अनु० जनजातियों हेतु आवासीय स्कूलों, शैक्षिक संस्थानों, तकनीकी संस्थाओं को चलाना।	5,05,000 रुपये	छात्राओं के लिए कक्षा-कक्षों और शयनागार का निर्माण।	
	थियोसोफिकल सोसायटी आदायार, मद्रास-600020	मद्रास में अदयार में अनु०जाति/अनु०-जनजाति के बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार। शिक्षकों के लिए प्रबोधन और प्रशिक्षण पाठयक्रम चलाना। छात्रों के लिए अध्ययन सामग्रियों का विकास	1,03,000 रुपये	ओल्कट मैमोरियल स्कूल के लिए शैक्षिक और भौतिक सुविधाओं का सुधार	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	रामकृष्ण नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान मैसूर	नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा में डिग्री पाठयक्रम आयोजित करना। कर्नाटक राज्य के सेवारत हाई स्कूलों शिक्षकों के लिए नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा में अल्पावधि पाठयक्रमों का आयोजन करना। देशभर को सभी कालेज छात्रों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना। आम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना।	3,00,000	शिक्षक प्रशिक्षण के पाठयक्रम आयोजित करना।	
		मैसूर राज्य के अपर प्राथमिक तथा हाई स्कूल के छात्रों के लिए आध्यात्मिक कक्षाएं।	4,45,000 रुपए	योग शिक्षकों को प्रशिक्षण	
8.	संस्कार शिक्षा समिति, भोपाल	मध्य प्रदेश में दौराह ब्लाक (सेहोरे जिला) और टीकमगढ़ ब्लाक में प्राथमिक और मिडिल स्तरों पर मूल्य शिक्षा	4,33,300 रु०	मध्य प्रदेश में दोराहा ब्लाक और टीकमगढ़ ब्लाक में प्राथमिक और मिडिल स्तरों पर मूल्य शिक्षा।	
9.	कैवल्यधाम श्रीमन माधव योगामन्दिर समिति लोनावाला जिला पुणे, महाराष्ट्र।	योगा के विभिन्न पहलुओं का अनुसंधान और विकास तथा योगा शिक्षकों का प्रशिक्षण।	33,10,000 रु०	समिति के विभिन्न विभागों का रखरखाव जो योगा अध्यापकों के प्रशिक्षण का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है।	
10.	ग्रामीण औद्योगिकरण सोसायटी, गोव भारोगन, डाक० आर एम सी एच, रांची।	जनजातियों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी निवेश के लिए जनजातियों को प्रशिक्षण/प्रबंध माध्यम/कार्मिक।	6,00,000रु०	प्रौद्योगिकों का तात्पर्य जनजातीय गांव-वासियों के लिए और औपचारिक व्यवसायिकी शिक्षा।	
11.	भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे।	शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित संगठन।	2,27,000रु०	व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण विकास।	
12.	त्रिलोकनाथ शंकरदास समारोह, निधि, नई दिल्ली।	समुदाय, धर्म आदि का ध्यान किये बिना निर्धनों के लिए कल्याण/शिक्षा और जनस्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सामान्य शिक्षा, चिकित्सा सहायता सम्बन्धी राहत प्रदान करना।	6,39,000रु०	कुछ रोजगारों में ग्रामीण जनसंख्या को प्रशिक्षण देना ताकि अपने आपको लाभकारी रूप से स्वरोजगारयुक्त कर सकें।	
	माध्यमिक शिक्षा				
1.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता	कलकत्ता में केन्द्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण प्रयोगशाला तथा क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय जिला तथा स्कूलों पर प्रयोगशालाओं की स्थापना।	11.55 लाख रु०	विभिन्न राज्यों में 77 स्कूल विज्ञान केन्द्रों की स्थापना।	
2.	बाल भवन सोसायटी, नई दिल्ली।	यह देश में सभी बालभवनों के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है।	1.90 लाख रु०	दिल्ली के 5 ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान नुकरों की स्थापना	
3.	विज्ञान विकास अकादमी, रायगढ़ जिला महाराष्ट्र।	विशेषाधिकार प्राप्त ग्रामीण श्रेणी विशेषकर जनजातीय लोगों की जीवनयापन परिस्थितियों को सुधारने के लिए की जाने वाली कार्यवाही।	1.42 लाख रु०	स्कूलों में शिक्षण अध्यापक दर्शन ज्ञान पद्धति पर आधारित शिक्षण पठन सामग्री का अनुसंधान और विकास करने से संबंधित कार्यवाही।	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र, बम्बई।	अनुसंधान एवं न्यूक्लर विज्ञान विकास एवं गणित में शामिल; परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थाएं।	2.75 लाख रू०	भारत यू० एस० उप उद्योग के संरक्षण के अन्तर्गत गोवा में गणित शिक्षण के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय 'कार्यशाला संगठन।	
5.	पैट्राटिक एण्ड प्यूपल ओरि ओरी यन्ट साइंस एण्ड टैक्नोलोजी फांउडेशन, मद्रास	भारतीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय परम्परा में अपनी जड़े रखने वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधार को बनाने में लगी हुई संस्थाएं।	2.63 लाख रू०	भारतीय परम्परा से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित 3 पाठ्यपुस्तकों को तैयार करना।	
6.	तमिलनाडु, विज्ञान मंच, मद्रास।	विभिन्न गैर औपचारिक विज्ञान, गतिविधियां, राज्य स्तरीय कला जत्थे, ओलिम्डि प्रश्नोत्तर विज्ञान को लोकप्रिया बनाने से संबंधित विभिन्न कार्यशालाएं, जिला स्तरीय शिक्षक परिसर और बच्चों से संबंधित विज्ञान उत्सवों के आयोजन में लगे हुए। डिजाइन और "विज्ञान इतिहास" और न्यूकलर एनर्जी के शान्तिपूर्ण प्रयोग "कासमोस" को दर्शाने वाले विज्ञान जागरूकता के लिए उत्पन्न दृश्य सामग्रियां।	1.90 लाख रू०	10 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशालाओं और 2 राज्य स्तरीय विज्ञान उत्सवों का आयोजन करना।	
भाषाओं को प्रोत्साहन					
1.	आन्ध्र प्रदेश हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद	हिन्दी शिक्षण केन्द्रों/हिन्दी महाविद्यालयों/ और हिन्दीं प्रचार केन्द्रों आदि को चलाना	3,38,100	प्रशिक्षण केन्द्र महाविद्यालय प्रचारक समितियाँ और हिन्दी डायरी का प्रकाशन	
2.	हिन्दी प्रचारक सभा, हैदराबाद (आ०प्र०)	हिन्दी शिक्षण केन्द्रो, हिन्दी पुस्तकालय/ पठन कक्ष/हिन्दी टाइपिंग कक्षाएं, और आशुलिपि कक्षाएं,हिन्दी प्रचारक प्रशिक्षण महाविद्यालय और अन्य प्रचारक कार्यक्रमों को चलाने के लिए	1,40,175 रू०	हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि केन्द्र	
3.	नगर हिन्दी वर्ग संचालक अध्यापक संघ (हैदराबाद)	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं हिन्दी पुस्तकालय, पठन कक्ष हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपिक की कक्षाएं और अन्य प्रचारक कार्यक्रमों को चलाने के लिए	1,33,230 रू०	हिन्दी शिक्षण, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि की कक्षाएं हिन्दी पुस्तकालय/पठन कक्ष/कर्मचारियों को वेतन किराया, पुस्तकों की खरीद/पत्रिकाओं आदि की खरीद	
4.	सोवोनसिरी सेवा समिति /लक्ष्मीपुर असम।	हिन्दी को प्रोत्साहन	2,16,750 रू०	टाइपराइटिंग/आशुलिपि की कक्षाएं।	
5.	असम राज्य राष्ट्र भाषा समिति जोरहाट	हिन्दी को प्रोत्साहन	1,12,500 रू०	हिन्दी टाइपिंग केन्द्र	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	हिन्दी विद्यापीठ देवगढ़, बिहार	शिक्षण कक्षाएं/ टाइपराइटिंग और आशुलिपि की कक्षाएं।	1,97,635 रु०	हिन्दी शिक्षण, हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि की कक्षाएं तथा त्रैमासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन आदि	
7.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद,	हिन्दी की प्रोन्नति	108,750 रु०	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं हिन्दी पुस्तकालय हिन्दी टंकन केन्द्र।	
8.	गोमांतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ मडगांव गोवा	हिन्दी की प्रोन्नति	115650 रु०	हिन्दी शिक्षण केन्द्र हिन्दी पुस्तकालय इत्यादि	
9.	कर्नाटक हिन्दी प्रचार सभा, जय नगर, बंगलौर	शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय इत्यादि चलाना	652538 रु०	हिन्दी शिक्षण केन्द्र हिन्दी पुस्तकालय इत्यादि	
10.	कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं पुस्तकालय, बादविवाद इत्यादि	660000 रु०	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं, पुस्तकालय तथा पठन-कक्ष, हिन्दी टंकण कक्षाएं, शिक्षक प्रशिक्षण कालेज, हिन्दी महाविद्यालय इत्यादि	
11.	मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद शंकरपुरम	हिन्दी शिक्षण केन्द्र, टंकण और आशुलिपि कक्षाएं इत्यादि	1033657 रु०	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं हिन्दी पुस्तकालय हिन्दी, टंकण/आशुलिपि कक्षाएं आदि	
12.	हिन्दी प्रचार संघ भूचोल, कर्नाटक	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं चलाना	110325 रु०	हिन्दी शिक्षण केन्द्र हिन्दी पुस्तकालय हिन्दी महाविद्यालय इत्यादि	
13.	केरल हिन्दी प्रचार सभा त्रिवेन्द्रम	केन्द्रीय महाविद्यालय टंकन और आशुलिपि कक्षाएं पुरस्कार इत्यादि	427550 रु०	हिन्दी पुस्तकालय, केन्द्रीय महाविद्यालय हिन्दी प्रचारक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पुरस्कार इत्यादि	
14.	बम्बई हिन्दी सभा बम्बई	हिन्दी की प्रोन्नति	129150 रु०	हिन्दी शिक्षण पुस्तकालय पत्रिकाएं इत्यादि	
15.	राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, बर्धा	पाठ्य-पुस्तक सांस्कृतिक कार्यक्रम हिन्दी प्रचारकों के लिए संगोष्ठियों का आयोजन इत्यादि	239925 रु०	हिन्दी महाविद्यालय हिन्दी शिक्षण, केन्द्र टंकण और आशुलिपि कक्षाएं	
16.	बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, बम्बई	शिक्षण केन्द्र पुस्तकालय, पठन कक्ष प्रचारक केन्द्र, सेमिनार, नाटक आदि।	7,58,190 रु०	हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय आदि	
17.	महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा 388, नारायण पथ, पूना	हिन्दी प्रोन्नति	1,50,750	केन्द्रीय ग्रन्थालय	
18.	मणिपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल	हिन्दी प्रोन्नति	2,04,450	हिन्दी कक्षाएं	
19.	मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इम्फाल	हिन्दी प्रोन्नति	1,59,750	-वही-	
20.	उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, कटक	हिन्दी शिक्षण केन्द्र व हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि केन्द्र चलाना	2,12,205	हिन्दी शिक्षण कक्षाएं हिन्दी शिक्षण कार्यक्रम	
21.	उड़ीसा राष्ट्रभाषा, परिषद जगन्नाथपुरी	”	1,94,925	हिन्दी कक्षाएं एवं नई हिन्दी का प्रचार	

1.	2.	3	4.	5.	6.
22.	रूपायण संस्थान, जोधपुर	हिन्दी की प्रोन्नति	2,00,000	राजस्थानी हिन्दी कहावतकोष तैयार करना हिन्दी की प्रोन्नति	
23.	हिन्दी प्रचार संस्थान, जयपुर	"	2,11,050	हिन्दी की प्रोन्नति	
24.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार (मद्रास, हैदराबाद, बंगलौर, तिरूचल्लापलि धारवाड, एवं अरनाकुलम में स्थित इसकी शाखाओं के लिए	निःशुल्क हिन्दी कक्षाएं, महाविद्यालय, टंकण एवं आशुलिपि कक्षाएं एवं पुरस्कार इत्यादि	23,73,237	हिन्दी पुस्तकालय, केन्द्रीय महाविद्यालय हिन्दी प्रचारक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम इत्यादि	
25.	अनुसंधान प्रतिष्ठान बी-4/245 सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली	हिन्दी की प्रोन्नति	2,00,000	हिन्दी की प्रोन्नति	
26.	केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद, नई दिल्ली	विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं प्रकाशन संघ, हिन्दी में पत्रिकाएं एवं पुस्तकें सेमिनार, हिन्दी के विकास के लिए सेमिनार, संगोष्ठियों इत्यादि के संघ	3,63,000	हिन्दी पत्रिकाओं एवं पुस्तकों इत्यादि के प्रकाशन, हिन्दी से संबंधित प्रतियोगिताओं के संघ के खर्च को वहन करने के लिए	
27.	अखिल भारतीय हिन्दी संघ, नई दिल्ली	हिन्दी प्रचार कार्यक्रम	6,35,412	स्थापना खर्च एवं हिन्दी प्रचार कार्यक्रमों को जारी रखना	
28.	भारतीय अन्वेषण परिषद 9, हैली रोड, नई दिल्ली	हिन्दी की प्रोन्नति	1,33,748	हिन्दी की प्रोन्नति	
29.	धरातल मेरीफिल उस्मानिया हैदराबाद	अरबी साहित्य का प्रकाशन	1,57,000	रखरखाव अनुदान	
30.	अजुमन तरक्की-ए-उर्दू हिन्दी, नई दिल्ली	उर्दू भाषा की प्रोन्नति	1,38,000	रखरखाव अनुदान	
संस्कृत					
1.	प्रिंसिपल श्री रंगलक्ष्मी, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, वृंदावन, मथुरा	शिक्षण	6,71,249	वेतन/छात्रवृत्तियां/फुटकर/पुस्तकें, फर्नीचर, वार्षिक उत्सव पुस्तकों की प्रिंटिग एवं मरम्मत	
2.	प्रिंसिपल जगदीश नरायण ब्रह्मचारी संस्कृत आश्रम संस्कृत महाविद्यालय, लगमा, वया लोहना रोड, रामभंदरपुर, जिला दरभंगा, बिहार	-वही-	6,18,508	वेतन/छात्रवृत्तियां/फुटकर/फर्नीचर/पुस्तकालयपुस्तकें/भवन की मरम्मत	
3.	प्रिंसिपल भगवानदास संस्कृत, एम०वी०पी०ओ० गुरूकुल कांगडी हरिद्वार (उ०प्र०)	-वही-	5,41,125	वेतन/छात्रवृत्तियां/फुटस्कर/फर्नीचर यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता/पुस्तकें भवन की मरम्मत और पुस्तकों की प्रिंटिग	
4.	प्रिंसिपल देवान कृण किशोर, एस०डी०आदर्श संस्कृत कालेज, अम्बाला केन्ट	-वही-	5,20,220	वेतन/छात्रवृत्तियां/भविष्यनिधि/फुटकर/फर्नीचर/पुस्तकें और टाइपराईटरो की खरीद	
5.	श्री एकरासानंद संस्कृत एम०वी० मेनपुरी (उ०प्र०)	-वही-	5,47,990	छात्रवृत्तियां/फुटकर/फर्नीचर/पुस्तकें/भवन की मरम्मत	
6.	मद्रास संस्कृत कालेज और एम०एस०वी० पाठशाला, 84, रोयपीठ हाई रोड मिलापुरे, मद्रास	-वही-	6,76,836	वेतन/छात्रवृत्तियां/फर्नीचर/फुटकर/भवन की मरम्मत	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	श्री स्वामी पी० आर० आदर्श बिहार	-वही-	4,75,475	-वही-	
8.	अम्बा देवी सं० एम० वी० द्वारा भारतीय विद्या भवन के० एम० मुंसी मार्ग बम्बई	-वही-	7,51,475	वेतनमान छात्रवृत्तियां//फुटकर/या०स० एंव य०या०/पुस्तकालय पुस्तक	
9.	हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ डाक, मंगोला जिला फरीदाबाद हरियाणा	-वही-	4,41,013	-वही-	
10.	कुप्पुस्वामी शास्त्री अनुसंधान संस्थान, 84-रायपीठ रोड् मिलापौर, मद्रास	अनुसंधान	3,95,513	फुटकर/छात्रवृत्रिया/वेतन/फर्नीचर/प्रकाशन भवन की मरम्मत/विज्ञापन	
11.	कालीकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ बल्लूमेरी जिला कालीकट (केरल)	शिक्षण	4,79,612	वेतन/फुटकर/यात्रा भत्ता एंवं महगाई भत्ता/छात्रवृत्तियां/पुस्तकें/एंव फर्नीचर	
12.	वैदिक संशोधन मंडला तिलक विद्यापीठ नगर पूना-9	अनुसंधान	4,12,019	फर्नीचर/फुटकर एवं पुस्तकालय पुस्तकें	
13.	श्री चन्द्रशेखन्द्रारा सरस्वती न्याया शास्त्र संस्कृत एम०वी० नं० 3, पूर्वी माड स्ट्रीट लिटल कांचीपुरम	शिक्षण	4,08,321	-वही-	
14.	लक्ष्मीदेवी शराफ आदर्श संस्कृत एम०वी० काली रखा गांव/डाक दयोगढ (बिहार)	-वही-	7,47,743	-वही-	
15.	राजकुमारी गणेश शर्मा आदर्श संस्कृत पाठशाला, लेहन्ता पतोरीट बिहार	-वही-	5,57,289	-वही-	
16.	हिमाचल आदर्श सं० एम० पी० जंगला रोहरो, हि०प्र०	-वहीं-	4,58,172	-वही-	
17.	संस्कृत शब्द कोश परियोजना पूना	संस्कृत शब्द कोष का तैयार करना	14,25,000	रखरखाव अनुदान	
18.	राजा वेद कोया पाठाशला, 5/76,III, क्रास एस० स्ट्रीट, श्रीनगर कालोनी, कुम्बाकोनम	शिक्षण	2,16,600	वेतन/छात्रवृत्तिया	
19.	भारतीय चतुर्धन वेदभवन न्यास, स्वदेशी हाऊस, सिविल लाईन, कानपुर	-वही-	1,59,600	-वही-	
20.	मुध्याधीशथताई, कर्या गुरूकुल एन० वी० हाथरस, जिला अलीगढ (उ०प्र०)	-वही-	1,10,700	-वही-	
21.	राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान 10, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली	वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा को प्रोन्नति के लिए परम्परागत वैदिक संस्थाओं को सहायता और छात्रवृत्तिया/फैलोशिप प्रदान करना इत्यादि	22,00,000	-वही-	
22.	निदेशक, कल्पतरू अनुसंधान अकादमी डाक सं० 1857, बंगलौर	प्रतिमा कोष के तीसरे एवं चौथे खण्ड का तैयार करना एवं प्रकाशन	2,59,006		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
उच्चतर शिक्षा					
1.	भारतीय विश्वविदयालय संघ, नई दिल्ली		19,37,000		
2.	डा० जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास, दिल्ली		6,00,000		
3.	श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, औरविल्ले।		16,24,468		
4.	श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी		14,69,016		
5.	मित्र निकेतन, वेलानाड		2,00,000		

केन्द्रीय प्रयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजनाओं* के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता संबंधी परिशिष्ट

*नवोदय विद्यालय पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाते हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजनाओं* के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता संबंधी परिशिष्ट

*नवोदय विद्यालय पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाते हैं।

परिशिष्ट 1

ओपेरेशन ब्लैड बोर्ड योजना के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(रू० लाखों में)

क्रमांक	संघ/राज्य प्रदेशोंका नाम	मुक्त की गयी राशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	621.62	1590.77	1209.29	2095.00	5516.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	63.17	71.81	46.76	82.16	263.90
3.	असम	826.69	0.00	692.41		1519.10
4.	बिहार	1868.41	2151.64	1407.66	1684.02	7111.73
5.	गोवा	12.03	23.62	37.32	47.47	120.44
6.	गुजरात	466.43	0.00	727.44	503.10	1696.97
7.	हरियाणा	62.93	117.33	111.33		291.65
8.	हिमाचल प्रदेश	148.75	280.94	458.09	297.03	1184.81
9.	जम्मू और काश्मीर	156.90	347.04	0.00		503.94
10.	कर्नाटक	168.67	853.09	537.08	717.54	2276.38
11.	केरल	151.11	223.44	0.00	156.12	530.67
12.	मध्य प्रदेश	1194.10	1981.26	0.00	1344.78	4520.14
13.	महाराष्ट्र	545.03	0.00	788.33	612.22	1945.58
14.	मणिपुर	38.03	98.78	0.00	47.88	184.69
15.	मेघालय	78.37	0.00	0.00	100.49	178.86
16.	मिजोरम	11.80	22.88	8.74	8.77	52.29
17.	नागालैण्ड	25.66	24.67	42.98	5.85	99.16
18.	उड़ीसा	753.00	1105.45	864.25	1818.32	4541.02
19.	पंजाब	334.11	384.25	115.69	219.29	1053.34
20.	राजस्थान	1175.55	1123.68	1568.63	3456.83	7324.69
21.	सिक्किम	41.57	9.06	0.00	15.36	65.99
22.	तमिलनाडु	480.80	856.92	1213.02	510.24	3060.98
23.	त्रिपुरा	42.12	0.00	49.59	7.70	99.41
24.	उत्तर प्रदेश	1759.43	1893.44	2757.26	860.94	7271.07
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	384.34	0.00	349.46	733.80
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	8.27		8.27
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	1.17		1.17
28.	दादरा और नगर हवेली	1.99	0.00	0.00	4.14	6.13
29.	दमन और दीव	0.00	1.19	0.00		1.19
30.	दिल्ली	32.49	0.00	32.39	53.59	118.47
31.	लक्षद्वीप	0.48	0.00	0.00		0.48
32.	पांडिचेरी	0.00	27.20	20.32	10.72	58.24
	कुल	11061.24	13572.80	12698.08	150009.12	52341.24

*इस योजना के लिये कर्मचारियों पर किया गया खर्च इसमें शिक्षा विभाग शामिल नहीं है। अतः इस योजना पर किया गया कुल खर्च का रेखीय प्रस्तुतीकरण से भिन्नता कुछ प्रतिबिम्बित होगी।

परिशिष्ट 2

गैर औपचारिक शिक्षा के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(रू० लाखों में)

क्रमांक	संघ/राज्य प्रदेशोंका नाम	मुक्त की	गयी राशि			
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	318.14	498.00	650.55	581.78	2048.47
2.	असम	182.01	203.23	264.96	159.40	809.60
3.	बिहार	1030.76	466.25	88.02	667.72	2252.75
4.	हरियाणा	11.46				11.46
5.	जम्मू और कश्मीर		64.68			64.68
6.	कर्नाटक	23.80	57.03			80.83
7.	मध्य प्रदेश	340.60	605.64	628.32	781.95	2356.51
8.	मिजोरम	2.19	2.07	2.22	2.06	8.54
9.	उड़ीसा	100.11	341.33	259.85	109.84	811.13
10.	राजस्थान	183.36	164.69	165.89	236.61	750.55
11.		7.02	6.39			13.41
12.	उत्तर प्रदेश	1082.33	544.31	485.30	925.47	3037.41
13.	पश्चिम बंगाल	267.18	100.00	41.49		408.67
14.	अंडमान निकोबार द्वीप समह	0.18				0.18
15.	चंडीगढ़	1.29	1.42	0.85	2.82	0.38
16.	दादरा और नगर हवेली	2.06				2.06
17.	मणिपुर		10.27		24.59	34.86
18.	गुजरात			40.74		40.74
	कुल	3552.49*	3065.31	2628.19	3492.24	12738.23

*स्वैच्छिक एजेंसियों को मुक्त की गयी राशि शामिल नहीं है।
अतः इस योजना पर किये गये कुल खर्चे का रेखीय प्रस्तुतीकरण से कुछ भिन्नता प्रतिबिम्बित होगी।

परिशिष्ट 3

ओपेरेशन ब्लैड बोर्ड योजना.के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(रू० लाखों में)

क्रमांक	राज्य/संघशासित प्रदेशों का नाम	मुक्त की गयी राशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	267.76	276.85	416.39	100.00	1067.00
2.	अरुणाचलम प्रदेश	35.70	3.00	0.00		38.70
3.	असम	182.75	264.90	182.45	35.00	665.10
4.	गोवा	0.00	0.00	28.30	2.00	30.30
5.	गुजरात	281.29	183.23	0.00		464.52
6.	हरियाणा	66.50	178.40	10.10	52.82	307.72
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	129.30	0.00		129.30
8.	जम्मू और कश्मीर	150.35	156.15	174.70		481.20
9.	केरल	60.74	100.40	280.00	94.81	535.95
10.	मध्य प्रदेश	448.42	490.60	439.20	386.28	1764.50
11.	महाराष्ट्र	0.00	380.80	0.00		380.80
12.	मणिपुर	0.00	33.70	0.00	1.10	34.70
13.	मिजोरम	31.50	3.00	0.00	31.85	66.35
14.	नागालेंड	0.00	32.00	0.00	28.00	60.00
15.	उड़ीसा	274.05	211.95	198.77	33.00	717.77
16.	पंजाब	179.00	86.00	152.30	108.40	525.70
17.	राजस्थान	335.40	349.85	547.04	438.15	1670.44
18.	सिक्किम	0.00	35.50	0.00		35.50
19.	तमिलनाडु	208.70	342.50	798.52	105.00	1454.72
20.	त्रिपुरा	0.00	0.00	26.60		26.60
21.	उत्तर प्रदेश	536.46	363.87	250.63	363.59	1514.55
22.	पश्चिम बंगाल	132.69	15.00	0.00	147.69	0.00
23.	दिल्ली	56.20	14.90	63.97	40.05	175.12
	कुल	3247.51	3651.90	3568.87	1678.26	12146.54

*शिक्षकों की सकल शिक्षा पर किया गया खर्च शामिल नहीं है। अतः इस योजना पर कुल खर्च का रेखीय प्रस्तुतीकरण कुछ भिन्नतात प्रतिबिम्बित होगी।
*इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से वर्ष 1987-88 और 1988-89 में जारी की गयी सभी कृतियों को मार्च, 1991 में रद्द कर दिया गया।

परिशिष्ट—4

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को व्यावसायिकरण की योजना के लिये सहायता

(रु० लाखों में)

क्रमांक	संघ/राज्य प्रदेशोंका नाम		मुक्त की गयी राशि			
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	562.63	730.32	177.06	886.85	2356.86
2.	अरुणाचल प्रदेश					
3.	असम	30.10	82.61		42.62	155.33
4.	बिहार	136.09		7.41	558.61	702.11
5.	गोवा	68.53	28.47	64.59	80.63	242.22
6.	गुजरात		236.64	1173.31	778.031	2187.98
7.	हरियाणा	276.12	353.03	129.87	184.83	943.85
8.	हिमाचल प्रदेश	30.90	1.86	98.06	177.475	308.295
9.	जम्मू और कश्मीर				16.50	16.50
10.	कर्नाटक	93.00	244.70	49.21	156.80	543.71
11.	केरल		226.42	223.44	353.23	803.09
12.	मध्य प्रदेश	57.16	745.00	1121.48	1221.42	3145.06
13.	महाराष्ट्र	495.90	469.66	509.38	267.21	1742.15
14.	मणिपुर		11.68		20.75	20.75
15.	मेघालय				20.75	20.75
16.	मिजोरम	21.42	7.12		16.68	45.22
17.	नागालैण्ड	8.00			14.84	22.84
18.	उड़ीसा	156.19	600.00	83.72	510.40	1350.31
19.	पंजाब	211.59		50.25	371.71	633.55
20.	राजस्थान	58.347	159.22	72.35	561.543	851.453
21.	तमिलनाडु	112.56	225.00	358.11	279.558	975.228
22.	तमिलनाडु	112.56	225.00	358.11	279.558	975.228
23.	त्रिपुरा					
24.	उत्तर प्रदेश	829.88	800.00	203.69	707.25	2540.82
25.	पश्चिम बंगाल	40.69				40.69
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह			3.24	3.238	6.478
27.	चंडीगढ़		42.70	42.70	12.34	97.74
28.	दादरा और नगर हवेली					
29.	दमन और द्वीव					
30.	दिल्ली	36.52		4.18	42.46	83.56
31.	पांडिचेरी			16.63	16.63	16.63
	कुल	3225.62	4964.43	4372.05	7287.33	19849.43

*चंडीगढ़ के सामने वर्ष 1988-89 में दशार्ये गये 42-70 लाख रुपयों का वर्ष 1988-89 के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दावा पेश नहीं किया जा सका।

परिशिष्ट—5

विज्ञान शिक्षा योजना के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता

(रु० लाखों में)

क्रमांक	राज्यों/संघशासित प्रदेशों का नाम	मुक्त की गई राशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	99.25	107.15	400.37	132.25	739.25
2.	अरूणाचल प्रदेश		3.72			3.72
3.	असम	7	3.95.32	90.25	141.66	627.23
4.	बिहार		365.44	11.24		376.68
5.	गोवा	35.99		36.03	56.76	128.78
6.	गुजरात			142.31		142.31
7.	हरियाणा		279.66			279.66
8.	हिमाचल प्रदेश	99.55	216.13		139.84	455.52
9.	जम्मू और कश्मीर	30.67		97.95	167.10	295.72
10.	कर्नाटक	417.70	95.69	45.75	167.88	727.02
11.	केरल	200.92		199.43	152.72	553.07
12.	मध्य प्रदेश	113.55	300.00	244.56	7.28	665.39
13.	महाराष्ट्र	626.10		5.42	5.42	631.52
14.	मणिपुर		108.00		87.05	195.05
15.	मेघालय				35.20	35.20
16.	मिजोरम	13.78		87.76	84.42	185.96
17.	नागालैण्ड	11.55		8.40		19.95
18.	उड़िसा	200.00		268.82		468.82
19.	पंजाब	130.06		1.37	349.97	481.40
20.	राजस्थान	349.52			139.84	489.36
21.	सिक्किम			12.41	20.14	32.55
22.	तमिलनाडु	217.69	198.41	251.13	93.37	760.60
23.	त्रिपुरा		27.45		0.74	28.19
24.	उत्तर प्रदेश	313.47	300.00	98.10	13.45	725.02
25.	पश्चिम बंगाल		514.37		147.18	661.55
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.34		21.52	5.84	34.70
27.	चंडीगढ़	5.82		21.52	20.18	26.00
28.	दादरा और नगर हवेली				5.52	5.22
29.	दिल्ली	53.47	73.42	102.59	55.60	285.08
30.	दमन और दीव		4.56			4.56
31.	लक्षद्वीप	0.23	1.28			1.51
32.	पांडिचेरी		20.82	7.03	4.32	32.17
	कुल	2926.66	3005.58	2132.86	2033.43	10098.35

** स्वैच्छिक एजेंसियों को मुक्त किये गये अनुदान शामिल नहीं है। अतः इस योजना पर किये गये कुल खर्चे के रेखीय प्रस्तुतीकरण में कुछ भिन्नतांत प्रतिबिम्बित होगी।

परिशिष्ट—6

शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के लिए राज्यों/संघशासित प्रदेशों की सहायता

(रु० लाखों में)

क्रमांक	राज्यों/संघशासित प्रदेशों का नाम	मुक्त की गई राशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	247.00	278.11	113.00	227.90	866.01
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	1.72	1.14		2.86
3.	असम	—	20.92	42.20	73.53	136.65
4.	बिहार	—	23.54	8.33		31.87
5.	गोवा	3.24	3.31	1.76	5.29	13.60
6.	गुजरात	273.75	—	173.65	96.19	543.59
7.	हरियाणा	—	7.04	39.90	50.00	96.94
8.	हिमाचल प्रदेश	9.62	10.72	45.80		66.14
9.	जम्मू और कश्मीर	—	900	17.82	102.99	129.81
10.	कर्नाटक	22.52	60.38	66.37	15.81	165.08
11.	केरल	7.16	13.46	27.87		48.49
12.	मध्य प्रदेश	—	193.80	30.46	29.16	253.42
13.	महाराष्ट्र	—	72.00	93.00	126.20	291.20
14.	मणिपुर	—	1.82	1.21	10.08	13.11
15.	मेघालय	—	0.91	4.23	5.00	10.13
16.	मिजोरम	2.18	6.03	9.13		17.34
17.	नागालैण्ड	2.82	—	7.72		10.54
18.	उड़ीसा	45.84	78.03	128.80	258.25	510.92
19.	पंजाब	—	19.84	48.23	60.00	128.07
20.	राजस्थान	—	113.62	91.92		205.54
21.	सिक्किम	—	2.82	1.88	3.50	8.20
22.	तमिलनाडु	—	30.00	70.00	100.00	200.00
23.	त्रिपुरा	—	0.26	0.17	0.06	0.49
24.	उत्तर प्रदेश	72.00	112.26	20.84		205.10
25.	पश्चिम बंगाल	—	19.46	12.97		32.43
26.	अंडमान और निकोबार दीव समूह	—	0.48	0.32	0.50	1.30
27.	चंडीगढ़	—7	1.37	0.48	1.11	2.96
28.	दिल्ली	28.64	36.11			64.75
29.	दमन और दीव	—	0.18	0.12		0.30
30.	दादरा और नगर हवेली	0.33	—	0.22		0.55
31.	लक्षद्वीप	.16	0.03	0.13		0.32
32.	पांडिचेरी	—	1.84	1.23		3.07
	कुल	715.26	1119.05	1060.90	1165.57	4060.78

* शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेल तथा केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान पर किये गये खर्च और राज्य शिक्षा संस्थान को मुक्त किये गये अनुदान इसमें शामिल नहीं हैं। अतः इस योजना पर किये गये कुल खर्च संबंधी रेखीय प्रस्तुतीकरण में कुछ भिन्नतांत, प्रतिबिम्बित होगी।

परिशिष्ट—7

पर्यावरण शिक्षा योजना के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता

(रु० लाखों में)

क्रमांक	राज्यों/संघशासित प्रदेशों का नाम	मुक्त की गई राशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश		22.37		20.16	42.53
2.	अरूणाचल प्रदेश		4.81			4.81
3.	असम		20.20			4.20
4.	बिहार		20.17			20.17
5.	गोवा				8.45	8.45
6.	गुजरात			4.82		4.82
7.	हरियाणा			0.66		0.66
8.	हिमाचल प्रदेश		9.15			9.15
9.	कर्नाटक		8.04	24.11	58.90	91.05
10.	केरल			2.07		2.07
11.	मध्य प्रदेश		9.60	28.80		38.40
12.	महाराष्ट्र			9.73		9.73
13.	मिजोरम		1.82	1.97		3.79
14.	उड़ीसा		18.47			18.47
15.	राजस्थान		37.52		16.56	54.08
16.	तमिलनाडु		17.73	16.55	33.86	68.14
17.	त्रिपुरा		3.04		9.12	12.16
18.	उत्तर प्रदेश			14.85		13.85
19.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		2.48			2.48
20.	दिल्ली			7.73	9.71	17.44
21.	पांडिचेरी		0.94		2.16	3.10
	कुल	0.00	160.34	110.29	158.92	429.55

परिशिष्ट—8

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता

(रु० लाखों में)

क्रमांक	राज्यों/संघशासित प्रदेशों का नाम	दी जाने वाली राशि				
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश		14.71		12.80	27.51
2.	बिहार	10.10	1.70	2.62	7.67	22.09
3.	गुजरात	4.24		8.57	5.87	18.68
4.	हरियाणा			20.55	19.77	40.32
5.	हिमाचल प्रदेश		8.24	5.63	7.40	21.27
6.	जम्मू एवं कश्मीर				19.98	19.98
7.	कर्नाटक	16.29	28.78	10.86		55.93
8.	केरल	61.08	55.00	60.00	100.47	276.55
9.	मध्य प्रदेश		0.63	1.66	17.40	19.19
10.	मणिपुर				3.97	3.97
11.	महाराष्ट्र	16.40	19.42	14.27		50.09
12.	मिजोरम	10:00	10.00	16.79	24.79	61.58
13.	नागालैण्ड	5.55	10.76	10.74	9.36	36.41
14.	उड़ीसा	18.47	13.99	15.03	23.87	71.36
15.	पंजाब	4.17	4.58			8.75
16.	राजस्थान	48.26		33.23	33.44	114.93
17.	तमिलनाडु				5.76	5.76
18.	उत्तर प्रदेश	9.55		11.95	16.97	38.47
19.	अंडमान और निकोबार द्वीव समूह	11.41	14.28	15.65	13.90	55.24
20.	दिल्ली	1058	11.27	12.17	18.92	53.44
21.	गोवा			0.09	0.45	0.54
22.	दमन एवं द्वीव				0.49	0.49
	कुल योग	226.10	193.86	239.31	343.28	1002.55

परिशिष्ट—9

नवोदय विद्यालयों को चलाने के लिए किया गया राज्यवार खर्च

(रु० लाखों में)

क्रमांक	राज्यों/संघशासित प्रदेशों का नाम	मुक्त की गई राशि					
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91 गै.यो.	यो.	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	115.80	227.90	270.92	242.50	107.80	964.92
2.	अरूणाचल प्रदेश	19.12	42.48	61.59	40.50	27.75	191.44
3.							
4.	बिहार	159.94	296.13	372.11	322.55	130.30	1281.03
5.	गोवा	10.61	17.99	20.12	17.70	10.10	76.52
6.	गुजरात	32.72	73.27	85.24	74.50	37.45	303.18
7.	हरियाणा	50.87	94.18	124.73	107.60	47.90	425.28
8.	हिमाचल प्रदेश	71.16	109.65	128.34	109.50	43.70	462.35
9.	जम्मू एवं कश्मीर	88.13	125.46	143.66	138.90	75.60	571.75
10.	कर्नाटक	110.23	223.88	247.72	227.00	97.30	906.13
11.	केरल	75.09	140.47	142.85	140.85	52.40	551.66
12.	मध्य प्रदेश	161.18	285.10	323.43	296.50	149.10	1215.31
13.	महाराष्ट्र	128.35	211.99	261.49	241.90	104.50	948.23
14.	मणिपुर	17.29	67.88	77.30	67.05	37.45	266.97
15.	मेघालय	28.66	29.20	36.17	28.60	15.45	138.08
16.	मिजोरम	11.73	18.85	17.63	15.50	11.30	75.01
17.	नागालैण्ड	1.31	13.84	12.16	10.05	5.65	42.51
18.	उड़िसा	97.06	155.21	171.21	157.70	64.60	645.78
19.	पंजाब	45.71	67.56	99.44	90.50	41.20	344.41
20.	राजस्थान	86.08	201.19	254.58	229.60	107.00	878.45
21.	सिक्किम	7.99	7.04	9.24	9.30	5.65	39.22
22.	तमिलनाडु	217.69	198.41	251.13	93.37	760.60	
23.	त्रिपुरा	—	4.08	13.39	8.00	4.95	30.42
24.	उत्तर प्रदेश	171.72	307.60	403.42	351.90	156.40	1390.04
25.	अंडमान और निकोबार द्वीव समूह	12.83	18.30	28.85	21.90	10.80	92.68
26.	चंडीगढ़	4.04	5.77	9.79	8.90	5.65	34.15
27.	दिल्ली	—	8.79	10.24	8.15	4.95	32.13
28.	दमन और दीव	4.35	10.46	12.38	12.00	10.60	49.79
29.	दादरा एवं नगर हवेली	15.27	11.25	14.35	11.10	5.15	57.12
30.	लक्षद्वीप	—	16.34	8.13	8.40	5.95	37.82
31.	पांडिचेरी	28.21	45.26	54.56	51.20	21.60	200.83
	कुल	685184.85	105995.62	53815.64	3049.45	1397.25	12253.21

स्कूल भवनों के निर्माण पर किया गया पूंजीगत खर्च शामिल नहीं किया गया है अतः इस योजना पर किये गये खर्च का रेखीय प्रस्तुतीकरण में कुछ भिन्नताएं प्रतिबिम्बित होगी।

चार्ट

शिक्षा पर व्यय (छठी योजना)
केन्द्रीय क्षेत्र

(करोड़ रूपए में)

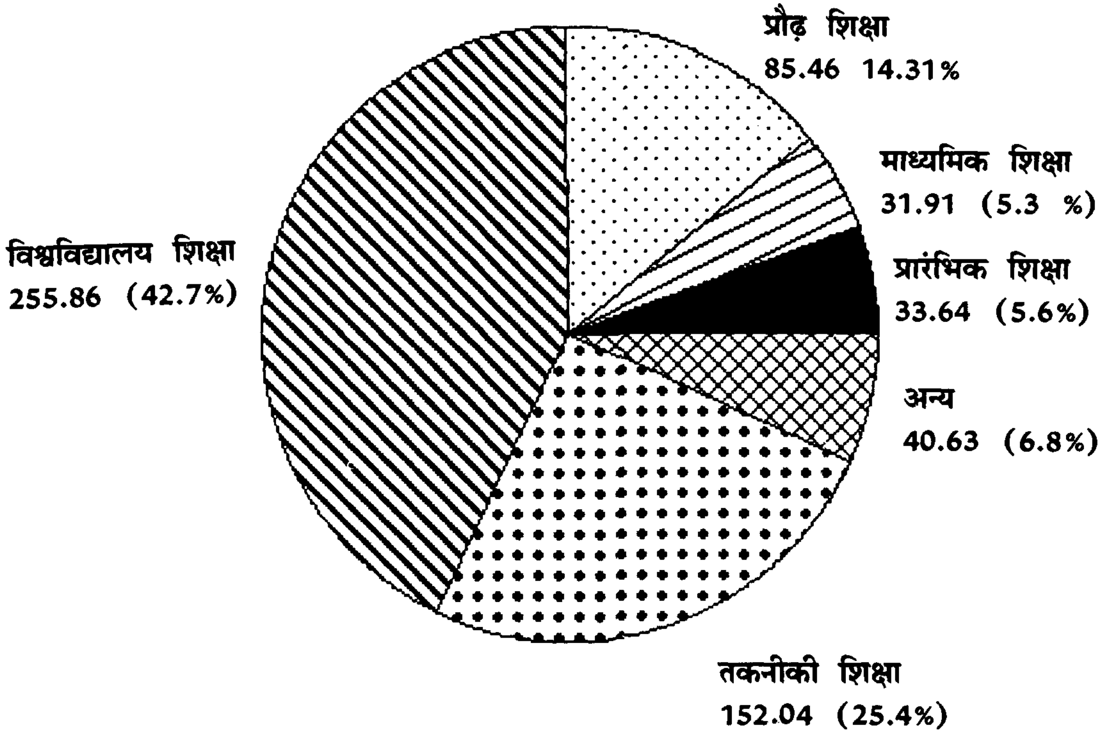

शिक्षा पर व्यय (छठी योजना)
केन्द्रीय + राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए में)

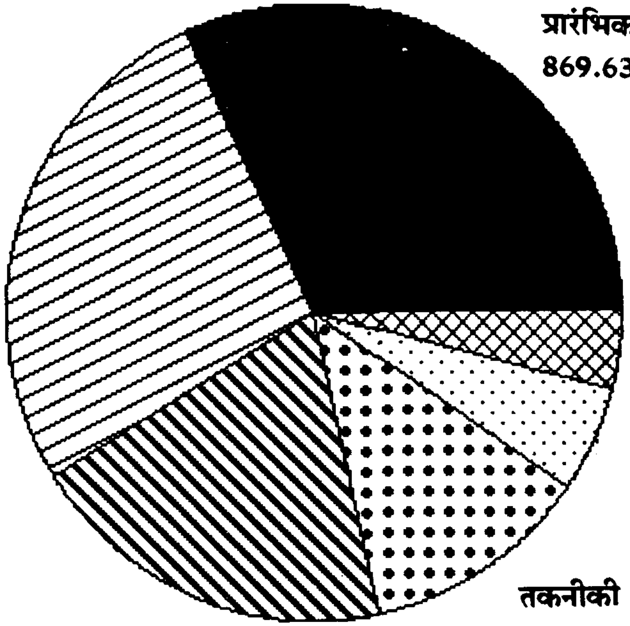

शिक्षा पर व्यय (सांतवी योजना)
केन्द्रीय क्षेत्र

(करोड़ रूपए में)

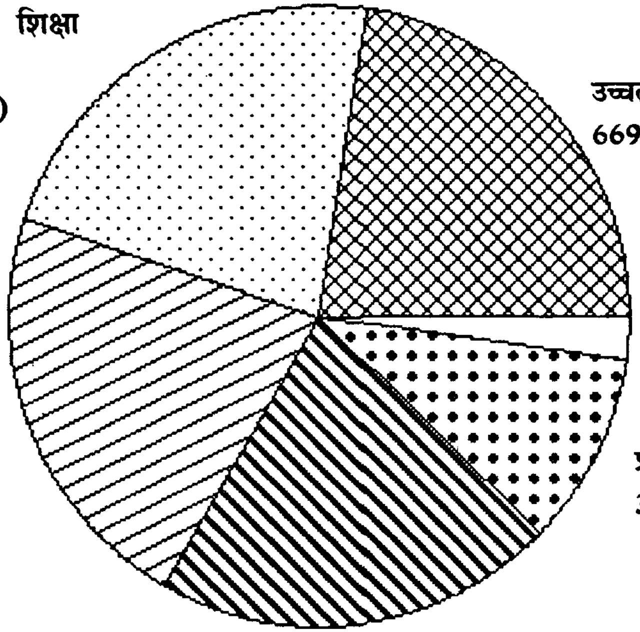

शिक्षा पर व्यय (सांतवी योजना)
केन्द्रीय + राज्य क्षेत्र

रुपए (करोड़ों में)

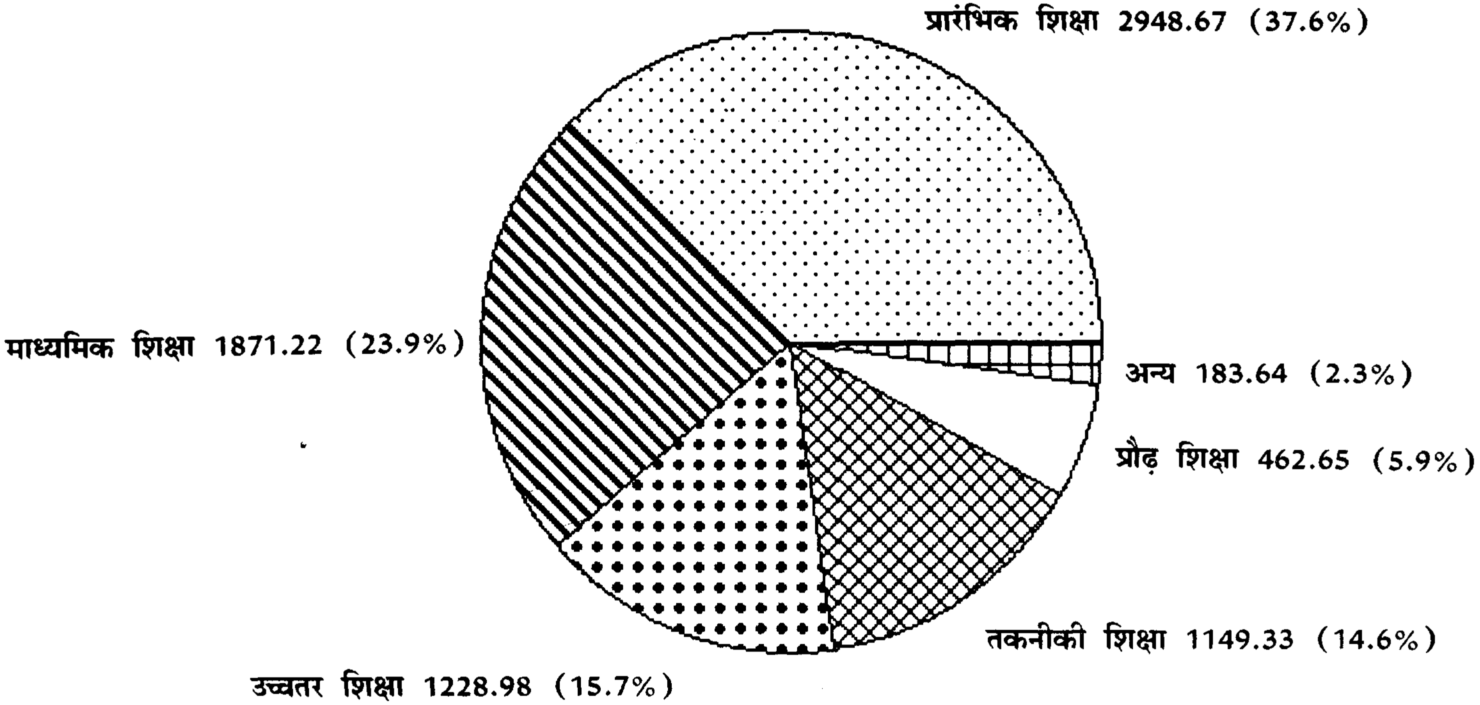

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

कुल शिक्षा

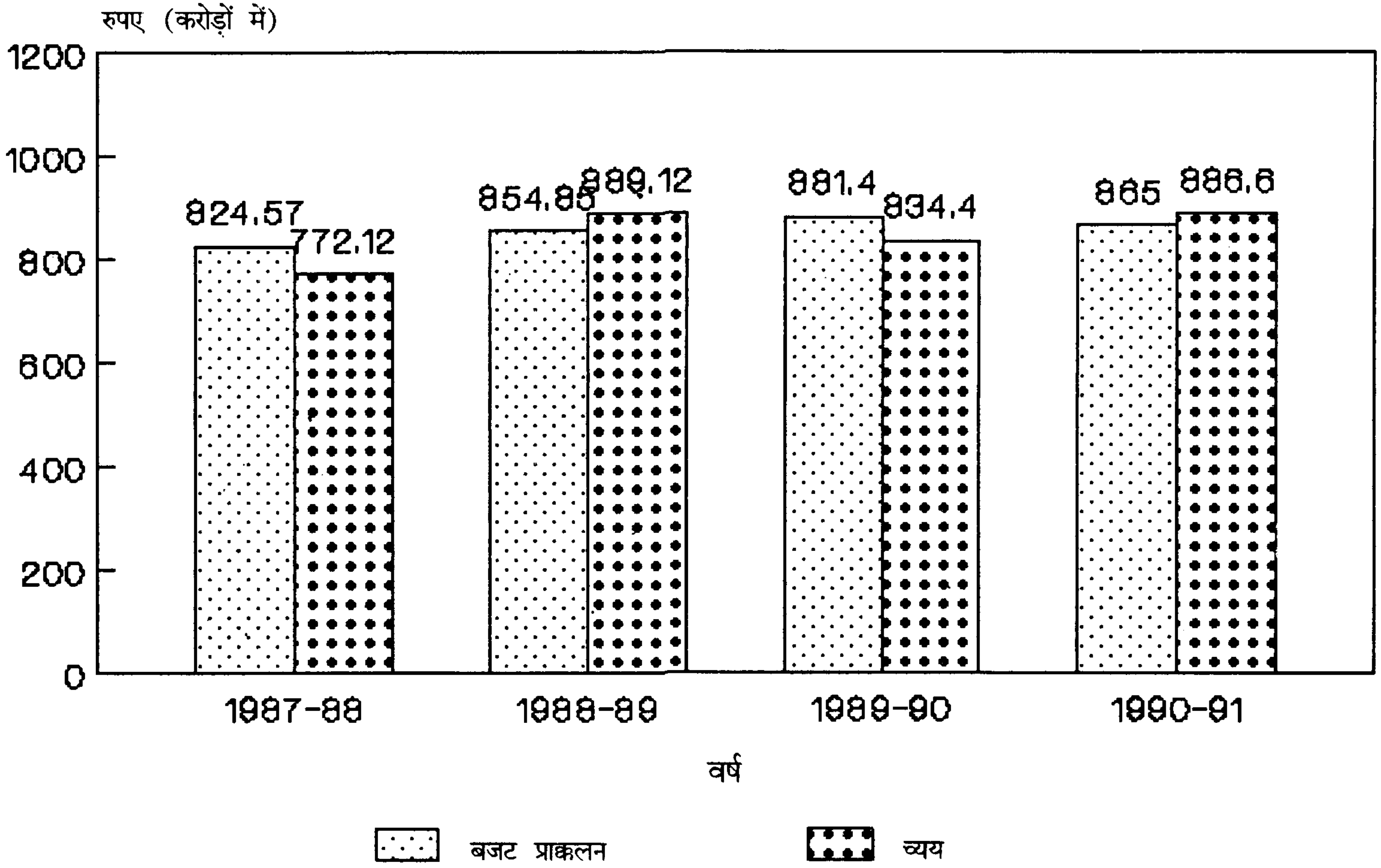

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनेत्तर
वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय
कुल शिक्षा

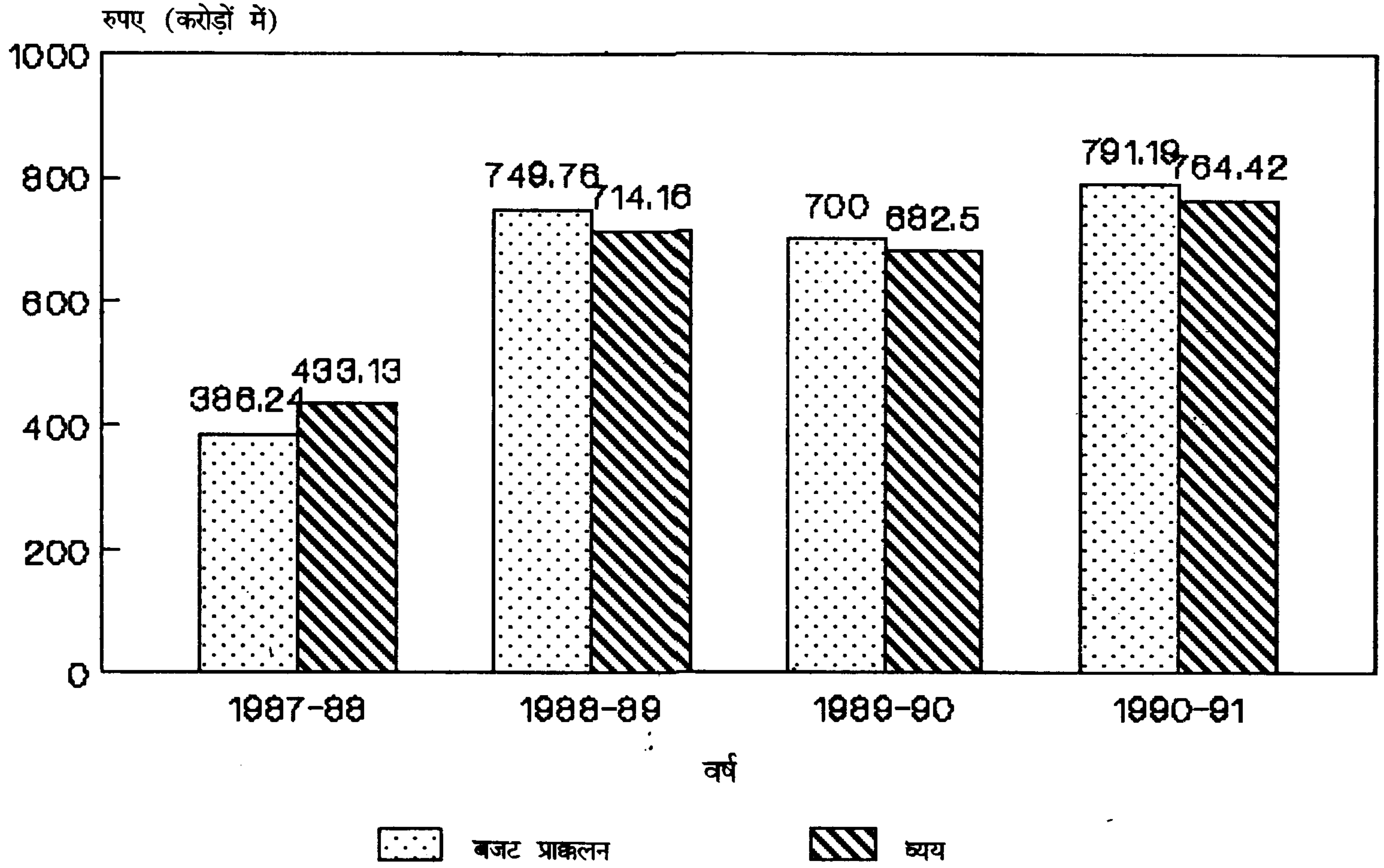

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

आपरेशन ब्लैकबोर्ड

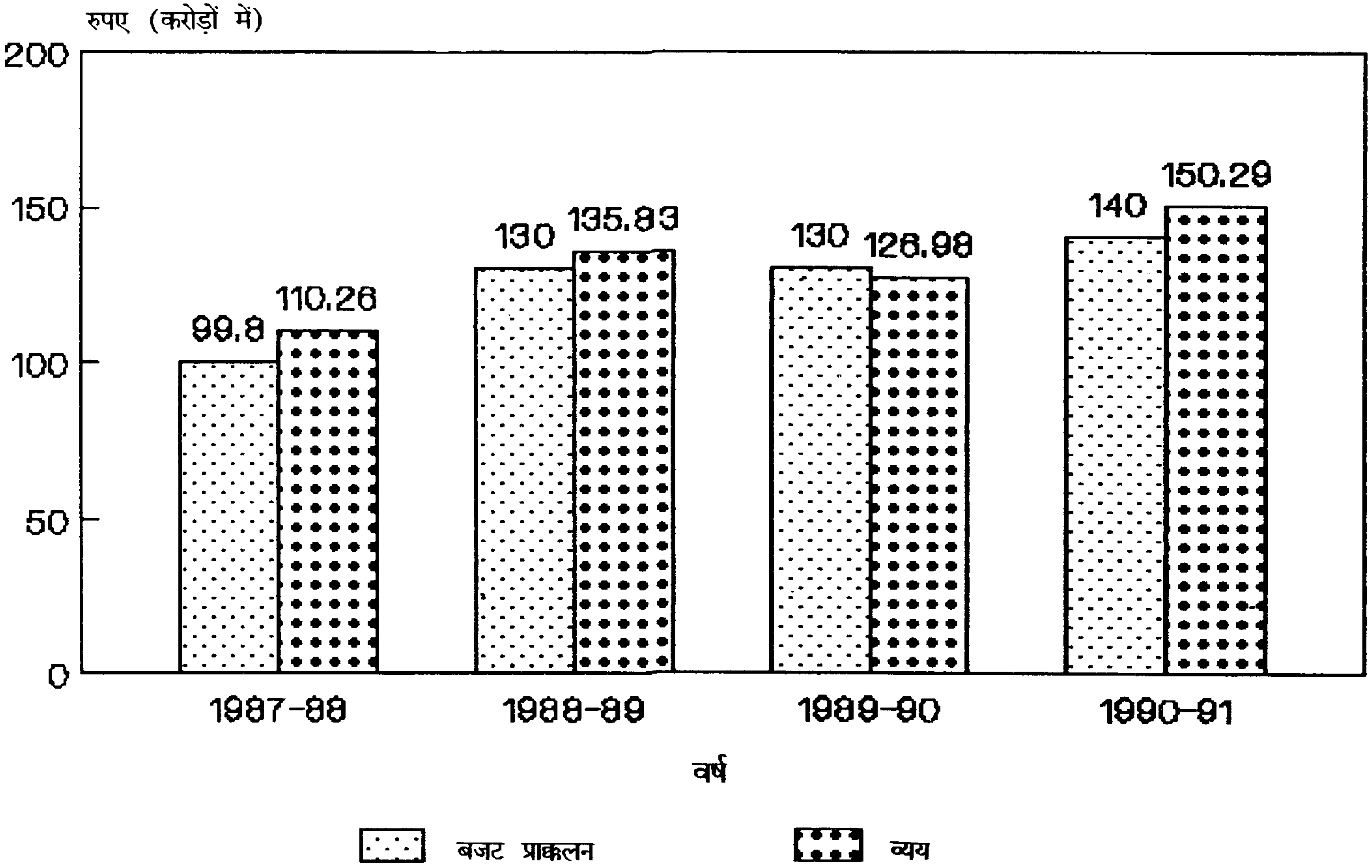

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

गैर-औपचारिक शिक्षा

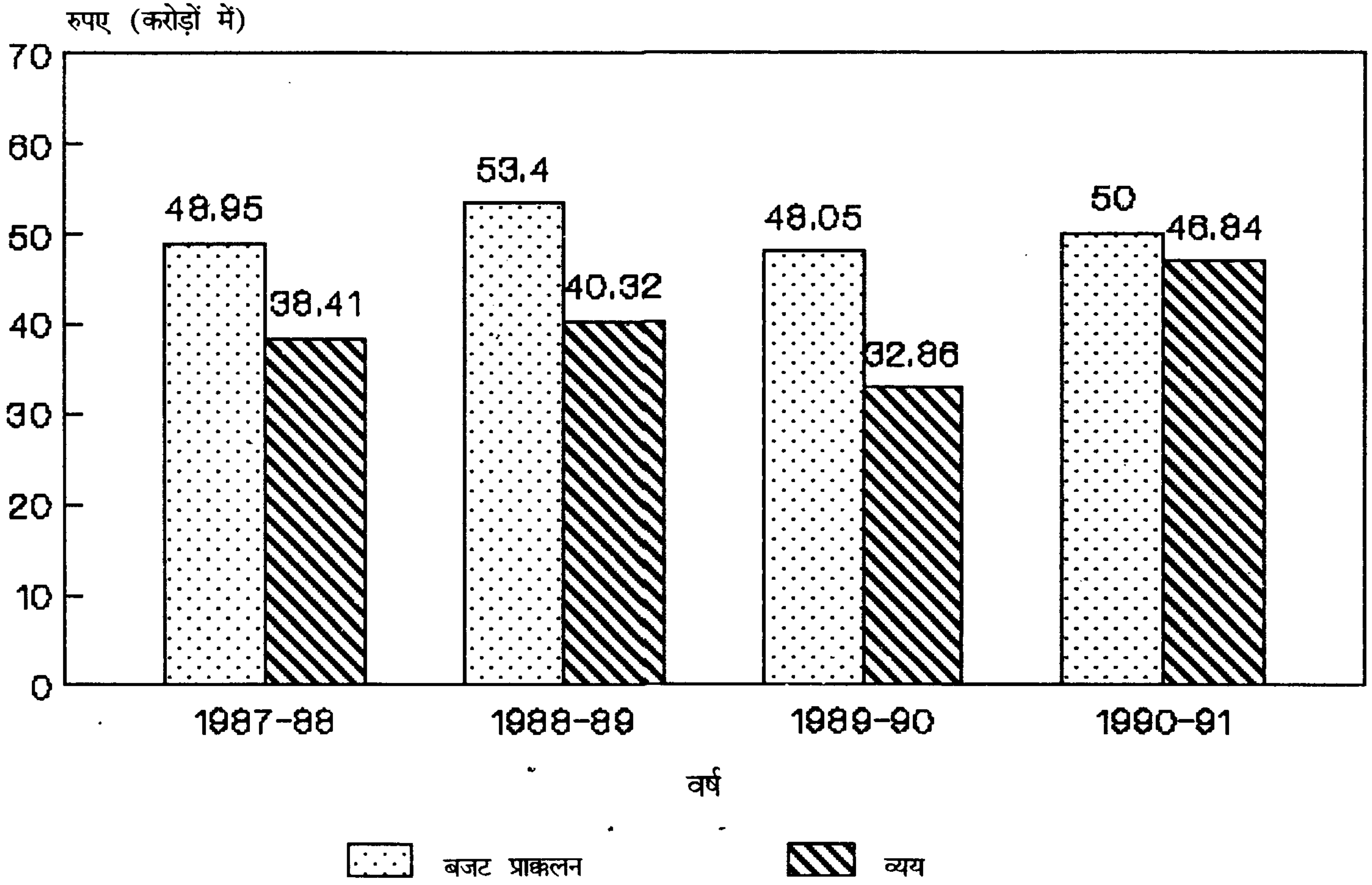

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

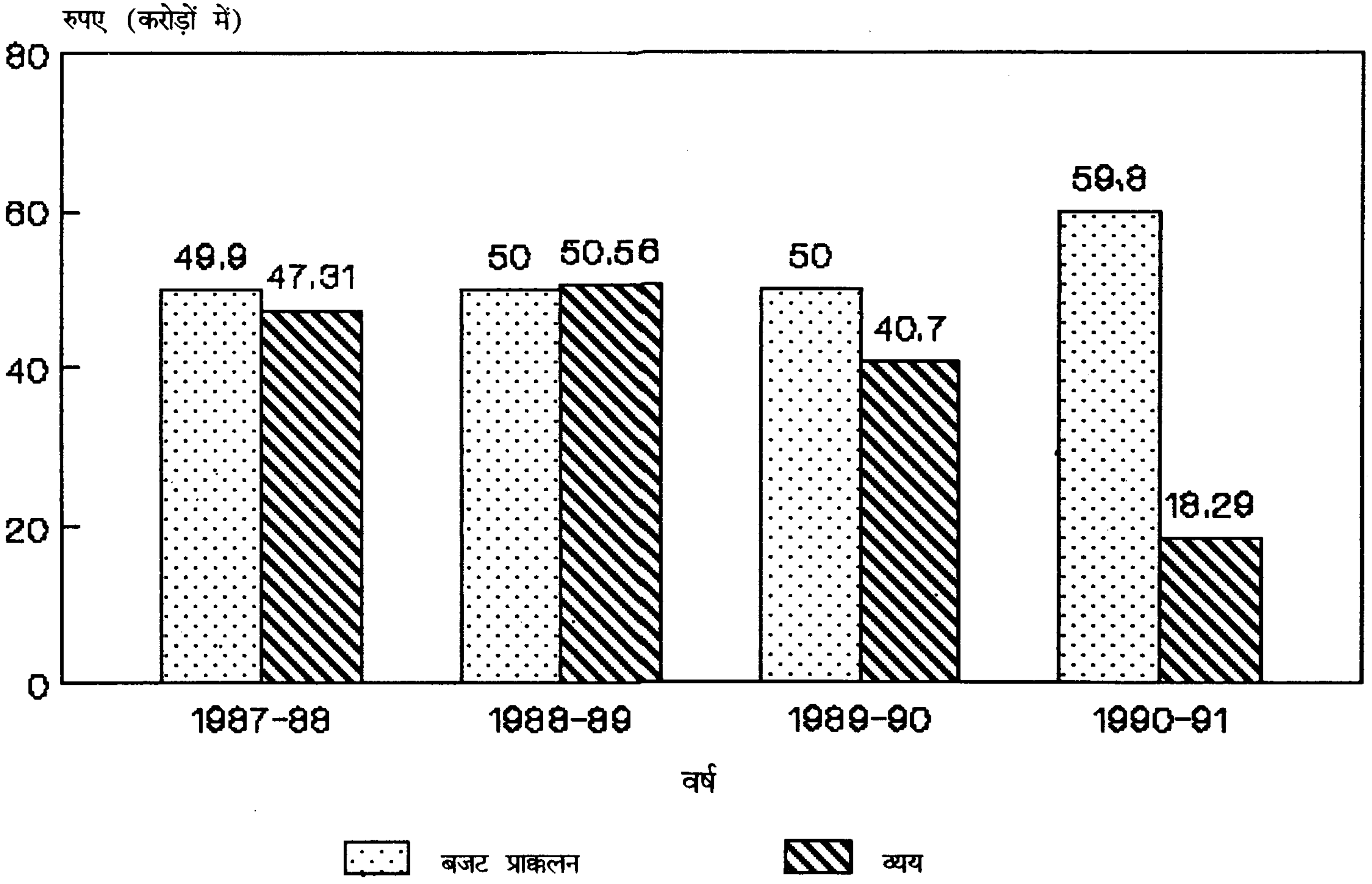

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

व्यावसायीकरण

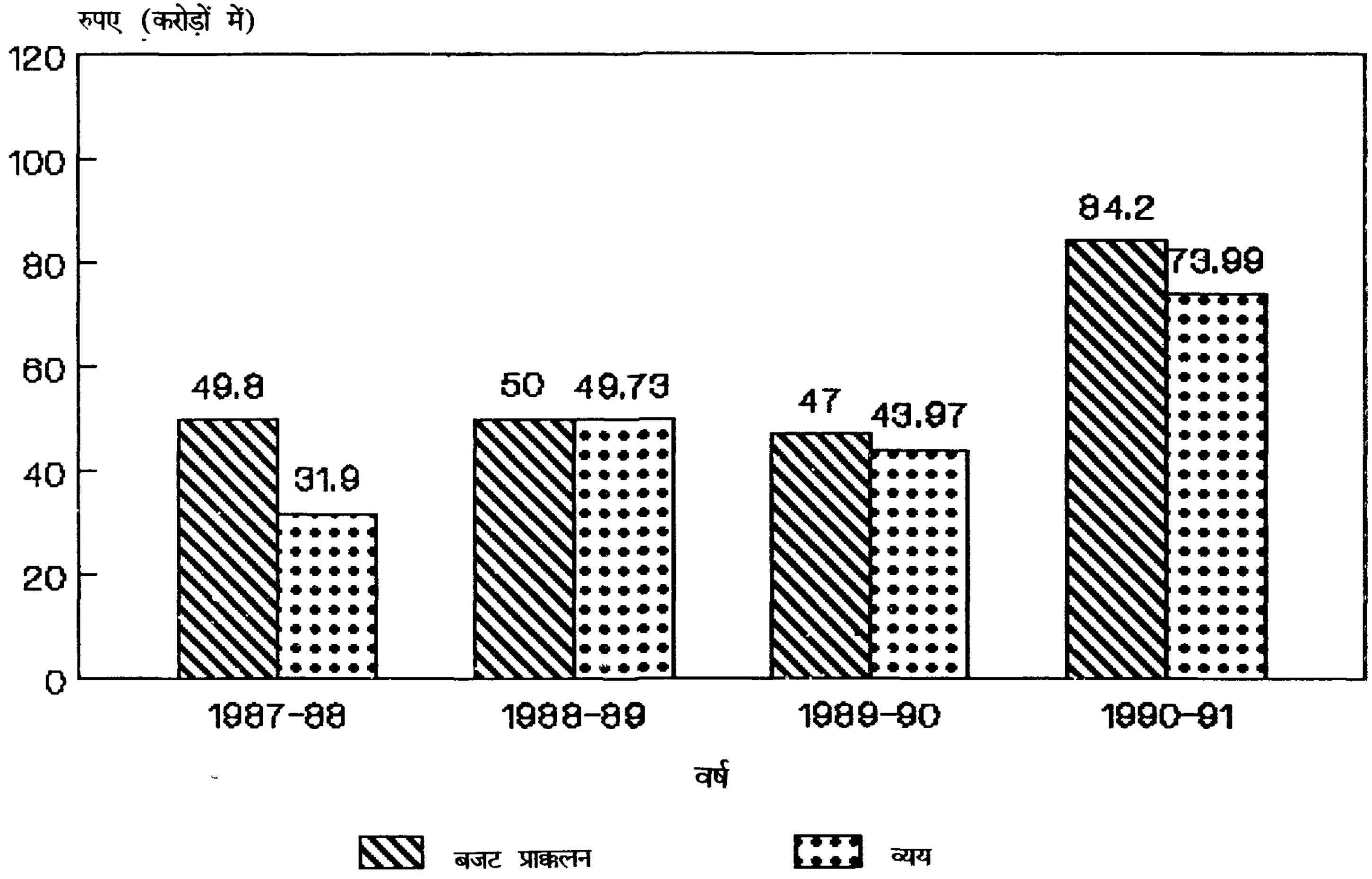

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

विज्ञान शिक्षा

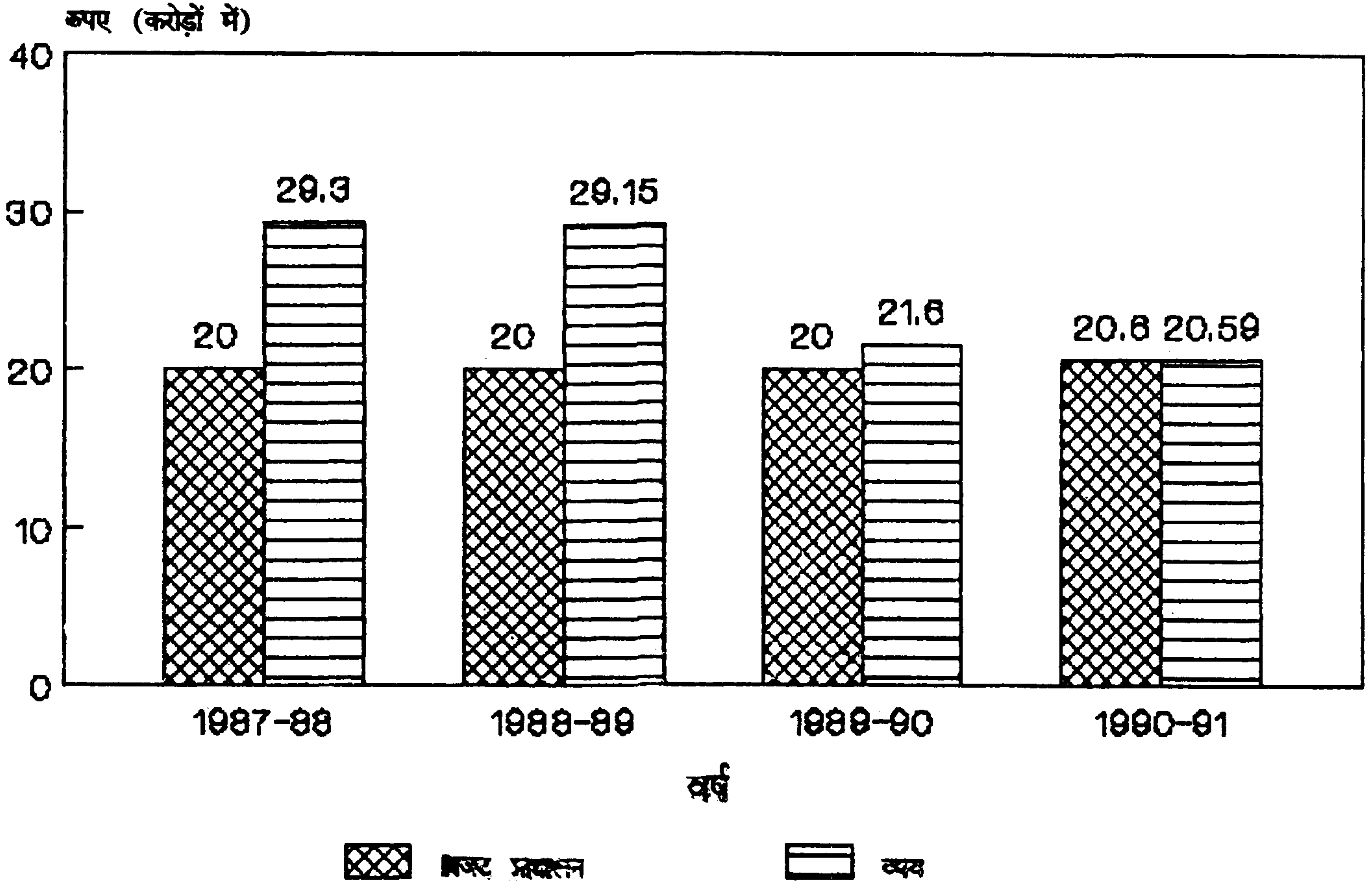

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

शिक्षा प्रोद्योगिकी

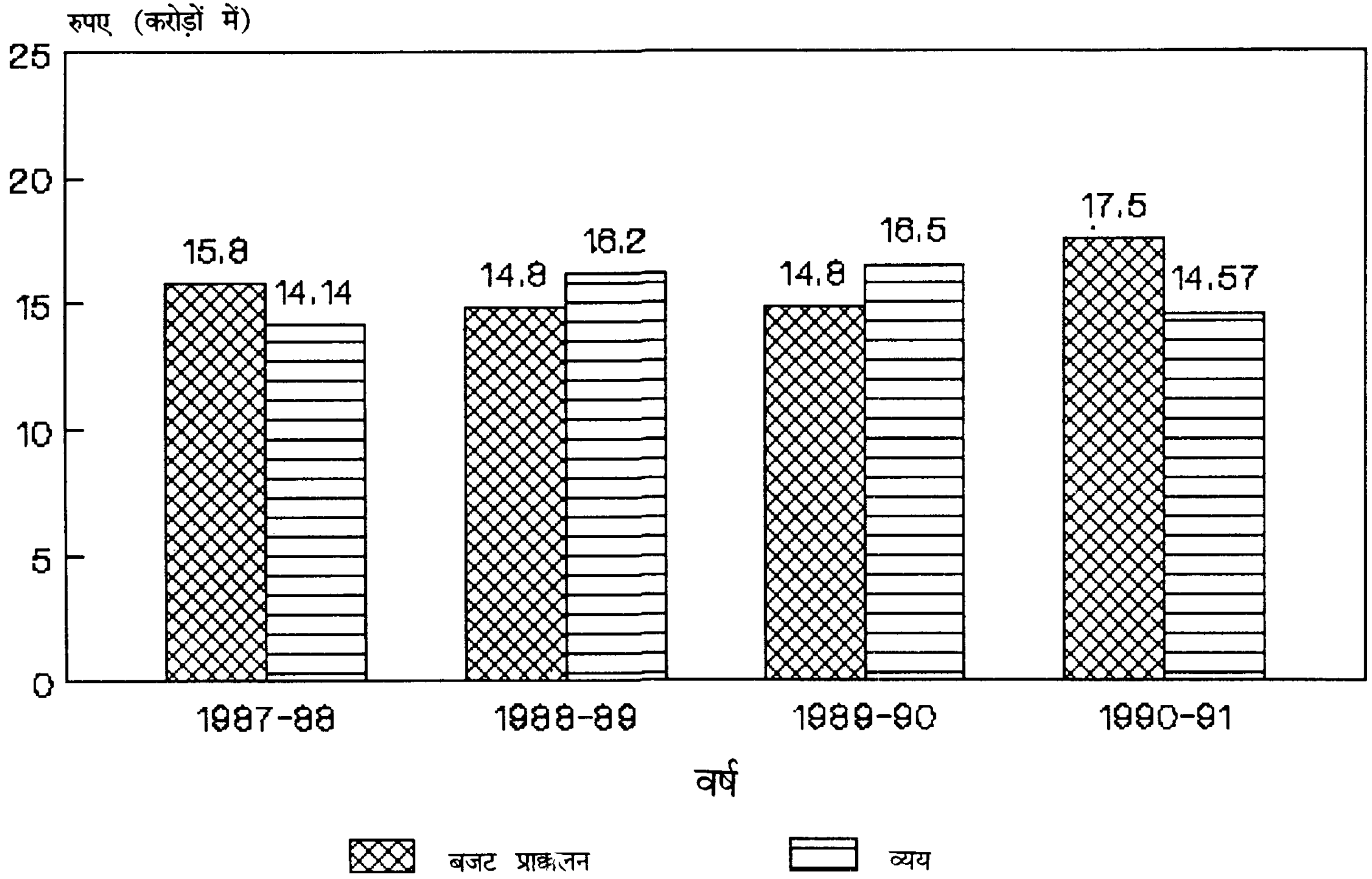

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन

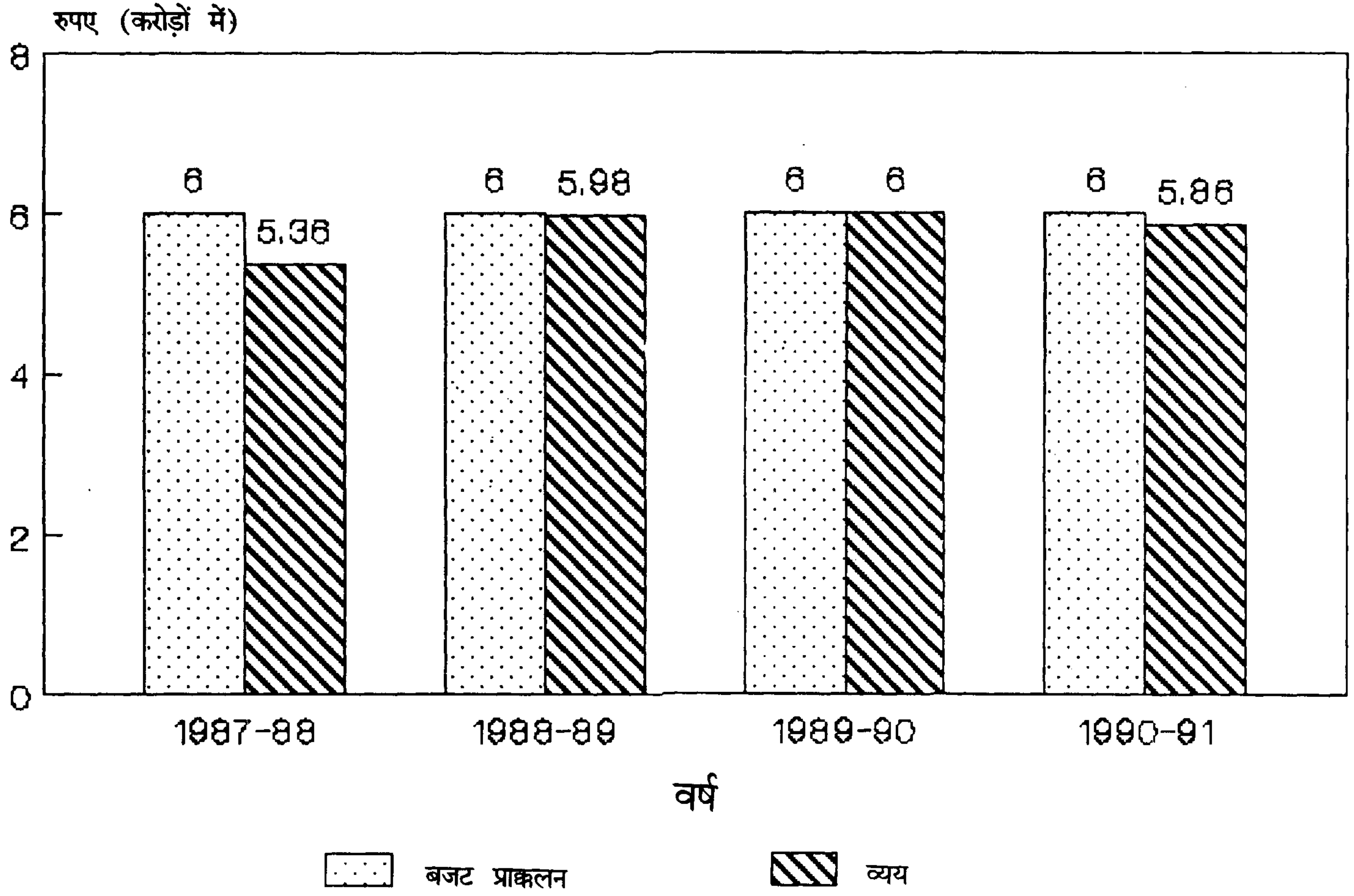

212

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

नवोदय विद्यालय

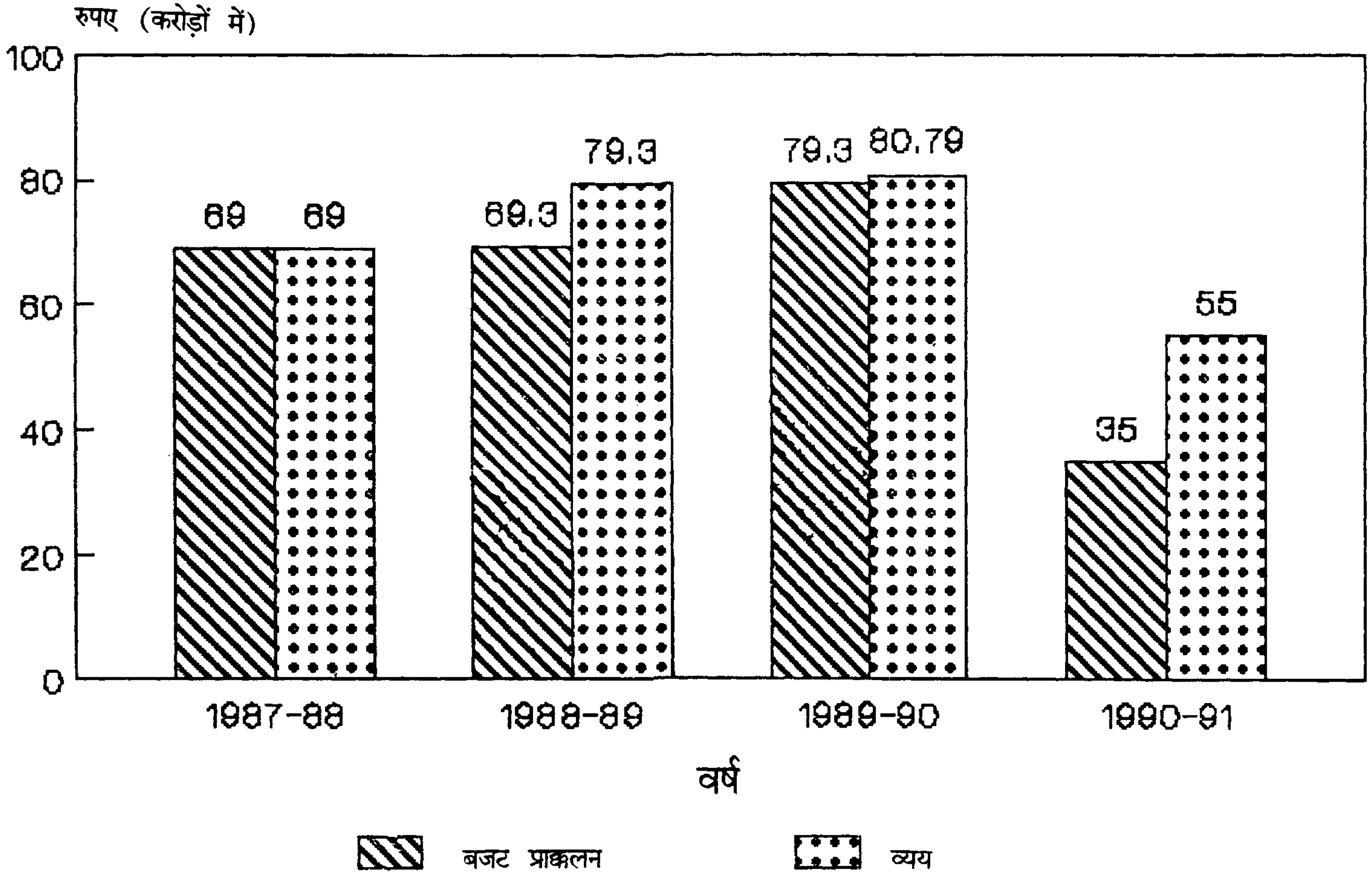

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनेत्तर

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

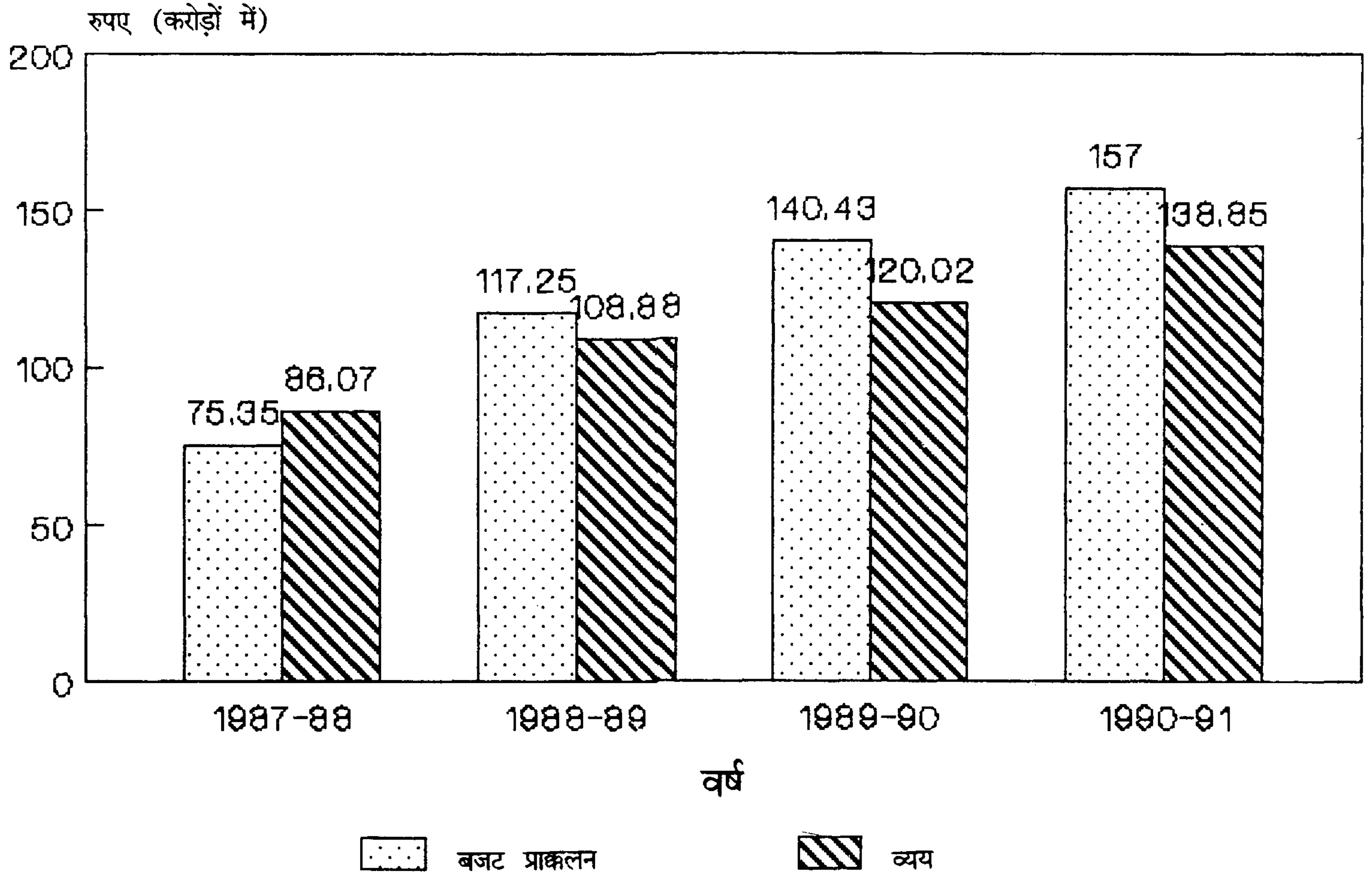

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनेत्तर

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद

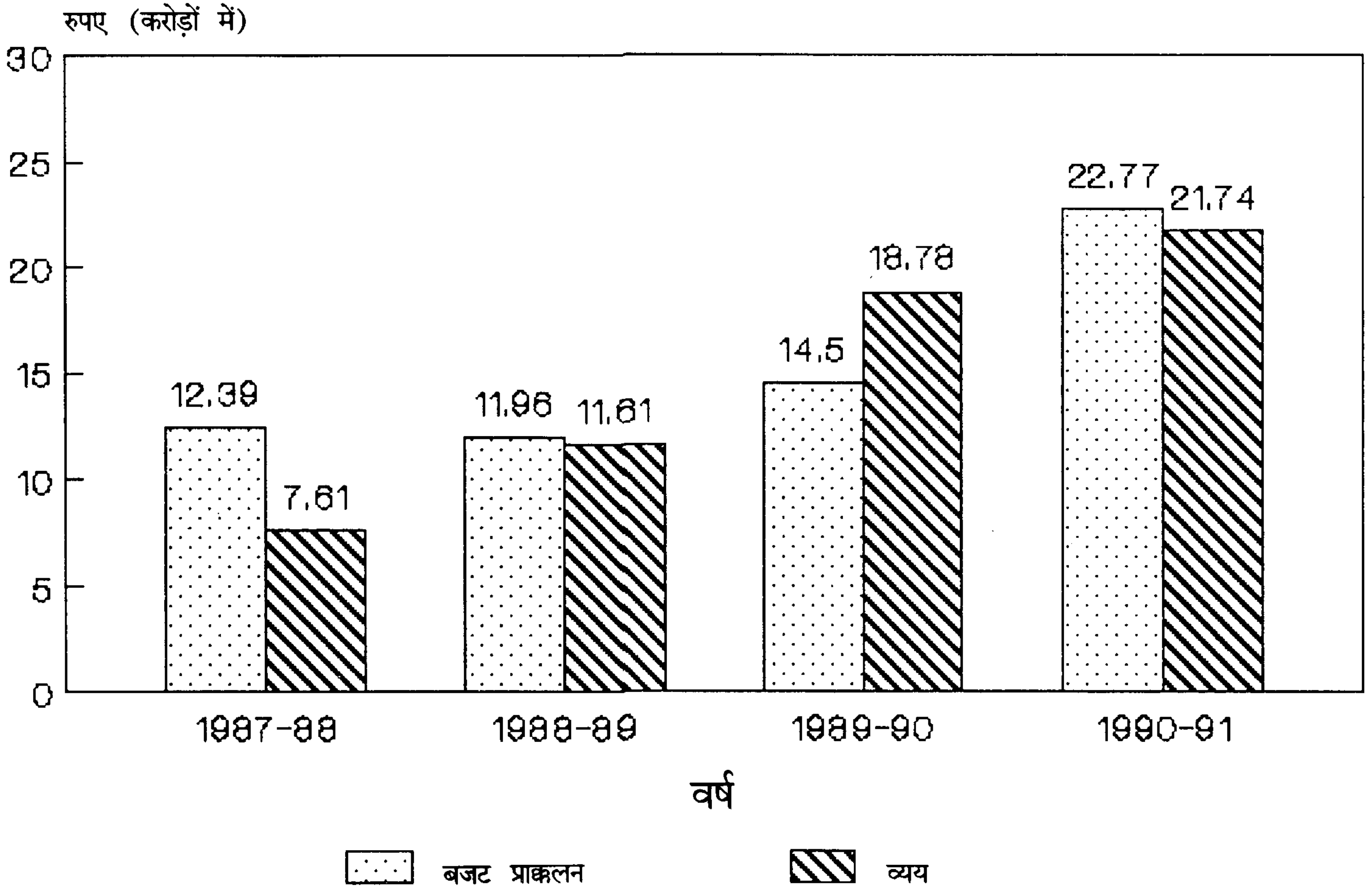

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

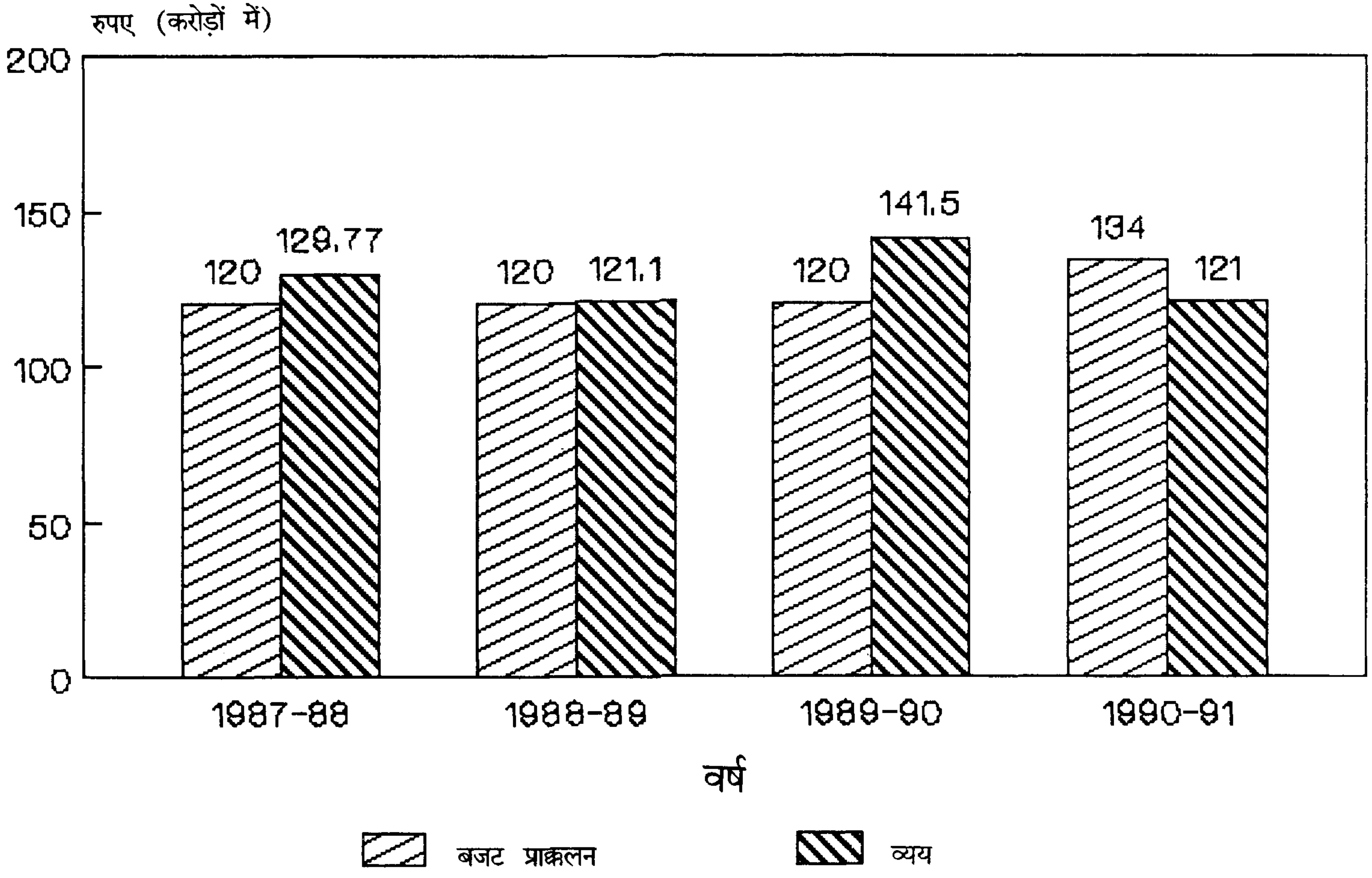

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनेत्तर

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

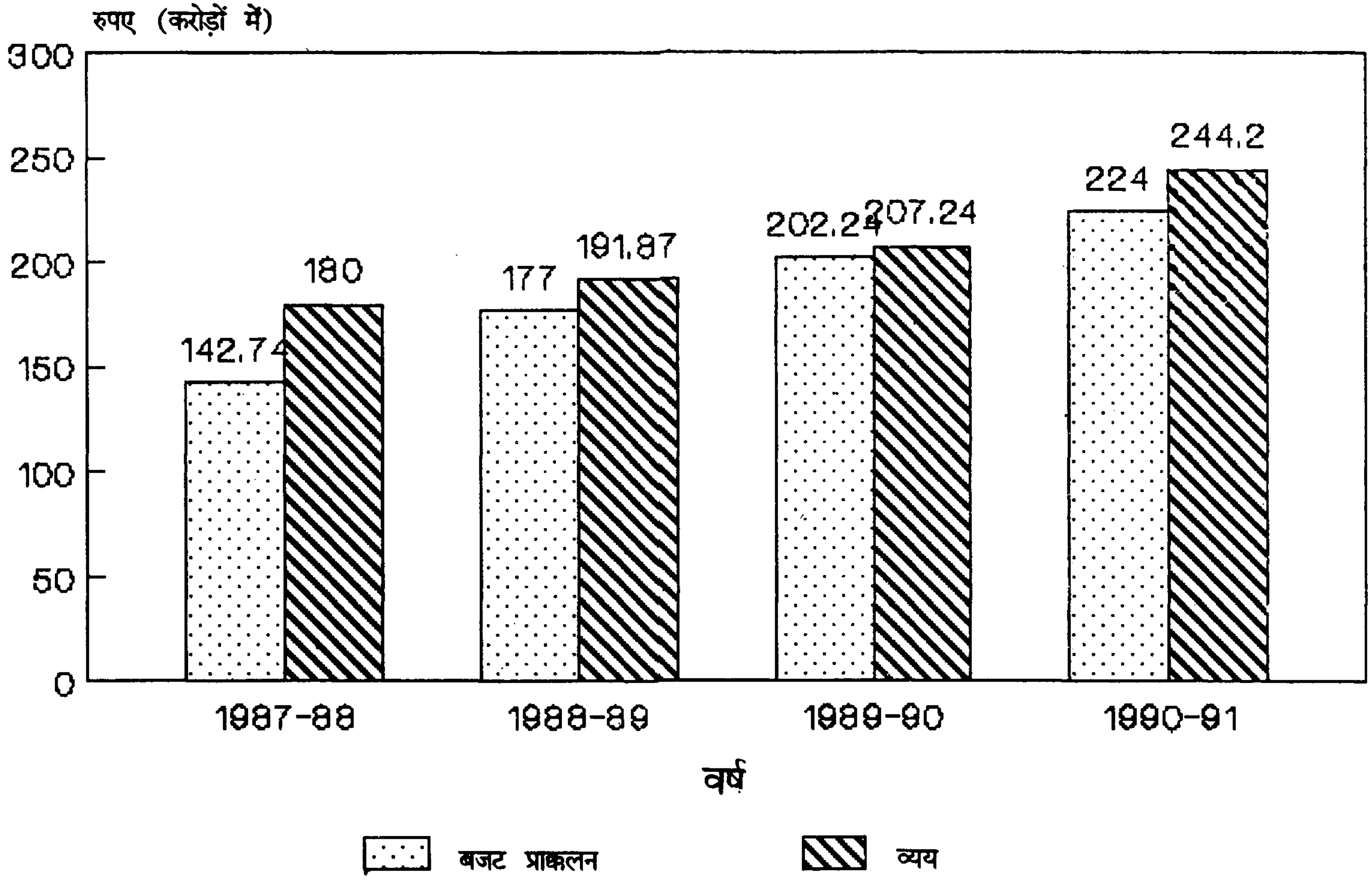

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत
वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय

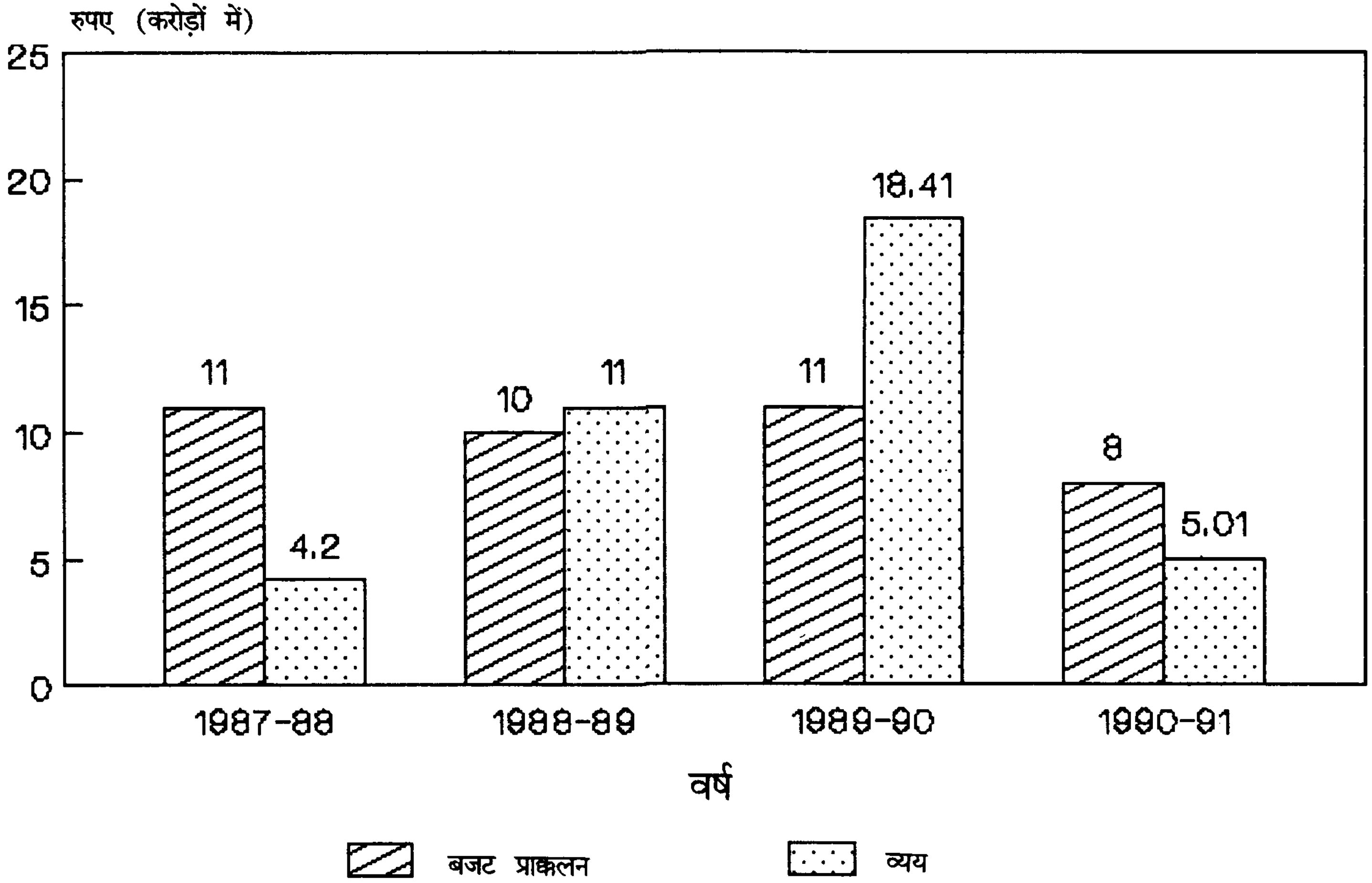

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

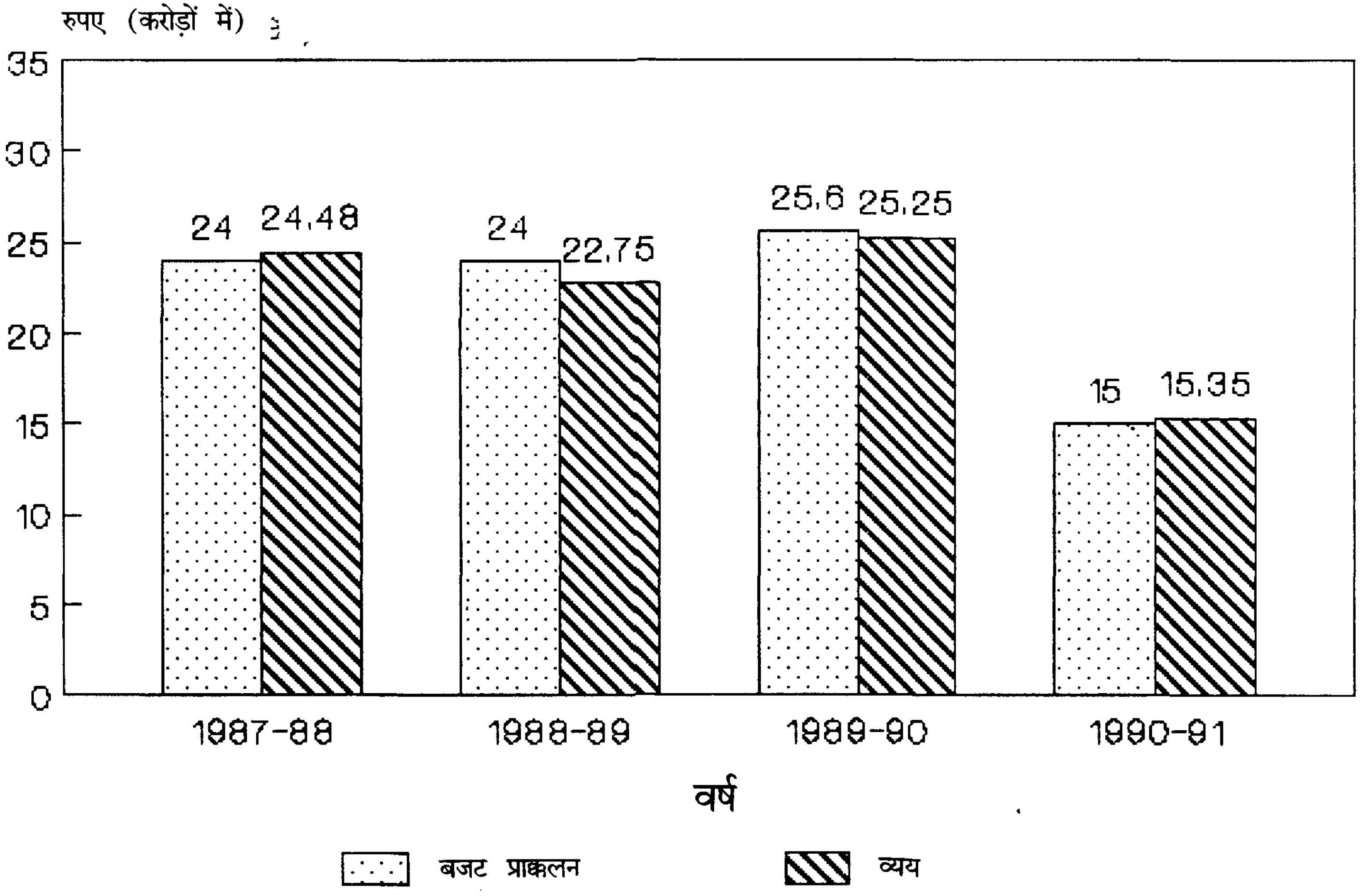

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनेत्तर

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

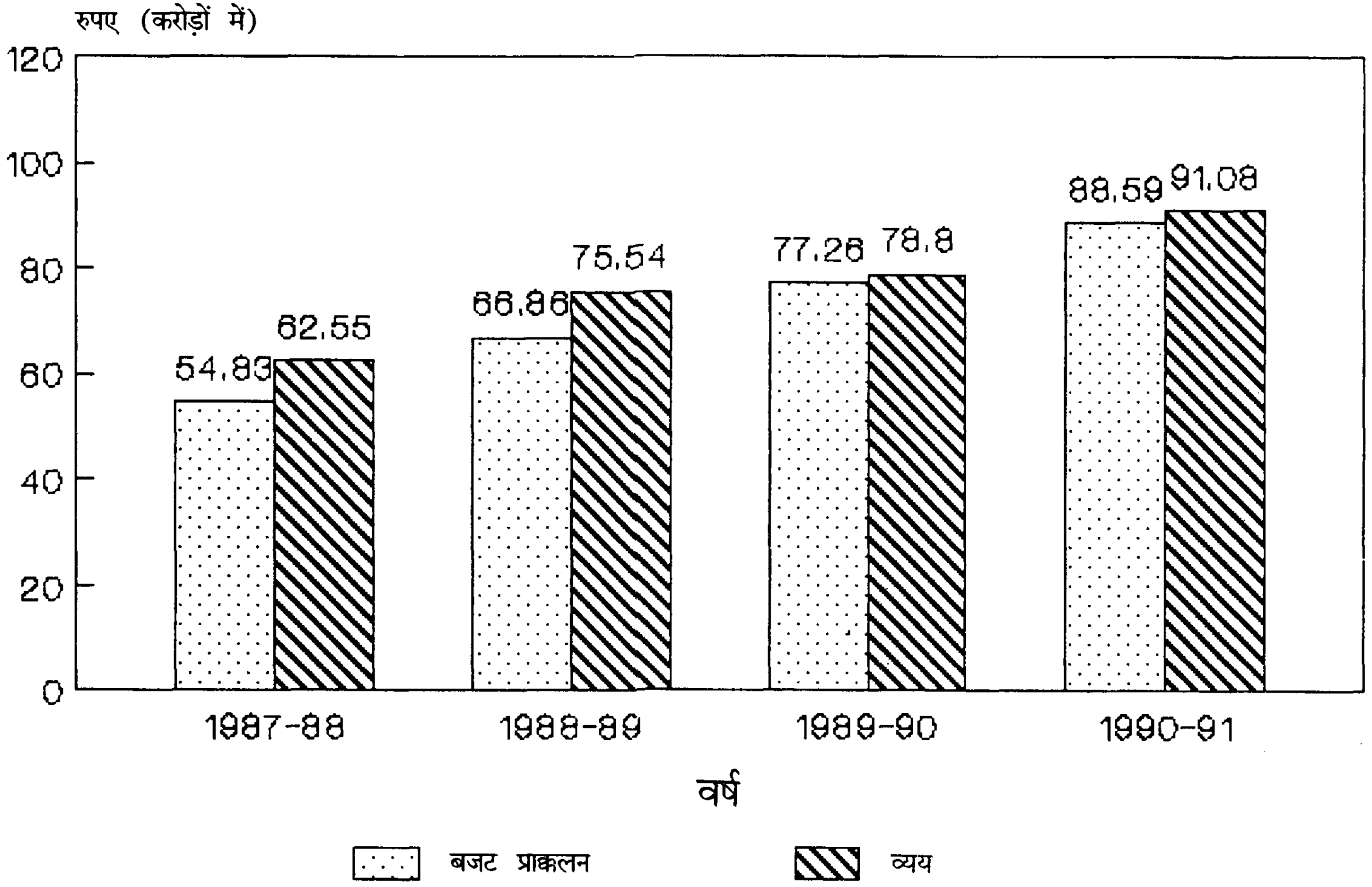

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

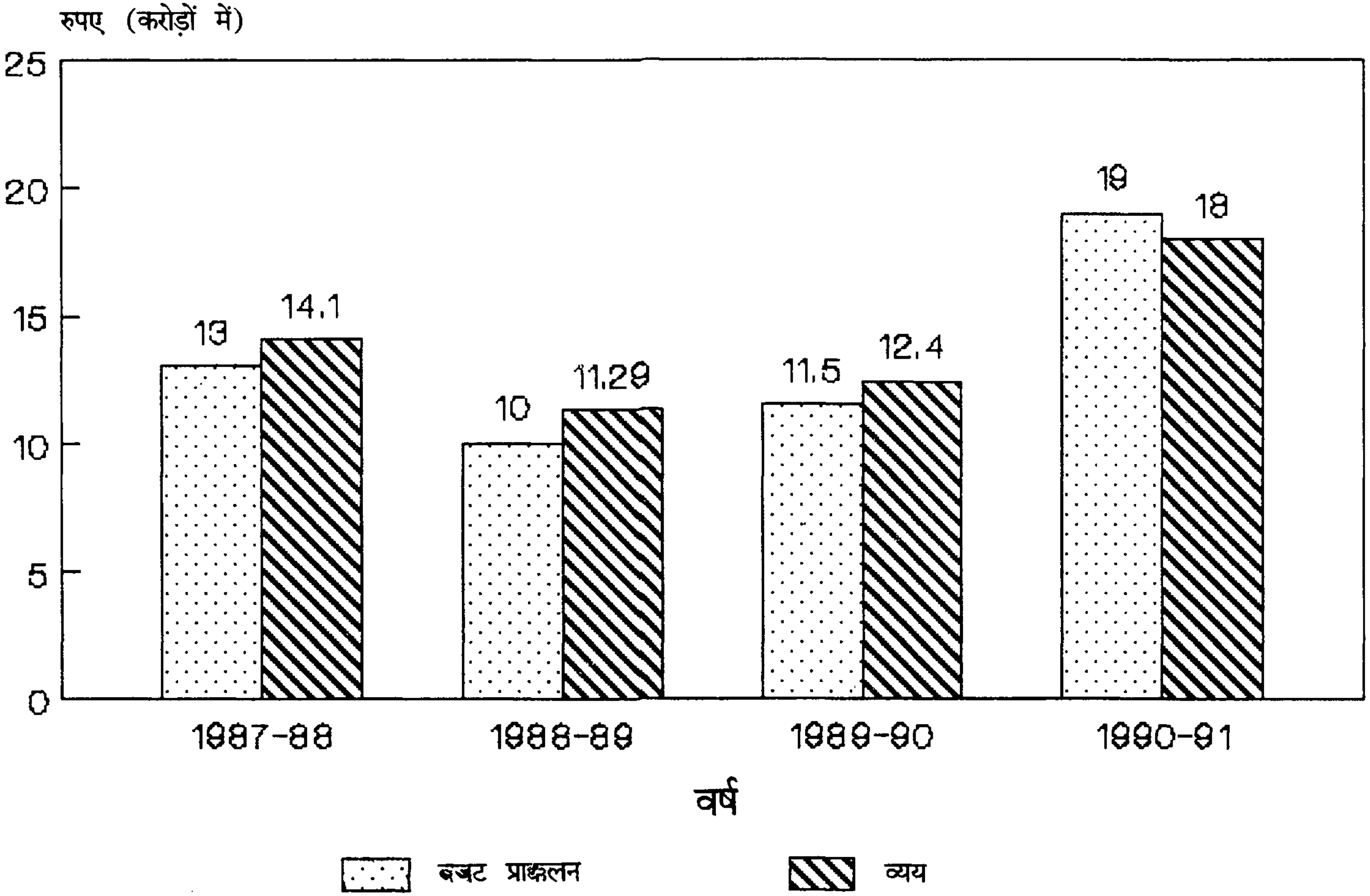

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनेत्तर

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

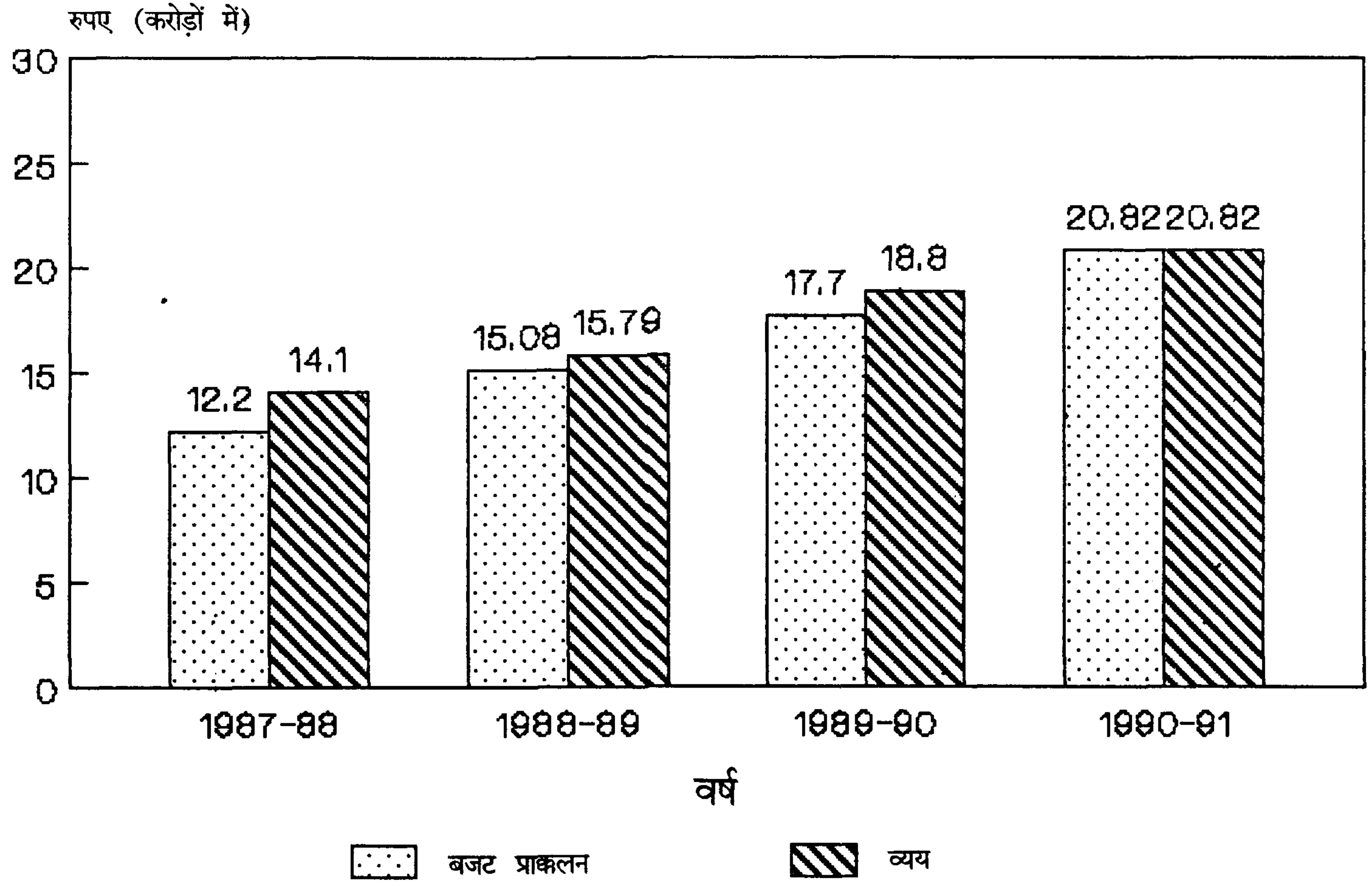

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन तथा व्यय

भारतीय प्रबन्ध संस्थान

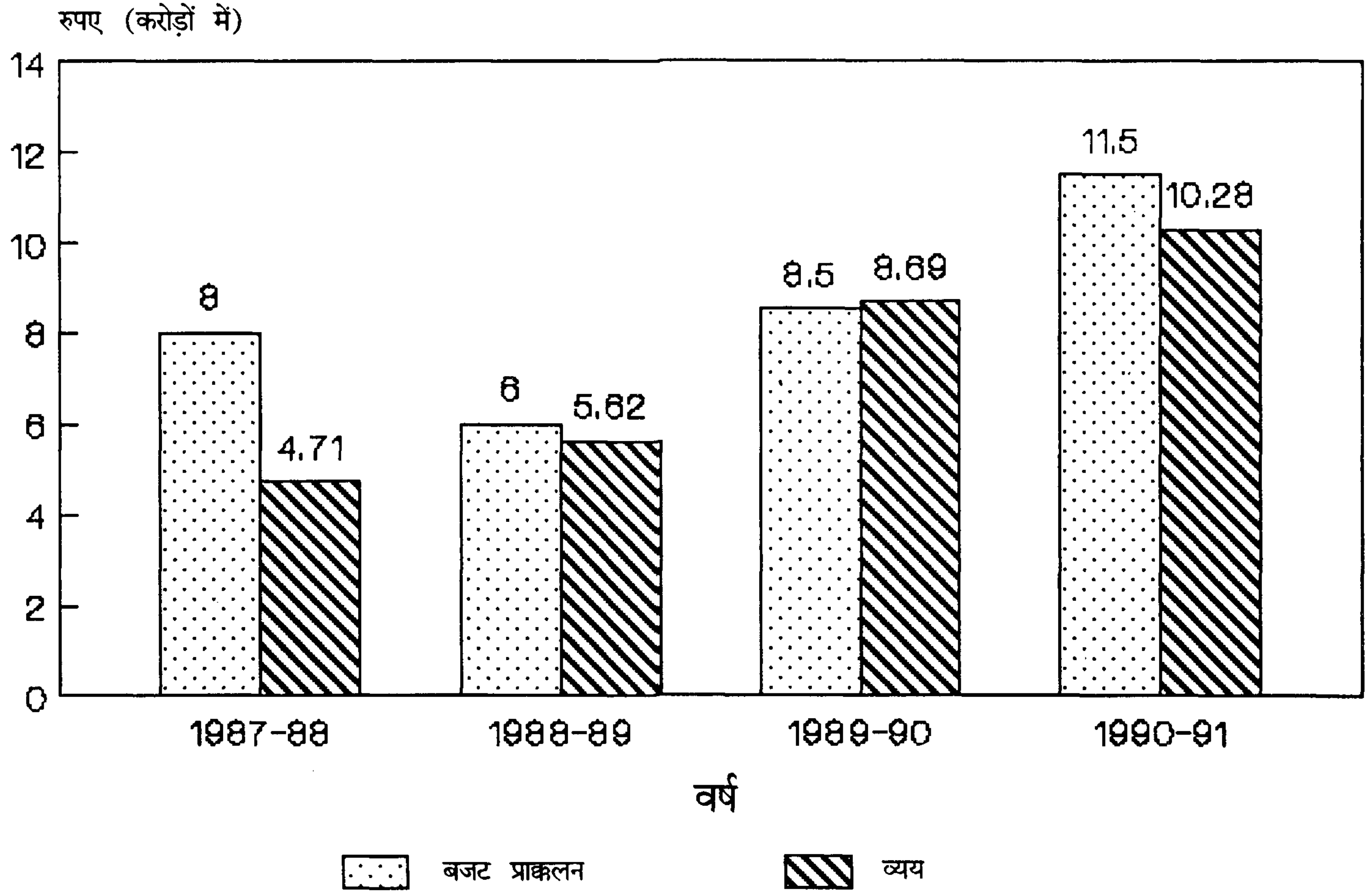

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनेत्तर

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

भारतीय प्रबन्ध संस्थान

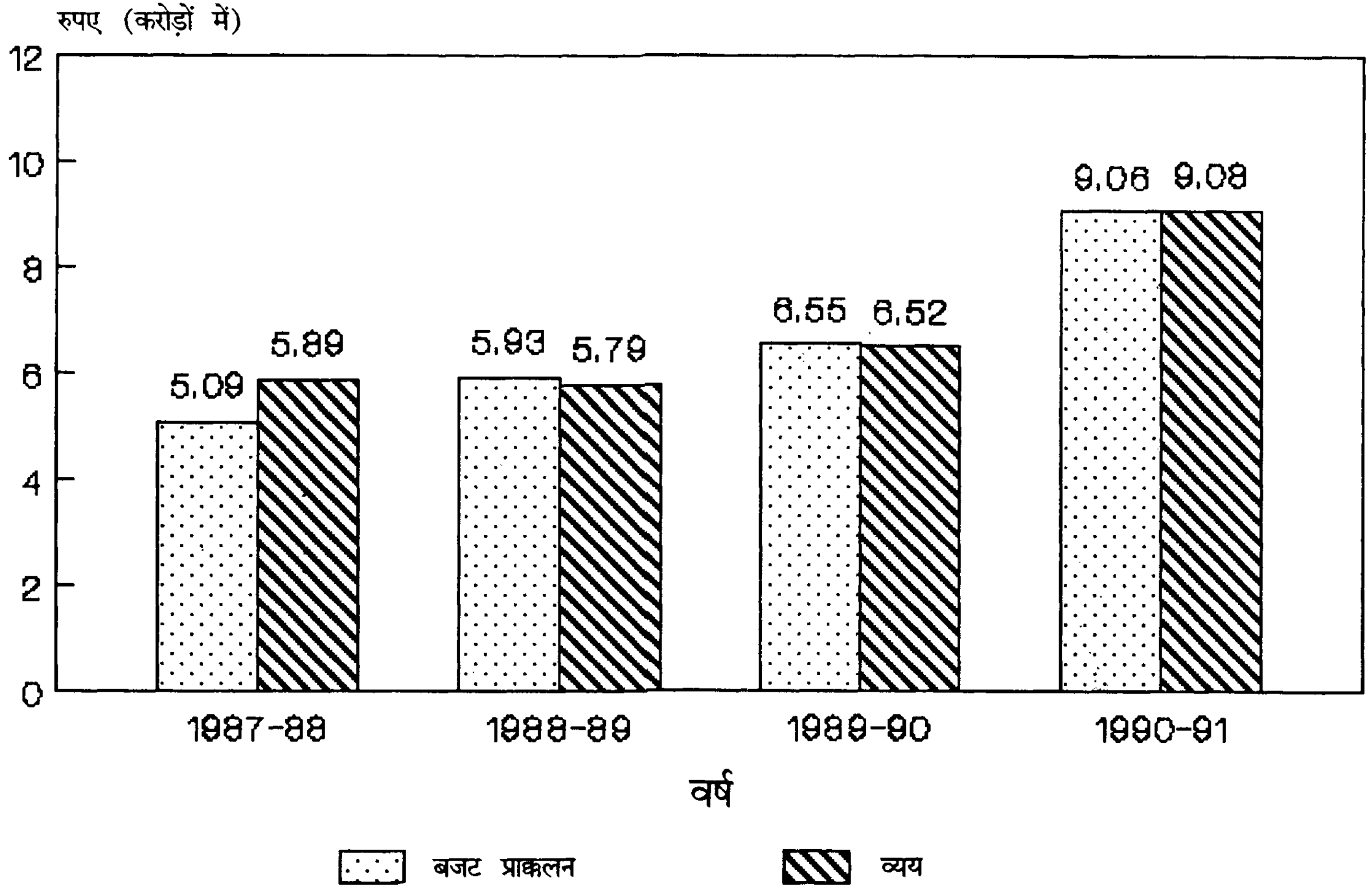

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

अवस्थापना

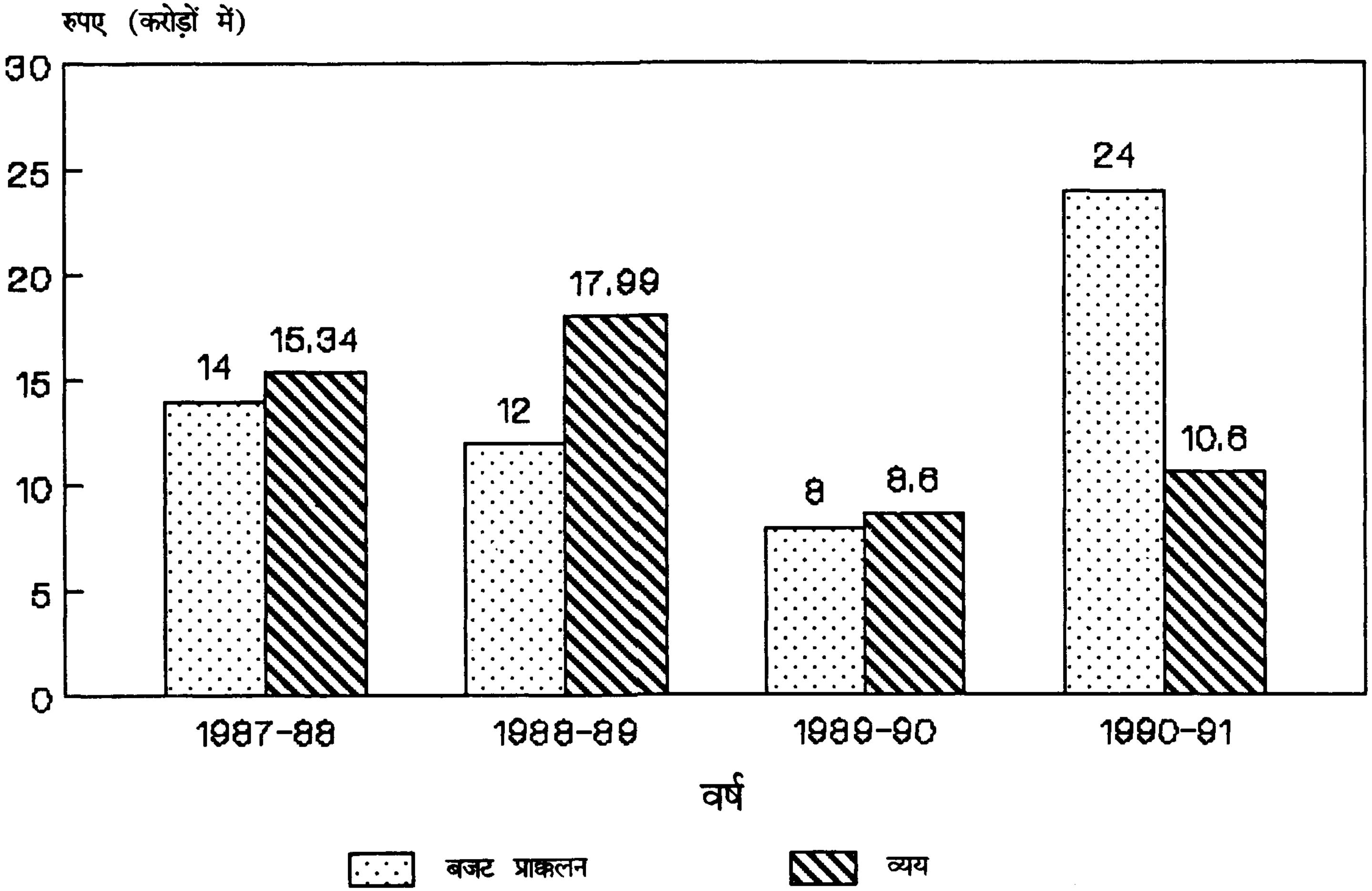

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

प्रौढ़ शिक्षा

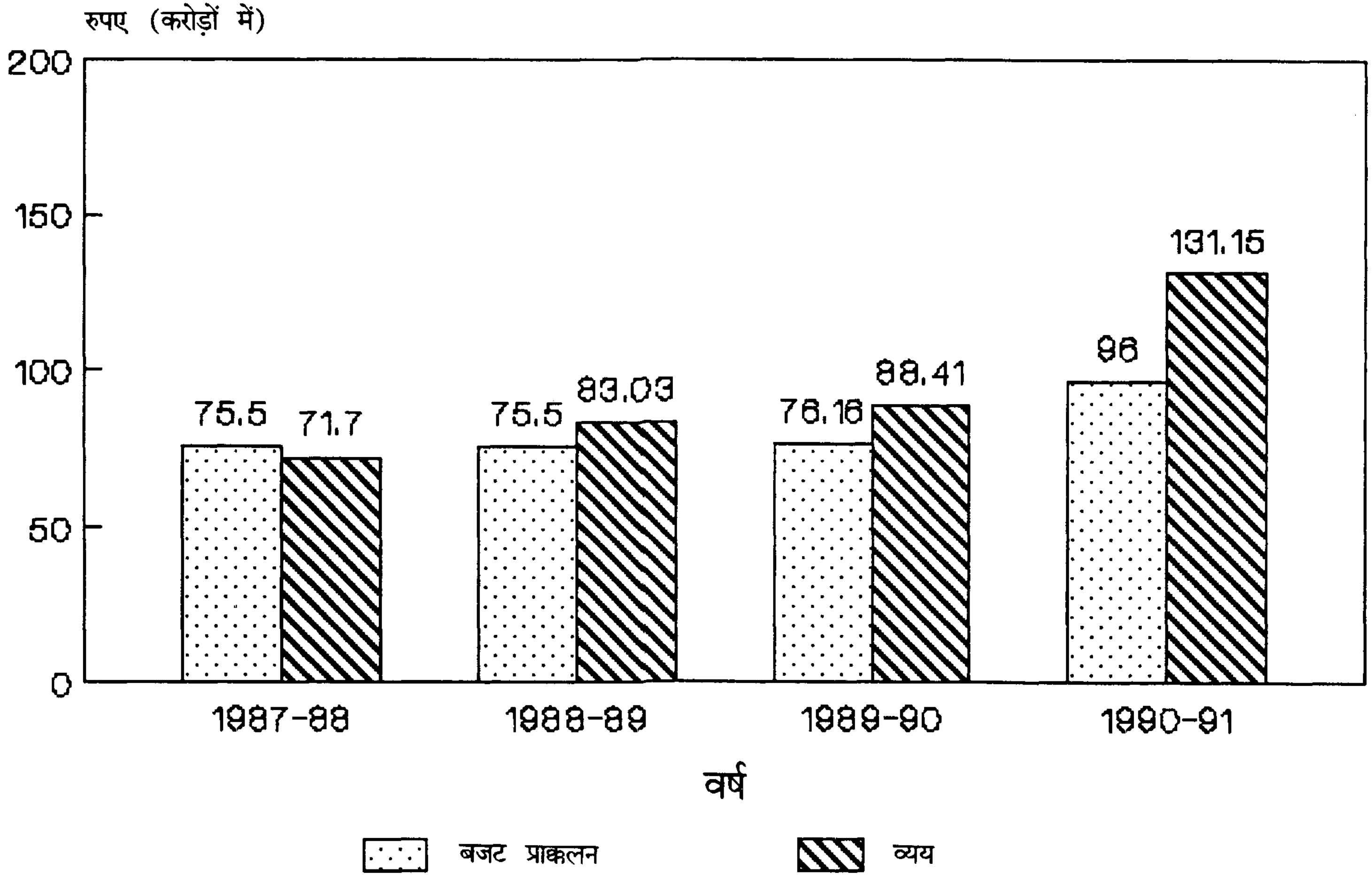

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

हिन्दी

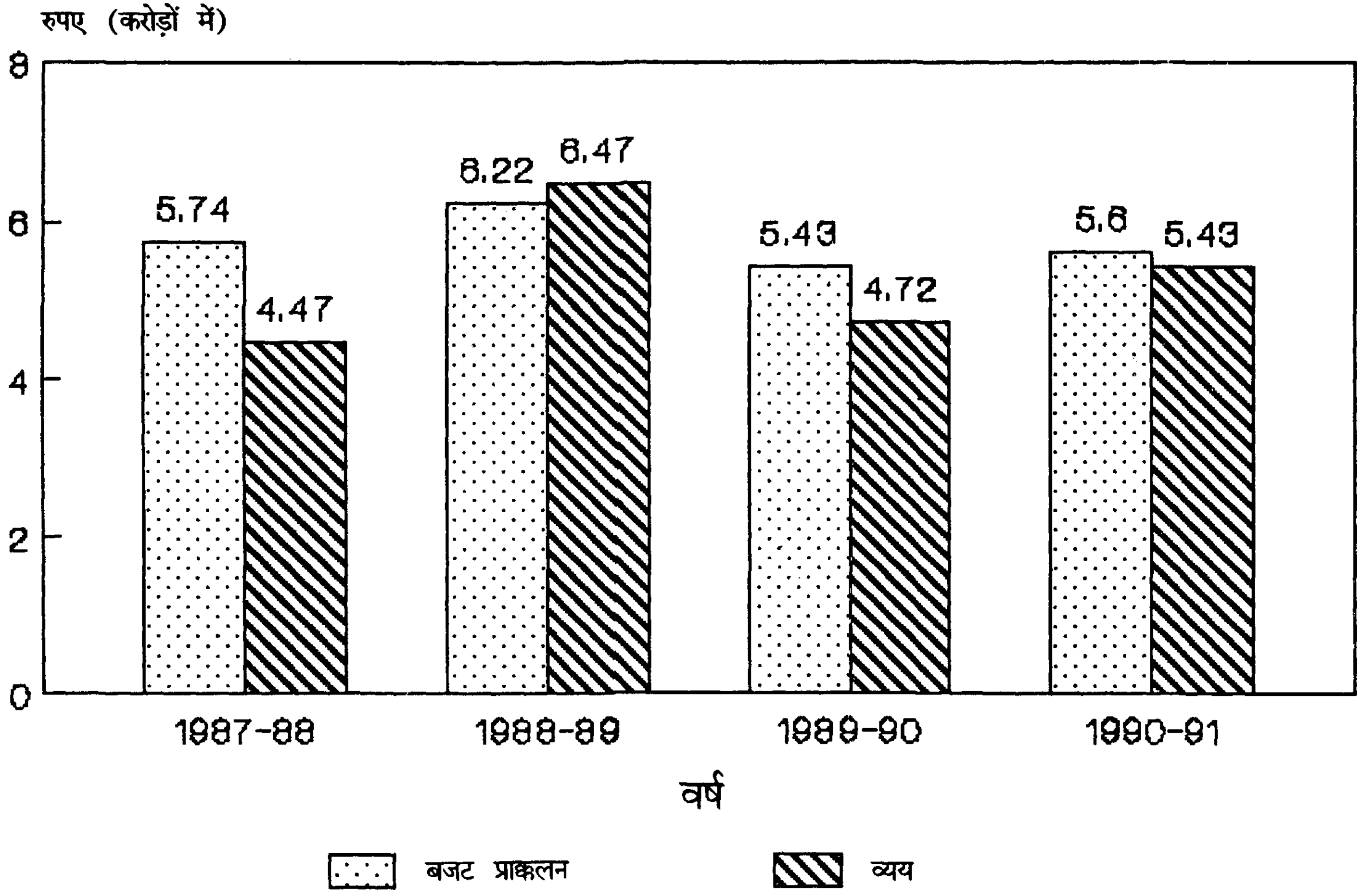

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

आधुनिक भारतीय भाषाएं

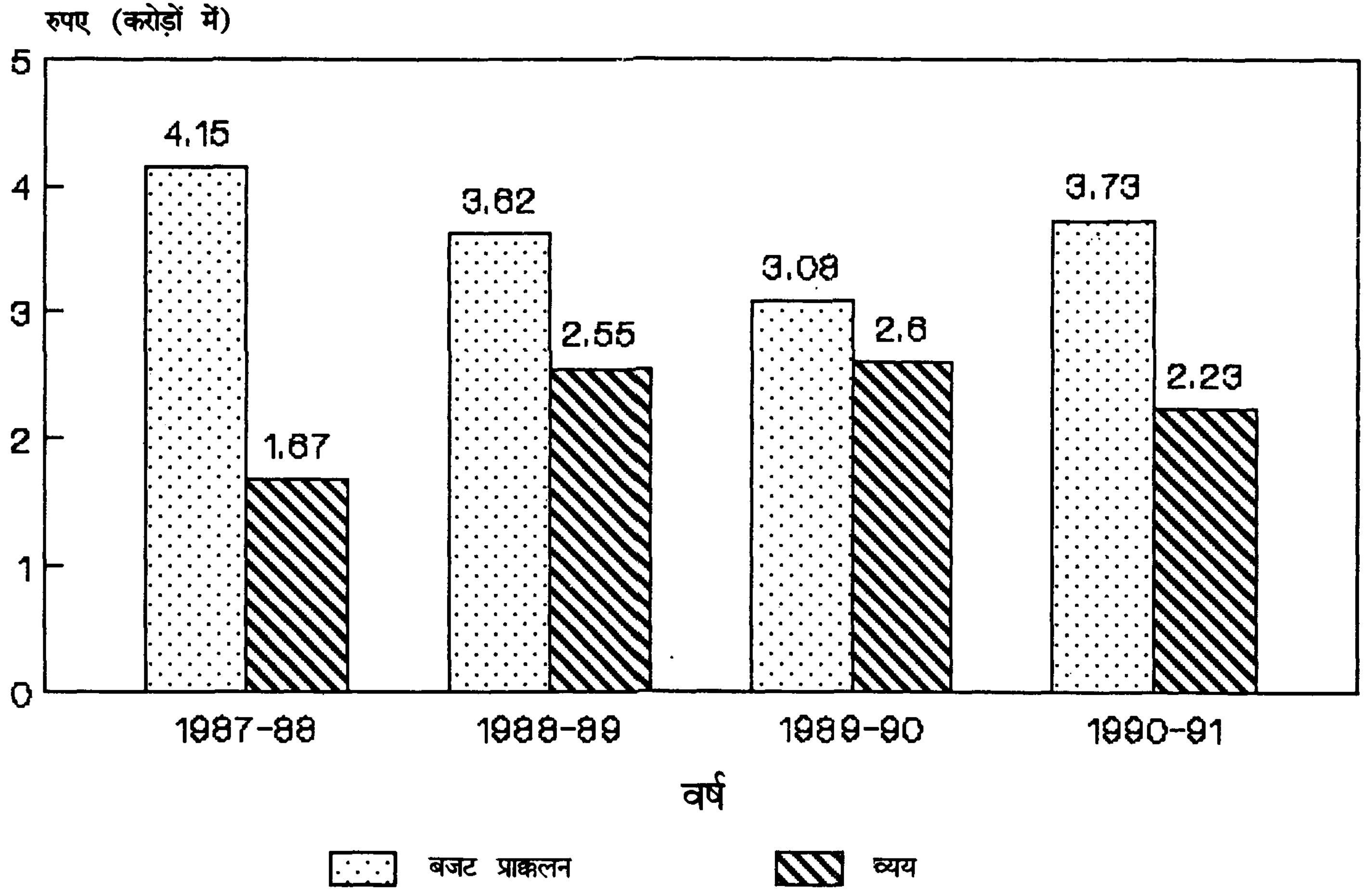

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

संस्कृत

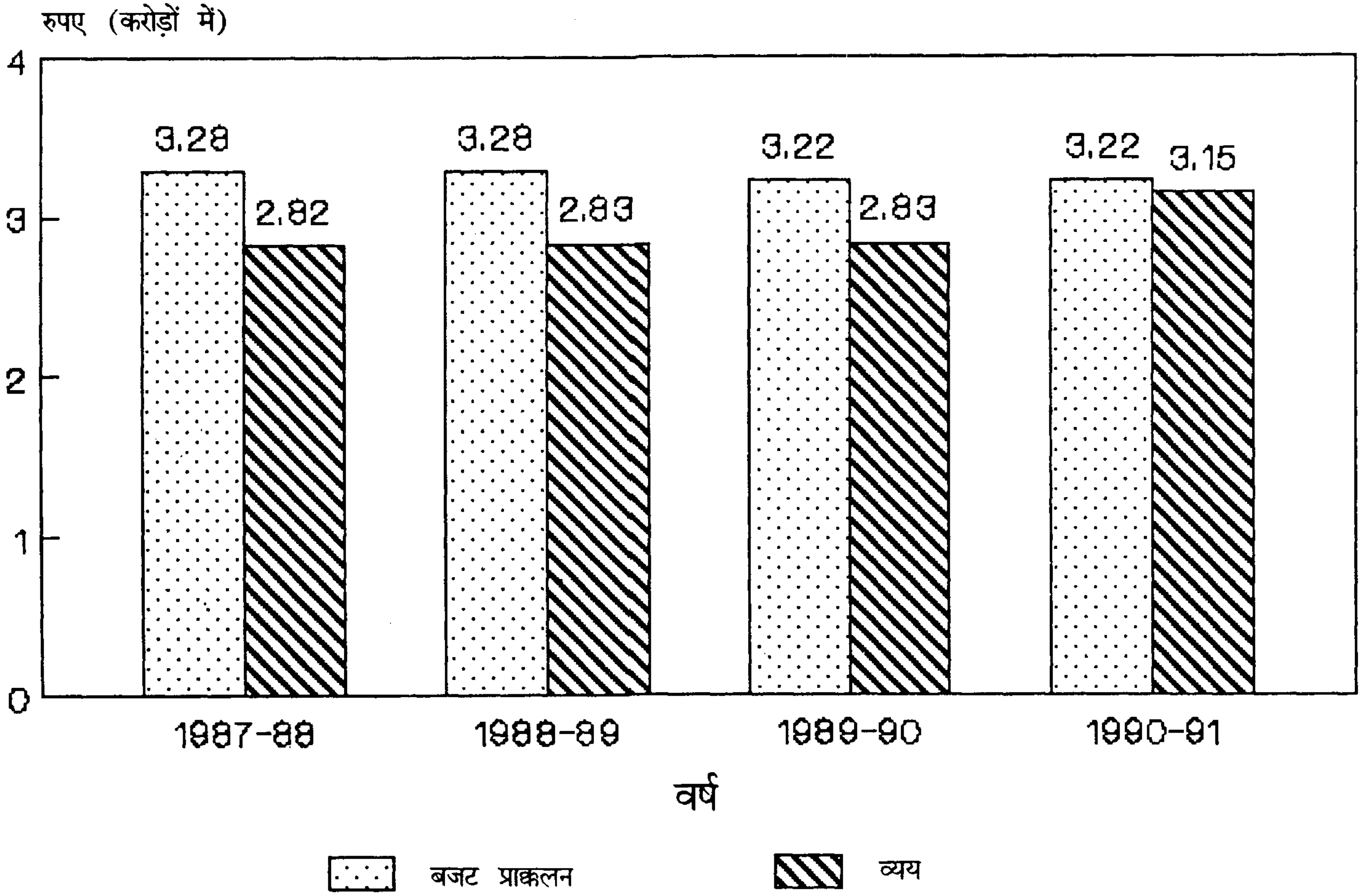

229

केन्द्रीय क्षेत्र—शिक्षा—योजनागत

वर्षवार बजट प्राक्कलन और व्यय

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

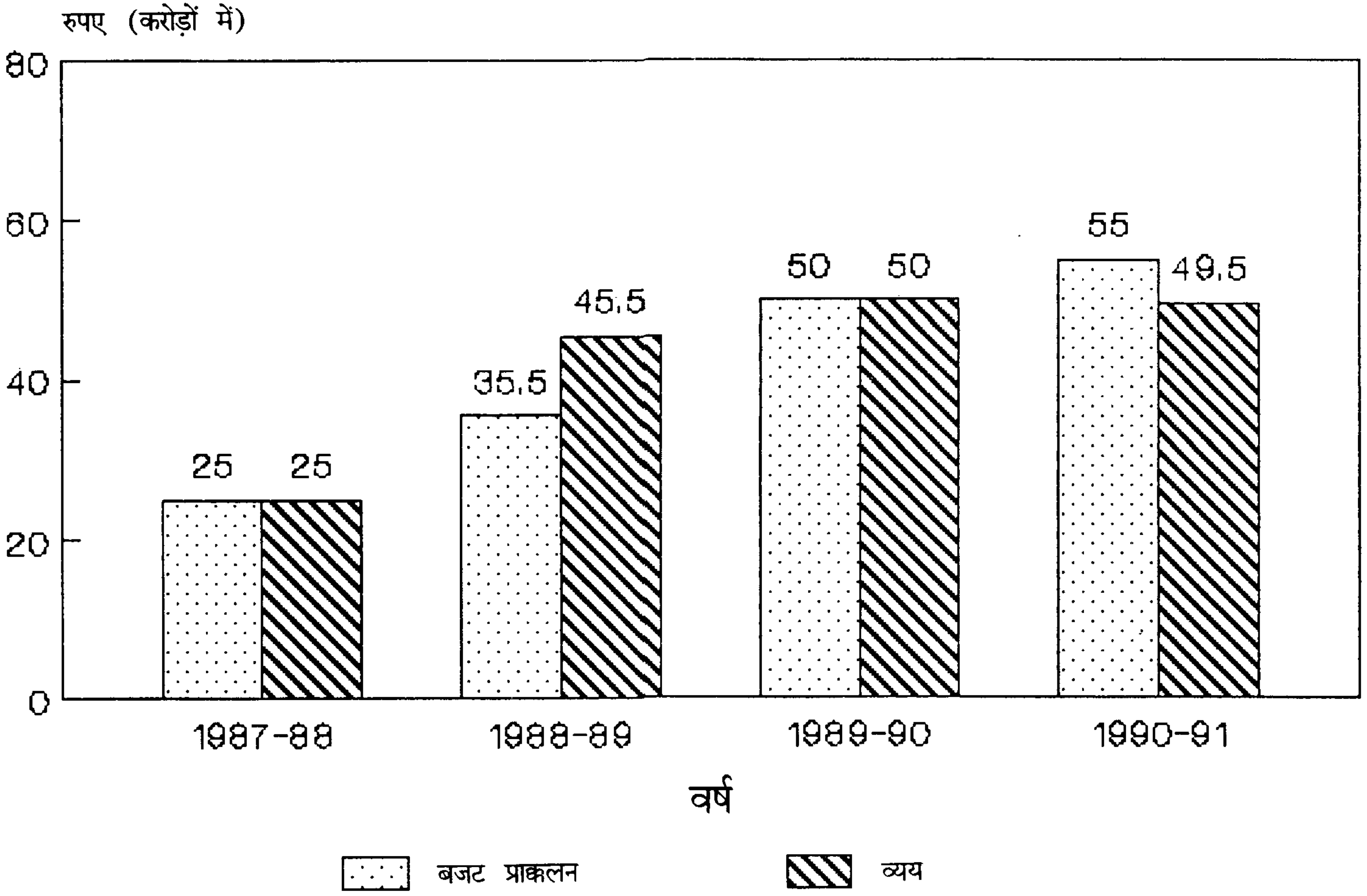

वर्ष 1986-87 में स्नातकोत्तर स्तर पर संकायवार
कुल दाखिला

(आंकड़े हजारों में)

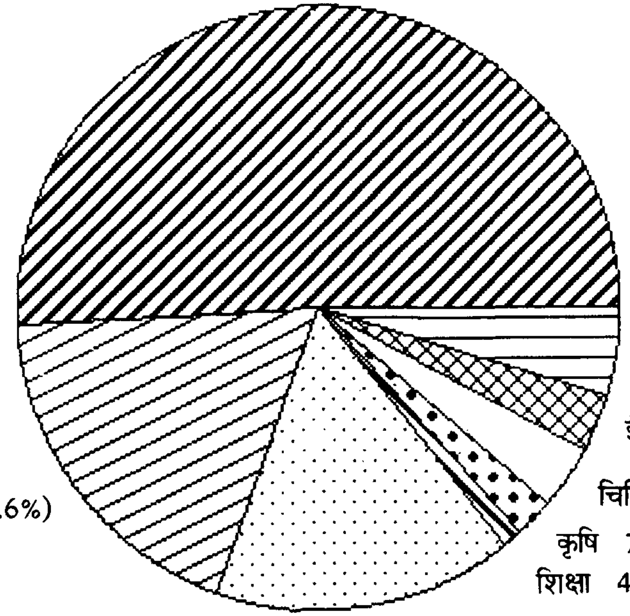

वर्ष 1986-87 में प्रथम डिग्री स्तर पर
संकायवार कुल दाखिला

(आंकड़े हजारों में)

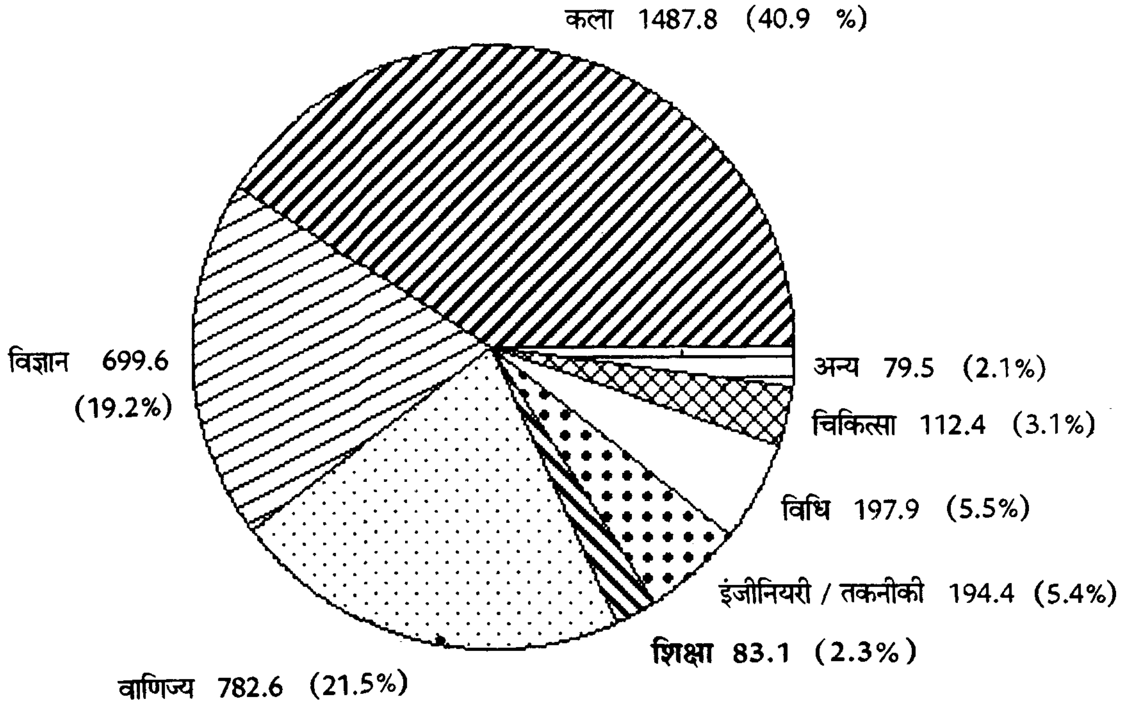

वर्ष 1986-87 में उत्तर-मैट्रिक (डिग्री से नीचे)
संकायवार लड़कियों का दाखिला

(आंकड़े हजारों में)

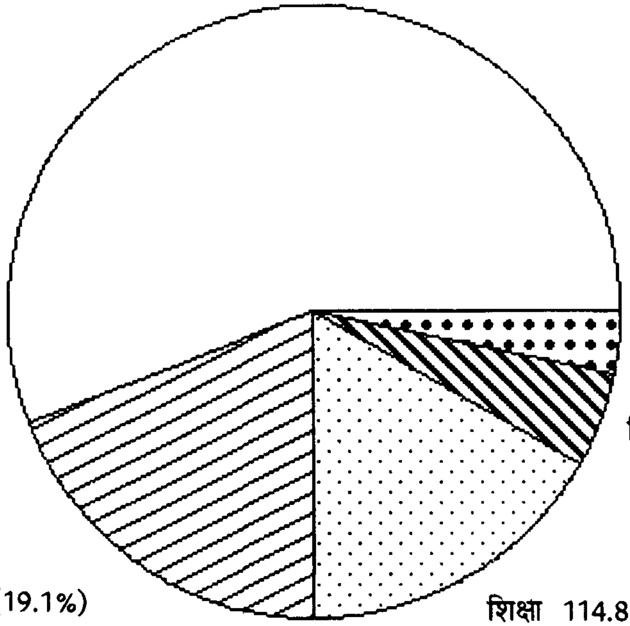

वर्ष 1986-87 में स्नातकोत्तर स्तर पर
संकायवार लड़कियों का दाखिला

(आंकड़े हजारों में)

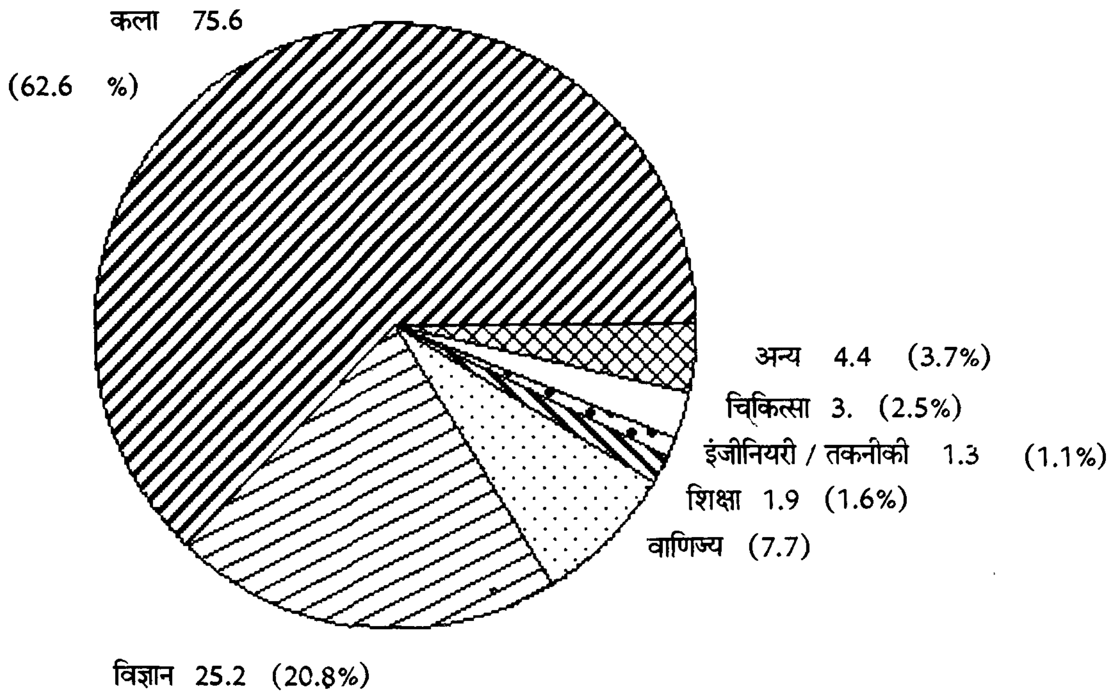

वर्ष 1986-87 में प्रथम डिग्री स्तर पर
संकायवार लड़कियों का दाखिला

(आंकड़े हजारों में)

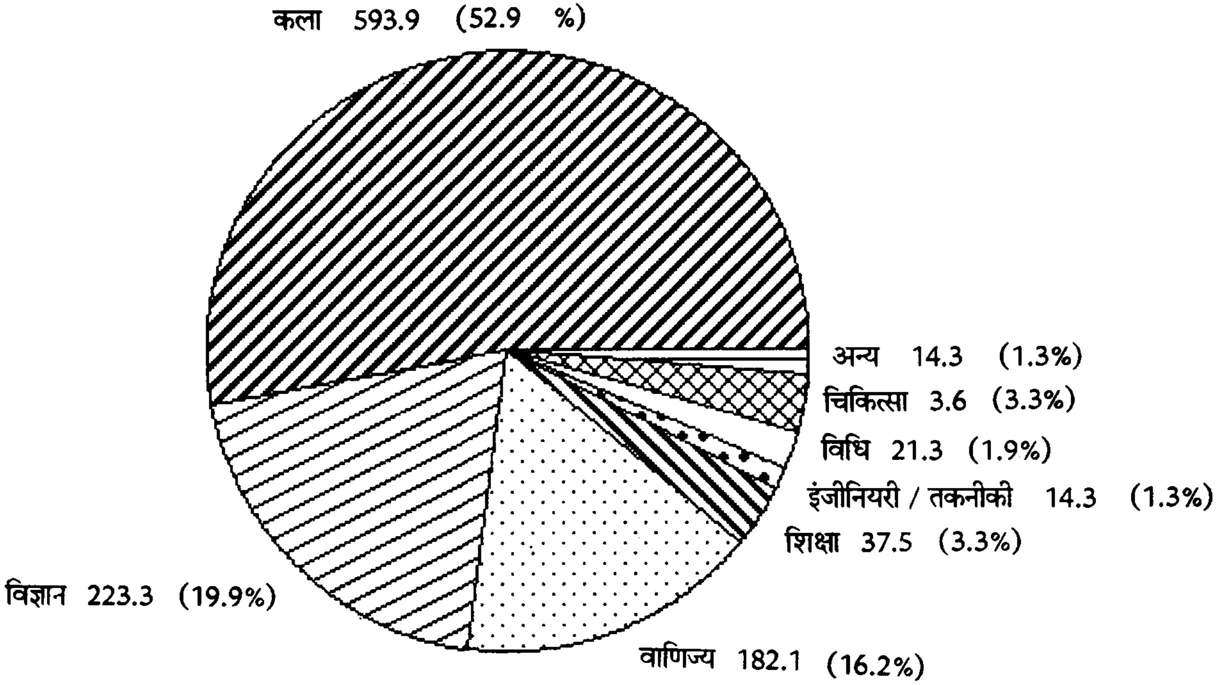

वर्ष 1986-87 में उत्तर मैट्रिक (डिग्री से नीचे) में
संकायवार लड़कियों का दाखिला

(आंकड़े हजारों में)

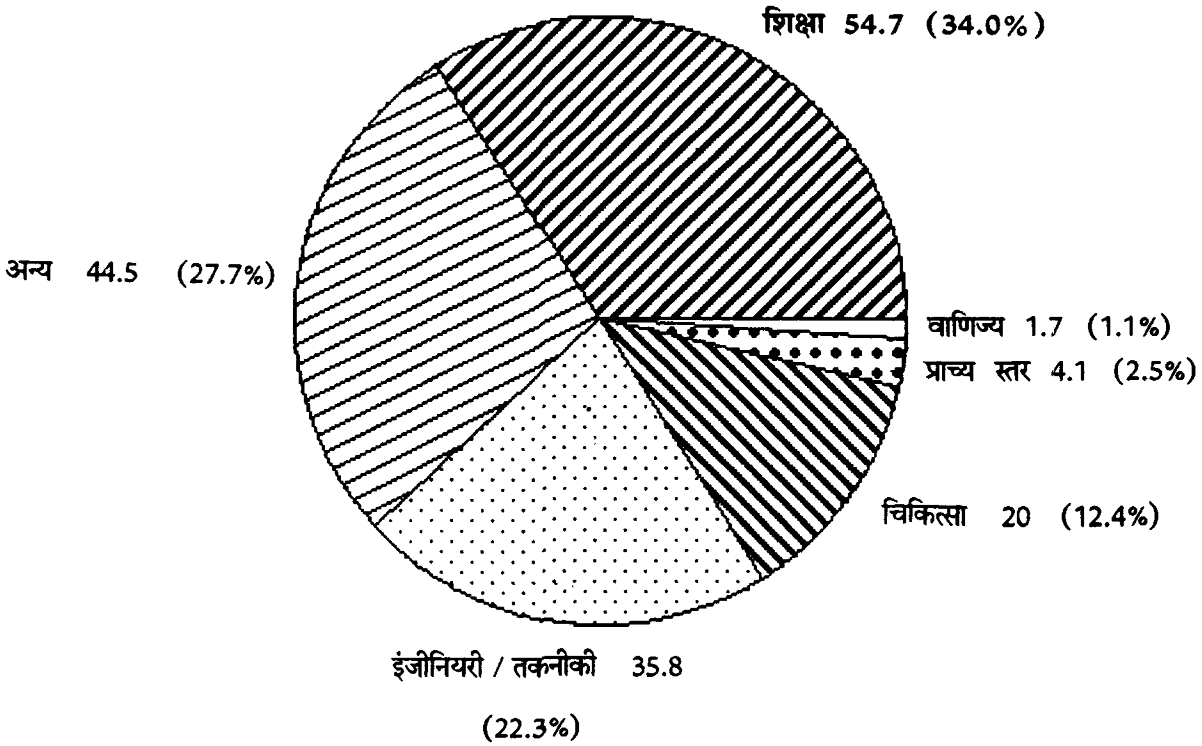

शैक्षिक सांख्यिकी की तालिकाएं

विवरण संख्या-1
क्षेत्र, जिलों की संख्या और खंडों की संख्या

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्षेत्र (वर्ग किमी॰)	जिलों की संख्या	खंडों/तहसीलों/तालुकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	275068	23	1104-x
2.	अरूणाचल प्रदेश	83743	11	48
3.	असम	78438	23	135
4.	बिहार	173877	39	589
5.	गोवा	3810	2	10
6.	गुजरात	196024	19	184
7.	हरियाणा	44212	12	99
8.	हिमाचल प्रदेश	55673	12	69
9.	जम्मू और काश्मीर	222236	14	119
10.	कर्नाटक	191791	21	181
11.	केरल	38863	14	151
12.	मध्य प्रदेश	443446	45	459
13.	महाराष्ट्र	307690	30	300
14.	मणिपुर	22327	8	26
15.	मेघालय	22429	5	30
16.	मिजोरम	21081	3	20
17.	नागालैंड	16579	7	25
18.	उड़ीसा	155707	13	314
19.	पंजाब	50362	12	118
20.	राजस्थान	342239	27	236
21.	सिक्किम	7096	4	447
22.	तमिलनाडु	130058	21	385
23.	त्रिपुरा	10486	3	17
24.	उत्तर प्रदेश	294411	63	895
25.	पश्चिम बंगाल	88752	17	341
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8249	2	5
27.	चंडीगढ़	114	1	1
28.	दादर और नागर हवेली	491	1	1
29.	दमन और दीव		2	2
30.	दिल्ली	1483	1	5
31.	लक्ष्यद्वीप	32	1	0
32.	पांडिचेरी	492	4	12
	भारत	3287259	460	6328

स्रोतः (i) चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी (1989-90)

(ii) पांचवा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षणः रा॰शै॰अनु॰ तथा प्र॰परि॰

* मंडलों की संख्या

पाकिस्तान तथा चीन द्वारा गैर कानूनी तौर पर अधिकृत क्षेत्र शामिल हैं।

विवरण-2
साक्षरता दर भारत-1951-1991

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1	2	3	4
1951	18.33	27.16	8.86
1961	28.31	40.40	15.34
1971	34.45	45.95	21.97
1981	43.56	56.37	29.75
	(41.42)	(53.45)	(28.46)
1991	52.11	63.86	39.42

अनुपातः 1. वर्ष 1951, 1961 तथा 1971 की साक्षरता अनुपात पांच वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या से संबंधित हैं। वर्ष 1981 और 1991 का यह अनुपात सात वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या से संबंधित हैं। वर्ष 1981 से संबंधित पांच वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या का साक्षरता अनुपात कोष्ठक में दर्शाया गया है।

2. वर्ष 1981 के अनुपात में असम शामिल नहीं है क्योंकि वहां 1981 की जनगणना नहीं हो पायी थी वर्ष 1991 के जनगणना अनुपात में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहां अभी 1991 की जनगणना पूरी नहीं हो पाई है।

विवरण-3

सात वर्ष तथा इससे ऊपर की आयु वर्ग की जनसंख्या में साक्षरों और निरक्षरों की संख्या-भारत 1981-1991

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1	2	3	4
साक्षर			
1981	233,947	156,953	76,994
1991	352,082	224,288	127,794
1981 से 1991 में वृद्धि	118,135	67,335	50,800
निरक्षर			
1981	301,933	120,902	181,031
1991	324,031	126,694	197,336
1981 से 1991 में वृद्धि	22,097	5,792	16,305

टिप्पणी: 1. इन आंकड़ों में असम तथा जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है।असम के संबंध में 1981 का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है क्योंकि वहां 1981 की जनगणना नहीं हुई थी, जम्मू और कश्मीर के मामले में 1991 की जनगणना के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी तक 1991 की जनगणना वहां नहीं हो पाई है।

2. वर्ष 1991 की साक्षर जनसंख्या संबंधी आंकड़े 1991 की जनगणना के अस्थाई परिणामों पर आधारित हैं। 7 वर्ष और इससे अधिक उम्र वाले लोगों के संबंध में निरक्षरता संबंधी आंकड़े अनुमानित आंकड़े हैं जो कि जनसंख्या के उम्र संरचना संबंधी कुछ निश्चित अनुमानों पर आधारित हैं और इनमें परिवर्तन होने की संभावनाएं है।

विवरण-4

सात वर्ष और इससे ऊपर की आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशतता

भारत		1981 व्यक्ति	1981 पुरुष	1981 महिलाएं	1991 व्यक्ति	1991 पुरुष	1991 महिलाएं
1		2	3	4	5	6	7
भारत		43.56	56.37	29.75	52.11	63.86	39.42
1.	आंध्र प्रदेश	35.66	46.83	24.16	45.11	56.24	33.71
2.	अरूणाचल प्रदेश	25.54	35.11	14.01	41.22	51.10	29.37
3.	असम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	53.42	62.34	43.70
4.	बिहार	32.03	46.58	16.51	38.54	52.63	23.10
5.	गोवा	65.71	76.01	55.17	76.95	85.46	68.20
6.	गुजरात	52.21	65.14	38.45	50.91	72.54	48.50
7.	हरियाणा	43.85	58.49	26.89	55.33	67.85	40.94
8.	हिमाचल प्रदेश	51.17	64.27	37.72	63.54	74.57	52.46
9.	जम्मू और कश्मीर	32.68	44.18	19.55	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10.	कर्नाटक	46.20	58.72	33.16	55.98	67.25	44.34
11.	केरल	81.56	87.74	75.65	90.59	94.45	86.93
12.	मध्य प्रदेश	34.22	48.41	18.99	43.45	57.43	28.39
13.	महाराष्ट्र	55.83	69.66	41.01	63.05	74.84	50.51
14.	मणिपुर	49.61	64.12	34.61	60.96	72.98	48.64
15.	मेघालय	42.02	46.62	37.15	48.26	51.57	44.78
16.	मिजोरम	74.26	79.37	68.60	81.23	84.06	78.09
17.	नागालैंड	50.20	58.52	40.28	61.30	66.09	55.72
18.	उड़ीसा	40.96	56.45	25.14	48.55	62.37	34.40
19.	पंजाब	48.12	55.52	39.64	57.14	63.68	49.72
20.	राजस्थान	30.09	44.76	13.99	38.81	55.07	20.84
21.	सिक्किम	41.57	52.98	27.35	56.53	64.34	47.23
22.	तमिलनाडु	54.38	68.05	40.43	63.72	74.88	52.29
23.	त्रिपुरा	50.10	61.49	38.01	60.39	70.08	50.01
24.	उत्तर प्रदेश	33.33	47.43	17.18	41.71	55.35	26.02
25.	पश्चिम बंगाल	48.64	59.93	36.07	57.72	67.24	47.15
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	63.16	70.28	53.15	73.74	79.68	66.22
27.	चंडीगढ़	74.81	78.89	69.31	78.73	82.67	73.61
28.	दादरा और नगर हवेली	32.70	44.69	20.38	39.45	52.07	26.10
29.	दमन और दीव	59.91	74.45	46.51	73.58	85.67	61.38
30.	दिल्ली	71.93	79.28	62.57	76.09	82.63	68.01
31.	लक्षद्वीप	68.42	81.24	55.32	79.23	87.06	70.88
32.	पांडिचेरी	65.14	77.09	53.03	74.91	83.91	65.79

वर्ष 1981 के साक्षरता अनुपात में असम शामिल नहीं है जहां 1981 की जनगणना नहीं हो पाई थी तथा 1991 के साक्षरता अनुपात में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है जहां 1991 की जनगणना अभी की जानी है। वर्ष 1981 और 1991 का भारत का साक्षरता अनुपात निम्नलिखित है, इसमें असम तथा जम्मू और कश्मीर के आंकड़े नहीं हैं।

	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1981	43.66	56.49	29.84
1991	52.07	63.90	39.31

विवरण-5

व्यक्तियों, पुरुषों, महिलाओं के बीच साक्षरता दर संबंधी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का अवरोही क्रमः 1991

	व्यक्ति		पुरुष		महिलाएं	
दर्जा	राज्य संघ शासित प्रदेश	साक्षरता दर	राज्य/संघ शासित प्रदेश	साक्षरता दर	राज्य/संघ शासित प्रदेश	साक्षरता दर
1.	केरल	90.59	केरल	90.45	केरल	86.93
2.	मिजोरम	81.23	लक्ष्यद्वीप	87.06	मिजोरम	78.09
3.	लक्षद्वीप	79.23	दमन और दीव	85.67	चंडीगढ़	79.61
4.	चंडीगढ़	78.73	गोवा	85.48	लक्ष्यद्वीप	70.88
5.	गोवा	76.96	मिजोरम	84.06	गोवा	68.20
6.	दिल्ली	76.09	पांडिचेरी	83.91	दिल्ली	68.01
7.	पांडिचेरी	74.91	चंडीगढ़	82.67	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	66.22
8.	अ० और नि० द्वीप समूह	73.74	दिल्ली	82.63	पांडिचेरी	65.79
9.	दमन और दीव	73.58	अ० और नि० द्वीप समूह	79.68	दमन और दीव	61.38
10.	तमिलनाडु	63.72	तमिलनाडु	74.88	नागालैंड	55.72
11.	हिमाचल प्रदेश	63.54	महाराष्ट्र	74.84	हिमाचल प्रदेश	52.46
12.	महाराष्ट्र	63.05	हिमाचल प्रदेश	74.57	तमिलनाडु	52.29
13.	नागालैंड	61.30	मणिपुर	72.98	महाराष्ट्र	50.51
14.	मणिपुर	60.96	गुजरात	72.54	त्रिपुरा	50.01
15.	गुजरात	60.91	त्रिपुरा	70.08	पंजाब	49.72
16.	त्रिपुरा	60.39	हरियाणा	67.85	मणिपुर	48.64
17.	पश्चिम बंगाल	57.72	कर्नाटक	67.25	गुजरात	48.50
18.	पंजाब	57.14	पश्चिम बंगाल	67.24	सिक्किम	47.23
19.	सिक्किम	56.53	नागालैंड	66.09	पश्चिम बंगाल	47.15
20.	कर्नाटक	55.98	सिक्किम	64.34	मेघालय	44.78
			भारत	63.96		
21.	हरियाणा	55.33	पंजाब	63.68	कर्नाटक	44.34
22.	असम	53.42	उड़ीसा	62.37	असम	43.70
	भारत	52.11				
23.	उड़ीसा	48.55	असम	62.34	हरियाणा	40.94
					भारत	39.42
24.	मेघालय	48.26	मध्य प्रदेश	57.43	उड़ीसा	34.40
25.	आंध्र प्रदेश	45.11	आंध्र प्रदेश	56.24	आंध्र प्रदेश	33.71
26.	मध्य प्रदेश	43.45	उत्तर प्रदेश	55.35	अरूणाचल प्रदेश	29.37
27.	उत्तर प्रदेश	41.71	राजस्थान	55.07	मध्य प्रदेश	28.39
28.	अरूणाचल प्रदेश	41.22	बिहार	52.63	दादरा और नगर हवेली	26.10
29.	दादरा और नगर हवेली	39.45	दादरा और नगर हवेली	52.07	उत्तर प्रदेश	26.02
30.	राजस्थान	38.81	मेघालय	51.57	बिहार	23.10
31.	बिहार	38.54	अरूणाचल प्रदेश	51.10	राजस्थान	20.84

जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है जहां 1991 की जनगणना अभी होनी बाकी है।

विवरण सं०-6

परियोजित जनसंख्या (1989-90) (1 मार्च 1990 की यथा स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	सभी आयु वर्ग			6-11 वर्ष			11-14 वर्ष		
		योग	अ०जा०	अ०ज०जा०	योग	अ०जा०	अ०ज०जा०	योग	अ०जा०	अ०ज०जा०
1.	आन्ध्र प्रदेश	63159	9390	3746	6950	1034	412	3881	577	230
2.	अरूणाचल प्रदेश	807	4	563	105	0	73	56	0	39
3.	असम	24456	1526	2688	3141	192	402	1845	113	236
4.	बिहार	84733	12292	7042	10265	1490	853	5702	827	474
5.	गुजरात	40371	2888	5743	4636	332	660	2638	189	376
6.	हरियाणा	16140	3078	0	2000	381	0	1066	203	0
7.	हिमाचल प्रदेश	5026	1237	232	588	145	27	341	84	16
8.	जम्मू व कश्मीर	7210	599	0	857	71	0	487	40	0
9.	कर्नाटक	44569	6715	2191	5241	790	257	2948	444	145
10.	केरल	29666	2971	305	3073	308	32	1746	175	18
11.	मध्य प्रदेश	63048	8891	14484	7603	1072	1747	4172	588	958
12.	महाराष्ट्र	74203	5295	6822	8206	586	754	4745	339	436
13.	मणिपुर	1762	22	481	232	3	63	112	1	30
14.	मेघालय	1693	7	1364	227	1	183	122	0	99
15.	नागालैंड	1098	0	922	132	0	111	79	0	66
16.	उड़ीसा	30924	4533	6936	3504	514	786	2043	300	458
17.	पंजाब	19571	5259	0	2188	588	0	1234	331	0
18.	राजस्थान	43476	7409	5308	5646	982	689	2975	518	363
19.	सिक्किम	436	25	101	57	3	13	31	2	7
20.	तमिलनाडु	55677	10215	598	5787	1062	62	3245	595	35
21.	त्रिपुरा	2530	382	720	287	43	82	156	24	44
22.	उत्तर प्रदेश	133691	28283	281	16815	3558	35	9281	1964	20
23.	प० बंगाल	64816	14251	3647	7331	1612	413	4062	893	229
24.	अ० व नि० द्वीप समूह	283	0	34	41	0	5	20	0	3
25.	चंडीगढ़	723	102	0	78	11	0	44	6	0
26.	दादरा व नगर हवेली	130	3	103	17	0	13	10	0	8
27.	दिल्ली	8910	1607	0	984	177	0	578	104	0
28.	गोवा, दमन व दीव	1333	29	13	131	3	1	75	2	1
29.	लक्ष्यद्वीप	46	0	43	6	0	5	3	0	3
30.	मिजोरम	688	0	644	78	0	73	48	0	45
31.	पांडिचेरी	734	117	0	75	12	0	45	7	0
	भारत	825064	129913	64028	97353	15333	7555	54414	8570	4223

स्रोतः (i) जनसंख्या परियोजन पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

(ii) महापंजीयक के कार्यालय से उपलब्ध आंकड़े

टिप्पणीः कुल जनसंख्या के आंकड़े उपर्युक्त स्रोतों से प्रदान किए गए हैं। 1 मार्च, 1981 को उपलब्ध आम जनसंख्या के अनुपात में अ०जा० और अ०ज०जा० की जनसंख्या के *अनुपात के आधार पर अ०जा० और अ०ज०जा० के छात्रों का अनुमान लगाया गया है।*

विवरण सं० 7

साक्षरता दर-1981

1-3-81की यथा स्थिति अनुसार

	सामान्य			अ०जा०			अ०ज०जा०		
राज्य/संघ शासित प्रदेश	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1. आंध्र प्रदेश	39.26	20.39	29.94	24.82	10.26	17.65	12.02	3.46	7.82
2. असम	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
3. बिहार	38.11	13.62	26.20	18.02	2.51	10.40	26.17	7.75	16.99
4. गुजरात	54.44	32.30	43.70	53.14	25.61	39.79	30.41	11.64	21.14
5. हरियाणा	48.20	22.37	36.14	31.45	7.06	20.15	-	-	-
6. हिमाचल प्रदेश	53.19	31.46	42.48	41.94	20.63	31.50	38.75	12.82	25.93
7. जम्मू व कश्मीर	36.29	15.88	26.67	32.34	11.70	22.44	-	-	-
8. कर्नाटक	48.81	27.71	38.46	29.35	11.55	20.59	29.96	10.03	20.14
9. केरल	75.26	65.73	70.42	62.33	49.73	55.96	37.52	26.02	31.79
10. मध्य प्रदेश	39.49	15.53	27.87	30.26	6.87	18.97	17.74	3.60	10.68
11. महाराष्ट्र	58.79	34.79	47.18	48.85	21.53	35.55	32.38	11.94	22.29
12. मणिपुर	53.29	29.06	41.35	41.94	24.95	33.63	48.88	30.35	39.74
13. मेघालय	37.89	30.08	34.08	33.28	16.30	25.78	34.19	28.91	31.35
14. नागालैण्ड	50.06	33.89	42.57	-	-	-	47.32	32.99	40.32
15. उड़ीसा	47.10	21.12	34.23	35.26	9.40	22.41	23.27	4.76	13.96
16. पंजाब	47.16	33.69	40.86	30.96	15.67	23.86	-	-	-
17. राजस्थान	36.30	11.42	24.38	24.40	2.69	14.04	18.85	1.20	10.27
18. सिक्किम	43.95	22.20	34.05	35.74	19.65	28.06	43.10	22.37	33.13
19. तमिलनाडु	58.26	34.99	46.76	40.65	18.47	29.67	26.71	14.00	20.46
20. त्रिपुरा	51.70	32.00	42.12	43.92	23.24	33.89	33.46	12.27	23.07
21. उत्तर प्रदेश	38.76	14.04	27.16	24.83	3.90	14.96	31.12	8.69	20.45
22. पश्चिम बंगाल	50.67	30.25	40.94	34.26	13.70	24.37	21.16	5.01	13.21
23. अ० व नि० द्वीपसमूह	58.72	42.14	55.16	-	-	-	38.43	23.24	31.11
24. अरुणाचल प्रदेश	28.94	11.32	20.79	45.88	22.38	37.14	20.79	7.31	14.04
25. चंडीगढ़	69.00	59.31	64.79	46.04	25.31	37.04	-	-	-
26. दादरा और नगर हवेली	36.32	16.78	26.67	58.52	44.74	51.20	25.46	8.42	16.86
27. दिल्ली	68.40	53.07	61.54	50.21	25.89	39.30	-	-	-
28. गोवा दमन दीव	65.59	47.56	56.66	48.79	27.84	38.38	33.65	18.89	26.48
29. लक्षद्वीप	65.24	44.65	55.07	-	-	-	63.34	42.92	53.13
30. मिजोरम	64.46	54.91	59.88	88.33	53.33	84.44	64.12	55.12	59.63
31. पांडिचेरी	65.84	45.71	55.85	43.11	21.21	32.36	-	-	-
योग	46.89	24.82	36.23	31.12	10.93	21.38	24.52	8.04	16.35

*असम में जनगणना नहीं की गई

स्रोत: भारत की जनगणना, 1981 प्रकाशन

टिप्पणी: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागालैण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के लिए किसी भी जाति को अनुसूचित जाति तथा हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में किसी जाति को अनुसूचित जनजाति नहीं घोषित किया गया है।

= साक्षरता दर में 0.4 वर्ष के उम्र वाले शामिल हैं।

विवरण सं॰ 8

अ॰जा॰ की साक्षरता दर में राज्यों/संघशासित राज्यों का क्रम 1981 जनगणना

1.3.1981 की यथास्थिति अनुसार

श्रेणी	राज्य/सं शा॰ रा॰	अ॰जा॰ साक्षरता दर
1.	मिजोरम	84.44
2.	केरल	55.96
3.	दादरा और नागर हवेली	51.20
4.	गुजरात	39.79
5.	दिल्ली	39.30
6.	गोआ दीव दमन	38.38
7.	अरूणाचल प्रदेश	37.14
8.	चंडीगढ़	37.07
9.	महाराष्ट्र	35.55
10.	त्रिपुरा	33.89
11.	मणिपुर	33.63
12.	पांडिचेरी	32.36
13.	हिमाचल प्रदेश	31.50
14.	तमिलनाडु	29.67
15.	सिक्किम	28.06
16.	मेघालय	25.78
17.	पश्चिम बंगाल	24.37
18.	पंजाब	23.86
19.	जम्मू और कश्मीर	22.44
20.	उड़ीसा	22.41
21.	कर्नाटक	20.59
22.	हरियाणा	20.15
23.	मध्य प्रदेश	18.97
24.	आन्ध्र प्रदेश	17.65
25.	उत्तर प्रदेश	14.96
26.	राजस्थान	14.04
27.	बिहार	10.40
28.	नागालैण्ड	—
29.	लक्षद्वीप	—
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—
31.	असम*	—
	कुल	21.38

*असम में जनगणना नहीं हुई थी।

स्रोतः 1981 का जनगणना प्रकाशन।

टिप्पणीः नागालैण्ड अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति नहीं है।
साक्षरता दर में 0-4 वर्ष के उम्र वर्ग वाले शामिल हैं।

विवरण सं॰ 9

अ॰ज॰जा॰ की साक्षरता दर में राज्यों/संघशासित राज्यों का क्रम 1981 जनगणना

1.3.1981 की यथास्थिति अनुसार

श्रेणी	राज्य/सं शा॰ रा॰	अ॰ज॰जा॰ साक्षरता दर
1.	मिजोरम	59.63
2.	लक्षद्वीप	53.13
3.	नागालैण्ड	40.32
4.	मणिपुर	39.74
5.	सिकिम	33.13
6.	केरल	31.79
7.	मेघालय	31.35
8.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31.11
9.	गोआ दमन और दीव	26.48
10.	हिमाचल	25.93
11.	त्रिपुरा	23.07
12.	महाराष्ट्र	22.29
13.	गुजरात	21.14
14.	तमिलनाडु	20.46
15.	उत्तर प्रदेश	20.45
16.	कर्नाटक	20.14
17.	बिहार	16.99
18.	दादरा और नागर हवेली	16.86
19.	अरूणाचल प्रदेश	14.04
20.	उड़ीसा	13.96
21.	पश्चिम बंगाल	13.21
22.	मध्य प्रदेश	10.68
23.	राजस्थान	10.27
24.	आन्ध्र प्रदेश	7.82
25.	पंजाब	—
26.	हरियाणा	—
27.	चंडीगढ़	—
28.	जम्मू और कश्मीर	—
29.	दिल्ली	—
30.	असम*	—
31.	पांडिचेरी	—
	योग	16.35

*असम में जनगणना नहीं हुई थी।

स्रोतः 1981 का जनगणना प्रकाशन।

टिप्पणीः हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में अनुसूचित जनजाति नहीं है।
साक्षरता दर में 0-4 वर्ष के उम्र वर्ग वाले शामिल हैं।

विवरण सं°10
शैक्षणिक संस्थाएं (1989-90)

30 सितम्बर, 1989 की यथास्थिति अनुसार

क्र°सं°	राज्य/सं.शा.प्र.	प्राइमरी	मिडिल	मा/उच्चतरसामान्य मा°	शिक्षा कालेज	व्यावसायिक शिक्षा	विश्वविद्यालय
1.	आंध्र प्रदेश	47216	5827	6366	403	86	17
2.	अरूणाचल प्रदेश	1101	241	108	4	0	1
3.	असम	28875	5703	3137	179	15	3
4.	बिहार	52181	12530	4006	552	31	11
5.	गोआ	996	118	361	14	4	1
6.	गुजरात	13103	16794	5021	227	57	10
7.	हरियाणा	4922	1321	2266	119	22	4
8.	हिमाचल प्रदेश	7522	1101	1037	39	4	3
9.	जम्मू और कश्मीर	8712	2320	1097	27	9	3
10.	कर्नाटक	23538	16318	5062	403	132	9
11.	केरल	6812	2892	2547	132	31	6
12.	मध्य प्रदेश	65897	13453	3449	448	37	12
13.	महाराष्ट्र	38796	18145	10071	571	189	18
14.	मणिपुर	2771	443	393	33	4	1
15.	मेघालय	4162	685	298	23	1	1
16.	मिजोरम	1084	522	185	13	1	0
17.	नागालैण्ड	1286	343	124	16	1	0
18.	उड़ीसा	39593	9396	4695	232	30	5
19.	पंजाब	12357	1413	2740	171	26	4
20.	राजस्थान	30022	8600	3642	138	41	9
21.	सिक्किम	512	127	68	1	0	0
22.	तमिलनाडु	29491	5651	4949	209	71	15
23.	त्रिपुरा	2043	437	428	13	2	1
24.	उत्तर प्रदेश	74275	14549	5946	414	24	25
25.	पश्चिम बंगाल	50827	4179	6804	302	62	11
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	186	42	63	1	1	0
27.	चंडीगढ़	43	31	70	12	2	2
28.	दादरा और नागर हवेली	120	41	11	0	0	0
29.	दमन और दीव	43	20	19	1	0	0
30.	दिल्ली	1851	397	1043	52	6	11
31.	लक्षद्वीप	19	4	11	0	0	0
32.	पांडिचेरी	344	104	102	6	2	1
	भारत	550700	143747	76119	4755	891	184

* विश्वविद्यालय और संस्थान समझे जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल हैं।

इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान तथा शिक्षक प्रशिक्षण के कालेज ही शामिल हैं। आंकड़े वर्ष 1988-89 से संबंधित हैं।

स्रोत: चुनिंदा शैक्षकि आंकड़े 1988-89

विवरण सं० 11
कक्षाओं में दाखिला (1989-90)

(30.9.1989 की यथास्थिति)

क्र०सं०	राज्य/सं.शा.प्र.	प्राथमिक			मिडिल			माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक			उच्च शिक्षा *		
		लड़के	लड़कियां	कुल योग	लड़के	लड़कियां	कुल योग	लड़के	लड़कियां	कुल योग	लड़के	लड़कियां	कुल योग
1.	आंध्र प्रदेश	4205423	3115165	7320588	1304111	728839	2032950	878456	419125	1297581	188168	77439	265607
2.	अरूणाचल प्रदेश	62454	44846	107300	15226	9603	24829	10073	4952	15025	1251	244	1495
3.	असम	2302022	1165381	3467403	792046	451561	1243607	370180	236747	606927	72052	33145	105467
4.	बिहार £	5581656	2719530	8301186	1435922	499111	1935033	990827	223558	1214385	401154	94041	495195
5.	गोआ	72444	65815	138259	44004	37406	81410	30530	25087	55617	5692	5534	11226
6.	गुजरात	3153000	2357000	5510000	1022000	644000	1666000	682000	402000	1084000	141050	92020	233070
7.	हरियाणा	954490	734917	1689407	439601	251214	690815	283906	126104	410010	44943	29204	74147
8.	हिमाचल प्रदेश	371102	319123	690225	188667	146131	334798	171205	105178	276383	7269	3357	10626
9.	जम्मू और कश्मीर	450374	288286	738760	190878	100860	291738	122903	58410	181313	16395	10958	27353
10.	कर्नाटक	2969753	2524279	5494032	1038292	719914	1758206	733785	370794	11045579	178459£	76858£	255317£
11.	केरल	1649072	1564532	3213604	936091	887824	1823915	558666	573109	1131775	76351	86046	162397
12.	मध्य प्रदेश £	4788209	2956283	7744492	1759302	7664218	2523520	757511	248326	1005837	162421	69721	232142
13.	महाराष्ट्र	5338000	4554000	9892000	2269664	1529632	3799296	1892450	958380	2850830	383683	234334	618017
14.	मणिपुर	138800	120200	259000	39600	32400	72000	39618	26878	66496	12178£	9197£	21375£
15.	मेघालय	124023	117853	241876	36754	32292	69046	31016	26801	57817	4271	2763	7034
16.	मिजोरम	60506	53660	114166	18290	17663	35953	9530	8462	17992	1494	761	2255
17.	नागालैण्ड	78800	75000	153800	26200	21800	48000	12392	9821	22213	1415	694	2109
18.	उड़ीसा	2150000	1439000	3589000	548000	427000	975000	477601	215605	693206	50322	17330	67652
19.	पंजाब £	1131340	960955	2092295	462549	347246	809795	320232	218004	538236	75600	32790	112890
20.	राजस्थान	3151738	1367515	4519253	1024132	286025	1310175	635931	149690	785621	132621£	38689£	171310£
21.	सिक्किम	38656	32859	71515	7824	6767	14591	4658	2929	7587	486	178	664
22.	तमिलनाडु	1140009	3537807	7677816	1756874	1276142	3033016	946514	610822	1557336	152270	87324	239594
23.	त्रिपुरा	211572	170061	381633	65954	48128	114082	39841	24975	64816	7276	3810	11086
24.	उत्तर प्रदेश	8687102	4809214	13496316	3029011	1120012	4149023	2215833	668891	2884724	349757	112063	461820
25.	पश्चिम बंगाल £	5313432	3960689	9274121	1578095	1164672	2742767	1058516	540100	1598616	196157	134837	330994
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20538	18320	38858	9838	8102	17940	6902	5560	12462	681	655	1336
27.	चंडीगढ़ £	24361	20615	44976	12652	10577	23229	15501	11964	27465	7061	6160	13221
28.	दादरा और नागर हवेली	9650	6629	16279	2812	1558	4370	1484	942	2426	0	0	0
29.	दमन और दीव	5373	4764	10137	4099	3565	7664	3284	2252	5536	168	102	270
30.	दिल्ली	489395	429318	918713	278015	220878	498893	206099	160105	366204	66045£	50825£	116870£
31.	लक्षद्वीप £	4464	3954	8410	1765	1322	3087	1090	596	1686	0	0	0
32.	पांडिचेरी	53776	48910	102686	29563	23385	52946	14532	10977	25509	2669	2091	4760
	भारत	731534	39586580	97318114	20367831	11819845	32187676	13523066	6447144	19970210	2739359	1317940	4057299

* इसमें इंजीनियरी (बी०ई०/बी०टेक/बी० वास्तु) चिकित्सा (एम०बी०बी०एस०) और शिक्षक प्रशिक्षण (बी०एड०/बी०टी०) को छोड़कर पी०एच०डी०/एम०फिल और सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में किया गया दाखिला शामिल नहीं है।

£ आंकड़े वर्ष 1988-89 से सम्बन्धित हैं।

स्रोत: चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े, 1989-90

विवरण 12

कक्षाओं में दाखिला (अनुसूचित जाति) 1989-90

क्रम संख्या	राज्य/ संघशासित प्रदेश	प्राथमिक लड़के	प्राथमिक लड़कियां	प्राथमिक कुल योग	मिडिल लड़के	मिडिल लड़किया	मिडिल कुल योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	819177	609325	1428502	152909	86332	239241
2.	अरूणाचल प्रदेश	215	114	329	71	37	108
3.	असम	170067	154777	324844	64904	48623	113527
4.	बिहार £	745163	272495	1017658	149526	36235	185761
5.	गोवा	1749	1608	3357	613	440	1053
6.	गुजरात	278000	208000	486000	109315	63498	172813
7.	हरियाणा	211603	166541	378144	69753	31549	101302
8.	हिमाचल प्रदेश	92265	75450	167715	39397	24570	63967
9.	जम्मू व कश्मीर £	36200	23800	60000	15700	8430	24130
10.	कर्नाटक	479636	391112	870748	142035	90902	232937
11.	केरल	191180	180205	371385	102984	97498	200482
12.	मध्य प्रदेश	765231	357176	1122407	210962	60302	271264
13.	महाराष्ट्र	791123	646412	1437535	318817	191816	510633
14.	मणिपुर	1490	1650	3140	760	580	1340
15.	मेघालय	1311	1277	2588	524	373	897
16.	मिजोरम	@	@	@	@	@	@
17.	नागालैंड £	@	@	@	@	@	@
18.	उड़ीसा	415000	265000	68000	105000	41000	146000
19.	पंजाब £	389980	301621	691601	108752	68223	176975
20.	राजस्थान	524720	170993	695713	155320	20001	175321
21.	सिक्किम	2239	1967	4206	348	297	645
22.	तमिलनाडु	844591	684156	1528747	329691	223459	553150
23.	त्रिपुरा	37404	30117	67521	10671	6860	17531
24.	उत्तर प्रदेश	1712827	644126	2356953	315496	75210	390706
25.	पश्चिम बंगाल £	875964	583280	1459244	165098	84470	249568
26.	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	@	@	@	@	@	@
27.	चण्डीगढ़ £	6337	5131	11468	2507	1885	4392
28.	दादरा और नगर हवेली	191	166	357	123	85	208
29.	दमन और द्वीव	219	187	406	126	156	282
30.	दिल्ली	119125	90735	209860	47355	30628	77938
31.	लक्षद्वीप £	@	@	@	@	@	@
32.	पाण्डिचेरी	9722	10239	19961	4646	4269	8915
	भारत	9522729	5877660	15400389	2623403	1297728	3921131

विवरण सं॰ 13

विभिन्न स्तरों पर नामांकन (अनुसूचित जाति) 1989-90

20.9.1989 की यथा स्थिति अनुसार

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राइमरी बालक	प्राइमरी बालिका	प्राइमरी योग	मिडिल बालक	मिडिल बालिका	मिडिल योग	माध्यमिक उच्चतर मा॰ लड़के	माध्यमिक उच्चतर मा॰ लड़कियां	माध्यमिक उच्चतर मा॰ कुल योग	उच्चतर शिक्षा लड़के	उच्चतर शिक्षा लड़कियां	उच्चतर शिक्षा कुल योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	297962	184009	481971	42170	18895	61065	183927	83776	267703	23239	7440	30679
2.	अरूणाचल प्रदेश	46169	33031	79200	10375	6174	16549	56	28	84			
3.	असम	306376	248091	554427	72674	52966	125640	30758	17965	48723	5394	2396	7790
4.	बिहार*	467248	232413	699661	97898	36808	134706	56183	8496	64679			
5.	गोवा	87	63	150	23	4	27	317	156	473	56	40	96
6.	गुजरात	470000	337000	807000	111865	58801	170666	71796	31392	103188	12100	4435	16535
7.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	33879	7924	41803	3689	625	4314
8.	हिमाचल प्रदेश	15642	12146	27788	6793	3319	10112	23428	9855	33283	681	137	818
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—		6420	2340	8760			
10.	कर्नाटक	119864	99008	218872	34533	23393	57926	95917	39615	135532	19105£	4869£	23974£
11.	केरल	21122	19506	40628	7997	7345	15342	55858	60424	116282	5003	5180	10183
12.	मध्य प्रदेश*	1032983	443210	1476193	205121	59116	264237	88794	18275	107069	14777	2649	17426
13.	महाराष्ट्र	528640	384058	912698	138480	71308	209788	229055	95682	324737	43112	8896	52008
14.	मणिपुर	50100	42800	92900	8200	6800	15000	795	563	1358	296 £	190 £	486 £
15.	मेघालय	104390	98910	203300	30121	28295	58416	854	425	1279	139	91	230
16.	मिजोरम	59638	53497	113135	18067	17513	35580	@	@	@	@	@	@
17.	नागालैंड	77039	71301	148340	21227	18039	39266	@	@	@	@	@	@
18.	उड़ीसा	516000	243000	759000	93000	38000	131000	55145	16840	71985	3765	773	4528
19	पंजाब*	—	—	—	—	—	—	55836	29463	85299	7195	2613	9808
20.	राजस्थान	373292	111834	485126	95273	104273	10410	94929	6190	91119			
21.	सिक्किम	8140	7114	15254	1705	1625	3330	171	107	278	13	9	22
22.	तमिलनाडु	34216	25598	59814	10215	6794	17009	154453	85302	239755	23010	9612	32622
23.	त्रिपुरा	65503	44416	109919	15215	8550	23765	5330	2697	8027	814	318	1132
24.	उत्तर प्रदेश	21092	12024	33116	5004	1545	6549	311780	45902	357682	52354	3966	56320
25.	पश्चिम बंगाल*	316631	134878	451509	14830	57924	200092	120254	50844	171098	17364	7753	25117
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2013	1755	3768	894	770	1664	@	@	@	@	@	@
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	1279	865	2144	470	164	634
28.	दादरा व नगर हवेली	8205	5371	13576	2044	944	2988	98	60	158			
29.	दमन व द्वीप	792	743	1535	569	510	1079	180	101	281	4	3	7
30.	दिल्ली	295	272	567	245	146	391	31750	13684	45434	5350 £	2507 £	7857 £
31.	लक्षद्वीप	4398	3896	8294	1706	1245	2951	@	@	@	@	@	@
32.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	1340	945	2285	258	96	354
	भारत	4947837	2849904	7797741	1074508	494145	1568653	1799527	643706	2443233	238178	64762	302940

*इसमें इंजीनियरी (बी॰ई॰/बी॰टेक॰/बी॰ वास्त॰) चिकित्सा (एम॰बी॰बी॰एस॰) और शिक्षक प्रशिक्षण (बी॰एस॰/बी॰टी॰) को छोड़कर पी॰एच॰डी॰/एम॰फिल॰ और सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में किया गया दाखिला शामिल नहीं है।

£आंकड़े वर्ष 1988-89 से सम्बन्धित हैं।

@भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागालैंड, अ॰ और नि॰ द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के लिए कोई भी जाति अनुसूचित नहीं है।

स्रोतः—चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े, 1989-90.

विवरण सं० 14

प्रत्येक एक लाख जनसंख्या में नामांकन

(1989-90)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	योग प्राइमरी	मिडिल	अनुसूचित जाति प्राइमरी	मिडिल	अनुसूचित जनजाति प्राइमरी	मिडिल
1.	आन्ध्र प्रदेश	11591	3219	15213	2548	12866	1630
2.	अरूणाचल प्रदेश	13296	3077	8225	2700	14067	2939
3.	असम	14178	5085	21287	7440	20626	4674
4.	बिहार	9797	2284	8279	1511	9936	1913
5.	गुजरात	13647	4126	16828	5984	14052	2972
6.	हरियाणा	10467	4280	12285	3291	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	13734	6662	13558	5171	11978	4359
8.	जम्मू और कश्मीर	10246	4046	10017	4028	0	0
9.	कर्नाटक	12327	3945	12967	3469	9990	2644
10.	केरल	10833	6148	12500	6748	13321	5030
11.	मध्य प्रदेश	12284	4003	12624	3051	10192	1824
12.	महाराष्ट्र	13331	5120	27149	9644	13379	3075
13.	मणिपुर	14698	4086	14273	6091	19314	3119
14.	मेघालय	14289	4079	36971	12814	14905	4283
15.	नागालैण्ड	14012	4373	0	0	16089	4259
16.	उड़ीसा	11606	3153	15001	3221	10943	1889
17.	पंजाब	10691	4138	13151	3365	0	0
18.	राजस्थान	10395	3014	9390	2366	9140	1991
19.	सिक्किम	16414	3349	16824	2580	15103	3297
20.	तमिलनाडु	13790	5448	14966	5451	10002	2844
21.	त्रिपुरा	15085	4509	17676	4589	15267	3301
22.	उत्तर प्रदेश	10095	3103	8333	1381	11785	2331
23.	पश्चिम बंगाल	14308	4232	10240	1751	12380	1588
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13726	6337	0	0	11082	4894
25.	चंडीगढ़	6225	3215	11243	4306	0	0
26.	दादर व नगर हवेली	124893	3354	11900	6933	13181	2901
27.	दिल्ली	10311	5599	13059	4853	0	0
28.	गोवा, दमन और द्वीव	11134	6683	12976	4603	12962	8508
29.	लक्षद्वीप	18260	6696	0	0	19288	6863
30.	मिजोरम	16584	5223	0	0	17568	5525
31.	पांडिचेरी	13984	7210	17061	7620	0	0
	भारत	11795	3901	11854	3018	12179	2450

मा० / उ०मा०			उच्च शिक्षा		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
39529	14162	53691	3272	833	4105
7193	2843	10036	893	117	1010
34657	20723	55380	6193	2183	8376
40708	14081	54789	उ०न०	उ०न०	उ०न०
3	1	6	1	1	2
59713	29548	89261	9695	4950	14645
—	—	—	—	—	—
4244	1689	5933	255	56	311
—	—	—	—	—	—
19466	9983	29449	4318	832	5150
3644	3363	7007	320	262	582
95108	43008	138116	9904	1866	11770
71086	26486	97572	8398	2004	10402
6971	5269	12240	2060	1141	3201
25164	21900	47064	2574	1858	4432
9473	8421	17894	1451	740	2191
7683	6373	14056	1149	567	1716
33628	13010	46638	2903	617	3520
—	—	—	—	—	—
53498	3088	56586	उ०न०	उ०न०	उ०न०
969	655	1624	78	22	100
4491	3006	7497	441	142	583
6224	2493	8717	363	107	470
5819	1474	7293	1211	497	1708
20092	10560	30652	775	284	1059
443	360	803	6	3	9
—	—	—	—	—	—
849	401	1250	उ०न०	उ०न०	उ०न०
305	144	449	51	8	59
222	155	377	390	251	641
1004	511	1515	उ०न०	उ०न०	उ०न०
—	—	—	—	—	—
552188	243707	795895	56701	19341	76042

*इंजीनियरी (बी०ई० / बी०टी० / बी०आर्क / चिकित्सा विज्ञान (एम०बी०बी०एस०) तथा शिक्षक प्रशिक्षण (बी०एड० / बी०टी०) को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के नामांकन शामिल नहीं हैं।

**आकड़े वर्ष 1988-89 से संबंधित हैं।

हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, पांडिचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़ में राष्ट्रपति द्वारा किसी भी जाति को अनुसूचित जन जाति नहीं घोषित किया गया।

स्रोतः चुनिंदा शैक्षणिक आंकड़े, 1989-90

विवरण सं॰ 15

कक्षा छोडने वालों की दर 1986-87

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कक्षा i-i/			कक्षा i-i/iii		
		बालक	बालिका	योग	**बालक**	**बालिका**	**योग**
1.	आन्ध्र प्रदेश	57.70	62.17	59.60	78.03	85.14	81.08
2.	असम	62.00	66.95	64.16	70.31	73.20	71.56
3.	बिहार	64.11	68.23	65.42	77.25	84.68	79.53
4.	गुजरात	14.30	48.65	44.49	58.65	67.90	62.53
5.	हरियाणा	26.95	32.77	29.26	29.79	48.30	36.38
6.	हिमाचल प्रदेश	30.90	32.36	31.56	15.23	31.04	22.04
7.	जम्मू और कश्मीर	39.74	38.20	39.16	46.91	57.37	50.89
8.	कर्नाटक	49.48	62.93	55.98	67.27	77.60	72.06
9.	केरल	0.44	1.30	0.41	19.09	18.32	18.71
10.	मध्य प्रदेश	38.38	49.19	42.40	51.70	69.79	58.07
11.	महाराष्ट्र	37.42	47.64	42.12	37.41	72.15	64.15
12.	मणिपुर	72.00	73.82	72.86	76.63	80.51	78.44
13.	मेघालय	64.29	69.83	66.99	86.35	86.87	86.60
14.	नागालैण्ड	29.12	18.39	24.31	78.26	89.21	78.68
15.	उड़ीसा	49.80	53.49	51.34	61.38	73.05	66.66
16.	पंजाब	38.76	40.12	39.38	60.26	67.73	63.73
17.	राजस्थान	49.06	56.58	51.08	58.96	69.83	61.63
18.	सिक्किम	62.38	62.90	62.61	66.11	65.37	65.80
19.	तमिलनाडु	19.86	25.06	22.28	44.99	55.23	49.67
20.	त्रिपुरा	62.46	62.46	62.46	71.10	71.30	71.19
21.	उत्तर प्रदेश	45.52	46.48	45.82	50.49	64.20	54.94
22.	पश्चिम बंगाल	61.20	64.72	62.72	78.20	79.57	78.75
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23.99	27.54	25.65	31.61	41.27	36.15
24.	अरूनाचल प्रदेश	65.54	62.55	64.46	78.06	75.53	77.25
25.	चंडीगढ़	8.22	1.71	5.32	13.41	16.27	14.63
26.	दादर व नगर हवेली	37.85	50.17	42.81	71.56	75.00	73.03
27.	दिल्ली	8.24	20.64	14.26	15.15	30.06	22.30
28.	गोवा, दमन और द्वीव	9.44	13.00	11.13	23.67	32.81	28.01
29.	लक्षद्वीप	19.01	21.45	20.16	41.00	46.94	43.76
30.	मिजोरम	40.16	40.95	40.54	77.03	77.08	77.06
31.	पांडिचेरी	उ॰न॰	उ॰न॰	उ॰न॰	उ॰न॰	उ॰न॰	उ॰न॰
	भारत	46.86	51.17	48.60	61.44	70.16	64.90

निम्नलिखित आधार पर कक्षा छोड़ने वालों की गणना की गई है:—

वर्ष 1986-87 की कक्षा I से V तक की कक्षा छोड़ने की वालों की दर

(वर्ष 1982-83 में कक्षा i में नामांकित छात्रों की संख्या)
(वर्ष 1986-87 में कक्षा i/ में नामांकित छात्रों की संख्या
= × 100
वर्ष 1982-83 में कक्षा i में नामांकित छात्रों की संख्या

वर्ष 1986-87 की कक्षा । से कक्षा i/iii तक की कक्षा छोड़ने वालों की दर

(वर्ष 1979-80 में कक्षा i में नामांकित छात्रों की संख्या)
(वर्ष 1986-87 में कक्षा i/iii में नामांकित छात्रों की संख्या)
= × 100
वर्ष 1979-80 में कक्षा i में नामांकित छात्रों की संख्या

इस अनुपात में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया गया है:—

(i) पुनरावर्तक; और
(ii) वे बच्चे जो कक्षा I के बाद दाखिला लेते हैं।

विवरण सं० 16

अ०जा० और अ०ज०जा० में कक्षा छोड़ने की दर 1986-87

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कक्षा I से V अ०जा०	कक्षा I से V अ०ज०जा०	कक्षा I से VIII अ०जा०	कक्षा I से VIII अ०ज०जा०
1.	आन्ध्र प्रदेश	66.37	72.38	85.19	89.09
2.	असम	61.54	73.77	72.13	77.25
3.	बिहार	69.42	73.41	83.35	86.70
4.	गुजरात	44.93	62.03	62.68	80.40
5.	हरियाणा	39.06	—	48.85	—
6.	हिमाचल प्रदेश	36.27	40.63	34.37	35.79
7.	जम्मू और कश्मीर	28.72	—	52.97	—
8.	कर्नाटक	52.99	39.37	69.27	58.71
9.	केरल	14.83	21.54	10.34	52.33
10.	मध्य प्रदेश	32.40	58.08	51.68	74.10
11.	महाराष्ट्र	49.31	60.15	68.37	75.43
12.	मणिपुर	83.63	77.71	86.47	86.10
13.	मेघालय	47.68	69.12	उ०न०	78.71
14.	नागालैण्ड	—	56.30	—	83.46
15.	उड़ीसा	55.49	75.54	75.97	87.71
16.	पंजाब	50.96	—	78.02	—
17.	राजस्थान	62.96	75.40	73.28	76.61
18.	सिक्किम	66.02	59.39	78.55	66.96
19.	तमिलनाडु	29.09	6.88	58.03	24.97
20.	त्रिपुरा	66.48	78.59	79.96	84.57
21.	उत्तर प्रदेश	46.59	54.75	59.06	65.62
22.	पश्चिम बंगाल	58.04	64.68	81.02	85.24
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	23.27	—	31.60
24.	अरूणाचल प्रदेश	5.26	67.87	88.64	81.32
25.	चंडीगढ़	उ०न०		13.13	
26.	दादर व नगर हवेली	उ०न०	51.48	36.36	81.03
27.	दिल्ली	39.13	—	60.96	—
28.	गोवा, दमन और द्वीव	47.66	44.96	66.93	72.05
29.	लक्षद्वीप	—	20.69	—	44.05
30.	मिजोरम	उ०न०	43.26	उ०न०	76.46
31.	पांडिचेरी	3.72	—	34.58	—
	भारत	50.79	66.12	69.15	80.19

असम में जनगणना नहीं हुई थी

स्रोत: (i) पांचवीं अखिल शैक्षणिक सर्वेक्षण

(ii) शिक्षा विभाग की वार्षिक सांख्यिकी

टिप्पणी: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागालैण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में किसी भी जाति अनुसूचित जाति तथा हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ, दिल्ली तथा पांडिचेरी में किसी भी जाति को अनुसूचित जन जाति घोषित नहीं किया गया।

विवरण सं॰ 17
शिक्षकों की संख्या 1989-90

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राइमरी स्कूल			मिडिल स्कूल			मा॰/उच्चतर माध्यमिक स्कूल		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	74495	28749	103244	28128	13321	41449	54924	24251	79175
2.	अरूणाचल प्रदेश	1936	406	2342	1329	336	1665	1746	407	2153
3.	असम	56600	14300	70900	31120	6180	37300	31456	9908	41364
4.	बिहार +	95160	20345	115505	77327	17742	95069	40213	6220	46433
5.	गोवा	1067	1703	2770	422	521	943	3117	3692	6809
6.	गुजरात	22208	13607	35815	75007	59728	134735	40458	11739	52197
7.	हरियाणा	9012	6449	15461	7167	4648	11815	28047	19168	47215
8.	हिमाचल प्रदेश	10980	6020	17000	5700	1300	7000	9100	3800	12900
9.	जम्मू और कश्मीर+	8159	5565	13724	11822	5807	17629	12987	6015	19002
10.	कर्नाटक	30110	11149	41259	57195	37432	94627	37135	12146	48281
11.	केरल	18619	31315	49934	19584	30533	50117	36014	56732	92746
12.	मध्य प्रदेश+	129167	35980	165147	60045	17844	77889	37130	10918	48048
13.	महाराष्ट्र	71800	44996	116796	91993	53564	14555	130801	57708	188509
14.	मणिपुर	7030	2030	9060	3120	950	4070	4704	1906	6610
15.	मेघालय	4242	2485	6727	1887	1108	2995	1490	1442	2932
16.	मिजोरम	2133	1710	3843	2489	579	3068	1119	246	1365
17.	नागालैण्ड+	4691	1807	6498	2601	678	3279	1744	786	2530
18.	उड़ीसा	77755	25785	103540	30996	6368	37364	30189	8476	38665
19.	पंजाब+	21965	25528	47493	5518	4321	9839	26727	21162	47889
20.	राजस्थान	54808	18697	73505	52901	17404	70305	47807	13472	61279
21.	सिक्किम	1542	611	2153	1103	498	1601	1201	810	2011
22.	तमिलनाडु	72381	46541	118922	33826	31842	65668	67218	46110	113328
23.	त्रिपुरा	4973	3314	8287	3143	915	4058	5802	3866	9668
24.	उत्तर प्रदेश	213698	47761	261459	76382	18831	95213	104619	21714	126333
25.	पश्चिम बंगाल+	144112	40636	184748	18092	7139	25231	78326	41691	120017
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	432	252	684	349	346	695	1101	966	2067
27.	चंडीगढ़+	30	389	419	66	449	515	586	2053	2639
28.	दादर व नगर हवेली	114	50	164	163	206	369	102	43	145
29.	दमन और द्वीव	137	140	277	132	53	185	131	46	177
30.	दिल्ली	8378	13548	21926	2165	3245	5410	15754	22094	37848
31.	लक्षद्वीप+	157	66	223	151	66	217	132	31	163
32.	पांडिचेरी	1061	831	1892	1035	676	1711	1657	1094	2751
	भारत	1148952	452765	1601717	702958	344630	1047588	853537	410712	1263249

* आंकड़े वर्ष 1988-89 से संबंधित हैं।

स्रोत : चुनिंदा शैक्षणिक आंकड़े, 1989-90

NIEPA DC
D08522
Sub. National Systems Unit
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-6522
Date 2-12-91

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
शिक्षा सचिव
(श्री अनिल बोर्दिया)